पंचदश माला, खंड 31, अंक 9

बुधवार, 6 मार्च, 2013
15 फाल्गुन, 1934 (शक)

9

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Deba...
Room No. ...
Block 'G'
Acc. No. 86
Dated 10 Feb. 2016

सत्यमेव जयते

(खंड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

विपिन कमार मित्तल
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 31, तेरहवां सत्र 2013/1934 (शक)]

अंक 9, बुधवार, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	2-119
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	119-728
सभा पटल पर रखे गए पत्र	795-801, 803
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
31वां प्रतिवेदन	801
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) 26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची में शुद्धि	
श्री पवन कुमार बंसल	795
(दो) (क) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
(ख) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मिलिंद देवरा	801-803
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजय सिंह	804

---

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय	कॉलम
(दो) मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का निरसन किए जाने तथा राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार की घटनाओं को भी रोके जाने की आवश्यकता	
डॉ. थोकचोम मैन्या	804-805
(तीन) देश के आंग्ल-भारतीय समुदाय बहुल शहरों में आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	805-806
(चार) हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में उन किसानों, जिनकी फसलें पाले और ठंडी हवाओं के कारण नष्ट हो गई हैं, को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती श्रुति चौधरी	806-807
(पांच) ओडिशा के सुन्दरगढ़ जिले में बीएसएनएल टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमानन्द बिसवाल	807
(छह) महाराष्ट्र में मुरुर रेलवे स्टेशन पर लातूर एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 22107/22108) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयवंत गंगाराम आवले	807-808
(सात) महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री दानवे रावसाहेब पाटील	808
(आठ) जिन किसानों को उनकी कृषि भूमि के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइनों के कारण जान और फसल की हानि होती है, उन्हें प्रतिकर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	808-809
(नौ) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर में ओएनजीसी के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	809

विषय	कॉलम
(दस) उत्तराखंड में टिहरी बांध के आर-पार जाने वाले पैदल यात्रियों को मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	809-810
(ग्यारह) मिड-डे-मील योजना को पुन: चालू किये जाने तथा योजना के प्रबंधन से शिक्षण कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने की आवश्यकता	
श्री विजय बहादुर सिंह	810-811
(बारह) बिहार में पिपरा से उत्तर प्रदेश में कसेया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को चार लेन वाला बनाये जाने के कार्य का आरंभ करने तथा बिहार के गोपालगंज जिले में कमला राय चौक राजमार्ग पर एक ऊपरिपुल का निर्माण भी किये जाने की आवश्यकता	
श्री पूर्णमासी राम	811-812
(तेरह) देश में किन्नरों की समस्याओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता	
डॉ. रत्ना डे	812
(चौदह) देश में कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली कुर्माली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री सुवेन्दु अधिकारी	812-813
(पन्द्रह) चेन्नई एगमोर-गुरुवयूर-चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस तथा चेन्नई-एगमोर-त्रिवेन्द्रम, अनंतपुरी एक्सप्रेस ट्रेनों को उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन पर ठहराव किये जाने की आवश्यकता	
श्री एम. आनंदन	813-814
(सोलह) ओडिशा के गंजम जिले में प्रस्तावित बारहमासी गोपालपुर पत्तन का निर्माण कार्य शीघ्र किये जाने की आवश्यकता	
श्री बिभू प्रसाद तराई	814
सदस्यों द्वारा निवेदन	
देश में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में	815-835

विषय	कॉलम

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. चिंता मोहन.. 836-842

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन.. 842-858

श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला.. 859-861

श्री गणेश सिंह.. 861-864

श्री चार्ल्स डिएस.. 864-866

श्री एम. कृष्णास्वामी.. 866-868

डॉ. रत्ना डे.. 868-872

श्री हरिभाऊ जावले.. 872-876

श्री एन. पीताम्बर कुरूप.. 876-880

श्रीमती रमा देवी.. 880-884

श्री रतन सिंह.. 884-887

श्री राजेन्द्र अग्रवाल.. 887-891

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय.. 891-892

श्री एस. सेम्मलई.. 892-893

श्री सी. राजेन्द्रन.. 893-896

श्री के. सुगुमार.. 896-897

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह.. 898-900

श्री प्रेम दास राय.. 900-901

श्री पन्ना लाल पुनिया.. 901-905

श्री राम सिंह कस्वां.. 905-907

श्री शरद यादव.. 907-915

श्री एच.डी. देवेगौडा.. 915-925

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन.. 925-932

विषय	कॉलम

श्री बसुदेव आचार्य	932-941
श्री ओ.एस. मणियन	941-942
श्री सी. शिवासामी	942-944
श्री ए.के.एस. विजयन	944-947
श्री एस.एस. रामासुब्बू	948-949
श्री आधिशंकर	949-951
श्री ई.जी. सुगावनम	951-954
श्री एन. कृष्टप्प	954-957
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	958-963
श्री एन.एस.वी. चित्तन	963-966
शेख सैदुल हक	966-971
श्री ए.टी. नाना पाटील	971-972
श्री संजय सिंह चौहान	972-974
डॉ. अरविंद कुमार शर्मा	975-976
श्रीमती ज्योति धुर्वे	976-979
श्री प्रबोध पांडा	979-982
श्री नारनभाई काछडिया	982-985
श्री मुरारी लाल सिंह	986-987
श्री ए. सम्पत	987-990
श्रीमती श्रुति चौधरी	990-992
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	992-993
योगी आदित्यनाथ	993-1000
श्री आर. थामराईसेलवन	1000-1003
श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1003-1005

विषय	कॉलम
श्रीमती दर्शना जरदोश	1005-1006
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1006-1009
श्री समीर भुजबल	1009-1012
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1012-1018
श्री सतपाल महाराज	1018-1022
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	1022-1026
श्री कामेश्वर बैठा	1026
श्री विष्णु पद राय	1027-1030
डॉ. भोला सिंह	1030-1034
श्री अजय कुमार	1034-1037
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	1037-1040
श्री असादूद्दीन ओवेसी	1040-1044
कुमारी सरोज पाण्डेय	1044-1046
श्री थोल तिरूमावलावन	1047-1048
श्री चंदूलाल साहू	1048-1049
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1049-1050
श्री सुखदेव सिंह	1051
श्री पशुपति नाथ सिंह	1051-1054
श्री बदरुद्दीन अजमल	1054-1058
श्री नवीन जिन्दल	1058-1063
श्री वीरेन्द्र कश्यप	1063-1066
श्रीमती पुतुल कुमारी	1066-1069
श्री मानिक टैगोर	1069-1072
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	1072-1074

विषय	कॉलम
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1074-1076
डॉ. थोकचोम मैन्या	1076-1080
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	1080-1083
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1083-1085
श्री वीरेन्द्र कुमार	1085-1089
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1089-1091
श्री राकेश सचान	1091-1092
श्री रामकिशुन	1093-1094
श्री घनश्याम अनुरागी	1094-1097
श्री अर्जुन राम मेघवाल	1097-1100
श्रीमती संतोष चौधरी	1100-1102
डॉ. मनमोहन सिंह	1102-1116
संशोधन—अस्वीकृत हुए	1116-1119
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ	1119-1120
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	765-766
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	765-786
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	787-788
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	787-788

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के विश्वनाथन

लोक सभा

बुधवार, 06 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 121.

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको जो कहना है उसके लिए जीरो आवर में समय देंगे लेकिन प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम शून्य प्रहर में आप सबको समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर में समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री बृज भूषण शरण सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड का बाजार शेयर और राजस्व

***21. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के बाजार शेयर और राजस्व अर्जन में लगातार गत तीन वर्षों से और चालू वर्ष के दौरान गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दोनों कंपनियों को कंपनी और वर्ष-वार कितना घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के कार्यकरण और इनके प्रबंधन की कोई समीक्षा कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनर्गठन संबंधी सैम पित्रोदा समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों के गिरते बाजार शेयर और घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 के दिनांक 31.12.2012 तक के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के राजस्व, लाभ/हानि और बाजार शेयर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	कुल राजस्व (करोड़ रु.)		लाभ/हानि (करोड़ रु.)		बाजार शेयर (%)	
	बीएसएनएल	एमटीएनएल	बीएसएनएल	एमटीएनएल	बीएसएनएल	एमटीएनएल
31.3.2010	32,045	5,058	-1,823	-2,611	15.66	14.21
31.3.2011	29,688	3,992	-6,384	-2,801	13.83	11.29
31.3.2012	27,934	3,624	-8,551	-4,110	12.70	11.00
31.12.2012*	19,305	2,684	-6,536	-3,335	13.51	11.30

*राजस्व और लाभ/हानि के आंकड़े अनन्तिम हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल की बढ़ती हानियों का कारण उनके राजस्व में कमी तथा खर्च में वृद्धि होना है। राजस्व में हो रही कमी के निम्नलिखित कारण हैं:-

- फिक्स्ड की जगह मोबाइल फोन को अपनाना।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस अभिगम (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान करना जिसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में कमी होना।
- मोबाइल क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में कमी होना।

खर्च में वृद्धि प्रमुख रूप से पहले से मौजूद बड़े कार्यबल को वेतन देने के कारण हुई है।

(ग) और (ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों ही उपक्रमों का वरिष्ठ प्रबंधन नियमित रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछेक कदम निम्नानुसार हैं:-

बीएसएनएल

- विक्रय और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- विशेष उपभोक्ताओं को बनाए रखने के लिए शिविर लगाना।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों का अनुपालन करने के लिए सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की मॉनीटरिंग करना।
- स्माईल परियोजना के माध्यम से उपभोक्ता सेवा में निरंतर सुधार करना।
- विभिन्न आकर्षक प्रशुल्क योजनाओं और बेहतर विपणन कार्यनीतियों की शुरुआत करना।
- ब्रॉडबैंड सेवाएं, इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाएं और मांग आधारित वीडियों/गेम्स/म्यूजिक आदि जैसी ब्रॉडबैंड आधारित मूल्यवर्धित सेवाओं सहित मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान करना।

एमटीएनएल

- संकेन्द्रण बिल व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाना। इस प्रणाली के तहत किसी उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक बिल प्रदान किया जाएगा और यह सेवाओं, प्रशुल्कों आदि के लिए उपभोक्ता अनुरोध का समाधान करेगी।

- विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रशुल्क की समीक्षा करना।
- टेलीफोन बिलों के आसानी से और सहज भुगतान के उपाय करना।
- विभिन्न सेवाओं और लैंडलाइन तथा मोबाइल सेवाओं की शिकायतों को दर्ज करने की ऑन लाइन प्रणाली की व्यवस्था करना।
- एमटीएनएल के दिल्ली में संचार हॉट तथा मुंबई में उपभोक्ता सेवा केंद्र (सीएससी) है, जहां पर उपभोक्ता नई सेवा का पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए डुप्लीकेट बिल, बिल भुगतान, वर्चुअल कॉलिंग कार्ड आदि जैसी सेवाएं प्राप्त सकते हैं।

(घ) सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए जनवरी, 2010 में श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अन्य बातों के साथ-साथ, सैम पित्रोदा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार थीं:—

- बाजार से बाजार दरों पर सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों का चयन करने पर ध्यान दिया जाये।
- फिक्स्ड अभिगम, गतिशीलता, उद्यम और नए कारोबार के लिए चार स्वतंत्र कारोबार इकाइयां स्थापित की जाए।
- आईटीएस (भारतीय दूरसंचार सेवा) के आमेलन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
- वीआरएस (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम) जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से लगभग 100 के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति की जाए अथवा स्थानांतरण किया जाए।
- ई-प्रापण, वेंडर रेटिंग, रेट रनिंग कान्ट्रैक्ट, अनुसूची आदि जैसे उपायों का पर्याप्त उपयोग करके प्रापण प्रक्रिया और तरीकों में परिवर्तन करना।
- सरकार को 10% वापस करने और कर्मचारी वीआरएस, विस्तार और प्रचालन के लिए 20% का उपयोग करने के लिए भारतीय कार्यनीतिक निवेशक और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से 30% का विनिवेश किया जाए।
- अगले तीन वर्षों में 30 मिलियन नए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए जाए।
- सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के लिए लोकल लूप खोल दिया जाए।
- अन्य प्रचालकों के बीच सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना की हिस्सेदारी के लिए सक्रियता से प्रस्ताव रखे जाए।
- 2,50,000 पंचायतों को आपस में जोड़ कर ग्रामीण संचार सुविधा को स्तरोन्नत किया जाए।
- टॉवर से संबंधित अवसंरचना के लिए एक अलग आनुषंगिक कंपनी बनाई जाए।
- भूमि बैंक और अन्य स्थावर संपदा परिसंपत्ति धारित करने के लिए एक अलग आनुषंगिक कंपनी बनाई जाए।.
- छोटी उपयुक्त प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करने और/अथवा उनका अधिग्रहण करने के लिए बीएसएनएल उद्यम निधि बनाई जाए।

दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के निष्पादन में सुधार करने से संबंधित सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर दिनांक 30.11.2010 को विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि:—

(i) केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बाजार से बाजार दर पर पेशेवरो को लेना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करना या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे बीएसएनएल में विरोध बढ़ेगा और अन्य पीएसयू से इसी प्रकार की मांग की जाएगी।

(ii) इस समय बीएसएनएल का सूचीकरण और विनिवेश करना उचित नहीं होगा क्योंकि कंपनी का निष्पादन ह्रासोन्मुख है और विनिवेश करने से कंपनी का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। सूचीकरण न किए जाने की स्थिति में प्रमुख प्रबंधन तंत्र को वर्तमान में प्रोत्साहन स्वरूप स्टॉक प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(iii) पूरे बोर्ड में वीआरएस अपेक्षित नहीं, बीएसएनएल वित्तीय भार और/कंपनी की लागत/लाभ के संदर्भ में चयनित श्रेणियों को वीआरएस उपलब्ध करवाने के विकल्प की जांच कर सकता है।

(iv) प्रबंधन क्षमता या प्रबंधन सेवा मॉडल अपनाने के संबंध में यह सिफारिश की गई है कि बीएसएनएल का बोर्ड इस पर विचार कर सकता है।

(v) लोकल लूप खोलना एक वाणिज्यिक निर्णय और इस मुद्दे पर बीएसएनएल बोर्ड द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

(vi) सैम पित्रोदा समिति द्वारा उठाए अन्य सभी मुद्दे बीएसएनएल के प्रचार व वाणिज्यिक मुद्दे हैं जिनके लिए बीएसएनएल का बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम है।

आयोग ने यह भी महसूस किया कि यदि बीएसएनएल को पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आवश्यक हो तो उपर्युक्त में से कुछेक मुद्दों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन

*122. **श्रीमती मीना सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में बेरोजगार युवाओं के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसी अर्थव्यवस्था के रोजगार संबंधी परिणाम तय करने वाले घटक क्या-क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये योजनाएं बेरोजगार युवाओं को नौकरी/रोजगार प्रदान करने में कारगर नहीं रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई नई रोजगार नीति बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु अन्य क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) योजना आयोग, युवाओं सहित, जनसंख्या में रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं करता है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पांच वर्ष पर संग्रहित किये जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार, राज्य-वार बेरोजगारी की दर संलग्न विवरण-I पर दी गई है। मोटे तौर पर, रोजगार निष्पादन का निर्धारण अर्थव्यवस्था के विकास तथा खासकर श्रमिक-बहुल क्षेत्रकों के विकास से होता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार मजदूरी-रोजगार/स्व-रोजगार सृजन करने वाले कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे—

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जिसे पहले स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएमवाई) कहा जाता था

(iii) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

(iv) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

उक्त स्कीमों में से प्रत्येक के अंतर्गत हुई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का उद्देश्य योजनावधि के दौरान गैर-फार्म संबंधी रोजगार के 50 मिलियन अवसरों का सृजन करना है। योजना के लिए कुछ श्रमिक बहुल विनिर्माण क्षेत्रकों की पहचान की गई है ताकि रोजगार के काफी अवसर सृजित हो सकें, जैसे-कपड़ा तथा सिले-सिलाए परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर, रत्न तथा आभूषण, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। योजना के लिए विनियामक ढांचे के सरलीकरण तथा श्रमिकों की निष्पक्षता से कोई समझौता किए बगैर श्रम बाजार का लचीलापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता की पहचान भी की गई है। इसमें, श्रमबल में शामिल हो रहे लोगों को कुशल बनाने पर बल दिया गया है ताकि युवाओं में रोजगार की संभाव्यता बढ़े। अनुमान है कि इन उपायों से कुछ समय बाद, रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विवरण-I

सामान्य (मूल और सहायक) स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दरें (प्रति 1000 व्यक्ति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण			शहरी		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13	9	12	25	51	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	8	13	34	32	34
3.	असम	34	56	39	40	125	52
4.	बिहार	21	13	20	63	160	73
5.	छत्तीसगढ़	9	1	6	31	21	29
6.	दिल्ली	18	0	17	26	22	26
7.	गोवा	35	99	47	35	72	41
8.	गुजरात	8	7	8	15	31	18
9.	हरियाणा	21	11	18	22	38	25
10.	हिमाचल प्रदेश	19	12	16	31	106	49
11.	जम्मू और कश्मीर	18	38	25	47	109	60
12.	झारखंड	46	12	39	53	121	63
13.	कर्नाटक	5	4	5	24	40	27
14.	केरल	32	161	75	29	168	73
15.	मध्य प्रदेश	8	4	7	27	36	29
16.	महाराष्ट्र	7	4	6	28	50	32
17.	मणिपुर	38	37	38	50	41	48
18.	मेघालय	3	5	4	30	90	51
19.	मिजोरम	13	15	13	25	34	28
20.	नागालैंड	98	119	106	61	190	92

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ओडिशा	31	27	30	40	54	42
22.	पंजाब	28	22	26	44	66	48
23.	राजस्थान	6	1	4	17	44	22
24.	सिक्किम	47	34	43	0	0	0
25.	तमिलनाडु	15	15	15	24	54	32
26.	त्रिपुरा	53	198	92	93	418	171
27.	उत्तराखंड	26	2	16	29	31	29
28.	उत्तर प्रदेश	12	5	10	29	34	29
29.	पश्चिम बंगाल	17	28	19	35	65	40
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	190	80	42	205	84
31.	चंडीगढ़	164	511	247	30	51	34
32.	दादरा और नगर हवेली	51	0	48	42	600	53
33.	दमन और दीव	45	23	40	27	0	24
34.	लक्षद्वीप	24	256	97	87	28	57
35.	पुदुचेरी	41	13	30	20	60	31
	अखिल भारत	16	16	16	28	57	34

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 537 : भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, 2009-2010.

विवरण-II

विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमों के तहत हासिल की गई भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	भौतिक/वित्तीय	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी अनुमानित रोजगार सृजन	भौतिक-लाख व्यक्तियों में	2.55	4.20	4.82	4.72	1.20 (अक्तूबर 12 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8
		वित्तीय-करोड़ में	408.65	742.77	905.41	1058.51	914.29 (31.1.13 तक)
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम	भौतिक-स्वरोजगारी लाख में	18.62	20.85	21.10	16.77	5.69 (22.1.13 तक)
3.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	भौतिक-करोड़ मनाव दिवसों में रोजगार	1989.60	1974.96	2230.67	1834.46	1832.34 (22.1.13 तक
3.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	भौतिक-करोड़ मनाव दिवसों में रोजगार	216.32	283.59	257.15	216.34	164.45 (22.2.13 तक
		वित्तीय-करोड़ में	29939.60	33506.61	35768.95	29189.77	29626.49 (22.2.13 तक
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) (i) व्यक्तिगत और सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना हेतु सहायता-प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	(i) भौतिक लाख में	1.84	1.51	1.57	1.20	0.43 (21.2.13 तक)
	(ii) लाभार्थियों की संख्या जिन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया (स्टेप-अप)	(ii) भौतिक लाख में	3.03	1.88	2.57	3.59	2.60 (22.2.13 तक
		वित्तीय-करोड़ में	540.67	421.61	581.50	778.83	511.13 (21.2.13 तक

स्रोत: राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 56, जिसका उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 27.2.2013 को दिया गया था, के लिए पैड के लिए नोट।

[अनुवाद]

शिक्षा की गुणवत्ता

***123. श्री महेन्द्र कुमार राय :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन का घटिया स्तर गंभीर चिन्ता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के स्कूलों में अध्यापन स्तर में सुधार लाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), जो गहन अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से कक्षा III, V और VIII में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का विस्तृत आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करती है जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम स्तरों में थोड़ा सा सुधार दर्शाया गया है, हालांकि समग्र उपलब्धियां अभी भी कम ही हैं।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शिक्षण मानकों में सुधार के लिए कई कार्यक्रमों में सहायता की गई है जिनमें नियमित सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, बेहतर छात्र-अध्यापक अनुपात के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती, ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के जरिए अध्यापकों को शैक्षिक सहायता, छात्र निष्पादन का आकलन करने और जहां कहीं आवश्यक हो निवाराणात्मक कार्रवाई करने के लिए शिक्षकों को एक सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली से युक्त करना तथा समुचित पठन-पाठन के विकास के लिए अध्यापक और विद्यालय अनुदान आदि शामिल हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अध्यापकों के वैधानिक कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है और प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम, अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए स्कूलों को सेवाकालीन शिक्षक सहायता मुहैया कराता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली

***124. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :**
श्री देवराज सिंह पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं, और वे कहां-कहां स्थित हैं जिनमें द्वितीय पाली चलाई जा रही है;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधियों और जिला आयुक्तों से कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सुझावों/प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) इस समय, देश में 49 केन्द्रीय विद्यालय द्वितीय पाली चला रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विगत एक वर्ष के दौरान अर्थात् 01 जनवरी, 2012 से आज की तारीख तक जन-प्रतिनिधियों और जिला आयुक्तों से 10 प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली

खोलने के प्रस्ताव पर मुख्य रूप से (1) प्राथमिकता वर्गों के उन महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों, जिन्हें पंजीकृत किया गया था लेकिन वे वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश नहीं पा सके, की संख्या, (2) अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, (3) सुबह जल्दी और देर शाम के समय विद्यार्थियों की सलामती व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की भौगोलिक स्थितियों पर विचार किया जाता है। चार (4) केन्द्रीय विद्यालयों अर्थात् (i) केन्द्रीय विद्यालय, माटी अकबरपुर, जिला कानपुर देहात (ii) केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति विहार (iii) केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-2, आर.के. पुरम और (iv) केन्द्रीय विद्यालय, मस्जिद मोठ, दिल्ली में द्वितीय पाली खोलने के संबंध में दिनांक 9 अगस्त, 2012 को आदेश जारी किए गए हैं। (i) केन्द्रीय विद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश; (ii) केन्द्रीय विद्यालय, नीमच, मध्य प्रदेश; (iii) केन्द्रीय विद्यालय, राजकोट, गुजरात; (iv) केन्द्रीय विद्यालय संख्या III भोपाल, मध्य प्रदेश (v) केन्द्रीय विद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में द्वितीय पाली खोलने के शेष प्रस्ताव और (vi) उत्तर प्रदेश में सभी केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली न खोलने का निर्णय संसूचित कर दिया गया था।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अवस्थिति को दर्शाने वाली सूची जहां दूसरी पाली कार्यात्मक है (दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र. सं.	अवस्थिति
1	2	3
दिल्ली	1.	न्यू फ्रेंड्स सेंटर
दिल्ली	2.	एजीसीआर कॉलोनी
दिल्ली	3.	क्रम संख्या 3 दिल्ली कैंट
दिल्ली	4.	एएफएस तुगलकाबाद
दिल्ली	5.	सेक्टर-8 आर.के. पुरम
दिल्ली	6.	एण्ड्रयूज गंज
दिल्ली	7.	पुष्प विहार
दिल्ली	8.	गोल मार्किट
दिल्ली	9.	विकासपुरी
दिल्ली	10.	जनकपुरी
दिल्ली	11.	दिल्ली कैंट संख्या 1
दिल्ली	12.	दिल्ली कैंट संख्या 2
दिल्ली	13.	सेक्टर-8 रोहिणी
दिल्ली	14.	द्वारका सेक्टर-5
दिल्ली	15.	लारेंस रोड
दिल्ली	16.	शालीमार बाग
दिल्ली	17.	पीतम पुरा
दिल्ली	18.	सैनिक विहार
दिल्ली	19.	सेक्टर-2 आर.के. पुरम
दिल्ली	20.	मस्जिद मोठ
दिल्ली	21.	प्रगति विहार
हरियाणा	22.	संख्या 1 एएफएस गुड़गांव
उत्तर प्रदेश	23.	नोएडा
उत्तर प्रदेश	24.	वीकेवी गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश	25.	कानपुर कैंट
उत्तर प्रदेश	26.	रायबरेली
उत्तर प्रदेश	27.	अलीगंज
उत्तर प्रदेश	28.	गोमती नगर
उत्तर प्रदेश	29.	एएमसी लखनऊ
उत्तर प्रदेश	30.	माटी अकबरपुर, जिला कानपुर देहात

1	2	3
मध्य प्रदेश	31.	संख्या 3 भोपाल
मध्य प्रदेश	32.	संख्या 1 इन्दौर
मध्य प्रदेश	33.	संख्या 1 ग्वालियर
मध्य प्रदेश	34.	छिंदवाड़ा
छत्तीसगढ़	35.	संख्या 1 रायपुर
ओडिशा	36.	संख्या 1 भुवनेश्वर
झारखंड	37.	हीनू, रांची
चंडीगढ़	38.	सेक्टर-47, चंडीगढ़
केरल	39.	पैट्टम, त्रिवेंद्रम
केरल	40.	अडूर
उत्तराखंड	41.	आईआईपी, देहरादून
उत्तराखंड	42.	हल्दवानी
राजस्थान	43.	संख्या 5 जयपुर
महाराष्ट्र	44.	एएफएस, ठाणे
महाराष्ट्र	45.	अम्बरनाथ
बिहार	46.	कंकड़बाग, पटना
बिहार	47.	बैली रोड
बिहार	48.	दानापुर
बिहार	49.	मुजफ्फरपुर

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु विनियामक तंत्र

***125. श्री के. सुगुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी विनियामक तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग अन्य विनियामक निकायों के सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और उनके कार्यकरण को सुकर बनाने में सहायक होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की दिनांक 19.06.2010 को आयोजित 57वीं बैठक में, उच्चतर शिक्षा में एक सर्वोपरि राष्ट्रीय विनियामक निकाय की स्थापना का प्रावधान करने वाले उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक (एचईएंडआर) के मसौदे पर चर्चा की गई थी। यद्यपि शीर्ष स्तर पर एक सर्वोपरि निकाय की स्थापना की आवश्यकता पर आम सहमति थी, फिर भी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राज्य सरकारों एवं अन्यों से अपनी लिखित टिप्पणियां एवं सुझाव भेजने हेतु अनुरोध करने का निर्णय किया था जिन पर केन्द्र सरकार द्वारा मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा। तद्नुसार, सभी राज्यों को पत्र लिखे गए तथा 18 राज्यों से विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हुए थे। उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय सर्वोपरि विनियामक तंत्र की स्थापना का बिहार, केरल, पंजाब, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्य की सरकारों ने विशेष तौर पर विरोध किया था।

(ग) और (घ) उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान (एचईएण्डआर) विधेयक, 2011 में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के निर्धारण, अनुरक्षण तथा सतत् वृद्धि हेतु राष्ट्रीय उच्चत शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) के गठन की अभिकल्पना की गई है। मौजूदा विनियामक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीसीई) को एनसीएचईआर में शामिल किया जाएगा। तथापि, चिकित्सा एवं विधि के क्षेत्र में कार्यरत विनियामक निकायों के पास व्यावसायिक कार्य वाली चिकित्सा शिक्षा एवं विधि शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित करने की शक्तियां बनी रहेंगी। उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य व्यावसायिक परिषदें कार्य करना जारी रखेंगी तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक

कार्य हेतु मानक निर्धारित करेंगी। प्रत्येक ऐसी व्यावसायिक परिषद् का मुख्यिा विधेयक में प्रस्तावित महापरिषद् का भी सदस्य होगा।

भारतीय के प्रति द्वेषपूर्ण अपराध

***126. श्री जे.एम. आरुन रशीद :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका में भारतीयों के द्वेषपूर्ण अपराध के शिकार बनने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अमेरिकी सरकार के समक्ष इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) सरकार को ऐसी घटनाओं की जानकारी है जिसमें अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के जान की हानि एवं क्षति हुई है। इन सभी घटनाओं को घृणा अपराध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई जांच में इन घटनाओं को लूटपाट, व्यक्तिगत दुश्मनी और लूट के मामलों के रूप में अभिज्ञात एवं दर्ज किया गया है।

तथापि, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जोकि घृणा में प्रेरित प्रतीत होती है जिनमें मार्च, 2011 में सकरामेंटों, कैलिफोर्निया में दो सिक्खों की हत्या, अगस्त, 2012 में विसकोंनसिन में गुरूदारे पर हमला तथा दिसम्बर, 2012 में न्यूयार्क में एक भारतीय की हत्या शामिल है।

इनमें से पहले मामले में 04 मार्च, 2011 को सकरामेंटों कैलिफोर्निया में एक अज्ञात हत्यारे ने श्री सुरिन्दर सिंह तथा श्री गुरूमेज अटवाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी। स्थानीय अधिकारी संभवत: गलत पहचान के कारण इस मामले की जांच संभावित रूप से घृणा अपराध के रूप में कर रहे हैं क्योंकि मृतक घटना के समय पगड़ी पहने हुए थे।

दूसरी त्रासदीपूर्ण घटना में 5 अगस्त, 2012 को ओक क्रीक, मिलवाकी, विसकोंसीन गुरूदारे में गोली बारी की घटना में 6 व्यक्ति मारे गये थे तथा 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। रिपोर्ट है कि हत्यारा पुलिस की गोली तथा स्वयं से लगे जख्मों के कारण मारा गया।

अंत में, हाल ही में, एक भारतीय राष्ट्रिक श्री सुनान्द सेन चलती गाड़ी द्वारा मारा गया जिसे 27 दिसम्बर, 2012 को क्वीनस न्यूयार्क सिटी में एक एलिवेटिड सबवे स्टेशन से धक्का देकर ट्रैक पर गिरा दिया गया था। यह माना जाता है कि हत्यारा मानसिक रूप से विक्षिप्त था।

सरकार अमेरिका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं बचाव को प्रभावित करने वाले घृणा अपराधों की घटनाओं सहित सभी घटनाएं अमेरिकी संघीय एवं स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में लेती है। इस मामले को सभी स्तरों पर अमेरिकी सरकार के साथ उठाया गया है, और सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर अनुरोध किया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कई अवसरों पर विदेशी मूल के लोगों सहित अमेरिका के सभी निवासियों की सुरखा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। ओक्रीक में गुरूदारे पर हमने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस गोली बारी की घटना में मृतकों को श्रृद्धांजलि देने के लिए तथा अमेरिकी लोगों को एकजुटता व्यक्त करने के लिए 8 अगस्त, 2012 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से बातचीत की। राष्ट्रपति ओबामा ने गुरूदारे पर हमले में मृतकों के लिए सम्मान के रूप में पांच दिनों के लिए अमेरिकी ध्वज को झुकाये रखने की घोषणा की और तटसंबंधी आदेश भी जारी किया। प्रथम महिला मिशील ओबामा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए 23 अगस्त, 2012 को ओकक्रीक का दौरा भी किया।

टॉवर लगाए जाने संबंधी दिशा-निर्देश

***127. श्री लक्ष्मण टुडु :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल टॉवर लगाने संबंधी निर्धारित मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में मोबाइल टॉवर आवासीय क्षेत्रों, सरकारी भवनों, स्कूलों आदि के पास लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कंपनी-वार ऐसे टॉवरों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन टॉवरों को ऐसे क्षेत्रों से हटाने

के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसे टॉवरा लगाए जाने संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए टेलीकॉम आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में संबंधित निकायों और स्थानीय प्राधिकारियों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना लगाए गए मोबाइल टॉवरों का रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मोबाइल विकिरण से प्रभावित व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया जाता है/दिए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो मोबाइल टॉवरों से विकिरण के प्रभाव को न्यूनतम तथा निष्प्रभावी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) मोबाइल टॉवरों की स्थापना संबंधी मौजूदा नीति के अनुसार, दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वायरलैस आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) शाखा अन्य वायरलैस प्रयोक्ताओं के साथ अंतरावरोधन, उड्डयन संबंधी खतरों, और अन्य किन्हीं मौजूदा माइक्रोवेव संपर्कों से हो सकने वाले व्यवधान को देखते हुए प्रत्येक स्थल हेतु मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु स्थल संबंधी मंजूरी प्रदान करती है। स्थल संबंधी मंजूरी, राज्य सरकारों/नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायों के लागू हो सकने वाले उप-नियमों, नियमों और विनियमों की अवहेलना न करते हुए, जारी की जाती है। तद्नुसार, टॉवर की स्थापना करने से पहले, दूरसंचार सेवा प्रदाता को संबंधित स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करनी होती है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवरों की स्थापना करने हेतु स्थल संबंधी मंजूरी जारी करने के लिए एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया है तथा उसे दिनांक 23.08.2012 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अग्रेषित किया गया है।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग द्वारा, मोबाइल टॉवरों की स्थापना के बारे में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, विशिष्ट भवनों जैसी आवासीय क्षेत्रों में स्थित भवनों, सार्वजनिक भवनों, विद्यालयों आदि पर टॉवरों की स्थापना हेतु कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, उक्त दिशा-निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि मौजूदा टॉवर पर सबसे कम ऊंचाई पर लगाए गए एंटीना के समकक्ष ऊंचाई तक आसपास नीचे उल्लिखित की गई दूरी तक किसी भवन पर टॉवर स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं होगा:—

क्र. सं.	एक से अधिक एंटीनाओं की संख्या	मौजूदा एंटीना से एंटीना लागए जाने हेतु विचाराधीन भवन/संरचना की (सुरक्षित) दूरी (मीटर)
1.	2	35
2.	4	45
3.	6	55
4.	8	65
5.	10	70
6.	12	75

तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु अनुमति देने के लिए अपने अलग दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और मोबाइल टॉवरों की स्थापना करने हेतु विशिष्ट प्रतिबंध एवं निषेध लगाए हैं। इनका विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में विरोध किया गया है।

(घ) मोबाइल टॉवरों आदि की स्थापना के बारे में अनुमति देने संबंधी रिकॉर्ड का स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा रखरखाव किया जाता है और दूरसंचार विभाग आवर्ती आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एफएसीएफए) द्वारा मोबाइल टॉवर हेतु स्थल संबंधी मंजूरी देने के बारे में रिकॉर्ड रखता है।

(ङ) मोबाइल टॉवरों से उत्सर्जित होने वाले रेडियो आवर्ती विकिरण (आरएफआर) के साथ जुड़े हुए जोखिम के बारे में अभी तक कोई अंतिम साक्ष्य नहीं मिला है।

तथापि, सावधानीपरक सिद्धांत के रूप में, रेडियो आवर्ती क्षेत्र (बेस स्टेशन उत्सर्जन) हेतु अनावृत्ति सीमा संबंधी मानकों को दिनांक 01.09.2012 से कम करके अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण (आईसीएनआईआरपी) आयोग द्वारा निर्धारित मौजूदा सीमा का 1/10वां भाग कर दिया गया है।

मोबाइल टॉवरों हेतु उपर्युक्त संशोधित मानकों के क्रियान्वयन के बाद, भारत विश्व के सर्वाधिक कड़े ईएमएफ अनावृत्ति मानकों वाले देशों में से एक हो गया है।

[हिन्दी]

बालिका शिक्षा

*128. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूल के बाद बालिकाओं की शिक्षा बाधित होना जारी है तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर उनके नामांकन का प्रतिशत गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के नामांकन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्कूलों की कुल संख्या बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्कूलों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में अध्यापकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ङ) प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन में तेजी से वृद्धि हो रही है और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर पढ़ाई छोड़ने की दरों में गिरावट आ रही है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है जो 2000-01 में 85.9 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 116.7 प्रतिशत हो गया; इसी अवधि के दौरान उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 49.9 प्रतिशत से बढ़कर 83.1 प्रतिशत हो गया जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 49.9 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 60.8 प्रतिशत हो गया और इसी अवधि के दौरान उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.1 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी के अंतर्गत एकत्रित और समेकित किए गए हैं।

11वीं योजना अवधि के दौरान 1,44,156 अतिरिक्त प्रारंभिक स्कूल और माध्यमिक स्तर पर 9636 नए स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान प्रारंभिक स्कूलों के लिए अध्यापकों के 9.17 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं। 11वीं योजना अवधि के दौरान माध्यमिक स्तर पर 65,964 अतिरिक्त अध्यापक पद संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर संस्वीकृत स्कूल

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत स्कूलों की कुल संख्या (प्रारंभिक स्तर) 2007-08 से 2011-12 तक	संस्वीकृत स्कूलों की कुल संख्या (माध्यमिक स्तर) 2007-08 2011-12 तक
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	0
आंध्र प्रदेश	754	102
अरुणाचल प्रदेश	989	33
असम	5054	0
बिहार	17914	966
चंडीगढ़	30	4
छत्तीसगढ़	2021	1341
दादरा और नगर हवेली	37	0
दमन और दीव	0	3
दिल्ली	10	0
गोवा	0	0
गुजरात	0	328

1	2	3
हरियाणा	662	37
हिमाचल प्रदेश	475	136
जम्मू और कश्मीर	11137	530
झारखंड	5460	894
कर्नाटक	2672	305
केरल	126	112
लक्षद्वीप	6	4
मध्य प्रदेश	4797	944
महाराष्ट्र	7075	0
मणिपुर	1238	116
मेघालय	2571	25
मिजोरम	289	81
नागालैंड	889	147
ओडिशा	8075	709
पुदुचेरी	17	11
पंजाब	982	222
राजस्थान	13472	0
सिक्किम	69	0
तमिलनाडु	2896	1254
त्रिपुरा	909	83
उत्तर प्रदेश	28619	228
उत्तराखंड	1228	1021
पश्चिम बंगाल	23663	0
सभी राज्य	144156	9636

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अध्येतावृत्ति

***129. श्री सुदर्शन भगत :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्येतावृत्ति देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता और इसे प्रदान करने की प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने अभ्यर्थी लाभान्वित हुए;

(घ) क्या इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव के कारण बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना का निधियन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना का निधियन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति का निधियन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सभी योजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन अध्येतावृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित योजनाओं के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या नीचे दी गई है:—

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या		
	2009-10	2010-11	2011-12
अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	1375*	2000	2000
अनुसूचित जनजाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	702#	667	667
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (यूजीसी)	100	100	अभी चयन किया जाना है।

*2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति श्रेणी के 42 अतिरिक्त स्लॉट समायोजित किए गए हैं।

#2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 35 अतिरिक्त स्लॉट समायोजित किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचित किया गया, दी गई अध्येतावृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) सभी स्लॉटों का उपयोग पूर्णत: किया गया और प्रमुख समाचारपत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर भी अपलोड किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया वेब आधारित बनाकर आवेदन और संस्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना का संक्षिप्त ब्यौरा

उद्देश्य	पात्रता	अनुदान-प्रक्रिया
1	2	3
इस पुरस्कार का उद्देश्य यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत अनुमोदित भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में तथा गैर-विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विज्ञान, मानविकी/सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के विद्यार्थियों का एम.फिल और पीएच.डी की (पूर्णकालिक) डिग्री के उच्च अध्ययन करने तक वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। हर वर्ष सभी विषयों के लिए वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक अनुसूचित जाति के लिए	उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीण किया हुआ होना चाहिए। उम्मीदवार को प्रथम उपलब्ध अवसर पर एम.फिल/पीएच.डी के लिए स्वयं को अवश्य पंजीकृत कराना चाहिए लेकिन पुरस्कार पत्र की प्राप्ति से दो वर्षों के भीतर की अवधि के बाद नहीं। इस अवधि में विस्तार नहीं किया जाएगा। तथापि अध्येतावृत्ति का वास्तविक भुगतान पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के बाद ही किया जाएगा। आरजीएनएफ योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति	अग्रणीय समाचार पत्रों एवं रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी करके साल में एक बार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर भी अपलोड किया जाता है। इसके लिए चयन आयोग की प्रक्रिया विधि के अनुसार मेरिट के आधार पर किया जाता है। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर आयोग द्वारा उनकी चयनित सूची तैयार की जाती है। उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूरा किए जाने

1	2	3
1333 स्लॉट और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 667 स्लॉट हैं, आजीएनएफ स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियों की संख्या 1333 से बढ़ा कर 2000 कर दी गई है।	की अवधि प्रारंभ में दो वर्षों की होगी। यदि अनुसंधान कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो इस अवधि को राजीव गांधी राष्ट्रीय वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (आरजीएनएसआरएफ) के तहत आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से अध्येतावृत्ति की कुल अवधि (आरजीएनजेआरएफ एवं आरजीएनएसआरएफ) 5 वर्ष है, जिसमें और विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।	के बाद अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट, निरीक्षक/विभागाध्यक्ष द्वारा यथाहस्ताक्षरित। रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाती है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत देय राशि जारी की जाती है या संबंधित विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए पहले ही संस्वीकृत निधियों में से अनुदान जारी करने के लिए सूचित कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन/पुरस्कार पत्र प्राप्त होने पर संस्था अध्येताओं को अध्येतावृत्ति राशि का भुगतान कर सकता है तथा इसको आयोग द्वारा नियमों के अनुरूप इस उद्देश्यार्थ भुगतान किए गए अनुदानों में से पूरा कर सकती है। संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज द्वारा अनुदान की बाद की किश्तों को जारी करने के लिए, अर्थात् अध्येतावृत्ति, आकस्मिक एवं विभागीय सहायता इत्यादि के लिए वहन किए गए खर्चे के साथ एक उपभोगिता प्रमाण-पत्र आयोग को भेजा जाना चाहिए।
निधियन पैटर्न		
विज्ञान, मानिविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	शुरू के दो वर्षो के लिए 16,000/- रुपए प्रतिमाह। शेष अवधि के लिए 18,000/- रुपए प्रतिमाह।	जेआरएफ (दो वर्ष के लिए) एसआरएफ (तीन वर्ष के लिए)
आकस्मिकता व्यय (क)	शुरू के दो वर्षों के लिए 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष। शेष अवधि के लिए 20,500/- रुपए प्रतिवर्ष।	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता व्यय (ख)	शुरू के दो वर्षों के लिए 12,000/- रुपए प्रतिवर्ष। शेष अवधि के लिए 25,000/- रुपए प्रतिवर्ष।	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी

1	2	3
विभागीय सहायता	अनुसंधानकर्त्ता को अवसंरचनागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को प्रति छात्र 3,000/- प्रतिवर्ष।	सभी विषयों के लिए
एस्कॉर्ट/रीडर सहायता	विकलांग और नेत्रहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह।	सभी विषयों के लिए
मकान किराया भत्ता (एचआरए)	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमों के अनुसार।	सभी विषयों के लिए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टल अध्येतावृत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा

उद्देश्य	पात्रता	अनुदान-प्रक्रिया
1	2	3
इस योजना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में पोस्ट डॉक्टल अनुसंधान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत	(i) अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए जिसमें उनके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य के प्रकाशन को अधिमान दिया जाएगा। (ii) ऊपरी आयु सीमा आवेदन वर्ष की 1 जुलाई को पुरुष आवेदकों के लिए 50 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष है। विशेष मामलों में आयु में छूट दी जा सकती है।	पात्रता की शर्तें पूरा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा सामान्यतया प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होता है। आयोग की प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ समिति की सहायता से चयन किया जाता है और वह प्रक्रिया वर्ष के अगस्त माह के अंत तक पूरी हो जाती है। अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अध्येता की ज्वॉइनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर यूजीसी कार्यालय संबंधित संस्थान को स्वीकृत अनुदान की पहली किश्त जारी करेगा। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र और दिए गए पिछले अनुदान का व्यय विवरण प्राप्त होने पर अनुदान जारी किया जाता है। पुरस्कार पूरा होने तक विश्वविद्यालय/संस्था/कॉलेज जहां पर अध्येता ने इस योजना के अंतर्गत कार्य किया है, द्वारा लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1	2	3
निधियन पैटर्न		
अध्येतावृत्ति	25,000/- रुपए प्रतिमाह (01.04.2009 से)	
आकस्मिकता व्यय	50,000/- रुपए प्रतिवर्ष	
एस्कॉर्ट/रीडर सहायता	विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के मामले में 2,000/- रुपए प्रतिमाह (स्थिर)	
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	

विवरण-II

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अब तक चयनित अभ्यर्थी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या					
		अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	97	188	200	40	70	79
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	29	14	25
4.	असम	36	24	24	46	30	35
5.	बिहार	88	143	68	7	6	4
6.	चंडीगढ़	0	2	3	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	25	17	30	9	15	13
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	37	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	25	30	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	2
12.	गुजरात	29	46	43	57	0	28

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	हरियाणा	34	54	57	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	12	22	23	4	11	12
15.	जम्मू और कश्मीर	11	10	10	12	12	15
16.	झारखंड	19	14	17	14	57	44
17.	कर्नाटक	67	118	134	26	37	42
18.	केरल	26	40	46	4	3	4
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	2
20.	मध्य प्रदेश	74	117	127	54	77	64
21.	महाराष्ट्र	78	135	148	18	10	13
22.	मणिपुर	36	3	8	104	74	68
23.	मेघालय	2	0	0	48	23	27
24.	मिजोरम	5	0	0	44	15	23
25.	नागालैंड	0	0	0	73	19	30
26.	ओडिशा	47	75	74	22	32	34
27.	पुदुचेरी	1	5	3	0	0	0
28.	पंजाब	54	84	84	0	0	0
29.	राजस्थान	78	120	118	61	62	60
30.	सिक्किम	2	1	0	2	2	5
31.	तमिलनाडु	97	188	241	5	7	7
32.	त्रिपुरा	3	4	5	6	7	4
33.	उत्तर प्रदेश	297	436	371	1	6	5
34.	उत्तराखंड	13	19	20	3	3	3
35.	पश्चिम बंगाल	119	105	109	13	19	19
	कुल	1375*	2000	2000	702#	612	667

*2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति श्रेणी के 42 अतिरिक्त स्लॉट समायोजित किए गए हैं।

#2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 35 अतिरिक्त स्लॉट समायोजित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डाक्टरोल अध्येतावृत्ति योजना के तहत अब तक चयनित अभ्यर्थी की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35	35	
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	
4.	असम	0	0	
5.	बिहार	1	1	
6.	चंडीगढ़	0	0	
7.	छत्तीसगढ़	0	0	
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	
9.	दमन और दीव	0	0	
10.	दिल्ली	1	1	
11.	गोवा	1	1	
12.	गुजरात	0	0	
13.	हरियाणा	1	1	
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	
15.	जम्मू और कश्मीर	1	1	
16.	झारखंड	1	1	
17.	कर्नाटक	21	21	
18.	केरल	2	2	
19.	लक्षद्वीप	0	0	
20.	मध्य प्रदेश	3	3	
21.	महाराष्ट्र	4	0	
22.	मणिपुर	0	6	
23.	मेघालय	2	2	
24.	मिजोरम	2	1	
25.	नागालैंड	1	0	
26.	ओडिशा	0	0	
27.	पुदुचेरी	0	0	
28.	पंजाब	1	1	
29.	राजस्थान	7	7	
30.	सिक्किम	0	0	
31.	तमिलनाडु	6	6	
32.	त्रिपुरा	0	0	
33.	उत्तर प्रदेश	8	8	
34.	उत्तराखंड	1	1	
35.	पश्चिम बंगाल	1	1	
	कुल	100	100	

*वर्ष 2011-12 के लिए चयन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

मकानों का निर्माण

***130. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय के लोगों सहित सभी लोगों के लिए आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य, वर्ष और शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, यदि कोई हो, का राज्य, वर्ष और शहर-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2020 तक देश में अपेक्षित अनुमानित आवासीय इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप सक कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों सहित सभी के लिए मकानों का निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सहित सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) आवास राज्य का विषय होने के कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों सहित सभी के लिए आवास का निर्माण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन के आधार पर 31.03.2012 तक स्वीकृत लगभग 15.70 लाख आवासों के लिए निर्माण सहायता स्वीकृत की गई थी। इनमें से 10.36 लाख आवासों का निर्माण कार्य या तो पूरा हो गया है या फिर निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। इन आवासों का आबंटन संबंधित राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभभोगियों को किया जाता है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत और पूरे हुए आवासों के राज्य-वार और वर्ष-वार क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत स्वीकृत और पूरे हुए आवासों के शहर-वार संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। इसी प्रकार 02.06.2011 को शुरू की गई राजीव आवास योजना (आरएवाई) के प्रायोगिक चरण के अंतर्गत 8400 आवासों की स्वीकृति दी गई है। राजीव आवास (आरएवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और पूरे हुए राज्य-वार और शहर-वार आवासों के संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न स्तरों पर हुई पुनरीक्षा बैठकों से यह पता चला है कि उपरोक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई कमी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जिम्मेदार कारण निम्नानुसार हैं:—

- अन्य कारकों के साथ स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों के कारण लागत में वृद्धि तथा इस वृद्धि को पूरा करने में राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभभोगियों की अनिच्छा — म्युनिस्पिल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण विशेष कर शहरी स्थानीय निकायों की अनिच्छा। मूल अनुमान के प्रति भारत सरकार के अंशदान का स्थिर बने रहना तथा लागत वृद्धि का वहन राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/लाभभोगियों द्वारा किया जाना।

- आईएचएसडीपी के घटक, जो छोटे और मझौले कस्बों के लिए है, में कृत्रिम रूप से लगाई गई लागत की उच्चतम सीमा 80,000/- रु. प्रति रिहायशी यूनिट को वर्ष 2009 में 1.4.2008 से बढ़ाकर 1,00,00/- रुपए प्रति रिहायशी यूनिट कर दिया गया था जिसमें से भारत सरकार का अंशदान 80% था। ऐसी उच्चतम सीमा होने से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों पर अत्यधिक भार पड़ता है जिसके फलस्वरूप परियोजनाएं बाधित हो जाती हैं।

- राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर परियोजना प्रबंधन क्षमता की कमी।

- स्व-स्थाने पारियोजनाओं के मामले में स्लम निवासियों का अस्थाई रूप से पुनर्वास करने में कठिनाईयां।

- लाभभोगियों द्वारा अपना अंशदान देने में असमर्थता और अनिच्छा।

- मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि की कम उपलब्धता।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के प्रथम चरण की कार्य अवधि को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है स्वीकृत परियोजनाओं को सुगमता से पूरा किया जा सके।

(ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में शहरी

क्षेत्रों में आवास की कमी 18.78 मिलियन होने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट से यह पता चला है कि जैसा कि विगत दशक में देखा गया था, वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान आवास की कमी में वृद्धि नहीं होगी यदि आवास के स्टॉक में हो रही वृद्धि की दर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिवारों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि की दर से अधिक हो।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आवासों का निर्माण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राजीव आवास योजना (आरएवाई) और राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की प्रारुप टिप्पणी में पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2 मिलियन आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, राजीव आवास योजना के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 50% से 90% के बीच तक राजीव ऋण योजना केमामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह श्रेणियों के लाभभोगियों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 5% ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है। यह सहायता शर्तों और राज्यों के सहभागी बनने की इच्छा के अध्यधीन होगी। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम गारंटी निधि की स्थापना, किफायती आवास के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति देना, "शहरी आवास निधि" की स्थापना करना, हड़को द्वारा किफायती आवास के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, राज्य सरकारों द्वारा अपने किफायती आवास कार्यक्रमों के अंतर्गत रियायतें स्वीकृत करना तथा सभी आवास परियोजनाओं में अंतर-सब्सिडी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह के श्रेणियों के लिए 20-25% विकसित भूमि के आरक्षण द्वारा अनिवार्य सुधार आवश्यकता ऐसे कुछ अन्य उपाय हैं जिनसे किफायती आवास स्टॉक की उपलब्धता बढ़ेगी।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे किए गए आवासीय एककों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा

बीएसयूपी

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	14675	0	40699	10168	0	49774	0	21094	5160	20087
3.	अरुणाचल प्रदेश	100	0	752	0	0	0	0	0	240	92
4.	असम	1232	0	1028	0	0	0	0	352	0	0
5.	बिहार	14596	0	7776	0	0	0	0	0	0	352
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	512	0	1600	0	10624
7.	छत्तीसगढ़	0	0	888	0	976	0	0	0	5248	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	16736	0	2848	7900	0	0	35940	5628	12260	1316
11.	गोवा	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	15136	0	7580	7757	8336	40517	544	16670	10800	14812
13.	हरियाणा	0	0	0	226	0	1614	0	174	0	842
14.	हिमाचल प्रदेश	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	5208	0	1469	0	0	0	0	0	0	356
16.	झारखंड	7218	0	5008	0	0	0	4498	0	0	0
17.	कर्नाटक	7335	0	6272	117	0	4048	0	3588	170	10896
18.	केरल	17460	0	1369	489	0	4671	0	3560ण	0	3348
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1320	0	8157	1676	0	1565	0	1679	0	4161
21.	महाराष्ट्र	30034	0	20605	4339	14323	19728	0	7592	10442	24727
22.	मणिपुर	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	600	0	168	0	0	0	0	16	0	144
24.	मिजोरम	408	0	688	0	0	0	0	135	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	750	0	520
26.	ओडिशा	2316	0	192	0	0	37	0	627	0	254
27.	पुदुचेरी	1304	0	0	0	1660	0	0	207	0	151
28.	पंजाब	5152	0	0	0	0	0	0	140	2224	860
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0	491	5814	160	0	114
30.	सिक्किम	52	0	202	0	0	0	0	0	0	52
31.	तमिलनाडु	41586	0	5711	2386	0	5693	0	8770	500	16672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	त्रिपुरा	256	0	0	0	0	256	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	17072	0	46240	1272	0	6472	0	6582	225	14823
34.	उत्तराखंड	508	0	217	0	885	0	0	45	0	9
35.	पश्चिम बंगाल	53549	0	18320	5228	0	21626	15440	18181	11423	20028
	सकल योग	254392	0	177439	41558	26180	157004	62236	97550	58692	145240

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे किए गए आवासीय एककों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा

आईएचएसडीपी

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4087	0	10688	5464	0	12923	0	2366	0	3476
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	4780	0	1974	116	1301	343	0	376	0	435
5.	बिहार	2333	0	3264	166	3192	0	5986	1454	9681	589
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	3076	0	0	0	0	1076	0	1825
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	16	0	0	0	0	12	0	2	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
12.	गुजरात	8020	0	4404	0	2655	822	0	2385	7144	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	हरियाणा	0	0	1785	794	0	2966	0	1456	195	1819
14.	हिमाचल प्रदेश	816	0	800	0	0	0	338	0	89	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2654	0	3408	0	608	0	953	0	0	942
16.	झारखंड	1292	0	6576	0	0	0	3676	0	0	0
17.	कर्नाटक	8983	0	4184	0	0	4126	0	2639	0	7882
18.	केरल	6289	0	5800	2545	7636	3942	0	3806	0	3175
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2518	0	1708	24	1869	949	1104	122	1155	448
21.	महाराष्ट्र	11142	0	44839	1262	1488	4954	0	2278	40474	7618
22.	मणिपुर	1103	0	663	0	1063	0	0	0	1385	832
23.	मेघालय	456	0	456	0	0	0	0	0	0	48
24.	मिजोरम	500	0	1450	0	0	0	0	347	600	473
25.	नागालैंड	0	0	0	0	265	0	0	480	670	0
26.	ओडिशा	4584	0	7079	0	456	501	316	1352	662	1211
27.	पुदुचेरी	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	3938	0	720	0	0	0	5328	0	925	0
29.	राजस्थान	9070	0	3186	413	3215	2102	12647	1527	7447	1658
30.	सिक्किम	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	5990	0	15500	2657	2322	4523	0	11878	4826	6033
32.	त्रिपुरा	400	0	1150	0	1565	0	0	903	0	663
33.	उत्तर प्रदेश	204	0	29733	1080	5456	1737	8479	3214	1495	6777
34.	उत्तराखंड	231	0	0	0	4801	6	0	336	378	666
35.	पश्चिम बंगाल	20061	0	19706	1900	75	15410	0	11647	0	7988
	सकल योग	99939	0	172325	16430	38150	55316	38827	45644	77196	55151

विवरण-III

बीएसयूपी: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे किए गए आवासीय एककों का शहर-वार ब्यौरा

क्र.सं.	मिशन शहर	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4
1.	हैदराबाद	29746	14154
2.	विशाखापटनम	9103	9103
3.	विजयवाड़ा	16525	4205
4.	तिरूपति	5160	0
5.	ईटानगर	1092	100
6.	गुवाहाटी	2260	352
7.	पटना	20372	352
8.	बोधगया	2000	0
9.	रायपुर	7112	0
10.	दिल्ली कैंट	67784	14844
11.	पणजी	155	0
12.	अहमदाबाद	1184	0
13.	राजकोट	6024	3168
14.	सूरत	16436	6764
15.	वडोदरा	16304	5664
16.	पोरबंदर	2448	0
17.	शिमला	384	0
18.	जम्मू	1455	277
19.	श्रीनगर	5222	138
20.	धनबाद	3620	0
21.	जमशेदपुर	4176	0
22.	रांची	8928	0
23.	बेंगलुरु	8431	3432
24.	मैसूर	5346	3938
25.	कोच्ची	8662	5658
26.	तिरुवंतपुरम	10167	4508
27.	भोपाल	5157	0
28.	इंदौर	3000	1936
29.	उज्जैन	1320	243
30.	नागपुर	5790	156
31.	नांदेड़	23853	7049
32.	नासिक (भागुर)	180	0
33.	नवी मुंबई	27659	3376
34.	पुणे	17922	6667
35.	इम्फाल	1250	30
36.	शिलांग	768	160
37.	आईजोल	1096	135
38.	भुवनेश्वर	2153	989
39.	पुरी	355	27
40.	पुदुचेरी	2964	430
41.	अमृतसर	1648	0
42.	लुधियाना	5728	1544
43.	जयपुर	5814	0
44.	गंगटोक	254	52

1	2	3	4
45.	चेन्नई	24380	4796
46.	कोयम्बटूर	11167	939
47.	मदुरैई	12250	3863
48.	अगरतला	256	256
49.	आगरा	16793	8629
50.	इलाहाबाद	1371	860
51.	कानपुर	13802	4584
52.	लखनऊ	12412	2537
53.	मथुरा	4358	2399
54.	मेरठ	8838	5786
55.	वाराणसी	5963	2092
56.	देहरादून	1314	54
57.	हरिद्वार	96	0
58.	नैनीताल	200	0
59.	आसनसोल	12582	3314
60.	कोलकाता	86150	28344
	कुल	578939	167904

विवरण-IV

राजीव आवास योजना: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एवं पूरे किए गए आवासीय एककों का शहर-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत रिहायशी इकाइयों की संख्या (2011-12)	पूर्ण रिहायशी ईकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1198	0
2.	केरल	तिरुवतंपुरम	1032	0
3.	मध्य प्रदेश	सागर	780	0
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1463	0
5.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	934	0
6.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	740	0
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	1149	0
8.	राजस्थान	जयपुर	1104	0
		कुल	8400	0

[हिन्दी]

कस्बों का विकास

*131. **कुमारी सरोज पाण्डेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नवसृजित छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों में मझौले और छोटे कस्बों के विकास हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु किए गए वित्तीय आवंटनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्यों में मझौले और छोटे कस्बों में अवसंरचना विकास की स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया एक सुधार आधारित शहरी अवस्थापना कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शहरी अवस्थापना एवं सेवाओं का प्रावधान करना है। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के छोटे तथा मझौले कस्बे जेएनएनयूआरएम के उप-घटक छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत शामिल हैं जबकि 65 बड़े "मिशन" शहर हैं। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित छोटे, मझौले एवं अन्य कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन क्षेत्र स्वीकार्य घटक हैं। परियोजना की स्वीकृति धनराशि की उपलब्धता एवं परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन पर भी निर्भर करती है। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपये)

राज्य	कस्बे का नाम	परियोजनाएं	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	एस	19025.00	8578.00	8578.00
	बिलासपुर	डब्ल्यूएस	4142.60	3314.08	3314.08
	कोंडागांव*	डब्ल्यूएस	451.55	361.24	361.24
	रायगढ़	डब्ल्यूएस	1524.50	1219.60	1219.60
छत्तीसगढ़ कुल		4	25143.65	13472.92	13472.92
झारखंड	चाईबासा	डब्ल्यूएस	3217.80	2574.24	1287.12
	चास	एसडब्ल्यूएम	567.62	462.61	235.56
	चास	डब्ल्यूएस	3324.19	2709.21	1379.54
	देवघर	डब्ल्यूएस	4737.77	3861.28	1966.17

1	2	3	4	5	6
	हजारीबाग	एसडब्ल्यूएम	569.17	463.87	236.21
	लोहरदगा	एसडब्ल्यूएम	447.80	364.96	185.84
झारखंड कुल		5	12864.35	10436.18	5290.44
उत्तराखंड	मसूरी	एस	6173.25	4938.60	2469.30
उत्तराखंड कुल		1	6173.25	4938.60	2469.30

*परियोजना वास्तविक रूप से पूर्ण हो गई है।

एस – सीवरेज

डब्ल्यूएस – जलापूर्ति

एसडब्ल्यूएम – ठोस कचरा प्रबंधन

भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव

***132. श्री महेश्वर हजारी :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल पर बढ़ते चीन के प्रभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों में चीनी गतिविधियों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गतिविधियों से हमारे राष्ट्रीय हितों को कोई खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पड़ोसी देशों में चीनी गतिविधियां दक्षिण पूर्व एशिया में सामारिक असंतुलन भी पैदा कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) सरकार विकासशील देशों में आधारभूत परियोजनाओं को निष्पादित करने में चीन की संवर्धित आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं से अवगत है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल में विद्युत संयंत्रों, पत्तनों, सड़कों तथा रेल जैसी परियोजनाओं में चीन की भागीदारी ज्ञात है। सरकार पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत अपने पड़ोसी का एक सक्रिय विकास भागीदार है और यह इन देशों में विभिन्न परियोजनाओं में शामिल है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों पर सतत् निगाह रखती है और इसके हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

अवांछित कॉलें/एसएमएस

***133. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुदेशों के बावजूद मोबाइल उपभोक्ताओं को "डू-नॉट-कॉल रजिस्ट्री" के पास अपना पंजीकरण करवाने के बाद भी अवांछित/परेशान करने वाली कॉलें/एसएमएस प्राप्त होना जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) इस संबंध में टेलीकॉम आपरेटरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का आपरेटर-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या न्यायालयों ने अवांछित कॉलों/एसएमएस की समस्या पर चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) ट्राई द्वारा 27.09.2011 से दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम (टीसीसीसीपीआर) लागू होने से अवांछित वाणिज्यिक कॉलों (यूसीसी) से संबंधित शिकायतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। 27.09.2011 में विनियम लागू होने से पूर्व, प्रतिमाह औसतन 47454 शिकायतें (औसत अवधि मार्च, 2010 से मार्च, 2011) प्राप्त हुई थी। तथापि, दूरसंचार उपभोक्ताओं द्वारा 27.9.2011 से 30.01.2013 के दौरान दूरसंचार उपभोक्ताओं द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं के पास दर्ज कराई गई शिकायतों की कुल संख्या 446563 (प्रति माह शिकायतें 27910) थीं।

टीसीसीसीपीआर के द्वारा ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक कॉलों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्य-प्रणाली तय की है। ये विनियम 27.09.2011 से लागू किये गये थे। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) अभिगम सेवा प्रदाता और टेली मार्केटरों दोनों के द्वारा कॉलों और एसएमएस की छानबीन करना।

(ii) इस संबंध में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ टेली मार्केटरों द्वारा अपने अभिगम सेवा प्रदाताओं के पास जमानत राशि जमा कराने और विनियम का उल्लंघन करने की स्थिति में 25,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की कटौती करने का प्रावधान किया गया है।

(iii) टेलीमार्केटरों द्वारा जमानत जमा राशि से कटौती के बाद भी विनियम का अनुपालन न करने की स्थिति में टेलीमार्केटरों को काली सूची में रखने का प्रावधान किया गया है।

(iv) अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों के दूरसंचार स्रोत/स्रोतों को समाप्त करना।

(v) अभिगम सेवा प्रदाता द्वारा विनियम का अनुपालन न करने पर एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक का अर्थ दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।

(vi) इन विनियमों के तहत क्रमश: वॉयस कॉलों और एसएमएस के लिए टेलीमार्केटरों हेतु एक पृथक संख्या वाली शृंखला और विनिर्दिष्ट एसएमएस हैडर निर्धारित किया गया है।

(vii) उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक कॉलों को अवरुद्ध करने अथवा अंशत: अवरुद्ध करने की श्रेणी का विकल्प दे सकता है।

(viii) सायं 9 बजे से प्रात: 9 बजे के बीच कोई भी वाणिज्यिक कॉल नहीं भेजी जाएगी।

(ix) टेलीमार्केटिंग संदेशों के लिए पांच पैसे एसएमएस समापन प्रभार विनियम किया गया है।

(x) गैर-पंजीकृत नम्बरों से संदेश भेजे जाने संबंधी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए रियायती दर पर एक दिन में एक सिम पर 100 से अधिक एसएमएस भेजने संबंधी प्रक्रिया को प्रति एसएमएस 50 पैसे का उच्चतर प्रशुल्क लगाकर अवरुद्ध किया गया है।

(ग) दिनांक 27.09.2011 से 31.01.2013 के दौरान सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के संबंध में प्राप्त शिकायतों के प्रचालक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिये गये हैं।

ट्राई द्वारा विनियम का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई का उल्लेख निम्नानुसार है:—

1.	सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त कुल शिकायतें (27.09.2011 से 31.01.2013 तक)	4,46,563
2.	गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों को भेजे गए नोटिसों की संख्या (27.09.2011 से 31.01.2013 तक)	1,84,157
3.	गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों के काटे जाने वाले टेलीफोन की संख्या (27.09.2011 से 31.01.2013 तक)	1,74,282

4. टेलीमार्केटरों को उनकी जमानत जमा राशि में से कटौती करने संबंधी भेजे गए नोटिसों की संख्या (27.09.2011 से 20.02.2013 तक)	213
5. काली सूची में डाले गए टेलीमार्केटरों की संख्या (27.09.2011 से 20.02.2013 तक)	13
6. उन सेवा प्रदाताओं की संख्या जिन पर अर्थदंड लगाया गया	01

(घ) और (ङ) ट्राई द्वारा 5 जून, 2007 से अवांछित कॉलों पर काबू पाने और 27 सितंबर, 2011 से संशोधित कार्य प्रणाली लागू किए जाने के कारण न्यायालयों ने अवांछित कॉलों/एसएमएस की समस्या पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है।

विवरण

प्रचालक-वार और सर्किल-वार प्राप्त शिकायतें

तिथि से : 27.09.2011

तिथि तक : 31.01.2013

सेवा क्षेत्र	टाटा	एयरसेल	एयरटेल ब्रॉडबैंड एवं टेलीफोन	एयरटेल मोबाइल	बीएसएनएल	एटीसलात	क्वार्टरडेनट टेलीवेन्यूर लिमिटेड	आइडिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	4393	556	265	396	119	—	—	447
असम	20	12	11	15	10	—	—	2
बिहार और झारखंड	116	55	85	91	1172	—	—	60
चेन्नई	234	4318	84	761	53	—	—	9
दिल्ली	84292	30698	6036	14525	239	26	—	4160
गुजरात	1460	82	133	349	103	2	—	224
हरियाणा	4922	27	30	65	35	—	—	77
हिमाचल प्रदेश	39	20	—	11	8	—	—	5
जम्मू और कश्मीर	6	4	—	7	4	—	—	2
कर्नाटक	6344	784	653	1961	170	1	—	589
केरल	132	29	5	85	47	—	—	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोलकाता	855	157	122	772	44	—	—	57
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	492	43	76	2099	20	1	—	158
महाराष्ट्र और गोवा	1552	386	103	329	248	2	—	241
मुंबई	8879	3091	457	1552	87	8	—	417
पूर्वोत्तर	5	17	—	5	9	—	—	7
ओडिशा	23	17	—	16	12	—	—	4
पंजाब	959	654	95	247	52	—	312	149
राजस्थान	653	76	22	91	21	1	—	1939
तमिलनाडु	39101	539	362	10017	341	2	—	450
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5971	2186	17	263	30	6	—	356
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13516	436	58	1846	57	14	—	128
पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	436	32	7	35	60	1	—	12
कुल	174400	44219	8621	3538	2941	64	312	9529

सेवा क्षेत्र	लूप मोबाइल	एमटीएनएल	रेल-काम	रेलटेल	एस-टेल	एमटीएस	यूनीनोर	विडियोकॉन	वोडाफोन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	—	—	1079	16	—	64	393	26	189
असम	—	—	9	5	—	—	3	1	1
बिहार और झारखंड	—	—	377	28	6	—	54	40	151
चेन्नई	—	—	169	40	—	—	43	2	784
दिल्ली	—	596	92185	2291	38	2115	173	29	18985
गुजरत	—	—	740	159	3	22	366	142	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	—	—	241	18	—	3	—	26	45
हिमाचल प्रदेश	—	—	268	3	—	2	2	2	5
जम्मू और कश्मीर	—	—	3	—	—	2	1	—	4
कर्नाटक	—	—	1877	243	7	1004	820	1	1986
केरल	—	—	48	3	—	33	55	7	70
कोलकाता	—	—	547	50	1	55	63	—	187
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	—	—	598	32	—	2	4	27	78
महाराष्ट्र और गोवा	—	—	952	16	9	859	437	4	380
मुंबई	9230	312	3061	158	2	232	545	221	951
पूर्वोत्तर	—	—	5	1	—	—	7	—	3
ओडिशा	—	—	22	—	—	1	4	1	9
पंजाब	—	—	2296	40	—	2	7	6	212
राजस्थान	—	—	127	21	1	196	—	2	87
तमिलनाडु	—	—	3787	35	1	49	1902	509	173
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	—	—	3115	22	1	31	988	—	138
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	—	—	2521	37	—	15	2087	2	3670
पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	35	7	2	7	48	3	29
कुल जोड़	9230	908	114062	3225	71	4708	7995	1051	28321

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	445195
दोहरे मार्गन्वित मामलों की संख्या	1638
शिकायतों की कुल संख्या	446563

तटीय सुरक्षा उपाय

***134. श्री एम.आई. शानवास : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तट के निकट स्थित परमाणु विद्युत केन्द्रों नामत: तारापुर, मद्रास और कुडनकुलम परमाणु विद्युत केन्द्रों की सुरक्षा हेतु किए गए तटीय सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में परमाणु संयंत्रों की भौगोलिक अवस्थिति को देखते हुए विभिन्न तकनीकी मानदंडों के तहत इन सुरक्षा उपायों की नियमित आधार पर समीक्षा और पुन: जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी परमाणु संयंत्रों के सुरक्षा मानदंडों की निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) तटीय क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों का डिजायन, भूकम्प, सुनामी, तूफान की लहरों, तरंगों के प्रवाह, बाढ़ों, ज्वार-भाटा आदि से संबद्ध तकनीकी प्राचलों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। तटीय बचाव के संबंध में किए गए उपायों के अंतर्गत, इन प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव को कम-से-कम करने के लिए बंधों (ब्रेक वाटर), बांधों, दीवारों आदि जैसी सिविल संरचनाओं का निर्माण किया जाना शामिल है।

(ख) और (ग) तटीय बचाव संबंधी उपायों का अभिकल्पन तथा निर्माण, प्राकृतिक घटनाओं के संभावित प्रभाव को सहन करने की दृष्टि से किया गया है। इन बचाव उपायों की निगरानी आवधिक रूप से की जाती है, तथा जब और जैसी आवश्यकता हो रख-रखाव संबंधी कार्य किए जाते हैं।

(घ) देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र वाष्पशील भौगोलिक स्थानों पर अवस्थित नहीं है। वे स्थिर भौगोलिक स्थानों पर, निम्न से मध्यम भूकम्पीय क्षेत्रों में, और अधिकतम परिकल्पित तीव्र प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने की दृष्टि से पर्याप्त ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। सुनामी के संदर्भ में, निकटतम प्रमुख सुनामीजनित दोष, पूर्वी तट (कुडनकुलम तथा कलपाक्कम) से 1300 किलोमीटर, और पश्चिमी तट (तारापुर तथा ककरापार) से 900 किलोमीटर की दूरी पर है, जोकि भारतीय तटों पर अवस्थित नाभिकीय सुविधाओं, जिनका ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से बचाव किया गया है, पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की दृष्टि से बहुत अधिक है। सुरक्षा का मुद्दा, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में एक सदैव परिवर्तनशील लक्ष्य है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने वाले मानकों के अतिरिक्त, अन्य उपयोगिताओं और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) द्वारा की गई पुनरीक्षाओं के आधार पर इसका निरंतर विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय और उसके साथ-साथ सार्वत्रिक नाभिकीय उद्योग घटनाओं के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की पुनरीक्षा आवधिक रूप से करने, और जैसी भी आवश्यकता हो, आवश्यक उपाय लागू करने के लिए एक मूलभूत पद्धति विद्यमान है।

सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

***135. श्री अनंत कुमार :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का संवर्धन किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और खर्च की गई;

(घ) निकट भविष्य में देश में स्थापित किए जाने वाले नए प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसे एककों की संख्या में गिरावट आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) ने देशभर

में 53 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। एसटीपीआई केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एसटीपीआई के अनुसार 4627 निर्यात करने वाले एसटीपी और ईएचटीपी इकाइयों में से 80 प्रतिशत इकाइयों (लगभग 3700 जिसमें से-3633 एसटीपी तथा 67 ईएचटीपी) सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की श्रेणी में आती हैं (100 करोड़ रुपए तक का निर्यात करने वाली इकाइयों को एसटीपीआई द्वारा एमएसएमई माना जाता है) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात करने वाली इकाइयों का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना पर स्वीकृत और व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार एसटीपीआई एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

(घ) नये एसटीपीआई केन्द्रों, जिन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार एसटीपी और ईएचटीपी इकाइयों को एसटीपीआई केन्द्रों द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

(ङ) जी, हां। पंजीकृत एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष-वार पंजीकृत और निर्यात करने वाली एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	एसटीपी और ईएचटीपी इकाइयां
2009-10	5906
2010-11	5621
2011-12	4627

विवरण-I

एसटीपीआई केन्द्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइज़ैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखंड	रांची
14.	कर्नाटक	बेंगलुरु
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.		ग्वालियार
22.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
23.		नागपुर
24.		नासिक

1	2	3
25.		नवी मुम्बई
26.		कोल्हापुर
27.		पुणे
28.	मणिपुर	इम्फाल
29.	ओडिशा	भुवनेश्वर
30.		राउरकेला
31.		बरहमपुर
32.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
33.	पंजाब	मोहाली
34.	राजस्थान	जयपुर
35.		जोधपुर
36.	सिक्किम	गंगटोक
37.	तमिलनाडु	चेन्नै
38.		कोयम्बटूर
39.		मदुरै
40.		तिरुनावेली
41.		त्रिची
42.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
43.		लखनऊ
44.		नोएडा
45.		इलाहाबाद
46.	उत्तराखंड	देहरादून
47.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
48.		दुर्गापुर
49.		खड़कपुर
50.		सिलीगुड़ी
51.		हल्दिया
52.	बिहार	पटना
53.	मेघालय	शिलोंग

विवरण-II

एसटीपी योजना के अंतर्गत निर्यात करने वाली इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13 (फरवरी 2012-13 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	1224	1090	875	590
2.	गुजरात	218	200	79	64

1	2	3	4	5	6
3.	कर्नाटक	1143	895	930	840
4.	असम	0	5	5	3
5.	मेघालय	0	1	1	1
6.	मणिपुर	0	0	0	0
7.	सिक्किम	0	0	0	0
8.	ओडिशा	42	50	50	26
9.	झारखंड	0	1	7	5
10.	बिहार	0	0	1	1
11.	पश्चिम बंगाल	218	174	156	144
12.	केरल	199	176	141	169
13.	उत्तर प्रदेश	910	902	697	609
14.	उत्तराखंड	8	11	10	9
15.	पंजाब	125	122	130	125
16.	राजस्थान	95	92	71	48
17.	मध्य प्रदेश	58	52	43	27
18.	छत्तीसगढ़	5	7	6	7
19.	जम्मू और कश्मीर	3	4	1	1
20.	तमिलनाडु	832	881	704	615
21.	आंध्र प्रदेश	726	863	630	550
22.	पुदुचेरी	8	6	4	4
23.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1
	कूल	5814	5532	4542	3839

ईएचटीपी योजना के अंतर्गत निर्यात करने वाली इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	महाराष्ट्र	11	10	8	5
2.	गुजरात	2	2	2	2
3.	कर्नाटक	20	19	24	20
4.	केरल	4	4	6	4
5.	उत्तर प्रदेश	21	20	15	14
6.	उत्तराखंड	1	1	1	0
7.	पंजाब	2	2	2	2
8.	राजस्थान	1	1	2	1
9.	मध्य प्रदेश	1	1	0	0
10.	तमिलनाडु	24	24	20	26
11.	आंध्र प्रदेश	5	5	5	5
	कुल	92	89	85	79

विवरण-III

नये एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना पर स्वीकृत और व्यय की गई निधियां

वर्ष	केन्द्र का नाम/राज्य	डीईआईटीवाई द्वारा मंजूर राशि	व्यय की गई राशि
2009-10			शून्य
2010-11	जमशेदपुर (मध्य प्रदेश)	50 लाख रुपये	शून्य
2011-12			शून्य
2012-13	आईजोल (मिजोरम)	1.5 करोड़ रुपये	शून्य

विवरण-IV

एसटीपीआई द्वारा प्रस्तावित नये एसटीपीआई केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	स्थान	राज्य
1.	अमृतसर	पंजाब
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश
3.	आईजोल	मिजोरम
4.	सूरत	गुजरात
5.	जमशेदपुर	झारखंड
6.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
8.	देवघर	झारखंड
9.	बालासौड़	ओडिशा
10.	धनबाद	झारखंड
11.	बोकारो	झारखंड
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश
13.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
14.	गोवा	संघ शासित क्षेत्र
15.	अगरतला	त्रिपुरा

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामले

*136. **श्री गणेश सिंह : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के वर्ष-वार कितने मामले सौंपे गए;

(ख) कितने मामलों में रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं;

(ग) अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में कितने मामले वापस भेजे गए;

(घ) कितने मामलों में अधिकारी दोषी पाए गए हैं तथा कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने की सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) कितने मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार, केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) से दो स्तरों पर परामर्श किया जाता है, नामत: प्रथम स्तर की इस सलाह हेतु कि क्या प्रारंभिक जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियों में दीर्घ अथवा लघु शास्ति लगाई जा सकती है। जांच समाप्त होने के पश्चात् केस रिकॉर्ड को आरोपों के आंशिक या पूर्णत: साबित होने अथवा साबित नहीं होने के आधार पर पुन: सीवीसी के पास द्वितीय स्तर की सलाह हेतु भेजा जाता है। यह सलाह केवल ऐसे मामलों में मांगी जाती है जहां मौजूदा नियमों/निदेशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान, आयोग ने क्रमश: 3144 एवं 3093 मामलों में अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान, आयोग ने क्रमश: 1027 एवं 1114 मामलों में अपनी द्वितीय स्तर की सलाह दी है। द्वितीय स्तर की सलाह की प्रकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से रखे नहीं जाते हैं। तथापि, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आयोग की सलाह पर विचार करता है।

विवरण-I

2011 एवं 2012 के दौरान सीवीसी द्वारा दी गई प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति

सलाह की प्रकृति	2011	2012
आपराधिक कार्यवाहियां	105	80
दीर्घ शास्ति कार्यवाहियां	544	611
लघु शास्ति कार्यवाहियां	220	265
प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सावधानी आदि	448	578
मामला बंद करना	1827	1559
कुल	3144	3093

विवरण-II

2011 एवं 2012 के दौरान सीवीसी द्वारा दी गई द्वितीय स्तर की सलाह की प्रकृति

सलाह की प्रकृति	2011	2012
दीर्घ शास्ति	445	523
लघु शास्ति	208	262
दोष मुक्ति	287	218
अन्य कार्रवाई	87	111
कुल	1027	1114

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

***137. श्री पन्ना लाल पुनिया :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व शिक्षा अभियान की नवीनतम समीक्षा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या धनाभाव और अन्य कारणों से कुछ राज्यों में यह योजना उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि का आवंटन करने और उनके राज्यों में इस योजना को अन्य स्कूलों तथा बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ङ) संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। जेआरएम गठन में स्वतंत्र राष्ट्रीय विशेषज्ञ और विदेशी वित्त पोषण एजेंसियों के सदस्य शामिल होते हैं। 17वां संयुक्त समीक्षा मिशन 14 से 28 जनवरी, 2013 तक चलाया गया और इसने 07 राज्यों का दौरा किया। 17वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने स्कूल शिक्षा सुलभ कराने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और सिफारिश की कि कार्यक्रम में सीखने के परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाए। जिन 7 राज्यों का दौरा किया गया उनके सम्बन्ध में 17वें संयुक्त समीक्षा मिशन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2012-13 के लिए 90.52% बजटीय (संशोधित अनुमान स्तर) निधियां जारी की गई हैं। 4 राज्यों को अपने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कारण उनके पूर्ण राज्य अंश अभी जारी करने हैं।

आंध्र प्रदेश (2006-07 और 2010-11), गुजरात (2009-10), हरियाणा (2005-06, 2008-09 और 2009-10), हिमाचल प्रदेश (2005-06), कर्नाटक (2007-08), राजस्थान (2007-08), उत्तर प्रदेश (2007-08, 2008-09 और 2009-10) में वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए जिन पर राज्यों द्वारा समुचित कार्रवाई की गई, जिसमें विभागीय कार्यवाही, सम्बद्ध राज्य के सीआईडी/सतर्कता विभाग के जरिये जांच और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना शामिल है। संबंधित व्यक्तियों का तबादला किया गया, निलंबित किया गया अथवा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, और वसूलियां की गईं।

भारत सरकार ने वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को कारगर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय और खरीद नियमावली तैयार की है। सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबंध प्रणाली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल चार्टड एकाउटेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा, समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं और नियमित आंतरिक लेखा परीक्षा शामिल है।

विवरण

17वें संयुक्त समीक्षा मिशन की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष

आंध्र प्रदेश

1. सभी स्कूलों में किशोर और स्त्री पुरुष शिक्षा की आवश्यकता
2. आदिवासी भाषाओं में ब्रिज मैटेरियल के लिए कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता
3. सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग की सराहना की गई।

अरुणाचल प्रदेश

1. राज्य को स्कूल बाह्य बच्चों का पता लगाना चाहिए।
2. राज्य को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्यकलापों को सुदृढ़ करना चाहिए।
3. पाठ्यचर्या सुधार ने गुणवत्ता संबंधी मामलों का समाधान करना और शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण में सुधार लाना।

दिल्ली

1. स्कल प्रबंध समितियों का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
2. स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
3. स्कूल प्रबंध, अध्यापक नियोजन और शिक्षण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी आवश्यक है।

महाराष्ट्र

1. जिन स्कूलों का दौरा किया गया उन सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधा पाई गई।
2. राज्य को स्कूल विकास योजनाओं में सीखने के लक्ष्यों, अध्यापक विकास लक्ष्य को शामिल करना चाहिए।
3. राज्य को सीखने के परिणामों और संगत अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों का अध्ययन करने पर जोर देना चाहिए।
4. राज्य को आदिवासी जनसंख्या वाले ब्लॉकों पर ध्यान देना चाहिए।

मिजोरम

1. राज्य का हिस्सा जारी करने में विलंब
2. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता।
3. परिणामों और बच्चों के अधिगम पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता।

ओडिशा

1. बालक-बालिका संधी संवेदनशीलता मॉड्यूल को नया रूप देने की आवश्यकता है।
2. राज्य में और राज्य से बाहर प्रवजन संबंधी मामलों का सामधान किए जाने की आवश्यकता है।
3. प्रथम पीढ़ी के शिक्षुओं विशेषत: आदिवासी बच्चों को शैक्षिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

4. विद्यार्थियों की उपस्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश

1. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए किए गए कार्य की सराहना की गई।

2. परिणामों विशेषतः अधिगम परिणामों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता।

3. मुस्लिम लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के कार्य की आवश्यकता।

4. सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण को सक्षम बनाने की आवश्यकता।

छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास के अंतर्गत प्रस्ताव

***138. श्री भक्त चरण दास :**
श्री धनंजय सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों और स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी;

(घ) क्या छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की नहीं है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान, छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से 218 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिये गये हैं।

(ख) उक्त 218 प्रस्तावों में से, पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान 60 कस्बों में 65 परियोजनाएं और धनराशियां स्वीकृति की गईं। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिये गये हैं।

(ग) सरकार ने 17 जनवरी, 2013 को जेएनएनयूआरएम के शहरी विकास मंत्रालय के तहत छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मिशन के अधिदेश का भी 31.03.2014 तक विस्तार किया है। इसके अनुपालन में भारत सरकार की स्वीकृति के लिए राज्यों को नए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। तकनीकी मूल्यांकन और धनराशियों की उपलब्धता के अध्यधीन मंत्रालय में 153 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने जेएनएनयूआरएम के तहत निर्माणाधीन परियोजना एवं सुधारों को पूर्ण करने के लिए दिनांक 31.03.2012 के बाद दो वर्षों अर्थात् 31.03.2014 तक अवधि बढ़ाई है। राज्यों को जेएनएनयूआरएम की बढ़ी हुई अवधि के भीतर परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन करने एवं उन्हें पूरा करने का निदेश दिया गया है। यूआईडीएसएसएमटी के तहत अनुमोदित 807 परियोजनाओं में से, 324 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। 324 पूर्ण परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त, अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
		प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	प्राप्त	अनुमोदित	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	3	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	3	1	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	3	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	10	10	0	2	2	0	0	0	0	12	12	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	27	21	6	56	0	56	83	21	62
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	4	4	0	20	0	20	24	4	20
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0
20.	ओडिशा	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	9	9	0	3	0	3	12	9	3
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	6	6	0	14	13	1	52	46	6	146	0	146	218	65	153

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपए)

वर्ष 2009-10

क्र. सं.	राज्य	कस्बा	परियोजना	अनुमोदित लागत	केन्द्रीय अंश	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुदुचेरी	यानम	जलापूर्ति	3918	3134.4	1567.20
			1	3918	3134.4	1567.20
1.	उत्तर प्रदेश	पडरौना	जलापूर्ति	615.25	492.2	246.1
		संदिला	जलापूर्ति	693.58	554.864	277.432
		आजमगढ़	जलापूर्ति	458.34	366.672	183.336
		गाजियाबाद	जलापूर्ति	3108.12	2486.50	1243.25
			4	4875.29	3900.236	1950.118
1.	नागालैंड	चुमुकदीमा	सड़क	423.89	381.5	190.75
			1	423.89	381.5	190.75
			5	6109.06	4929.64	2464.82

वर्ष 2010-11

1.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर	ठोस कचरा प्रबंधन	242.00	217.80	108.90
2.			सड़क	323.00	290.70	145.35
3.		अनंतनाग	जलापूर्ति	3689.23	3320.31	1660.15
4.			ठोस कचरा प्रबंधन	488.00	439.20	219.60
5.		बारामुला	ठोस कचरा प्रबंधन	242.00	217.80	108.90
6.			सड़क	378.00	340.20	170.10

1	2	3	4	5	6	7
7.		कुपवाड़ा	ठोस कचरा प्रबंधन	385.00	346.50	173.25
8.			सड़क	627.00	564.30	282.15
9.		गंदेरबल	सड़क	2418.00	2176.20	1088.10
10.			ठोस कचरा प्रबंधन	143.00	128.70	64.35
		कुल	10	8935.23	8041.71	4020.85
1.	गोवा	बिचोलिम	सड़क	843	674.4	337.2
		कुल	1	843	674.4	337.2
1.	हिमाचल प्रदेश	सर्काघाट	नाले का चैनेलाइजेशन और सड़कों का निर्माण	186.56	147.7	50.51
		कुल	1	186.56	147.7	50.51
1.	ओडिशा	जाजपुर	जलाशय	251	180.74	90.37
			1	251	180.74	90.37
		कुल	13	10215.79	9044.55	4498.93
			वर्ष 2011-12			
1.	गोवा	संक्वेलिम	सड़क घटक और इंफ्रास्ट्रक्चर कोर नेटवर्क	1447.00	1157.60	578.80
2.		संग्वेम	सड़कों, फुटपाथों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर नेटवर्क का उन्नयन	585.00	379.00	189.50
		कुल	3	2032.00	1536.60	768.30
1.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	जलापूर्ति	5732.87	4586.30	2293.15
2.		पिपरिया	जलापूर्ति	2408.11	1926.49	963.24

1	2	3	4	5	6	7
3.		पाडुर्ना	जलापूर्ति	6443.79	5155.03	2557.52
4.		बेतूल	जलापूर्ति	3262.07	2609.66	1304.83
5.		सौसर	जलापूर्ति	1930.22	1544.18	772.09
6.		चरई	जलापूर्ति	886.38	709.10	354.55
7.		खुरई	जलापूर्ति	3662.82	2930.26	1465.13
8.		पिपला नारायनवार	जलापूर्ति	81.20	64.96	32.48
9.		डोंगर परसूल	जलापूर्ति	3013.33	2410.66	1205.33
10.		देवास	जलापूर्ति	3975.00	3180.00	1590.00
11.		मुल्तई	जलापूर्ति	1929.6	1543.68	771.84
12.		खिरकिया	जलापूर्ति	1225.7	980.58	490.28
13.		महीदपुर	जलापूर्ति	1683.75	1347	673.50
14.		सिधि	जलापूर्ति	2118.55	1694.84	847.42
15.		बिना	जलापूर्ति	3875.50	3100.40	1550.20
16.		पंधुराना	सड़क	2054.76	1643.81	821.90
17.		जुनारदेव	सड़क	345.96	276.77	138.38
18.		अमरवाड़ा	सड़क	424.16	339.33	169.66
19.		सौसार	सड़क	2332.73	1866.18	933.09
20.		डोंगरपरसिया	सड़क	1098.03	878.42	439.21
21.		चोरई	सड़क	189.17	151.34	75.67
			21	48673.70	38938.96	19469.47
1.	पश्चिम बंगाल	एग्रा	जलापूर्ति	1496.78	1197.424	598.712
2.		रामजीवनपुर	जलापूर्ति	1101.03	880.824	440.412
3.		बीरनगर	जलापूर्ति	977.25	781.8	390.9

1	2	3	4	5	6	7
4.		सैंथिया	जलापूर्ति	1299.62	1039.696	519.848
5.		चन्द्रकोना	जलापूर्ति	1557.29	1245.832	622.916
6.		बालूघाट	जलापूर्ति	4160.24	3328.192	1664.096
7.		इंगलिश बाजार	जलापूर्ति	4140	3312	1656
8.		कूच बिहार	जलापूर्ति	3634.84	2907.872	1453.94
9.		रायगंज	जलापूर्ति	4401.23	3520.984	1760.49
			9	22768.28	18214.624	9107.312
1.	हिमाचल प्रदेश	सर्काघाट	नाले का चैनेलाइजेशन	184.63	147.704	73.852
2.		हमीरपुर	जलापूर्ति	6485.19	5188.15	2594.08
			2	6669.82	5335.85	2667.93
1.	झारखंड	चाईबासा	जलापूर्ति	3217.8	2574.24	1287.12
			1	3217.80	2574.24	1287.12
1.	हरियाणा	अंबाला	सीवरेज	3728.00	2982.40	1491.20
			1	3728.00	2982.40	1491.20
1.	महाराष्ट्र	गोंदिया	सीवरेज	8233.70	6586.96	3293.48
2.		कटोल	सड़क	2468.3	1974.64	987.32
3.		उमरेद	सड़क	2646.06	2116.84	1058.42
4.		सावनेर	सड़क	1527.92	1222.33	611.16
			4	14875.98	11900.77	5950.38
1.	ओडिशा	झारसुगुडा	जलापूर्ति	319-11	2556.89	1278.44
			1	3196.11	2556.89	1278.44

1	2	3	4	5	6	7
1.	नागालैंड	मोन टाउन	सड़क और जल निकास	1901.93	1711.74	855.87
			1	1901.93	1711.74	855.87
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	जंगलीघाट	सड़क और जल निकास	558.13	446.5	223.25
			1	558.13	446.5	223.25
1.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	जल निकास	746.79	672.11	336.06
2.		गंदेंबल	जल निकास	1827.24	1644.52	822.26
			2	2574.03	2316.63	1158.32
1.	उत्तर प्रदेश	बरेली	जलापूर्ति	7800.04	6240.03	3120.02
			1	7800.04	6240.03	3120.02
		कुल	46	117995.82	94755.24	47377.61

वर्ष 2012-13

	कुल योग	65	37428.79	103799.79	59292.68

विवरण-III

28.02.2013 के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के तहत पूर्ण परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	शामिल कस्बों/शहरों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	69	84	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	9	9
3	असम	28	30	9

1	2	3	4	5
4.	बिहार	11	11	0
5.	छत्तीसगढ़	3	4	1
6.	गोवा	3	3	0
7.	गुजरात	52	52	25
8.	हरियाणा	7	9	5
9.	हिमाचल प्रदेश	4	8	4
10.	जम्मू और कश्मीर	13	47	10
11.	झारखंड	5	6	0
12.	कर्नाटक	30	38	11
13.	केरल	22	25	1
14.	मध्य प्रदेश	49	68	14
15.	महाराष्ट्र	84	95	18
16.	मणिपुर	5	5	0
17.	मेघालय	2	2	0
18.	मिजोरम	2	2	0
19.	नागालैंड	2	2	0
20.	ओडिशा	14	18	3
21.	पंजाब	14	17	1
22.	राजस्थान	35	37	11
23.	सिक्किम	5	5	2
24.	तमिलनाडु	114	122	100
25.	त्रिपुरा	4	4	2
26.	उत्तर प्रदेश	46	64	30

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	1	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	34	35	9
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	पुदुचेरी	1	1	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	दमन और दीव	1	1	0
	कुल	672	8 07	324

[हिन्दी]

विमान कंपनियों में सुरक्षा उपाय

***139. श्री किरोड़ी लाल मीणा :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी घरेलू विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में लापरवाही सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय ने उक्त निजी विमान कंपनियों को सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चूककर्त्ता विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार ने अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को लेकर कोई उल्लेखनीय लापरवाही नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) से (ङ) निजी एयरलाइनों सहित सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा नागर विमानन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का बीसीएएस के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ऑडिट/निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई लापरवाही देखी जाती है तो सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाती है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय/सेवा केन्द्र

***140. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे पासपोर्ट कार्यालयों/सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए पासपोर्टों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में लम्बित आवेदनों को निपटाने में तेजी लाने के लिए हाल ही में कोई विशेष अभियान चलाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में पासपोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आवेदकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) देश में कार्यरत राज्य-वार पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष (31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य-वार जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पूरे देश में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पुरानी व्यवस्था (एनआईसी) के अंतर्गत जमा किए गए लंबित आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 2012 में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2012 से पहले उन मामलों में पासपोर्ट जारी किये गए थे जिन मामलों में स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उन मामलों में, जहां पुलिस रिपोर्ट प्रतीक्षित थी, आवेदकों को सूचित करते हुए फाइलें बंद कर दी गईं। ऐसे आवेदकों को बिना किसी शुल्क का भुगतान के पासपोर्ट सेवा प्रणाली के तहत नये आवेदन जमा करने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में कोई पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा आपत्ति संबंधी बकाया मामलों को निपटान के लिए पासपोर्ट अदालतें लगाई गईं।

(घ) पासपोर्ट अधिनियम, 1967, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 01 अक्तूबर, 2012 से पासपोर्ट एवं संबंधित सेवा शुल्क में संशोधन किया। पासपोर्ट (संशोधन) बिल, 1992 के पारित हो जाने पर पासपोर्ट शुल्क की वर्तमान व्यवस्था लागू की गई जो पासपोर्ट जारी करने पर होने वाले वास्तविक व्यय के आधार पर सरकार को पासपोर्ट शुल्क निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करती है। सन् 1993 में पासपोर्ट शुल्क 300/- रुपये निर्धारित किया गया था जिसे बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया गया था जब 2002 में अगला संशोधन किया गया था। पिछले 10 वर्षों के दौरान, प्रतिष्ठान, पुस्तिका से संबंधित लागत, पूंजीगत व्यय, उपकरण की खरीद, पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिपूर्ति, भारतीय डाक को भुगतान, पासपोर्ट पुस्तिका का मुद्रण, पर्सनलाइजेशन कोस्ट, आईटी व्यय और सेवा प्रदाताओं (जैसे कि टीसीएस, एनआईस, एनआईएसजी, सी-डैक, एसटीक्यूसी एवं आईएसपी) को किये जाने वाला संविदात्मक भुगतान बहुत अधिक बढ़ गया है जिससे मजबूरन 01 अक्तूबर, 2012 से पासपोर्ट व संबंधित सेवा शुल्क बढ़ा दिया गया है। सामान्य आवेदनों के लिए पासपोर्ट शुल्क 500/- रुपये से बढ़ा कर 1500/- रुपये और तत्काल आवेदनों के लए 1000/- रुपये से बढ़ाकर 3500/- रुपये कर दिया गया है। विदेशों में रह रहे नागरिकों के लिए सामान्य आवेदनों हेतु संशोधित शुल्क 75.00 अमेरिकी डॉलर (40.00 से) और 60.00 यूरो (48. 00 से) है।

(ङ) पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के अंतर्गत, मंत्रालय ने शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए विविध सेवाओं के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार, शिकायत निपटान एवं नागरिकों को फीडबैग प्रदान करने के लिए 17 भाषाओं में 24x7 आधार पर एक टॉल फ्री नम्बर (1800-258-1800) के साथ एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित किया है। एक सहायता डैस्क भी स्थापित की गई है जिसमें नागरिक *www.passportindia.gov.in* पोर्टल के माध्यम से परामर्श और शिकायतें भेज सकते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण में मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में एक जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) भी स्थापित है। यह टेलीफोन, ई-मेल एवं डाक तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों को भी निपटाता है। इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्ट कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट केन्द्रीय जल शिकायत निपटान प्रणाली (सीपीजीआरएएस) के माध्यम से जन शिकायतों का निपटान करते हैं। उनके आवेदनों की नवीनतम स्थिति उन पर आगे की जाने वाली कार्रवाई के निदेशों सहित वेबसाइट पर डाली जाती है जिसे जनता आसानी से देख सकती है।

पासपोर्ट कार्यालयों में जन शिकायत अधिकारियों के नाम पते और फोन नम्बर लगा दिए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में सामरिक स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटिका भी लगा दी गई है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों के लिए पूछताछ एवं किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है। आवेदकों की सहायता और शिकायतों पर जल्दी सुनवाई के लिए सूचना एवं सुविधा केन्द्रों, पीजी प्रकोष्ठ और सहायता डेस्कों की स्थापना की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षो (2010-2012) और वर्तमान वर्ष (31.01.2013 तक) के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा (राज्य-वार) जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघीय क्षेत्रों के नाम	पासपोर्ट कार्यालय	पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या	पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के नाम व स्थान	जारी किए गए पासपोर्टों के लिए			
					2010	2011	2012	2013 (31 जनवारी 2013, के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	6	हैदराबाद-I, हैदराबाद-II, हैदराबाद-III, निजामबाद, विजयवाड़ा तिरुपति	403303	520105	613769	62389
		विशाखापट्टनम	1	विशाखापट्टनम				
2.	असम, मणिपुर मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	1	गुवाहाटी	44737	54483	52111	4655
3.	बिहार	पटना	1	पटना	170921	17062	133648	16629
4.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	चंडीगढ़, अम्बाला, लुधियाना	233911	254166	282672	22197
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	रायपुर	26821	33054	32517	2404
6.	दिल्ली और हरियाणा	दिल्ली		हैरोल्ड, हाउस, शालीमार पैलेस, बिकाजी कामा पैलेस, गारगौन	281154	335210	264785	35139
7.	गोवा	पणजी	1	पणजी	33687	33455	22498	4902
8.	गुजरात	अहमदाबाद	4	अहमदाबाद-I, अहमदाबाद-II, बढोदरा, राजकोट	391460	421223	425649	36421

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सूरत	1	सूरत				
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	शिमला	25524	25628	21991	1837
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1	जम्मू	60179	66976	86090	4008
		श्रीनगर	1	श्रीनगर				
11.	झारखंड	रांची	1	रांची	44816	47964	55520	4707
12.	कर्नाटक	बेंगलुरु	4	बेंगलुरु-I, बेंगलुरु-II, हुबली, मंगलौर	296212	384044	400263	34024
13.	केरल	तिरुवेन्द्रम	3	कोलाम, तिरुवन्द्रम (ग्रामीण), नेयन्तिन्कारा	721218	746370	819331	87870
		कोचिन	5	त्रिसुर, अलापुज्जा कोचिन, कोचिन (ग्रामीण) कोटग्राम				
		कोजिकोड	4	कोझिकोड-I, कोझिकोड-II, कन्नुर, पयान्नुर				
		मल्लापुरम	1	मल्लापुरम				
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1	भोपाल	89126	99382	109243	6191
15.	महाराष्ट्र	मुंबई	3	मुंबई-I, मुंबई-II, मुंबई-III	656411	753146	646285	66304
		थाना	2	थाना, नासिक				
		पुणे	1	पुणे				
		नागपुर	1	नागपुर				
16.	ओडिशा	भुवनेश्वर		भुवनेश्वर	44417	52481	73164	3528

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	पंजाब	जालंधर	3	जालंधर-I, जालंधर-II, होशियारपुर	209697	196706	214594	22127
18.	राजस्थान	जयपुर	3	जयपुर, जोधपुर, सीकर	174934	199720	196703	15298
19.	तमिलनाडु	चेन्नई	3	चेन्नई-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III	544044	571661	687550	66225
		त्रिची	2	त्रिची, तंजावुर				
		मदुरै	1	मदुरै, तिरुनेनली सिटी				
		कोयम्बटूर	1	कोयम्बटूर				
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4	लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर वाराणसी	500761	556424	492797	42715
		गाजियाबाद	1	गाजियाबाद				
		बरेली	1.	बरेली				
21.	उत्तरखंड	देहरादून	1	देहरादून	44655	54840	51148	1469
22.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम	कोलकाता	2	कोलकाता, बेहरामपुर	253456	256476	233380	15838
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	2892	2507	—
24.	सीपीवी विभाग	—	—	—	—	30907	24311	—
	कुल	37+2	77		5251444	5869375	5942526	556877

*उपर्युक्त आंकड़ों में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पुलिस अनुमति प्रमाण-पत्रों (पीसीसी) को मिलकर प्रदान की गई विविध सेवाएं जो वर्ष 2010 में 6,7,224, वर्ष 2011 में 4,6,888 तथा वर्ष 2012 में 31,435 थी, शामिल नहीं हैं।

**उपर्युक्त आंकड़ों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट/विधि सेवाएं भी शामिल नहीं हैं जो वर्ष 2011 में 10,2,700 और वर्ष 2012 में 11,35,104 थीं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की संख्या

1381. **श्री बद्रीराम जाखड़ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिकारियों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) ओबीसी कोटे के कर्मचारियों की भर्ती नब्बे के दशक के मध्य में शुरू हुई और रिकॉर्ड के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न संवर्गों में ओबीसी के 345 कर्मचारी हैं जो कि कुल कार्यकारी भारत-आस्थानी संख्या का 9.7 प्रतिशत है। अल्पसंख्यक स्थिति के आधार पर रोजगार आंकड़ों का सरकारी रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण इस संबंध में पुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

[अनुवाद]

अध्यनोत्तर कार्य वीजा

1382. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय छात्रों को अध्यनोत्तर कार्य वीजा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारतीयों के लिए और अधिक कार्य वीजा सुकर बनाने हेतु यूरोपियन यूनियन के साथ कोई संधि करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) दिनांक 19 फरवरी, 2013 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में भारत-यूके वार्ता आयोजित की गई थी। यूके में उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों की आवाजाही का मुद्दा उच्चतम स्तर पर उठाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सूचित किया है कि ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते की उनके पास स्थान हो तथा अंग्रेजी भाषा की योग्यता हो। भारत सरकार यूरोपीय देशों में अध्ययन के लिए तथा कार्य के प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी उपयुक्त अवसरों पर यूरोपीय संघ के साथ तथा इसके अलग-अलग सदस्यों के साथ द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे को उठाती है।

अनाथों को आधार

1383. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनाथों को आधार कार्ड जारी करने के लिए किन मानदंडों को अपनाया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) तैयार करने और जारी करने का अधिदेश दिया गया है। तथापि, अनाथों सहित समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए पंजीयकों द्वारा समय-समय पर विशेष नामांकन अभियान चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति

1384. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए राज्य-वार कितने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है;

(ख) शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय से संबंधित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 के अनुसार देश में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 5.98 लाख संविदा शिक्षक हैं, जिन्हें कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र भी कहते हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) नियुक्ति की शर्तें और निबंधन, जिसमें संविदा शिक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक अथवा मानदेय भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार होता है।

विवरण

सरकारी स्कूलों में संविदा अध्यापकों की संख्या
(डीआईएसई 2011-12)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संविदा अध्यापक
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	334
आंध्र प्रदेश	54401
अरुणाचल प्रदेश	1871
असम	1046
बिहार	424
चंडीगढ़	796
छत्तीसगढ़	51593
दादरा और नगर हवेली	259
दमन और दीव	95
दिल्ली	736
गोवा	66
गुजरात	772
हरियाणा	11047
हिमाचल प्रदेश	10596
जम्मू और कश्मीर	19919
झारखंड	79224
कर्नाटक	776
केरल	1567
लक्षद्वीप	111
मध्य प्रदेश	151
महाराष्ट्र	8559
मणिपुर	229
मेघालय	7196
मिजोरम	4570
नागालैंड	899
ओडिशा	81776
पुदुचेरी	319
पंजाब	15343
राजस्थान	16455
सिक्किम	586
तमिलनाडु	1564
त्रिपुरा	9
उत्तर प्रदेश	170544
उत्तराखंड	3339
पश्चिम बंगाल	51291
कुल	598463

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लंबित भ्रष्टाचार के मामले

1385. **श्री नरहरि महतो :**
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्ट अधिकारियों के कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) सभी मामलों का निपटान और उन पर निर्णय कब तक लिया जाएगा तथा उन्हें दंड कब तक दिया जाएगा;

(ग) वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में भ्रष्टाचार के मंत्रालय-वार और राज्य-वार कितने मामले लाए गए हैं;

(घ) क्या सभी मामलों पर निर्णय दे दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो लंबित मामलों की क्या स्थिति है; और

(च) सरकार द्वारा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग परामर्शदात्री निकाय है तथा इसके दायरे में आने वाले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा संदर्भित अलग-अलग मामलों में केवल अपनी सलाह ही देता है। आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के अनुसार, इसको 7227 मामले (इसमें पिछले वर्ष से आगे लाए गए 1696 मामले भी शामिल हैं) प्राप्त हुए तथा वर्ष 2012 के दौरान इसने 5720 मामलों में सलाह दी। इसके अतिरिक्त, 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार, आयोग में सलाह देने के लिए 690 मामले जांच के अधीन हैं तथा 817 मामलों को संबंधित संगठन को स्पष्टीकरण/टिप्पणियों के लिए वापस भेज दिया गया है।

आयोग, सामान्यतया सभी प्रकार से संपूर्ण, इसे प्राप्त मामलों में, चार सप्ताह के भीतर सलाह देने का प्रयास करता है। आयोग द्वारा सलाह देने में विलंब का प्रमुख कारण मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा भेजे जा रहे मामलों में, मुद्दे से संबंधित संपूर्ण तथ्यों/संगत सामग्री मुहैया करवाने में कमी को होना है और एसे संदर्भों में को सलाह देने के पूर्व आयोग द्वारा अधिक स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक हो जाता है। दिनांक 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 756 (जिनमें संगठन से और स्पष्टीकरण मांगे हैं) तथा 61 (संगठन से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं) थी।

(च) सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति का अनुसरण करती है तथा भ्रष्टाचार से निपटने तथा सरकार के कार्यसंचालन में सुधार करने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं:—

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना;

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना;

(vii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरण को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखना;

(viii) विभिन्न राज्यों में केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करना। सरकार ने देश भर में विभिन्न राज्यों में 22 और विशेष न्यायालयों के सृजन का हाल ही में अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने

के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधायनों का पुनस्थापन भी किया है:—

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011;

(iii) विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011;

(iv) सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी हेतु नागरिक अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011; तथा

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012.

राजीव ऋण योजना

1386. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री के. सुगुमार :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजीव ऋण योजना के प्रति ठंडी प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा राजीव ऋण योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजीव ऋण योजना के माध्यम से लगभग एक लाख घरों को लक्ष्य बनाने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राजीव ऋण योजना की शर्तों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। सरकार इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 से क्रियान्वित की जा रही शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) के प्रायोगिक चरण के प्रति धीमी प्रतिक्रिया होने के बारे में अवगत है।

(ख) 20 फरवरी, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 1100 करोड़ रुपए के परिव्यय से 3.10 लाख लाभभोगियों के लक्ष्य तुलना में 13,485 लाभभोगी 16 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी के निबल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) से लाभान्वित हुए हैं।

इस योजना के अंतर्गत हुई धीमी प्रगति के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- ऋण का आकार स्वत: एक प्रमुख सीमा है: शहरी क्षेत्रों में रिहायशी यूनिट का निर्माण करने/खरीदने के लिए 1 लाख रुपए/1.6 लाख रु. ऋण की उच्चतम सीमा क्रमश: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए अपर्याप्त थी।

- अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लाभभोगियों की उच्च जोखिम की अवधारणा, भूमि के रेहन योग्य हकदारियों के बारे में बैंक की क्रिया प्रणालियां, अनुमोदित प्लान, अधिप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र, अपने ग्राहक के बारे में जानकारी रखने के कड़े मानदंड आदि ऋण देने से संबंधि जुड़े कारणों से बैंकों की सीमित प्रतिक्रिया रही है।

- इस योजना में केवल आवास का निर्माण करने अथवा रिहायशी यूनिट खरीदने को शामिल किया गया है। हालांकि आवास की अधिकतम कमी जमाव होने के कारक से थी फिर भी इसमें आवास के विस्तार/परिवर्तन का शामिल नहीं किया गया है।

- अन्य कठिनाई यह थी कि यह योजना लक्ष्य प्रधान होने की बजाय मांगोन्मुख थी।

- अन्य शब्दों में इस योजना में बाजए उसके इसके कि बैंक और सरकारी एजेंसियां इस संबंध में पहल करें व्यय सूचित और गरीब लाभभोगियों से ही यह अपेक्षा की गई है कि वे ही सभी पहल प्रयास करें।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसके प्रायोगिक चरण में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ऋण से लाभान्वित होने वाले हकदार परिवार की मासिक आय को प्रारंभ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

(ईडब्ल्यूएस) के लिए 3300 रुपए से बढ़ा कर 5000 रुपए तथा निम्न आय समूह (एसलआईजी) के परिवारों के लिए 5001 रुपए से बढ़ा कर 10000 रुपए की गई थी। नवंबर, 2012 के दौरान परिवारों की आय को आगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1,00,000 रुपए से प्रतिवर्ष तथा निम्न आयु समूह (एलआईजी) के लिए 1,00,000 रुपए से बढ़ा कर 2,00,000 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ा दी गई है ताकि उसे वर्तमान आय, व्यय और आवास और लागत के प्राचलों के अनुरूप बनाया जा सके।

- शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों को शामिल किया गया है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को लाभभोगियों के आय के प्रमाण-पत्र करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्वीकृत आवेदन पत्र के लिए 250 रुपए का सुविधा शुल्क लगाने का अनुमोदन किया गया है।
- राज्यों को अपनी राज्य आवास योजनाओं को शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) में समामेलित करने की अनुमति दी गई है।
- विभिन्न राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जिन्होंने अपनी राज्य आवास योजनाओं को शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) के साथ समामेलित कर लिया है, ने कुछ उपाय भी किए हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने आईएसएचयूपी के अंतर्गत रहने रखने योग्य प्रतिभूति के रूप में आबंटित पट्टे की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु ने स्टाम्प शुल्क जैसे प्रभारों से छूट दे दी है। इनमें से कुछेक राज्यों ने अनुमोदित योजनाओं, आय के प्रमाण-पत्रों आदि के संबंध में सहायता भी दी है और प्रसंस्करण शुल्क और कानूनी शुल्कों से भी छूट दी है।

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) के प्रायोगिक चरण के क्रियानवयन के दौरान पेश आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस योजना को सुदृढ़ बनाने तथा इसें राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के साथ पुन: शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें ऋण की राशि को बढ़ा कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूआर) के लाभार्थियों के लिए 5.00 रुपए लाख करने तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) के लाभार्थियों के लिए 8.00 लाख रुपए, करने के साथ-साथ दोनों श्रेणियों के लिए ब्याज की सब्सिडी 5.0 लाख रुपए करने और इसमें उपयुक्त संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इसकी अन्य समस्याओं का निवारण किया जा सके।

तथापि, चूंकि इस पर आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसके अंतिम रूप के बारे में कोई विवरण नहीं दिया जा सकता है अथवा ठोस प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती है।

बहुउद्देश्यीय कार्ड

1387. श्री हमदुल्ला सईद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिकों को आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सहित तीन भिन्न-भिन्न कार्ड जारी किए जाएंगें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में नामांकन अनिवार्य है और आधार स्वैच्छिक है। आधार संख्या वाले निवासी पहचान कार्ड (आरआईसी) नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पहचान कार्डों को जारी करने के लिए प्राधिकृत नागरिक पंजीकरण के महापंजीयक द्वारा जारी किए जाएंगे।

शिक्षा उपकर

1388. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपका मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा उपकर प्राप्त करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिक्षा उपकर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा उपकर को किस तरह खर्च/उपयोग किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि शिक्षा उपकर के आधार पर भारी धनराशि अप्रयुक्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले 3 वर्ष में इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा उपकर के फलस्वरूप प्राप्त निधियां, मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए किया गया। इनका उपयोग तथा इस पर किया गया व्यय नीचे तालिका में देखा जा सकता है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	शिक्षा उपकर के फलस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त निधियां	निम्नलिखित के लिए शिक्षा उपकर से आबंटित की गई निधियां		व्यय
		एमडीएमएस	एसएसए	
2009-10	12257.67	5582.63	8415.48	13998.11*
2010-11	15805.00	6372.00	6432.99	15805.00
2011-12	18334.00	6166.45	11839.82	18006.27

*2009-10 के लिए व्यय के आंकड़ों में पिछले वर्ष के लिए ली गई राशि शामिल है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2009-10 और 2010-11 में निधियों का पूर्णत: उपयोग किया गया है। वर्ष 2011-12 में केवल 1.8% निधियां अप्रयुक्त रह गईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

1389. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय टेलीफोन घनत्व कितना है और राज्य-वार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक टेलीफोन घनत्व कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत टेलीफोन घनत्व प्राप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या निजी दूरसंचार ऑपरेटर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में में आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग सेवा क्षेत्र/राज्य-वार टेली-घनत्व सहित देश में राष्ट्रीय टेलीघनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष, 2007 तक ग्रामीण टेली-घनत्व को 70 प्रतिशत तथा 2020 तक 100 प्रतिशत तक बढ़ाना राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के उल्लिखित उद्देश्यों में से एक है।

दिनांक 01.04.2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि का गठन किया गया है जिसका मूल्य

उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिवीटी और ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) जैसी अवसंरचना का सृजन करने सहित सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम प्रदान करना है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएलएल) के माध्यम से प्राप्त किया गया है जो इस समय इंटरनेट, वायस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि जैसे विशुद्ध मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% निर्धारित किया गया है।

विभिन्न यूएसओएफ स्कीमें ग्रामीण टेली-घनत्व की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं/अवसंरचना प्रदान करने के एिल यूएसओएफ की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस की शर्त में जिला मुख्यालय आधारित रॉल आउट दायित्व अनिवार्य बनाया गया है। लाइसेंस के निबंधन और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:–

(i) 50% से अधिक तक जिला मुख्यालयों/कस्बों को कवर किए जाने और आगे इनका विस्तार किए जाने के लिए जिला मुख्यालय/कस्बे का विकल्प प्रचालक के पास होगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्यत: कवर किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं की गई है।

नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित 3जी/बीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले नेटवर्क के संबंध में रॉल आउट करने के लिए अलग शर्तें हैं। 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के उपरांत, संबंधित सफल बोलीदात का सीएमटीएस/यूएएस संशोधित कर दिया गया है।

3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाताओं को जारी सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस में किए गए संशोधन के अनुसार रोलआउट दायित्व के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:–

(क) लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस सेवा-क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के लिए 3जी स्पेक्ट्रम रॉलआउट दायित्व नेटवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

श्रेणी क, ख और ग सेवा क्षेत्र लाइसेंस श्रेणियों के लिए: वे लाइसेंसधारक जिनको स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावी तारीख से 5 वर्षों के भीतर उस सेवा क्षेत्र में जिला मुख्यालय का कम-से-कम 50% क्षेत्र 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए कवर किया जाएगा जिसमें से जिला मुख्यालय का कम-से-कम 15% ग्रामीण शार्ट डिस्टैन्स चार्टिंग एरिया (एसडीसीए) होना चाहिए। एसडीसीए को भारत की जनगणना में प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया गया। एसडीसीए उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित है, जहां 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

(ख) लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस सेवा-क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के लिए 3जी स्पेक्ट्रम रॉलआउट दायित्व नेटवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

श्रेणी क, ख और ग सेवा क्षेत्र लाइसेंस के लिए: लाइसेंसधारक जिसे स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है, यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण शर्ट डिस्टैन्स चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) का कम-से-कम 50% क्षेत्र बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए प्रभावी तिथि से पांच वर्षों के भीतर कवर किया जाएगा। ग्रामीण एसडीसीए के कवरेज का तात्पर्य होगा कि नागरपालिका/स्थानीय निकाय सीमा द्वारा परिबद्ध कम-से-कम 90% क्षेत्र अपेक्षित स्ट्रीट लेवल कवरेज प्राप्त करेगा।

इसकी प्रभावी तिथि वह तिथि होगी जब प्रदत्त स्पेक्ट्रम का वाणिज्यिक उपयोग करने का अधिकार शुरू हो जाएगा अर्थात् संबंधित 3जी/बीडब्ल्यूए सफल बोलीदाताओं को संशोधित पत्र जारी होने की तिथि।

3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम लाइसेंस की पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2015 में पूरी हो जाएगी।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

हरित ऊर्जा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत

निदेश और लक्ष्य निर्धारित करते हुए दूरसंचार क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाने के उपाय अपनाने के लिए लाइसेंसधारकों/सभी आईएलडी सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:—

सभी ग्रामीण टॉवरों का कम-से-कम 50% और शहरी टॉवरों का कम-से-कम 20% टॉवरों को 2015 तक हाइब्रिड पॉवर (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी+ग्रिड पॉवर) द्वारा विद्युत प्रदान किया जाना है, जबकि वर्ष 2020 तक द्वारा 75% गामीण टॉवरों को और 33% शहरी टॉवरों को हाइब्रिड पॉवर द्वारा विद्युत प्रदान किया जाना है।

सभी सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित है कि वर्ष 2020 तक आधार वर्ष के कार्बन फुटप्रिंट स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 50% तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 66% का स्तर प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य सहित कार्बन क्रेडिट मानदंडों के अनुसार एक कार्बन क्रेडिट नीति तैयार करें। सभी मौजूदा कार्बन फुटप्रिंटों की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2011 होगा जिसमें एक वर्ष की कार्यान्वयन अवधि होगी तथा कार्बन कटौती का प्रथम वर्ष 2012 होगा।

सभी सेवा प्रदाताओं को एक वर्ष में दो बार अपने कार्बन फुटप्रिंट की घोषणा करनी है। इसके अलावा, सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित फुटप्रिंट के विवरण के आधार पर, सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नेटवर्क के लिए कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2012-13 तक 5% वर्ष 2014-15 तक 8%, वर्ष 2016-17 तक 12% और वर्ष 2018-18 तक 17% की कमी करने का लक्ष्य बनाना चाहिए।

विवरण-I

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग से सेवा क्षेत्र/राज्य-वार टेली-घनत्व सहित देश में राष्ट्रीय टेली-घनत्व

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार टेली-घनत्व		
		ग्रामीण	शहरी	समग्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41.04	169.97	76.88
2.	असम	30.18	136.38	46.50
3	बिहार	26.90	170.32	46.53
4	गुजरात	51.64	133.7	85.19
5	हरियाणा	55.76	116.44	76.72
6	हिमाचल प्रदेश	73.08	336.30	102.76
7	जम्मू और कश्मीर	35.98	118.45	58.41
8	कर्नाटक	42.92	170.84	91.26
9	केरल	62.59	212.43	100.76
10	मध्य प्रदेश	29.51	114.15	52.23
11	महाराष्ट	51.19	112.21	72.62
12	पूर्वोत्तर	39.62	149.59	66.53
13	ओडिशा	37.43	167.62	59.70
14	पंजाब	64.82	152.90	101.92
15	राजस्थान	42.81	149.04	68.31
16	तमिलाडु	60.46	147.35	109.64
17	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	31.79	140.36	56.20
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
19	पश्चिम बंगाल	41.19	150.82	56.85
20	कोलकाता	—	—	155.10
21	दिल्ली	—	—	220.00
22	मुंबई	—	—	159.57
	अखिल भारत	39.90	149.55	73.34

विवरण-II

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि स्कीमों का ब्यौरा

1. सामान्य ओएफसी अवसंरचना का सृजन

(क) **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन):** वर्तमान में, राज्यों की राजधानियों, जिलों और ब्लॉकों

तथा ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था कर दी गई है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत ब्रॉडबैंक कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर-ग्रिड के मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके और जहां आवश्यक है, वहां ग्राम पंचायतों के मध्य कनेक्टिविटी अंतराल को पाटने के लिए उत्तरोत्तर रूप से फाइबर केबल बिछाकर देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का वित्तपोषण यूएसओएफ से किया जाएगा और 2 वर्षों में इसक योजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी।

इस प्रकार बिछाए जाने वाले केबल नेटवर्क की लंबाई 5 लाख कि.मी. अनुमानित है। इस प्रकार तैयार किए गए डार्क फाइबर नेटवर्क का उपयोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जाएगा ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कम-से-कम 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ सुनिश्चित की जा सके।

सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों को एक समापन रूप से नेटवर्क सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, मोबइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), केबल टी.वी. प्रचालक, विषय-विस्तु प्रदाता जैसे अभिगम प्रदाता/सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू कर सकते हैं।

इसके तहत, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों की व्यवस्था की जाएगी।

इस परियोजना को विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि. (बीबीएनएल) के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.2.2012 को निगमित किया गया है।

वर्तमान स्थितिः

एनओएफएन परियोजना की केंद्र-राज्य संयुक्त प्रयास के रूप में परिकल्पना की गई है। इसमें राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे मार्गाधिकार प्रभार वसूल न करके इसमें योगदान करें। इस परियोजना में भारत सरकार, राज्य सरकार और बीबीएनएल के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न करने के आवश्यकता होगी।

इस परियोजना के लिए 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा 3 संघ-शासित क्षेत्रों यथा-दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुदुचेरी के साथ दिनांक 26.10.2012 को त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से लगभग 1,40.727 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत अजमेर जिले (राजस्थान) के अरेन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिले (आंध्र प्रदेश) के प्रवदा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 3 प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार, इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में से प्रत्येक में 58 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा-जिला उप-मंडल मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन

- यह स्कीम, असम में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि वॉयस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रदान नेटवर्क पर जोड़ने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओएफसी स्कीमें बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, संचालन और स्वामित्व के आधार पर प्रारंभ की गई हैं।
- इस स्कीम में ब्लॉकों के मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क संवर्द्धन का

ध्यान रखा गया है। यूएसओएफ राजसहायता इस शर्त पर प्रदान करेगा कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा।

(i) असम के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, 27 जिलों के 354 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 12.02.2010 को बीएसएनएल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ 98.89/- करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान करेगा। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, लक्षित 354 स्थानों में से 280 स्थानों को ओएफसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है।

- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम-से-कम 70 प्रतिशत असम क्षेत्र में ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

(ii) पूर्वोत्तर-I सर्किल (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा) के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, 19 जिलों में 188 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 16.01.2012 को रेलटेल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ 89.50/- करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान करेगा।

- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम-से-कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 12 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

(iii) पूर्वोत्तर-II सर्किल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड) के लिए स्कीम

- यह ओएफसी स्कीम, 30 जिलों के 407 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 16.01.2012 को रेलटेल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ 298.50/- करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान करेगा।

- इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम-से-कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 27 प्रतिशत कम की दरों, पर लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

2. गांव स्तर तक वायरलाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने **ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम** के अंतर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम-से-कम 512 केबीपीएस रहेगी।

इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक बीएसएनएल द्वारा एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह राज-सहायता संवितरण (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडब्रैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्को की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राजसहायता 1,500/- करोड़ रुपये की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए राजसहायता भी शामिल है।

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 4,33,018 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 10, 713 कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

3. साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7,353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टॉवर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधाआ के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जो कि नवम्बर, 2013 तक वैध है।

दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7317 टॉवर यानि लगभग 99.51 प्रतिशत स्थापित किए गए हैं। मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सृजित अवसंरचना को तीन सेवा (वीपीटी) प्रदाताओं द्वारा साझा किया जाएगा। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा 16,023 बेस ट्रांसीवर स्ट्रेशनों को इन टॉवरों तक शुरू किया गया है।

4. सार्वजनिक अभिगम: सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर **5,81,610 आवासित राजस्व ग्रामों** अर्थात् 97.97 प्रतिशत ग्रामों को यूएसओएफ निधि की राजसहायता से सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभी तक कवर न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में यूएसओएफ की वीपीटी स्कीम के माध्यम से शेष आवासित राजस्व ग्रामों में वीपीटी सुविधा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, शामिल न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने की यूएसओएफ स्कीम : मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण योजना के तहत प्रदान किए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित ग्रामों में कार्य कर रहे वीपीटी का मिलान कियास गया था। इस स्कीम के तहत यूएसओएफ से राजसहायता प्राप्त करके वीपीटी का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01.10.2007 की स्थिति के अनुसार के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी शेष आवासित ग्रामों को इनकी जनसंख्या, दूरी, सुलभता और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में सीएसएनएल के साथ दिनांक 27.02.2009 को करार संपन्न किए गए हैं।

[अनुवाद]

बीएसएनएल द्वारा मोबाइल और डब्ल्यूएलएल कवरेज

1390. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
डॉ. संजय सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल और वायरलैस ऑन लोकल लूप टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है तथा देश में ऐसे टेलीफोन द्वारा राज्य-वार और पीएसयू टेलीफोन कंपनी-वार कितना क्षेत्र कवर किया जाता है;

(ख) राष्ट्रीय कवरेज की तुलना में प्रत्येक राज्य में मोबाइल और डब्ल्यूएलएल कवरेज का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या मोबाइल सेवाएं विशेषकर बीएसएनएल की सेवाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में असंतोषजनक हैं और नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए इन राज्यों में मोबाइल टॉवर अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन राज्यों में मोबाइल सेवा के विस्तार और विकास के लिए शुरू किए गए तथा प्रस्तावित कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में बीएसएनएल के अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) और (ख) मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या, लोकल लूप वायरलैस में (डब्ल्यूएलएल) उपभोक्ताओं की संख्या और मोबाइल सेवा तथा डब्ल्यूएलएल सेवाओं द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के साथ ही इसके प्रतिशत के संदर्भ में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का सर्किल-वार संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के उपभोक्ताओं सहित बीएसएनएल के कुछ मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता नेटवर्क कवरेज सहित सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। तथापि, बीएसएनएल की मोबाइल दूरसंचार सेवा आमतौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों को पूरा कर रही है।

(ङ) बीएसएनएल तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों में अपने दूरसंचार नेटवर्क का संवर्धन करता है। तथापि, बीएसएनएल ने ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) नेटवर्क के लिए उत्तर प्रदेश में 2.34 मिलियन लाइनें, राजस्थान में 1.2 मिलियन लाइनें और गुजरात में 0.18 मिलियन लाइनों का विस्तार करने की योजना बनाई है।

(च) और (छ) दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के निष्पादन की नियमित तौर पर समीक्षा करते हैं।

विवरण-I

दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या और मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर किए गए क्षेत्र सहित इसके प्रतिशत से संबंधित सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल	मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी.)	कवर किए गए क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	3031588	32621	73.78
2.	हिमाचल प्रदेश	1542042	32605	58.57
3.	जम्मू और कश्मीर	1092458	40114	18.05
4.	पंजाब	4355262	55476	100.00
5.	राजस्थान	5730526	164345	48.02
6.	उत्तराखंड	1344832	38572	72.12
7.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9881252	143450	84.37
8.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3424008	45759	65.29
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200732	797	9.66
10.	असम	1140886	40240	51.30

1	2	3	4	5
11.	बिहार	4153412	62460	66.33
12.	कोलकाता दूरसंचार जिला	2272698	2200	100.00
13.	झारखंड	1594348	39804	52.49
14.	पूर्वोत्तर-I	847763	27917	51.69
15.	पूर्वोत्तर-II	739330	27932	22.78
16.	ओडिशा	4396977	102949	64.83
17.	पश्चिम बंगाल	3286706	27175	29.02
18.	छत्तीसगढ़	1559488	88836	65.30
19.	गुजरात	4135177	114040	58.18
20.	महाराष्ट्र	6583966	137790	44.31
21.	मध्य प्रदेश	3366777	120039	38.97
22.	आंध्र प्रदेश	9146704	242171	88.04
23.	चेन्नै दूरसंचार जिला	1573838	5860	73.87
24.	केरल	7372813	35815	92.06
25.	कर्नाटक	6834797	107520	56.00
26.	तमिलनाडु	7793655	94186	76.90
	कुल	97402035	1830673	55.66

विवरण-II

दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के लोकल लूप वायरलैस (डब्ल्यूएलएल) में उपभोक्ताओं की संख्या और डब्ल्यूएलएल सेवाओं द्वारा कवर किए गए शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) और इसके प्रतिशत से संबंधित सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	डब्ल्यूएलएल उपयोक्ताओं की संख्या	एसडीसीए की संख्या	एसडीसीए का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11205	2	100.00

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	110582	243	100.00
3.	असम	90032	46	100.00
4.	बिहार	126194	104	100.00
5.	छत्तीसगढ़	120007	112	93.75
6.	गुजरात	129850	161	100.00
7.	हरियाणा	21210	54	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	59006	33	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	70081	34	97.06
10.	झारखंड	101587	75	100.00
11.	कर्नाटक	188186	180	100.00
12.	केरल	293449	58	82.76
13.	मध्य प्रदेश	93895	249	100.00
14.	महाराष्ट्र	153334	304	100.00
15.	पूर्वोत्तर-I	69156	30	100.00
16.	पूर्वोत्तर-II	77275	56	91.07
17.	ओडिशा	73701	120	100.00
18.	पंजाब	41977	55	100.00
19.	राजस्थान	181323	258	98.84
20.	तमिलनाडु	105387	122	100.00
21.	उत्तराखंड	46265	38	94.74
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	422059	155	100.00
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	88386	73	100.00
24.	पश्चिम बंगाल	64868	71	100.00

1	2	3	4	5
25.	कोलकाता टीडी	24524	1	100.00
26.	चेन्नै टीडी	16221	8	100.00
	कुल	2779760	2642	98.94

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में काम के घंटे

1391. **श्री मिथिलेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियोजित अध्यापकों के बढ़े हुए काम के घंटों को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हाल ही में काम के घंटों में की गई वृद्धि के मद्देनजर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के काम के लिए 5 दिन का सप्ताह लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक गति निर्धारक संगठन है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन अनिवार्य है। इस संगठन की दिनांक 19 जनवरी, 2012 को हुई शासी मंडल की 91वीं बैठक में शिक्षा के निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक शिक्षक के लिए 45 कार्य घंटे प्रति सप्ताह अनुमोदित किए हैं और तदनुसार अनुपालन के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी विकास के लिए धनराशि

1392. **डॉ. पी. वेणुगोपाल :**
श्री पी. कुमार :
श्री संजय निरुपम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों से शहरी विकास के लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस धनराशि को किस तरह जुटाने का है;

(ग) क्या बड़े शहर अपने संबंधित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 36 प्रतिशत का योगदान देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) के अनुसार वर्ष 2012 से 2031 तक की 20 वर्षों की अवधि में शहरी अवस्थापना के लिए अनुमानित निवेश वर्ष 2009-10 के मूल्यों पर 39.2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 34.1 लाख करोड़ रुपए (क) सम्पदा सृजन हेतु है जिसमें से आठ बड़े सैक्टरों के लिए निवेश 31 लाख करोड़ रुपए है; (ख) स्लमों सहित नवीकरण और पुनर्विकास के लिए 4.1 लाख करोड़ रुपए है; तथा (ग) क्षमता निर्माण के लिए एक लाख रुपए है।

12वीं योजना दस्तावेज में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए 66,246 करोड़ रु. का संकेतक प्रावधान किया गया है, जो मंत्रालय के अंतर्गत राज्य क्षेत्र की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के वित्तीय साधनों को सुदृढ़ बनाने तथा लोक निजी

सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से शहरी अवस्थापना में निवेशों की वृद्धि के साथ-साथ उन्हें पूर्वानुमान योग्य बनाने हेतु उपायों का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय इस संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है। तथापि, योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज के अध्याय 18 के पैरा 18.2 के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के शहरी अंश के संबंध में कुछ वर्षों के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा लगाये गए अनुमान यह दर्शाते हैं कि यह अंश वर्ष 1970-71 में 37.7% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 52% हो गया है। 11वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का शहरी भाग 62-63% होने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

फीस की प्रतिपूर्ति

1393. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति के घटक को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, के कार्यान्वयन संबंधी उपबंधों का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में प्रावधान किया गया है कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत विनिर्दिष्ट अलाभित और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों को दाखिल करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को उनके स्कूलों द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक इनमें से जो भी कम हो, ऐसे रीति में, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी। कई राज्य अपने-अपने राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को ऐसी प्रतिपूर्ति प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सतत और व्यापक मूल्यांकन

1394. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन शिकायतों को देखते हुए कि बोर्ड परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद छात्रों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, सेन्ट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई) ने सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों ने सीसीई के विरुद्ध शिकायतें की हैं;

(घ) क्या उक्त पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सीसीई के कारण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता न गिरना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 06 जून, 2012 को हुई अपनी 59वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुपालन में अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में छात्रों को स्कूल में रोके नहीं जाने के प्रावधान के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उप-समिति गठित की गई थी।

(ग) असम और बिहार राज्यों को सीसीई के संबंध में कुछ संशय थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सभी सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा IX और X के लिए योगात्मक मूल्यांकन हेतु स्कूल आधारित मूल्यांकन, समस्या

समाधान निर्धारण, प्रवीणता परीक्षा आरम्भ करने के रूप में एवं निर्धारण के साक्ष्य के विश्लेषण द्वारा भी पर्याप्त सहायता प्रदान की है। सीसीई दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सीसीई पर अनुकरणीय सामग्री विकसित की है जिसे राज्यों के साथ साझा किया गया है।

[हिन्दी]

सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान योजना

1395. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान योजना के अंतर्गत परामर्शदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजना दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या अनुसंधान करार मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अनुसंधान करार के विषय का निर्णय करने की आंतरिक प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समाजार्थिक अनुसंधान (एसईआर) दिशा-निर्देश, 2009 के अनुसार अपेक्षित नहीं।

(च) योजना आयोग में प्राप्त सभी अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों पर दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभारी सलाहकार के अनुमोदन के समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग में कार्रवाई की जाती है और संबंधित विषय प्रभाग के प्रभारी सलाहकार के परामर्श से योजना आयोग के अपर सचिव एवं वित्ती सलाहकार की सहमति प्राप्त करने के बाद इसे एसईआर स्कीम के तहत सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए सलाहकारों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमोदित किए गए अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संगठन/संस्थान/व्यक्ति का नाम
1	2	3
1.	भारतीय कृषि की संबृद्धि-जिला स्तरीय अध्ययन	डॉ. जी.एस. भल्ला, अवकाश प्राप्त प्रो. जेएनयू, नई दिल्ली
2.	समूह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए गरीबी का नक्शा तैयार करना	आईआईटी दिल्ली
3.	बेंगलुरु शहर में परम्परागत खुदरा व्यापारियों के संबंध में खुदरा बिक्री किया जा रहे संगठित आहारकी वृद्धि का प्रभाव	सेंट जोसेफ वाणिज्यिक कॉलेज, 63 ब्रगेड रोड, बेंगलुरु
4.	जल नीति एवं प्रबंधन के मुद्दों के विधिक पहलू एवं विवक्षाएं और जलनीति के रूपांतरण की सहायता का जल कानून सुधार	डॉ. रामास्वामी आर. अय्यर

1	2	3
5.	भारत में भूमि जल की स्थिति	डॉ. हिमांशु कुलकर्णी कार्यकारी निदेशक एवं जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन (एसीडब्ल्यूएडीएएम), पुणे के उन्नत केन्द्र के मानद सचिव
6.	हिमालय क्षेत्र में जल संसाधन संबंधी स्थायी विश्लेषण रिपोर्ट को तैयार करना	डॉ. रवि चौपड़ा, निदेशक, लोगों का विज्ञान संस्थान (पीएसआई), देहरादून
7.	भारत की सिंचाई का भविष्य	डॉ. तुषार शाह, वरिष्ठ फेलो, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, आनंद
8.	दिल्ली में गंदी बस्तियों का समाजार्थिक विश्लेषण एवं पुनर्वास के विकल्प संबंधी कार्यनीति	वैश्विक अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली
9.	गरीबी, भुखमरी एवं सार्वजनिक कार्रवाई: पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही विकेन्द्रीकरण की पहलों की समग्र अध्ययन	लोक कल्याण परिषद् कोलकाता
10.	किसानों का भागीदारी वाले स्ट्रीम टैंक कूप के एकीकरण के सामाजार्थिक लाभ	भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी, ओडिशा
11.	पूर्वी भारत में विविध कृषि विकास के नियामक एवं संभावना	सामाजिक विकास परिषद् नई दिल्ली
12.	ओडिशा के बालासोर जिले के ग्रामीण/आदिवासी एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करने वाले लोगों के मध्य यौन संचारित संक्रमण का प्रचलन, पैटर्न एवं प्रबंधन	बस्ती एरिया विकास परिषद्, बालासोर, ओडिशा
13.	जैविक कृषि का प्रभाव और मूल्यांकन एवं इसका कृषि तथा सहयोगी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान	प्राकृतिक संसाधन इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली
14.	महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में आईटीआई की सजीव अध्ययन	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद् (एमईडीसी) मुंबई
	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित किए गए अध्ययनों की सूची	
15.	हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपराधों एवं अत्याचारों के विरुद्ध विशेष मामले में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अत्याचार अनुबोधक अधिनियम, 1989 का लागू किया जाना	समाजार्थिक एवं शैक्षणिक विकास सोसायटी (एसईईडीएस), आरएफजेड 754/29, राजनगर-II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली
2.	भारत में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा मॉडलों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन	पब्लिक हेल्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई), नई दिल्ली

1	2	3
3.	राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में सामाजिक कल्याण कर्मी कार्यक्रम की सार्थकता संबंधी अध्ययन	सोनाली पब्लिक शिक्षा समिति गुना (मध्य प्रदेश)
4.	पीसी पीएनडीटी अधिनियम, 1994 एवं वर्ष 2002 में किया गया संशोधन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के दो जिले जिनमें सबसे ज्यादा एवं सबसे कम बालिका लिंग अनुपात है, में महिला अनादर के मुद्दे का विश्लेषण करने संबंधी तुलनात्मक अध्ययन	सोसायटी फोर रिसॉर्स इंटेग्रेशन एवं डिवलपमेंट एक्शन, जबलपुर
5.	उन्नत बाजार अभिगम के माध्यम से ग्रामीण जिला मछुआरों एसजीएच का समाजार्थिक सशक्तिकरण	तमिलनाडु वेटनरी एवं एनीमल साइंस यूनीवर्सिटी, थूथूकुदी
6.	भारत में बाल मजदूर का विरोध किया जाना आंध्र प्रदेश में एक आनुभविक अध्ययन	काकटिया यूनीवर्सिटी, वारांगल, आंध्र प्रदेश
7.	उत्तर प्रदेश में कृषि संशोधित उद्योग, उभरती हुई संरचना एवं विकास की संभावना	गिरि इंसटीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज लखनऊ
8.	पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के नागरिक अधिकारों एवं पुनः जनित स्वास्थ्य	लुधियाना सिटीजन हेल्थ काउंसिल, लुधियाना
9.	हथकरघा उद्योग नीति एवं स्कीम के लिए क्षेत्र बार लक्ष्य, विनिर्दिष्ट सिफारिशों को आगे ले जाने वाली भारत भर में हथकरघा विभिन्नता का निर्धारण करने के लिए बुनकर समूहों का अध्ययन	क्राफ्ट रिवाइवल ट्रस्ट, एस-4 खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-10017
10.	भारत के खनिज क्षेत्र में उभरते हुए मुद्दे, धारणीय विकास	इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज एच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली
11.	राज्यों एवं उपयुक्त एजेंसियों एवं केन्द्र द्वारा प्रदान किए गए समय एवं पैटर्न के द्वारा निधियों के उपयोग करने एवं उसमें कारगर वृद्धि करने के तरीकों पर विचार	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोर एंड पोलिसी, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, इंस्टीट्यूशनल एरिया (जेएनयूके पास), नई दिली-110067
12.	भारत में बाल विवाह- इसकी स्थिति, कारण एवं बाल विवाह निवारण अधिनियम को लागू करने का अध्ययन	प. जीपी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एन रुरल डेवलपमेंट, 42 शिवानी विहार कल्याण लखनऊ-226022
13.	राज्यों की पर्यावरण नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा सफल मॉडलों का कार्यान्वयन (31वां जीओएस में अनुसमर्थित)	प्रेसटेल्स, 112 पारस चैंबर्स लक्ष्मी नरायण सिनेमा के पास, पुणे

1	2	3

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित किए गए अध्ययनों की सूची

1.	दक्ष रोजगार पैदा करने एवं लघु एवं माइक्रो-उद्यम विकास के लिए नीति संबंधी विकल्प: आरईजीपी कार्यान्वयन एवं पूर्वी भारत में पीएमईजीपी की शुरुआत का निर्धारण	डी.जे. रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्रा.लि., एन-1/69 आईआरसी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751015 (ओडिशा)
2.	विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के पैकेज मूल्यांकन का प्रभाव संबंधी अध्ययन	स्टेलर सोसायटी (त्रिवेणी स्कूल ऑफ एक्सीलें) सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
3.	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं बिहार में आदिवासी/ग्रामीण कला संबंधी अध्ययन	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल)
4.	मेघालय में कौशल विकास: एक मूल्यांकन	सेंट एन्योनी कॉलेज, शिलांग (मेघालय)
5.	चयनित राज्यों में स्वास्थ्य के देखभाल प्रणाली में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की सार्थकता: दोहरेपन का असर एवं केरल, राजस्थान एवं बिहार ब्यूरोक्रेसी की भूमिका	केरल विकास सोसायटी, नई दिल्ली
6.	चयनित राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की सार्थकता: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दोहरेपन का असर एवं ब्यूरोक्रेसी की भूमिका	श्रीराम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली
7.	स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पंचायती राज संस्थानों की सार्थकता: दोहरेपन का असर एवं कर्नाटक राज्य में नई पहुंच में ब्यूरोक्रेंसी की भूमिका	आईडीपीएमएस, सं. 44, 6वां क्रॉस, 7वां ब्लॉक, जयानगर पश्चिम, बेंगलुरु-560082
8.	झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं ओडिशा में चयनित नक्सल प्रभावित जिलों में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत ग्रामीण हाउसिंग (इंदिरा आवास योजना-आईएवाई) का मूल्यांकन	डेवलपमेंट पैसिलीटेटस (डीएफ), कामर्शियल कॉम्पलेंक्स, II तल, पिलंजी वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
9.	सिविल सेवियां को क्या कारगर बनाता है: एक 360 डिग्री का दृष्टिकोण	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एलबीएसएनएनए, कोजी नूक कॉम्प्लैक्स चार्लेविले रोड मंजूसी-248179 (उत्तराखंड)
10.	कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम का एक मूल्यांकन	सुपथ ग्रामोद्योग संस्थान, यूनिट-बी, चौथा तल, अविष्कार कॉम्पलेक्स मातीपुरा सर्किल, हिम्मत नगर-383001 (गुजरात)
11.	भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आरएमके की माइक्रो: क्रेडिट स्कीम को चलाना	सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी, रिसर्च निदेशालय, इसरोसेम्बा, इंफाल-795004 (मणिपुर)

1	2	3
12.	शहरी स्थानीय निकायों की दक्षता निर्माण जरूरतों के गुणात्मक मूल्यांकन का एक अध्ययन (यूएलबी)	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन एफेयर (एनआईयूए), I और II फ्लोर, कोर 4-बी, इंडिया है हैवीवेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110013
13.	ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका एवं योगदान: बिहार एवं ओडिश प्रत्येक में एक जिले का तुलनात्मक मामला अध्ययन	एफोड अवार्ड फाउंडेशन फ़ार रूरल डेवलपमेंट, 5 फर्स्ट फ्लोर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
14.	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में नव-साक्षर संबंधी जेएसएस के कौशल विकास कार्यक्रमों का असर	नोबाल सोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी 303, अखिल अपार्टमेंट, बैकसाइट इस महल नेहरू नगर, तिरूपति-517507 आंध्र प्रदेश
15.	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) के विशेष मामले सहित बाल मजदूरी संबंधी अध्ययन-बाधाएं एवं नीति संबंधी अंत:क्षेप	प्रोगनोसी सर्विस प्रा.लि., बी-44, सेक्टर-63, नोएडा-201301
16.	भारत में कृषि-व्यवसाय के उभरते परिदृश्य	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, 86/1, कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता-700073
17.	भारत के चयनित राज्यों में 24x7 स्वास्थ्य सुविधाओं के चालू रहने के अध्ययन का मूल्यांकन	श्री श्याम सुन्दर 'श्याम' इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 82 आराधना नगर, भोपाल-462003 (मध्य प्रदेश)
18.	केवलादेव नेशनल पार्क, भारतपुर राजस्थान एवं उसके अवाह क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा: एक ऐतिहासिक विश्लेषण	सलीम अली सेंटर फॉर ओरिंथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
19.	समुद्री मत्स्य उद्योग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें एवं इसका मत्स्य उद्योग पर प्रभाव: पारंपरिक क्राफ्ट एवं एचएसडी ऑयल स्कीमों के मोटर से चलाने संबंधी अध्ययन	काउंसिल फॉर शेशल डेवलपमेंट हैदराबाद
20.	छह राज्यों में सेकेंडरी स्कूल में आईसीटी (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) का प्रयोग	एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ईक्यूएफआई), 1210, पदम टॉवर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
21.	चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता सुधारने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की भूमिका)	काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
22.	कक्षा IX, X XI एवं XII के विद्यार्थियों का गणित, विज्ञान (भौतिकी, रसायन, वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान) एवं अंग्रेजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन: ओडिशा के आदिवासी एवं गैर-आदिवासी जिलों का व्यापक अध्ययन	आर.जी. फाउंडेशन, नई दिल्ली
23.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संभावित रोजगार के अवसरों के	हरयाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट नई दिल्ली

1	2	3
	पैदा करने के लिए कौशल विकास की पहचान करना एवं रूपरेखा तैयार करना	
24.	ग्रामीण पंजाब में प्रारंभिक शिक्षा स्कीम का निदानात्मक विश्लेषण	जीएडी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज अमृतसर (पंजाब)
25.	उत्तर प्रदेश के विध्यान क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या की जीविका पर खनन एवं खनन नीतियों के सामाजार्थिक प्रभाव का अध्ययन	सेंटर फॉर सोशल फोरेस्टरी एंड ईको रिहेबीटेशन इलाहाबाद
26.	दक्षिण भारत में विद्यार्थियों के रोजगार योग्यता पर यूजीसी का कैरियर आधारित कोर्स का मूल्यांकन	श्री वेंकटेश्वर यूनीवर्सिटी, त्रिरूपती (आंध्र प्रदेश)
27.	कोयला खनन, विस्थापित एवं ग्रामीण जीविका: महानदी कोयला क्षेत्र ओडिशा में एक अध्ययन	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला (ओडिशा)
28.	वैट प्रशासन के लिए कर विभाग का पुन: गठन करना: पूर्वोत्तर राज्यों का एक अध्ययन	फाउंडेशन फॉर पब्लिक इकोनोमिक्स एवं पोलिसी रिसर्च, दिल्ली-52
29.	दक्षिण भारत में सफाई एवं इसका स्वास्थ्य	हैल्प फाउंडेशन, पोरूल, चेन्नै (तमिलनाडु)
30.	परियोजनाओं के मूल्यांकन के ढांचे का मूल्यांकन	इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट (सेंटर फॉर पब्लिक पोलिसी) बन्नेटघट्टा रोड, बेंगलुरु
31.	ग्रामीण बिहार में वास भूमि का अधिकार: इनकी नीतियों एवं प्रावधानों के कार्यान्वयन में स्थिति, मुद्दों एवं चुनौतियों का अध्ययन	देशकल सोसायटी, 220, एसएफएस फ्लैट, डॉ. मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009

[अनुवाद]

आईआईटी और आईआईएम की वैश्विक रैंकिंग

1396. **श्री ताराचन्द भगोरा :**
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी संस्थाओं की तुलना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आईआईएम को जवाबदेह बनाने तथा उन्हें डिप्लोमा के स्थान पर अकादमिक डिग्री देने का अधिकार देकर किसी एक परिषद् के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जबकि कतिपय संस्थान अथवा अभिकरण करने स्वयं के मानदंडों के अनुसार श्रेणीबद्ध विश्वविद्यालयों अथवा शैक्षिक संस्थानों की सूची प्रकाशित करते है, वहीं विश्वविद्यालयों के वैश्विक श्रेणीक्रम के लिए कोई ऐसा एकल अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीक्रम की ये भिन्न-भिन्न प्रणालियां उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को श्रेणीबद्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों तालिकाओं और पैरामीटरों का प्रयोग करते हैं। ये मानदंड न तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और न ही इन्हें मान्यता दी जाती है और इसलिए उनके मूल्यांकन की व्यक्तिपरक प्रक्रियाओं के बारे में आलोचना की जाती है। इन पैरामीटरों में कुछ भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पूरी तरह सुसंगत नहीं हैं और इसलिए वे श्रेणीक्रम भारतीय संस्थानों के बेंचमार्क का मुख्य आधार नहीं बन सकते हैं। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तथा विधायी पहल द्वारा देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक का प्रारुप मानव संसाधन विकास मंत्रालय में व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समन्वय निकाय का प्रावधान है, तथापि ऐसी संस्था का नाम, लक्ष्य और कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस विधेयक के लक्ष्यों में एक लक्ष्य, आईआईएम को अपने छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान

1397. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनसीईआरटी का विचार शिक्षा के कुछ नए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितने स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की कार्यकारी परिषद् ने बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इन क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना के लिए इन राज्यों को उपयुक्त स्थानों पर 50 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। बिहार सरकार ने मुजफ्फपुर जिले में 25 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। आंध्र प्रदेश ने भूमि के टुकड़े की पहचान कर ली है लेकिन औपचारिक प्रस्ताव अभी प्राप्त होना बाकी है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने मुफ्त भूमि उपलबध कराने में अपनी असमर्थता जताई है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि आवंटित करने पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

[अनुवाद]

रूस के एनपीपी आपूर्तिकर्त्ताओं को छूट

1398. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिट संख्या 3 और 4 के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूसी आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले अपने विधिक अधिकार की समीक्षा की है और उसे प्रयोग न करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रूस के आपूर्तिकर्त्ताओं के सिवाय अन्य को भी परमाणुवीय दायित्व अधिनियम से छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

निःशक्त बच्चों के लिए कोटा

1399. श्री के.डी. देशमुख : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में निःशक्त बच्चों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दाखिला दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए दाखिलों में कुछ उपलब्ध सीटों का 3% विभिन्न नि:शक्त, दृष्टिहीन, अस्थि विकलांग और श्रवण विकलांग बच्चों आदि के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होता है।

दूरसंचार सेवाओं का विस्तार और उन्नयन

1400. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए निविदाएं जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा आमंत्रित की की गई निविदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रंक ऑटोमैटिक ट्रंक एक्सचेंज (आईपी टीएएक्स) और माइक्रोवेव पारेषण उपस्करों के प्रापण में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई थी। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

(i) **आईपी टीएएक्स उपस्कर** : संबंधी अधिकारी की ओर से मामले की कार्यवाही में विलंब से संबंधित अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ii) **माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर** : निम्न स्तरीय किस्म के माइक्रोवेव उपस्कर की स्वीकृति से संबंधित अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई थी।

दोनों मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और नियमों के अनुसार उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई/की जा रही है।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	स्टोर मद का नाम	मात्रा	निविदा खोलने की तारीख	प्रापण की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	सीएलआई (क्लिग लाइन आईडेंटिफिकेशन) विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण	17,50,000	17.08.2007	123
2.	पारेषण उपस्कर	2658	29.08.2007	90
3.	इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज (आईपीटीएएक्स) उपस्कर	4868 केसीएमपीएलएस	26.11.2007	591
4.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	520 कि.मी.	29.11.2007	2
5.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	5000 कि.मी.	31.01.2008	180

1	2	3	4	5
6.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	35,000 कि.मी.	12.02.2008	117
7.	डब्ल्यूआईएमएएक्स उपस्कर (ग्रामीण) फेज-I	1000 बीटीएस	29.04.2008	260
8.	पारेषण उपस्कर	1070	02.05.2008	409
9.	डिजीटल क्रास कनेक्ट उपस्कर	173	02.06.2008	253
10.	पारेषण उपस्कर	1522	04.07.2008	284
11.	ओएफसी उपस्कर	300	07.07.2008	700
12.	सीएलआई विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण	52,50,000	08.07.2008	246
13.	ओएफसी उपस्कर	166	16.07.2008	105
14.	माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर	2174	29.09.2008	89
15.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	25,000 कि.मी.	08.10.2008	81
16.	माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर	106	01.07.2009	37
17.	डब्ल्यूआईएमएएक्स उपस्कर (ग्रामीण) फेज-I	6863 बीटीएस	07.08.2009	1167
18.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	60,000 कि.मी.	18.08.2009	200
19.	जेली पूर्ण भूमिगत केबल	50 एलसीकेएम	23.06.2010	300
20.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	60,000 कि.मी.	05.10.2010	186
21.	सीएलआई विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण	25,00,000	25.04.2011	113
22.	उपग्रह उपस्कर	5000 टर्मिनल	08.08.2011	36
23.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	32,000 कि.मी.	01.11.2011	157
24.	मोबाइल उपस्कर	14.37 मिलियन लाइन	02.12.2011	4867
25.	पश्चिमी क्षेत्र के लिए मोबाइल उपस्कर	0.629 मिलियन लाइन	28.02.2012	413

विवरण-II

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के वर्ष 2012-13 के दौरान बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	स्टोर मद का नाम	मात्रा	निविदा खोलने की तारीख	प्रापण की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1.	माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर	66 टर्मिनल	29.02.2012	18
2.	अगली पीढ़ी नेटवर्क उपस्कर	4 मिलियन लाइन	27.08.2012	543
3.	रूटर उपस्कर	12	12.09.2012	50
4.	सीएलआई विशेषता वाले टेलीफोन उपकरण	29,00,000	04.10.2012	162
5.	माइक्रोवेव पारेषण उपस्कर	12 टर्मिनल	23.11.2012	1
6.	जेली पूर्ण भूमिगत केबल	20.88 एलसीकेएम	04.12.2012	189
7.	पारेषण उपस्कर	15194 टर्मिनल	08.02.2013	39

[हिन्दी]

पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास

1401. श्री लालजी टन्डन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश में महिला छात्रावासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों और पॉलीटेक्निकों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां इन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी अनुदान राशि आवंटित किए जाने की संभावना है तथा जारी की गई है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) जी, हां। ''कौशल विकास की समन्वित कार्रवाई के तहत् पॉलिटेक्निकों का उप-मिशन'' योजना पहले ही अनुमोदित की गई है जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित देश भर के मौजूदा सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु अधिकतम 1.00 करोड़ रु. प्रति पॉलीटेक्नीक की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। देश में योजना के तहत आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले पॉलिटेक्निकों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:—

आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले पॉलिटेक्निकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पॉलिटेक्निकों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
आंध्र प्रदेश	46
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	9
बिहार	13
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	10
गुजरात	19
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	9
जम्मू और कश्मीर	6
झारखंड	14
कर्नाटक	57
केरल	41
मध्य प्रदेश	38
महाराष्ट्र	38
मणिपुर	1
मिजोरम	2
नागालैंड	3
ओडिशा	13
पुदुचेरी	1
पंजाब	6
राजस्थान	26
सिक्किम	2
तमिलनाडु	24
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	53
उत्तराखंड	25
पश्चिम बंगाल	27

[अनुवाद]

ग्रामीण डाक सेवक

1402. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में डाकघरों में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन सेवकों को कितनी मासिक वृतिका दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी वृत्तिका को बढ़ाने और उनके लिए कल्याणकारी उपायों को भी प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) 01.01.2013 को छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत 2458 ग्रामीण डाक सेवकों सहित ग्रामीण डाक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कुल संख्या 263326 हो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण डाक सेवकों को समय सम्बद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) और मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित अन्य अनुमत्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं न कि मासिक वृत्तिका। इसके ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण डाक सेवकों को अनुमत्य टीआरसीए पर मूल्य वृद्धि/मुद्रास्फीति से सम्बद्ध महंगाई भत्ता उसी दर पर मिलता है जिस दर पर नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है तथा जिसमें मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है। सरकार ने इन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदम उठाए हैं।

(घ) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	सर्किल/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	01.01.2013 की स्थिति के अनुसार कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या							
		जीडीएस एसपीएम	जीडीएस बीपीएम	जीडीएस एमडी	जीडीएस एमसी	जीडीएस एमपी	जीडीएस एसवी	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	13139	4694	4242	1941	175	2646	26837
2.	असम	0	3216	2906	1639	283	39	371	8454
3.	बिहार	0	6307	5165	2598	360	86	553	15069
4.	छत्तीसगढ़	0	2423	855	1545	147	13	26	5009
5.	दिल्ली	0	77	26	14	24	30	6	177
6.	गुजरात	0	6768	4619	1396	702	63	296	13844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.क	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0	5	45	0	0	0	0	50
6.ख	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0	7	17	0	0	0	2	26
7.	हरियाणा	0	1972	1050	708	233	18	4	3985
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2247	2614	1068	312	13	61	6315
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1368	506	754	95	8	0	2731
10.	झारखंड	0	2461	1539	1286	154	35	407	5882
11.	कर्नाटक	0	7777	4681	1235	1789	66	249	15797
12.	केरल	0	3443	5765	852	1259	138	165	11622
12.क	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	2	1	1	0	5	0	0	9
12.ख	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0	3	5	1	1	0	0	10
13.	मध्य प्रदेश	0	5632	2498	4056	290	22	229	12727
14.	महाराष्ट्र	0	10122	6939	1644	1115	46	27	19893
14.क	गोवा (राज्य)	0	147	128	21	54	1	2	353
	पूर्वोत्तर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	अरुणाचल प्रदेश (राज्य)	0	198	166	27	30	2	11	434
16.	मणिपुर (राज्य)	0	591	495	627	40	1	1	1755
17.	मेघालय (राज्य)	0	332	389	262	41	0	0	1024
18.	मिजोरम (राज्य)	0	285	234	281	12	0	98	910
19.	नागालैंड (राज्य)	0	279	254	237	35	3	0	808
20.	त्रिपुरा (राज्य)	0	514	416	290	53	1	65	1339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	ओडिशा	1	5798	4863	3209	929	41	110	14951
22.	पंजाब	0	2831	1642	960	227	15	0	5675
22.क	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0	8	13	0	16	2	0	39
23.	राजस्थान	0	7460	2371	3014	439	37	49	13370
24.	तमिलनाडु	0	8656	8475	1325	2168	269	682	21575
24.क	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0	41	49	0	15	4	0	109
25.	उत्तर प्रदेश	0	12659	10991	4127	1311	315	1262	30665
26.	उत्तराखंड	0	2122	2218	1322	236	9	217	6124
27.	पश्चिम बंगाल	0	5370	4985	3337	777	315	339	15123
28.	सिक्किम (राज्य)	0	53	74	19	5	0	0	151
28.क	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0	171	203	102	0	8	0	484
	कुल	3	114483	81891	42198	15098	1775	7878	263326
	छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र	0	1068	422	911	48	2	7	2458

विवरण-II

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) (01.01.2006 से लागू)

क्र. सं.	ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की श्रेणी	01.01.2006 से प्रभावी टीआरसीए	कार्यभार (घंटों में)
1	2	3	4
1.	जीडीएस शाखा पोस्टमास्टर	2745-50-4245 रु.	3 घंटे तक
2.		3200-60-5000 रु.	3 घंटे से अधिक तथा 3 घंटे 30 मिनट तक

1	2	3	4
		3660-70-5760 रु.	3 घंटे 30 मिनट से अधिक तथा 4 घंटे तक
		4115-75-6365 रु.	4 घंटे से अधिक तथा 4 घंटे 30 मिनट तक
		4575-85-7125 रु.	4 घंटे 30 मिनट से अधिक तथा 5 घंटे तक
2.	जीडीएस डाक वितरक/स्टैंप विक्रेता	2665-50-4165 रु. (नई भर्त्ती के लिए)	3 घंटे तक
		3330-60-5130 रु.	3 घंटे से अधिकतम 3 घंटे 45 मिनट तक
		4220-75-6470 रु.	3 घंटे 45 मिनट से अधिक तथा 5 घंटे तक
3	जीडीएस डाक वाहक/पैकर/ डाक मैन	2295-45-3695 रु. (नई भर्ती के लिए)	3 घंटे तक
		2870-50-4370 रु.	3 घंटै से अधिक तथा 3 घंटे 45 मिनट तक
		3635-65-65585 रु.	3 घंटे 45 मिनट से अधिक तथा 5 घंटे तक

टिप्पणी: ग्रामीण डाक सेवकों को टीआरसीए के अलावा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य समान दरों पर महंगाई भत्ता भी मिलता है। ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर को 100 रु. प्रति माह की दर पर कार्यालय अनुरक्षण भत्ता और 25 रु. प्रति माह की दर पर नियत स्टेशनरी प्रभार दिया जाता है। ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक तथा डाक वाहक 60 रु. प्रति माह की दर पर साइकिल रख-रखाव भत्ता प्राप्त करते हैं।

विवरण-III

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए शुल्क की गई मौजूदा कल्याणकारी स्कीमें

1.	मातृत्व अनुदान	महिला ग्रामीण डाक सेवकों को संपूर्ण नियोजन अवधि के दौरान, दो संतानों के जन्म के लिए महंगाई भत्ता सहित तीन महीने के समय सम्बद्ध निरंतरता भत्ते के बराबर मातृत्व अनुदान प्रदान किया जाएगा जो केवल दो संतानों के जन्म तक ही सीमित रहेगा जहां तक संभव हो, प्रसूति से पूर्व एवं उसके बाद ही अवधि के दौरान डाक वितरक और डाक वाहक का कार्य करने वाली महिला जीडीएस को हल्का कार्य देना भी निर्धारित किया गया है।
2.	मातृत्व अवकाश	प्रसूति पूर्व एवं उसके बाद की अवधि को कवर करते हुए, महिला जीडीएस को भी छह महा तक का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है।
3.	अतिरिक्त विभागीय समूह बीमा योजना	ग्रामीण डाक सेवकों को समूह बीमा योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। जो उन्हें मृत्यु पर उपलब्ध हैं।

4.	सेवा मुक्ति लाभ योजना	डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों के लाभार्थ मासिक अंशदान आधार पर (केवल विभाग की ओर से 200/- रु. प्रतिमाह की दर से) सरकार द्वारा एक सेवा मुक्ति लाभ योजना शुरू की गई है जो पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)—लाइट योजना के आधार पर तैयार की गई है। यह योजना मौजूदा ग्रामीण डाक सेवकों को उन्हें दी जाने वाली सेवा-विच्छेद राशि के स्थान पर वैकल्पिक आधार पर प्रदान की गई है जबकि 01.01.2011 से सेवा में प्रवेश करने वाले नए ग्रामीण डाक सेवकों के लिए यह योजना अनिवार्य है। योजना में सेवामुक्ति के समय एक मुश्त राशि के रूप में कतिपय प्रतिशत तथा वार्षिकी में कतिपय प्रतिशत के अनिवार्य निवेश का प्रावधान किया गया है जिससे उन्हें पेंशन के रूप में मासिक लाभ प्राप्त होगा।
5.	छुट्टी	ग्रामीण डाक सेवकों को एक वर्ष में 20 दिन की सवेतन छुट्टी प्रदान की जाती है जिसे संचयी रूप से जोड़ा नहीं जाता है।
6.	सीमित स्थानांतरण सुविधा	ग्रामीण डाक सेवकों को दूर-दराज क्षेत्रों में तैनाती पद की समाप्ति होने की स्थिति में पुन:तैनाती, अनुकम्पा आधार पर नियुक्त होने पर, दूरस्थ स्थानों पर तैनाती, जीडीएस महिलाओं की शादी/पुन:शादी, बीमारी के कारण दारुण-कष्ट होने पर तथा सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से पात्र चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी होने पर स्वयं की चिकित्सा उपचार तथा ऐसे आश्रित को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता प्रदान करने के लिए जिसे इनकी आवश्यकता है तथा जो शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति/आश्रित हैं उनकी देखभाल के लिए सीमित स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसी सुविधा समग्र कैरियर के दौरान केवल एक बार तथा तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर प्रदान की गई है जो अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। एक सदस्यीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, महिला ग्रामीण डाक सेवकों के बारे में अपवाद है कि बीमारी के कारण दारुण कष्ट के आधार पर उपचार के लिए शादी से पूर्व चिकित्सा देखभाल हेतु स्थानांतरण सुविधा का लाभ उठा चुकीं हैं वे अपनी शादी/पुन: शादी होने की स्थिति में दोबारा यह सुविधा प्राप्त कर सकती हैं।
7.	कल्याण निधि से सहायता	ग्रामीण डाक सेवकों को कल्याण निधि से निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	कल्याण योजना का नाम	वित्तीय सहायता की अनुमत्य राशि
1	2	3
1.	मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	7,000/- रु.
2.	युद्ध में लड़ाई के दौरान अथवा सीमा पर मुठभेड अथवा उपलब्धियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों के विरुद्ध कार्रवाई के कारण मृत्यु	1,50,000/- रु.

1	2	3
3.	अंत्येष्टि व्यय*	500/- रु.
4.	क्षयरोग से पीड़ित जीडीएस के लिए पौष्टिक भोजन के लिए:	
	(क) अंतरंग उपचार	400/- रु. प्रतिमाह
	(ख) बहिरंग उपचार	200/- रु.
5.	लम्बी एवं गंभीर बीमारी/बड़ी शल्य चिकित्सा के मामले में वित्तीय सहायता	5000/- रु.
6.	स्कालरशिप एवं बुक अवार्ड स्कीम	जीडीएस के लिए बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक बुक अवार्ड प्रदान करने का संबंध है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अ.पि.व. के मामले में उनके बच्चों को 10% अंकों की छूट प्रदान की जाए।

*केवल उन्हीं मामलों में सर्किल कल्याण निधि से देय जिनमें मृतक डाक कर्मचारी का अंतिम संस्कार भाईयों अथवा बहनों अथवा निकट के किसी संबंधी के न होने पर नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है।

8.	अनुकम्पा नियुक्ति	अनुकम्पा आधार पर जीडीएस के आश्रितों की नियुक्ति के लिए योग्यता बिन्दुओं और चयन प्रक्रिया के साथ एक नई पारदर्शी स्कीम शुरू की गई है जिसमें गरीबी के प्रत्येक कारण के लिए 100 बिन्दुओं के मान पर बिन्दु आबंटित किए गए हैं। पत्नी (विधवा) को 15 ग्रेस अंक प्रदान किए गए हैं। उन मामलों को उपयुक्त तथा सुसंगत मामले माना गया है जिन्हें 50 से अधिक अंश मिले हों।
9.	चिकित्सा सुविधाएं	जीडीएस एक पृथक और विशेष श्रेणी होने के कारण उन्हें सीएस (एमए) नियमों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है तथा उन्हें सीजीएसएच सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत उन्हें सर्किल कल्याण निधि से 5000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि ऐसे जीडीएस ने विभाग में कम-से-कम 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सरकारी अस्पताल से उपचार करवाया हो तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो और बीमारी कम-से-कम 2 माह पुरानी हो। क्षेत्रीय/सर्किल प्रमुखों को प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये तक वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। असाधारण और आपवादिक मामलों में केन्द्रीय कल्याण निधि से और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

10. नियमित विभागीय पदों पर आमलेन के अवसर	जीडीएस अतिरिक्त विभागीय होने के कारण एमटीएस/पोस्टमैन/डाक सहायक के संवर्ग में विभागीय कर्मचारी के रूप में उनका आमेलन सांविधिक भर्ती नियमों के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से होता है। एमटीएस के संवर्ग के सांविधिक भर्ती नियमों के अंतर्गत वरिष्ठता कोटा में 25% रिक्तियों के लिए जीडीएस पर विचार किया जाता है। तथा सीमित विभागीय परीक्षा के जरिए 25% रिक्तियों के लिए पोस्टमैन संवर्ग के भीर्त नियमों के अनुसार एलडीई के माध्यम से 50% रिक्तियों के लिए जीडीएस पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, डाक सहायक/छंटाई सहायक के भरी नहीं गई प्रोन्नति कोटा की रिक्तियों के लिए डाक सहायक/छंटाई सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा के आधार पर भी जीडीएस पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि रिक्ति के वर्ष की 01 जनवरी को निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हैं:— (i) जीडीएस ने 10+2 श्रेणी अथवा 12वीं श्रेणी में अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ (व्यावसायिक स्ट्रीम को छोड़कर) कम-से-कम 50% अंक प्राप्त किए हों तथा 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हो। (ii) उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक न हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अ.पि.व. के लिए 33 वर्ष)।

बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

1403. श्री निलेश नारायण राणे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश के प्रत्येक भाग में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशों के मुकाबले वर्तमान में भारत में टेलीफोन घनत्व कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बीएसएनएल को अंतरित दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) की परिसंपत्तियों का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार सरकार के दूरसंचार स्टॉक का कितना नेटवर्क अंतरित हो गया है;

(ङ) प्रत्येक विभाग के अंतर्गत विद्यमान स्टॉफ के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें किस ढंग से समायोजित किया जाएगा;

(च) क्या सरकार ने बीएसएनएल पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की गणना कर ली है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त राशि का ब्यौरा क्या है और बीएसएनएल किस विधि से इस देयता को माफ करेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), दिल्ली और मुंबई, जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है, को छोड़कर, सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में वायरलाइन एवं बेतार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल, तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने दूरसंचार नेटवर्क में विस्तार करता है।

भारत तथा कुछ अन्य देशों के टेली-घनत्व का विवरण इस प्रकार है:—

देश	टेली-घनत्व (प्रतिशत)	
	फिक्सड	मोबाइल
1	2	3
भारत	2.71	74.15
रूस	30.93	179.31

1	2	3
ब्रिटैन	53.25	130.75
आस्ट्रेलिया	46.63	108.34
अमेरिका	47.91	105.91
चीन	21.16	73.19

(ग) और (घ) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) से (छ) बीएसएनएल में स्टाफ को स्थानान्तरित कर दिया गया है और इसकी प्रचालन आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

सऊदी वाणिज्य दूतावास का खोला जाना

1404. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब सरकार ने हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा

1405. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी सूची में सस्थाओं को शामिल किए जाने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए मदरसों से अब तक राज्य-वार कितने अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं और सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2009-10 से मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें उन मदरसों और मकतबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों को शुरू करने के लिए योजना का चयन करते हैं। जो मदरसे कम-से-कम तीन वर्षों से अस्तित्व में रहे हैं और राज्य मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्डों अथवा एनआईओ में पंजीकृत हैं, वे योजना के अधीन वित्तीय सहायतार्थ पात्र हैं।

(घ) 31 दिसंबर, 2012 तक वित्तीय सहायता प्रदत्त मदरसों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन मदरसों की संख्या की राज्य-वार सूची दर्शाने वाला विवरण जिनके लिए एसपीक्यूईएम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्रदत्त मदरसों की संख्या	जारी की निधियां (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40	260.00
2.	असम	486	1498.53
3.	बिहार	80	55.54
4.	चंडीगढ़	1	0.36
5.	छत्तीसगढ़	481	1634.15
6.	हरियाणा	6	37.50
7.	जम्मू और कश्मीर	.372	886.47
8.	झारखंड	164	497.18
9.	कर्नाटक	80	700.75

1	2	3	4
10.	केरल	547	1490.09
11.	मध्य प्रदेश	1257	4784.6
12.	महाराष्ट्र	45	215.05
13.	राजस्थान	241	1012.37
14.	त्रिपुरा	129	374.18
15.	उत्तर प्रदेश	6294	27730.3
16.	उत्तराखंड	74	655.82
	कुल	10474	41832.89

अल्पसंख्यक संस्थाओं में ओबीसी कोटा

1406. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कुछ अल्पसंख्यक संस्थाओं को ओबीसी कोटा से छूट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य का क्या मत है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार, प्रवेश में सीटों का आरक्षण, अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम में यथा परिभाषित, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का आशय, संविधान के अनुच्छेद, 30 के खंड (1) के द्वारा स्थापित और प्रशासित एक संस्था अथवा संसद के किसी अधिनियम या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम, 2004 के तहत इस प्रकार घोषित एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है।

(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हवाई यातायात में कमी

1407. चौधरी लाल सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान हवाई यातायात की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2011-12 में हवाई यातायात में 3 प्रतिशत की कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (जनवरी) में वार्षिक यात्री वृद्धि निम्नानुसार है:—

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन)	वृद्धि (प्रतिशत)
2010	52	18.7
2011	60.7	16.6
2012	58.8	-3.04
2013 (जनवरी)	9.13	-3.77

इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि किंगफिशर एयरलाइंस भी काफी अधिक संख्या में यात्रियों का वहन करते हुए बड़ी संख्या में उड़ानें प्रचालित कर रही थी, जिससे यातायात वृद्धि में सहयोग मिल रहा था। तथापि, एयरलाइन ने धीरे-धीरे अनेक मार्गों में अपनी उड़ानें हटाना शुरू कर दिया और अंतत: अक्तूबर, 2012 से प्रचालन करना बंद कर दिया जिसके परिणामस्वरूप यात्री यातायात की वृद्धि में गिरावट आई। दूसरी ओर अन्य एयरलाइनों द्वारा वहन किए जाने वाले यात्रियों की संख्या में कवेल आंशिक वृद्धि देखी गई है।

सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में भारतीय वाहकों के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन के सीधे आयात की अनुमति दिया जाना, विदेशी एयरलाइनों को किसी हवाई परिवहन उपक्रम की इक्वटी में 49 प्रतिशत तक की सहभागिता की अनुमति दिया जाना, एक वर्ष की अवधि के लिए विमानन उद्योग की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता के लिए ईसीबी की अनुमति दिया जाना, जो एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल सीमा के अध्यधीन है और सिविल विमानों का तीसरे पक्ष से अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल कराने के लिए विमानों के पुर्जों और परीक्षण उपस्करों के लिए कर में रियायत दिया जाना।

राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण

1408. **श्री ए. साई प्रताप** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्य सरकार के मिशनों के विकास संबंधी प्रयासों की निगरानी रखने, समर्थन करने और उनमें तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी मंत्रालय द्वारा कोई आपत्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों को निपटाने के लिए और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उल्लेख किया कि भारत सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना कने का विचार कर रही है। इसके अनुपालन के रूप में योजना आयोग ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 50 मिलियन के प्रशिक्षण लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य कौशल मिशनों के चल रहे कौशल विाकस प्रयासों को सहायता एवं गति प्रदान करने, पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण के गठन करने संबंधी एक मंत्रिमंडल नोट भी चलाया था।

(ग) से (ङ) मंत्रिमंडल नोट पर दिनांक 31.1.2013 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई और फिर इसे वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

बेरोगार युवाओं के लिए छूट

1409. **श्री जगदीश सिंह राणा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमीकरण और शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले सभी सिविल पदों/सेवाओं पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. तथा नि:शक्त व्यक्तियों को उपरी आयु सीमा में छूट हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं। कतिपय शर्तों को पूरा करने पर विभागीय अभ्यर्थियों तथा पूर्व सैनिकों को भी उच्च आयु सीमा में छूट दी गई है।

[अनुवाद]

कर्मचारी सदस्य संख्या

1410. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मंत्रालय में समूह-वार अर्थात् समूह क से समूह घ के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत कुल सदस्य संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कुल सदस्य संख्या में से कितनी नौकरियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए निश्चित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा, भारती सांख्यिकी सेवा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के संवर्गों में शामिल पदों तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् को अस्थायी रूप से अंतरित पदों सहित योजना आयोग की कुल समूह-वार स्वीकृत कार्मिक संख्या आज की तारीख में, निम्नानुसार है:—

समूह	कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या
समूह क	334
समूह ख	346
समूह ग*	563

*छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद समूह घ को अब समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) और (ग) योजना आयोग के कार्मिकों की कुल संख्या में विभिन्न संवर्गों के अधिकारी शामिल हैं और भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन संबंधी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने सवंर्ग की समग्र पद संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा सीधे भरे जा रहे पदों के संबंध में, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार नियत पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

समूह	योजना आयोग द्वारा भरे गए पद जहां सरकार की आरक्षण नीति लागू है	अनुसूचित जाति के लिए नियत पदों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लिए नियत पदों की संख्या
1	2	3	4
समूह क	24	03	01
समूह ख	51	04	02
समूह ग*	27	03	01

*छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद समूह घ को अब समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

शहरी विकास परियोजनाएं

1411. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं और संबंधित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 13 राज्यों को निष्पादन आधारित 80 बिलियन रुपए मूल्य के अनुदान प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुदानों को 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 2010-15 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) हेतु कार्य-निष्पादन आधारित अनुदानों के रूप में 28 राज्यों को 8000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 13वीं केन्द्रीय वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इसे अनुदान सहायता में परिवर्तित करने के बाद करों के पूर्व वर्ष के विभाजीय पूल के प्रतिशत (राज्यों के अंश के अतिरिक्त) के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के सहायता की सिफारिश की है। इस अनुदान के दो घटक-मूल अनुदान घटक और कार्य-निष्पादन आधारित घटक है। कार्य-निष्पादन आधारित घटक अनुदान अवार्ड अवधि अर्थात् 2010-15 के दौरान यूएलबी के लिए उन राज्यों के यूएलबी को जारी किया जाएगा। सभी राज्यों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान पूर्व वर्ष के विभाजीय पूल का 2.28 प्रतिशत होगा।

(ग) और (घ) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के

अनुसार अनुदान आवंटित किया गया है तथा निम्नलिखित नौ शर्तों का अनुपालन करने पर जारी किया जाएगा:—

(i) यूएलबी के लिए बजट दस्तावेजों के अनुपूरक दोहरी प्रविष्टि आधारित लेखांकन प्रणाली शुरू करना;

(ii) सभी स्थानीय निकायों के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करना;

(iii) स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल की स्थापना;

(iv) केन्द्रीय सरकार से प्राप्ति की पांच दिनों के भीतर स्थानीय निकाय अनुदान का इलैक्ट्रोनिक अंतरण;

(v) राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की अर्हता का निर्धारण;

(vi) यूएलबी द्वारा बिना किसी रूकावट के सम्पत्ति कर लगाना;

(vii) सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना;

(viii) जल और सफाई क्षेत्रों आदि के संबंध में प्रत्येक यूएलबी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित सेवा मानकों का प्रकटीकरण; और

(ix) एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अग्नि जोखिम अपमशन योजना शुरू करना।

हैल्पलाइन नम्बर

1412. श्री पी. कुमार :
श्री संजय निरुपम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बसों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हैल्पलाइन नंबर प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से और अधिक बसें चलाए जाने और जवाहरलाल नेहरू (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बसों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हैल्पलाइन नंबर प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही बसों की विशिष्टयों को कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिशन के अंतर्गत बसों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम कउठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने अगली बस के पहुंचने के संभावित समय, कनेक्टिंग सेवाओं की उपलब्धता, रूट नम्बर के बारे में जानकारी आदि जैसी सूचना प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक परिवहन हैल्पलाइन नंबरों के रूप में उपयोग हेतु देशव्यापी दो संक्षिप्त कोड (दूरसंचार विभाग से) आवंटित करवा लिए हैं। ये दोनों संक्षिप्त कोड्स सभी सेवा प्रदाताओं निर्बाध सूचना प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस नंबर हैं। विभिन्न सूचना प्राप्ति के लिए संक्षिप्त कोड 155220 है। मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए संक्षिप्त कोड 155221 रखा गया है और काल करने वाले को उसके लिए भुगतान करना होगा। सभी राज्यों/सार्वजनिक परिवहन प्रचालकों को अपने राज्यों में इन हैल्पलाइन नंबरों को कार्यान्वित करने और इनका व्यापक प्रसार करने की सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत बसों की खरीद हेतु शहरी बस विनिर्देशन अनिवार्य किए गए हैं। कार्यान्वयन और गुणवत्ता अनुरक्षण राज्य सरकार/शहर नगर निगम प्राधिकरण/पैरा स्टेटलों के अंतर्गत आता है।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

1413. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में प्रचलित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बी.के. चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर देश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीसीएस) का पुनर्गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 2012-13 के बजट अनुमान में यथासमाविष्ठ केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का लचीलापन, दायरा तथा इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इनकी पुनर्संरचना के मुद्दे की जांच करने के लिए योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु एक नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के यथा समाविष्ट केन्दीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	2012-13 (बजट अनुमान)
1	2	3
	कृषि एवं सहकारिता विभाग	
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1850.00
2.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1350.00
3.	लघु सिंचाई (राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन)	1500.00
4.	कृषि मैक्रो प्रबंधन (एमएमए) स्कीम	900.00
5.	एकीकृत तिलहन, खजूर तेल, दाल और मक्का विकास (आईएसओपीओएम)	575.00
6.	बागवानी पर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्राद्योगिकी मिशन (उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी)	500.00
7.	विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	600.00
8.	राष्ट्रीय बांस मिशन	90.00
9.	कृषि मिशन मोड परियोजना – राष्ट्रीय ई – शासन योजना (एनईजीपी)	72.00
10.	राष्ट्रीय बीज मिशन (नई स्कीम)	1.00
11.	राष्ट्रीय प्रबंधन मृदा एवं स्वास्थ्य परियोजना (राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना)	30.00
12.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)	15.00
13.	राष्ट्रीय बीज तथा पौधारोपण सामग्री मिशन (एनएमएसपीएम)	1.00
14.	राष्ट्रीय तिलहन तथा खजूर तेल मिशन (एनएमओओपी)	1.00

1	2	3
15.	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए)	1.00
16.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन (एनएमएई)	1.00
17.	राष्ट्रीय कृषि मशीनीकरण मिशन (एनएमएएम)	1.00
18.	किसानों की आय सुरक्षा के लिए एकीकृत स्कीम (आईएसएफआईएस)	1.00
	पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग	
19.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	403.01
20.	राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना	180.39
21.	आत्महत्या-प्रवण 31 जिलों के लिए विशेष पैकेज (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए विशेष पशुधन तथा मत्स्यन पालन क्षेत्रक पैकेज)	35.00
22.	समुद्री मत्स्य-पालन का विकास, अवसंरचना और फसलोत्तर संचालन	80.00
23.	डेयरी विकास परियोजना (डेयरी विकास परियोजनाएं)	100.00
24.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित चारा और फीड विकास स्कीम)	50.00
25.	मुर्गीपालन विकास (पोल्ट्री आदि का विकास)	52.50
26.	पशुधन बीमा	50.00
27.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम	50.00
28.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास	40.00
29.	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण	1.00
30.	राष्ट्रीय बहुजातीय प्रजनन कार्यक्रम	0.50
31.	पशुधन प्रबंधन	1.00
	संस्कृति मंत्रालय (सीएसएस में नया मंत्रालय)	
32.	कला तथा संस्कृतिक का संवर्द्धन तथा प्रसार	1.00
33.	पुरातत्व	21.70
	वाणिज्य विभाग	
34.	एएसआईडीई	800.00

1	2	3
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (सीएसएस में नया मंत्रालय)	
35.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	250.00
	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
36.	विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर के अलावा) के लिए पैकेज	90.00
37.	एनईआईआईपीपी-2007	100.00
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	
38.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)	706.80
39.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (वनीकरण और वन प्रबंधन)	486.40
40.	बाघ परियोजना	167.70
41.	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकियों का संरक्षण (प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण)	94.01
42.	वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास (वन्य जीव प्रबंधन)	96.08
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	
43.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित)	19770.83
44.	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (नर्सिंग सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, फार्मेसी स्कूलों/कॉलेजों/पैरा-मेडिकल संस्थानों का स्तरोन्नयन/सुदृढ़ीकरण)	505.00
45.	जिला अस्पताल (जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण/राज्य सरकार के चिकित्सा कॉलेजों का स्तरोन्नयन)	350.00
46.	कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (कैंसर नियंत्रण)	72.00
47.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	130.00
48.	मधुमेह, हृदय रोग और दौरे की रोकथाम और नियंत्रणप के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	300.00
49.	ट्रामा केयर में क्षमता निर्माण के लिए राज्य को सहायता	112.00
50.	बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल	150.00
51.	8 प्रायोगिक परियोजनाएं (प्रायोगिक परियोजनाएं)	86.69
52.	टेलीमेडिसिन सहित ई-स्वास्थ्य	20.00

1	2	3
53.	एनआरएचएम	200.00
54.	सरकारी मेडिकल कॉलेजों और केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	2.00
55.	नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना	2.00
56.	राज्यों में पेरामेडिकल विज्ञानों के राज्य संस्थानों की स्थापना और पेरामेडिकल शिक्षा कॉलेज की स्थापना	2.00
57.	सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना	2.00
58.	राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	2.00
59.	राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	2.00
60.	नवप्रवर्तन आधारित स्कीमें	50.00
	आयुष विभाग	
61.	आयुष का संवर्धन	345.00
62.	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन	65.00
63.	विशेषता क्लीनिक/आईपीडीज की स्थापना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी	0.57
64.	आयुष ग्राम	
65.	राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य ग्राम	
	एड्स नियंत्रण विभाग	
66.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-यौनसंचारी रोग नियंत्रण सहित	170.00
	गृह मंत्रालय	
67.	अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली	400.00
68.	महत्वपूर्ण इंफ्रा. वामपंथी उग्रवादपीड़ित क्षेत्रों में/वामपंथी उग्रवादपीड़ित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना स्कीम (2011-12)	155.00
69.	अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	61.00
70.	पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण	65.00

1	2	3
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
71.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	838.00
72.	एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता (आईएलसीएस)	25.00
73.	फेरीवालों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्कीम	50.00
74.	शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	50.00
	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	
75.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	25555.00
76.	प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	11937.00
77.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	3124.00
78.	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए योजना	1080.00
79.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	500.00
80.	विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	350.00
81.	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	590.00
82.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए और महिला छात्रावास के निर्माण और संचालन की योजना	450.00
83.	मदरसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)	175.00
84.	माध्यमिक विद्यालय में अशक्त के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)	70.00
85.	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	70.00
86.	महिला समाख्या	60.00
87.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)	50.00
88.	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना	100.00
89.	शिक्षा का व्यावसायीकरण	100.00
90.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	5.80

1	2	3
	उच्चतर शिक्षा विभाग	
91.	नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना और मौजूदा पॉलिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण (पॉलिटेक्निकों में सब-मिशन)	1090.00
92.	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	850.00
93.	विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन	1.00
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	
94.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	1100.00
95.	कौशल विकास पहल	700.00
96.	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और संवर्द्धन हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी)	100.00
97.	वामपंथी उग्रवादपीड़ित 34 जिलों के लिए कौशल विकास [(वामपंथी उग्रवाद के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के रूप में पुनर्नामित)]	50.00
98.	बहु-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (बहु-कौशल विकास केन्द्र की गुलबर्ग और बेंगलुरु में स्थापना)	5.00
99.	पीपीपी माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई का स्तरोन्नयन	5.00
100.	कौशल विकास योजना	50.00
101.	बंधुआ श्रमिक पुनर्वास	5.00
102.	उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों एवं क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	8.00
103.	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में वृद्धि करना	33.00
104.	रोजगार कार्यालयों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना	20.00
105.	जम्मू और कश्मीर के 8000 युवाओं को प्रशिक्षण	1.00
	विधि और न्याय मंत्रालय	
106.	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	660.00
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
107.	चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1000.00

1	2	3
108.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	900.00
109.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	500.00
110.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति	220.00
111.	पिछड़े कस्बों/शहरों के रूप में पहचान किए गए 251 कस्बों/शहरों में से 100 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों/शहरों में शिक्षा के संवर्धन हेतु योजना	50.00
112.	एससीबी/एमसीडी के अंतर्गत न आने वाले गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम	50.00
113.	एमसीडी में जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता	25.00
114.	कक्षा 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साईकिल	5.00
	पंचायती राज मंत्रालय	
115.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	115.00
116.	ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	40.00
117.	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आजीपीएसए)	50.00
	ग्रामीण विकास विभाग	
118.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांटी स्कीम	33000.00
119.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	24000.00
120.	ग्रामीण आवास — इंदिरा आवास योजना	11075.00
121.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका/आजीविका	3915.00
122.	डीआरडीए प्रशासन	500.00
123.	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान (पीयूआरए)(पीपीपी मोड)	150.00
	भूमि संसाधन विभाग	
124.	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	3050.00
125.	एनपीसीएलआरएम राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप में पुनर्नामित	150.50
	पेयजल आपूर्ति विभाग	
126.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	10500.00

1	2	3
127.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	3500.00
	कुल	14000.00
	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	
128.	सीआरएफ 'डी' से राज्यों के लिए ई एंड आई/सीआरएफ 'बी' से राज्यों के लिए ई एंड आई	263.36
129.	सीआरएफ से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ई एंड आई	
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
130.	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा बुक बैंक	1500.00
131.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	625.00
132.	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों के लिए छात्रावास (अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों व लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान)	190.00
133.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (अनुसूचित जाति के गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजी)	1.00
134.	अस्वच्छकारी व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	10.00
135.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन)	100.00
136.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	50.00
137.	अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00
138.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन (अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	5.00
139.	आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (बीसीज) के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	10.00
140.	अशक्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (समाज कल्याण)	33.00
141.	गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु सहायता की स्कीम (समाज कल्याण)	80.00
142.	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा बुक बैंक	824.00
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
143.	भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी	200.00

1	2	3
144.	स्थानीय स्तर के विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकी (बीएसएलएलडी)	10.00
	कुल	210.00
	वस्त्र मंत्रालय	
145.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (रेशम कीटपालन)	202.10
146.	हथकरघा निर्यात स्कीम (हथकरघा)	2698.00
	पर्यटन मंत्रालय	
147.	गंतव्यों और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास	575.00
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
148.	पीएमएस, बुक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना	750.00
149.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	78.00
150.	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	75.00
151.	अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सव और अन्य	15.00
152.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम	86.00
	शहरी विकास मंत्रालय	
153.	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)	20.00
154.	अभिनव अनुसंधान को बढ़ावा देने की स्कीम तथा आईपीटी, एनएमटी सहित स्वदेशी प्रौद्योगियों और प्रायोगिक परियोजनाओं का विकास	5.00
155.	सेवा-स्तरीय बेंचमार्किंग को मुख्यधारा में लाने को समर्थन देने की स्कीम	10.00
156.	मुंबई मेट्रो (इक्विटी तथा एस. ऋण)	30.00
157.	जयपुर मेट्रो (इक्विटी तथा एस. ऋण)	25.00
158.	कोच्चि मेट्रो (इक्विटी तथा एस. ऋण)	30.00
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
159.	आईसीडीएस	15850.00

1	2	3
160.	किशोरों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (किशोर सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना – सबला)	750.00
161.	सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम [इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना – (सीबीएम)]	520.00
162.	विश्व बैंक सहाय्यित आईसीडीएस परियोजनाएं	102.80
163.	आईसीपीएस	400.00
164.	बलात्कार पीड़िताओं को राहत और उनका पुनर्वास (2011-12 से सीएसएस)	20.00
165.	एनएनएम	250.00
166.	महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन	25.00
167.	घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	20.00
168.	एकल आपदा निवारण केंद्र	5.00
	युवा मामलों का विभाग	
169.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस)	80.00
	खेल विभाग	
170.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	235.00
	कुल सीएसएस	205346.65

[अनुवाद]

सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों का प्रतिनिधित्व

1414. **श्री हेमानंद बिसवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों का कितना प्रतिनिधित्व रहा है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं में इन छात्रों के दाखिले के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संकलित उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार उच्चतर शिक्षा में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों के नामांकन का प्रतिशत प्रतिनिधित्व का एकत्रित डाटा इस प्रकार है:—

वर्ष	नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी			
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	नामांकन (%)	नामांकन	नामांकन (%)	नामांकन
2007-08	13.37%	2302036	5.50%	948174
2008-09	12.16%	2248836	5.06%	937886
2009-10 (अनंतिम)	11.76%	2439585	5.21%	1080898

(ख) और (ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक अध्ययन शाखा की वार्षिक अनुमत्य संख्या में से क्रमश: 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण की मॉनिटरिंग की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की अनुपालना की मॉनिटरिंग कर रहा है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता

1415. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा का वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर अनुसूचित और पिछड़े क्षेत्रों में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 11वीं योजनावधि में कितनी राशि प्राप्त और खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को कार्यक्रम संबंधी सहयोग देने के लिए विकास भागीदार नामत: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और यूरोपीय संघ (ईयू) सहमत हो गए हैं। 2012-16 की कार्यान्वयन अवधि के दौरान विश्व बैंक 500 मिलियन यूएस डॉलर तक का, यूरोपीय संघ 25 मिलियन यूरो और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग 80 मिलियन पाउंड तक का सहयोग देगा। आरएमएसए कार्यक्रम में विकास-भागीदारों की भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता लाई जानी भी प्रस्तावित है। विश्व बैंक हाल ही में भारत सरकार को आरएमएसए के लिए निधियों के पहले भाग के रूप में 595.52 करोड़ रुपए की राशि जारी करने हेतु सहमत हुआ है।

जाली भारतीय मुद्रा में पाकिस्तान का हाथ

1416. श्री पी. करूणाकरन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल के रास्ते जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी में पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राजनयिक तथा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) भारत-नेपाल सीमा दोनों देशों के नागरिकों के मुक्त आवागमन के लिए एक खुली सीमा है। शिकायतें मिली हैं कि नकली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी के लिए पाकिस्तानी नागरिकों के साथ-साथ आसामाजिक तत्वों द्वारा भारत-नेपाल खुली सीमा का दुरुपयोग किया गया है।

(ख) भारत-नेपाल के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। दोनों देशों की नियमित उच्च स्तरीय दरों एवं जन-से-जन संपर्कों की परम्परा रही है। भारत-नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन एवं समुदाय विकास के क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास में इसकी सहायता करता है। पारस्परिक संबंधों से संबंधित सुरक्षा मामलों पर विद्यमान द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से नेपाल-सरकार के साथ बातचीत की जाती है जिनमें वार्षिक गृह-सचिव बातचीत, सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह, सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय परामर्श समूह और स्थानीय स्तर पर सीमा जिला समन्वयन समिति की बैठकें शामिल हैं। नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह भारत के विरुद्ध किसी भी गतिविधि के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग नहीं होने देगा।

11वीं योजना में कार्यान्वित कार्यक्रम और नीतियां

1417. श्री वी.वाई. राघवेन्द्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम और नीतियों को कार्यान्वित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनावधि के दौरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और 12वीं योजना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारत सरकार बड़ी संख्या में केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय लोक स्कीमों को कार्यान्वित करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में कार्यान्वित किए गए मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित/फ्लैगशिप कार्यक्रमों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लाभ और उपलब्धियां निम्नानुसार है:-

स्थिर कीमतों (2004-05) पर

क्र. सं.	क्षेत्रक	लक्ष्य (%)	उपलब्धि (%)
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य-उद्योग	4	3.33
2.	उद्योग	10-11	6.6
3.	सेवाएं	9-11	9.8
4.	कुल जीडीपी	9	7.9

स्रोत: ग्यारहवीं और बारहवीं योजना दस्तावेज।

(घ) लक्ष्यों को हासिल करने में कमी, आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार के कारकों की वजह से है अर्थात् वैश्विक मंदी, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, सशक्त मुद्रास्फीतिकारी दबाव और सूखे जैसी स्थिति की वजह से कृषि से ऋणात्मक वृद्धि। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में प्रस्तावित उपायों में निवेश दर को बढ़ाना विशेषकर अवसंरचना क्षेत्रक में, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, अभिशासन के स्तंभों की संस्थागत क्षमताओं में बढ़ोत्तरी द्वारा कार्यान्वयन तंत्र को सुधारना, शामिल है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित/ फ्लैगशिप कार्यक्रम

क्र.सं.	फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम
1.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
2.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
3.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
4.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (एनआरडीडब्ल्यूपी)
7.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
8.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
9.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
10.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
11	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)
12.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
14.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)
15.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)
16.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

प्रश्न-पत्रों के एक ही तरह के सेट

1418. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न बोर्डों द्वारा संचालित गणित और विज्ञान विषय में शैक्षिक सत्र 2014-15 से बारहवीं के विद्यार्थियों हेतु एक ही तरह के प्रश्न-पत्रों के सेट तैयार करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी विषयों तथा सभी बोर्डों में एक ही तरह के प्रश्न-पत्रों के सेट को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा-सुधारों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए समिति गठित की थी। समिति ने 28 जून, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई) को अपने सभी सदस्य बोर्डों के लाभ के लिए गणित और विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान) के प्रश्न-पत्रों का साझा नमूना विकसित करने के लिए एक उप-समिति गठित करने के लिए कहा है। उप-समिति ने गणित और विज्ञान के प्रश्न-पत्र के साथ नमूने को अंतिम रूप दे दिया है और उसे वर्ष 2013-14 से कक्षा-XI में लागू करने का प्रस्ताव है। कक्षा-XII में एक समान डिजाइन के प्रश्न-पत्र आरंभ करने का निर्णय कक्षा-XI में किए गए परीक्षण के फीडबैक पर निर्भर करेगा और यह सभी राज्य शिक्षा बोर्डों की स्वीकृति के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

अप्रचलित/पुराने विमान

1419. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विमानों की संख्या कितनी है जो अपने सामान्य उपयोगी जीवन से ज्यादा समय तक उड़ते रहे हैं, निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में उड़ाए जा रहे हैं और उन मार्गों का एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है जहां ऐसे विमान उड़ रहे हैं तथा ऐसे विमानों को उड़ाने का आधार क्या है;

(ख) इन पुराने विमानों को सुरक्षित रूप से उड़ाने के लिए उठाए गए अतिरिक्त सुरक्षापायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन विमानों को हटाने/इस संबंध में कोई नीति बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) किसी विमान की उपयोगिता की सामान्य अवधि न तो विमान निर्माता द्वारा और न ही किसी देश के विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। विमानों को तब तक उड़ाने की अनुमति दी जाती है जब तक उनके संबंध में डीजीसीए द्वारा जारी उड़नयोग्यता प्रमाण-पत्र वैध होता है।

(ख) विमानों का अनुरक्षण निर्माता द्वारा जारी अनुरक्षण योजना दस्तावेज (एमपीडी) और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित स्थानीय अपेक्षाओं सहित एमपीडी के आधार पर तैयार किए गए अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विमान ढांचे की निरंतर उड़नयोग्यता को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरणीय परिस्थितियों व विमान के पुराने हो जाने के कारण समय-समय पर विमान ढांचे तथा संक्षारण, यदि कोई हो के निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा संरक्षण निवारण नियंत्रण कार्यक्रम (सीपीसीपी) तथा अनुपूरक ढांचागत निरीक्षण अभिलेख (एसएसआईडी) भी जारी किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, नागर विमानन अपेक्षाएं, सेक्शन-2, सीरीज-एफ, पार्ट-III के अनुसार 20 वर्ष से अधिक पुराने विमानों की उड़नयोग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। मौजूदा नागर विमानन अपेक्षाएं इन मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

किराया निर्धारण समिति

1420. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो के किरायों में वृद्धि का अध्ययन करने के लिए किराया निर्धारण समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार दिल्ली मेट्रो के किरायों में बार-बार वृद्धि से यात्रियों को होने वाली समस्याओं से अवगत हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) दिल्ली मेट्रो के किरायों में बार-बार वृद्धि नहीं की गई है। वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो का प्रचालन शुरू होने से केवल तीन बार ही दिल्ली मेट्रो के किरायों को संशोधित किया गया है, और किराए में अंतिम संशोधन वर्ष 2009 में किया गया था।

[हिन्दी]

आवास योजनाओं के लिए मानदंड

1421. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आय संबंधी मानदंड को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने हाल ही में उसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही राजीव आवास योजना योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए आय के मानदंड में संशोधन किया है जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह के लाभभोगियों को लाभान्वित करना है।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की आय की उच्चतम सीमा को 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा कर 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष तथा निम्न आय समूह के परिवारों के लिए 5,001-10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा कर 1,00,001 से 2,00,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह के परिवारों की उच्चतम आय सीमा पहले वर्ष 2008 की कीमतों पर आधारित थी। आय और व्यय के स्तरों में प्रतिलक्षित वृद्धि तथा आवास की लागत में हुई वृद्धि को सीधे बदलने के लिए 6 प्रमाणित प्राचलों नामतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीएफपीआई, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, पीसीआई: प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आरईएसआईडीईएक्स: एनएचबी का संपत्ति के मूल्य पर नजर रखने का सूचकांक (जिसे बदल कर निर्माण लागत सूचकांक, सीसीआई कर दिया गया है), एमडब्ल्यूएजी: गैर-कृषि कामगारों की न्यूनतम मजदूरियां तथा एमपीसीई: मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर एक नया मूल्यांकन किया गया है। इन प्राचलों के आधार पर तथा शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के परिवारों की आय सीमा/उच्चतम आय सीमा को बढ़ा दिया गया है।

एमडीएमएस के अंतर्गत अस्वास्थ्यकर खाना

1422. डॉ. बलीराम :
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत बासी अस्वास्थ्यकर और खराब गुणवत्ता वाला खाना परोसे जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्याह्न भोजन खाने के बाद राज्य-वार और वर्ष-वार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे बीमार पड़े और कितनों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला और पौष्टिक खाना परोसा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता की 34 शिकायतें इस मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थी जिन्होंने 34 मामलों में से 25 में आवश्यक कार्रवाई कर ली है। 11 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए थे जबकि बाकी 14 मामलों

में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई है। की गई कार्रवाई में संबंधित एनजीओ और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देना, प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक तथा निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करना, चूककत्ता कर्मचारियों को निलंबित करना, लापरवाही के लिए ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत करना, आपूर्तिकर्त्ता के अनुबंध निरस्त करना, जहां आवश्यक हो वहां रसोइयों, को बदलना और न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को क्षतिपूर्ति देना, शामिल है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) मध्याह भोजन के दिशा-निर्देशों में भारतीय खाद्य निगम से उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्न उठाना, खाद्य सामग्री को सूखे तथा सुरक्षित स्थानों में स्टोर करना और समुचित रूप से प्रशिक्षित रसोइये-सह-सहायकों के माध्यम से स्वच्छ वातावरण में भोजन पकाने का प्रावधान है। पका हुआ भोजन बच्चों को परोसे जाने से पहले एक अध्यापक सहित 2-3 प्रौढ़ों द्वारा चखा जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण

2012-13 के दौरान प्राप्त मध्याह्न भोजन के संबंध में शिकायतों पर की गई कार्रवाई के उद्धरण

श्रेणी	2010	2011	2012	2013	कुल	राज्य	बीमार पड़े बच्चों की संख्या (वर्ष)
अनुशासनात्मक कार्रवाई निलंबन स्थानांतरण	1	1	1	—	3	कर्नाटक	153(2010)
						बिहार	100(2012)
पुलिस में दर्ज एफआईआर	1	1	1	—	3	दिल्ली	22(2011)
						मध्य प्रदेश	60(2012)
						बिहार	300(2010)
सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई	3	3	2	—	8	हरियाणा	62(2011)
							3(2011)
						पश्चिम बंगाल	50(2012)
						दिल्ली	12(2012)
कुल	5	5	4	—	14		762

[अनुवाद]

एससीपीसीआर/आरईपीए की स्थापना

1423. श्री जयंत चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आरईपीए) गठित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के

नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे आयोग/प्राधिकरण का गठन नहीं किया है; और

(ग) इन निकायों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुवीक्षा करने के लिए कुल 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) अथवा शिक्षा का अधिकार संख्या प्राधिकरण (आरईपीए) गठित किए हैं। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एससीपीसीआर का गठन अधिसूचित किया है। नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के निकायों का गठन करने की सलाह दी गई है।

केंद्रीय उपकरण सूचना रजिस्ट्री

1424. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीयकृत रजिस्ट्री अर्थात् केंद्रीय उपकरण सूचना रजिस्ट्री (सीडीआईआर) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बाल भवन

1425. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में चल रहे बाल भवनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन बाल भवनों के कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा कितना वार्षिक आवंटन किया जा रहा है;

(ग) बाल भवनों को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना अनुदान और सहायता प्राप्त हुई;

(घ) क्या बाल भवन, अहमदाबाद, गुजरात से किसी योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय बाल भवन के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान में स्थिति क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में बाल भवन का कार्यकरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बाल भवनों की संख्या
1	2	3
1.	पश्चिम बंगाल	2
2.	ओडिशा	4
3.	मणिपुर	1
4.	झारखंड	2
5.	नागालैंड	1
6.	मिजोरम	1
7.	बिहार	3
8.	संघ शासित क्षेत्र	6
9.	महाराष्ट्र	8
10.	गुजरात	16

1	2	3
11.	गोवा	1
12.	राजस्थान	2
13.	हरियाणा	12
14.	पंजाब	2
15.	जम्मू और कश्मीर	4
16.	उत्तराखंड	3
17.	दिल्ली	1
18.	हिमाचल प्रदेश	2
19.	आंध्र प्रदेश	19
20.	कर्नाटक	10
21.	केरल	9
22.	तमिलनाडु	21
23.	उत्तर प्रदेश	12
24.	मध्य प्रदेश	11
25.	छत्तीसगढ़	3
	कुल	156

विवरण-II

बाल भवन को वार्षिक आवंटन

(राशि रुपए)

क्र. सं.	वर्ष	राज्य	राज्य बाल भवनों/बाल केन्द्रों का नाम	जारी वित्तीय सहायता की राशि
1	2	3	4	5
1.	2009-10	मणिपुर	मणिपुर बाल भवन	3,00,000.00
2.		जम्मू और कश्मीर	शांति निकेतन बाल भवन	3,00,000.00
3.		राजस्थान	बाल भवन जयपुर	3,00,000.00
4.		उत्तर प्रदेश	परमसुख आदिवासी बाल केन्द्र	1,50,000.00
5.			उन्नयन बाल केन्द्र	1,50,000.00
6.			जनजातीय बाल केन्द्र गाजीपुर	1,50,000.00
7.			गिरीवासी वनवास सेवा प्रकल्प सोनभद्र	1,50,000.00
8.		दादरा और नगर हवेली, संघ शासित क्षेत्र	सिलवासा बाल भवन	3,00,000.00
			कुल	18,00,000.00

1	2	3	4	5
1.	2010-11	राजस्थान	बाल भवन शिक्षा समिति	3,00,000.00
2.			वीना मेमोरियल बाल भवन	635,550.00
3.		उत्तर प्रदेश	परमसुख आदिवासी बाल भवन	1,50,000.00
4.			उन्नयन बाल केन्द्र	1,50,000.00
5.			जनजातीय बाल केन्द्र गाजीपुर	1,50,000.00
6.			गिरीवासी वनवास सेवा प्रकल्प	1,50,000.00
7.			भारती कला केन्द्र	4,40,873.00
8.		जम्मू और कश्मीर	बजल्ता बाल केन्द्र जम्मू	1,50,000.00
9.			रंगपुर बाल केन्द्र जम्मू	1,50,000.00
10.		दादरा और नगर हवेली, संघ शासित क्षेत्र	सिलवासा बाल भवन	3,00,000.00
11.		हिमाचल प्रदेश	हमारा स्वयं का बाल भवन कांगड़ा	6,16,705.00
12.		गुजरात	स्वामी नारायण बाल भवन, धर्मपुर	6,39,715.00
13.		महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन	4,71,000.00
14.		बिहार	यूनिक बाल भवन समस्तीपुर	3,31,000.00
15.		मध्य प्रदेश	स्पीड बाल भवन, झांसी	3,18,400.00
16.			अभिनव बाल भवन, भोपाल	8,13,560.00
17.		झारखंड	झारखंड राज्य बाल भवन, रांची	8,16,266.00
18.			आशा लता बाल भवन बोकरो	5,59,620.00
			कुल	71,42,689.00

2011-12	शून्य
2012-13	प्राप्त परियोजना के आधार पर 15 बाल भवन और 4 बाल केन्द्र चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनावर्ती अनुदान जारी किए जाने के पात्र पाए गए हैं और अनुदान जारी करना प्रक्रिया में है।

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा

1426. **श्री नलिन कुमार कटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के राज्यों के सभी विद्यालयों में उनकी अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य की भाषा को शिक्षण का अनिवार्य माध्यम बनाने हेतु राष्ट्रीय नीति लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। आरटीई अधिनियम की धारा 29(2)(च) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां तक व्यवहार्य होगा शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होगी।

चिकित्सकीय आधार पर आवास का आबंटन

1427. **श्री महेश जोशी : क्या शहरी विकास मंत्री** चिकित्सकीय आधार पर आवास का आवंटन के बारे में 14.08.2012 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र हेतु नए फार्मेट को अंतिम रूप दिया है और सभी 61 आवेदकों से नए फार्मेट में अपने-अपने चिकित्सा/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का आवेदक-वार ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार को चिकित्सा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र नए फार्मेट में प्राप्त हुए हैं तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद निपटाया गया है:

(ग) ऐसे आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले चिकित्सा/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र के नए फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अस्वीकृत किए गए हैं और इसके आवेदक-वार कारण क्या हैं;

(घ) क्या ऐसे कुछ आवेदक हैं जिनके नाम के चिकित्सा/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र नए फॉर्मेट में लिए बिना स्वीकृत किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो आवेदक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) ऐसे मामले में जिनमें चिकित्सकीय/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र नए फार्मेट में प्राप्त हुए हैं का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। विवरण-I में वर्णित आवेदकों के मामले सक्षम प्राधिकारी के निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें श्री पी.एन. पाण्डे का मामला पहले ही निपटाया जा चुका है।

(घ) और (ङ) जी, हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मेडिकल हॉस्पिटल खंड-II) के दिनांक 18.06.2010 के दिशा-निर्देश संख्या एस-13020/1/2010-एमएस/एमएच-II के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच मामलों को अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार एक डॉक्टर द्वारा जारी शारीरिक नि:शक्तता प्रमाण-पत्र स्वीकार्य है। उक्त शर्त नए फार्मेट में भी स्वीकार्य है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

ऐसे मामले जिनमें चिकित्सकीय/नि:शक्तता प्रमाण-पत्र नए फार्मेट में प्राप्त हुए हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/डॉ./कु.)
1	2
1.	त्रिकेश प्रसाद
2.	नितिन कुमार
3.	राम चन्देरा मीणा

1	2
4.	कृष्णा कुमार
5.	महेश सिंह
6.	अवनी कुमार
7.	अमरेश कुमार रंजन
8.	गिरीश चन्दर
9.	नेमजाहत तौथन
10.	धर्मेन्द्र सिंह राठौर
11.	देवेन्द्र कुमार
12.	शेर सिंह
13.	जितेन्द्र सिंह
14.	मो. शिबली हुसैन
15.	कुंज बिहारी प्रसाद
16.	राजिन्दर सिंह
17.	लीलू
18.	रण विजय सिंह
19.	प्रीतम चंद
20.	प्रमोद कुमार
21.	विनोद सुधाकर जोशी
22.	मदन पाल सिंह
23.	सीता राम बदोनी
24.	गौरव शर्मा
25.	शैलेन्द्र बहुगुणा
26.	संजीव अग्रवाल

विवरण-II

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 5 मामले

क्र.सं.	आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/डॉ./कु.)
1.	विनोद कुमार
2.	कृष्ण कुमार
3.	मनीष राजपूत
4.	राम प्रताप सिन्हा
5.	तेज पाल शर्मा

एनएसओपी के अंतर्गत विमान की खरीद

1428. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों की नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर्स (एनएसओपी) श्रेणी के अंतर्गत कम आयात शुल्क पर विमान की खरीद और उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लाए जाने के कतिपय मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सभी दोषी एयरलाइनों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो एयरलाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी अवैध पद्धतियों को रोकने हेतु एनएसओपी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वर्ष 2010 में राजस्व विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष इस छूट के दुरुपयोग के अनेक मामले आए हैं, जिनके परिणामस्वरूप कई विवाद एवं मुकदमेबाजी हुई है। अधिकांश मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि

छूट के अधीन आयातित विमानों को निर्धाथ्रत प्रयोजन के एिल इस्तेमाल नहीं किया गया या इनका इस्तेमाल निजी रूप से किया गया है, जबकि ये या तो यात्री सेवाओं या चार्टर सेवाओं के रूप में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए होते हैं। तथापि, मंत्रालय से ऐसे रिकॉर्डों का रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ङ) मंत्रालय द्वारा अवैध परिपाटियों की रोकथाम के लिए वर्ष 2010 में गैर-अनुसूचित प्रचालनों से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया गया है।

आवासीय विद्यालय

1429. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनाथों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बच्चों हेतु विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से एजेंसी क्षेत्रों में 12वीं योजना अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) नवोदय विद्यालय की स्थापना प्रतिभाशाली बच्चों को विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों से, अच्छी गुणवत्तापारक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इनमें से कम-से-कम 75% सीटें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के चयन से भरी जाती हैं। उनकी जनसंख्या के अनुपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है जो इन वर्गों के राष्ट्रीय औसत के न्यूनतम की शर्त पर होता है। तथापि, अनाथों, अनुसूचित जातियों और ओबीसी बच्चों के लिए अनन्य रूप से आवासीय स्कूल नहीं खोले जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना

1430. श्री अद्गुरू एच. विश्वनाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक की विभिन्न संस्थाओं से उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) संलग्न विवरण-I में दिए गए विवरणों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं से कुल 184 याचिकाएं मिली हैं। संलग्न विवरण-II में दिए गए विवरणों के अनुसार, आयोग ने कर्नाटक राज्य में 146 शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जे के प्रमाण-पत्र जारी किए हैं।

विवरण-I

अल्पसंख्यक दर्जा देने हेतु प्राप्त याचिकाएं

क्र.सं.	याचिका संख्या	शैक्षिक संस्था का नाम
1	2	3
1.	2010 की 13	अल अमीन मेडिकल कॉलेज, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक-586108
2.	2010 की 64	सेंट चार्ल्स हाईस्कूल, कम्मनहल्ली, सेंट थॉमस टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-580084
3.	2010 की 87	नोट्रे डेम, जूनियर कॉलेज ऑफ एजूकेशन, 70, पैलेस रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560001

1	2	3
4.	2010 की 258	सचिव नजारथ उच्चतर प्राथमिक स्कूल, पोस्ट ओल्ड चंदपुरा, होसून मेन रोड, अनेकल तालुक, बेंगलुरु, कर्नाटक-560081
5.	2010 की 422	अल अमीन मेडिकल कॉलेज, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक
6.	2010 की 450	सेंट जोसेफ स्कूल, होमपालाघेट्टा क्रॉस, होसूर मेन रोड, अनकेल, कर्नाटक-562106
7.	2010 की 466	दि कैथोलिक बोर्ड ऑफ एजूकेशन, शांति किरन, बज्जोडी, मंगलौर, कर्नाटक-5
8.	2010 की 675	श्री जफर अली मौल्लीम, उपाध्याय (ii), अंजुमन हमी-ए-मुस्लिमीन, भटकल, कर्नाटक
9.	2010 की 743	कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सीए साइट नं. 15 सेक्टर 'ए' 80 फीट रोड, न्यू टाउन, येलहन्का, बेंगलुरु, कर्नाटक-560106
10.	2010 की	सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल सी/ओ सेंट क्लेयर एजूकेशनल सोसाइटी, पोस्ट रमनहल्ली उलसुमर पालया, वाया कैगरी, साउथ बेंगलुरु, कर्नाटक-560060
11.	2010 की 864	क्रॉसलैंड पीयू कॉलेज, पोस्ट बॉक्स-7, ब्रह्मावार, कर्नाटक-576213
12.	2010 की 1061	क्रॉसलैंड पीयू कॉलेज, पोस्ट बॉक्स-7, ब्रह्मावार, कर्नाटक-576213 **(2010 की संख्या 864 के साथ संलग्न)**
13.	2010 की 1364	इंसफ्री हाउस स्कूल, 9वां क्रॉस, 23 मेन जेपी नगर, फेस-2 बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
14.	2010 की 1587	सेंट फ्रांसिस डी सेल्स पब्लिक स्कूल, हेब्बागोडी, पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560100
15.	2010 की 1594	सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल, हुंसीमरडापल्लया, रामोहल्ली, पी.ओ. कम्बलगोडी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560074
16.	2010 की 1775	विबग्योर हाईस्कूल, 58/1, थुबाराहल्ली, व्हाइटफील्ड रोड (माराथाहल्ली), बेंगलुरु, कर्नाटक-580066
17.	2010 की 2258	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाईस्कूल, 21, चर्च रोड, न्यू थिप्पासंद्रा, इंदिरा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560075
18.	2010 की 2482	लिटिल रॉक इंडियन स्कूल, ब्रह्मावार, जिला उदुपी, कर्नाटक-576
19.	2010 की 2688	सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल, हुंसीमरडापल्लया, रामोहल्ली, पो.ओ. कम्बलगोडी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560074 **(2010 की 1594 के साथ संलग्न)**
20.	2011 की 13	स्वर्गरानी स्कूल, बीईएमएल लेआउट, राजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560098 **(2006 की 551 के साथ संलग्न)**

1	2	3
21.	2011 की 72	क्रिस्तु जयंती कॉलेज, के नारायणपुरा, कोथानूर (डाकघर) बेंगलुरु, कर्नाटक-560070 **(2006 की 155 के साथ नत्थी)**
22.	2011 की 139	सेंट जोसफ स्कूल, होमपलाघेटा क्रास। होसुर मेन रोड़ अनेकल, बेंगलुरु, कर्नाटक-562106 **(2010 की 450 के साथ नत्थी)**
23.	2011 की 203	बेंगलुरु पब्लिक स्कूल 13 क्रास इंदिरा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560038
24.	2011 की 308	सेंट विंसेंट पलौटी स्कूल बाबू साहिब पलाया, बेंगलुरु-560043
25.	2011 की 418	सना धर्मार्थ शैक्षिक न्यास शांतिनिकेतन, भेरीदेवाकोपा, पी.बी. रोड, हुबली, कर्नाटक
26.	2011 का 616	अंजुमन आर्टस साइंस और कामर्स कॉलेज, बीजपुर, कर्नाटक
27.	2011 की 648	टीपू सुल्तान शैक्षिक और सामाजिक कल्याण न्यास, #608/बी, IV क्रॉस, उदयगिरि, मैसूर कर्नाटक-570019
28.	2011 की 668	एसईसीएबी इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, ताज बावड़ी बीजापुर के पीछे, कर्नाटक
29.	2011 की 712	बेंगलुरु बेपटिस्ट हॉस्पिटल सोसायटी, बेल्लारी रोड, हब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक-560024
30.	2011 का 785	पिपल्स एजुकेशन सोसायटी एंड ट्रस्ट शेख केम्पस, नेहरू नगर बेलगांव, कर्नाटक-590010
31.	2011 का 1079	बेंगलुरु बेपटिस्ट हॉस्पिटल, बेल्लारी रोड, हब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक-560024 (2011 के 712 के साथ नत्थी)
32.	2011 का 1148	सेंट माइकल इंगलिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल, शांतिनगर बेनगिरि विस्तार, हुबली, जिला धारवाड़ कर्नाटक
33.	2011 को 1150	स्वर्गरानी पी.यू. कॉलेज, बीईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560098
34.	2011 का 1187	आफताब शिक्षा न्यास आफताब विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज, येरामरूस कैम्प, रायचूर कर्नाटक
35.	2011 का 1214	बाल शिक्षा सोसायटी, ऑक्सफोर्ड शैक्षिक संस्थान फेज-1, जे.पी. नगर बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
36.	2011 का 1295	खालसा पब्लिक स्कूल नं. 76 होसुर मेनरोड़, माडीवाला बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
37.	2011 का 1306	येनेपोया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, डेरालक्टे मंगलौर, कर्नाटक-575018
38.	2011 का 1535	बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डिग्री कॉलेज), शेख कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक-590010

1	2	3
39.	2011 का 1536	शेख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज, 15/2, रानी चन्नमा विश्वविद्यालय के साथ भूतरमनहट्टी, बेलगाम, कर्नाटक-591156
40.	2011 का 1537	शेख केन्द्रीय विद्यालय, शेख कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक-590010
41.	2011 का 1538	शेख शिक्षा कॉलेज, शेख कम्प्स, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक-590010
42.	2011 का 1539	ए.एम. शेख होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, पी.जी. और रिसर्च सैंटर, शेख कम्प्स, नेहरू नगर, बेलगाम कर्नाटक-590010
43.	2011 का 1540	बेगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एमबीए) 15/2, रानी चन्नमा विश्वविद्यालय के साथ, भूतरमनहट्टी, बेलगाम-591156
44.	2011 का 1541	शेख प्री-यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, आर्टस एण्ड कॉमर्स, शेख कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक-590010
45.	2011 का 1950	मॉडल हाई स्कूल, मसाकी रोड, कवितल ताल्लुक, मानवी, जिला रायचूर, कर्नाटक-584120
46.	2011 का 1951	मॉडल आवासीय प्राइमरी स्कूल, मसाकी रोड, कवितल ताल्लुक मानवी, जिला रायचूर, कर्नाटक-584120
47.	2011 का 2016	कारसलैण्ड प्री-यूनीवर्सिटी कॉलेज, पो.बो. सं. 7, ब्रह्मवर, जिला उडूपी, कर्नाटक-57213 (2010 के 1061 के साथ नत्थी)
48.	2011 का 111	मंगलौर मैरीन कॉलेज, पाडिल पडछावु, कैलेन्जर ग्राम, कुप्पेपडावु (डाक), मंगलौर तालुक, कर्नाटक-574162
49.	2012 का 236	सेंट फ्रांसिस स्कूल, बेगुर रोड, होंगासंडरा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
50.	2012 का 263	ऑक्सफोर्ड कन्नड़ उच्चतर प्राथमिक स्कूल, फेज-1, जे.पी. नगर बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
51.	2012 का 264	ऑक्सफोर्ड कन्नड़ उच्चतर प्राथमिक स्कूल, फेज-1, जे.पी. नगर बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
52.	2012 का 265	ऑक्सफोर्ड पॉलीटेक्निक, फेज-1, जे.पी. नगर बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
53.	2012 का 266	ऑक्सफोर्ड दंत कॉलेज, हॉस्पीटल और रिसर्च सैंटर, बॉमनहल्ली, हासुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
54.	2012 का 267	ऑक्सफोर्ड प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, सी.ए. साइट संख्या 40, 30वीं मेन, फेज-1, जे.पी. नगर बेंगलुरु, कर्नाटक-560078

1	2	3
55.	268 का 2012	ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, 32, 19 मुख्य, 17 'बी' क्रॉस, सेक्टर 4, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560102
56.	269 का 2012	ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी नर्सरी स्कूल, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
57.	270 का 2012	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
58.	271 का 2012	ऑक्सफोर्ड कॉलेज शिक्षा, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
59.	272 का 2012	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
60.	273 का 2012	ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ लॉ, 32, 19 मेन, 17बी क्रॉस, चतुर्थ सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560102
61.	274 का 2012	ऑक्सफोर्ड के आट्‌र्स कॉलेज, नं. 32, 19 मेन, 17बी क्रॉस, सेकटर 4, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560102
62.	275 का 2012	ऑक्सफोर्ड मैनेजमेंट ऑक्सफोर्ड कॉलेज, नं. 32, 19 मेन, 17बी क्रॉस, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560102
63.	276 का 2012	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
64.	277 का 2012	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल (आईसीएसई/आईएससी), सी.ए. साइट नं. 40, 30 मुख्य, प्रथम चरण, मैं, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
65.	278 का 2012	ऑक्सफोर्ड सीनियर सकेंडरी स्कूल, 30 मुख्य, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
66.	279 का 2012	ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी, 6/9, प्रथम क्रॉस, बेगर रोड, होंगसंडरा बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
67.	280 का 2012	होटल मैनेजमेंट ऑक्सफोर्ड कॉलेज, जेपी नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
68.	281 का 2012	ऑक्सफोर्ड कन्नड़ हाई स्कूल, प्रथम चरण, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
69.	282 का 2012	ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजनियरिंग, बोमनहाली, होसुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
70.	283 का 2012	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, बोमनहाली, होसुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
71.	284 का 2012	ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ नर्सिंग, 6/9, 1 क्रॉस, बेगुर रोड, हॉगसंडरा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068

1	2	3
72.	285 का 2012	इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 6/9, और 6/11, प्रथम क्रॉस, होंगसांद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
73.	286 का 2012	ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ नर्सिंग, 6/9, 1 क्रॉस, बेगुर रोड, होंगसांद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560068
74.	293 का 2012	रोकरिओ कॉलेज मैनेजमेंट स्ट्डीज, कैथेड्रल, बोलर, मंगलौर, कर्नाटक-575001
75.	351 का 2012	ऑक्सफोर्ड इवनिंग पॉलिटेक्निक प्रथम फेज जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
76.	408 का 2012	ऐनेपोय स्कूल, एनएच-66, जेपीनामोगारू, मंगलौर, कर्नाटक-575009
77.	474 का 2012	विद्यानिकेतन कन्नड़ और उर्दू मीडियम उच्चतर प्राइमरी स्कूल, मनहाली तलुक, और जिला बीदर, कर्नाटक-585257
78.	560 का 2012	रॉयल अकादमी पब्लिक स्कूल, 55/56, नियर, सादिक लेआउट, अश्वतनगर थानिसंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560077
79.	592 का 2012	सीएसआईपी वोकेशनल सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पी.बी. नं. 101, बी.एच. रोड, तुमकुर, कर्नाटक-560027
80.	593 का 2012	बिशप सीगंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, सीएसअई कुलपति कैम्पस, बी.एच. रोड, तुमकुर, कर्नाटक-577102
81.	594 का 2012	सीईजेडएम उच्च प्राथमिक स्कूल, थिमैय्या रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560051
82.	595 का 2012	मित्रालय गर्ल्स कम्पोजिट कॉलेज, 3 मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
83.	596 का 2012	कैथेड्रल हाई स्कूल, 63 नहीं, रिचमंड रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-580025
84.	597 का 2012	मित्रालय गर्ल्स हाई स्कूल, नं. 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
85.	598 का 2012	प्रियदर्शनी हाई स्कूल, गंगासॊन्द्रा, गौरीबिदानुर, तालुक, चिकबालापुर जिला, कर्नाटक-562108
86.	599 का 2012	युनाइटेड मिशन डिग्री कॉलेज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
87.	600 का 2012	गुडविल क्रिश्चियन कॉलेज फॉर वुमेन, नं. 10 प्रोमेनेड रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560005
88.	601 का 2012	बिशप कॉटन महिला क्रिश्चियन कॉलेज, 19, 3 क्रॉस, सीएसआई कंपाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
89.	2012 का 602	बिशप सार्जेंट स्कूल, सीएसआईवीसी परिसर, बीएच रोड, तुमकुर, कर्नाटक-560031

1	2	3
90.	2012 का 603	सीईजेडएम, इंगलिश प्राइमरी स्कूल, तिमैया रोड, बेंगलौर, कर्नाटक-560031
91.	2012 का 604	बिशप कॉटन वुमैन क्रिश्चयन कॉलेज, 19, थर्ड क्रॉस, सीएसआई कम्पाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
92.	2012 का 605	गुडविल कम्पोजिट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, संख्या 10 प्रोमेनाडे रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560005
93.	2012 का 606	यूनाइटेड मिशन जूनियर कॉलेज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
94.	2012 का 607	बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल, सेंट मार्क रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560001
95.	2012 का 608	सीएसआई हायर प्राइमरी स्कूल, गंगासान्द्रा, गौरीबिदानुर तालुक, चिकबल्लापुर, कर्नाटक-562108
96.	2012 का 609	आईजीएल प्राइमरी स्कूल, एटेन मेमोरियल चर्च, कम्पाउंड फोर्थ ब्लॉक, जयानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560011
97.	2012 का 610	कैथर्डल कम्पोजिट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, संख्या 63, रिचमंड रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560025
98.	2012 का 611	सीएसआई गुडविल पोलिटेक्निक फॉर वुमेन, 10, प्रोमेनाडे रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560005
99.	2012 का 612	यूनाइटेड मिशन हाई स्कूल, 10, प्रोमेनाडे रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
100.	2012 का 613	गुडविल गर्ल्स हाई स्कूल, 10, प्रोमेनाडे रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560005
101.	2012 का 614	बिशप कॉटन वुमैन क्रिश्चन लॉ कॉलेज, 19, थर्ड क्रॉस, सीएसआई कम्पाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
102.	2012 का 615	बिशप कॉटन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, 23/सी, सेक्शन ए, ऐलाहेंका न्यू टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560106
103.	2012 का 616	मित्रालय, गर्ल्स प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560027
104.	2012 का 650	क्राइस्ट एकेडमी, हुलाहली, सक्कलवारा पोस्ट, बेगूर-कोप्पा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560083
105.	2012 का 687	सिलास इंटर नेशनल स्कूल, हनुमंथनगर, पुट्टूर, बीपीओ, उडूप्पी, कर्नाटक-576105
106.	2012 का 921	दिल्ली पब्लिक स्कूल, 11 केएम कनका रोड विकासपुरा रोड, कोन्नकुंती, बेंगलुरु, कर्नाटक-562062

1	2	3
107.	2012 का 922	दिल्ली पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु ईस्ट, एसवाई संख्या 43/1 और 45 सुलीकुंतु विलेज, डोमासंद्रा पोस्ट, सर्जापुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-562125
108.	2012 का 923	दिल्ली पब्लिक स्कूल, 35/1ए, सातापुर विलेज, जालाहोबली, बेंगलुरु नॉर्थ तालुक, बेंगलुरु, कर्नाटक-562149
109.	2012 का 1111	सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल, हुन्सेमर्दापाल्लया, रमोहोले कुंबेल गोड़े पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक-560074 (2010 के 2688, 2010 के 1594 के साथ संलग्न)
110.	2012 का 1373	लिटिल फ्लावर स्कूल एंड कम्पोजिट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, क्रूटनगर, कलहाली रोड, होसपेट तालूक, बेलारी जिला, कर्नाटक-583201
111.	2012 का 1374	सेंट जोसफ हाईस्कूल, टीबी डेम, इंदिरा नगर के सामने, होसपेट, बेलारी जिला, कर्नाटक-583225
1112.	2012 का 1376	सेंट जोसफ हाईस्कूल, बेनीमंटैप, मसूैर, कर्नाटक-570015
113.	2012 का 1377	सेंट जोसफ हायर प्राइमरी स्कूल, बेनीमन्टैप, मैसूर, कर्नाटक-570015
114.	2012 का 1550	दिव्य ज्योति स्कूल, गोलाराहली, मालावल्ली तालुक, मांड्या जिला, कर्नाटक-571419
115.	2012 का 1551	दिव्य ज्योति स्कूल, गोलराडोड्डी, मारालिंगा, मड्डूर तालुका, मांड्या जिला, कर्नाटक-571419
116.	2012 का 1552	जिवोदया हाई स्कूल, सुलतान रोड, आराकेली, सिरीरंगापट्टना तालुक, मांड्या जिला, कर्नाटक-571415
117.	2012 का 1553	गुलाबी विद्यानिकेतन स्कूल, रगीमुंडनहाली, चिककूर्ली, पांडवपुरा तालुक, मांड्या जिला कर्नाटक-571455
118.	2012 का 1554	चैतन्य विद्या निकेतन स्कूल, कोडीमनारहली, किकरी, केआरपिटे तालुक, मांड्या जिले कर्नाटक-571423
119.	2012 का 1555	सेंथॉम पब्लिक स्कूल, कायटमगेरी, केरांगनदुर, मांड्या जिला कर्नाटक-571403
120.	2012 का 1559	लोयला इंड्रस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, मॉउन्ट सेंट जोसफ, आईआईएमबी पोस्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 7645, बनेरगहटा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560076
121.	2012 का 1563	द ईस्टवुड हाई स्कूल, संख्या 2, केम्ब्रीज लेआउट, थर्ड मेन, सोमेश्वरपुर, उलसुर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560008
122.	2012 का 1564	टनब्रिज हाई स्कूल, 86/2, इंफैन्ट्री रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560001

1	2	3
123.	2012 का 1650	बेथनी आईटीसी नेलायडी, पुट्टूर, डीके जिला कर्नाटक-574229
124.	2012 का 1786	अल-मुबारक प्राइमरी एंड गर्ल्स इंगलिश मिडियम हाई स्कूल, केमपाई ब्लॉक जेसी नगर, एमआर, पल्या, बेंगलुरु, कर्नाटक-560006
125.	2012 का 2122	सेंट पॉल इंगलिश स्कूल, संख्या 121, थर्ड क्रॉस, थर्ड फेस जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560078
126.	2012 का 2123	इनवेंचर एकेडमी, वाइटफील्ड-सर्जापुर रोड, डोमासंद्रा सर्किल के समीप, चिकबंदेरपुर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560096
127.	2012 का 2124	प्रैजीडेंसी स्कूल, एचएमटी लेआउट, आरटी नगर, बेंगलुरु, पूर्व सेंट पॉल इंगलिश स्कूल, रवीन्द्रनाथ टैगोर नगर, एचएमटी लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560032
128.	2012 का 2125	प्रैजीडेंसी स्कूल, नन्दनी लेआउट, बेंगलुरु, पूर्व सेंट पॉल इंगलिश स्कूल, महालक्ष्मी लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560096
129.	2012 का 2126	प्रैसीडेंसी स्कूल, सीए साइट, 7पी 1ए ईस्ट ऑफ इनजीईएफ लेआउट कसतुरीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560043
130.	2012 का 2127	प्रैजीडेंसी स्कूल, संख्या 16/पी1, केलाड़ी, बोंडाथिला पोस्ट, कुंटडका, मंगलौर, कर्नाटक-575005
131.	2012 का 2128	प्रैजीडेंसी स्कूल एसवाई संख्या 180/2, 80/3, 82/2, 82/3, बेलिकाहली ऑफ बनेरघाट रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560064
132.	2012 का 2129	प्रैजीडेंसी स्कूल एसवाई संख्या 180/5, अवालहली, येलाहंका होवली, बेंगलुरु नार्थ तालुक बेंगलुरु, कर्नाटक-560064
133.	2012 का 2130	सेंट मिसेल हाई स्कूल, गोडालहाली, कोटानुर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560077
134.	2012 का 2131	सेंट डामिनिक स्कूल चिकलासंड्रा, सुवरामन्यापुरा, पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560061 (2010 के 1187 के साथ संलग्न)
135.	2012 का 2185	सेंट थॉमसा प्राइमरी स्कूल, मेलूर संख्या 244/2, मेलूर पोस्ट ऑफिस विजयपुरा सिधलाघटा रोड चिकबलापुर जिला, कर्नाटक
136.	2012 का 2193	रेयान इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे संख्या 13, गोलाहली, कॉन्फीडेंट केसकेड के समीप, एमसी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप, बनेरघटा, जिगानीहोवली, अनकेल तालुक, बेंगलुरु, कर्नाटक
137.	2012 का 2223	मॉउन्ट कार्मेल सेंटर स्कूल, मेरीहिल, कॉनचेड़े पोस्ट साउथ कन्नड़, मंगलौर, कर्नाटक-575008

1	2	3
138.	2012 का 2348	रोजारिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कैथरडल, बोलार, मेंगलौर-कर्नाटक-575001
139.	2012 का 2501	सेंट जोसेफ अक्षरधाम, गडईकोप्पा, सागर रोड, सिमोगा, कर्नाटक-577205
140.	2012 का 2502	क्राईस्ट इंटरनेशनल स्कूल, होसूर-मलूर रोड, अलमबेडे पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु, कर्नाटक-563160
141.	2012 का 2514	सेंट टेरिसा बेक्यू पब्लिक स्कूल, बायरेथी, डोडागुबी पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560077
142.	2012 का 2639	रजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, एक्सीलेंट इंगलिश स्कूल, राजा मंजिल, 14/25, फोर्थ मेन रोड, मिसमल्लाह नगर, बानेरघटा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560029
143.	2012 का 2647	ऑक्सफोर्ड नर्सरी एंड हायर प्राइमरी स्कूल, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, कोलार, कर्नाटक
144.	2012 का 2648	ऑक्सफोर्ड हायर स्कूल, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, कोलार, कर्नाटक
145.	2012 का 2767	श्री कुमारन चिल्ड्रन होम इंगलिश नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल, मल्लासंद्रा विलेज, उत्तराहली होवली, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक
146.	2012 का 2768	श्री कुमारन पब्लिक स्कूल, मल्लासंद्रा विलेज, उत्तराहली होवली, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक
147.	2012 का 2774	न्यू जनरेशन स्कूल, 34, कंकापुरा रोड, बसौनागुड़ी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560004
148.	2012 का 2814	मरियम निवास हायर प्राइमरी स्कूल, 10, मिल्टन स्ट्रीट, कुकी टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560005
149.	2012 का 2815	मरियम निल्लाह हाई स्कूल, बानसबाड़ी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560043
150.	2012 का 2816	निरमल्लया प्राइमरी स्कूल, गुंडगी रोड, अलमेल, सिद्धकी तालुक, बिजयपुर जिला, कर्नाटक-586202
151.	2012 का 2892	हस्नथ पीयु कॉलेज (सहशिक्षा), 5, 8/3, बायरावेशबरा लेआउट, हन्नूर बेंडे कल्याणनगर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560043
152.	2012 का 2893	हस्नथ पीयू कॉलेज फॉर वुमेन, संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560042
153.	2012 का 2894	हस्नथ इवनिंग कॉलेज (सहशिक्षा) संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560042
154.	2012 का 2985	हस्नथ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560048
155.	2012 का 2896	हस्नथ कॉलेज फॉर वुमेन (कला विज्ञान एवं कॉमर्श, बीबीएम एंड एमकॉम) संख्या 43, डिकन्सन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560042

1	2	3
156.	2012 का 2897	हस्नथ डिग्री कॉलेज (सहशिक्षा), 5, 8/3, बायरावेशबरा लेआउट, हन्नूर बेंडे कल्याणनगर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560043
157.	2012 का 2938	नाइटएंगिल इंगलिश स्कूल, रु 1/बी एंड सी, बीटीएम लेआउट, फोर्थ स्टेज, थर्ड मेन, देवराचिकाना हल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक-560076
158.	2012 का 2939	क्रूट मेमोरियल स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, होसकोटे, जिला बेंगलुरु, कर्नाटक-560114
159.	2012 का 2940	डॉन बास्को स्कूल, एनएच-04 रोड, केलागोटे, चितदुर्ग, कर्नाटक-577501
160.	2012 का 2953	सेंट जोसेफ परासेडा पब्लिक स्कूल, उदबूर पोस्ट, एचडी कोटे रोड, मैसूर कर्नाटक-570008
161.	2012 का 2988	ग्लोविंस्टर इंटीग्रेटिड स्कूल, अंबलापेडे, उड्डपी, कर्नाटक-576103
162.	2012 का 3009	फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, होसकोटे, जिला बेंगलुरु, कर्नाटक-560114
163.	2012 का 3062	सेंट थॉमस हायर प्राइमरी स्कूल, नित्याधारा नगर, पोस्ट बैंडूर, जिला उड्डपी, कर्नाटक-576214
164.	2012 का 3063	फातिमा हायर प्राइमरी स्कूल, एसएम रोड, जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560013
165.	2012 का 3064	क्लूनी कॉन्वेंट हाई स्कूल, एसएम रोड जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560013
166.	2012 का 3086	सेंट आंस पीयू कॉलेज, लक्ष्मीसागर लेआउट, महादेवपुरा एक्सटेंशन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560048
167.	2012 का 3087	सेंट आंस नर्सरी स्कूल, आरएचबी कॉलोनी, महादेवपुरा बेंगलुरु, कर्नाटक-560048
168.	2012 का 3088	सेंट आंस हाई स्कूल, लक्ष्मीसागर लेआउट, महादेवपुरा एक्सटेंशन, बेंगलुरु, कर्नाटक-560048
169.	2012 का 3089	क्लूनी कॉन्वेंट पीयू कॉलेज, एसएम रोड जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560013
170.	2012 का 3090	कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, कार्मेलरम पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु, कर्नाटक-560035
171.	2012 का 3092	सेंट आंस प्राइमरी स्कूल, आयापल्ली, बेथमनगल्ला, बेंगारपेट तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक-563116
172.	2012 का 3095	अब्दुल कलाम इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, विविकानंद नगर, तालुका और जिला गड़क, कर्नाटक-582101
173.	2012 का 3100	मित्रा एकेडमी, 7/1, सेकेंड मेन, आराकेरी, बेंगलुरु, कर्नाटक-560076
174.	2012 का 3101	लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, साइट 1, 100, फीट रिंग रोड, होसकरहल्ली, बानसहंकेरी-III स्टेज, बेंगलुरु, कर्नाटक-560085

1	2	3
175.	2012 का 3188	ग्रीन वैली नेशनल स्कूल, सिरूर, कुंडापुर तालुक, उडप्पी जिला कर्नाटक
176.	2012 का 3189	द डिंस एकेडमी, 64/1 और 65/2, ईसीसी रोड, वाइटफील्ड, बेंगलुरु कर्नाटक-560066
177.	2012 का 3223	अल-नूर एजुकेशन सेंटर, गोसिया नगर, सुल्तान रोड, उदयगीरी पोस्ट, मसूर, कर्नाटक-560019
178.	2012 का 3270	अराधना स्कूल, अरीकेरी, आईआईएम पोस्ट, बैरनघट्टा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560076
179.	2012 का 3271	अराधना पीयू कॉलेज स्कूल, अरीकेरी, आईआईएम पोस्ट, बैनरघट्टा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560076
180.	2012 का 3272	अराधना स्कूल, कोडीमकैम्प तरीकेरी, चिकमंगलूर, बेंगलुरु, कर्नाटक-577228
181.	2012 का 3273	डी पॉल पब्लिक स्कूल, 30/1, सथागल्ली एक्सटेंशन महादेवपुरा रोड, मैसूर, कर्नाटक-570019
182.	2012 का 3274	प्रीसंटेशन पब्लिक स्कूल, रम्मानहल्ली पंचायत रम्मानहल्ली (पोस्ट ऑफिस) के सामने, मैसूर, कर्नाटक-570019
183.	2012 का 3275	सेंट आर्नल्ड सेंटर स्कूल, संथागल्ली लेआउट, महादेवपुरा रोड, मैसूर, कर्नाटक
184.	2012 का 3276	अराधना स्कूल (आईसीएसई), अरीकेरी, आईआईएम पोस्ट, बैनरघट्टा रोड, बेंगलुरु कर्नाटक-560076

विवरण-II

क्र. सं.	याचिका संख्या	शैक्षिक संस्था का नाम	एमएससी जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	2006 का 1114	सेंट जोसेफ इवनिंग कॉलेज, म्यूजियम रोड, बेंगलुरु	12.10.2006
2.	2006 का 1115	सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ब्रिगेड रोड, बेंगलुरु	12.10.2006
3.	2006 का 1116	सेंट जोसेफ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरु	12.10.2006
4.	2006 का 1502	लेक मॉउंट स्कूल, बर्गो नगर, बेंगलुरु	22.11.2006
5.	2006 का 02	सेंट ऑलयसिस कॉलेज, मंगलौर, कर्नाटक	18.01.2007
6.	2006 का 399	क्लूनी कॉन्वेंट हाई स्कूल, मल्लेश्वरम्, बेंगलुरु	02.02.2007

1	2	3	4
7.	2006 का 1374	अंजुमन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, बटकल, कर्नाटक	02.02.2007
8.	2006 का 1375	अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बटकल, कर्नाटक	02.02.2007
9.	2006 का 1376	अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल, भटकल, कर्नाटक	02.02.2007
10.	2006 का 1377	अंजुमन कॉलेज फॉर वुमैन, भटकल, कर्नाटक	02.02.2007
11.	2006 का 1378	अंजुमन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमैन, भटकल, कर्नाटक	02.02.2007
12.	2006 का 1371	सेक्रेड हार्ट कॉनवेंट प्राइमरी स्कूल, हुवली, कर्नाटक	26.04.2007
13.	2006 का 1411	क्रॉसलैंड कॉलेज, ब्रह्मवर, कर्नाटक	26.04.2007
14.	2006 का 1766	स्कूल ऑफ सोसल वर्क, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 521, रोशनी निल्लै मंगलौर, कर्नाटक	26.04.2007
15.	2006 का 1482	एचएमएस इंडूस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
16.	2006 का 1483	राजीव गांधी फस्ट ग्रेड कॉलेज तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
17.	2006 का 1484	राजीव गांधी कॉलेज शिक्षा, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
18.	2006 का 1485	एचएमएस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
19.	2006 का 1486	एचएमएस पॉलिटेक्निक, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
20.	2006 का 1487	एचएमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
21.	2006 का 1488	एमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
22.	2006 का 1489	एचएमएस अंग्रेजी स्कूल, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
23.	2006 का 1490	एचएमएस नई मॉडल अंग्रेजी स्कूल, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
24.	2006 का 1491	राजीव गांधी प्री युनिवर्सिटी कॉलेज, तुमकुर, कर्नाटक	14.05.2007
25.	2007 का 213	सेंट थेरेसा स्कूल, मंगलौर, कर्नाटक	7.06.2007
26.	2006 का 1	सेंट जोसेफ कॉलेज, बेंगलुरु	18.07.2007
27.	2006 का 430	कॉन्वेंट हाई स्कूल, केश्वापुर, हुबली, कर्नाटक	18.07.2007
28.	2007 का 442	फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, हलासुय, बेंगलुरु	10.08.2007
29.	2006 का 1070	एक्सीलियम स्कूल, वरगानगर, बेंगलुरु	17.08.2007

1	2	3	4
30.	2007 का 202	रेयान इंटरनेशनल स्कूल, बेंगलुरु, कर्नाटक	5.10.2007
31.	2007 का 785	क्लेरेंस हाई स्कूल, रिचर्ड्स टाउन, बेंगलुरु	22.01.2008
32.	2007 का 425	सेंट जोसेफ जॉयलेंड प्राइमरी स्कूल, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक	13.02.2008
33.	2007 का 242	कैथरीन पब्लिक स्कूल, विद्यानगर, बेंगलुरु उत्तर, कर्नाटक	16.04.2008
34.	2007 का 203	रयान इंटरनेशनल स्कूल, येलाहंका, बेंगलुरु, कर्नाटक	22.04.2008
35.	2007 का 764	फस्को स्कूल, ओल्ड मद्रास रोड, इंदिरा नगर पोस्ट, बेंगलुरु	21.05.2008
36.	2007 का 395	डॉन बोस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, 10 क्रॉस, टैगोर नगर, लास्पेट, पुदुचेरी	27.05.2008
37.	2007 का 1055	सेंट थेरेसा सरकार, एडेड हाई स्कूल, नेदुनगडू, पुदुचेरी के मध्यम कुरुमबकरम	03.06.2008
38.	2008 का 105	सेंट फ्रांसिस स्कूल, पी.बी. सं. 3417, कोरमंगला, बेंगलुरु	03.06.2008
39.	2008 का 85	शांति सदन हाई स्कूल, निर्मल नगर, 12 क्रॉस, धारवाड़, कर्नाटक	06.08.2008
40.	2008 का 86	शांति सदन उच्च प्राथमिक स्कूल, निर्मल नगर, 12 क्रॉस, धारवाड़, कर्नाटक	06.08.2008
41.	2008 का 87	केपिटेनिओ प्राइमरी स्कूल, केश्वापुर, गदग रोड, चेतना कालोनी, हुबली, कर्नाटक	06.08.2008
42.	2008 का 128	सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल, संग्रहालय रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	06.08.2008
43.	2008 का 102	सचिव, बैतनिय्याह शिक्षा बोर्ड, सीए-12, 20 मुख्य, छठी ब्लॉक, कोरमंगलाल लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक	08.10.2008
44.	2008 का 469	अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज, अंजूमनबाछ, भटकल	22.10.2008
45.	2008 का 500	समाचार-पत्र एजेंसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नादुपडावु, मोंटपडावु डाक कैरंगाला, मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर के समीप	02.12.2008
46.	2008 का 1000	अल-अमीन डेंटल कॉलेज, अथानी सड़क, बीजापुर, कर्नाटक	20.01.2009
47.	2008 का 31	सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, होम्माडेवनहल्ली बेगुर, कोप्पा रोड, गोटीगेर डाक, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.03.2009
48.	2008 का 470	अंजुमन यूनियर कॉलेज, अंजुमनबाद, भटकल, कर्नाटक	25.03.2009

1	2	3	4
49.	2009 का 29	अंजुमन बॉयज हाई स्कूल, भटकल	25.03.2009
50.	2009 का 30	अंजुमन अंग्रेजी मीडियम उच्च प्राथमिक स्कूल, भटकल	25.03.2009
51.	2009 का 34	अंजुमन, नूर अंग्रेजी मध्यम उच्च प्राथमिक स्कूल, भटकल	25.03.2009
52.	2009 का 35	अंजुमन आजाद अंग्रेजी मीडियम एचआर पीआर स्कूल, भटकल	25.03.2009
53.	2008 का 672	पॉल डी अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय, बेलागोला, श्रीरंगपटना, जला, मंड्या, कर्नाटक	08.04.2009
54.	2008 का 821	खाजा बंदनावाज इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, कर्नाटक	24.06.2009
55.	107 का 2009	नासरत स्कूल, बनाकल पोस्ट, मुंदीगेरे ताल्लुक चिकमंगलूर डीटी, कर्नाटक	10.11.2009
56.	313 का 2009	सेंट एन स्कूल, गौरीबिदानुर, चिकबल्लापुर डॉ., कर्नाटक	10.11.2009
57.	1324 का 2009	अंजुमन नई पूर्व प्राथमिक स्कूल, ताकिया स्ट्रीट, भटकल, कर्नाटक	27.01.2010
58.	1368 का 2009	भारत, भटकल, कर्नाटक स्टेट बैंक के पास अंजुमन उर्दू स्कूल पूर्व प्राथमिक	27.01.2010
59.	1655 का 2009	सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, चर्च रोड, नई थिप्पासंदरा, इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक	27.01.2010
60.	1707 का 2009	ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल, मादीकेरे, चिंतामणि, जिला, चिकबल्लापुर, कर्नाटक	02.02.2010
61.	1580 का 2009	माउंट कारमेल कॉलेज, 58, पैलेस रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.02.2010
62.	64 का 2010	सेंट चार्ल्स हाई स्कूल, कम्मानहल्ली, सेंटर थॉमस टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.02.2010
63.	65 का 2010	सेंट चार्ल्स हाई स्कूल, हेन्नुर मेन रोड, रिचर्ड्स टाउन, सेंट थॉमस टाउन पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.02.2010
64.	422 का 2010	अल अमीन मेडिकल कॉलेज, अथानी रोड, बीजापुर, कर्नाटक	04.08.2010
65.	743 का 2010	कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सीए साइट नं. 15 सेक्टर 'ए', 80 फीट रोड, न्यू टाउन, येलाहंका, बेंगलुरु, 106 कर्नाटक-560	04.08.2010
66.	1775 का 2010	विब्ग्योर हाई स्कूल, 58/1, थुबराहल्ली, व्हाइटफील्ड (मराठाहल्ली) रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	24.03.2011

1	2	3	4
67.	13 का 2011	बीईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक स्वर्गरनी स्कूल	04.05.2011
68.	72 का 2011	क्रिस्तु जयंती कॉलेज, लालकृष्ण नारायणपुरा, कोठानपुर (पीओ), बेंगलुरु-560077	31.05.2011
69.	2258 का 2010	ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल, 32, चर्च रोड, नई थिप्पासंद्रा, इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560075	02.06.2011
70.	203 का 2011	बेंगलुरु पब्लिक स्कूल, 13 क्रॉस, इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक	13.07.2011
71.	1306 का 2011	ऐनेपोयो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी रोड, देरलाकट्टे, मंगलौर, कर्नाटक	02.11.2011
72.	1150 का 2011	स्वर्गरनी पीयू, कॉलेज, बीईएमएल लेआउट, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.11.2011
73.	1744 का 2010	सेंट एलॉयसिएस औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, पी.बी. 720 नहीं, कुडमुल रंगा राव रोड, कोड़ियलबैल, मंगलौर	29.11.2011
74.	2119 का 2010	सेंट एलॉयसियस शिक्षा संस्थान, पी.बी. 720 नहीं, कुडमुल रंगा राव रोड, कोड़ियलबैल, मंगलौर, कर्नाटक	29.11.2011
75.	1295 का 2011	खालसा पब्लिक स्कूल, 76 नहीं, होसुर मेन रोड, माड़ीवाला, बेंगलुरु, कर्नाटक	08.12.2011
76.	139 का 2011	सेंट जोसेफ स्कूल, होमपलाघेट्टा क्रॉस, होसूर मेन रोड, एनेकल, बेंगलुरु, कर्नाटक	12.12.2011
77.	2482 का 2010	लिटिल रॉक इंडियन स्कूल, ब्रह्मवर, उडुपी जिला, कर्नाटक	14.12.2011
78.	616 का 2011	अंजुमन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कॉलेज, बीजापुर, कर्नाटक	02.01.2012
79.	111 का 2012	मंगलौर मेरीन कॉलेज, पाटिल पड़ावू, किलेनजर विलेज, कुप्पेपड़ावू (पोष्ट), मंगलौर तालुक, कर्नाटक	04.04.2012
80.	408 का 2012	ऐनेपोयो स्कूल, एनएच-66, जेप्पीनामोगारू, मंगलौर, कर्नाटक	24.04.2012
81.	308 का 2011	सेंट विन्सेंट पल्लोरी स्कूल बाबूसाहिबपल्या, बेंगलुरु-560043	30.04.2012
82.	1950 का 2011	मॉडल हाई स्कूल, मसाकी रोड, कवितल तालुक मान्वी, जिला रायचूर, कर्नाटक	01.05.2012
83.	1951 का 2011	मॉडल आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल, मसाकी रोड कवितल तालुक मान्वी, जिला रायचूर, कर्नाटक	01.05.2012

1	2	3	4
84.	2016 का 2011	क्रॉसलैंड प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नम्बर 7, ब्रह्मवर, उडुपी डीटी, कर्नाटक	14.05.2012
85.	1537 का 2011	शेख सेंट्रल स्कूल, शेखर कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक	04.06.2012
86.	650 का 2012	मसीह अकादमी, हुल्ललाहल्ली, सक्कलवाड़ा डाक, बेगूर-कोप्पा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	12.06.2012
87.	687 का 2012	सीलास इंटरनेशनल स्कूल, हनुमंथनगर, पुत्तूर, बीपीओ, उडुपी, कर्नाटक	17.07.2012
88	921 का 2012	दिल्ली पब्लिक स्कूल, कंका – बिकासपुरा रोड, कोन्नान, कुंटे, बेंगलुरु, कर्नाटक	23.07.2012
89.	922 का 2012	दिल्ली पब्लिक स्कूल, संख्या 43/1 और 45 सुलिकुंटे, दम्मासंद्रा, अराजापुर रोड, बेंगलुरु पूर्व, कर्नाटक	23.07.2012
90.	923 का 2012	दिल्ली पब्लिक स्कूल, संख्या 35/1ए, सतपुर गांव, जलहुबली उत्तरी बेंगलुरु, कर्नाटक	23.07.2012
91.	592 का 2012	सीएसआई वोकेशनल, सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंजाब नं 101, बी.एच. रोड, तुमकुर, कर्नाटक	25.07.2012
92.	593 का 2012	बिशप सार्जट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, सीएसआई कुलपति परिसर, बीएचआरडी, तुमकुर, कर्नाटक	25.07.2012
93.	594 का 2012	सीईजेडएम उच्च प्राथमिक स्कूल, थिमैय्या रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
94.	595 का 2012	मित्रालय लड़कियों समग्र पुर कॉलेज, 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
95.	597 का 2012	मित्रालय गर्ल्स हाई स्कूल, 3, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
96.	598 का 2012	प्रियदर्शनी हाई स्कूल, गंगासंद्रा, गौरीबिदानुर तालुक, चिकबालापुर जिला, कर्नाटक	25.07.2012
97.	599 का 2012	संयुक्त मिशन डिग्री कॉलेज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
98.	600 का 2012	महिला, 10 नहीं, सैर रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए सद्भावना क्रिश्चियन कॉलेज	25.07.2012
99.	601 का 2012	बिशप कॉटन महिला क्रिश्चियन कॉलेज, 19, 3 क्रॉस, सीएसआई कंपाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
100.	603 का 2012	सीईजेडएम अंग्रजी प्राथमिक स्कूल, थिम्मैया रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012

1	2	3	4
101.	604 का 2012	बिशप कॉटन महिला क्रिश्चियन कॉलेज, 19, 3 क्रॉस, सीएसआई कंपाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
102.	605 का 2012	सद्भावना समग्र पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेज, 10 प्रोमोनेड रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
103.	606 का 2012	संयुक्त मिशन जूनियर कॉलेज, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
104.	608 का 2012	सीएसआई उच्च पीआर स्कूल, गंगासंद्रा, गौरीबिदानुर तालुक, चिकबालापुर जिला, कर्नाटक	25.07.2012
105.	609 का 2012	आईजीएल के प्राइमरी स्कूल, इटन मेमोरियल चर्च, यौगिक 4 ब्लॉक, जयनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
106.	610 का 2012	कैथेड्रल समग्र पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेज, 63, रिचमंड, रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
107.	611 का 2012	महिला, 10, सैर रोड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक सीएसआई सद्भावना पॉलिटेक्निक	25.07.2012
108.	612 का 2012	संयुक्त मशन हाई स्कूल, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
109.	613 का 2012	सद्भावना गर्ल्स हाई स्कूल, 10, प्रोमेनेड, फ्रेजर टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
110.	614 का 2012	बिशप कॉटन महिला ईसाई लॉ कॉलेज, 19, 3 क्रॉस, सीएसआई कंपाउंड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
111.	615 का 2012	बिशप कॉटन अकादमी, व्यावसायिक प्रबंधन के 23/सी, धारा, येलाहंका न्यू टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
112.	616 का 2012	मित्रालय गर्ल्स प्राथमिक और मध्य विद्यालय, 3 मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	25.07.2012
113.	596 का 2012	कैथेड्रल हाई स्कूल 63 नहीं, रिचमंड रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	23.08.2012
114.	560 का 2012	रॉयल अकादमी पब्लिक स्कूल, संख्या 55/56 सादिक लेआउट, अश्वथनगर थानीसांद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक के पास	03.09.2012
115.	1111 का 2012	सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल, हुनसेमदापलाया, रामोहली पीओ, दक्षिण बेंगलुरु, कर्नाटक	04.09.2012
116.	1786 का 2012	अल-मुबारक प्राथमिक और लड़की के अंग्रेजी मीडियम हाई स्कूल, केम्पाह ब्लॉक, जे.सी. नगर, एमआर पल्या, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.10.2012

1	2	3	4
117.	1550 का 2012	दिव्य ज्योति स्कूल, गोलारहली, हालाकुड़, मालावल्ली तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक	08.10.2012
118.	1555 का 2012	सेन्थोम पब्लिक स्कूल, क्याटामगेरे, किरागनडोर, मंड्या तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक	08.10.2012
119.	1373 का 2012	लिटिल फ्लावर स्कूल और समग्र प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, करूत नगर, कलहाली रोड, होसपेट ताल्लुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	20.12.2012
120.	1374 का 2012	सेंट जोसफ हाई स्कूल, टीबीडेम, इंदिरा नगर के सामने, हास्पेट, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	20.12.2012
121.	2892 का 2012	हसनाथ पीयू कॉलेज (सह-शिक्षा)/3, 5, 8, बायरावेश्वर लेआउट, हेन्नुर बंदे, कल्याण नगर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.01.2013
122.	2893 का 2012	हसनाथ पीयू महिला, संख्या 43, डिकेनसन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए कॉलेज	03.01.2013
123.	2894 का 2012	हसनाथ शाम कॉलेज (सह-शिक्षा), 43 नंबर, डिकेनसन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.01.2013
124.	2895 का 2012	मैनेजमेंट स्टडीज, संख्या 43 हसनाथ अकादमी, डिकेनसन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.01.2013
125.	2896 का 2012	महिलाओं के लिए हसनाथ कॉलेज (कला, विज्ञान और वाणिज्य बीबीएम, और एम.कॉम), 43 नम्बर, डिकेनसन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.01.2013
126.	2897 का 2012	(सह-शिक्षा) डिकेनसन डिग्री कॉलेज, 5, 8/3, ब्यारेश्वरा लेआउट, बंडे हेन्नुर कल्याण नगर डाक, बेंगलुरु, कर्नाटक	03.01.2013
127.	3188 का 2012	ग्रीन वैली नेशनल स्कूल, शिरूर, कुंदापुर ताल्लुक, उडुपी जिला, कर्नाटक	14.01.2013
128.	2122 का 2012	सेंट पॉल स्कूल अंग्रेजी, नं. 501, 7 क्रॉस, 3 चरण, जेपी एनजीआर, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.01.2013
129.	2123 का 2012	इन्वेंचर अकादमी, वाइटफील्ड सरजापुर दोम्मासंद्रा के पास सर्किल रोड, चिक्कावडेरपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.01.2013
130.	2124 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल एचएमटी ले आउट आरटी नगर बेंगलुरु जो पूर्व में सेंट पॉल इंगलिश स्कूल कर्नाटक के रूप में जाना जाता है	17.01.2013

1	2	3	4
131.	2125 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल, नंदिनी लेआउट, बेंगलुरु, पहले सेंट पॉल अंग्रेजी स्कूल, महालक्ष्मी लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक के रूप में जाना जाता है	17.01.2013
132.	2126 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल, सीए साइट, 7 1पी एनजीईएफ लेआउट के पूर्व, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.01.2013
133.	2127 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल, संख्या 16/पी1, केलारी, बोन्दाथिला, कुंटाडका मंगलौर, कर्नाटक	17.01.2013
134.	2128 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल, एसवाई 80/2, 80/3, 82/2, 82/3, बन्नेरगघटा रोड बिकाहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक संख्या	17.01.2013
135.	2129 का 2012	प्रेसीडेंसी स्कूल, 5/संख्या 180, एवल्लाहल्ली येलाहंका होब्ली बेंगलुरु, कर्नाटक (एन)	17.01.2013
136.	3100 का 2012	मित्रा अकदामी, 7 1/2 मुख्य, एराकेरे, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.01.2013
137.	3101 का 2012	लिटिल फुल पब्लिक स्कूल, साइट 1, 100, फीट रिंग रोड, होस्केरेहल्ली, बनाशंकरी-प्प्प स्टेज, बेंगलुरु, कर्नाटक	17.01.2013
138.	1564 का 2012	थुनब्रिज हाई स्कूल, 86/2, इन्फैंट्री रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	28.01.2013
139.	2130 का 2012	सेंट माइकल्स हाई स्कूल, गेड्डलहल्ली, कोठानपुर डाक, बेंगलुरु, कर्नाटक	28.01.2013
140.	2193 का 2012	रयान इंटरनेशनल स्कूल, सर्वेक्षण नहीं 13, गोल्लाहल्ली, कॉन्फीडेंट कास्केड के सामने, एएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज, बन्नेरगट्टा, जीगनी होब्ली एन्कल तालुक, बेंगलुरु, कर्नाटक के पास	28.01.2013
141.	1551 का 2012	दिव्य ज्योति स्कूल, गोल्लाराडोड्डी, मरालिगा, मद्दुर तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक	30.01.2013
142.	1552 का 2012	जीवेदया हाई स्कूल, सुलतान रोड, एरेकरे, श्रीरंगपटन तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक	30.01.2013
143.	1553 का 2012	गुलाबी विद्यानिकेतन स्कूल, रंगीमुद्दाहल्ली, चिंकुरली पाडवापुरा तालुका, मंड्या जिला, कर्नाटक	30.01.2013
144.	1554 का 2012	चैतन्या विद्या निकेतन स्कूल, कोडीमाराहल्ली, किक्केरी के.आर. पीट तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक	30.01.2013

1	2	3	4
145.	1559 का 2012	लोयोला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, माउंट सेंट जोसेफ, आईआईएमबी पोस्ट, पंजाब संख्या 7645, बन्नेरघट्टा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	30.01.2013
146.	3189 का 2012	दीन अकादमी, 64/1 और 65/2, ईसीसीरोड व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु, कर्नाटक	04.02.2013

भारत में विदेशी छात्र

1431. श्री मानिक टैगोर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विदेशी छात्र सूचना प्रणाली (एफएसआईएस) द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को पंजीकृत करने/प्रवेश देने की नई पद्धति लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) विदेशी छात्र सूचना प्रणाली (एफएसआईएस) आईवीएफआरटी) (आप्रवासन, वीजा, विदेशी व्यक्ति पंजीकरण एवं तलाशी) प्रणाली के अधीन सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यल में से एक है। यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी छात्रों को वीजा में विस्तार तथा अन्य वीजा संबंधी सेवाएं देते समय विदेशी व्यक्ति क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)/विदेशी व्यक्ति पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) यह जांच करेंगे कि ऐसे विदेशी छात्र वास्तविक रूप में पाठ्यक्रम-अध्ययन तथा वीजा के दिशा-निर्देशों का पाल कर रहे रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि वे संस्थान जो ऐसे विदेशी छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे छात्रों का 'ऑन-लाइन' विवरण प्रस्तुत करेंगे। आईवीएफआरटी के तहत विदेशी छात्र सूचना प्रणाली (एफएसआईएस) एफआरआरओ, चेन्नई के अंतर्गत पहले ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध

1432. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल में जापान की अपनी सरकारी यात्रा स्थगित/रद्द कर दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधी भी वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जापान से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जापान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) प्रधानमंत्री द्वारा जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 15-18 नवम्बर, 2012 के दौरान जापान की सरकारी यात्रा प्रारंभ किया जाना तय किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जापानी संसद के निचले सदन के भंग होने की घोषणा 16 नवंबर, 2012 को की जाएगी इसलिए प्रधानमंत्री का जापान दौरा रद्द कर दिया गया था।

(ख) भारत तथा जापान ने वर्ष 2006 में रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी स्थापित की। तब से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलनों का एक तंत्र स्थापित किया गया है। विदेशी मंत्री और उनके जापानी समकक्ष भी एक रणनीतिक वार्ता और एक मंत्री स्तरीय आर्थिक वार्ता के लिए हर वर्ष मिलते हैं। जापान ने दिल्ली मेट्रो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी अनेक अद्वितीय परियोजनाओं में सहायता दी है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार पर फरवरी, 2011 में हस्ताक्षर किये गये और यह 1 अगस्त, 2011 को लागू हो गया। भारत और जापान के बीच सामाजिक सुरक्षा पर एक करार तथा भारत में रेयर अर्थस इंडस्ट्री में सहयोग समझौता पर नवंबर, 2012 में अधोहस्ताक्षर

किए गए थे। सुरक्षा सहयोग पर वर्ष 2008 संयुक्त घोषणा और उन्नत स्तरीय सुरक्षा सहयोग कार्ययोजना, 2009 द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए कार्यढांचा उपलब्ध कराता है। भारत तथा जापान के पास कुछ ऐसे कार्यनीतिक सहयोग हैं जिनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और लोगों के आपसी आदान-प्रदान तथा क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों में दूरगामी हित साझा करना शामिल है।

(ग) और (घ) जापान की सरकार ने 25 जून, 2010 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु एक करार पर भारत सरकार के साथ बातचीत प्रारंभ करने के अपने निर्णय की घोषणा की। औपचारिक बातचीत के तीन दौरे सम्पन्न हो चुके हैं।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

1433. **श्री अब्दुल रहमान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुस्लिम बहुल जिलों में नवोदय विद्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से नवोदय विद्यालय योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए कहा है ताकि ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुलभ हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने यह योजना स्वीकार की है; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था है ताकि ग्रामीण प्रतिभा बाहर आ सके। इन स्कूलों को खोलना समुदाय विशिष्ट नहीं होता है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना को पहले ही स्वीकार कर लिया है और देश के 576 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यात्मक हैं।

राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

1434. **श्री सुरेश अंगड़ी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) जी, हां, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नागर विमानन के कार्यदल की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एयरफील्ड, फुरसतगंज को चिन्हित किया गया है। योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी

1435. **श्री पोन्नम प्रभाकर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/देश के परमाणु नियामक ने देश में औद्योगिक रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी दोनों के विनियामक निरीक्षण नहीं किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) :

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी), देश में औद्योगिक विकिरणी चित्रण और विकिरण-चिकित्सा यूनिटों दोनों के लिए नियामक निरीक्षण करता रहा है।

(ख) वर्ष 2010-2013 (28 फरवरी, 2013 तक) के दौरान विकिरण-चिकित्सा सुविधाओं के लिए किए गए नियामक निरीक्षण नीचे दिए गए हैं:–

	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2010	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2011	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2012	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2013
निरीक्षण किए गए यूनिटों की संख्या	42	133	90	22

(ग) वर्ष 2010-2013 (28 फरवरी, 2013 तक) के दौरान औद्योगिक विकिरणी चित्रण सुविधाओं के लिए किए गए नियामक निरीक्षण नीचे दिए गए हैं:–

	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2010	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2011	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2012	जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2013
निरीक्षण किए गए यूनिटों की संख्या	78	85	115	332

ट्रैवल एजेंट द्वारा ट्रांजेक्शन फीस

1436. श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैवल एजेंटों ने ट्रांजेक्शन फीस में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में ट्रांजेक्शन फीस एकत्रित करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

डाक बचत खाते

1437. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में डाकघरों में राज्य-वार कितने डाकघर बचत खाते खोले गए और उनमें कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) क्या डाकघर बचत योजना में जमाराशि में कमी आई है और लोग डाकघर खातों से धनराशि निकाल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) वर्ष 2001 में जमा राशि की तुलना में आज की स्थिति के अनुसार डाकघर बचत खातों में तुलनात्मक जमा राशि कितनी है; और

(ङ) डाकघर बचत योजना को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों में खोले गए डाकघर बचत बैंक खातों तथा उनमें जमा धनराशि का डाक सर्किल-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान डाकघर

बचत बैंक खातों में सकल जमा राशि में वृद्धि हुई थी। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान सकल जमा राशि में कमी आई।

(ग) लघु बचत स्कीमों में सकल जमा राशि में कमी अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभावी बचत के लिए निवेशक की पसन्द के वैकल्पिक साधन का संदर्भित करती है। तथापि, सरकार लघु बचत स्कीमों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान डाकघर बचत बैंक में बकाया जमा राशि 1004.48 करोड़ रु. थी तथा 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार डाकघर बचत बैंक में बकाया जमा राशि 366338 करोड़ रु. थी।

(ङ) सरकार ने लघु बचत स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

1. डाकघर बचत खातों पर ब्याज की दर 3.5% से बढ़कर 4% कर दी गई है। पीओएसए में अधिकतम राशि की सीमा (एकल खाते में 1 लाख रुपए तथा संयुक्त खाते में 2 लाख रुपए) हटा दी गई है।

2. मासिक आय स्कीम तथा राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के लिए परिपक्वता अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

3. 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला एक नया राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया गया है।

4. लोक भविष्य निधि स्कीम में निवेश की वार्षिक सीमा 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।

5. डाकघर सावधि जमा का परिसमापन — 1, 2, 3 और 5 वर्ष इसमें समान परिपक्वता की सावधि जमा राशियों की तुलना में 1% कम ब्याज दर पर समय से पहले आहरण की अनुमति प्रदान करके सुधार किया गया है। निवेश के 6-12 माह के बीच समय-पूर्व आहरण के लिए डाकघर बचत खाता ब्याज दर अनुमत्य है।

6. केन्द्र तथा राज्य सरकारें विभिन्न लघु बचत स्कीमों के तहत जमा राशियों को प्रबंधित करने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा सेमिनार और बैठकें आयोजित करके तथा साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लघु बचत स्कीमों को बढ़ावा देने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दरों को 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम को छोड़कर सभी स्कीमों में 25 आधार प्वाइंट की सीमा में समान परिपक्वता की सरकार की प्रतिभूति दरों के साथ सम्बद्ध किया गया है। उक्त दोनों स्कीमों के लिए क्रमशः 50 बीपीएस और 100 बीपीएस की सीमा है (100 बीपीएस 1% के बराबर है।) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर उस वर्ष 1 अप्रैल के पहले अधिसूचित की जाएगी। 01.04.2012 से अधिसूचित लघु बचत स्कीमों के ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:—

स्कीम	ब्याज दर प्रतिशत में 01.04.2012 से
बचत खाता जमा	4.0
1 वर्षीय जमा	8.2
2 वर्षीय जमा	8.3
3 वर्षीय जमा	8.4
5 वर्षीय जमा	8.5
5 वर्षीय आवर्ती जमा	8.4
5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम	9.3
5 वर्षीय मासिक आय खाता	8.5
5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)	8.6
10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	8.9
लोक भविष्य निधि	8.8

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान डाक बचत खातों की संख्या तथा उसमें जमा राशि का सर्किल-वार ब्यौरा

सर्किल	खातों की संख्या 2009-10	जमा 2009-10	खातों की संख्या 2010-11	जमा 2010-11	खातों की संख्या 2011-12	जमा 2011-12
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2780725	145787267	3981699	170725795	542270	132346381
असम	11533	21916132	798374	26899215	791675	26524476
बिहार	77282	66593639	4358318	79113173	2534073	81521599
छत्तीसगढ़	478553	21445074	312519	27789730	667537	26891634
दिल्ली	52385	73345260	49991	78780152	169740	53047112
गुजरात	1043510	163121872	432847	170708340	1066855	133795590
हरियाणा	185796	52979779	178896	57944869	317006	49403295
हिमाचल प्रदेश	152422	28714937	451632	34875915	208884	33773166
जम्मू और कश्मीर	31689	13636314	91896	15517816	298435	14663622
झारखंड	1706489	31867895	281804	38490481	940271	31411515
कर्नाटक	1486602	76771578	1398337	90304522	2032603	69155771
केरल	351395	59517982	502074	70763964	1410456	65454428
मध्य प्रदेश	633912	57011452	889623	68225392	3248352	62730872
महाराष्ट्र	539678	178544626	615142	205353948	1716904	150861680
पूर्वोत्तर	66599	11965481	131394	14126907	409755	13171694
ओडिशा	302556	32360705	1437196	38778112	1212518	35037856
पंजाब	214127	94588067	221187	106127308	350955	87483993
राजस्थान	1021204	112115977	4324840	103352194	1054499	84330095
तमिलनाडु	770296	112891738	1092050	125603804	2775983	101057689

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	190695	165639449	2583131	182789467	3572525	170105450
उत्तराखंड	309998	28589351	153747	33265158	539419	32296096
पश्चिम	1485342	242215212	1490300	276180558	1659254	206349306
बेस	28274	5230581	16454	4433504	14465	4036656
कुल	13921062	1796850368	25793451	2020150324	27534434	1665449980

[अनुवाद]

विमानपत्तनों/हवाईपट्टियों को पुनः चालू किया जाना

1438. श्री सी.आर. पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अप्रयुक्त निजी/सरकारी हवाईपट्टियों/विमानपत्तनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विमानपत्तनों/हवाईपट्टियों को पुनः चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं पर कितनी प्रगति हुई है तथा बिहार एवं गुजरात में विमानपत्तनों सहित स्थान-वार इन्हें कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) देश में अप्रयुक्त निजी/सार्वजनिक हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, अनेक राज्य सरकारें इनमें से कुछ हवाईअड्डों को विकसित करने का अनुरोध कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में तेजू और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा में कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार को पहले ही विकसित किया जा चुका है। किन्तु भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लंबित रहने और तकनीकी अव्यवहार्यता की वजह से फिलहाल और हवाईअड्डों को विकसित नहीं किया जा सकता। चूंकि भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करता है, इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बस्ती सुधार योजना

1439. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय सरकार के बीच सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती सुधार योजना कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत वांछित परिणाम प्राप्त किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत मलीन बस्ती वासियों को शिक्षित करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि बस्ती सुधार कार्यक्रम बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) का एक सूत्र है जिसमें एक मद/पैरामीटर है अर्थात् बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी के लिए सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त गरीबी परिवारों की संख्या। मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया विवरण, जिसमें इसी पैरामीटर पर 2011-12 के दौरान राज्य-वार निष्पादन का ब्यौरा दर्शाया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्लम वासियों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि पट्टा शिकायती लागत पर आवास प्रदान करना, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक सुरक्षा बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 3 गरीब हितैषी महत्वपूर्ण सुधारों में एक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के समामेलन और सम्बद्ध क्षेत्रों (स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं श्रम आदि) के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध बजटीय प्रावधानों को एक साथ मिलाने के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती है।

विवरण

सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायित शहरी गरीब परिवारों की संख्या सहायित गरीब परिवार

(यूनिट : संख्या)

क्र. सं.	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम	2011-12 के लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल, 2012 - मार्च, 2012	प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल, 2012 – मार्च, 2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	60000	396184#	660
2.	अरुणाचल प्रदेश	375	0	0
3.	असम	6000	1445	24
4.	बिहार	12000	0	0
5.	छत्तीसगढ़	18750	0	0
6.	दिल्ली	30000	0	0
7.	गुजरात	52500	68440	130
8.	हरियाणा	8250	2896	35
9.	झारखंड	7500	4483	60
10.	कर्नाटक	21000	12826	61
11.	केरल	22500	10102	45
12.	मध्य प्रदेश	37500	14292	38
13.	महाराष्ट्र	105000	177434	169
14.	मेघालय	900	44	5

1	2	3	4	5
15.	मिजोरम	1725	0	0
16.	नागालैंड	3000	0	0
17.	ओडिशा	8700	1229	14
18.	पुदुचेरी	1800	12900	717
19.	पंजाब	3000	3118	104
20.	राजस्थान	33000	39501	120
21.	तमिलनाडु	52500	23251	44
22.	त्रिपुरा	1500	2372	158
23.	उत्तराखंड	4500	4837	107
24.	उत्तर प्रदेश	48000	5173	11
25.	पश्चिम बंगाल	52500	14112	27
26.	चंडीगढ़	7500	0	0
	कुल योग	6,00,000	7,94,639	132

#फरवरी, 20142 तक के आंकड़े राज्य में संपुष्टि के बाद व्यापक अंतर होने के कारण दोहराए गए हैं।

विद्युत का वितरण

1440. श्री पी.के. बिजू :
श्री ए. सम्पत :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ख) उस फार्मूले का ब्यौरा क्या है जिसके अनुसार उक्त परियोजना से उत्पादित होने वाली विद्युत को राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के यूनिट-1 तथा 2 को क्रमशः अप्रैल, 2013 और अक्तूबर, 2013 तक कमीशन करने के संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र से उत्पादित विद्युत, दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के लाभानुभोगी राज्यों को विद्युत मंत्रालय द्वारा मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटित की गई है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य	पात्रता (मेगावाट)
1	2
तमिलनाडु	925
केरल	266

1	2
कर्नाटक	442
पुदुचेरी	67
अनाबंटित	300
कुल	2000

सरकार तमिलनाडु को 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के बारे में विचार करने के लिए भी सहमत हो गई है।

सेकंड हीटअप हेतु एईआरबी की स्वीकृति

1441. श्री सी. शिवासामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) ने 2000 मे.वा. वाले कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई के सेकंड हीटअप को अपनी स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह दिसम्बर, 2013 तक गंभीर होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) ने कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र के यूनिट-1 के दूसरे हीट-अप और पूर्ण प्रणाली परीक्षणों के लिए 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की थी।

(ग) और (घ) माध्यमिक चरण पर विनियामक सहमतियां प्राप्त होने पर, यूनिट-1 के मार्च, 2013 तक क्रांतिकता प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं की सुरक्षा

1442. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : 27 दिसम्बर, 2012 को आयोजित 57वीं राष्ट्रीय विकास परिषद् में बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) पर विचार किया गया तथा इसे अंगीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना उनके सामाजिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है किन्तु इसके साथ ही उनकी सुरक्षा तथा संरक्षा को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा सरकार की सर्वाधिक चिंता का विषय है। आधी आबादी की सक्रिय सहभागिता के बगैर, कोई सार्थक विकास नहीं हो सकता तथा यह भागीदारी तब तक नहीं हो सकती जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी न हो। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने राज्यों में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष ध्यान दें।

लैंगिक असमानताओं, भेदभावों तथा हिंसा को समाप्त करने को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में लगातार प्राथमिकता दी जानी है। इस योजना में महिलाओं के लिए अनुकूल, संरक्षणकारी तथा सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की बात कही गई है ताकि उनके लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना आसान हो। इस योजना में, दहेज निर्षध अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने की अपील की गई है। योजना में, नई पहलों के प्रस्ताव किए गए हैं, जैसे- आश्रय देने के लिए एकल आपदा निवारण केंद्र, नीति डेस्क, विधिक, चिकित्सीय तथा परामर्शी सेवाएं और महिला हेल्पलाइन। योजना में परिवतन टर्मिनलों की सामान्य जांच तथा महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय शुरू करने, महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए बस अड्डों पर रात्रि विश्राम-स्थल तथा शौचालय बनाने, महिलाओं के लिए अलग से बसें तथा रेलगाड़ियां चलाने तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सुरक्षित शहर आयोजना का घटक रखने का प्रस्ताव किया गया है।

योजना में, लड़कियों तथा महिलाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंचित रखने तथा उन पर हो रही हिंसा के प्रति ध्यानाकर्षण किया गया है जिसके कारण छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल लिंग अनुपात बिगड़ रहा है तथा बालक-बालिका लिंग अनुपात को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन योजनाएं

1443. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा स्थितियों का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रत्यक्षत: राज्य सरकारों के माध्यम से संस्थाओं को अवसंरचना/संभारतंत्र सुविधाओं की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) "प्रबंधन ओर लोक प्रशासन" में आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में लागू करने के संबंध में दूसरे प्रशासनिक सुधशर आयोग की "निराशा से आशा हेतु संकट प्रबंधन" (क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डेसपेयर टू होप) शीर्षक से अपनी तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिश के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आपदा प्रबंधन में विशेष-विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति ने आपदा प्रबंधन के संबंध में अवसर स्नातक स्तर पर वैकल्पिक पेपर के लिए पाठ्यक्रम और अकादमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा प्रयोग हेतु अवर स्नातक शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु विषय-पाठ्य विवरण तैयार किया है। आयोग ने आपदा प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विचार किया है और सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अवर स्नातक स्तर पर आपदा प्रबंधन के संबंध में एक वैकल्पिक पेपर शुरू करने को अनुमोदित किया है। अकादमिक स्टाफ कॉलेज से भी यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रबोधन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भी आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया जाए। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) भी स्नातकोत्तर और डाक्टरल स्तर पर आपदा प्रबंधन में विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है।

इसी प्रकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आपदा प्रबंधन विषय सामाजिक विज्ञान में स्कूल पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में शुरू किया है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों को 12वीं योजना अवधि के दौरान भी अनुदान जारी किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन विषय की भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुदुचेरी विश्वविद्यालय को अपने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), परिसर, पोर्टब्लेयर में तटीय आपदा प्रबंधन में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु 467.04 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राकृतिक संकटों/अनर्थकारी घटनाओं द्वारा होने वाली क्षतियों से पार पाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सामान्य विकास सहायता के रूप में सहायता उपलब्ध कराने की भी योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता की मात्रा आपदाओं के स्वरूप और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। क्षतियों/हानियों का पता प्रभावित जिले के जिला मेजिस्ट्रेट/आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर लगाया जाता है। वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 75 प्रतिशत और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत के अनुपात की हिस्सेदारी के आधार पर दी जाती है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में ठाणे चक्रवात में हुई हानियों, जिसने 30.12.2011 को पुदुचेरी को चपेट में लिया था, के लिए पुदुचेरी विश्वविद्यालय को 500 लाख रुपए की राशि जारी की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना के तहत निम्नलिखित कॉलेजों को अनुदान भी उपलब्ध करायें हैं:—

1.	एडीएम कॉलेज, नागापट्टीनम (तमिलनाडु)	33.60 लाख रु.
2.	टीबीएमएल कॉलेज, पोरायार (तमिलनाडु)	69.20 लाख रु.
3.	पेरियार आर्टस कॉलेज, कुड्डालुर (तमिलनाडु)	54.92 लाख रु.
4.	प्रेजिडेंसी कॉलेज, चेन्नई (तमिलनाडु)	1,42.00 लाख रु.

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुखी शिक्षा योजना

1444. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) देश भर में कार्यान्वयन हेतु संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण" आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 15.09.2011 को अनुमोदित की गई। संशोधित योजना में सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण; नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना; व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापकों की क्षमता निर्माण; दक्षता आधारित पाठ्यचर्या और अध्ययन सामग्री के विकास इत्यादि की व्यवस्था करती है। मंत्रालय द्वारा 03.09.2012 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एनवीईक्यूएफ) के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। सितम्बर, 2012 में हरियाणा के 40 स्कूलों में योजना के तहत् एनवीईक्यूएफ पर परीक्षण (पायलट) आरंभ किया गया। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुरुआती कार्य आरंभ किया गया है।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या घटना

1445. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों की संख्या घटाने की परिपाटी को समाप्त करने के लिए किसी औपचारिक समझौते का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इससे देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) भारत तथा चीन ने सहमति जताई है कि भारत-चीन सीमा के उन क्षेत्रों में, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की कोई आम अवधारणा नहीं है, में किसी भी तरफ गश्त घटाया नहीं जाएगा। यह करार भारत-चीन सीमा मामले पर परामर्श तथा समन्वय हेतु कार्य तंत्र में किया गया था। इस उपाय से भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति तथा अमन में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

एसीआर प्रक्रिया में पारदर्शिता

1446. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की एसीआर में मात्र 'अच्छा' ग्रेड ही दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप उनके पदोन्नति के अवसरों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार विशेषतौर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की एसीआर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी निदेशों में पहले से ही यह प्रावधान है कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरी एसीआर, [इसका नाम बदल कर अब वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) कर दिया गया है/निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर)] संसूचित की जाए। इसका उद्देश्य लोक सेवकों को अपना निष्पादन सुधारने का एक मौका

देना और निष्पादन मूल्यांकन पद्धति को अधिक परामर्शदात्री तथा पारदर्शी बनाना है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को रिपोर्ट में की गई प्रविष्टियों और अंतिम रूप से दी गई श्रेणियों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आधार कार्डों का वितरण

1447. **डॉ. भोला सिंह :**
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री सतपाल महाराज :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधार कार्ड के वितरण की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं एवं इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या साठ वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आधार कार्ड प्रदान करने में तनकीकी समस्याएं आने की शिकायतें आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड प्रदान करने में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई उपाय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ख) "जी, नहीं। दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार 24.07 करोड़ आधार पत्रों का मुद्रण हो चुका है और इन्हें भेज दिया गया है। तथापि, आधार संबंधी पत्रों की डाकघरों द्वारा डिलीवरी न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभिन्न उपाय जैसे डाक विभाग के साथ मामले को उठाना, ई-आधार पोर्टल शुरू करना और आधार नम्बर की सूचना के लिए लघु संदेशन सेवा (एसएमएस) शुरू किए गए हैं। डाक विभाग भी आधार संबंधी पत्रों की डिलीवरी के लिए निगरानी रख रहा है और इसने इनके निर्बाध रूप से समय पर डिलीवरी के लिए सभी डाक सर्किलों को अनुदेश जारी किए हैं।"

(ग) से (च) जी, नहीं। किसी प्रकार की तकनीकी समस्याएं आने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वरिष्ठ निवासियों के फिंगर प्रिंट लेने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। दिनांक 24.02.2013 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए आधार पत्रों का 4.34 प्रतिशत 66 वर्ष से अधिक की उम्र के निवासियों को आवंटित किया गया है।

[अनुवाद]

रोजगार के लिए आवेदन

1448. **श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला :**
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त रोजगार के लिए आवेदन पत्रों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक रोजगार श्रेणी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रोजगार श्रेणी में इन विज्ञापित रोजगारों की तुलना में हुए चयनों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान यूपीएससी और एसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके द्वारा चयन किए गये आदिवासी अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या
2009-10	1893196
2010-11	5952671
2011-12	8678125

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य-वार आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए अनुसूचित जनजाति (एसटी) अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग	कर्मचारी चयन आयोग
2009-10	200	917
2010-11	269	1904
2011-12	393	5978

विवरण

वर्ष-2009-10

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2009-10 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल)	33414
2.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2096
3.	अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक एवं लेखा परीक्षा)	66239
4.	सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-IV	27654
5.	डाटा एंट्री आपरेटर	351463
6.	सीपीओ में उप-निरीक्षक	125252
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में लेखा परीक्षक तथा लेखाकार	30013
8.	कर सहायक	401826
9.	अंडमान और निकोबार प्रशासन में अवर श्रेणी	11881
10.	बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी	30891
11.	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आसूचना अधिकारी	66439
12.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा	746028
	कुल	1893196

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2009-10 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल)	1890
2.	डाटा एंट्री आपरेटर	983
3.	सीपीओ में उप-निरीक्षक	3252
4.	अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक एवं लेखा परीक्षा)	1133
5.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	70
6.	कर सहायक	2172
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में लेखा परीक्षक तथा लेखाकार	300
8.	सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-IV	449
	कुल	10249

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान समूह ख और ग चयन पदों के संबंध में प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	समूह ख	80021	136
2.	समूह ग	85260	204
	कुल	165281	340

वर्ष-2010-11

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2010-11 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	सीजीडीए में एसएएस अप्रैंटिस	76964
2.	सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक	128168
3.	आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी	113144
4.	अंडमान और निकोबार प्रशासन में लेखाकार	2081
5.	संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय	1589509
6.	एमटीएस (गैर-तकनीकी)	1615201
7.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	8247
8.	सीपीओ में उप-निरीक्षक	188710
9.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलैक्ट्रिकल)	62130
10.	कांस्टेबल जीडी	2168517
	कुल	5952671

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2010-11 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त माध्यमिक स्तरीय	2865
2.	संयुक्त स्नातक स्तरीय	16987
3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलैक्ट्रिकल)	465
4.	सीजीडीए में एसएएस अप्रैंटिस	408
5.	अंडमान और निकोबा प्रशासन में लेखाकार	10
6.	सीपीओ में उप-निरीक्षक	2190
7.	अंडमान और निकोबार प्रशासन में अवसर श्रेणी लिपिक	262
	कुल	23187

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान समूह ख और ग चयन पदों के संबंध में प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	समूह ख	44019	240
2.	समूह ग	181581	231
	कुल	225600	471

वर्ष-2011-12

(क) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2011-12 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त स्नातक स्तरीय	976699
2.	सीपीओ में उप-निरीक्षक आदि	290119
3.	संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय	1897987
4.	आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी	226565
5.	आईएमडी में वैज्ञानिक सहायक	62286
6.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	7924

1	2	3
7.	एफसीआई में सहायक	978497
8.	एनसीबी में सिपाही	83000
9.	कनिष्ठ अभियंता (सी एंड एम, इलैक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कांट्रेक्ट)	192717
10.	सीपीओ में संयुक्त कांस्टेबल (जीडी) एवं असम राइफल्स में राइफल मैन	3636391
11.	सीएपीएफ में उप-निरीक्षक तथा सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक	325942
	कुल	8678125

(ख) अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में वर्ष 2011-12 के दौरान नौकरी श्रेणी-वार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	आशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी	3181
2.	सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक	1929
3.	संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय	3301
4.	एमटीएस (गैर-तकनीकी)	2688
5.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	414
6.	सीपीओ में उप-निरीक्षक	4418
7.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)	743
8.	कांस्टेबल (जीडी)	53867
9.	संयुक्त स्नातक स्तरीय	12586
10.	वैज्ञानिक सहायक	464
	कुल	83591

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान समूह ख और ग चयन पदों के संबंध में प्राप्त आवेदनों तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	नौकरी श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	समूह ख	41477	506
2.	समूह ग	327174	376
	कुल	368651	882

[अनुवाद]

गरीबों का कल्याण

1449. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारी मात्रा में खाद्यान्न होने के बावजूद देश की 25% जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम क्या हैं; और

(ग) गरीबों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली विशेष नई योजनाएं यदि हां, तो क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पांच वर्ष पर किए गए राष्ट्रीय उपभोग व्यय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर परिवार उपभोग व्यय तथा इसके वितरण के अनुमान उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि भारतीय परिवारों में खाद्य उपभोग की अनुमानित पर्याप्तता (फरवरी, 2013) के संबंध में एनएसएस रिपोर्ट संख्या 547 में उल्लेख किया गया है, इन सर्वेक्षणों के आधार पर, पूरे वर्ष भर दोनों शाम भोजन की उपलब्धता वाले ग्रामीण भारत के परिवारों का प्रतिशत 1993-94 के 94.5 से क्रमश: बढ़कर 2009-10 में लगभग 98.9 और शहरी भारत के परिवारों का प्रतिशत 1993-94 के लगभग 98.1 से बढ़कर 99.6 हो गया।

(ख) और (ग) भूख की समस्या के समाधान के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि लोगों और खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरकार लक्षित आबादी को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराती रही है, जैसे- मध्याह्न भोजन स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम, आपात भोजन कार्यक्रम, ग्राम अन्न बैंक स्कीम आदि। इसके अलावा, सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया है जिसमें लोगों के लिए स्तरीय तथा सस्ते भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर जीवनकाल में भोजन तथा पोषण के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि लोग मर्यादित जीवन जी सकें।

खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सरकार गरीबों से जुड़े कई मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें चला रही है, जैसे- रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – आजीविका, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

आधार और एनपीआर का अति व्यापन

1450. श्री एस. सेम्मलई :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट पहचान (यूआईडी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में अति व्यापन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले को मंत्रिसमूह को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) भारत का महापंजीयक (आरजीवाई) नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्रों को जारी करना) नियम, 2003 के अंतर्गत, सामान्यतः भारत में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) सृजित कर रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) के सृजन की आवश्यकता सरकार द्वारा देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति के आकलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। दूसरी ओर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक विकासात्मक पहल के रूप में, सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्याएं (जिन्हें आधार कहा जाता है) जारी कर रहा है।

यूआईडीआरई बहुपंजीयक मॉडल के माध्यम से निवासियों का पंजीकरण कर रहा है। आरजीआई यूआईडीएआई के पंजीयकों में से एक है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में यूआईडीएआई ने अच्छी प्रगति की है अथवा जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों ने आधार पंजीकरण हेतु वायदा किया है तथा इसे विभिन्न सेवा प्रदानकारी अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत कर रहे हैं, वहां गैर-आरजीआई पंजीयकों के माध्यम से आधार पंजीकरण पूरी तेज़ी से होगा। तद्नुसार, ऐसे कुछेक राज्यों को विनिर्दिष्ट किया गया है। (संलग्न विवरण), जहां यूआईडीएआई के गैर-आरजीआई पंजीयक आंकड़े संग्रहित कर सकते हैं। यह निर्णय भी लिया गया है कि एनपीआर पंजीयन पहले ही की तरह चलता रहेगा, किन्तु यदि पंजीयन के क्रम में कोई व्यक्ति कहता है कि उसने पहले ही आधार के लिए पंजीकरण करा लिया है तो एनपीआर द्वारा बायोमीट्रिक आंकड़े नहीं लिए जाएंगे। इसके बजाय आधार संख्या/पंजीयन संख्या को एनपीआर में दर्ज किया जाएगा और एनपीआर के लिए बायोमीट्रिक आंकड़ा दे दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार एनपीआर में पंजीकृत ऐसे सामान्य निवासियों, जिनके पास आधार संख्या भी हो, के लिए निवासी परिचय पत्र जारी करने पर विचार कर रही है। अधिकार प्राप्त वित्त समिति ने निवासी परिचय पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है और इसकी सिफारिश की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.01.2013 को इस प्रस्ताव पर विचार किया है और यह निदेश दिया है कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा प्रथम दृष्टया इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। तदुपरांत मंत्रियों के समूह का गठन किया जा चुका है।

विवरण

वे राज्य जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आंकड़े संग्रहित कर सकता है

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

क्षेत्रीय भाषाओं की पीठ

1451. श्री पी.टी. थॉमस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषतौर से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मलयालम सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा पढ़ाने के प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(घ) क्या शैक्षणिक फैकल्टी के विज्ञापित पदों को भर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास नए पाठ्यक्रमों को लागू करने, संकाय की भर्ती करने और पीठों की स्थापना करने सहित अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे मामलों में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित किया है कि यह अपने आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग में मलयालम भाषा में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

शिकायतों का समाधान

1452. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक शिकायतों की प्राप्ति के दो माह के भीतर उनका निवारण हो जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या डीएआरपीजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत याचिका अस्वीकार किए जाने के कारण एवं तत्संबंधी नियम बताने और अपीलीय प्राधिकरण का ब्यौरा देना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो शिकायत याचिकाओं के अस्वीकार करने के कारण न बताने के क्या कारण हैं;

(घ) शिकायत याचिकाओं के अस्वीकार करने के कारण बताने के लिए उठाये गये कदम कौन से हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उनके वेबसाइटों पर शिकायतों की स्थिति को दर्शाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) वर्ष 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार "संबंधित लोक प्राधिकरण को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दो माह के अंदर शिकायत का निपटारा किया जाना चाहिए"। दिशा-निर्देश में आगे कहा गया है कि किसी शिकायत याचिका को रद्द करने के अंतिम निर्णय की सूचना देते समय उन कारणों और नियमों, यदि कोई हो, का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके आधार पर याचिका को रद्द किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनिवार्य नहीं है और दिशा-निर्देशों में अपीलीय प्राधिकारी का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) शिकायतकर्त्ता लोक शिकायत पोर्टल अर्थात् *http://pgportal.nic.in* जो एक ऑनलाइन प्रणाली है, पर अपनी याचिका की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। इसमें शिकायतकर्त्ता के लिए शिकायत की स्थिति देखने, अनुस्मारक भेजने और शिकायत निवारण के बाद फीडबैक देने की सुविधा है। संबंधित मंत्रालय/विभाग उनके पास लंबित सभी शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं। फिलहाल शिकायत की स्थिति की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन

1453. श्री समीर भुजबल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का कुल प्रतिशत क्या है;

(ख) वर्ष 2010-11 और 2011-12 में इन संस्थानों में नये प्रवेश पाने वाले छात्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का प्रतिशत क्या है; और

(ग) इन उच्च संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) आईआईटी में वर्ष 2011-12 और 2012-13 में नामांकित अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों का कुल प्रतिशत क्रमशः 19.25% और 21.23% है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में आईआईएम में यह क्रमशः 25.12% और 26.60% और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2010-11 और 2011-12 में यह 16.58% और 19.53% है।

(ख) 2010-11 और 2011-12 में नए प्रवेश पाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का प्रतिशत निम्नवत् है:-

संस्था	वर्ष 2011-12 में नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का कुल प्रतिशत	वर्ष 2012-13 में नामांकित छात्रों का कुल प्रतिशत
आईआईटी	23.31%	23.51%
आईआईएम	24.04%	26.59%
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	18.78%	21.04%

(ग) सरकार ने अपनी सभी शैक्षिक संस्थाओं को प्रवेश में आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के बारे में सूचित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रत्येक वर्ष बजट बैठक के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की मॉनीटरिंग कर रहा है।

सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीआई) को 54% क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निधियां भी आबंटित की हैं ताकि वे सामान्य श्रेणी की सीटों को कम किए बिना अन्य पिछड़ वर्ग को आरक्षण दे सकें। केन्द्र सरकार सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सीएफटीआई को प्रवेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने के लिए परामर्शिकाएं भी जारी की हैं।

[हिन्दी]

सर्वशिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त अध्यापकों हेतु धनराशि

1454. श्री बाल कृष्ण खांडेराव शुक्ल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के नियमों में मौजूदा स्कूलों के लिए भर्ती किये गये अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन के समावेश का प्रावधान नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त अध्यापकों के वेतन का निधीयन सर्वशिक्षा अभियान के बजट में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के मानदंडों में नए प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लिखित छात्र-शिक्षक अनुपात के मानदंडों के अनुरूप सृजित अतिरिक्त शिक्षक पदों के लिए वेतन का प्रावधान किया गया है। इन पदों के वेतन का भारत एसएसए के अंतर्गत राज्य और केन्द्र सरकार के बीच 35:65 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सृजित अध्यापकों के पद के वेतन के लिए एसएसए की सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय महिलाएं

1455. श्री अजय कुमार : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय महिलाओं की वर्तमान संख्या और विगत तीन वर्षों में खाड़ी देशों में नई महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन महिलाओं को दिए गए रोजगार का स्वरूप क्या है और विदेशों विशेष तौर से खाड़ी देशों में भारी संख्या में महिलाओं के जाने के कारण क्या है; और

(ग) इन देशों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) ईसीआर पासपोर्ट धारक महिलाओं समेत भारतीय कामगार जो 17 उत्प्रवासन जांच अपेक्षित देशों से किसी में रोजगार हेतु उत्प्रवासन अनुमति के इच्छुक हों, के बारे में इस मंत्रालय में आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों के लिए भारतीय महिलाओं को प्रदान की गई उत्प्रवासन अनुमति की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) खाड़ी देशों में भारतीय महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां में नियुक्त हैं जैसे: डाक्टर, नर्से, अध्यापक, घरेलू महिला कामगार, रिसेपशनिस्ट आदि।

(ग) उत्प्रवासी भारतीय महिलाओं के हित में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) ईसीआर पासपोर्टों पर ईसीआर देशों को उत्प्रवासन करने वाली सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का आयु प्रतिबंध।

(ii) 'उत्प्रवासियों के लिए एक न्यूनतम रैफरल मजदूरी' परिभाषित करना (मिशन द्वारा निर्धारित)।

(iii) सीधे ही भारतीय कामगार की भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ता से प्रति कामगार एक सिक्योरिटी डिपाजिट का अनुबंध (2500 अमेरिकी डॉलर)।

(iv) ईसीआर देशों को जाने वाली ईसीआर पासपोर्ट धारक सभी महिला उत्प्रवासियों के लिए रोजगार दस्तावेजों का संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापन।

(v) नियोक्ता द्वारा महिला घरेलू कामगार को एक प्री-पेड मोबाइल फोन सुविधा मुहैया करवाना।

(vi) यूएई में भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र की स्थापना जो कामगारों संबंधी मामलों, कार्य संबंधी करारों के सत्यापन

हेतु प्रक्रियाओं, शिकायतों का निवारण करने से संबंधित मामलों पर जानकारी प्रदान करता है। भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र विपदाग्रस्त भारतीय महिला कामगारों को भोजन और आवास हेतु आश्रय, कानूनी, वित्तीय सहायता और मेडिकल काउंसिलिंग भी प्रदान करता है।

(vii) सरकार ने विपदा ग्रस्त उत्प्रवासियों को यथास्थान सहायता प्रदान करने हेतु सभी भारतीय मिशनों में 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' की स्थापना की है।

(viii) सरकार ने सात प्रमुख श्रम ग्राही देशों नामत: जोर्डन, कत्तर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कामगारों के कल्याण और संरक्षण हेतु द्विपक्षीय सहयोग के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।

इन समझौता ज्ञापनों के तहत संयुक्त कार्य समूहों का गठन किया गया है जिनकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि द्विपक्षीय श्रम मुद्दों का समाधान किया जा सके।

(ix) सरकार ने एक प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र की स्थापना की है जोकि आठ भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध फोन हैल्पलाइन सुविधा है, जिसका उद्देश्य उत्प्रवासियों, को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उत्प्रवास से जुड़े विन्नि पहलुओं पर भावी उत्प्रवासियों को जानकारी उपलब्ध करवाना है।

(x) भावी उत्प्रवासियों कौ वैध उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्रवास के जोखिम, और उत्प्रवास के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने हेतु मीडिया के माध्यम से जागरुकता अभियान।

(xi) दुर्घटनाओं, घायल होना आदि से संबंधित उत्प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है।

(xii) खाड़ी देशों में भारतीय मिशन, महिलाओं समेत उत्प्रवासी कामगारों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करते हैं और जहां जरूरी हो रोजगार संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन के साथ-साथ परामर्शदायी/कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं।

विवरण

भारतीय महिलाओं को प्रदान की गई उत्प्रवासन अनुमति की संख्या

देश का नाम	वर्ष		
	2010	2011	2012
बहरीन	68	68	122
कुवैत	16815	12056	11901
ओमान	438	2911	5884
कत्तर	18	48	45
केएसए (सउदी अरब)	533	203	340
यूएई	1410	1253	1334

'आसियान' का विशेष सम्मेलन

1456. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत- 'आसियान' विशेष स्मारक सम्मेलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्र में आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए किये गये समझौतों और हस्ताक्षरित ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें चीन के साथ तनाव, विशेष तौर से दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर, चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) आसियान के साथ शिखर स्तरीय सहभागिता के 10 वर्षों तथा वार्ता संबंधों के 20 वर्षों के स्मारक के रूप में "शांति एवं साझी समृद्धि के लिए आसियान-भारत सहभागिता" शीर्षक के अंतर्गत आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 20 से 21 दिसम्बर, 2012

को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें 9 आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों, फिलीपिंस के उपराष्ट्रपति तथा आसियान के महासचिव ने भाग लिया। स्मारक शिखर सम्मेलन में पारित भावी योजना वक्तव्य में यह घोषित किया गया था कि आसियान-भारत सहभागिता रणनीतिक सहभागिता तक पहुंच गई है तथा इसमें आसियान-भारत सेवा व्यापार एवं निवेश करारों की वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया गया।

(ग) और (घ) हालांकि, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी फिर भी एक नेता ने पूर्ण अधिवेशन में अपने वक्तव्य में दक्षिण चीन सागर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के समाधान का उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री

1457. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सरकार को कितना राजस्वार्जन हुआ; और

(घ) वर्ष 2013 के दौरान वैयक्तिक कम्पयूटरों की अनुमानित मांग कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) वैश्विक डेटा अनुसंधान एजेंसी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 के 10.75 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान 11.12 मिलियन पर्सनल कम्प्यूटरों की बिक्री की गई।

(ग) उपर्युक्त डेटा के आधार उत्पाद शुल्क/काउण्टरवेलिंग शुल्क (सीवीडी) के माध्यम से पर्सनल कम्प्यूटर पर 12% की दर से सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व लगभग 3,280 करोड़ रुपए होना चाहिए था।

(घ) वैश्विक डेटा अनुसंधान एजेंसी के अनुसार वर्ष 2013 में पर्सनल कम्प्यूटर की संभावित मांग 12.1 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

निजी विद्यालयों की भरमार

1458. श्री महाबली सिंह :
श्री पी. कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनक 'प्रथम' की एएसईआर रिपोर्ट, 2012 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 28 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और इसके वर्ष 2018 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत, उक्त तथ्य के तर्काधार सहित क्या है; और

(ग) देश में निजी विद्यालयों की बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए सरकार क्या कार्य योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर), जो 'प्रथम' नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित मूल्यांकन है, ने 2012 की अपनी रिपोर्टों में उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 28 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। तथापि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), जो प्रारंभिक शिक्षा पर स्कूल आधारित राष्ट्रीय डाटाबेस है, के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर निजी स्कूलों में बच्चों की प्रतिशतता 2011-12 में 16.99 थी, जो पिछले वर्ष से कुछ अधिक थी। 2011-12 में प्रारंभिक स्तर पर निजी स्कूलों में जा रहे ग्रामीण बच्चों की राज्य-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ, के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्कूल, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी शामिल हैं, को निर्धारित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी, और मान्यता तभी प्रदान की जाएगी यदि यह आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करते हों।

विवरण

ग्राम क्षेत्रों में निजी स्कूलों में नामांकन प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.30
2.	आंध्र प्रदेश	25.34
3.	अरुणाचल प्रदेश	13.48
4.	असम	4.67
5.	बिहार	0.04
6.	चंडीगढ़	2.58
7.	छत्तीसगढ़	10.52
8.	दादरा और नगर हवेली	5.73
9.	दमन और दीव	33.29
10.	दिल्ली	31.13
11.	गोवा	8.62
12.	गुजरात	11.82
13.	हरियाणा	30.30
14.	हिमाचल प्रदेश	25.64
15.	जम्मू और कश्मीर	30.15
16.	झारखंड	4.45
17.	कर्नाटक	17.68
18.	केरल	16.51
19.	लक्षद्वीप	0.00
20.	मध्य प्रदेश	17.06
21.	महाराष्ट्र	7.56
22.	मणिपुर	44.40
23.	मेघालय	13.33
24.	मिजोरम	9.40
25.	नागालैंड	39.33
26.	ओडिशा	4.04
27.	पुदुचेरी	46.02
28.	पंजाब	16.91
29.	राजस्थान	33.16
30.	सिक्किम	14.45
31.	तमिलनाडु	25.68
32.	त्रिपुरा	4.35
33.	उत्तर प्रदेश	32.22
34.	उत्तराखंड	31.37
35.	पश्चिम बंगाल	4.87
	भारत	16.99

[अनुवाद]

मौजूदा हवाईपट्टियों को सिविल एन्कलेव का दर्जा

1459. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में रूपसी सहित विभिन्न राज्यों

की मौजूदा हवाईपट्टियों को नागर अंत:क्षेत्र (सिविल एन्कलेव) का दर्जा देने के कोई अनुरोध राज्यों से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है तथा उक्त हवाई पट्टियों को कब तक स्वीकृत/चालू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) नए सिविल एन्कलेव बनाए जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र की सरकार से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा पंजाब में भटिंडा में एक हवाईअड्डे बनाया गया है और चंडीगढ़ में हवाईअड्डों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अलांग, जीरो तथा पासीघाट, असम में रूपसी, उत्तरी प्रदेश में बरेली तथा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में हवाईअड्डा संबंधी परियोजनाएं तैयार स्तर पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। एएआई तथा राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित भूमि की पहचान की जा रही है। तथापि, विकास योजना की तैयारी यातायात की मांग तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित भूमि सौंपने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

1460. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री राकेश सिंह :
श्री वरूण गांधी :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के कार्यान्वयन के बाद विद्यालयों में नामजद छात्रों की संख्या बंद गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विद्यालयों, अध्यापकों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है और निधी कितनी है तथा किन-किन राज्यों में यह अधिनियम कार्यान्वित नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों को उनके मूल कौशल के विकास का अवसर देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) देश में आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार नामांकन का आंकड़ा जो वर्ष 2009-10 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमश: 13.34 करोड़ और 5.44 करोड़ था वर्ष 2011-12 में बढ़कर क्रमश: 13.70 करोड़ और 6.19 करोड़ हो गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार पड़ोस में स्कूल की और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था राज्यों को करनी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां अधिनियम लागू नहीं है, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सर्व

शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से 58163 विद्यालय और 700475 अध्यापकों की संस्वीकृति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61906.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 में बच्चे के समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) भारत सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा निगरानी का कार्य भी करती है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों का क्षमता निर्माण भी करती है।

विवरण

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन			
		2009-10		2011-12	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34242	22323	32423	20909
2.	आंध्र प्रदेश	7229193	3622055	7440000	3811101
3.	अरुणाचल प्रदेश	245832	88617	248357	92954
4.	असम	3521862	1640238	3927798	1833169
5.	बिहार	15156710	3850783	15882000	4970093
6.	चंडीगढ़	89871	52474	98214	58655
7.	छत्तीसगढ़	3151851	1363884	3120598	1622304
8.	दादरा और नगर हवेली	39826	12464	39381	20613
9.	दमन और दीव	17472	8963	17122	9337
10.	दिल्ली	1684425	982164	1807829	1010628
11.	गोवा	112994	65673	114236	71769
12.	गुजरात	5852700	1961691	5858019	2518948
13.	हरियाणा	2221119	1115634	2443613	1280868

1	2	3	4	6	7
14.	हिमाचल प्रदेश	623198	412919	619300	386642
15.	जम्मू और कश्मीर	1308028	665266	1239955	668275
16.	झारखंड	4939161	1584772	4753088	1907171
17.	कर्नाटक	5418842	2217903	5417838	3007019
18.	केरल	1987815	1368183	2286189	1533674
19.	लक्षद्वीप	6880	3677	5828	4337
20.	मध्य प्रदेश	10927623	4557366	10396617	4921211
21.	महाराष्ट्र	10356617	5497441	10337189	5848702
22.	मणिपुर	343935	126352	366372	141692
23.	मेघालय	470689	135638	516342	189274
24.	मिजोरम	181367	65242	179993	78660
25.	नागालैंड	278190	123221	288540	125865
26.	ओडिशा	4366931	1622581	4433052	2087078
27.	पुदुचेरी	112795	71199	109803	71189
28.	पंजाब	1850638	1057686	2587691	1401372
29.	राजस्थान	8627768	3547361	8657160	3740012
30.	सिक्किम	88262	35840	84291	41327
31.	तमिलनाडु	6190928	3733633	6040051	3736201
32.	त्रिपुरा	444516	219303	384760	218820
33.	उत्तर प्रदेश	23933247	7604400	26188803	9215942
34.	उत्तराखंड	1044735	534994	1091485	567433
35.	पश्चिम बंगाल	10545319	4495475	10086047	4741910
	अखिल भारत	133405581	54467415	137099984	61955154

(डीआईएसई 2011-12)

पूर्व मुख्यमंत्रियों और राजनैतिक दलों के विरुद्ध लंबित जांच

1461. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **प्रधानमंत्री** 12 दिसम्बर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे 57 मामले, जिनमें 8 पूर्व मुख्यमंत्री और राजनैतिक दलों के 71 पदाधिकारी शामिल हैं, कब से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) सीबीआई द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक घरानों के विरुद्ध कितने मामलें सीबीआई न्यायालयों में लंबित हैं; और

(घ) उक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कुल 57 मामलों में से, 56 मामले विचारणाधीन हैं तथा दिनांक 31.10.2012 को विचारण के एम मामले का दोषमुक्ति मामले के रूप में निपटान कर दिया गया है।

किसी भी आपराधिक मामले में आरोप-पत्र दायर करने के पश्चात् मामले का विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया एवं उस मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय पर निर्भर करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालयों में निम्नलिखितानुसार 2229 आरोप-पत्र एवं 238 समापन (क्लोजर) रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:—

वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं	उन मामलों की संख्या जिनमें समापन (क्लोजर) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं
1	2	3
2010	842	70
2011	701	72
2012	686	96

(ग) जहां तक औद्योगिक धरानों के विरुद्ध मामलों का संबंध है, इन्हें लोक सभा के दिनांक 12.12.2012 के प्रश्न संख्या 3133 के संदर्भ में पहले से ही सूचित किया जा चुका है, ये आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों में, केवल सीबीआई मामलों के विचारणार्थ विशेष रूप से 46 विशेष न्यायाधीश न्यायालय एवं 10 मजिस्ट्रेट न्यायालय हैं। सरकार ने देश में सीबीआई द्वारा अन्वेषित भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के मामलों पर सुनवाई के लिए 71 विशेष न्यायालयों के गठन की स्वीकृति दी है। इनमें से 66 विशेष न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में देश में विभिन्न राज्यों में 22 और विशेष न्यायालयों के सृजन को अनुमोदन दिया है।

[अनुवाद]

सकल नामांकन अनुपात

1462. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में लक्ष्य के अनुसार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के दौरान 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 15.0 है। 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 में देश में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 18.8 रहने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 के लिए

उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "स्कूल शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान देश में कक्षा I-VIII और IX-X में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 104.03 और 65.0 है। वर्ष 2011-12 के स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य क्रमशः 15.0 और 75.0 हैं। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन है।

(ग) सरकार सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सतत् प्रगति कर रही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कर्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। ताकि स्कूलों में नामांकन-वृद्धि हो सके। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि करने की दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु कई नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलीटेक्निक तथा अन्य उच्चतर अध्ययन संस्थाएं स्थापित की गई हैं। सरकार द्वारा एक नई योजना अनुमोदित की गई है, जिसके तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 अभिनिर्धारित जिलों, जहां उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय अनुपात से कम है, में से प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/राज्य विश्वविद्यालयों को हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अवसंरचना विकास हेतु सरकारी-निजी साझेदारी

1463. श्री निशिकांत दुबे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने में आगे आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) चालू पीपीपी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें किस प्रकार का अवसंरचना विकास किया जा रहा है; और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान शहरी अवसंरचना विकास हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी अवस्थापना में सार्वजनिक निजी भागीदारी तुलनात्मक रूप से नया तथ्य है और कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों तरह की क्षमता कठिनाइयों का सामना करती हैं। अनेक पक्षकारों की आशाओं को पूरा करने एवं परियोजना भागीदारी में पीपीपी परियोजना के जोखिमों एवं लाभों को इष्टतम रूप में आबंटित करने में सार्वजनिक प्राधिकरण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

(ग) सरकार पीपीपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों क्षमताएं बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पीपीपी पर सेमिनार, कार्याशालाएं एवं प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने शहरी अवस्थापना में पीपीपी को प्रोत्साहित करने में राज्यों की मदद के लिए बोली दस्तावेज, टूलकिट एवं दिशा-निर्देश भी प्रकाशित किये हैं।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सहायता दी जा रही पीपीपी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) निर्माण विकास क्षेत्र (टाउनशिप, आवास, निर्मित अवस्थापना एवं निर्माण-विकास परियोजनाओं) में राज्य-वार एफडीआई इक्विटी इंफ्लो संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार पीपीपी परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	बीआरटीएस विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	शहरी परिवहन
2.	हैदराबाद दुतजन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस)-हैदराबाद मेट्रो	आंध्र प्रदेश	शहरी परिवहन
3.	गुवाहाटी में ठोस कचरा प्रबंधन	असम	ठोस कचरा प्रबंधन
4.	राजकोट बीआरटीएस	गुजरात	शहरी परिवहन
5.	सूरत बीआरटीएस (सूरत बीआरटीएस के लिए बसों की खरीद, उपलब्ध कराना एवं संचालन)	गुजरात	शहरी परिवहन
6.	अन्जना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	गुजरात	सीवरेज
7.	भेषन सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	गुजरात	सीवरेज
8.	बमरौली में द्वितीयक सीवरेज शोधन संयंत्र	गुजरात	सीवरेज
9.	पाल-पालनपुर क्षेत्र हेतु सीवरेज निपटान नेटवर्क और एसटीपी	गुजरात	सीवरेज
10.	वासु क्षेत्र हेतु सीवरेज निपटान नेटवर्क और एसटीपी	गुजरात	सीवरेज
11.	सूरत के नए पूर्वी जोन क्षेत्रों हेतु सीवरेज एवं सीवरेज प्रणाली	गुजरात	सीवरेज
12.	एसएमसी के नए उत्तरी जल निकास हेतु सीवरेज शोधन प्रणाली	गुजरात	सीवरेज
13.	बड़ोदरा नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न नगर निगम ठोस कचरे के निपटान के लिए जमबुआ में सुरक्षित इंजीनियर्ड लैडफिल सुविधा के फेज-I का अभिकल्पन, विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण	गुजरात	सीवरेज
14.	सूरत ठोस कचरा उन्नयन प्रणाली	गुजरात	ठोस कचरा प्रबंधन

1	2	3	4
15.	राजकोट समेकित ठोस कचरा संशोधन संयंत्र	गुजरात	ठोस कचरा प्रबंधन
16.	अहमदाबाद में 12 किमी. लम्बा बीआरटीएस	गुजरात	ठोस कचरा प्रबंधन
17.	बीआरटीएस, अहमदाबाद	गुजरात	शहरी परिवहन
18.	बीआरटीएस, अहमदाबाद चरण-II	गुजरात	शहरी परिवहन
19.	पीराना-अहमदाबाद स्थित 180 एमएलडी सीवरेज प्रणाली का विकास एवं प्रबंधन	गुजरात	शहरी परिवहन
20.	वसना अहमदाबाद स्थित 35 एमएलडी सीवरेज प्रणाली का विकास एवं प्रबंधन	गुजरात	सीवरेज
21.	अहमदाबाद स्थित 200 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का विकास	गुजरात	सीवरेज
22.	अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	गुजरात	जलापूर्ति
23.	फरीदाबाद शहर में ठोस कचरा प्रबंधन	हरियाणा	ठोस कचरा प्रबंधन
24.	मैसूर में समेकित निपटान सुविधा का विकास	कर्नाटक	ठोस कचरा प्रबंधन
25.	मैसूर शहर के लिए आपूर्ति वितरण नेटवर्क का पुनरूपेण	कर्नाटक	जलापूर्ति
26.	नागपुर जलापूर्ति पेंच-IV (भाग-2) (एनएजी-012)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति
27.	नागपुर जल लेखा परीक्षा (एनएजी-011)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति
28.	जलापूर्ति के लिए नागपुर ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजना (एनएजी-008)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति
29.	नागपुर खनन संवर्धन स्कीम (एनएजी-015)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति
30.	सार्वजनिक निजी भागीदारी से नागपुर शहर के लिए चौबीस घंटे जलापूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास योजना नागपुर डीपीआर (एनएजी-028)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति
31.	नागपुर में दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग	महाराष्ट्र	सीवरेज
32.	मुंबई मेट्रो रेल परियोजना लाइन-I वेरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर	महाराष्ट्र	शहरी परिवहन
33.	मुंबई मेट्रो रेल परियोजना-चारकोप-बांद्रा-मुकुंद	महाराष्ट्र	शहरी परिवहन

1	2	3	4
34.	पीसीएमसी में ठोस कचरा प्रबंधन	महाराष्ट्र	ठोस कचरा प्रबंधन
35.	लातूर में पार्किंग प्लाजा	महाराष्ट्र	शहरी परिवहन
36.	पुदुचेरी के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	पुदुचेरी	ठोस कचरा प्रबंधन
37.	जयपुर (राजस्थान) में नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	राजस्थान	ठोस कचरा प्रबंधन
38.	वेंगदमंगलम में अलंधूर, पल्लवपुरम और तम्बरम् में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन
39.	चेन्नई में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन
40.	कोयम्बटूर नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन
41.	मदुरै नगर निगम में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन
42.	आगरा में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
43.	इलाहाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
44.	कानपुर में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
45.	लखनऊ में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
46.	मथुरा में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
47.	मेरठ में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
48.	वाराणासी में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन
49.	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन देहरादून	उत्तराखंड	ठोस कचरा प्रबंधन
50.	साल्टलेक के सेक्टर-V में जलापूर्ति का विकास एवं प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	जलापूर्ति
51.	आसनसोल-दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र में नागर विमानन ठोस कचरा प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	ठोस कचरा प्रबंधन
52.	साल्टलेक सेक्टर-V (एनडीआईटीए) में सीवरेज प्रणाली का विकास एवं प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	सीवरेज

विवरण-II

एफडीआई इक्विटी इनफ्लो

क्षेत्र: निर्माण विकास (टाउनशिप आवास निर्मित अवस्थापना और निर्माण विकास परियोजनाएं)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	2011-12 (अप्रैल-मार्च)	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर)
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	620.31	416.94
2.	पटना	बिहार, झारखंड	0.09	0.00
3.	अहमदाबाद	गुजरात	237.17	143.81
4.	बेंगलुरु	कर्नाटक	337.46	762.39
5.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	217.33	0.10
6.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	63.97	75.00
7.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	2,990.93	1,545.90
8.	भुवनेश्वर	ओडिशा	3.50	26.88
9.	जयपुर	राजस्थान	0.54	11.42
10.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुदुचेरी	652.13	728.76
11.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	0.00	0.00
12.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	611.23	536.38
13.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश	45.38	23.78
14.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग	6,889.97	1,314.39
15.	पणजी	गोवा	0.94	3.47
16.	क्षेत्र दर्शाया नहीं गया है		2,565.09	326.11
	कुल योग		15,236.03	5,915.33

उपर्युक्त राज्य-वार इनफ्लो भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई द्वारा प्रस्तुत आरबीआई के क्षेत्र-वार इनफ्लो के अनुसार वर्गीकृत है।

निम्न लागत वाले हवाईअड्डे

1464. **श्री संजय भोई :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में घरेलू हवाई सेवाओं हेतु और ज्यादा निम्न लागत वाले हवाईअड्डे बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे हवाईअड्डे बनाए जाने हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिणाम का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न हवाईअड्डों को कब तक चालू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं। संपूर्ण देश में निम्न लागत वाले हवाईअड्डों के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय नागर विमानन मंत्रालय में नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आरटीआई अधिनियम पर एनएसी की सिफारिश

1465. **श्री बलीराम जाधव :**
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शिकायत निवारण ढांचा और इसकी मॉनीटरी तंत्र बनाने के लिए मंत्रालय को कदम उठाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने और शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार लाने के संबंध में एनएसी की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय से राज्य-स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक अनुवीक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को फरवरी, 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं।

(ग) एनएसी ने अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में भेदभाव समाप्त करने, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने, भेदभाव पर स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय प्राधिकारियों के प्रशिक्षण और गैर-विरोधात्मक तरीके से शिकायत निवारण के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

दुकानों की नीलामी

1466. **श्री विश्वमोहन कुमार :**
श्री प्रेमदास :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो का स्टेशनों पर दुकानों की नीलामी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) नियमित अंतराल पर खुली बोली के माध्यम से निर्मित दुकानों को लाइसेंस प्रदान कर रहा है। बोली के पश्चात् भी जो दुकानें खाली रह जाती हैं, उनको भी उपयुक्त प्राधिकार द्वारा उनका वित्तीय मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रस्ताव आधार पर आबंटित किया जाता है।

डीएमआरसी द्वारा खाली दुकानों का सर्वेक्षण और बाजार मूल्यांकन करा लिया गया है और अब खाली दुकानों की बोली लगाई जाएगी।

आबंटन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् ही दुकानों से वास्तविक राजस्व प्राप्ति की गणना की जा सकती है।

[हिन्दी]

राजीव आवास योजना

1467. श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
श्री रमाशंकर राजभर :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री के. सुगुमार :
श्री पी. करूणाकरन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के शुरू होने के बाद से विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली तथा कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित है और इनके लंबित होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने आरएवाई पर उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरएवाई के तहत नये शहरों को शामिल करने तथा राज्यों को सहायता के अनुपात को भी बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आरएवाई के द्वितीय चरण हेतु धनराशि की आवश्यकता का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए है/उठा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राजीव विकास योजना दिनांक 02.06.2011 को प्रारंभ की गई थी। राजीव आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उन राज्यों को प्रदान की जाती है जो स्लमवासियों को संपदा अधिकार प्रदान करते हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्गों (एलआईजी) के लिए भूमि आरक्षित रखते हैं, शहरी गरीबों/स्लम वासियों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए म्यूनिसिपल बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित रखते हैं और शहरी गरीबों के लिए भूमि और किफायती आवासों की कमी का समाधान करने के लिए कानूनों में संशोधन नीतियों में परिवर्तन करते हैं। मूलभूत नगरीय और सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं के प्रावधान की लागत तथा आवास प्रदान करने की लागत, जिसमें किराए पर आवास और पारगमन आवास – स्लमों में यथास्थाने पुनर्विकास के लिए – सम्मिलित है, का पचास प्रतिशत (50%) केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र का योगदान 90% होगा, जिसमें भूमि के अर्जन, यदि अपेक्षित हो, की लागत सम्मिलित है।

प्रारंभिक गतिविधियों और पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राजीव आवास योजना के पहले चरण, जो कि प्रारंभिक चरण है, जिसकी योजनावधि योजना के अनुमोदित की तारीख से दो वर्षों अर्थात् जून, 2013 तक के लिए है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरों/कस्बों को सम्मिलित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र कर ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पायलट परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभिक गतिविधियों को सरलीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इनमें सम्मिलित है: स्लम सर्वेक्षण के लिए दिशा-निर्देश, जीआईएस मानचित्रण, एमआईएस विकास और एमआईएस के साथ जीआईएस का एकीकरण; सामुदायिक सहभागिता; स्लम मुक्त शहर कार्य योजना तैयार करना; पायलट परियोजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना; आदर्श स्लम वासी सम्पदा अधिकार, अधिनियम, 2011 का मसौदा; सार्वजनिक और निजी सभी आवासीय परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों के लिए 20-25 प्रतिशत विकसित भूमि के आरक्षण के लिए आदर्श प्रावधानों का मसौदा।

(घ) राजीव आवास योजना के चरण-II के लिए ईएफसी टिप्पण पर अंतर मंत्रालय परामर्श किया जा रहा है जिसमें वृहत्तर और छोटे

शहरों के लिए वृच्छित विभेदक सहायता के साथ मांग के आधार पर सभी शहरों को राजीव आवास योजना के अंतर्गत लाने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि वृहत्तर शहरों के लिए केन्द्रीय अंशदान परियोजना लागत का 60 प्रतिशत छोटे शहरों के लिए 80 प्रतिशत और उत्तर पूर्वी तथा पर्वतीय राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। राजीव आवास योजना के दूसरे चरण के लिए अपेक्षित प्रस्तावित अनुमानित निधि ईएफसी टिप्पण का भाग है जिस पर अंतर मंत्रालय परामर्श किया जा रहा है इसके अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या के लक्ष्यों के आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मिशन के लिए 43,600 करोड़ रुपए की निधि अपेक्षित है।

विवरण-I

प्रस्ताव प्राप्त आरएवाई परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	मूल रूप से मंजूरी दे दी शहरों	अतिरिक्त शहरों में राज्य सरकार द्वारा लिए अनुरोध किया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर, नेल्लोर, कुरनूल, राजमुंदरी, वारंगल, काकीनाडा	रामागुंडम	स्वीकार करना
			निजामाबाद, कडप्पा, अनंतपुर, एलुरु, खम्माम, मछलीपट्टनम, ओंगोल, नलगोंडा, धर्मावरम, सूर्यापेट, चिरला, संगगराडी, कंदुकुर, जहीराबाद, जलगांव, येलदू, वेनकटगिरी, सिद्धिपेट	शहरों में प्रीपरेटरी गतिविधियों की प्रगति पहले से ही सूचित किया जाना मंजूरी दे दी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहारलागम, ईटानगर	—	—
3.	असम	गुवाहाटी	—	—
4.	बिहार	पटना, गया — बोधगया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर	—	—
5.	छत्तीसगढ़	भिलाई नगर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा	—	—
6.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम	—	—
7.	गोवा	मोरमुगाओ, पणजी, मडगांव	—	—
8.	गुजरात	अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, भरूच, पोरबंदर	—	—

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर	अंबाला, पंचकुला, करनाल, रोहतक, हिसार और गुड़गांव	स्वीकार करना
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, बारामूला, कठुआ	कारगिल लेह,	स्वीकार करना
12.	झारखंड	जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी	देवघर, दुमका, हजारीबाग, मोदीनिगार, चाईबासा और गिरिडीह	पहले ही मंजूरी दो शहरों में प्रीपरेटरी गतिविधियों की प्रगति को सूचित किया जाना है
13.	कर्नाटक	बेंगलुरु, मैसूर, हुबली – धारवाड़, मंगलौर, बेलगाम, गुलबार्गा दावनगेरे, बेल्लारी	शिमोगा, तुमकुर	स्वीकार करना
14.	केरल	बेंगलुरु, मैसूर, हुबली – धारवाड़, मंगलौर, बेलगाम, गुलबार्गा दावनगेरे, बेल्लारी	कोच्चि शहरी ढेर	कोच्चि शहर पहले से ही शामिल
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर	जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक के साथ 26 अतिरिक्त शहरों	सभी नगर निगमों (बुरहानपुर, देवास, खंडवा, रतलाम, रीवा, सतना, सिंगरौली, (कटनी) मुरनवाडा, नीमच और छिंदवाड़ा को मंजूरी दे दी
16.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, भिवंडी, अमरावती, कोल्हापुर, सांगली – मिराज, कुपयाड, नांदेड़ वागला मालेगांव, अकोला – जलगांव, अहमदनगर, धुले	चंद्रपुर और लातूर	स्वीकार करना
17.	मणिपुर	इम्फाल	–	–
18.	मेघालय	शिलांग	–	–
19.	मिजोरम	आइजोल, चम्पई, कोलसिब, लावनकटलई, लुंगलेई, मामित, साहिया, सरचिप	–	–

1	2	3	4	5
20.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर	—	—
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर, पुरी, कटक, राउरकेला ब्रह्मपुर, संबलपुर	सम्बलपुर	स्वीकार करना
22.	पुदुचेरी	पुदुचेरी ओझीकुडी	—	—
23.	पंजाब	लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, भटिंडा	बटाला, जलालाबाद	स्वीकार करना
			कदियन और धारीवाल	राज्य सरकार की ओर से टिप्पणी की मांग की
24.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर	भरतपुर और अलवर	स्वीकार करना
25.	सिक्किम	गैंगटोक	जोरथंग, नामची, रंगप्रो, सिंगताम	स्वीकार करना
26.	तमिलनाडु	एमसीकोप चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सेलम, तिरुपूर, तिरुनवल्ली, इरोड, वेल्लोर	तूतीकोरिन	स्वीकार करना
27.	त्रिपुरा	अगरतला	कोवई	अगरतला में प्रीपरेटरी गतिविधियों की प्रगति की सूचना दी
28.	उत्तर प्रदेश	कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, नोएडा	रामपुर, इटावा, कन्नौज, और रायबरेली	स्वीकार करना
29.	उत्तराखंड	देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार	ऋषिकेश रूड़की, मंगलुर, अल्मोडा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, डोईवाला, लक्सर, जहाबेरा, लंधुरा, चम्पावत, लोहाघाट, धारचूला, दीदीघाट, गंगगोलीहाट, बनवासा, टनकपुर और छावनी क्षेत्रों क्लेमेंट टाउन (देहरादून), रानीखेत	राज्य सरकार की ओर से टिप्पणी की मांग

1	2	3	4	5
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी	जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद	स्वीकार करना
31.	दमन और दीव	दमन और दीव	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा, अमली	—	—
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	—	—
34.	लक्षद्वीप	अमईनी, कावारत्ती मिनिकॉय	—	—

विवरण-II

राजीव आवास योजना की उन प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थिति जिनका मूल्यांकन किया जाना है अथवा राज्य सरकारों को संशोधन के लिए भेज दी गई है

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना कस्बे	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	राजस्थान	बीकानेर, छोटारानीसेर बास पायलेट डीपीआर	राज्य सरकार को बीकानेर के लिए स्लम मुक्त शहर योजना की कार्ययोजना को तैयार करके उसके बाद में नियमित परियोजना के रूप में प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है।
2.	छत्तीसगढ़	रायपुर मिशन शहर छत्तीसगढ़ में रैनबसेरा, रात्रि आश्रय	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
3.	गुजरात	1. अहमदाबाद शहर — अहमदाबाद शहर के लिए पायलट डीपीआर जिसकी राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत 21,796.16 लाख रुपए है।	मूल्यांकन के अधीन
4.	गुजरात	2. वडोदरा और राजकोट — नटराजनगर के लिए पायलट	मूल्यांकन के अधीन
5.	ओडिशा	मंडपबस्ती सीएस पुर क्लस्टर भुवनेश्वर की पायलट (डीपीआर).	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।

1	2	3	4
6.	ओडिशा	पंडाकुडिया और पटियाजाली मुडासाई भुवनेश्वर की पायलट (डीपीआर)	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
7.	महाराष्ट्र	आनंद नगर (पी) थाणे, (ई-महाराष्ट्र) में राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम पुनर्वास की पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
8.		राबोडी-1 थाणे, महाराष्ट्र में राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लीम पुनर्वास की पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
9.	दिल्ली	कंझावला दिल्ली में राजीव आवास योजना के अंतर्गत पांच विस्तार वाले शयनागार के पारगमन आवास का डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
10.		कंझावला दिल्ली में राजीव आवास योजना के अंतर्गत पांच विस्तार वाले शयनागार के पारगमन आवास का डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
11.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर में किराया आवास का डीपीआर (3119.80 लाख रुपए में)	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
12.		नहरलगुन में किराया आवास का डीपीआर (3252.06 लाख रुपए में)	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
13.	मध्य प्रदेश	उज्जैन शहर में राजीव आवास योजना के अंतर्गत पायलट परियोजना	मूल्यांकन के अधीन
14.	त्रिपुरा	त्रिपुरा के कोहाई कस्बे में राजीव आवास योजना के अंतर्गत पायलट परियोजना	त्रिपुरा में कोहाई कस्बा राजीव आवास योजना शहर के अंतर्गत नहीं है। अतः इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
15.	कर्नाटक	बेलगम — पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
16.		दवनगिरी — पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
17.		गुलबर्गा — पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
18.		मैसूर (उदयगिरी) — पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
19.		बंगलुरु (डोडाबिडाराकालु) — पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।

1	2	3	4
20.	हरियाणा	यमुनानगर में 9 स्लमों के लिए पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
21.		अम्बाला शहर के 27 स्लमों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए पायलट डीपीआर और अम्बाला कैंट के 29 स्लमों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
22.		गुड़गांव के 3 स्लमों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
23.		रोहतक के 18 स्लमों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
24.		चार स्लमों के पुनर्वास हेतु पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
25.	उत्तराखंड	केदारपुरम में पारगमन आवास के लिए पायलट डीपीआर	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
26.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर अशोकनगर स्लम वार्ड नम्बर 42 के लिए पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
27.		राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजय नगर कोरबा में मसौदा पायलट परियोजना	राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रतिक्षित।
28.	तमिलनाडु	तिरुवन्नली – तिरुवंनतपुरम स्लम के पालयट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
29.		सलेम – जागीर अम्मापायलम का पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
30.		मदुरई – अनयोरस्लम ओर बिराती पट्टीपादु स्लम के पायलट डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
31.	हिमाचल प्रदेश	कृष्ण नगर स्लम – नगर निगम शिमला	सीएसएमसी की 8वीं अनुमोदित।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	जारी वर्ष	कुल परियोजना लागत	एसीए की प्रथम किस्त (1/3 केन्द्रीय अंश)
1	2	3	4	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव नगर स्लम की डीपीआर; स्व-स्थाने पुन: विकास आरएवाई प्रयोगिक परियोजना के अंतर्गत जीएचएमसी	2011-12	5874.59	741.59
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा, नगर निगम में रे के अंतर्गत (रे पायलट परियोजना-1) थाल मिल स्लम क्षेत्र की डीपीआर	2012-13	2013.42	301.11
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विज़यवाड़ा नगर निगम में रे के अंतर्गत एनएससी बोस नगर का डीपीआर (रे पायलट परियोजना-2)	2012-13	7617.57	1209.45
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	सूर्या तेज नगर में यथा स्थाने पुनर्विकास के लिए पायलट परियोजना	2012-13	1131.08	188.51
5.	मध्य प्रदेश	इंदौर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इंकाइयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड़, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-1 और राहुल गांधी नगर (बंजरग नगर की प्रायोगिक डीपीआर)	2011-12	8433.55	1242.85
6.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एमएलबी स्कूल के पीछे (2) साररा पीपर (3) चौधरी मोहल्ला (4) रविदास नगर की प्रायोगिक डीपीआर	2011-12	3694.58	557.65

1	2	3	4.	4	5	6
7.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म संख्या 1, शांति नगर वार्ड संख्या 21, कैंसर पहाड़ी, महलगांव की पहाड़ी) की प्रयोगिक डीपीआर	2011-12	5715.52	842.03
8.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सागर मैट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खुटई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रयोगिक डीपीआर	2011-12	3511.32	500.89
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में निर्माण के लिए ज्ञात स्लमों (अर्जन नगर, झील नगर, शांति नगर और अम्बेडकर नगर) का पायलट डीपीआर	2012-13	7399.77	1121.18
10.	केरल	तिरुवंतपुरम	पायलट परियोजना के लिए माथीपुरम कॉलोनी, विजहित गम, तिरुवंतपुरम, केरल रे के अंतर्गत	2011-12	7186.94	1157.39
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर	पाथरभंडा आरएवाई (प्रयोगिक परियोजना) रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए डीपीआर	2011-12	4476.61	606.86
12.	ओडिशा	भुवनेश्वर	रे के अंतर्गत पत्थरबंध स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (यथास्थाने पुनर्विकास) के लिए पायलट परियोजना	2012-13	8539.99	1223.97
13.	ओडिशा	कटक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (कटक में यथा स्लम ने विकास) कटक में 10 संख्या स्लम कलस्टरों के लिए पायलट परियोजना	2012-13	2583.32	359.26
14.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरन की धानी स्लम जयपुर, राजस्थान के लिए पायलट परियोजना	2011-12	5729.2	919.9

1	2	3	4	4	5	6
15.	मिजोरम	आईजोल	जुआंगतुई, आईजोल में राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2012-13	1120.01	316.34
16.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में यथा स्थाने पुनर्विकास और पुन: आबंटन के लिए राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2012-13	1359.95	202.93
17.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत राय बरेली शहर के स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लम के लिए पायलट डीपीआर	2012-13	6460.76	989.02
18.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर में मैगजीन मोहल्ला सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर	2012-13	1367.18	173.21
19.	तमिलनाडु	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्ट अम्बातुर में काक्कनजी नगर स्लम के पुनर्वास के लिए पायलट परियोजना	2012-13	8491.80	1157.46
20.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत महिषरवाला स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर के लिए पायलट परियोजना (यथा स्थाने पुनर्विकास)	11.09.2012 को स्वीकृत	4693.91	663.51
21.	राजस्थान	कोटा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोटा में स्वामित्व आवासीय योजना के लिए किराए के लिए पायलट डीपीआर (मोहनलाल सुखाडिया आवासीय स्कीम विस्तार)	21.12.2012 को स्वीकृत	7166.58	1138.62
22.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत हरवंस मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर		518.31	69.02
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना पोखर पूर्वा स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर		824.76	100.45

1	2	3	4	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कन्नौज में यथा स्थाने शेखाना और बजरिया शेखना स्लमों के लिए पायलट डीपीआर	21.12.2012 को स्वीकृत	1752.57	219.16
25.	उत्तर प्रदेश	आगरा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत आगरा को स्लम मुक्त शहर योजना के अनुसार ज्ञात स्लमों के लिए पायलट डीपीआर	11.01.2013 को स्वीकृत	3769.59	479.79
26.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर चरण-II की स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लमों के लिए पायलट डीपीआर		5291.01	779.12
27.	राजस्थान	लखनऊ	राजीव आवास योजना के अंतर्गत फैजुल्लाहगंज वार्ड, लखनऊ गौड भीत, भारत नगर, चमराही, शिवलोकपुर, दाउद नगर और नया दाउद नगर नामक 5 स्लमों के यथा स्थाने विकास के लिए पायलट डीपीआर		2475.35	358.40
28.	राजस्थान	अलवर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुध विहार, प्रताप स्कूल के पीछे, और धोबीगट्टा अलवर के लिए पायलट डीपीआर		8345.56	1325.93
29.	राजस्थान	भरतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नमक कटरा स्लम, भरतपुर, राजस्थान के लिए पायलट डीपीआर		908.01	144.26
30.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजयनगर बाटा बस्ती चरण-I, जयपुर के लिए पायलट डीपीआर		9660.97	1489.87
31.	राजस्थान	अजमेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बस्ती स्थल पंसद नगर कोटरा और ईदगाह (चौरसिया वास) अजमेर के लिए पायलट डीपीआर		8511.26	1352.26
32.	पंजाब	बटाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बटाला, पंजाब में तीन स्लमों में यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर		683.25	110.05

1	2	3	4	4	5	6
33.	जम्मू और कश्मीर	लेह	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लेह ओल्ड टाउन के उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर	11.01.2013 को स्वीकृत	2221.88	593.73
34.	तमिलनाडु	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्टू, अम्बातुर, चेन्नई में काककबाजी नगर स्लम के पुनर्वास (अन्यत्र बसाने के लिए पायलट डीपीआर (चरण-II)	30.01.2013 को स्वीकृत	3222.81	441.64
35.	तमिलनाडु	त्रिची	राजीव आवास योजना के अंतर्गत त्रिची में करीकलान स्ट्रीट (नाडुकोडडूयम पेटाई) के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर		1721.15	233.36
36.	राजस्थान	बीकानेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भाटों और ओडडो का वॉस, बीकानेर के लिए पायलट डीपीआर		1728.04	253.50
37.	पंजाब	जालंधर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर में 9 स्लमों में यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर		1259.65	205.34
38.	कर्नाटक	बेंगलुरु	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने वर्धुर हुबली, बेंगलुरु) में सुलीकुंटे ग्राम, सि. नगर 23 में अवसंरचना सहित 900 घरों के निर्माण की पायलट डीपीआर।		5709.62	871.67
39.	कर्नाटक	तुमकर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने) तुमकर में डिब्बूर में अवसंरचना सहित 1200 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डीपीआर।		6996.48	1081.27
40.	कर्नाटक	हुबली-धरवाड़	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने) तुमकर में हुबली-धरवाड़ में अवसंरचना सहित 1072 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डीपीआर।		6766.52	1021.93

[अनुवाद]

हवाईअड्डों हेतु भूमि का अधिग्रहण

1468. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं ने हवाईअड्डा परियोजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और परियोजना-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित नए हवाईअड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है और यदि हां, तो मुंबई हवाईअड्डा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है या पुनर्वासित कर दिया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो परियोजना-वार इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कार्य निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा स्लम पुनर्वास योजना ने स्थान संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। निःशुल्क तथा सभी ऋणभारों से मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनेक हवाईअड्डा परियोजनाएं रूकी पड़ी हैं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से भूमि के लिए किए गए अनुरोधों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) सिक्किम में पेक्योंग हवाईअड्डे तथा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हवाईअड्डे से संबंधित हवाईअड्डे के विकास कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। नवी मुंबई समेत विभिन्न ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन दिया गया है, से संबंधित भूमि अधिग्रहण की स्थिति संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(घ) चूंकि हवाईअड्डों के विकास के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित की जाती है और उसे एएआई को निःशुल्क तथा सभी अधिग्रहित ऋणभारों से मुक्त सौंप दिया जाता है, इसलिए प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजे का भुगतान/पुनर्वास का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होता है। इनके ब्यौरे का अनुरक्षण/मॉनीटर इस मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में कार्य निष्पादन ऑडिट अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

विवरण-I

हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास लंबित अनुरोध

हवाईअड्डे	उद्देश्य
1	2
बेगमपेट (हैदराबाद)	• गच्ची बावली में 9 एकड़ एएआई भूमि का हस्तांतरण 45 एकड़ सरकारी भूमि के बदले में करना
कडप्पा	• 37.01 एकड़
तिरुपति	• 424.95 एकड़
राजमुंदी	• 966 एकड़
विजयवाड़ा	• 465 एकड़
वारंगल	• 438 एकड़
पोर्ट ब्लेयर	• 2.00 एकड़
गुवाहाटी	• 290.25 एकड़

1	2
डिब्रुगढ़	• 227.2 एकड़
जोरहाट (सीई)	• 77 एकड़
लीलाबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)	• 25 एकड़
दप्राजियो	• 34.3 एकड़
गया	• 200 एकड़
पटना	• 227 एकड़
नालन्दा	• 4800 एकड़
रायपुर	• 2206 एकड़
गोवा	• 20 एकड़
अहमदाबाद	• 67.289 एकड़
भावनगर	• 490.36 एकड़
पोरबंदर	• 208.6 एकड़
सूरत	• 2631.6 एकड़
जामनगर	• 17.38 एकड़
कांडला	• 282 एकड़
कांगड़ा	• 26 एकड़
कुल्लू (भुंतर)	• 27.76 एकड़
जम्मू	• 138 एकड़
रांची	• 606.27 एकड़
देवघर (नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा)	• 660 एकड़
बेलगाम	• 370 एकड़

1	2
हुबली	• 27 एकड़
मैसूर	• 168 एकड़
कारवार (रक्षा मंत्रालय नौसेना)	• 130 एकड़
मंगलौर	• 290.7 एकड़
कालीकट	• 137 एकड़
त्रिवेंद्रम	• 169.5 एकड़
अगाती	• 9+1 = 10 एकड़
औरंगाबाद	• 182 एकड़
पुणे (सीई)	• 10 एकड़
इंदौर	• 2541.8 एकड़
जबलपुर	• 470 एकड़
तूरा	• 56.5 एकड़
लेंगपुई	हवाईअड्डे को एएआई को सौंपने के लिए
दीमापुर	• 278.78 एकड़
भुवनेश्वर	• 132 एकड़
झारसुगुड़ा	• 412.5 एकड़
लुधियाना	• 322 एकड़
पुदुचेरी	• शेष 386 एकड़
जयपुर	• 60 एकड़
बीकानेर	• 50 एकड़
उदयपुर	• 145 एकड़

1	2
किशनगढ़ (अजमेर)	• 442 एकड़
कोटा	• 14 एकड़
कोयंबटूर	• 594 एकड़
त्रिचुरापल्ली	• 439 एकड़
मदुरै	• 580.14 एकड़
सालेम	• 563 एकड़
तूतिकोरिन	• 586 एकड़
वेल्लोर	• 1046 एकड़
चेन्नई	• 31.73 एकड़
अगरतला	• 303 एकड़
देहरादून	• 141.3 एकड़
वाराणसी	• 175 एकड़
लखनऊ	• 174 एकड़
आगरा	• 55.29 एकड़
बरेली	• 25 एकड़
फुरसतगंज (इग्रुआ)	• 371 एकड़
कानपुर (चकेरी)	• 50 एकड़
परतापुर (मरेठ)	• 427 एकड़
झांसी	• 60 एकड़
मुरादाबाद	• 340 एकड़
इलाहाबाद	• 50 एकड़
बहला	• 90 एकड़
मालदा	• 55 एकड़
कोलकाता	• 10 एकड़

विवरण-II

देश में 'सैद्धांतिक' रूप से अनुमोदन प्रदान किए गए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम तथा राज्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	भारत सरकार ने मार्च, 2000 में गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। गोवा सरकार ने सूचित किया है कि हवाईअड्डा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का प्रमुख भाग (1270 एकड़) पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका है।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार ने जुलाई, 2007 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से नवीं मुम्बई हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना

1	2	3
		के लिए महाराष्ट्र सरकार को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियां आरंभ कर दी हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की कटाई व भराई द्वारा भूमि विकास, ईएचवीटी लाइनों का स्थान परिवर्तन, जल आपूर्ति, ऊर्जा आदि।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग	भारत सरकार ने सितम्बर, 2008 में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एमआईडीसी द्वारा 271 हैक्टयेर भूमि अधिग्रहीत की गई है।
4.	कर्नाटक में गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा एयरपोर्ट	गुलबर्गा, बीजापुर, हासन तथा शिमोगा में हवाईअड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तोर पर' अनुमोदन किया गया है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:— **शिमोगा:** राज्य सरकार तथा शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसएडीपीएल) के बीच दिनांक 02.04.2008 को परियोजना विकास करार (पीडीए) किया गया था। एसएडीपीएल को 680 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही सौंपी जा चुकी हैं और रियायतग्राही तथा कर्नाटक राज्य सरकार के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। **गुलबर्गा:** कर्नाटक राज्य सरकार तथा गुलबर्गा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जीएडीपीएल) के बीच पीडीए पर हस्ताक्षर हो गए हैं। जीएडीपीएल को अपेक्षित 670 एकड़ भूमि पहले ही सौंपी गई है। **हसन:** कर्नाटक सरकार ने हवाईअड्डे के विकास का कार्य मैसर्स जूपिटर एवियशन एंड लाजिस्टिक लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना के लिए चिन्हित 960 एकड़ भूमि में से 536.24 एकड़ भूमि रियायतग्राही को सौंप दी गई है। **बीजापुर:** कर्नाटक सरकार तथा मैसर्स मार्ग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए

1	2	3
		दिनांक 18.01.2010 को पीडीए पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह प्रस्तावित हवाईअड्डा परियोजना के स्थान परिवर्तन के लिए विचार कर रही है। स्थल को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा। इसलिए, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार, नए स्थान के लिए संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं नए सिरे से पूरी करना अपेक्षित है।
5.	केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	केरल में कन्नूर पर नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा केरल सरकार को जनवरी, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस हवाईअड्डे के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया था। मैसर्स केआईएएल द्वारा इसके लिए अब तक 1278 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर, 2009 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाईअड्डा के विकास के लिए अर्हता हेतु अनुरोध जारी किया गया है।
7.	डाबरा हवाईअड्डा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के दतिया/ग्वालियर जिले में डाबरा पर कार्गो हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रस्ताव आरंभिक स्तर पर है।
		सिक्किम में पेक्योंग पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्तूबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और इसके जून, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।
9.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के अन्दल-फरीदपुर ब्लॉक पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य

1	2	3
		पहले ही आरंभ हो चुका है और इस कार्य को समाप्ति तिथि जुलाई, 2013 है।
9.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के अंदल-फरीदपुर ब्लॉक पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया । हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और इस कार्य की समाप्त तिथि जुलाई, 2013 है।
10.	पुदुचेरी में कराइकल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	पुदुचेरी में कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, तथा वारिचीकुडी राजस्व गांव के क्षेत्रीय स्थल पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी, 2011 में "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया । यह परियोजना विकास के आरंभिक स्तर पर है।
11.	शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र	भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास निगम लिमिटेड (एमएडीसी) को काकड़ी गांव कोपारगांव तालुका, शिरडी के नजदीक, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में जुलाई, 2011 को एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की अनुमति दी है। विकास कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है और इस कार्य की समाप्ति तिथि 2015 है।
12.	अरणमुला अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, केरल	भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को "सैद्धांतिक रूप" में अरणमुला, केरल में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की अनुमति दे दी है। यह परियोजना विकास के आरंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों हेतु कार्य योजना

1469. श्रीमती रमा देवी :
श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित राज्यों के विभिन्न जिलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पिछड़े जिलों की पहचान के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कार्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) सरकार ने विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सहित 27 राज्यों के 252 जिलों के लिए अगस्त, 2006 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को अनुमोदित किया था। 250 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के प्रथम चरण के तहत कवर किए जाने वाले 200 जिले एवं 17 समाजार्थिक मापदंडों पर आधारित बढ़ने क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने संबंधी अंतर मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमटीजी) द्वारा पहचाने गए 170 जिले शामिल हैं। 17 मापदंडों की सूची एक विवरण के रूप में संलग्न है। 120 जिले दोनों सूचियों में शामिल है। नरेगा जिलों की पहचान पिछड़ेपन की सूची जिसमें समान तरजीह वाले तीन मापदंड नामतः प्रति कृषि मजदूर आउटपुट मूल्य, कृषि मजदूरी दर एवं जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत शामिल है के आधार पर की गई थी। बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या जून, 2012 में बढ़ाकर 272 जिला हो गई थी जिसका मुख्य कारण 2001 की जनगणना एवं 2011 की जनगणना के दौरान मौजूदा बीआरजीएफ जिलों का बनाया जाना था।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय बीआरजीएफ के जिला घटक लागू करता है। प्रत्येक जिले को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता विकास के लिए 1.00 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। राज्य सरकारों को शेष आवंटन विकास में जटिल कमी को पूरा करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत निधि के रूप में जिलों/पीआरआई को देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन स्कीमों को जिला योजनाओं में शामिल किया जाता है जो कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलों द्वारा तैयार की जाती है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है।

विवरण

1. आर्थिक

(i) प्रति व्यक्ति ऋण

(ii) प्रति व्यक्ति जमा

(iii) कृषि मजूदरों का प्रतिशत

(iv) कृषि मजदूरी

(v) प्रति कृषि श्रमिक निष्पादन

2. सामाजिक और शैक्षिक

(i) अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत

(i) अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत

(i) महिला साक्षरता दर

(i) विशिष्ट आय समूह की आबादी के लिए माध्यमिक स्कूलों का अनुपात

(i) कक्षा I-VIII तक सकल नामांकन अनुपात (आयु 6-13 वर्ष)

3. स्वास्थ्य

(i) असामयिक मृत्यु दर

(ii) शिशु मृत्यु दर

(iii) संस्थागत प्रसूति

(iv) पूर्ण टीकाकरण

(i) विद्युत रहित घरों का प्रतिशत

(ii) बैंक सेवाओं वाले घरों का प्रतिशत

(iii) 500 मीटर से अधिक दूर पर पेयजल स्रोत वाले घरों का प्रतिशत

[अनुवाद]

शहरी स्वच्छता कार्यक्रम

1470. श्री मनोहर तिरकी :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

श्री नरहरि महतो :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में शुरू शहरी स्वच्छता योजना(एं) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना(एं) के तहत निर्धारित प्रति यूनिट लागत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों को उपलब्ध केन्द्र के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कोई गहन और प्रतिबद्ध शहरी स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता है। क्योंकि "स्वच्छता" का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्रों में सीवेज, निकासी और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों की मॉनीटरी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शुल्क शौचालयों को समाप्त करने तथा इस प्रकार हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में संशोधित एकीकृत निम्न लागत की स्वच्छता योजना क्रियान्वित कर रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित एकीकृत निगम लागत की स्वच्छता योजना (आईएलसीएस) में तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बढ़ाई गई आईएलसीएस में सुपरस्ट्रक्चर युक्त दोहरे जलवाही गड्ढों वाले शौचालयों में परिवर्तित/निर्मित करने के लिए यूनिट लागत का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:—

श्रेणी	सामान्य क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
यूनिट लागत (2008 से 2012)	10,000 रु.	12,500 रु.
यूनिट लागत (27.11.2012 से)	15,000 रु.	18,750 रु.
बढ़ाई गई संशोधित आईएलसीएस योजना में सामान्य लागत से अधिक अतिरिक्त 15% के प्रावधान ने नई प्रौद्योगिकी (इको-लेन शौचालय आदि) के प्रयोग की व्यवस्था की गई है	17,250 रु.	21,563 रु.

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

शहरी विकास मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को क्रियान्वित करता है। जिसमें स्वच्छता के मुद्दे शामिल हैं। जेएनएनयूआरएम मांग प्रधान और सुधारों से संबद्ध कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परिकल्पित मानदंड के पूरा किए जाने पर निर्भर करती है। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत स्वच्छता (सीवेज, निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करने का एक स्वीकार्य संघटक है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत स्वच्छता (सीवेज, निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन) के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

गत 3 वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय आर्थिक सहायता (करोड़ रु.)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 28.2.2013 की के अनुसार
1.	बिहार	0.44*	—	—	—
2.	उत्तर प्रदेश	43.30	79.97	—	—
3.	जम्मू और कश्मीर	1.12*	—	3.36*	—
4.	नागालैंड	2.917	—	1.463	—
5.	उत्तराखंड	1.23	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	0.85	8.79	—	19.21
7.	मध्य प्रदेश	0.48	5.60	4.75	—
8.	त्रिपुरा	1.08	—	22.783	—
9.	केरल	—	0.96	—	—
10.	राजस्थान	—	0.198	0.594	—
11.	पश्चिम बंगाल	—	3.893	5.913	—
12.	ओडिशा	—	—	3.574	—
13.	झारखंड	—	—	0.74	—
14.	छत्तीसगढ़	—	—	4.96	—
15.	मणिपुर	—	—	5.09	—
	कुल	51.417 (1.56*)	99.411	53.227 (3.36*)	19.21

*पुरानी स्कीमों की बिना व्यय की शेष राशि।

विवरण-II

यूआर्रजी के अंतर्गत स्वच्छता परियोजनाओं को जारी एसीए प्रतिबद्ध/एसीए का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

4.03.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		सकल योग	
		वचनबद्ध एसीस	उपयोग करने के लिए जारी एसीए की राशि	वचनबद्ध एसीस	उपयोग करने के लिए जारी एसीए की राशि	वचनबद्ध एसीस	उपयोग करने के लिए जारी एसीए की राशि	वचनबद्ध एसीस	उपयोग करने के लिए जारी एसीए की राशि	वचनबद्ध एसीस	उपयोग करने के लिए जारी एसीए की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4935.00	11559.01	0.00	4985.51	1863.20	10841.59	0.00	4891.12	6,798.20	32,277.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	268.74	0.00	0.00	0.00	429.98	0.00	0.00		698.72
3.	असम	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00	474.76	0.00	0.00	—	1,266.02
4.	बिहार	0.00	1918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.01	—	3,156.88
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
7.	दिल्ली	14197.00	3480.28	47520.00	14096.99	0.00	0.00	0.00	1330.19	61,717.00	18,907.46
8.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
9.	गुजरात	9000.00	28265.54	0.00	5480.04	8944.52	14108.67	0.00	4919.98	17,944.52	52,774.23
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	1582.64	0.00	719.50	0.00	1333.31	—	3,635.45
11.	हिमाचल प्रदेश	3880.00	970.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	210.13	4,720.50	1,180.13
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	1828.83	6529.73	0.00	457.20	1,828.83	6,986.9313.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	झारखंड	0.00	1726.13	1668.12	417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.12	2,143.16
14.	कर्नाटक	0.00	5089.27	0.00	1500.00	0.00	10309.58	0.00	5579.85	—	22,478.70
15.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.82	0.00	0.00	—	1,446.82
16.	मध्य प्रदेश	16324.50	5544.41	0.00	2533.05	0,00	2448.68	0.00	5662.27	16,324.50	16,188.41
17.	महाराष्ट्र	10336.86	29673.95	0.00	21097.21	3829.55	23975.05	0.00	14188.82	14,166.41	88,935.03
18.	मणिपुर	9225.12	2306.28	0.00	0.00	0.00	1732.17	0.00	2886.94	9,225.12	6,925.39
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.21	0.00	550.35	—	880.56
20.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
21.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0,00	3623.49	905.87	0.00	543.52	3,623.49	1,449.39
22.	ओडिशा	4500.00	2491.60	0.00	0.00	0.00	6806.92	0.00	997827	4,500.00	19.276.79
23.	पंजाब	0.00	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.43	—	2,716.55
24.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2189.00	0.00	252.00	—	2,441.00
25.	राजस्थान	0.00	2772.22	0.00	0.00	0.00	1443.65	0.00	1065.06	—	5,280.93
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,92	0.00	538.20	—	861.12
27.	तमिलनाडु	8962.07	26233.17	4063.50	165.26	0.00	32833.81	0.00	3976.41	13,025.57	63,208.65
28.	त्रिपुरा	9000.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	2250.00	9,000.00	5,850.00
29.	उत्तराखंड	22500.00	21927.98	0.00	12955.51	0.00	42320.28	0.00	380.19	22,500.00	77,583.96
30.	उत्तर प्रदेश	4628.00	2642.25	3501.86	186.20	0.00	3662.67	0.00	1549.00	8,129.86	8,040.12
31.	पश्चिम बंगाल	4718.36	8005.17	5408.33	5094.17	5513.45	5024.94	0.00	3458.52	15,640.14	21,582.80
	कुल	1,22,206.91	158822.25	62161.81	70093.61	26443.54	170206.80	0.00	69049.77	2,10,812.26	4,68,172.43

बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1471. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कम्पनी एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए वैसे ही प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बीआईएस प्रमाणन

1472. **श्री आधि शंकर** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अपने मानक तय किए हैं तथा भारत में इस हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से मानक अनुपालन प्रमाण-पत्र पाना सभी विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निर्माण उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और घटिया इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के चोर बाजार (ग्रे मार्किट) पर अंकुश लगाने के लिए संभवतः यह कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) सरकार ने 3.10.2012 को जारी "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षाएं) आदेश, 2012" नामक अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य किया है कि 15 इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को अधिसूचित सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए बीआईएस के पास पंजीकृत किया जाए। यह आदेश 3 अप्रैल, 2013 से लागू होगा।

(ख) मदों तथा संबंधित भारतीय सुरक्षा मानकों का ब्यौरा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में दिया गया है जो वेबसाइट *http://deity.gov.in/content/electronic-hardware#std* पर उपलब्ध है इस अधिसूचना को उद्योग संघों सहित पणधारकों से यथोचित परामर्श करने के पश्चात् जारी किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस आदेश के फलस्वरूप अधिसूचित माल को भारतीय बाजार में केवल तभी उतारा जाएगा जब इस मामले के विनिर्माता और आयातकर्त्ता अपने आपको बीआईएस में पंजीकृत करा लेते हैं और माल में अनुपालन संबंधी एक विवरण दिया जाता है।

(ङ) सरकार ने दिनांक 30.10.2012 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षाएं) आदेश 2012 अधिसूचित किया है।

बीआईएस के पास अधिसूचित मानकों के प्रति माल के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं तथा प्रयोगशालाओं को क्रमिक रूप से मान्यता दे रहा है।

आयातित माल के लिए इस आदेश को 3.4.2013 से कार्यान्वित करने के बारे में सीमा शुल्क प्राधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

महिला साक्षरता

1473. श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला साक्षरता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो महिला साक्षरता में अन्य देशों की तुलना में देश का रैंक कौन सा है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महिला साक्षरता कार्यक्रम पीछे चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने देश में महिलाओं हेतु 100 प्रतिशत सहायता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) सरकार द्वारा महिला साक्षरता के संबंध में कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय के आंकड़े 2011 में 65.4 प्रतिशत महिला साक्षरता दर दर्शाते हैं।

(ख) यूनेस्को जैसा कोई निर्दिष्ट निकाय अन्य बातों के साथ-साथ महिला साक्षरता पर समान आंकड़ों पर आधारित देशों की रैंकिंग प्रकाशित नहीं करता है।

(ग) से (छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य स्त्री-पुरुष अंतराल में 10 प्रतिशत तक कमी करना था। कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। सरकार द्वारा प्रौढ़ों तथा बालकों की साक्षरता में वृद्धि करने के लिए क्रमश: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गयी थी। दोनों कार्यक्रमों में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह कहना काफी मुश्किल होगा कि महिला साक्षरता कार्यक्रम पिछड़ रहे हैं। जैसा कि 2011 की जनगणना में सूचित किया गया है उक्त दोनों कार्यक्रमों के संचयी प्रभाव के रूप में महिला साक्षरता दर बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गयी है। जो कि 11.79 प्रतिशत की रिकॉर्ड दशकीय वृद्धि है। 100 प्रतिशत महिला सक्षरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया है और 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग में महिलाओं पर एक नए ढंग से ध्यान देते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में सुधार किया है।

आईसीसीआर के केन्द्र

1474. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं और उनसे कितने उद्देश्यों को प्राप्त करने की आशा की जाती है;

(ख) क्या आईसीसीआर ने विश्व के अन्य देशों में भी अपने केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये गए हैं तथा उनके द्वारा किये गये कार्यकलापों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बजटीय बाध्यताओं के कारण आईसीसीआर अपने केन्द्र स्थापित करने में समस्या का सामना कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) भारत भर में 20 क्षेत्रीय केन्द्रों के नेटवर्क का अनुसरण करता है और इसका उद्देश्य आईसीसीआर और स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं, हस्तियों, लोगों तथा सरकारों के बीच संबंध स्थापित करना है ताकि उन स्थानीय परम्पराओं का पता लगाया जा सके जिनका उपयोग भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने कलामंचनों में कर सके। ये क्षेत्रीय केन्द्र भारत में विदेशी कला मंडलियों के सांस्कृतिक मंचनों, भारत से बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रमों,

प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों और भारत में अध्ययन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कल्याण की देख-रेख भी करते हैं। परिषद् की क्षितिज शृंखलाओं के तहत क्षेत्रीय केन्द्र उभरते क्षेत्रीय कलाकारों तथा कलामंडलियों को पर्याप्त अवसर देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् विदेशों में 35 पूर्ण संचालित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों और 2 उपकेन्द्रों की देख रेख कर रहे हैं। इसकी विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में संलग्न है। इन सभी सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने अपने नये केन्द्र स्थापित करने और विस्तारित अधिदेश को लागू करने के लिए विदेश मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। यह उल्लेखनीय है कि नये केन्द्र खोलने के प्रयोजनार्थ समग्र संशोधित अनुमान 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 को प्रस्तुत किए जाने के अलावा इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए मंत्रालय को अलग-अलग कई अनुरोध भेजे गए हैं। मौजूदा वित्तीय स्थिति वर्तमान केन्द्रों की देख रेख करने और अपने प्रतिबद्ध कार्यकलापों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, तथा विदेश मंत्री को भी परिषद् की बजट संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् अपने अधिदेश को पूर्ण करने के प्रयास में निधियान संरचना विकसित करने के बाबत विदेश मंत्रालय के साथ आगे परामर्श कर रही है।

विवरण-I

विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	देश सहित केन्द्र के नाम
1	2
1.	नेहरू केन्द्र, लंदन (यूके)
2.	द टैगोर सेन्टर, बर्लिन, जर्मनी
3.	जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को, रूस
4.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, अस्ताना, कजाख्स्तान
5.	बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृति केन्द्र, ताशकंत, उजबेकिस्तान
6.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, दुशांबे, ताजिकिस्तान
7.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काबुल, अफगानिस्तान
8.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका
9.	जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया
10.	गांधी भारतीय सांस्कृति केन्द्र, पोर्ट लुई, मॉरीशस
11.	मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृति केन्द्र, काहिरा, मिस्र
12.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, डरबन, दक्षिण अफ्रीका
13.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका
14.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्ज टाउन, गुयाना
15.	महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबेगो
16.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम
17.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुवा, फीजी
18.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, बीजिंग, चीन
19.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काठमांडू, नेपाल
20.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, बैंकाक, थाइलैंड
21.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, आबू धाबी, दुबई
22.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कुआलालंपुर, मलेशिया
23.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, तोक्यो, जापान
24.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, मैक्सिको
25.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, थिंपू, भूटान

1	2
26.	इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ढाका, बांग्लादेश
27.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, यांगून, म्यामां
28.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, दार-ए-सलमा, तंजानिया
29.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सिओल, कोरिया
30.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, बुडापेस्ट, हंगरी
31.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, प्राग, चेक गणराज्य
32.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, माले, मालदीव
33.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, साओ पोलो, ब्राजील
34.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, रियाध
35.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, द हेग, नीदरलैंड
उप-केन्द्र	
1.	उप-सांस्कृतिक केन्द्र, लाओटोका, फीजी
2.	उप-सांस्कृतिक केन्द्र, बाली, इंडोनेशिया

विवरण-II

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकलाप

भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद् और विदेश स्थित इसके सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक समागम के आदर्श से अभिप्रेरित हैं और इसलिये ये ऐसे स्थान होते हैं जहां भारतीय संस्कृति और मेजबान समाज की संस्कृति साथ मिल कर सांस्कृतिक वार्ता एवं सहयोग प्रक्रिया को मूर्त रूप देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा भी देते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों से नियमित बातचीत एवं मार्गदर्शन के जरिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या और साथ ही इन कार्यक्रमों की विविधता को बढ़ाने में हम सफल रहे हैं। इसका उद्देश्य यही रहा है कि न केवल अपनी संस्कृति को सामने लाकर अपितु अन्य समाजों के साथ वार्ताओं एवं सहयोग विकसित करके, न केवल भारतीय संस्कृतिक के जरिए अपितु अन्य सांस्कृतियों की भाषा के जरिए भी हमारे सांस्कृतिक केन्द्रों को सांस्कृतिक कार्यकलापों को केन्द्र बनाया जाए। इस वार्ता के मुख्य घटकों में नृत्य एवं संगीत कक्षाएं आयोजित करना, कला एवं शिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन करना, हिन्दी कक्षाओं, साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक पठन, कविता पाठ सत्रों, व्यापक विषयों जैसे दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, आर्थिक रूझान, भारत में सिनेमा आदि विषयों पर व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाना शामिल है। कई सांस्कृतिक केन्द्रों ने नए कार्यकलाप जैसे फ्यूज़न म्यूजिक कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलनों आदि की शुरुआत की है। विदेशों में तैनात भारत आस्थानी शिक्षकों को 'आउटरीच कार्यकलापों', जिनमें अन्य शहरों की यात्राएं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ संयुक्त कार्यक्रम शामिल है, को करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्थानीय विशेषज्ञों का उपयोग भी अधिक से अधिक किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के स्तर तथा आयामों में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है और हमारे कई केन्द्र और अधिक सक्रिय हो गए हैं तथा वे और अधिक विविध एवं उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिनमें बृहत स्तर पर बहुआयामी महोत्सवों का आयोजन भी शामिल है।

नया डाकघर अधिनियम

1475. **श्री इज्यराज सिंह :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया डाकघर अधिनियम तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं तथा मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त विधेयक का प्रवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी, नहीं। नया डाकघर अधिनियम तैयार नहीं किया गया है और उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो

1476. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्री अर्जुन राय :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति तथा मजदूर मारे गये तथा घायल हुए हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मार गए लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) सुरक्षा मानक नहीं बनाए रखने तथा काम की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) दिल्ली मेट्रो द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या कदम/सुरक्षोपाय किये गए हैं;

(ङ) क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का दिल्ली मेट्रो में डिब्बों की संख्या के साथ-साथ महिला डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डिब्बों की संख्या कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने यह सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान एक यात्री और दिल्ली मेट्रो के 10 कामगारों की मृत्यु हुई और तीन यात्री और 14 कामगार घायल हुए। इनके ब्यौरे और भुगतान की गई मुआवजा राशि का उल्लेख संलग्न विवरण-I, II और III पर किया गया है।

(ग) जांच के निष्कर्षों के आधार पर डीएमआरसी की अनुशासनिक तथा अपील नियमावली के अनुसार कार्मिकों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) डीएमआरसी अपनी स्थापना से लेकर अब तक निर्माण कार्य और ट्रेन प्रचालनों में सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) **ठेकेदारों का संगठनात्मक सामर्थ्य और कार्य क्षमता :** प्रत्येक ठेकेदार अर्हता प्राप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) पेशेवरों के एक दल की नियुक्ति और तैनाती करता है। इनकी अपेक्षित संख्या, गठन और योग्यता तथा अनुभव का उल्लेख ठेका शर्तों में किया जाता है। यह दल प्रत्येक ठेकेदार के संगठन के भीतर अनन्य रूप से सुरक्षा संबंधी कर्त्तव्यों का पालन करता है। ठेकेदार का योजना प्रबंधक और उसका सुरक्षा दल सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं।

(ii) **बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) लेखा परीक्षा :** डीएमआरसी की बारही सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) संबंधी शर्तों के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक ठेकेदार को बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) लेखा परीक्षा के लिए एक बाहरी एजेंसी (डीएमआरसी द्वारा अनुमोदित) नियुक्त करनी होती है। बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) लेखा परीक्षा ठेके की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक तीन महीने में करनी होती है। उक्त लेखा परीक्षा सुरक्षा संबंधी ठेका शर्तों के प्रत्येक अनुपालन बिन्दु पर आधारित एक व्यापक चेक लिस्ट के आधार पर की जाती है।

(iii) **सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा स्थल का निरीक्षण :** सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। निर्माण स्थल पर अनुपालन नहीं की जा रही बातों पर अवलोकन रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और ठेकेदार को इस संबंध में डीएमआरसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

(iv) **डीएमआरसी निर्माण स्थल दलों द्वारा निगरानी :** उपर्युक्त लेखा परीक्षा और निगरानी के निष्कर्ष डीएमआरसी द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनके अनुपालन और कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जाती है। उपर्युक्त 3 स्तरीय

कार्य में जिस भी स्तर पर कार्य निष्पादन में कमी दिखाई देती है उसे ठीक करने के निदेश दिए जाते हैं।

डीएमआरसी प्रचालन के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए निम्नलिखित कार्रवाई/उपाय कर रहा है:—

(i) तकनीकी विभागों द्वारा परिसंपत्तियों का नियमित निवारक रख-रखाव।

(ii) भर्ती के बाद कार्य भार संभालने से पूर्व सभी कार्मिकों का संपूर्ण प्रशिक्षण।

(iii) कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(iv) सुरक्षा के प्रति स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित सुरक्षा अभियान।

(v) संगठन की विभिन्न स्थापनाओं में नियमित सुरक्षा सेमिनार।

(vi) स्टाफ द्वारा असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल।

(vii) अधिक भीड़ वाली लाइनों जैसे कि जहांगीरपुरी – हुडा सिटी सेंटर और द्वारका – नोएडा सिटी सेंटर/वैशाली लाइनों पर क्रमशः कोचों की संख्या में क्रमशः वृद्धि करना।

(viii) स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इस आशय की नियमित घोषणा करना कि वे प्लेटफार्म पर पाली लाइन से हटकर खड़े हों।

(ङ) डीएमआरसी यात्रियों की संख्या के आधार पर ट्रेनों में कोचों की संख्या में क्रमशः वृद्धि कर रहा है। दिल्ली मेट्रों में महिला डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) लाइनक संख्या 2 (जहांगीरपुरी – हुडा सिटी सेंटर) पर इस समय 6 डिब्बों वाली 50 ट्रेनें ओर 8 डिब्बों वाली 8 ट्रेनें चल रही हैं। डीएमआरसी की योजना फरवरी, 2014 तक 8 डिब्बे वाली 37 ट्रेनें चलाने का है। लाइन संख्या 3 (द्वारक – नोएडा सिटी सेंटर) पर इस समय 6 डिब्बों वाली 51 ट्रेनें और 4 डिब्बों वाली 18 ट्रेनें चल रही हैं। अतिरिक्त कोचों की उपलब्धता के आधार पर, डीएमआरसी की योजना जुलाई, 2013 तक सभी ट्रेनों को 6 डिब्बे वाली और फरवरी, 2014 तक सभी ट्रेनों को 8 डिब्बे वाली करने का है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत/घायल यात्रियों के ब्यौरे और भुगतान की गई मुआवजा राशि

वित्तीय वर्ष		यात्री का नाम	भुगतान की गई मुआवजा राशि (रुपए)
2010-11	1.	श्रीमती पायल शर्मा – राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर घायल हुईं।	40,000/-
	2.	श्री मनोज जैन – राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर घायल हुए थे।	40,000/-
	3.	श्री संजय नौटियाल – सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर घायल हुए थे।	40,000/-
	4.	श्री राहुल थापा – उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर मृत्यु हुई।	4,00,000/-
2011-12		शून्य	
2012-13		शून्य	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत दिल्ली मेट्रो कामगारों के ब्यौरे और भुगतान की गई मुआवजा राशि

क्र. सं.	मृत कामगार का नाम (सर्व श्री)	मुआवजा राशि (रुपए)
1	2	3
1.	बिपिन एक्का	6,33,820/-
2.	बलराज सिंह	7,50,500/-
3.	घनश्याम	4,78,260
4.	जय प्रकाश	11,35,480
5.	परमानंद सा	8,02,404
6.	रूस्तम आलम	7,86,093
7.	इजहार	8,29,039/-
8.	विजय राणा	7,76,641/-
9.	सुरेन्द्र कुमार	9,79,039/-
10.	मिट्ठू	7,56,520/-

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान घायल दिल्ली मेट्रो कामगारों के ब्यौरे और भुगतान की गई मुआवजा राशि

क्र. सं.	घायल कामगार का नाम (सर्व श्री)	मुआवजा राशि
1	2	3
1.	रणजीत	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
2.	बबलू मुरमू	उपचार के दौरान ठेकेदारं द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया। भुगतान किया गया डब्ल्यूसी – 2,58,336 रुपए
3.	संतोष	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
4.	दीपक	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
5.	किशन सिंह	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
6.	संदीप	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
7.	महेश कुमार पंडित	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
8.	मो. इकबाल	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
9.	मुन्ना कुमार	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
10.	सम्सुद्दीन	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
11.	सुरेश	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।

1	2	3
12.	मीकेश कुमार झा	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
13.	रामा नायर	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
14.	अजय कुमार सोनी	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।

डीजल चालित टॉवर

1477. श्री जोसेफ टोप्पो :
श्री हरिभाऊ जवाले :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीजल चालित मोबाइल टॉवरों की संख्या तथा प्रतिशतता राज्य-वार क्या है;

(ख) क्या इन टॉवरों से कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे के बाद टेलीकॉम क्षेत्र डीजल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है जिसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त डीजल पर राजस्व का घाटा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो टेलीकॉम क्षेत्र में डीजल का कितना उपयोग होता है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितने राजस्व का घाटा हुआ है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या यह तथ्य है कि मोबाइल टॉवरों के अनुरक्षण की कमी तथा उनको चलाने के लिए डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण अधिकांश मोबाइल टॉवर बंद हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) देश में दिनांक 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार 5.85 लाख मोबाइल टॉवर हैं और सभी मोबाइल टॉवरों में बैकअप पावर के रूप में डीजी सेट स्थापित किए गए हैं।

(ख) ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में डीजल जनरेटर सेटों के प्रतिदिन आठ घंटे चलने का अनुमान लगाते हुए प्रतिवर्ष प्रति टॉवर 8760 लीटर डीजल औसत ईंधन उपभोग का उल्लेख किया है। दूरसंचार टॉवरों द्वारा डीजल के इस्तेमाल के कारण लगभग 10 एमटी कार्बनडाई आक्साइड (सीओ$_2$) कुल कार्बन उत्सर्जन का अनुमान है। तथापि, सरकार द्वारा मेबाइल बीटीएस से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए शून्य है।

(घ) दूरसंचार क्षेत्र में डीजल के उपयोग के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में डीजल जनरेटर सेटों के प्रतिदिन आठ घंटे चलने का अनुमान लगाते हुए प्रतिवर्ष 8760 लीटर डीजल प्रति टॉवर औसत ईंधन उपभोग का उल्लेख किया है। प्रचालकों द्वारा बाजार में उपलब्ध डीजल का दूरसंचार क्षेत्र में सेल्युर मोबाइल टॉवरों को संचालन में उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए शून्य है।

(च) डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण मोबाइल बीटीएस के अवरुद्ध हो जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए शून्य है।

बेरोजगारी

1478. श्री बसुदेव आचार्य :
शेख सैदुल हक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवगत है कि देश गंभीर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे तथा अन्य विभागों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेलवे में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है;

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों सहित संगठित क्षेत्रों में 2009 में 281.72 लाख से 2011 में 289.99 लाख की वृद्धि हुई जिससे वार्षिक वृद्धि दर 1.46% दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 5.05% प्रतिवर्ष थी और सार्वजनिक क्षेत्र में युक्तियुक्त आवश्यकता के कारण 0.72% की मामूली सी कमी हुई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार में भर्ती पर कोई पाबंदी नहीं है। संबंधित मंत्रालय/विभाग पदों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा अनुदेशों/नियमों के ढांचे के अंतर्गत रिक्तियों को भर सकते हैं। जहां तक रेलवे का संबंध है सुरक्षा, रख-रखाव एवं प्रचालन से संबंधित करीब 2 लाख पदों को भरने हेतु अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

दिनांक 01.03.2011 की स्थिति के नुसार केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों (रेलवे सहित) की कुल रिक्तियों की अनुमानित संख्या 5,81,591 है। केन्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीकृत रूप से नहीं किया जाता है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तर में गिरावट

1479. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता तथा स्तर में विगत वर्षों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तर में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) कतिपय संगठनों में यह राय स्थापित हो रही है कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और मानकों में कमी आ रही हैं। तथापि, गुणवत्ता के बहुत सापेक्षिक और व्यक्तिपरक होने के कारण किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है कि क्या गुणवत्ता में कमी आ रही है अथवा नहीं। कुछ कारकों, जिन्होंने इस विश्वास को स्थापित करने में योगदान दिया होगा कि स्तर गिर रहे हैं, में यह तथ्य शामिल है कि विगत दशक में, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संस्थाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ ने गुणवत्तायुक्त मानव और भौतिक अवसंरचना को स्थापित करने में समय लिया होगा। केन्द्र सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि में अप्रत्याशित संख्या में नई केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना भी की गई थी।

प्रत्यायन प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन की एक सबसे अधिक विश्वसनीय और आत्मपरक प्रणाली है। लेकिन एक अनिवार्य प्रत्यायन ढांचे के अभाव में अनेक संस्थाएं प्रत्यायन क लिए आवेदन नहीं कर रही हैं और प्रत्यायन प्राप्त नहीं कर रही हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन के जरिए स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन कार्यढांचे को सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 जिसमें उच्चतम शिक्षा संस्थाओं में स्वतंत्र विश्वसनीय गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य करने की व्यवस्था है, को 3 मई, 2010 को संसद में पुर:स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन विनियम, 2012 को अधिसूचित किया है, जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए स्वयं को मूल्यांकित और प्रत्यायित कराने को अनिवार्य बनाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्व की उत्कृष्ट संस्थाओं के साथ सहयोग करके भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के मानकों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों का संवर्धन तथा अनुरक्षण), विनियम, 2012 को अनुमोदित कर दिया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रत्यायन को अनिवार्य करने के लिए विनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

परमाणु बिजली का उत्पादन

1480. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्री सुल्तान अहमद :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008 से पहले देश में परमाणु बिजली का कुल कितना उत्पादन होता था और समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद आज की तारीख में परमाणु बिजली उत्पादन की क्षमता में हुई वृद्धि ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समझौते के अनुसार क्या सहायता प्राप्त हो रही है;

(ग) क्या विकसित देश अपनी परमाणु बिजली उत्पादन में कमी लाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहकार के संबंध में सफलता प्राप्त करने से पूर्व और उसके बाद किए गए नाभिकीय विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहकार करने से पूर्व			अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहकार करने के बाद		
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
मिलियन यूनिट में उत्पादन	18801	16956	14927	18831	26473	32455

ईंधन के उपलब्ध होने की वजह से, और यूनिटों नामत: राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र, यूनिट 5 तथा 6 (2X220 मेगवाट) और कैगा उत्पादन केन्द्र, यूनिट-4 (220 मेगावाट) को कीमशन करके उत्पादन क्षमता में भी 660 मेगावाट की और वृद्धि हो पाई है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय सहकार करार करने की वजह से, विदेशी तकनीकी सहकार पर आधारित बड़ी क्षमता वाले साधारण जल रिएक्टरों को स्थापित करने के लिए ईंधन का आयात करना और नए अवसर उपलब्ध कराना संभव हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करने वाले अधिकांश देश अपने नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। केवल जर्मनी, स्विटजरलैंड और ताइवान ने अपने नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप से बंद करने की घोषणा की है।

[अनुवाद]

विद्यालयों को खोलना

1481. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री मधुसूदन यादव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तिय वर्ष 2012-13 में देश में, विशेषकर झारखंड में नये विद्यालय स्थापित करने के लिए धनराशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

के तहत अब तक कितने प्राइमरी और प्राइमरी विद्यालयों को राज्य-वार मंजूरी दी गई/खोला गया;

(घ) विभिन्न ऐसे विद्यालयों में 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भवन, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण, पेयजल और शिक्षकों की भर्ती जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं की प्रतिशतता के संदर्भ में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु कितने पद संस्वीकृत किये गये तथा उनमें से अब तक कितने शिक्षकों को राज्य-वार भर्ती किया गया; और

(छ) विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा (एस.एस.ए.) के तहत सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को बति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान निधियां नए स्कूलों की स्थापना करने के लिए मुहैया करायी जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतगर्त संस्वीकृत नए स्कूलों का राज्य-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2012-13 तक सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत संस्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाकक्षों, शौचालयों, पेयजल और शिक्षक पदों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) स्कूल अवसंरचना सहित कार्यक्रम के लिए राज्यों को जारी सर्व शिक्षा अभियान केंद्रीय हिस्से की निधियों और व्यय राज्य-वार संलग्न विवरण-IV में दिया गया है

(च) और (छ) दिसम्बर 2012 सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत भर्ती और संस्वीकृत शिक्षकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्ल विवरण-V में दिया गया है। राज्यों को अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का परामर्श दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत नए विद्यालय

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 में संस्वीकृत विद्यालय	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	1
2.	आंध्र प्रदेश	435	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	123	49
4.	असम	0	0
5.	बिहार	0	0
6.	चंडीगढ़	2	2
7.	छत्तीसगढ़	8	30
8.	दादरा और नगर हवेली	0	27
9.	दमन और दीव	0	2
10.	दिल्ली	2	2
11.	गोवा	0	0
12.	गुजरात	0	0
13.	हरियाणा	15	4
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0
16.	झारखंड	0	0
17.	कर्नाटक	0	10
18.	केरल	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	1
20.	मध्य प्रदेश	179	803
21.	महाराष्ट्र	0	219
22.	मणिपुर	76	0
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	6	0
26.	ओडिशा	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0
28.	पंजाब	0	21
29.	राजस्थान	0	0
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0
32.	त्रिपुरा	34	1
33.	उत्तर प्रदेश	0	0
34.	उत्तराखंड	46	23
35.	पश्चिम बंगाल	100	415
	कुल	1041	1613

विवरण-II

एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	एसएसए		आरएमएस
		कुल प्राथमिक विद्यालय	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय	अनुमोदित नए विद्यालय
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	17	0
2.	आंध्र प्रदेश	3667	5943	102
3.	अरुणाचल प्रदेश	1389	557	33
4.	असम	5054	0	0
5.	बिहार	21419	20182	966
6.	चंडीगढ़	30	30	4
7.	छत्तीसगढ़	9797	7780	1341
8.	दादरा और नगर हवेली	62	78	0
9.	दमन और दीव	9	6	3
10.	दिल्ली	14	2	0
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	328
13.	हरियाणा	964	1710	37
14.	हिमाचल प्रदेश	80	1393	136
15.	जम्मू और कश्मीर	10894	6981	530
16.	झारखंड	19254	10206	894

1	2	3	4	5
17.	कर्नाटक	3208	2600	305
18.	केरल	387	2	112
19.	लक्षद्वीप	6	6	4
20.	मध्य प्रदेश	27452	16891	944
21.	महाराष्ट्र	8333	708	0
22.	मणिपुर	411	158	116
23.	मेघालय	1917	2248	25
24.	मिजोरम	275	336	81
25.	नागालैंड	393	552	147
26.	ओडिशा	9509	11354	709
27.	पुदुचेरी	10	5	11
28.	पंजाब	233	858	222
29.	राजस्थान	29746	20844	0
30.	सिक्किम	62	93	0
31.	तमिलनाडु	1843	5379	1254
32.	त्रिपुरा	1223	1003	83
33.	उत्तर प्रदेश	27067	29688	1021
34.	उत्तराखंड	1196	1333	228
35.	पश्चिम बंगाल	16560	8011	0
	कुल	20249	156954	9336

विवरण-III

एसएसए के अंतर्गत स्वीकृत स्कूल भवनों, कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल और शिक्षकों के पदों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2011-12					2012-13				
		स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल	शौचालय	शिक्षक के पद	स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल	शौचालय	शिक्षक के पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	113	3	33	59	32	5			167
2.	आंध्र प्रदेश	17	20909	155	15660	41220	435	22342	0	7449	50590
3.	अरुणाचल प्रदेश	124	608	0	584	6975	123	413		1094	7349
4.	असम	2296	11886	0	9523	25751	0	14498		12125	31832
5.	बिहार	2	84822	123	24383	318804	0	0	2859	15602	421641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	चंडीगढ़	79	0	0	0	881	2	0		0	1390
7.	छत्तीसगढ़	333	8574	278	24208	70404	45	1630	378	38044	80311
8.	दादरा और नगर हवेली	0	208	0	0	901	0	37		162	1015
9.	दमन और दीव	1	35	21	6	143	2	11		95	154
10.	दिल्ली	2	543	0	256	2477	1	300		227	6316
11.	गोवा	0	108	230	220	226		0		0	226
12.	गुजरात	0	14569	0	1220	15052		16576		9661	33372
13.	हरियाणा	25	6643	167	1365	139	12	3036	26	4897	14074
14	हिमाचल प्रदेश	60	828		373	4199	15	334		1103	5090
15.	जम्मू और कश्मीर	447	2112	0	7939	41687	253	7755		8170	59711
16.	झारखंड	74	9728	716	1650	104051	0	26920	309	7465	104231
17.	कर्नाटक	0	4229	318	2922	35441	15	3483	152	3378	35456
18.	केरल	130	267	0	722	8524	0	37	32	2582	8618
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	60		3			60
20.	मध्य प्रदेश	1500	13320	384	21648	181349	1077	6764	851	19110	198142
21.	महाराष्ट्र	4	14591	377	1043	49981	760	4559	31	21230	49981
22.	मणिपुर	0	1036	0	0	1493	521	36		0	3037
23.	मेघालय	1466	0	0	0	13785	27	47			12765
24.	मिजोरम	86	33	0	0	2776	168	72	4	1124	3007
25.	नागालैंड	198	81	10	90	3780	138	168	91	837	3780
26.	ओडिशा	389	8490	252	2715	105636	0	17041	182	65733	105636
27.	पुदुचेरी	0	62	25	40	159		45	26	96	147
28.	पंजाब	0	2683	6	2666	17744	21	1786	0	6930	17744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	राजस्थान	6	7016	181	1791	113032	126	3789	9523	6657	113032
30.	सिक्किम	1	78		53	883	0	3	0	69	729
31.	तमिलनाडु	63	5105	3356	10666	430		3710	1803	17925	50779
32.	त्रिपुरा	0	703	7	2171	8397	36	1404	10	525	8817
33.	उत्तर प्रदेश	11537	19335		0	440251	0	15262	1629	3660	464822
34.	उत्तराखंड	233	1097	8	2256	11644	323	869		2236	12022
35.	पश्चिम बंगाल	0	28963	831	9541	182951	735	61464	0	25789	198671
	कुल	19111	268773	7448	145744	1867711	4867	214399	17909	283975	2104714

विवरण-IV

राज्यों को जारी एसएसए के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से की निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13	
		स्कूल ढ़ाचे सहित केन्द्र का हिस्सा	व्यय (राज्य के हिस्से सहित)	स्कूल ढांचे सहित केन्द्र का हिस्सा (28.02.2013 के अनुसार)	व्यय (राज्य के हिस्से सहित) (28.02.2013 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	183551.72	337247.68	136049.46	174028.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	23880.10	26705.67	17984.73	18734.89
3.	असम	106921.15	1244930.52	90881.60	79620.85
4.	बिहार	185108.20	408936.04	272462.25	409445.36
5.	छत्तीसगढ़	69870.22	133902.11	85015.73	108060.30
6.	गोवा	1079.14	1934.35	513.04	1030.64
7.	गुजरात	88027.79	141781.07	113918.08	143521.05
8.	हरियाणा	40461.41	77193.80	29910.35	47257.62

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	14192.78	25196.78	7052.93	14472.83
10.	जम्मू और कश्मीर	30070.50	104733.46	50805.85	48439.70
11.	झारखंड	57903.46	117232.77	56183.87	97313.41
12.	कर्नाटक	62788.35	124995.76	39936.69	93882.04
13.	केरल	17021.85	26046.45	13449.14	23923.17
14.	मध्य प्रदेश	190427.12	342831.82	135343.30	246798.24
15.	महाराष्ट्र	117962.58	181066.45	99574.73	115198.31
16.	मणिपुर	3940.55	8389.53	15862.44	6757.72
17.	मेघालय	14410.60	19782.59	18670.78	16283.15
18.	मिजोरम	10814.05	14084.57	15320.60	7446.00
19.	नागालैंड	9798.33	10315.05	11232.12	9387.08
20.	ओडिशा	92719.98	162570.06	100807.62	138621.84
21.	पंजाब	48112.44	64703.06	41972.68	54362.98
22.	राजस्थान	148580.86	313064.40	143520.11	257663.11
23.	सिक्किम	4022.84	4453.04	1493.85	2856.63
24.	तमिलनाडु	68141.96	116817.50	62672.47	61264.50
25.	त्रिपुरा	17493.76	24263.63	8010.11	9031.41
26.	उत्तर प्रदेश	263682.61	515804.16	362476.26	420993.89
27.	उत्तराखंड	20892.49	39936.44	17941.10	28591.08
28.	पश्चिम बंगाल	177652.74	298627.19	258056.58	368542.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	907.36	1606.37	1089.28	1245.47
30.	चंडीगड	1611.21	3301.27	972.64	2531.76
31.	दादरा और नगर हवेली	564.35	796.36	652.76	958.80

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	257.06	485.42	233.12	398.75
33.	दिल्ली	3783.29	8008.74	3251.90	4338.94
34.	लक्षद्वीप	127.86	363.28	57.62	179.14
35.	पुदुचेरी	757.62	1275.50	518.91	779.78
	कुल	2077538.33	3783409.92	2213894.70	3013971.08

विवरण-V

शिक्षकों की भर्ती

क्र. सं.	राज्य	2012-13 तक संस्वीकृत	31.12.2012 तक भर्ती किए गए
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	198
2.	आंध्र प्रदेश	39189	27402
3.	अरुणाचल प्रदेश	7262	6153
4.	असम	48808	40756
5.	बिहार	403413	198035
6.	चंडीगढ़	1390	1060
7.	छत्तीसगढ़	67507	57193
8.	दादरा और नगर हवेली	937	452
9.	दमन और दीव	119	42
10.	दिल्ली	7104	3136
11.	गोवा	169	179
12.	गुजरात	58688	31430
13.	हरियाणा	13435	11286
14.	हिमाचल प्रदेश	5856	3653
15.	जम्मू और कश्मीर	43471	40501
16.	झारखंड	120396	81974
17.	कर्नाटक	29055	24278
18.	केरल	2925	0
19.	लक्षद्वीप	38	17
20.	मध्य प्रदेश	173855	94745
21.	महाराष्ट्र	42091	15387
22.	मणिपुर	2871	2719
23.	मेघालय	13262	9050
24.	मिजोरम	2485	2175
25.	नागालैंड	3147	2936
26.	ओडिशा	89901	79817
27.	पुदुचेरी	48	37

1	2	3	4
28.	पंजाब	14090	11488
29.	राजस्थान	114132	100889
30.	सिक्किम	724	405
31.	तमिलनाडु	33214	34526
32.	त्रिपुरा	6980	6435
33.	उत्तर प्रदेश	423553	264466
34.	उत्तराखंड	14316	5046
35.	पश्चिम बंगाल	198253	136630
	कुल	1982894	1294496

सामुदायिक कालेज

1482. श्री तथागत सत्पथी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामुदायिक कालेजों के माडल/पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) सामुदायिक कालेजों में अनुमत निजी भागीदारी की प्रतिशतता क्या है;

(ग) इन कालेजों में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम/व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सामुदायिक कालेज मुख्यतया उन क्षेत्रों, जहां वे स्थापित हैं की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या वे राष्ट्रीय हितों के प्रति उनका झुकाव ज्यादा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) दिनांक 03/09/2012 को अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) के अनुसरण में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विशेषज्ञताओं हेतु 35 माडल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जो इसकी वेबसाइट *www.aicte-india. orgèvocationaledu. htm.* पर उपलब्ध है। तथापि, प्रत्येक सामुदायिक कालेज को क्रमशः उपर्युक्त माडल एवं ज्ञान तथा कौशल हेतु तकनीकी शिक्षा के बोर्ड/परिषदों एवं विश्वविद्यालयों के मानदंड एवं स्तरों को ध्यान में रखते हुए व्यापार, सेवा, कृषि तथा सभी स्तरों पर संबद्ध क्षेत्रों सहित उद्योग के साथ परामर्श से अपना स्वयं का पाठ्यक्रम विकसित करना होता है।

(ख) निजी भागीदारी के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। तथापि इस योजना में कारोबार, सेवा, कृषि एवं सभी स्तरों अर्थात् डिजाइन विकास एवं पाठ्यक्रम डिलीवरी, प्रशिक्षुकों/अध्यापकों का प्रशिक्षण, सहायक संकाय की आपूर्ति, व्यावहारिक प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं नियोजन जैसे संबद्ध क्षेत्रों सहित उद्योग की सहभागिता की व्यवस्था है। अतः उद्योग की भागीदारी के स्तर कालेज-दर-कालेज भिन्न होंगे।

(ग) सामुदायिक कालेज समुदाय की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न व्यावसायों में प्रशिक्षुओं के लिए बहु प्रवेश एवं बर्हिगमन विकल्पों के साथ डिग्री स्तरीय क्रेडिट आधारित माडयलर पाठ्यक्रमों को अल्प अवधि प्रदान करेंगे।

(घ) और (ङ) सामुदायिक कालेज, मुख्य तौर पर समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तथापि, चूंकि वे एनवीईक्यूएफ के मानकों के अनुरूप होंगे इसलिए प्रशिक्षुओं की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता एवं गतिशीलता होगी।

कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सेना पर्यवेक्षक समूह

1483. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर (जे. एंड के.) में संयुक्त राष्ट्र सेना पर्यवेक्षक समूह के कर्मी अभी भी उपस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी उपस्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा

(एल.ओ.सी.) पर उनकी प्रासंगिकता के बारे में सहमत नहीं है तथा हाल में मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ टकराव हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का कश्मीर में उनके कार्यालय बंद करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) जी, हां। यूएनएमओजीआईपी के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के तहत स्थापित किया गया था तथा यह जुलाई, 1949 के कराची करार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित युद्ध विराम रेखा के पर्यवेक्षण के लिए था। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला करार समपन्न होने के पश्चात दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों का समाधान करने का संकल्प लिया है। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध विराम के परिणामस्वरूप स्थापित नियंत्रण रेखा का सम्मान करेंगे तथा कोई भी पक्ष आपसी मतभेदों तथा विधिक व्याख्याओं के बावजूद इसमें एकतरफा परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा। दोनों पक्ष इस बात से भी सहमत थे कि वे इस रेखा का उल्लंघन करके बल प्रयोग अथवा धमकियों से परहेज करेंगे। इसलिए सरकार का यह विचार है कि शिमला करार तथा नियंत्रण रेखा की स्थापना से यूएनएमओजीआईपी की भूमिका समाप्त हो गई है। इसलिए नियंत्रण रेखा पर 8 जनवरी, 2013 की घटना की जांच यूएनएमओजीआईपी द्वारा करवाए जाने के संबंध में पाकिस्तान का सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

लोक शिकायत और पेंशन मामले

1484. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 2011, 2012 और 27 फरवरी, 2013 तक दोनों मोड अर्थात् आनलाइन और डाक के जरिए प्राप्त लोक शिकायतों और पेंशन संबंधी मामलों से जुड़ी कुल शिकायतों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शिकायतों की जांच करने के बाद शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है तथा इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। इन शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 27.02.2013 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों में प्राप्त शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2011	2012	2013 (27 फरवरी, 2013 तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सरकार	38	55	24

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	1720	2524	401
3.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	30	42	3
4.	असम सरकार	226	261	46
5.	बिहार सरकार	638	767	133
6.	छत्तीसगढ़ सरकार	152	202	22
7.	गोवा सरकार	120	84	12
8.	गुजरात सरकार	1025	1229	212
9.	हरियाणा सरकार	1099	1108	164
10.	हिमाचल प्रदेश सरकार	165	172	17
11.	जम्मू और कश्मीर सरकार	298	327	43
12.	झारखंड सरकार	350	339	60
13.	कर्नाटक सरकार	1250	1199	170
14.	केरल सरकार	1437	515	58
15.	मध्य प्रदेश सरकार	954	1085	175
16.	महाराष्ट्र सरकार	2796	3025	436
17.	मणिपुर सरकार	42	22	5
18.	मेघालय सरकार	33	33	6
19.	मिजोरम सरकार	6	19	1
20.	नागालैंड सरकार	18	26	1
21.	ओडिशा सरकार	573	694	86
22.	पुदुचेरी सरकार	121	113	20
23.	पंजाब सरकार	869	1118	198

1	2	3	4	5
24.	राजस्थान सरकार	1065	1225	218
25.	सिक्किम सरकार	21	24	1
26.	तमिलनाडु सरकार	4965	3933	591
27.	त्रिपुरा सरकार	48	52	11
28.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सरकार	130	83	22
29.	संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सरकार	10	11	2
30.	संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव सरकार	12	10	0
31.	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप सरकार	16	14	3
32.	उत्तर प्रदेश सरकार	2798	3198	551
33.	उत्तराखंड सरकार	380	505	81
34.	पश्चिम बंगाल सरकार	1411	1289	245

अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार

1485. श्री सज्जन वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार और उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वास्तव में इन योजनाओं से लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक इन योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), ग्रेज्युएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (जीएटीई) और ग्रेज्युएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट उत्तीर्ण छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृति प्रदान करती है। इसके अलावा एआईसीटीई की मध्य प्रदेश राज्य सहित देशभर में एआईसीटीई अनुमोदित पात्र संस्था में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सहायता संस्वीकृत करने की योजना है। इसके अतिरिक्त पालीटेक्नीकों के जरिए समुदाय विकास योजना के अंतर्गत एआईसीटीई अनुमोदित पालीटेक्नीकों के जरिए अल्प-अवधि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है ताकि अ.जा./अ.ज.जा. सहित समाज के सभी क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जा सके।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त छात्रवृति योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है, है, और सीडीटीपी योजना के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा. के विद्यार्थियों की संख्या			अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की संख्या		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	30	35	40	9	6	8
गुजरात	152	205	211	111	202	140
मध्य प्रदेश	278	474	467	49	58	61
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	1	—	2	31	—	43
असम	7	10	20	8	8	16
झारखंड	30	24	25	3	16	13
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
ओडिशा	28	27	40	5	8	5
सिक्किम	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	52	82	155	3	8	18
बिहार	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	239	215	280	3	7	8
उत्तराखंड	30	63	67	3	9	7
चंडीगढ़	17	9	31	6	4	4
दिल्ली	15	13	40	6	3	1

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	100	118	174	4	—	5
हिमाचल प्रदेश	—	4	7	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
पंजाब	48	53	112	4	5	5
राजस्थान	35	54	53	13	12	14
आंध्र प्रदेश	1814	2243	3739	388	604	974
पुदुचेरी	9	8	32	1	—	—
तमिलनाडु	744	1057	1374	18	34	34
कर्नाटक	300	391	581	78	112	163
केरल	73	109	220	1	3	14
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
गोवा	2	—	—	1	—	—
महाराष्ट्र	685	926	1113	40	56	68
कुल	4689	6121	8784	785	1156	1601

विवरण-II

पोलिटेक्नीकों के माध्यम से समुदाय विकास की योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति (सीडीटीपी)

क्र.सं.	राज्य	2009-10				2010-11				2011-12			
		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.	
		पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0	0	147	197	10	12	124	268	3	30
2.	हरियाणा	0	0	0	0	618	541	8	2	917	1163	78	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	हिमाचल प्रदेश	8	3	0	0	265	102	16	6	214	228	15	7
4.	जम्मू और कश्मीर	0	97	0	32	608	779	385	357	376	712	352	356
5.	पंजाब	0	0	0	0	1505	2228	5	36	1681	2890	22	25
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	12	82	1	1	105	274	2	0
7.	राजस्थान	0	0	0	0	247	336	44	69	601	548	289	260
8.	उत्तर प्रदेश	38	1	2	0	2184	1874	38	41	2993	2199	95	74
9.	उत्तराखंड	0	0	0	0	73	56	8	2	388	539	118	21
10.	आंध्र प्रदेश	147	531	56	134	1093	3238	443	873	1262	3396	466	758
11.	कर्नाटक	245	556	149	348	1536	3014	987	1884	1195	2600	692	1752
12.	केरल	150	388	13	68	677	1943	66	307	692	2470	120	327
13.	तमिलनाडु	250	796	15	46	2751	6258	301	54	2354	7224	208	586
14.	पुदुचेरी	4	12			60	22			105	92	3	0
15.	लक्षद्वीप												
16.	दादरा और नगर हवेली												
17.	दमन और दीव												
18.	गोवा	0	1	0	14	2	47	30	211	18	37	48	199
19.	गुजरात	29	83	9	42	387	1338	423	1025	437	1280	511	957
20.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	854	506	356	256	911	642	432	378
21.	छत्तीसगढ़	6	8	5	23	359	301	500	550	239	328	428	505
22.	महाराष्ट्र	133	251	31	78	1145	1911	386	676	1306	1768	479	733
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	6	4	4	2	0	0	41	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	बिहार	0	0	0	0	59	77	43	38	147	151	5	19
25.	झारखंड	0	0	0	0	56	34	74	107	243	241	213	325
26.	ओडिशा	64	46	63	33	55	39	56	58	206	282	237	395
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	125	73	159	94	774	918	207	255
28.	अरुणाचल प्रदेश												
29.	असम	0	0	0	0	26	22	56	77	53	73	56	72
30.	मणिपुर												
31.	मेघालय	0	0	0	0	10	8	15	10	0	11	41	100
32.	मिजोरम	0	0	0	0	2	6	2	22	0	0	210	60
33.	नागालैंड	0	0	0	0	2	4	2	20	0	0	185	220
34.	सिक्किम												
35.	त्रिपुरा	0	0	0	0	5	2	10	10	88	12	46	6
	कुल	1074	2773	343	818	14869	25042	4428	7286	17429	30346	5602	8515

[अनुवाद]

टी.आर.ए.आई. की भूमिका

1486. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.आर.ए.आई. अपनी भूमिका और उद्देश्य परक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार ग्राहकों के अधिकारों के संरक्षण में टी.आर.ए.आई. द्वारा कुछ कोताही बरती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) टी.आर.ए.आई. द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध और दूरसंचार ग्राहकों के पक्ष में निपटाए गए/पक्ष में दिए गए आदेशों के मामलों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) से (ङ) ट्राई ने दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसके परिणामस्वरूप, देश भर में सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवाओं के विशाल नेटवर्क की उपलब्धता और उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता, दूरसंचार सेवाओं के वहनीय प्रशुल्क और सेवाओं के चयन आदि के संबंध में समग्र लाभ मिले हैं। उपभोक्ता नंबरों में अत्यधिक वृद्धि और इसकी पहुंच से इस संगठन

का कारगर कार्यकरण सिद्ध हुआ है। ये उपलब्धियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विभिन्न विनियमों, निर्देशों और आदेशों को जारी करके सहायक विनियामक वातावरण सृजित करने के परिणामस्वरूप हुई हैं।

ट्राई ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, समय समय पर, विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों का सार निम्नवत है:-

ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पीएमआर) की मार्फत, समय समय पर जारी, सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों के द्वारा विभिन्न सेवाओं के गुणवत्ता संबंधी मानकों के आधार पर ट्राई द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों के मद्देनजर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ताकी निगरानी करता रहा है। ट्राई स्वतंत्र एजेंसियों की मार्फत बुनियादी, सेलुलर और ब्राडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता का उद्देश्यपरक आकलन भी करता है। इन एजेंसियों द्वारा तिमाही आधार पर एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया जाता है। जनता/स्टेकधारियों की जानकारी के लिए इन जांच और सर्वेक्षणों के परिणामों का प्रकाशन किया जा रहा है। ट्राई सेवा के गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों को पूरा करने में आ रही कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

ट्राई ने उन सेवा प्रदाताओं जो बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) एवं सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 8 नवम्बर, 2012 को "बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) गुणवत्ता संबंधी मानक एवं सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012" जारी किए थे और सेवा मानदंडों के गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों के ग़ैर-अनुपालन के लिए ब्राडबैंड सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को "ब्राडबैंड सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012" जारी किए थे।

ट्राई ने उपभोक्ताओं के मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी हितों की रक्षा करने के लिए "सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग सटीकता हेतु व्यवहार कोड) विनियम, 2006" जारी किए थे जिनमें सूचीबद्ध योग्य जांचकर्ताओं (आडिटरों) की मार्फत सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की वार्षिक जांच किए जाने का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध आडिटरों द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक आडिट रिपोर्ट प्रति वर्ष दिनांक 30 जून तक प्रस्तुत करनी होती है। सेवा प्रदाताओं को आडिटरों द्वारा आडिट रिपोर्टों में पाई गई खामियों को दूर करने के बारे में की गई कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष दिनांक 30 सितम्बर तक को ट्राई में प्रस्तुत करनी होती है।

सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता की शिकायतों के निदान में प्रभावी सुधार के लिए दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के फ्रेमवर्क की समीक्षा भी की गई। ट्राई ने दिनांक 5 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निदान विनियम, 2012 को अधिसूचित किया था। इन विनियमों में टोल फ्री उपभोक्ता सुविधा केन्द्र, दो स्तरीय शिकायत निवारण कार्यपद्धति, एक विशेष डाकेट नम्बर प्रदान करके शिकायतों का पंजीकरण करने, सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दो सदस्यीय सलाहकार समिति जिसका एक सदस्य ट्राई के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठन का सदस्य होगा, का गठन करने, नागरिक चार्टर का प्रकाशन करने और वेब आधारित एक शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना आदि के साथ एक शिकायत केन्द्र की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है।

ट्राई ने बाजार में विभिन्न वाउचरों के प्रस्तावों एवं उनके विपणन तथा प्रत्येक वाउचर को चालू किए जाने और प्रत्येक उपयोग के बाद उपभोक्ताओं को उनके बारे में सूचना के प्रावधान का भी समीक्षा की है तथा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 जारी किए हैं।

ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) की समस्या का निवारण करने के लिए दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 को दूरसंचार वाणिज्यिक संदेश उपभोक्ता प्राथमिकता विनयम, 2010 जारी किए थे। इस विनियामक फ्रेमवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए ट्राई द्वारा इन विनियमों में अनेक संशोधन किए गए हैं और, समय-समय पर, निर्देश जारी किए गए हैं।

ट्राई ने सेवा प्रदाताओं के पास रखी हुई उपभोक्ताओं की अप्रतिदेय धनराशि का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ) को अंतरण करने के लिए दिनांक 15 जून 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 भी जारी किए हैं। इस निधि से प्राप्त आय उपभोक्ताओं को शिक्षित करने, दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन संचालित करने, उपभोक्ता कल्याण के विषय पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने में व्यय की जाती है।

ट्राई इन उपभोक्ता संगठनों के साथ नियमित विचार-विमर्श के

द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण कर रहा है। इस संबंध में, ट्राई ने उपभोक्ता संगठनों के साथ संपर्क करने हेतु फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिए, हाल ही में, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को उपभोक्ता संगठन पंजीकरण विनियम जारी किए हैं।

उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए उपर्युक्त उपाय महत्वपूर्ण रहे हैं।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय सेवाओं में अ.जा./ अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

1487. श्री अशोक कुमार रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण नीति के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रतिनिधित्व किस हद तक जनसंख्या के अनुपात से अधिक अथवा कम है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सेवाओं के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुरूप करने के लिए कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के संबंध में आरक्षण का प्रतिशत, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के मामले में सरकार की नीति के अनुसार अनुरक्षित किए गए एक रोस्टर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) और भारतीय वन सेवा (भा.पु.से.) में अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) वर्गों की संख्या एवं प्रतिशत के संबंध में निम्नानुसार है:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
भारतीय प्रशासनिक सेवा $	479 (14.13%)	155 (7.69%)
भारतीय पुलिस सेवा*	347 (13.71%)	158 (6.4%)
भारतीय वन सेवा#	268 (13.30%)	155 (7.69%)

$सीधी भर्ती, 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार।

*सीधी भर्ती, 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार।

#सीधी भर्ती, 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार।

(ग) से (ङ) सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 15% और 75% है। रिक्तियों की तारीखों और उन्हें भरने की वास्तविक तारीखों में अंतर, इन वर्गों से उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की अनारक्षित रिक्तियों पर समसयोजन से नियुक्ति और इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों के कारण हुई रिक्तियों में अनुवर्ती वृद्धि जैसे कारणों से किसी निश्चित तारीख पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का वास्तविक आरक्षण उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से भिन्न हो सकता है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

1488. श्री हरिन पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना 'विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' (आईसीटी) से कितने शहरी/ग्रामीण विद्यार्थी लाभान्वित हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का संबंधित विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) केन्द्र प्रायोजित योजना 'विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' (आईसीटी) के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त कंप्यूटर शिक्षा योजना के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। मंत्रालय ने इस योजना के तहत गत तीन वर्ष और चालू वर्ष में 2,38,45,370 छात्रों (ग्रामीण और शहरी) को शामिल करने हेतु अनुमोदन किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निधियां अलग-अलग उद्दष्ट या जारी नहीं की जाती हैं।

(ख) इस योजना के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्कूलों में आईसीटी योजना के प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का विधिवत उपयोग किया गया है, गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों के 97 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया गया था। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करता है। और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का शीघ्र उपयोग करने के लिए कदम उठाता है।

(ङ) मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति और छात्रों एवं शिक्षकों के लिए आईसीटी पाठ्यचर्चा को अंतिम रूप दिया है। उदाहरणात्मक माडल बोली प्रक्रिया दस्तावेज तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्षों को भी लगाया है ताकि, स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रभावी रूप में लागू की जा सके।

विवरण

योजना के अंतर्गत जारी राज्यवार राशि

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1/03/2013 तक)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.25	67.20	67.20	67.20
आंध्र प्रदेश	0.00	6600.00	6923.50	3927.50
अरुणाचल प्रदेश	105.52	645.59	584.37	69.12
असम	0.00	641.00	2182.40	2483.44
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	182.75	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
दादर और नगर हवेली	0.00	31.20	31.20	0.00
दमन और दीव	0.00	31.20	31.20	0.00
दिल्ली	0.00	14.40	18.75	0.00
गोवा	0.00	399.00	639.98	0.00
गुजरात	432.00	432.00	0.00	0.00
हरियाणा	1871.78	6915.57	5107.64	0.00
हिमाचल प्रदेश	1500.00	0.00	0100	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	753.60	2205.68	753.60
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	6229.48	330.00
केरल	4071.00	2600.00	5562.00	3075.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	2250.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	391.95	65.65	0.00	0.00
मेघालय	0.00	386.59	20.00	45.00
मिजोरम	301.50	408.06	672.84	0.00
नागालैंड	111.21	486.82	542.67	770.42
ओडिशा	0.00	0.00	400.00	4000.00
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	4305.00	4603.00	2890.00	7291.35
राजस्थान	2300.00	4500.00	0.00	6000.00
सिक्किम	0.00	418.97	0.00	0.00

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	318.72	0.00	4360.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	946.32	927.72	264.25
उत्तर प्रदेश	0.00	3984.82	6268.17	4302.72
उत्तराखंड	151.50	500.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	3500.00	3646.83	0.00
कुल	18310.18	38899.79	49280.46	33379.63

[हिन्दी]

निजी विद्यालय

1489. श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में निजी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) शैक्षणिक वर्ष 2009-10 और 2012-13 के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में क्रमश: कितने विद्यालयों की वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी विद्यालयों की संख्या की तुलना में निजी/पब्लिक विद्यालयों की अधिक संख्या के परिणामों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये स्कूल शिक्षा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 (अनंतिम) और 2010-11 (अनंतिम) के दौरान देश के सरकारी/स्थानीय निकायों और निजी सहायता प्राप्त/निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या नीचे दी गई है।

स्कूल का प्रकार	2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
	सरकारी/स्थानीय निकाय	निजी सहायता प्राप्त/निजी गैर सहायता प्रसप्त	सरकारी/स्थानीय निकाय	निजी सहायता प्राप्त/निजी गैर सहायता प्राप्त
उच्च प्राथमिक स्कूल	268862	98883	334712	98025
माध्यमिक स्कूल	49486	74240	51141	77229

सरकारी/स्थानीय निकायों के तहत् 2009-10 (अनंतिम) की तुलना में 2010-11 (अनंतिम) के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान निजी उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या में गिरावट आई। हालांकि, इसी अवधी के दौरान

सरकारी/स्थानीय निकायों और निजी दोनों के तहत माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि भी हुई। 2011-12 और 2012-13 के लिए स्कूलों की संख्या के आड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जहां तक हमारे बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य पूरा होता है, सरकार निजी स्कूलों की संख्या के बारे में अनावश्यक रूप चिंतित नहीं है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने के हेतु सतत रूप से प्रगति कर रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा का अभियान का कार्यान्वयन कार्यढांचा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके। सर्व शिक्षा अभियान में नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और अवसंरचना, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें, नि:शुल्क वर्दिया और गुणवत्ता हस्तक्षेप की व्यवस्था है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक आवासीय स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नए माध्यमिक स्कूल खोलने, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन का प्रावधान है। नवम्बर, 2008 में एक स्कूल प्रति ब्लाक की दर से 6000 माडल स्कूल स्थापित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी आरंभ की गई।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना

1490. **श्री कीर्ति आजाद :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री प्रदीप माझी :
श्री सी. शिवासामी :
श्री पी. कुमार :
श्री संजय निरूपम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत अभी तक जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं अभी तक लंबित पड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन लंबित परियोजनाओं की समयावधि में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को विस्तारित अवधि में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों से इन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2014 तक जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार विभिन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी संबंधी समीक्षा बैठकों में संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों आदि जैसे लोक प्रतिनिधियों को शामिल करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) उपयोग के लिए वचनबद्ध और जारी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उपमिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत अनुमोदित कुल 551 परियोजनाओं में से 184 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं

(ग) और (घ) सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूर्ण करने के लिए इनकी अवधि को दिनांक 31.03.2012 से दो वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ायी है। राज्यों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. की

बढ़ायी गई अवधि में परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वन न करने और उन्हें पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

(ङ) वचनबद्ध एसीए जारी एसीए और राज्यों के पास उपलब्ध शेष एसीए का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(च) जी, हां। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत परियोजनाओं सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) गठित करने हेतु अधिसूचना जारी करें। अब तक कुल 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस समिति गठित की है और इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की है।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यूआईजी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनओं की लागत	बचनवद्ध एसीए	उपयोग हेतु जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	52	20	496,126.59	209,71.73	162,829.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	18,048.20	16,243.38	12,565.15
3.	असम	2	0	31,610.71	28,449.64	24,813.27
4.	बिहार	8	0	71,181.41	39,475.73	12,310.79
5.	चंडीगढ़	3	0	19,119.60	15,297.68	2,684.54
6.	छत्तीसगढ़	1	0	30,364.00	24,291.20	21,862.08
7.	दिल्ली	23	8	664,955.00	232,734.35	102,,414.25
8.	गोवा	2	0	7,484.08	5,987.26	1,496.82
9.	गुजरात	71	47	559,042.94	246,793.59	199,749.56
10.	हरियाणा	4	0	69,909.02	34,954.51	25,290.42
11.	हिमाचल प्रदेश	5	0	16,373.68	12,599.75	3,472.84
12.	जम्मू और कश्मीर	5	0	55,184.03	48,775.63	28,064.96
13.	झारखंड	5	0	79,485.72	49,936.58	18,688.73
14.	कर्नाटक	47	23	367,503.81	143,977.77	103,735.15

1	2	3	4	5	6	7
15.	केरल	11	0	99,789.00	64,554.60	23,031.03
16.	मध्य प्रदेश	23	9	245,668.56	125,793.76	79,936.53
17.	महाराष्ट्र	80	30	1,156,426.97	515.171.71	430,613.47
18.	मणिपुर	3	0	15,395.66	13,856.10	9,006.47
19.	मेघालय	2	0	21,795.72	19,616.15	12,750.50
20.	मिजोरम	4	0	12,772.16	11,494.94	3,857.62
21.	नागालैंड	3	1	11,594.13	10,434.72	5,310.39
22.	ओडिशा	5	1	81,197.66	63,712.53	33,026.10
23.	पंजाब	6	1	72,539.00	36,269.50	16,483.31
24.	पुदुचेरी	2	0	25,306.00	20,244.80	7,502.20
25.	राजस्थान	13	4	122,773.11	76,555.00	47,709.08
26.	सिक्किम	2	0	9,653,67	8,688.30	6,185.58
27.	तमिलनाडु	48	18	533,046.46	212,638.55	150,705.47
28.	त्रिपुरा	2	0	18,047.00	16,043.40	10,428.21
29.	उत्तर प्रदेश	33	4	536,361.94	269,660.51	206,224.48
30.	उत्तराखंड	14	1	40,256.22	3189.10	21,020.71
31.	पश्चिम बंगाल	69	17	685,506.27	250,869.64	129,413.27
	योग	551	184	6,174,518.12	2,856,722.11	1,913,182.20

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यूआईजी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बचनवद्ध एसीए	उपयोग के लिए अब तक जारी एसीए	शेष एसीए
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	209,791.73	162,829.12	6,962.624

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	16,243.38	12,565.15	3,678.23
3.	असम	28,449.64	24,813.27	3,636.37
4.	बिहार	39,475.73	12,310.79	27,164.94
5.	चंडीगढ़	15,297.68	2,684.64	12,613.04
6.	छत्तीसगढ़	24,291.20	21,862.08	2,429.12
7.	दिल्ली	232,73435	02,414.25	130,320.10
8.	गोवा	5,987.26	1,496.82	4,490.44
9.	गुजरात	246,793.59	199,749.56	47,044.03
10.	हरियाणा	34,954.51	25,29042	9,664.09
11.	हिमाचल प्रदेश	12,599.75	3,472.84	9,126.91
12.	जम्मू और कश्मीर	48,775.63	28,064.96	20,710.67
13.	झारखंड	49,936.58	18,688.73	31,247.85
14.	कर्नाटक	143,977.77	103,735.15	40,242.62
15.	केरल	64,554.60	23,031.03	41,523.57
16.	मध्य प्रदेश	125,793.76	79,936.53	45,857.23
17.	महाराष्ट्र	515,171.71	430,613.47	84,558.24
18.	मणिपुर	13,856.10	9,006.47	4,89.63
19.	मेघालय	19,616.15	12,750.50	6,865.65
20.	मिजोरम	11,494.94	3,857.62	7,637.32
21.	नागालैंड	10,434.72	5,310.39	5,124.33
22.	ओडिशा	63,712.853	33,026.10	30,686.43
23.	पंजाब	36,269.50	16,483.31	19,786.19
24.	पुदुचेरी	20,244.80	7,502.20	12,742.60

1	2	3	4	5
25.	राजस्थान	76,555.00	47,709.08	28,845.92
26.	सिक्किम	8,688.30	6,182.58	2,502.72
27.	तमिलनाडु	212,638.55	150,705.47	61,933.08
28.	त्रिपुरा	16,043.40	10,428.21	5,615.19
29.	उत्तर प्रदेश	269,660.51	206,224.48	63,436.03
30.	उत्तराखंड	31,80910	21,020.71	10,788.39
31.	पश्चिम बंगाल	250,869.64	129,413.27	121,456.37
	योग	2,856,722.11	1,913,182.20	943,539.91

(रु. लाख में)

बेघरों के लिए आश्रय स्थल

1491. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगली पंचवर्षी योजना के दौरान देश में सभी बुनियादी सुविधाओं से मुक्त आश्रय स्थलों की संख्या में वृद्धि काने प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा इसका कितना अनुपात वहन किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) "भूमि" और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं, इसलिए बेघरों को आश्रय प्रदान करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है।

तथापि, राज्य सरकारों के पहल प्रयासों को पूरा करने और सहायता देने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम) के एक भाग के रूप में पेय जल, शौचालय और स्नानागार, बिस्तर, भंडार और लाकिंग सुविधाओं और सामुदायिक रसोई घर आदि जैसी बुनियादी सेवाओं सहित 24X7 आश्रय प्रदान करने के लिए "शहरी बेघरों के लिए आश्रय" (एसयूएच) नामक एक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया है।

चूंकि इस पर आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसके अंतिम रूप के बारे में कोई विवरण नही दिया जा सकता है अथवा ठोस प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती है।

पिछड़े जिलों के लिए मानदंड

1492. **श्री एस. अलागिरी** :

श्री यशवंत लागुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछडे जिलों की पहचान करने के लिए बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान हेतु सुविधाओं के अंतर्गत अंतर-मंत्रालय कार्य बल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने हेतु योजना आयोग द्वारा पिछड़ जिलों की पहचान के लिए अगस्त, 2004 में गठित किए गए अंतर-मंत्रालयी कार्यसमूह ने 17 मानदंडों का प्रयोग किया। इन मानदंडों की सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

1. आर्थिक
   - (i) प्रति व्यक्ति ऋण
   - (ii) प्रति व्यक्ति जमा
   - (iii) कृषि मजदूरों का प्रतिशत
   - (iv) कृषि मजदूरी
   - (v) प्रति कृषि श्रमिक निष्पादन
2. सामाजिक और शैक्षिक
   - (i) अ.जा. आबादी का प्रतिशत
   - (ii) अ.ज.जा. आबादी का प्रतिशत
   - (iii) महिला साक्षरता दर
   - (iv) विशिष्ट आय समूह की आबादी के लिए माध्यमिक स्कूलों का अनुपात
   - (v) कक्षा I-VIII तकसकल नामांकन अनुपात (आयु 6-13 वर्ष)
3. स्वास्थ्य
   - (i) असामयिक मृत्यु दर
   - (ii) शिशु मृत्यु दर
   - (iii) संस्थागत प्रसूति
   - (iv) पूर्ण टीकाकरण
4. सुविधाएं
   - (i) विद्युत रहित घरों का प्रतिशत
   - (ii) बैंक सेवाओं वाले घरों का प्रतिशत
   - (iii) 500 मीटर से अधिक दूर पर पेयजल स्रोत वाले घरों का प्रतिशत

[हिन्दी]

प्रधान डाकघर

1493. **श्रीमती कमला देवी पटले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाकघरों का प्रधान डाकघर (जी.पी.ओ.) में उन्नयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रधान डाकघरों (जी.पी.ओ.) की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उन मुख्य डाकघरों जिन्हें प्रधान डाकघरों (जी.पी.ओ.) का दर्जा दिए जाने की संभावना है का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. कृपारानी किल्ली) : (क) सर्किल प्रमुख (अर्थात मुख्य पोस्टमास्टर जनरल) के मुख्यालय पर स्थित प्रधान डाकघर को सामान्यतः जनरल पोस्ट आफिस (जीपीओ) के रूप में अभिनामित किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मुख्य डाकघरों को जनरल पोस्ट आफिस के रूप में पुनः अभिनामित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में रिक्त पद

1494. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालयों ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रधानाचार्यो, स्नातकोत्तर शिक्षक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पडें पदों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) साथ समान आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें। अब तक देश के 576 जिलों में 595 स्कूलों को संस्वीकृत किया गया है। मानकों के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में 75% दाखिले, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए किए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि कुल विद्यार्थियों में से कम से कम 1/3 भाग बालिका विद्यार्थियों का हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में और राष्ट्रीय औसत से कम आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता हैं। जेएनवी के विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समग्र राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा लगातार बेहतर रहा है जवाहर नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्णकालिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में विशेष ध्यान दिए जाने के कारण कलाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि श्रेष्ठ संस्थाओं में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) प्रधानाचार्यो स्नातकोत्तर शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नात शिक्षकों के रिक्त पदों के राज्यवार ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तियों और इन पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरने के साथ-साथ पदों का सृजन करने की एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

जेएनवी प्रधानाचार्य, टीजीटी, पीजीटी तथा विविध शिक्षकों की राज्यवार रिक्ति स्थिति

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 01.02.13 की स्थिति के अनुसार प्रधानाचार्य	टीजीटी (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार	पीजीटी	विविध शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	5	45	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	11	32	17
3.	असम	2	32	20	2
4.	बिहार	0	85	68	38
5.	छत्तीसगढ़	0	27	47	17
6.	दिल्ली	1	0	5	0
7.	गोवा	0	3	5	0
8.	गुजरात	1	28	63	20

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	0	23	49	8
10.	हिमाचल प्रदेश	1	7	13	6
11.	जम्मू और कश्मीर	4	36	12	26
12.	झारखंड	2	37	72	15
13.	कर्नाटक	1	8	50	19
14.	केरल	1	3	26	6
15.	मध्य प्रदेश	3	57	122	46
16.	महाराष्ट्र	1	22	71	9
17.	मणिपुर	1	4	24	3
18.	मेघालय	1	17	13	2
19.	मिजोरम	2	8	12	8
20.	नागालैंड	1	12	17	5
21.	ओडिशा	2	35	74	35
22.	पंजाब	5	8	26	15
23.	राजस्थान	4	38	62	32
24.	सिक्किम	0	2	3	2
25.	त्रिपुरा	0	11	8	1
26.	कीरईकल (सं.रा.क्षे.)	0	0	1	0
27.	माहे (सं.रा.क्षे.)	0	0	2	0
28.	पुदुचेरी (सं.रा.क्षे.)	1	0	3	0
29.	यनम (सं.रा.क्षे.)	0	0	2	1
30.	कार निकोबार (सं.रा.क्षे.)	0	3	5	4
31.	मध्य अंडमान (सं.रा.क्षे.)	0	1	8	4

1	2	3	4	5	6
32.	मिनीकोय (सं.रा.क्षे.)	0	0	4	4
33.	दमन (सं.रा.क्षे.)	1	0	4	1
34.	दीव (सं.रा.क्षे.)	0	1	8	4
35.	सिलवासा (सं.रा.क्षे.)	0	2	5	0
36.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	0	1	3	0
37.	उत्तर प्रदेश	5	79	99	13
38.	उत्तराखंड	0	20	23	13
39.	पश्चिम बंगाल	4	34	52	12
	कुल	47	660	1158	405

हवाई किराए में वृद्धि

1495. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :
डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय विमानन क्षेत्र के मूल्य दरों में न्यूनतम और अधिकतम किराए में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से हाल ही में समान आरंभिक और गंतव्य स्थानों की उड़ानों के लिए एयरलाइंसों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न किराए के मुद्दे की जांच करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार/डीजीसीए ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी एयरलाइंसों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का मामले-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) अधिकतम और न्यूनतम किराए के बीच भारी अंतर को कम करने और पहले से ही बोझ तले दबे ग्राहकों से संव्यवहार शुल्क की वसूली रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) अनुसूचित एयरलाइनें प्रत्येक उड़ान के लिए विभिन्न किराये समूह को पेश करती हैं और एयरलाइनों द्वारा पेश किए गए निम्नतर किराये समूह आमतौर पर वहन करने योग्य होते हैं। सीट की मांग में बढ़ोतरी के साथ विमान किराया भी बढ़ता है क्योंकि निम्नतर किराया समूह की टिकटों की बिक्री शीघ्र हो जाती है। विमान किराये की औचक मानीटरिंग से यह उजागर होता है कि विमान किराये अनुसूचित एयरलाइन द्वारा उनकी संबंधित वेबसाइट पर दिए गए किराये बैंड के दायरे में ही होते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायलय ने 2012 की सिविल अपील सं. 8771 के विरूद्ध दिनांक 23 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से कहा है कि वे एयरलाइनों द्वारा उनको प्रस्तुत टैरिफ संरचना को नया रूप दें, विशेषकर उस स्थिति में जब उक्त टेबल में यह उल्लेख न किया गया हो कि सात दिनों से कम की अवधि से पहले बुक किए गए टिकट के लिए कौन सा किराया बैंड लागू होगा।

(ङ) से (छ) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइनों से, टैरिफ संरचना के निर्धारण, फेयर बैंड, प्रत्येक फेयर बैंड में आबंटित दर सूची के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार्य विशेषकर यूएसए, यू.के., आस्ट्रेलिय, यूए.ई., जापान ओर चीन जैसे देशों में अपनाई गई प्रचलित बेहतरीन पद्धति पर, सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

चीन के नियंत्रणाधीन पोत पत्तन

1496. **श्री राकेश सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत के पड़ोसी देशों के कतिपय सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पोत पत्तनों का प्रचालन अपने हाथों में ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात की आशंका है कि चीन द्वारा भारत के विरूद्ध इन पोत पत्तनों का सैनिक कार्यकलापों हेतु प्रयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) (क) से (ग) : सरकार ने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं कि चीन की कम्पनियां व्यावसायिक आधार पर श्रीलंका में कोलम्बो साउथ कान्टेनर टर्मिनल और हैमबनटोटा पत्तन परियोजना के निर्माण में शामिल है हाल ही में, ग्वादार पत्तन के प्रबंधन का कार्य चीनी फर्मों द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों पर सतत निगाह रखती है और इसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय खेलना

1497. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री मधुसूदन यादव :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों को खोलने के प्राप्त प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में चिन्हित स्थानों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) देश में, संलग्न विवरण के अनुसार कुल 586 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इनमें से, जम्मू (जे.के.), श्रीगंगानगर (राजस्थान) और सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में विगत 3 वर्षों के दौरान तीन जेएनवी खोले गए हैं।

(ग) से (च) नए जेएनवी खोलने के लिए राज्य सरकारों से कुल 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र प्रत्येक राज्य में एक छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर प्रत्येक में दो और कर्नाटक में तीन जेएनवी खोलने के संबंध में है। सरकार की देश में शामिल नहीं किए गए जिलों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त जेएनवी खोलने का योजना है। इन सभी प्रस्तावों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

विवरण

देश में कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	कार्यात्मक जेएनवी
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	50
2.	छत्तीसगढ़	17
3.	ओडिशा	31
4.	पंजाब	21
5.	हिमाचल प्रदेश	12
6.	जम्मू और कश्मीर	17
7.	चंडीगड़	1
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
9.	आंध्र प्रदेश	24
10.	कर्नाटक	28
11.	केरल	14
12.	पुदुचेरी	4
13.	लक्षद्वीप	1
14.	हरियाणा	20
15.	दिल्ली	2
16.	राजस्थान	33
17.	उत्तर प्रदेश	68
18.	उत्तराखंड	13
19.	बिहार	39
20.	झारखंड	24
21.	पश्चिम बंगाल	18
22.	महाराष्ट्र	33
23.	गुजरात	23
24.	गोवा	2
25.	दमन और द्वीव	2
26.	दादरा और नगर हवेली	1
27.	अरुणाचल प्रदेश	16
28.	असम	27
29.	मेघालय	8
30.	मणिपुर	9
31.	मिजोरम	7
32.	नागालैंड	11
33.	सिक्किम	4
34.	त्रिपुरा	4
	कुल	586

[हिन्दी]

डी.डी.ए. आवास योजना

1498. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लायी गई आवासीय योजनाओं और प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए फ्लैटों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फ्लैटों को रहने योग्य बनाने के पश्चात् प्रत्येक योजना के सफल आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मात्र एक आवासीय स्कीम नामत: "डीडीए आवासीय स्कीम 2010" आरंभ की गई थी जिसमें लाट के ड्रा के माध्यम से 16,118 फ्लैट आबंटित किए गए थे।

(ख) और (ग) जी हां, डीडीए ने बताया है कि आबंटियों को 11,340 फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया है। शेष मामलों में निम्नलिखित कारणों से कब्जा नहीं सौंपा जा सका:

(1) आबंटित को कब्जा लेने के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अभी स्थल पर जाना है।

(2) कुछ मामलों में, कब्जा सौंपने से पूर्व आबंटियों द्वारा इंगित कमियों को दूर किया जा रहा हैं

(3) कुछ फ्लैटों के मामले में, बिजली कनेक्शनों, अंतरिंग वायरिंग पथ प्रकाश और सड़कों से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(घ) डीडीए ने संबंधित एजेंसियों से विद्युतिकरण, आन्तरिक वायरिंग, पथ प्रकाश, तथा सड़कों का कार्य अगले 2-3 महीनों में शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

एअरपोर्ट मेट्रो लाइन

1499. **श्री खगेन दास :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एन. कृष्टप्प :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअरपोर्ट मेट्रो लाइन का निर्माण पी.पी.पी. माडल के अंतर्गत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में डेवलपर्स के साथ सहमति वाली निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअरपोर्ट मेट्रो लाइन का मरम्मत कार्य करने वाली एजेंसी द्वारा अत्यधिक विलंब हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त लाइन पर प्रचालन की निलंबन अवधि के दौरान 'डी.एम.आर.सी. को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या उनके विरूद्ध सी.वी.सी./सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) एवं दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा.लि. (डीएएसईपीएल) के बीच हुए रियायत करार के अनुसार अनुबंधों एवं शर्तों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। मरम्मत के कार्य कार्यक्रम के अनुसार किए गये थे।

(घ) रियायत करार के अनुसार, डीएमआरसी अपने अंश के रूप में कुल राजस्व का एक प्रतिशत प्राप्त करता है। ट्रेन सेवाएं लगभग साढ़े छ: महीने तक बंद रही और ट्रेन बंद किए जाने से पहले इन छ: महीने के लिए डीएमआरसी का राजस्व अंश लगभग 22 लाख रु. था।

(ङ) और (च) सरकार ने पूरे मामले की जांच करने के लिए दिनांक 24.07.2012 को दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है जिसमें अतिरिक्त सदस्य (निर्माण), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय तथा अपर सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), शहरी विकास मंत्रालय वाकी शामिल हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डीएमआरसी और डीएएमईपीएल के बीच हुई निबंधन और शर्तों का ब्यौरा

भारत सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीआरएस) से आईजीआई एयरपोर्ट तक और उसके बाद उसके द्वारका सेक्टर 21 तक विस्तार वाले 23.7 किमी. लंबे हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक की स्वीकृति क्रमशः 17 मई, 2007 और 29 जनवरी, 2009 को दी गई थी। यह दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) लि. और मैसर्स रिलायंस एनर्जी एंड सीएफ प्राइवेट लिमिटेड के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था है। सिविल निर्माण कार्य डीएमआरसी के पास हैं और सिस्टम संबंधी कार्य रियायती के पास हैं। इस लाइन के लिए डीएमआरसी और मैसर्स दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईपीएल) के बीच संविदा करार पर हस्ताक्षर 25 अगस्त, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह लाइन 23 फरवरी, 2011 को शुरू की गई है।

रियायत-अवधि 30 वर्ष है। संविदा करार के तहत, रियायती को लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्वसनीय परियोजना उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक उद्यम के रूप में परियोजना के विकास, डिजाइन, वित्त निर्माण, उसे शुरू करने और प्रचालन तथा रख रखाव के लिए निर्माण स्थल तक मार्गाधिकार, पहुंच और लाइसेंस है। उक्त करार के तहत रियायती को इस परियोजना के संपूर्ण या किसी हिस्से पर कोई अधिकार या बाधा उत्पन्न किए बिना, अपने सभी दायित्वों को पूरा करने पर होने वाले व्यय, लागत और प्रभावों को वहन और उनका भुगतान करना होगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रियायती के निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

(क) इस परियोजना का उपयोग करने के एवज में लोगों से किराया लेना, मांग करना, एकत्र करना और उसे उपयुक्त करना।

(ख) विज्ञापन, खुदरा, वेंडिंग मशीनों ओर परिसंपत्ति-विकास संबंधी कार्य करना और उनसे राजस्व उत्पन्न करना।

उक्त रियायत करार के तहत, डीएमआरसी और मैसर्स दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईपीएल) इस करार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सच्ची भावना से एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। सभी लागू परमिट रियायती द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। रियायती वित्त पोषण संबंधी कागजातों, जांच खरीद संविदाओं, प्रचालन और रख रखाव संविदा तथा पक्षकार वित्त पोषण समझौते समेत सभी परियोजना समझौता की प्रमाणित प्रतियां डीएमआरसी को उपलब्ध कराएगा।

रियायती ने, रियायत अवधि के दौरान अपने दायित्व के उपयुक्त और दृढ़ निष्पादन के लिए परियोजना निष्पादन के दौरान 75 करोड़ रु. की तथा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) के बाद 55 करोड़ रु. की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी डीएमआरसी को उपलब्ध कराई है। इस संविदा के तहत रियायती द्वारा अपने दायित्वों उपयुक्त और दृढ़ निष्पादन में चूक होने तथा उपचारात्मक अवधि के दौरान ऐसी चूकों का समाधान न करने पर, डीएमआरसी को ऐसी चूक के लिए हर्जाने के तौर पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा का नकदीकरण करने का हक होगा।

रियायती उपभोक्ता से निम्नानुसार अधिकतम सीमा तक तक किराया मांग करने और एकत्रित करने का पात्र है:

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीआरएस) और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच एक तरफा अधिकतम किराया 150/- रु. है तथा द्वारका सेक्टर-21 और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच एक तरफा अधिकतम किराया 30/- रु. है।

(ख) एनडीआरएस और आईजीआई किराया (अधिकतम 60 यात्राओं के लिए) 2000/- रु. है और द्वारा सेक्टर-21 आईजीआई एयरपोर्ट के बीच अधिकतम एक तरफा किराया 600/- रु. है

दो वर्ष की प्रचालन अवधि पूरी होने के बाद किराये में संशोधन करने का प्रावधान है तथा किराया संशोधन फार्मूले के अनुसार, किराये में वृद्धि वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के बीच (सीओडी) और सीओडी के दो वर्ष खुदरा मूल्य सूचकांक के अंतर के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी। ये संशोधन प्रचालन समाप्ति तक प्रत्येक दो वर्ष के अंत में भी मान्य होंगे।

रियायती द्वारा एकत्रित किराये को एस्क्रो खाते में जमा किया जाता है तथा परियोजना से संबंधित सभी भुगतान जैसे करों का भुगतान, ईपीसी करारों का भुगतान, प्रचालन और रखरखाव खर्चे, रियायत शुल्क, ऋण सेवाओं आदि का भुगतान एस्क्रो खाते जिसे वित्तीय समाप्ति पर खोला गया था में से किया जाएगा। ऋणदाताओं से प्राप्त सभी निधियां और मेसर्स डीएएम ईपीएल का इक्विटी अंशदान

एस्क्रो खाते में जमा किया गया था जिसके माध्यम से रियायती अपनी पूंजीगत लागत प्राप्त करता है।

स्थल और मार्गाधिकार प्रदान करने पर विचार करते हुए रियायती डीएमआरसी को निम्नलिखित का भुगतान करेगा।

(i) संविधा करार के दौरान 10,000/- प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस।

(ii) सीओडी के प्रथम वर्ष से 51 करोड़ रुपए की रियायत शुल्क और उसके बाद रियायत शुल्क में प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की सार्वधिक वृद्धि होगी और प्रचालन की समाप्ति तक वार्षिक भुगतान किया जाएगा। रियायत का भुगतान वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के भीतर अग्रिम के रूप में किया जाएगा।

(iii) ग्राही निम्नलिखित शर्तों के अनुसार डीएमआरसी के पास अपने सकल राजस्व को शेयर भी करेगा।

(क) 1 से 5 वर्ष तक सकल राजस्व का 1%

(ख) 6 से 10 वर्ष तक सकल राजस्व का 2%

(ग) 10 से 15 वर्ष तक सकल राजस्व का 3%

(घ) 16वें वर्ष से समाप्ति की तारीख तक सकल राजस्व का 5%

यदि ग्राही को स्टेशन का आकार बढ़ जाने के कारण नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम के कानकोर्स पर अतिरिक्त रिटेल स्थान उपलब्ध कराया जाता है तो ग्राही 5% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 31250/प्रति वर्ग मी. के दर से अतिरिक्त रियायती शुल्क का भुगतान करेगा।

ग्राही को समग्र रियायत अवधि में स्टाक एक्सेंज में रजिस्टर्ड होल्डिंग को छोड़कर किसी सब्सीडी या किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग या परिवर्तित होने वाली सिक्योरिटी की होल्डिंग की अनुमति नहीं है। समझौते की तारीख से ग्राही कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मान्य विद्यमान कंपनी बना रहेगा तथा ज्ञापन और कंपनी के आर्टिकल आफ एशोसियेशन में डीएमआरसी की अनुमति के बिना विषयगत संशोधन या बदलाव नहीं होगा। ग्राही की स्वामित्व संरचना डीएमआरसी के बिना लिखित अनुमोदन या इसके अलावा नहीं बदलेगी जैसा कि सीए तहत अनुमत है।

ग्राही द्वारा 30.09.2010 तक अपना कार्य पूरा करने में असफल रहने के कारण डीएमआरसी द्वारा सीए के अनुसार 60.375 करोड़ रु. राशि का हर्जाना लगाया गया।

ओ. एंड एम. अवधि के दौरान ग्राही प्रणाली के सुरक्षित परिचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है तथा डीएमआरसी मैसर्स डम्पेल के रखरखाव की समीक्षा भी करती है तथा माह में एक बार परियोजना का निरीक्षण करता है।

ग्राही डीएमआरसी के नाम पर और ग्राही सभी प्रकार के बीमा, जो वित्त पोषण दस्तावेजों के तहत आवश्यक हैं, मान्य कानून या कोई अन्य बीमा जिसे ग्राही उपयुक्त रूप से ओ. और एम. अवधि के दौरान आवश्यक समझता है, की प्राप्ति के कार्यों (सिविल संरचनाओं और ग्राही कार्यों तथा उपभोगताओं और अन्य तृतीय पक्षों के लिए संभावित देयताओं की पूर्ण पुन: स्थापना लागत शामिल है।

ग्राही एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से प्राप्त और एकत्रित किराया और गैर किराया राजस्व और परियोजना एस्को खाते से भुगतान की गई सभी ओ और एम व्यय और अन्य वह इस समझौता अवधि के दौरान डीएमआरसी को विधिवत लेखापरीक्षित और उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित ऐसे खातों की प्रतियां प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराएगा।

यदि रियायती इस समझौते की विषयगत शर्तों का उल्लंघन करता है तो डीएमआरसी, सीए के अनुसार सुधार अवधि प्रदान करने के बाद और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस समझौते को निरस्त करने के लिए पात्र होगा।

सीए को निम्नलिखित शर्तों के तहत निरस्त किया जा सकता है:

(i) ग्राही की चूक की स्थिति में जैसा कि सीए में परिभाषित है तथा ग्राही का कमी सुधार में असफल रहने पर। इस शर्त के तहत डीएमआरसी रियायती को शेष ऋण के 80% के बराबर की राशि का निरस्तीकरण भुगतान के रूप में भुगतान करेगा। सीओडी से पहले निरस्तीकरण के मामले में ग्राही को कोई निरस्तीकरण भगतान देय नहीं होगा।

(ii) ग्राही भी सीए के तहत आवश्यक नोटिस देने के बाद, डीएमआरसी की चूक की स्थिति में यदि डीएमआरसी ऐसी कमी के सुधार में असफल होता है तो रियायत समझौते को निरस्त कर

सकता है। ऐसी स्थिति में डीएमआरसी ग्राही को निरस्तीकरण भुगतान के रूप में निम्नलिखित राशि के बराबर भुगतान करेगा:

(क) नामे देय।

(ख) समायोजित इक्विटी का 130 प्रतिशत; और

(ग) वाणिज्यिक परिचालन की तारीख के 10 वर्ष के बाद, परियोजना के लिए अधिप्राप्त और स्थापित परियोजना परिसम्पत्तियों, यदि कोई है तो, का मूल्यह्रास मूल्य।

रियायती द्वारा मांग करने पर, तीस दिन के अन्दर रियायती को अंतिम भुगतान देय होंगे। 30 दिन के अंदर रियायती को पूर्ण अन्तिम भुगतान न कर पाने की स्थिति में, भुगतान न की गई शेष राशि पर, देरी की अवधि के लिए/एसबीआई पीएलआर+2% का ब्याज भी लगेगा। इन अन्तिम भुगतानों का भुगतान एसक्रो एकाउंट में धनराशि जमा करके किया जाएगा।

इस करार की समाप्ति पर, रियायती सभी अड़चनों रहित एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन डीएमआरसी को सौंपेगा और संविदा करार में उल्लिखित अनावरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। समाप्ति के बाद, संविदा करार में उल्लिखित अनुसार परियोजना डीएमआरसी को सौंप दी जाएगी।

(i) सौहार्दपूर्ण समाधान: इसके तहत विवाद को सौहार्दपूण समाधान के लिए निदेशक, एअरपोर्ट लाइन (डीएमआरसी) और निदेशक, मैसर्स डीएमईपीएल के पास भेजा जाएगा।

(ii) मध्यस्थता: यदि सौहार्दपूर्ण समाधान के जरिए 30 दिन के अन्दर विवाद का समाधान नहीं होता तो उसे रियायत करार की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा

1500. **श्री वरूण गांधी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर के विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा लागू करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदिनहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने और अधिकतम स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में समुचित निर्णय लेना होता है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 जुलाई, 2004 के पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वे स्कूल भवनों में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय कर बच्चों की सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससई) के संबद्धन उपनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि स्कूलों में पेयजल, अग्नि सुरक्षा और परिवहन के संबंध में स्कूलों को नगरपालिका प्राधिकरण/जिला कलस्टरी/परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों का बारीकी से पालन करना चाहिए। स्कूलों से यह भी आशा की जाती है कि वे प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात इन अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी नए प्रमाण-पत्र प्राप्त और प्रस्ततु करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

1501. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी विद्यालयों की संख्या का, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे भवन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय आदि नहीं हैं, ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान

देश के कितने विद्यालयों में उपर्युक्त सुविधा प्रदान की गई और इस संबंध में हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी विद्यालयों में विशेषकर महिला शिक्षकों और बालिकाओं के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाओं की हालत दयनीय है;

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) इन विद्यालयों में समग्र स्थिति में सुधार हेतु गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी नए स्कूल भवनों को कंपोजिट भवनों के रूप में संस्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय, पेयजल सुविधाएं और विद्युतिकरण शामिल हैं। मौजूदा ग्रामीण स्कूलों के लिए पेयजल तथा शौचालय सुविधाओं का निर्माण पेयजल और स्वच्छता की योजनाओं के अभिसरण में किया जाता है। उन मौजूदा स्कूल भवनों पेयजल और स्वच्छता की योजनाओं के अभिसरण में किया जाता है। उन मौजूदा स्कूल भवनों का राज्य-वार विवरण जिनमें पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं नहीं है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल अवसंरचना को पूरा करने के लिए अधिनियम की शुरूआत से तीन वर्षों की समय सीमा का प्रावधान है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदत्त स्कूल भवनों, शौचालयों और पेयजल सुविधाओं की संख्या का राज्य-वार विवरण और अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में इस अवधि के दौरान हुआ व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) से (छ) डीआईएसई 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार प्रारंभिक स्कूलों में 79.82% बालकों के तथा 80.38% बालिकाओं के शौचालय संचालनरत हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 शिक्षण कक्षों के साथ स्कूलों के लिए 5,000 रुपए की दर से एक वार्षिक अनुरक्षण अनुदान और अधिक शिक्षणकक्षों वाले स्कूलों की मौजूदा स्कूल अवसंरचना, जिसमें शौचालय भी शामिल हैं, के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 10,000 रुपए का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है।

(ज) केन्द्रीय सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2009-10 में 12781.07 करोड़ रुपए, 2010-11 में 19594.07 करोड़ रुपए, 2011-12 में 20775.38 करोड़ रुपए और जनवरी, 2013 तक 21384.53 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

विवरण-I

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2011-12 (अंतिम) के अनुसार शौचालयों और पेयजल सुविधाओं के अभाव वाले प्रारंभिक स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवसंरचना सुविधाओं के अभाव वाले स्कूलों की संख्या	
		शौचालय	जल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18092	11461
2.	अरुणाचल प्रदेश	1933	976
3.	असम	6226	4918
4.	बिहार	18169	4592
5.	छत्तीसगढ़	14697	3068
6.	गोवा	82	6
7.	गुजरात	50	5
8.	हरियाणा	398	89
9.	हिमाचल प्रदेश	403	207
10.	जम्मू और कश्मीर	12341	4622
11.	झारखंड	8404	4030

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	241	278
13.	केरल	247	93
14.	मध्य प्रदेश	3643	2392
15.	महाराष्ट्र	3326	5426
16.	मणिपुर	0	136
17.	मेघालय	2794	3184
18.	मिजोरम	308	240
19.	नागालैंड	201	569
20.	ओडिशा	10579	3094
21.	पंजाब	58	2
22.	राजस्थान	2675	4861
23.	सिक्किम	12	37
24.	तमिलनाडु	2604	0
25.	त्रिपुरा	775	1073
26.	उत्तर प्रदेश	12104	3169
27.	उत्तराखंड	557	803
28.	पश्चिम बंगाल	7561	1977
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45	13
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	69	4
32.	दमन और दीव	1	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	5	0
35.	पुदुचेरी	1	0
	कुल	128781	61325

विवरण-II

देश में ऐसे स्कूलों की संख्या जिनमें पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की गई थी तथा इस अवधि के दौरान अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान पर हुए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		स्कूल भवन	पेयजल	शौचालय	स्कूल भवन	पेयजल	शौचालय	स्कूल भवन	पेयजल	शौचालय	स्कूल भवन	पेयजल	शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	37	395	1296	409	248	11464	13	155	15660	435	0	7449
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	0	241	194	0	530	124	42	626	123	0	1094
3.	असम	1521	0	1845	1200	0	10010	2296	0	8219	0	0	12125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	0	545	1015	0	8870	17800	0	123	17420	0	2859	7747
5.	छत्तीसगढ़	405	0	2691	484	782	7266	333	278	24208	45	378	38044
6.	गोवा	0	4	120	0	30	220	0	200	120	0	0	0
7.	गुजरात	0	75	1021	0	0	395	0	0	1990	0	0	9661
8.	हरियाणा	0	817	2940	231	0	1748	58	167	715	12	527	5051
9.	हिमाचल प्रदेश	40	0	3650	0	105	3431	60	0	373	15	0	1103
10.	जम्मू और कश्मीर	472	0	0	1248	1018	2036	447	0	7939	253	0	8170
11.	झारखंड	1360	382	1771	2012	5	6931	74	716	1410	0	309	7465
12.	कर्नाटक	317	0	9925	132	968	9720	0	318	2922	15	152	3378
13.	केरल	0	0	984	6	1755	317	0	0	595	0	32	2582
14.	मध्य प्रदेश	671	0	7731	1340	95	7262	0	384	20648	1076	851	19110
15.	महाराष्ट्र	1755	224	737	1392	308	4226	12	377	1043	760	31	21230
16.	मणिपुर	0	0	2358	180	0	1600	0	0	0	521	0	0
17.	मेघालय	208	0	0	574	0	0	1466	0	0	27	0	0
18.	मिजोरम	17	0	869	0	0	846	84	0	0	168	4	1124
19.	नागालैंड	0	0	145	425	285	375	197	10	90	138	91	837
20.	ओडिशा	2486	0	1789	1556	141	2197	374	252	1534	0	185	65416
21.	पंजाब	659	24	256	148	72	1103	0	6	2666	21	0	6930
22.	राजस्थान	0	372 6	16088	0	965	2881	0	181	1634	126	0	0
23.	सिक्किम	4	0	80	40	0	359	13	0	44	0	0	69
24.	तमिलनाडु	836	437	3871	507	401	12102	0	3158	6986	0	1803	17925
25.	त्रिपुरा	240	0	50	260	0	123	0	7	2171	34	10	525
26.	उत्तर प्रदेश	2025	0	0	1178	278	415	11667	0	0	0	1629	3660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तराखंड	182	964	2438	21	175	6683	203	8	2000	323	0	2236
28.	पश्चिम बंगाल	1136	832	7103	5822	1133	4922	0	307	8170	515	0	25789
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	8	8	0	0	0	5	0	12	32	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	12	0	5	6	0	0	2	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
32.	दमन और दीव	0	0	0	1	23	13	0	21	6	2	0	95
33.	दिल्ली	0	0	0	2	0	161	0	0	95	1	0	227
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	2	10	20	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	2	0	3	0	50	103	0	0	0	0	26	96
	कुल	14566	843 3	71025	19376	17717	120104	17432	6710	129296	4644	8887	269300

विवरण-III

देश में ऐसे स्कूलों की संख्या जिनमें पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की गई थीं तथा इस अवधि के दौरान अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान पर हुए व्यय

क्र.सं.	राज्य	2009-10 में व्यय	2010-11 में व्यय	2011-12 में व्यय	दिसम्बर, 2012 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	365.460	240.810	784.180	518.920
2.	आंध्र प्रदेश	27123.430	53643.890	127288.170	48311.949
3.	अरुणाचल प्रदेश	2286.320	5713.970	2780.070	5493.248
4.	असम	17421.110	25516.890	73612.050	31069.350
5.	बिहार	73320.780	137794.730	159691.060	161506.666
6.	चंडीगढ़	750.750	1054.730	1298.630	332.600

1	2	3	4	5	6
7.	छत्तीसगढ़	26862.160	37907.650	50631.770	37077.462
8.	दादरा और नगर हवेली	239.220	247.460	194.180	362.200
9.	दमन और दीव	128.800	79.200	107.020	130.620
10.	दिल्ली	717.600	1426.110	4029.570	260.000
11.	गोवा	209.500	236.170	275.430	12.000
12.	गुजरात	13489.890	41310.500	75091.846	93859.096
13.	हरियाणा	11433.530	16159.260	31731.360	13979.290
14.	हिमाचल प्रदेश	3257.860	6863.570	7325.880	3876.512
15.	जम्मू और कश्मीर	17196.280	10942.550	36114.391	21579.654
16.	झारखंड	47997.650	78870.010	40197.920	44716.290
17.	कर्नाटक	19186.750	41174.090	38619.256	24864.772
18.	केरल	3548.630	7119.640	3965.000	8782.350
19.	लक्षद्वीप	64.960	104.320	113.280	0.000
20.	मध्य प्रदेश	42847.950	96499.070	81067.535	38739.413
21.	महाराष्ट्र	29422.780	44017.630	70574.490	26426.609
22.	मणिपुर	508.130	3836ए180	681.710	2091.780
23.	मेघालय	4970.040	6174.700	5904.120	5921.263
24.	मिजोरम	3455.520	2818.900	1281.890	656.846
25.	नागालैंड	2082.040	3609.090	1510.180	4893.000
26.	ओडिशा	44671.810	59800.250	61264.330	66897.087
27.	पुदुचेरी	371.000	397.460	640.460	275.450
28.	पंजाब	10529.880	20500.020	18245.033	13479.905
29.	राजस्थान	19097.430	44965.709	37713.450	21060.898

1	2	3	4	5	6
30.	सिक्किम	578.630	1073.270	850.500	161.110
31.	तमिलनाडु	15010.680	32687.045	38026.182	4188.598
32.	त्रिपुरा	2315.930	3906.770	6399.200	2523.020
33.	उत्तर प्रदेश	33525.780	64152.980	150990.060	29451.390
34.	उत्तराखंड	4618.390	4792.100	9462.046	3776.882
35.	पश्चिम बंगाल	37924.740	93144.280	114470.339	153760.563
	कुल	517531.410	948781.004	1252932.587	871036.794

टिप्पणी: व्यय में राज्य की निधियों का हिस्सा भी शामिल है।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

1502. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री संजय धोत्रे :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार और तत्संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस कार्य में निजी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित विश्वविद्यालयों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) विश्वविद्यालयों को या तो संसद के अधिनियमों अथवा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है। केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार इसने, गोवा के अलावा, देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और बिहार में एक अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारें, इन विश्वविद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गए हैं। किसी अन्य राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध या प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय भी विभिन्न वर्गों (क्षेत्रों), जिनमें जन प्रतिनिधि भी शामिल हैं, से मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध प्राप्त कर रहा है। फिलहाल, ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन पर योजना आयोग से परामर्श करके मंत्रालय द्वारा निर्णय किया जाता है कि नई संस्थाओं की स्थापना की अपेक्षा 12वीं पंचवर्षीय योजना में समेकन और गुणवत्ता सुधार पर फोकस किया जाए।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

लंबित भ्रष्टाचार रोधी विधेयक

1503. डॉ. संजय सिंह :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अभी तक लंबित/पारित विधेयकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विधेयकों के लंबन के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भ्रष्टाचार रोधी विधेयकों को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार ने संसद में निम्नलिखित विधेयक पेश किए हैं:-

वर्ष	विधेयक का नाम
2010	जनहित प्रकटन एवं प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010
2011	विदेश लोक पदधारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों के रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011
	लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2011
2012	—

(ख) और (ग) इन विधेयकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इन्हें पारित करने से पहले संसद में इन पर व्यापक चर्चा हो रही है। सरकार इन विधेयकों को शीघ्र पारित करवाने की इच्छुक है।

[हिन्दी]

काकोदकर समिति की सिफारिशें

1504. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काकोदकर समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के विद्यार्थियों की फीस में वृद्धि का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) काकोदकर समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपना परिचालन व्यय पूरा करने के लिए योजनेतर (परियोजन) बजटीय सहायता से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, जबकि पूंजी, विद्यार्थियों, छात्रवृतियों संबंधी सहायता और बुनियादी ढांचागत व्यय पूरी तरह सरकार द्वारा योजनागत (पूंजीगत बजटीय सहायता) व्यय से पूरा किया जाता रहे। मौजूदा खर्च, विद्यार्थियों के दाखिलों का पैटर्न और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की ओर से प्रस्तुत वित्तीय विवरण के आधार पर, काकोदकर समिति ने सिफारिश की कि अवर स्नातक, मास्टर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए फीस संशोधित करके 2-2.5 लाख रुपए वार्षिक की जाए।

कुछ समय से शिक्षा की लागत में उतरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। लागत का वास्तविक अंश सरकार की बजटीय सहायता में से वहन किया जाता है किंतु इसका एक छोटा भाग विद्याथियों की फीस से पूरा किया जाता है। डा. काकोदकर समिति की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उत्कृष्ट और बृहत्तर सुसंगत बनाने संबंधी रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के अनुसार, 2010 के दौरान फीस से राजस्व व्यय को केवल 7.49% की भरपाई हुई थी।

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को लूटना

1505. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री रामकिशन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को छुपी लागत, संदेश भेजने, अधिक और गलत बिलों के द्वारा लूट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का निजी सेल्युलर सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यावसायिक दृटिकोण अपन कर बीएसएनएल और एमटीएनएल का विस्तार और प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, प्रशुल्क संबंधी पेशकश में पारदर्शिता बढ़ाने और बिलिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) बोर्ड द्वारा संचालित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल प्रबंधन अपनी वाणिज्यिक और व्यावसायिक नीतियों के संबंध में निर्णय करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल और एमटीएनएल लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरसंचार विभाग के साथ प्रति वर्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते आ रहे हैं। इनकी समीक्षा तिमाही आधार पर की जानी है। इसके अलावा, बीएसएनएल एमटीएनएल के समग्र कार्य निष्पादन, इनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव आदि के संबंध में दूरसंचार विभाग के साथ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आवधिक आधार पर की जाती हैं।

विवरण

ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, प्रशुल्क संबंधी पेशकश में पारदर्शिता कढ़ाने और बिलों संबंधी चिंताओं का समधान करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

1. ट्राई ने स्वयं द्वारा बनाए गए सूचीबद्ध लेखा- परीक्षकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की मीटर और बिल संबंधी पद्धति की वार्षिक आधार पर जांच को अनवार्य कर दिया है। सेवा प्रदाताओं को ट्राई के सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों से विधिवत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। यह भी कि सेवा सेवा प्रदाताओं को उन कमियों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है, यदि कोई कमी लेखा परीक्षा द्वारा निर्दिष्ट की गई है।

2. प्रशुल्क दरों में वृद्धि को संरक्षित किया गया है जिसके अनुसार प्रशुल्क प्लान में कोई भी प्रशुल्क मद, उस प्लान में किसी उपभोक्ता के पंजीकरण की तारीख से छह महीने तक बढ़ाई नहीं जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रतिबद्ध वैधता अवधि के दौरान ऐसी किसी भी प्रकार की की वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है। आजीवन प्लान के मामले में टैरिफ संरक्षण, सेवा प्रदाता की समग्र लाइसेंस अवधि तक लागू रहेगा।

3. जब तक कि सेवा प्रदाता को वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के तहत ऐसी दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। सेवा प्रदाताओं को उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की वर्तमान अवधि के संबंध में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए कहा गया था।

4. किसी भी उपभोक्ता को उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी प्रभारयुक्त मूल्यवर्धित सेवा प्रदान नहीं की जाएंगी।

5. सेवा प्रदाताओं को सेवा के सक्रिय होने के एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ताओं को उसके टैरिफ प्लान का समग्र ब्यौरा लिखित में सूचित करना होगा। चुने गए पैकेज में टैरिफ की किसी मद अथवा पहलू में परिवर्तन के बारे में भी उपभोक्ता को लिखित में सूचित किया जाएगा।

6. दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के निर्देश और दिनांक 1 सितम्बर 2008 को अधिसूचित टीटीओ में 48वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित को शामिल करते हुए पारदर्शिता संबंधी अनेक उपाय अनिवार्य किए गए हैं:-

   (क) टैरिफ संबंधी सूचना वर्नाकुलर भाषा में भी प्रदान करनी होगी।

   (ख) ब्लैकआउट दिनों की संख्या (रिवाज/त्यौहार के दिन जब नि:शुल्क/रियायती कालें/एसएमएस उपलब्ध नहीं होंगे) किसी कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 दिनों तक सीमित होगी। ऐसे दिनों को पहले ही निर्दिष्ट करना

होगा और इनमें बाद में कोई परिवर्तन अथवा जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) सेवा (स्ट्रेट) टैरिफ कटौती बिना किसी पूर्व शर्त के उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।

(घ) सेवा प्रदाता प्रतिबद्ध आजीवन वैधता अवधि के दौरान शेष कनेक्टिड अवधि के लिए आजीवन प्लान में 6 महीनें से कम की बीच की अवधि के लिए उपभोक्ता को रिचार्ज करने हेतु दबाव नहीं डालेगा।

7. ट्राई ने दिनांक 6.1.2012 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम जारी किए किए हैं ताकि प्रशुल्क प्रस्तावों को कारगर बनाया जा सके और सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- प्लान वाउचर, टाप-अप वाउचर और विशेष प्रशुल्क वाउचर के रूप में वाउचरों का श्रेणीकरण जिसमें सरलता से पहचान के लिए अलग-अलग रंग वाले बैंड होंगे।
- वास्तविक वाउचरों पर मुद्रित सामग्री के लिए न्यूनतम फोन्ट आकार-अधिकतम 8 फोन्ट।
- प्रीपेड-उपभोक्ताओं को प्रत्येक काल/डाटा प्रयोग पर प्रयोग का ब्यौरा देना।
- 50 रुपए की लागत पर 30 दिनों का मदवार प्रयोग का ब्यौरा देना।
- प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्लान को सक्रिय करने पर/टाप-अप/एसटी वाउचरों की सूचना प्रदान करना।
- प्रभारों के संबंध में पूर्व सूचना के माध्यम से पीआरएस के प्रावधान में बढ़ी हुई पारदर्शिता।

8. ट्राई ने "टैरिफ प्लान के प्रकाशन पर एक निर्देश" जारी किया है। इस निर्देश का उद्देश्य दूरसंचार टैरिफ प्रस्तावों में पादर्शिता को बढ़ाना और उपभोक्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त प्लान चुनने में सहायता करना है। सेवा प्रदाता को प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्रीपेड और पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कम से कम 6 माह के भीतर एक बार दिए गए प्रपत्र में एक क्षेत्रीय भाषा के और एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अपने सभी टैरिफ प्लानों को प्रकाशित करवाना होगा। दिए गए प्रपत्र में उपभोक्ता देखभाल केन्द्र, में और पीओएस वेबसाईट पर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा ताकि उपभोक्ता सरल और पारदर्शी तुलनात्मक मूल्यांकन कर सके।

9. ट्राई ने दिनांक 26.3.2012 को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश का उद्देश्य दूरसंचार टैरिफ विज्ञापनों में और सुधार करना तथा उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वाधिक अनुकूल प्लान चुनने का मौका देना है। यह अनिवार्य किया गया है कि सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पारदर्शी हों, भ्रामक और द्विअर्थक न हों, स्पष्ट तरीके से जारी सूचना का खुलासा किया गया हो और वेबसाईट का पता और दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाता का उपभोक्ता देखभाल नम्बर दिया गया हो। वर्नाकुलर भाषाओं में जारी विज्ञापनों में उसी वर्नाकुल भाषा में सभी अनिवार्य खुलासे किए गए हों। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं को एक विज्ञापन रजिस्टर भी तैयार करना होगा जिसमें प्रत्येक प्रशुल्क से संबंधित विज्ञापनों के नमूने शामिल करने होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी आंतरिक लेखा जांच करनी होगी कि वे इस निर्देश के सभी पहलुओं का अनुपालन कर रहे हैं और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रति छमाही प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी।

10. ट्राई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि आप-अप वाउचरों पर लगाया गया प्रक्रिया संबंधी शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत अथवा 3 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम मूल्य के वाउचर बाजार से विलुप्त न हों ट्राई ने यह भी अनिवार्य किया है कि सेवाप्रदाता अपने बिक्री स्थानों पर 10 रुपये के मूल्य वाले टाप-अप वाउचरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

11. ट्राई ने सिमों को निष्क्रिय करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं-

(i) प्रीपेड उपभोक्ताओं के मोबाइल कनेक्शनों को कम से कम 90 दिन की अप्रयुक्त अवधि तक के लिए निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रीपेड उपभोक्ताओं के खाते में 20 रुपये अथवा उससे अधिक की राशि शेष होने पर कनेक्शन निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।

(iii) प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त प्रभारों का भुगतान करने पर "आटोमैटिक नम्बर रिटेन्शन स्कीम" कार्यान्वित की जा सकती है।

(iv) किसी उपभोक्ता का कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए जाने पर उसे 15 दिनों की ग्रेस अवधि दी जाएगी जिसके भीतर वह उसी नम्बर को पुनः सक्रिय करवा सकता है।

(v) उपभोक्ताओं को उनके द्वारा सिम का प्रयोग न करने के कारण सिम निष्क्रिय कर देने संबंधी निबंधन एवं शर्तों की सूचना पारदर्शी ढंग से प्रदान की जाएगी।

(vi) पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए एक सेफ कस्टडी स्कीम अनिवाग्र की गई है अैर सेफ कस्टडी की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को मासिक किराये का भुगतान नहीं करना होगा।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर एडीएफ

1506. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री प्रदीप माझी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस (एडीएफ) लगाता है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे शुल्क लगाने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों से एएआई द्वारा संग्रहीत एडीएफ का एअरपोर्ट-वार ब्यौरा क्या है और एएआई द्वारा ऐसी निधियों का किस ढंग से प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न हवाई अड्डों पर एडीएफ वसूली बंद करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए/प्रस्तावित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह पाया है कि आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली पर यात्रियों से संगृहीत एडीएफ और प्रयोक्ता विकास का शुल्क असंगत था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भविष्य में सरकार द्वारा लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), नई दिल्ली तथा छात्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसआईए), मुंबई पर विकास शुल्क लगाया तथा वसूला जा रहा है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ख) के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार, एईआरए द्वारा 01.01.2013 से अप्रैल, 2016 तक आईजीआईए, नई, दिल्ली पर 3395.35 करोड़ रुपये की नियत विकास शुल्क राशि दिनांक 01.01.2013 से प्रत्येक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जाने वाले यात्रियों से क्रमशः 100/- रुपये तथा 600/- रुपये की दर से वसूल करना निर्धारित किया है। सीएसआईए, मुंबई के मामले में, एईआरए ने 01.01.2013 से अप्रैल, 2021 तक अवधि के लिए प्रत्येक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जाने वाले यात्रियों से दिनांक 01.01.2013 से क्रमशः 100/- रुपए तथा 600/- रुपये की दर से 3845.50 करोड़ रुपए की नियत विकास शुल्क राशि (पूर्ववर्ती दर क्रमशः 200/- रुपये तथा 1200/- रुपये) को एकत्रित किया जाना तय किया है। इस विकास शुल्क को वसूले जाने का उद्देश्य मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ली गई/ली जा रही हवाईअड्डा विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अंतर की भरपाई करना है।

(ग) आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्रित किये गये विकास शुल्क का ब्यौरा (2009-10-635.19 करोड़ रुपये) (2010-11-673.89 करोड़ रुपए) (2011-12-312.70 करोड़ रुपए) तथा 2013-13 (जनवरी, 13 तक

797.74 करोड़ रुपए) है। सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई पर (2009-10-267.41 करोड़ रुपए) (2010-11-319.50 करोड़ रुपए) (2011-12-53.83 करोड़ रुपए) तथा 2012-13 (जनवरी, 13 तक 211.20 करोड़ रुपए) हैं। एएआई द्वारा एकत्रित किए गए विकास शुल्क की राशि का प्रयोग क्रमश आईजीआई तथा सीएसआई हवाईअड्डों पर वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास के लिए किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानक

1507. **श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि देश में प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को उपरोक्त अनुसूची के मानकों को मार्च, 2013 तक पूरा करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी स्कूलों ने उक्त मानकों को पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे स्कूलों द्वारा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर क्या कार्यवाही की हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची कक्षा I-V और कक्षा VI-VIII के लिए अध्यापकों की संख्या के मानदंड, अवरोध मुक्त पहुंच सहित स्कूल भवनों, बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों, पेयजल सुविधा, किचन शेड, खेल मैदान और बाड़/चारदिवारी, शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम स्कूल कार्य दिवस/शिक्षण घंटों, अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या इत्यादि के मानदंडों को निर्धारित करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 19(I) के अनुसार अनुसूची में मानदंडों और मानकों की पूर्ति इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर ली जाएगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस संबंध में प्रगति की है। डीआईएसई 2011-12 के अनुसार, 60.52% स्कूलों में यथानिर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात था, 67.74% स्कूलों में बालिकाओं के शौचालय थे, 87.63% स्कूलों में लड़कों के शौचालय थे, 94.57% स्कूलों में पेयजल सुविधाएं थीं और पेयजल 53.57% में रैम्प थे। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति स्कूल छात्र शिक्षक मानदंडों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती करने और अध्यापक तैनाती को सुसंगत बनाने की भी आवश्यकता है जबकि कुछ राज्यों में स्कूल अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जानी है।

राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक 61906.50 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार की निधियां जारी की गयी हैं।

साइबर सुरक्षा खतरा

1508. **श्री जोस.के. मणि : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शत्रु राष्ट्रों/समूहों की ओर से उत्पन्न गंभीर साइबर सुरक्षा खतरे के कारण टेलीकाम सुरक्षा नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निर्माण में अमरीकी कांग्रेस सुरक्षा समीक्षा आयोग के निष्कर्षों से किस हद तक सहायता मिलेगी;

(ग) क्या चीन सहित विदेशों की साइबर आसूचना एजेन्सियों द्वारा भारत के उच्च सुरक्षा साइबर नेटवर्क की हैकिंग में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्टुएक्सनेट मालवेयर के खतरे के आलोक में भारत को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को तत्काल सक्रिय करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग द्वारा शत्रु राष्ट्रों सहित समाज विरोधी, राष्ट्रविरोधी, आतंकवादी समूहों जैसे विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न खतरों के कारण दूरसंचार सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए मसौदा दूरसंचार सुरक्षा नीति बनाई गई है। मसौदा दूरसंचार सुरक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) यह संबंधित विनियमों की पूर्व नजीरों और व्यावहारिक एवं प्रगामी दृष्टिकोण को अपनाने संबंधी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पणधारियों की प्रतिभागिता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपयुक्त विनियामक कार्यतंत्र और तकनीकी निदानों से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है।

(ii) यह सुरक्षा अभिकरणों से संबंधित संचार सहायता, संचार सुरक्षा, सूचना और डाटा, दूरसंचार कार्यतंत्र की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसी दूरसंचार सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है।

(iii) यह "सुरक्षित संपर्क" नीति की परिकल्पना करती है जिससे अभिप्रेत है कि प्रत्येक नेटवर्क तत्व को नेटवर्क में तभी डाला जाए जबकि उसके सुरक्षा की कसौटी पर परखते हुए प्रमाणित/प्राधिकृत सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण करा लिया जाए।

(iv) दूरसंचार नेटवर्क का आवधिक सुरक्षा परीक्षण कराना।

(v) नेटवर्क में डाले जा रहे इलैक्ट्रोनिक दूरसंचार उपकरण और साफ्टवेयर कर विनिर्माण करने के प्रयोजनार्थ देशी उत्पादन क्षमता का उत्तरोत्तर विकास करना।

(ग) और (घ) सरकार में संचालित साइबर नेटवर्कों का भेद लेने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि ये साइबर हमले चीन सहित अनेक देशों के साइबर स्पेस से हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि हमलावर विश्व के विभिन्न भागों में अवस्थित आधुनिक कंप्यूटर प्रणालियां हैं। वे वास्तविक कंप्यूटर प्रणाली की पहचान को छिपाने के लिए छलकपट तकनीकों और छद्म सर्वरों का इस्तेमाल उस स्थान से करते हैं जहां से ये हमले किए जा रहे हैं। अतएवं, साइबर हमले को किसी देश विशेष के साथ जोड़ना एक दुष्कर कार्य है।

(ङ) और (च) खबर मिली है कि जुलाई, 2010 से "स्टक्स नैट" के नाम से विदित एक समुन्नत विषाणु दुनिया भर फैलता जा रहा है। यह विषाणु औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को निशाना बनाता है। सरकार ने इस खतरे की जानकारी मिलने के बाद विशेष कदम उठाए थे, जो निम्नानुसार हैं:

I. भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति संचालन दल (सर्ट-इन) की वेबसाइट पर स्टक्स नैट के खतरे के बारे में चेतावनी और सुझाव दिए गए थे। देश में संक्रमित प्रणालियों का पता लगाने, उन्हें संक्रमण रहित करने और उनके और अधिक विस्तारण को रोकने के लिए की जाने वाली युक्तियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रक संगठनों को सुझाव दिए गए थे।

II. सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा अभिकरणों के सहयोग से संक्रमित प्रणालियों का पता लगाकर इन प्रणालियों के मालिकों को सलाह दी है कि वे उन्हें संक्रमरहित करने की व्यवस्था करें। इस खतरे का सामना करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ किए जाने वाले प्रयासों का सुझाव देने के महत्पूर्ण क्षेत्रक संगठनों हेतु (सर्ट-इन) और अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

इसके अलावा, सरकार ने साइबर नेटवर्कों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सूचना प्रोद्योगिकी और इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने तथा उनमें कमी लाने के प्रयोजनार्थ की जाने वाली कोशिशें की बाबत सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कंप्यूटर सुरक्षा दिशा निर्देश और साइबर सुरक्षा नीति जारी की है।

- केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों/ तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा अभ्यासों में विद्यमान अंतरालों का पता लगाने और सर्वाधिक समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ वेबसाइटों सहित संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा संबंधी जांच निष्पादित करें।

- भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति संचालन दल (सर्ट-इन) के द्वारा साइबर सुरक्षा वारदातों के बारे में समुचित चेतावनी देने के साथ-साथ उसके निदानार्थ उपाय बताना और सूचना के पास्पर वितरण तथा साइबर हमलों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य स्थापित कर सर्ट-इन कंप्यूटर प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा दिशा-निर्देश और सुझावों का प्रावधान कराता है। प्रकाशन कराने के बाद व्यापक रूप से उनका परिचालन करता है। सर्ट इन प्रयोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन करता है।

- ''साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबलना करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना'' बनाई गई और उसे कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के बीच परिचालित किया गया।

- सर्ट-इन छद्म साइबर सुरक्षा अभ्यास भी करा रहा है ताकि साइबर हमलों को रोकने के लिए संगठनों की तैयारी का मूल्यांकन किया जा सके।

- सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विनियम, 2008 के द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को 27.10.2009 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़ी समस्याओं के निदानार्थ विधिक कार्यतंत्र की व्यवस्था की गई है।

- सरकारी वेबसाइटों का प्रबंधन करने और ई-मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय सूचना तंत्र (एनआईसी) सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को साइबर हमलों से बचाने के लिए विहित उपायों का कार्यान्वयन कर रहा है।

[हिन्दी]

समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा

1509. **श्री गोपीनाथ मुंडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबों हेतु परिकल्पित अनेक समाज कल्याण योजनाएं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने से काफी दूर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ङ) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) जी हां। राज्यों में समाज कल्याण स्कीमों की समीक्षा योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष विशेषकर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान की जाती है। समाज के कमजोर वर्गों की समाज-आर्थिक परिस्थितियों में काफी सुधार हुआ है जैसा कि समाज-आर्थिक संकेतकों में विगत की तुलना में सुधार से स्पष्ट है। स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्यों को समय-समय पर, इन स्कीमों से संबंधित दिशानिदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियों का उल्लेख 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज भाग III के अध्याय 24 ''सामाजिक समावेशन'' में भी किया गया है।

एअरपोर्ट मेट्रो में भ्रष्टाचार

1510. **श्री भूदेव चौधरी** :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट ने एअर

पोर्ट की स्वीकृति, कार्यकरण और अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीएजी रिपोर्ट के बाद कोई जांच करने या प्रस्तावित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीएजी रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किस प्रकार से किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग प्रारूप पैरा और मंत्रालय की टिप्पणियों में निहित तथ्यों और आंकड़ों के सत्यापन हेतु ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एअरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रेस लाइन परियोजना के कार्यान्वयन'' पर एक प्रारूप विषयक पैरा ही भेजा है। कोई अंतिम पैरा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) चूंकि यह केवल एक प्रारूप पैरा है इसलिए इस स्तर पर जांच आदि का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा संस्थान

1511. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान में शिक्षा संस्थानों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा सुविधाओं में सशक्तिकरण हेतु संसाधनों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करने और योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा सुलभ कराना भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए एक चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 27.12.2012 को अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना के पैरा 21.182 में यह उल्लेख किया गया है कि ''11वीं योजना पर्याप्त प्रगति होने के बावजूद, अनुमानित 120 मिलियन संभावित छात्रों में से पांचवें हिस्से से भी कम भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नामांकित किए जाते हैं जो विश्व की 26% औसत से काफी कम हैं। राज्यों के बीच तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच नामांकन की प्रतिशतता में भारी असमानताएं हैं जबकि समाज के अपवंचित वर्गों और महिलाओं का नामांकन राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।''

शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण नए संस्थान सृजित करना केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा की सुलभता में विस्तार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईओ), 07 नए भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 10 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), 05 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 02 नए आयोजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए) स्थापित करना, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अभिज्ञात जिलों में माडल डिग्री कालेज स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित हो जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में प्रवेश क्षमता में भी 54% की वृद्धि की है।

अध्यापकों की कमी

1512. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में स्कूलों और अध्यापकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथामिक स्कूलों सहित देश के स्कूलों में अध्यापकों के लाखों पद रिक्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आरंभ होने के बाद से देशभर में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के नामांकन में वृद्धि की अपेक्षा को पूरा करने के लिए कुल 1,95,003 प्राथमिक विद्यालय और 98,130 उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 12.86 लाख अध्यापक भर्ती किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत और भर्ती किए गए अध्यापक पदों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल में निर्धारित छात्र अनुपात बनाए रखा जाएगा। अतः राज्यों को अध्यापकों की तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और सर्व शिक्षा अभियान के साथ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के अंतर्गत संस्वीकृत पदों पर अध्यापकों की भर्ती शीघ्र करने का परामर्श दिया गया है ताकि शिक्षकों की कमी की समस्या और शिक्षकों की तैनातियों में शहरी-ग्रामीण असंतुलन को दूर किया जा सके।

विवरण

31 दिसम्बर 2012 तक राज्य-वार संचयी संस्वीकृति और अध्यापकों की भर्ती

क्र.सं.	राज्य	अध्यापक के पद	
		संस्वीकृत	भर्ती किए गए
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	39189	27402
2.	अरुणाचल प्रदेश	7262	6153
3.	असम	48808	40758
4.	बिहार	403413	198035
5.	छत्तीसगढ़	67507	57193
6.	गोवा	179	179
7.	गुजरात	58688	31430
8.	हरियाणा	13435	11286
9.	हिमाचल प्रदेश	5856	3653
10.	जम्मू और कश्मीर	43471	40501
11.	झारखंड	120396	81974
12.	कर्नाटक	29055	24278
13.	केरल	2925	0
14.	मध्य प्रदेश	173855	97445
15.	महाराष्ट्र	42091	15387
16.	मणिपुर	2871	2719
17.	मेघालय	13262	9050
18.	मिजोरम	2485	2175
19.	नागालैंड	3147	2936
20.	ओडिशा	89901	79817
21.	पंजाब	14090	11488
22.	राजस्थान	114132	100889
23.	सिक्किम	724	405
24.	तमिलनाडु	33214	26374
25.	त्रिपुरा	6980	6435
26.	उत्तर प्रदेश	423553	264466
27.	उत्तराखंड	14316	5046
28.	पश्चिम बंगाल	198253	136630
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	198
30.	चंडीगढ़	1390	1060
31.	दादरा और नगर हवेली	937	452

1	2	3	4
32.	दमन और दीव	119	42
33.	दिल्ली	7104	3136
34.	लक्षद्वीप	38	17
35.	पुदुचेरी	48	37
	कुल एसएसए	1982904	1286344

[अनुवाद]

पायलटों द्वारा संरक्षा मानकों का उल्लंघन

1513. श्री राज बब्बर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ पायलटों द्वारा सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन की घटनाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मामला-वार, कैरियर-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हेतु पायलटों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष, 2012 के दौरान 46 पायलट संरक्षा नियमों के उल्लंघन में शामिल पाए गए थे। ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) वर्ष, 2012 के दौरान ड्यूटी के समय उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच में 41 पायलट एल्कोहल परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए।

- डीजीसीए द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ एयरलाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवाण है।

(ii) मैसर्स एयर इंडिया के 01 पायलट द्वारा बिना वैध लाइसेंस के दिनांक 23.08.12 से 31.8.2012 तक उड़ानें प्रचालित की गई थी।

- इसमें शामिल पायलट को 02 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।

(iii) मैसर्स जेट एयरवेज के 02 पायलट संरक्षा नियम के उल्लंघन में शामिल पाए गए, जिसमें पायलट इन कमांड द्वारा उड़ान की संकटकालीन स्थिति के दौरान कॉकप्टि में दाहिनो ओर की सीट पर प्रशिक्षु फर्स्ट आफिसर को बैठने की अनुमति दी गई थी।

- दोनों पायलटों के लाइसेंस विशेषाधिकार को 03 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा चेतावनी भी जारी की गई।

(iv) मैसर्स जेट एयरवेज के 02 वरिष्ठ पायलट संरक्षा नियमों के उल्लंघन में शामिल पाए गए, क्योंकि उनके प्रशिक्षण में और पायलट के अनुवर्ती मूल्यांकन में कमिया पाई गई थीं।

- दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी रोस्टर से 30 दिनों लिए हटा दिया गया था और इसके अलावा उन्हें चेतावनी भी जारी की गई।

विवरण

पायलटों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के मामले

वर्ष	प्रचालक	कॉकपिट	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2012	एयर इंडिया	6	पहली बार बीए परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए 39 पायलटों को,

1	2	3	4
	किंगफिशर	3	नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के खंड 5, सीरीज-एफ-III दिनांक 30.11.2010 के अनुसार, निलंबित कर दिया गया था।
	इंडिगो	8	
	जेटलाइट	4	
	स्पाइस जेट	6	दूसरी बार बीए परीक्षण के पॉजिटिव पाए गए 02 पायलटों (गो एयरवेज का 01 पायलट तथा जेट एयरवेज का 01 पायलट) कोसीएआर के खंड 5, सीरीज-एफ-III दिनांक 30.11.2010 के अनुसार, 05 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
	गो एयर	3	
	जेट एयरवेज	11	
	कुल	41	

प्रमुख संस्थानों में आत्महत्याएं

1514. **डॉ. एम. तम्बिदुरई :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में देश में प्रमुख संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार, वर्ष-वार और संस्थान-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आईआईटी और एनआईटी विद्यार्थियों को ऐसे अतिवादी निर्णय लेने से बचने के लिए उनके पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी आत्महत्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रमुख शिक्षा संस्थाएं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्वायत्त निकाय है उनके संबंधित अधिनियमों एवं सांविधियों द्वारा अभिशासित होते हैं। संबंधित संस्थाओं द्वारा तथ्यान्वेषी समितियों/जांच समितियों का गठन किया जाता है। समितियों के निष्कर्षों के अनुसार आत्महत्या के कारणों में अवसाद, शैक्षिक भार, समूह के दबाव के साथ-साथ भावनात्मक/अंतर वैयक्तिक मुद्दे भी शामिल होते हैं। जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वार आत्महत्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ऐसा ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है एवं इसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) से (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद ने दिनांक 14.09.2011 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में ऐसी घटनाओं के कारणका अध्ययन करने के बाद उपचारात्मक सुझाव देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अभिभावकों, अध्यापकों, पुराने छात्रों (एलुमनी) व्यावसायिक परामर्शदाताओं एवं संस्थान-कानपुर की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ की गई सिफारिश कि प्रत्येक संस्थान में एक समर्पित परामर्श केन्द्र/सेवा केन्द्र होना चाहिए जो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए मुख्य आधार के रूप में कार्य करेगा, के कार्यान्वयन हेतु इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) सहित सभी केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीई) को परिचालित कर दिया गया है।

विवरण

आईआईटी-वार आत्महत्याओं की संख्या

संस्थान	राज्य	आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या		
		2010	2011	2012
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बम्बई	महाराष्ट्र	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	–	1	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर	उत्तर प्रदेश	1	1	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	–	2	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास	तमिलनाडु	1	2	1
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी	असम	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रूड़की	उत्तराखंड	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बीएचयू-वाराणसी	उत्तर प्रदेश	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-जोधपुर	राजस्थान	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-पटना	बिहार	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-भुवनेश्वर	उड़ीसा	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रोपड़	पंजाब	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गांधीनगर	गुजरात	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-इंदौर	मध्य प्रदेश	–	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मंडी	हिमाचल प्रदेश	–	–	–

पहचान के प्रमाण के रूप में 'आधार'

1515. डॉ. थोकचोम मैन्याः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'आधार' संख्या सभी नागरिकों हेतु अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका प्रयोजन और उपयोगिता क्या है;

(घ) क्या इस कार्ड को दिल्ली में 20 से अधिक सेवाओं हेतु अनिवार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में आधार कार्ड को जारी करने की स्थिति क्या है और इसके पंजीकरण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी नहीं।

(ग) आधार का उद्देश्य एक ऐसी साफ्ट अवसंरचना उपलब्ध कराना है जिसका उपयोग लोक सेवाओं के पुनर्भियंत्रण हेतु किया जा सकता है ताकि ये सेवाएं कुशल और बेहतर तरीके से प्रदान की जा सकें। आधार का उपयोग केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर भी किया जा सकता है। किसी सेवा विशेष के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कुछेक सेवाएं/प्रमाण-पत्र लेने के लिए आधार से जुड़ी सूचना को अनिवार्य बना दिया है। निवासी को आधार संख्या/पंजीकरण पहचान संख्या देनी होती है।

(ङ) इस प्रकार संबद्ध की गई सेवाओं/प्रमाण-पत्रों की सूची संलग्न विवरण पर है। फिलहाल, 128 लाख से अधिक आधार संख्याएं सृजित की जा चुकी हैं तथा फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 128 केन्द्र पंजीकरण कार्य कर रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित सेवाओं/प्रमाण-पत्रों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया हैः

सेवाएं

1. हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहों का पंजीकरण
2. विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह पंजीकरण
3. विधिपूर्वक विवाह
4. उप-पंजीयक कार्यालयों में विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन

प्रमाण-पत्र

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र
2. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र
3. निवास-स्थान प्रमाण-पत्र
4. आय प्रमाण-पत्र (हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के छात्रों के आय प्रमाण-पत्र के मामले में, आवेदकों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र में आधार संबंधी सूचनाएं अनिवार्य रूप से देने को अगले आदेशों तक के लिए स्थगित रखा गया है)
5. जन्म प्रमाण-पत्र
6. मृत्यु प्रमाण-पत्र
7. जीवित सदस्य प्रमाण-पत्र
8. वित्तीय क्षमता प्रमाण-पत्र
9. राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र

[हिन्दी]

आधार हेतु पंजीकरण शिविर

1516. श्री मधुसूदन यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में आधार कार्डों हेतु विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए/किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधार कार्डों को तैयार करने के लिए निजी एजेंसियां चयनित की गई/की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण (यूआईडीएआई) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय डाक इत्यादि के साथ के साथ भागीदारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नामांकन शिविर पंजीयकों द्वारा नामांकन एजेंसियों के माध्यम से लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण परियोजना के भाग के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य सहित शेष राज्यों में आधार के लिए निवासियों का नामांकन करने हेतु भारत के महापंजीयक को अनन्य अधिदेश दिया गया है।

(ग) और (घ) यूआईडी परियोजना के लिए बायोमीट्रिक एवं जनसांख्यिकी आंकड़े प्राप्त करने के लिए संबंधित पंजीयकों द्वारा नामांकन एजेंसियों को ठेका दिया जाता है। यूआईडीएआई ने ऐसे एजेंसियों का पैनल बनाकर नामांकन एजेंसियों के चयन में पंजीयकों की सहायता की है और उन्हें मानकीकृत नामांकन साफ्टवेयर, प्रक्रियाएं एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए हैं। पंजीयकों एवं नामांकन एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

विवरण-II

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	पंजीयक का नाम	नामांकन एजेंसी का नाम
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश सरकार	i-ग्राडी साफ्टवेयर टेक्नालोजीज

1	2	3
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		विप्रो लिमिटेड
2.	एफसीएस पंजाब सरकार	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		अलंकित फिनसेक लिमिटेड
		अलंकित लाइफ केयर लिमिटेड
		दिल्ली इंटिग्रेटेड एमएमटीएस लिमिटेड
		दिवाकर कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड
		विप्रो साफ्टेक लिमिटेड
		विशेष इंफोटेकनिक्स लिमिटेड
		सीएएसएस टेकनर्जी लिमिटेड
		ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
		वयाम टेक्नोलाजीज लिमिटेड
3.	एफसीआर हरियाणा सरकार	वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड
4.	दिल्ली सरकार	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(क)	मिशन कंवर्जेंस-जीएनसीटी दिल्ली	स्मार्ट चिप लिमिटेड
		स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस
		अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		आई एल एंड एफएस
		कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
		मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
(ख)	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड

1	2	3
		मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
(ग)	दिल्ली-एनडब्ल्यू डीसी	कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
		स्ट्रेटजिक आउटसोसिंग सर्विस
(घ)	दिल्ली-एसडब्ल्यू डीसी	स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस
		विप्रो साफ्टेक लिमिटेड
(ङ)	दिल्ली-नार्थ डीसी	डाटा कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
(च)	दिल्ली-सेंट्रल डीसी	स्मार्ट चिप लिमिटेड
(छ)	दिल्ली-साउथ डीसी	ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड
(ज)	दिल्ली-एनडी डीसी	स्मार्ट चिप लिमिटेड
(झ)	दिल्ली-वेस्ट डीसी	मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		विप्रो साफ्टेक लिमिटेड
(ञ)	दिल्ली-एनई डीसी	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		समार्ट आईडी
(ट)	दिल्ली-ईस्ट डीसी	डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड

1	2	3
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
5.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार	अलंकित फिनसेक लिमिटेड
		अतिशय इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
		अव्वास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
		टेकस्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
		वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड
		जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड
		ट्रांसलाइन टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		वयाम टेक्नोजीज लिमिटेड
6.	सिक्किम सरकार, आर्थिक विभाग	4जी आईडेंटिटी सोल्यूशंस
		आर्थिक सांख्यिकी मानीटरिंग और सांख्यिकी विभाग
7.	आरडीडी त्रिपुरा सरकार	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
8.	झारखंड सरकार	एमकेएस इंटरप्राइसिस
		नेवेह टेकनालाजी प्राइवेट लिमिटेड
		स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस
		सिस्टेमैटिक एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
		विजन कंपटेक इंटेग्रेटर लिमिटेड
		विप्रो लिमिटेड
		अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		ब्लू सर्किल इंस्ट्रूमेंट
		इमडी डिजीट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
		स्मार्ट आईडी

1	2	3
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
	यूडीडी झारखंड सरकार	ब्लू सर्किल इंस्ट्रूमेंट
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		एमकेएस इंटरप्राइसिस
		स्मार्ट आईडी
		सिस्टेमैटिक एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
		वयाम टेक्नोलाजीज लिमिटेड
9.	मध्य प्रदेश सरकार	विप्रो साफ्टेक लिमिटेड
10.	गुजरात सरकार	ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड
		कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		सिल्वर टच टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		ट्रांसलाइन टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		वयाम टेक्नोलाजीज लिमिटेड
11.	दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
12.	महाराष्ट्र सरकार	अलंकित फिनसेक लिमिटेड
		अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड
		ग्लोडिन टेक्नोसर्व
		जीएसएस इंफोटेक
		कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
		स्पैनको

1	2	3
		टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		विप्रो लिमिटेड
		महाआनलाइन लिमिटेड
		टेकस्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		ईगल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
		स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विस
		सिस्टेमैटिक एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
		सिल्वर टच टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		नेटवर्क फार इंफार्नेशन एंड कंप्यूटर
		नेटलिंक साफ्टवेयर प्राइवेट
		स्मार्ट चिप
		वेप सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड
		ट्रांसलाइन टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
13.	आंध्र प्रदेश सरकार	टेकस्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		गौतमी एजूकेशन सोसाइटी
		ग्रेपसाफ्ट
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		इंफ्रोनिक्स सिस्टम्स लिमिटेड
		मद्रास क्यूरिटी प्रिंटर्स लिमिटेड
		समार्ट चिप लिमिटेड
		श्रीवेन इकोकाम

1	2	3
		टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड
14.	कर्नाटक सरकार	कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड
		एमएआरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		श्रीवेन इफोकाम
		नाइनस्टार्स इंफोमेशन टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		ओरिजन आईटीएफएस प्राइवेट लिमिटेड
		ग्नोडिन टेक्नोसर्व
		इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		विप्रो लिमिटेड
15.	गोवा सरकार	कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड
		एमएआरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
16.	केरल सरकार	केल्ट्रान
		अक्षय
17.	पुदुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र	मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटेड लिमिटेड
18.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		प्रोटेक्स कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
		स्मार्ट आईडी
19.	बैंक आफ बड़ौदा	आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
		टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20.	बैंक आफ इंडिया	ए3 लाजिक्स (इंडिया) लिमिटेड

1	2	3
		चेसी कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
		डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
		इमडी डिजीट्रोनिक्स प्रासइवेट लिमिटेड
		फ्रंटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		आईटीआई लिमिटेड
		मंत्रा रगफ्टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
		मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
		ओम्टीमिक्स कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
		ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसलटेंट
		प्रोटेक्स कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
		शारदा सिस्टम्स
		श्रीकृष्णा खांडसारी शुगर मिल्स
		स्पैनको
		एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनंस लिमिटेड
		सिस्टेमैटिक एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
		वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड
		वीईई टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
		सिल्वर टच टेक्नोलाजीज लिमिटेड
		अकांक्षा इंटरनेशनल
21.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	कैलेरा साफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
		फ्रंटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		जीएसएस इंफोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		आईएपी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		मंत्रा साफ्टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
		एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनंस लिमिटेड
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		दी पीयरलेस जनरल फाइनैंस
22.	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
		फाइनांसिएशन इंफार्मेशन नेटवर्क
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		श्री रामराजा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट
		दी एनएसआईसी लिमिटेड
		विप्रो लिमिटेड
23.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	4जी आईडेटीटी सोल्यूशंस
		यूनाइटेड, बैंक आफ इंडिया
		कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड
		सीएसएस टेकनर्जी लिमिटेड
		दिल्ली इंटिग्रेटेड एमएमटीएस लिमिटेड
		ईगल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		विग्रो साफ्टेक लिमिटेड
24.	यूनियन बैंक	4जी आईडेंटिटी सोल्यूशंस
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		फाइनांसिएशल इंफार्मेशन नेटवर्क
		वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड

1	2	3
25.	केनरा बैंक	स्मार्ट चिप लिमिटेड
		स्विस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		रोसमर्टा टेक्नोलाजीज लिमिटेड
26.	सिंडीकेट बैंक	स्मार्ट चिप लिमिटेड
27.	पंजाब एंड सिंध बैंक	मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
28.	इंडियन ओवरसीज बैंक	ईगल साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
29.	इलाहाबाद बैंक	टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड
30.	बैंक आफ महाराष्ट्र	माइक्रो टेक्नोलाजीज इंडिया लिमिटेड
		बारट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड
31.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	सीएसएस टेकनर्जी लिमिटेड
32.	देना बैंक	अतिशय इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
		डाटासाफ्ट कंप्यूटर सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
33.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
34.	आईडीबीआई बैंक	पायनियर ई लैब लिमिटेड
		श्रीवेन इफोकॉम
		मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस
		अतिशय इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
		यूटीआई टेक्नालाजी सर्विसेस लिमिटेड
35.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	मल्टीवेव इनोवेशन
36.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	सीसीएस टेकनर्जी लिमिटेड

1	2	3
37.	इग्नू	वकरंगी साफ्टवेयर्स लिमिटेड
38.	भारतीय डाक	कामत टेक्नोलाजीज (प्रा.) लिमिटेड
		4जी आईडेंटिटी सोल्यूशंस
		सीएसएस टेकनर्जी लिमिटेड
		दिल्ली इंग्रिटेड एमएमटीएस लिमिटेड
		ग्लोडिन टेक्नोसर्व
		एमआरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		ई-सेंटरिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		ईगल प्रेस प्राइवेट
		जीएसएस इंफोटेक लिमिटेक लिमिटेड
		आईएल एंड एफएस लिमिटेड
		स्मार्ट चिप लिमिटेड
		टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		दी एनएसआईसी लिमिटेड
		दी पीयरलेस जनरल फाइनैंस
		यूटीआई टेक्नोलाजी सर्विसेस लिमिटेड
		डब्ल्यूईबीईएल
39.	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
		टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया
		प्राइवेट लिमिटेड
		विप्रो साफ्टेक लिमिटेड
		प्रोविज मैनसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		इंटिग्रेटेड रजिस्ट्री सर्विसेस

1	2	3
		कार्वी डाटामैनेजमेंट सर्विसेस
		अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड
40.	प्रबंध निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, ए.पी. टेक्नोलाजी सर्विसेस लिमिटेड	सीएसएस टेकनर्जी लिकमटेड
		एमएआरएस टेलीकाम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
		श्रीवेन इफोकाम
		टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		बीएनआर उद्योग लिमिटेड
		जीडीसी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
		ब्लूम सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
		4जी इंफोरमैटिक्स
		ज्योति कंप्यूटर्स सर्विसेस

आरजीआई और इसकी नामांकन एजेंसियों को छोड़कर

विवरण-II

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

राज्य कोड	राज्य	उप पंजीयक	नामांकन एजेंसी
1	2	3	4
1	जम्मू और कश्मीर	ईसीआईएल	कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेस
			कामटेक इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी
			चिनार कंस्ट्रक्शन कंपनी
5	उत्तराखंड	बीईएल	ओम साफ्टवेयर
		आईटीआईएल	कंयुनिटी वर्क्स वेल्फेयर सोसाइटी
		ईसीआईएल	नेटविंग

1	2	3	4
			स्विस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	बाईएल	टेरा साफ्टवेयर
		आईटीआईएल	ईएमडीईई डिजीट्रोनिक्स
		ईसीआईएल	स्विसटेक एनपीआर 57 सीआर प्रोजेक्ट प्राइवेट
9	उत्तर प्रदेश	बीईएल	स्वाति स्मार्ट कार्ड
			अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
			टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
			वेदवाग सिस्टम्स लिमिटेड
			वीसा टेक्नोलाजीज
			नीलसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
			सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
			स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग
			ओम साफ्टवेयर
			नेटलिंक
			ईगल साफ्वेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		आईटीआईएल	ईगल साफ्वेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
			नेटविंग टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
			वेदवाग सिस्टम्स लिमिटेड
			नीलसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
			स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
		ईसीआईएल	ई साफ्ट कंसलटिंग लिमिटेड
			अव्वास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
			कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेस
			कामटेक इंस्टीट्यट आफ टेक्नोलाजी

1	2	3	4
			एमफैसिस लिमिटेड
10	बिहार	बीईएल	श्रीवेन इफोकाम लिमिटेड
			अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
			स्ट्रटजिक आउटसार्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
			ओम साफ्टवेयर्स
		आईटीआईएल	कामटेक इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी
			नेटविंग टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
			सीएसएस टेकनर्जी लिमिटेड
			एमफैसिस लिमिटेड
		ईसीआईएल	वेदवाग
			विजनेस इन्फार्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेस
			अव्वास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
			कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेस
			नेटविंग टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
11	सिक्किम	ईसीआईएल	इन मीडिया कंप्यूटर सर्विसेस
12	अरुणाचल प्रदेश	आईटीआईएल	मैसर्स वेब एक्स टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
			क्विक डाटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
13	नागालैंड	ईसीआईएल	इन मीडिया कंप्यूटर सर्विसेस
			क्लेयरवायांस टेक्नोलाजीज प्राइवेट
14	मणिपुर	बीईएल (201)	मणिपुर इलेक्ट्रानिक्स डेव. कारपोरेशन (मणिट्रॉन)
			इन मीडिया कंप्यूटर सर्विसेस
15	मिजोरम	ईसीआईएल	लीरा कसलटेंसी कंपनी
			इंटिग्रेटेड सिस्टम्स एंड सर्विसेस
16	त्रिपुरा	आईटीआईएल	क्विक डाटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
17	मेघालय	आईटीआईएल	मैसर्स वेब एक्स टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4
18	असम	बीईएल	टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		आईटीआईएल	अव्वास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
			टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
		ईसीआईएल	टीम लाइफ फेयर कंपनी (इंडिया) प्राइवेट
19	पश्चिम बंगाल	ईसीआईएल	टेरा साफ्टवेयर लिमिटेड
			मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
			ईगल साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
			कंप्यूटर लैब
			कृष्णा इंफोटेक
			इन मीडिया कंप्यूटर सर्विसेस
		आईटीआईएल	ईएमडीईई डिजीट्रोनिक्स
			वेबल टेक्नोलाजी लिमिटेड
21	ओडिशा	ईसीआईएल	मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
			इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलाजी
			कंप्यूटर लैब
22	छत्तीसगढ़	बीईएल	वंश इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
		आईटीआईएल	स्ट्रेटजिक आउटसार्सिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
		ईसीआईएल	नीलसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
24	गुजरात	आईटीआईएल	स्वाति स्मार्ट कार्ड्स
26	दादरा और नगर हवेली	बीईएल	मल्टीवेव इनोवेशन
27.	महाराष्ट्र	बीईएल	श्रीवेन इफोकाम लिमिटेड
			इंडियन कंप्यूटर टेक.

1	2	3	4
			ओम साफ्टवेयर्स
			मल्टीवेव इनोवेशन
			टेरा साफ्टवेयर
			स्विसेटेक
		आईटीआईएल	टेक्स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28.	आंध्र प्रदेश	ईसीआईएल	स्विसटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
			कृष्णा इंफोटेक
			वेदवाग सिस्टम्स लिमिटेड
29.	कर्नाटक	बीईएल	कंप्यूटर लैब
			स्वाति स्मार्ट काड्र्स
			इंडियन कंप्यूटर टेक.
			टेरा साफ्टवेयर
30.	गोवा	आईटीआईएल	मल्टीवेव इनोवेशन
31.	लक्षद्वीप	आईटीआईएल	स्वाति स्मार्ट काड्र्स
32.	केरल	आईटीआईएल	स्वाति स्मार्ट काड्र्स हाई-टेक
			इंडियन कंप्यूटर टेक.
33.	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	बीईएल	मद्रास सिक्यूरिटी प्रिंटर्स
			स्वाति स्मार्ट काड्र्स
			इंडियन कंप्यूटर टेक.

[हिन्दी]

ब्रॉड बैंड इंटरनेट सुविधा

1517. श्री जगदानंद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों, कालेजों और तकनीकी संस्थानों को ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने संस्थानों में उक्त सुविधा प्रदान की गई है और उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए कितने केन्द्र विकसित किए गए हैं; और

(घ) सभी शिक्षा संस्थानों में उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत यह अभिकल्पना की गई है कि देश में 25000+ कालेजों और 2000 पालीटेक्निकों को 512 केबीपीएस गति के 15-20 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्राडबैंड (वीपीएनओबीबी) इंटरनेट कनेक्शन तथा 419 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 1 जीबी.पी.एस. कनेक्टिविटी प्रदान की जाए।

(ग) और (घ) 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में 400 विश्वविद्यालयों और 19738 कालेजों को बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है। मूल प्रस्ताव जो सन् 2009 में अनुमोदित हुआ था, में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 419 विश्वविद्यालयों और 18000 कालेजों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रु. की धनराशि अनुमोदित की गई थी। बाद में शामिल किए जाने वाले कालेजों की संख्या 25000+ और 2000 पालीटेक्निक तक बढ़ा दी गई थी। बढ़ाए गए कालेजों को कनेक्टिविटी देने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है।

नशीद हेतु शरण

1518. श्री रेवती रमण सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदीव के पूर्व-राष्ट्रपति ने मालदीव में भारतीय उच्चायोग में शरण ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कारण कौन-सी विभिन्न राजनयिक घटनाएं घटित हुईं/अवरोध सामने आए;

(घ) देश द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) हुलहुमाले मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के पश्चात मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नशीद 13 फरवरी, 2013 को माले स्थित भारतीय उच्चायोग में आए और भारत की सहायता मांगी। मालदीव की सरकार और सभी पक्षों के साथ बातचीत के बाद श्री नशीद 11 दिनों तक उच्चायोग में रहने के पश्चात अपना सामाजिक और राजनैतिक जीवन पुन: प्रारंभ कर सके।

भारत ने मालदीव में सभी राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ विस्तृत आधार वाले संपर्क बनाए हैं। भारत मालदीवं के लोकतांत्रिक ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए वहां की सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

[अनुवाद]

शहरीकरण

1519. श्री पुलीन बिहारी बासके : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते शहरीकरण से देश में स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5161 कस्बों में रह रही देश की शहरी आबादी 286.11 मिलियन थी जो देश की कुल आबादी का 27.81 प्रतिशत होती है। तथापि, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 377.16 मिलियन हो गई है अर्थात देश की कुल आबादी का 32.16 प्रतिशत तथा इसके साथ-साथ कस्बों की संख्या भी बढ़कर 7935 तक हो गई है। देश में शहरी संवृद्धि की दर विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक हे तथा अधिकांश बड़े शहर और वृहत्तर होते जा रहे हैं क्योंकि इन शहरों में आबादी का निरंतर प्रवसन हो रहा है। इससे विद्यमान शहरी अवसंरचना पर भारी दबाव पड़ता है।

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति बनाई है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य शहरी भारत को समुदाय प्रेरित, पूर्णत: स्वच्छ, स्वस्थ और वासयोग्य शहरों और कस्बों में परिवर्तित करना है। नीति का विजन सभी भारतीय शहरों और कस्बों को पूर्णत: स्वच्छ, स्वस्थ और वासयोग्य बनाना तथा शहरी गरीबों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर और वहनीय स्वच्छता सविधाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही सभी नागरिकों के लिए उत्तम लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित और बनाये रखना है।

(i) राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने देश के सभी शहरी क्षेत्रों में सीवरेज एवं सीवरेज शोधन के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करने की दृष्टि से दिसम्बर, 2005 में सुधारों से जुडा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) आरंभ की है।

(ii) मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी), सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम तथा सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास हेतु स्कीम नामक स्कीमें भी आरंभ की हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति

1520. श्री एंटो एंटोनी :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति (पीवीसी) के चयन हेतु अर्हता और अनुभव के संबंध में कोई विशिष्ट मानक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुलपतियों (वीसी) और पीवीसी के चयन में सभी केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियमों का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ये विश्वविद्यालय राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वीसी या पीवीसी के चयन में एक या अन्य निर्धारित मानकों का पालन करते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिना कुलपति के कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकामिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय विनियम, 2010 के खंड 7.1.0 एवं 7.2.0 (वेबसाइट *http://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/englishgazette.pdf* पर उपलब्ध) में विाीन्न विश्वविद्यलयों में प्रति-कुलपतियों के चयन के संबंध में मानकों का निर्धारण किया गया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, तत्वतः अधीनस्थ विधान होने के कारण, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी है, जो इन विश्वविद्यालयों को अभिशासित करने वाले अधिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगा। तथापि, अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त में से खंड 7.3.0 को हटाने का निर्णय लिया है और इसलिए, वर्तमान में राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कुलपतियों के चयन हेतु अपने संबंधित अधिनियमों एवं सांविधियों में निर्धारित मानकों तथा प्रक्रिया-विधियों की अनुपालना कर रहे हैं

(ङ) से (छ) जी, नहीं। वर्तमान में 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 39 में नियमित कुलपति है। केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में नियमित कुलपति नहीं है।

हवाई अड्डे की भूमि का अतिक्रमण

1521. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री अम्बिका बनर्जी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा-वार रिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में बगलुरू सहित सभी बड़े हवाई अड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/ झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाई अड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/प्रस्तावित किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाई अड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से संबंधित क्षेत्रवार रिक्त भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जब कभी भी अपेक्षित हो राज्य सरकार की नीति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(घ),(ङ) और (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से संबंधित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

तेजी से फैलते हुए अवैध निर्माण (पश्चिमी क्षेत्र)

क्र. सं.	पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत हवाईअड्डे/ एसीएस स्टेशनों का नाम	रिक्त भूमि का ब्यौरा	क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी बड़े हवाईअड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए/ गए प्रस्तावित हैं	क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/ प्रस्तावित किए हैं प्रदान किए जाने	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाईअड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक की संभावना है
		क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	पश्चिम क्षेत्र के हवाईअड्डे	कोई खाली भूमि नहीं है/हवाईअड्डों के विकास/ विस्तार के लिए भूमि अपेक्षित हैं दिक्चालन/ प्रचालनिक आवश्यकताओं की प्रावधान के लिए प्रत्येक हवाईअड्डे पर कुछ भूखंड अनिवार्य रूप से रखा गया है।	इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है तथा जैसे भी अपेक्षित होगा राज्य सरकार की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।	लागू नहीं	राज्य सरकार के कानून के प्रवधानों के अनुसार अतिक्रमण को हटाए तथा पुनर्वास किया गया है। जहां तक छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसआई), मुम्बई से अतिक्रमण को हटाने का संबंध है मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. (मायल द्वारा इसे हटाया जाना है। जुहू हवाईअड्डे (38.2 एकड़ भूमि से अतिक्रमण को हटासने के लिए एएआई द्वारा महाराट्र सरकार से अतिक्रमण को हटाने/पुनर्स्थापन आदि के ब्यौरे को वर्कआउट करने के लिए कहा गया है	राज्य सरकार के कानून के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण को हटाए तथा पुनर्वास किया गया है। जहां तक छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसआई), मुम्बई से अतिक्रमण को हटाने का संबंध है मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. (मायल द्वारा इसे हटाया जाना है। जुहू हवाईअड्डे (38.2 एकड़ भूमि से अतिक्रमण को हटासने के लिए एएआई द्वारा महाराट्र सरकार से अतिक्रमण को हटाने/पुनर्स्थापन आदि के ब्यौरे को वर्कआउट करने के लिए कहा गया है	पश्चिम क्षेत्र में गोंदिया हवाईअड्डा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पैकेज को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पश्चिमी क्षेत्र में अन्य कोई ऐसा हवाईअड्डा नहीं है जहां पर प्रभावित लोगों के पुनर्वास से संबंधित पैकेज लंबित है।

तेजी से फैलते हुए अवैध निर्माण (पूर्वी क्षेत्र)

क्र. सं.	पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत हवाईअड्डे/एसीएस स्टेशनों का नाम	रिक्त भूमि का ब्यौरा	क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी बड़े हवाईअड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए/गए प्रस्तावित है	क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/प्रस्तावित किए हैं; और	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाईअड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है
		क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	बी.पी. हवाईअड्डा भुवनेश्वर	बी.पी; हवाईअड्डा, भुवनेश्वर पर कोई खाली भूमि नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	बी.एम. हवाईअड्डा, रांची	कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	बेहाला हवाईअड्डा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कूच बिहार हवाईअड्डा	28.86 एंड (i) नदी पर बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण के पश्चात् रनवे के विस्तार के प्रयोजन से 2007 में भूमि अर्जित की गई।	कूच बिहार हवाईअड्डे पर एएआई की भूमि में कोई गैर-कानूनी ढांचा/झुग्गी/बस्तियां नहीं हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		क	ख	ग	घ	ङ	च
		(ii) बॉक्स कल्वर्ट परियोजना का वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा लिया गया है।					
5.	मालदा हवाईअड्डा	155 एकड़ भूमि वाला गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डा	अब तक संघ सरकार/राज्य सरकार से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।	लागू नहीं	एएआई भूमि से 35 परिवारों के अतिक्रमण को हटाने के लिए संघ/राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था।	एएआई द्वारा राज्य सरकार से परिवारों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का अनुरोध किया गया है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	लागू नहीं
6.	कटिहार	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	गया हवाईअड्डा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	पटना हवाईअड्डा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	मुजफ्फरपुर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	रक्सौल	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	फॉरबिसगंज	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	रायपुर हवाईअड्डा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डा	0.25 हैक्टेयर	633 वर्ग मीटर भूमि (सिटी साइड) निजी अतिक्रमण के तहत है।	क्र. सं. क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (क) 20 65/पी/2 (ख) 50 66/पी/4 (ग) 133 68/पी/4	प्रक्रियाधीन (नोटिस जारी)	—	—
14.	झारसुगुडा हवाईअड्डा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तेजी से फैलते हुए अवैध निर्माण (उत्तरी क्षेत्र)

क्र. सं.	उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत हवाईअड्डे/ एसीएस स्टेशनों का नाम	रिक्त भूमि का ब्यौरा	क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी बड़े हवाईअड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए/ गए प्रस्तावित है	क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/ प्रस्तावित किए हैं; और	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाईअड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है
		क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	उत्तरी क्षेत्र के हवाईअड्डे	ब्यौरा अनुबंध-2 पर उपलब्ध है।	इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है तथा जैसा भी अपेक्षित होगा राज्य सरकार की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी	लागू नहीं		ब्यौरा अनुबंध-3 पर उपलब्ध है।	

तेजी से फैलते हुए अवैध निर्माण (दक्षिणी क्षेत्र)

क्र. सं.	हवाईअड्डे का नाम	देश में हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा-वार रिक्त भूमि का ब्यौरा	क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी बड़े हवाईअड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए/गए प्रस्तावित है	क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/ प्रस्तावित किए हैं; और	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाईअड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है
		क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	अगति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	बेंगलुरु	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	बेल्लारी	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कालीकट	कैट-I एएलएस के लिए 20 एकड़ चिह्नित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	कोचीन	एएआई द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रस्तावित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	कोयम्बटूर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	कुडप्पा	हवाईअड्डे के विकास के हाल ही में हाथ में ली गई भूमि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		क	ख	ग	घ	ङ	च
8.	दोनाकोंडा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	गुलबर्गा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	हुबली	हवाईअड्डा विकास के लिए हाल ही में भूमि ली गई है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	कांचीपुरम	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	खम्मम	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	मदुरै	उपलब्ध रिक्त भूमि पहले ही नए प्रचालनिक/ तकनीकी परिसर; सीआईएसएफ के लिए पारिवारिक आवास के लिए चिह्नित					
14.	मंगलोर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	मैसूर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	ऊटी	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	राजामुंदरी	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	सलेम	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	तंजावूर	विकास के लिए 26.50 एकड़ प्रस्तावित है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	क	ख	ग	घ	ङ	च
20. त्रिची	51 एकड़	6191 वर्ग मी. अतिक्रमित, जिला प्रशासन के साथ पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएआई की ओर से मांग होने पर, राज्य सरकार ने निवासियों को सरकारी योजनाओं के तहत पुनर्वास के लिए शामिल करने का प्रस्ताव चलायज्ञ	
21. तिरुपति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22. त्रिवेंद्रम	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23. तूतिकोरिन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24. वेल्लोर	हवाईअड्डा विकास के लिए प्रस्तावित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25. विजयवाड़ा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26. विकाराबाद	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तेजी से फैलते हुए अवैध निर्माण (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

क्र. सं.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत हवाईअड्डे/ एसीएस स्टेशनों का नाम	रिक्त भूमि का ब्यौरा	क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश में सभी बड़े हवाईअड्डों के निकट अवैध निर्माण सहित अवैध बसावटों/झुग्गियों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डा-वार अतिक्रमण से भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए/ गए प्रस्तावित है	क्या सरकार ने विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु कोई कदम उठाए/ प्रस्तावित किए हैं; और	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हवाईअड्डा-वार सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है
		क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाईअड्डे	शून्य	ऐसा कोई निदेश प्राप्त नहीं	'ख' में निहित बिन्दु के दृष्टिगत लागू नहीं	शून्य	'घ' में निहित बिंदु के दृष्टिगत लागू	'ख' में निहित के दृष्टिगत लागू नहीं

विवरण-II

(क) उत्तरी क्षेत्र से संबंधित हवाईअड्डावार खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	हवाईअड्डा/सुविधा	खाली भूमि का क्षेत्रफल (एकड़) में
1	2	3
1.	भटिंडा	16.26
2.	चरखी दादरी	0.7
3.	जयपुर	2.32
4.	लखनऊ	41.6
5.	उदयपुर	78.67
6.	मंदसौर	11.09
7.	रिंगस	1.2
8.	सतना	451.9
9.	सफदरजंग अस्पताल के पीछे आर.आर. स्टेशन	3.2
10.	मोती बाग	7.5
11.	महिपालपुर रेयान पब्लिक स्कूल के पीछे	2
12.	रंगपुरी	20.17

अन्य हवाईअड्डों के संबंध में सूचना शून्य है।

विवरण-III

एएआई से संबंधित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	हवाईअड्डा	भूमि अतिक्रमण हटाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम (घ)	विस्थापितों की पुनर्स्थापना हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम/ (ङ)	यदि हां, तो उसका ब्यौरा, यदि नहीं तो उसके कारण (च)
1	2	3	4	5
1.	कोटा	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	शून्य
2.	लखनऊ	भक्तिखेड़ा गांव के अतिक्रमणकारियों को एएआई अधिनियम, 1994 की धारा 28-घ के तहत बेदखली आदेश जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई अभी की जानी है।	अब तक किसी भी बेदखलीकर्ता को विस्थापित नहीं किया गया है और पुनर्स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।	लागू नहीं
3.	रिंगस	माननीय उच्च न्यायालय ने संपदा अधिकारी (एआई) को यह निर्णय करने का निदेश दिया है कि क्या याचिकाकर्ता (अतिक्रमणकारी)	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5
		गैर-कानूनी रूप से कब्जाधारी है अथवा नहीं संपदा अधिकारी (एआई) ने इन निर्देशों के अनुसार न्यायिक कल्प प्रक्रिया के माध्यम से गैरकानूनी कब्जाधारी के मामले का निर्णय करना आरंभ किया है। इस मामले का निर्णय करते समय यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा इस भूमि का पुनः माप करवाया जाए। एएआई द्वारा इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।		
4.	सफदरजंग	दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2012 को सफदरजंग हवाईअड्डे पर 6700 वर्गमीटर माप वाली एएआई की भूमि को अतिक्रमण कार्यों से मुक्त करा दिया गया था।	दिल्ली सरकार द्वारा उनकी नीति के अनुसार पात्र निवासियों के लिए कार्रवाई की गई।	दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार पात्र निवासियों के लिए उचित कार्रवाई की गई।
5.	खजुराहो	अर्जित की गई भूमि में मंदिर को अभी पुनर्स्थापित किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	सतना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतना स्थित कुल भूमि को राज्य सरकार को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।	लागू नहीं	लागू नहीं

इलाहाबाद से संबंधित सूचना प्रतिक्षित है तथा अन्य हवाईअड्डों से संबंधित सूचना शून्य है।

सीजीईसीसीएसएल की वार्षिक रिपोर्ट

1522. श्री पूर्णमासी राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारिता समिति लिमिटेड (सीजीईसीसीएसएल) सीवीसी के क्षेत्राधिकार में आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीजीईसीसीएसएल और डीपीओ एंड टी के सीवीओ ने सीवीसी अनुदेश, दिनांक 31.01.2013 के आलोक में वर्ष 2012 हेतु सतर्कता कार्य/कार्यकलापों से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) अपने शेयर होल्डरों और आम-जनता की सूचना हेतु वेबसाइट पर अपनी रिपोर्टों को अपलोड करने के लिए निदेश जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या सीजीईसीसीएसएल और डीओपी एंड टी, सीवीसी नियमावली के अनुसार शिकायत रजिस्टरों का रख-रखाव करते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो सीवीसी द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारिता समिति लिमिटेड (सीजीईसीसीएलएल) (केन्द्रीय भंडार) ने वर्ष 2012 के लिए सतर्कता कार्य/कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2012 के लिए सतर्कता कार्य/कार्यकलापों से संबंधित प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य रूप से संख्या, आयु-वार आंकड़े तथा प्रत्येक अनुशासनात्मक मामले की स्थिति दी गई है।

(ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सीजीईसीसीएलएल की वेबसाइटों पर वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर मंदी का प्रभाव

1523. श्री अर्जुन राय :
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री दिनेश चंद्र यादव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी मंदी ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो विदेश उद्योग की तुलना में वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में उद्योग का कुल कारोबार कितना रहा;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्श 2020 तक आईटी और आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं) उद्योग के राजस्व को 100 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 3000 बिलियन यूएस डॉलर करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने क लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कुशल जनशक्ति सृजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा आईटी और आईटीईएस निर्यात राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान देश से सूचना प्रौद्योगिकी— सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी-आईटीईएस) के निर्यात का निष्पादन नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	करोड़ रु.	बिलियन अमेरिकी डॉलर	वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि* (%)
2010-2011	268609	59.0	14.29
2011-2012	332769	68.8	23.89
2012-2013 (अनुमान)	410836	75.8	23.46

ई: अनुमान। *रुपए के संदर्भ में वृद्धि।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम के अनुसार वैश्विक प्रौद्योगिकी के विस्तार क्षेत्र में वर्ष 2012 में 4.8% की वृद्धि दर्ज की है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग द्वारा वृद्धि का लक्ष्य दोहरे अंक में प्राप्त करने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी, हां। 14.09.2012 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, 2012 के माध्यम से सरकार ने सूचना

प्रौद्योगिकी उद्योग (निर्यात+घरेलू) का राजस्व वर्तमान के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की परिकल्पना की है। नीति का उद्देश्य है भारत की स्थिति को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में सुदृढ़ करना एवं उसे आगे ले जाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर स्पेस का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के त्वरित, समेकित और स्थायी वृद्धि के लिए इंजन के रूप में प्रयोग करना।

(ङ) और (च) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति (एनपीआईटी), 2012 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कौशल विकास और सृजन में विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित हुए औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर के माध्यम से वर्ष 2020 तक आईसीटी में 10 मिलियन अतिरिक्त कुशल जनशक्ति का एक पूल तैयार करना।

(छ) सरकार देश में आईटी और आईटीईएस निर्यात राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन देती है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा शासित किया जाता है, के अंतर्गत आईटी और आईटीएस इकाइयां विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और उत्पाद शुल्क की प्रतिभूर्ति इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) और बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु और मझौले उद्यमों की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 आईटी-आईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिसूचित किए गए हैं। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10कक में एसईजेड में स्थित इकाइयां चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर लाभ के पात्र हैं। आईटी और आईटीईएस एसईजेड इकाइयां क्षेत्र के निर्यात राजस्व में वृद्धि के लिए काफी योगदान दे रही हैं।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों द्वारा वायुयानों की खरीद

1524. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एयरलाइनों ने वायुयानों की खरीद हेतु सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एयरलाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एयरलाइनों की मांग पर सहमति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके एयरलाइन-वार क्या कारण हैं और इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मापदंड/मानक क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ङ) जी, हां। विमान के आयात हेतु अनुसूचित प्राइवेट एयरलाइनों से प्राप्त सभी अनुरोधों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 2010 से आज तक का विवरण नीचे दिया गया है:

एयरलाइन	प्रस्ताव (विमान की संख्या)	अनुमोदन (विमान की संख्या)
ब्लू डार्ट	02	02
लेपल प्रोजेक्ट्स	04	04
स्पाइसजेट	35	35
जेट एयरवेज	58	58
जेटलाइट	12	12
गो एयरलाइन्स	08	08
इंडिगो	78	78
दक्कन कार्गो	02	02
जव एयरवेज	03	03
पैरामाउंट	14	14
किंगफिशर	01	01

लंबित परियोजनाएं

1525. श्री जयराम पांगी :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की कई बड़ी परियोजनाएं मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सुधार से जुड़ा एक अवस्थापना विकास कार्यक्रम है जिसे सरकार द्वारा 2005 में आरंभ किया गया था। मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं राज्य सरकार की सिफारिश पर आरंभ की जाती हैं जो संबंधित प्राधिकारों से अनुमोदन प्राप्त होती हैं। जेएनएनयूआरएम ने अपनी 7 वर्षीय सामान्य अवधि दिनांक 31.03.2012 को पूरी कर ली है और सरकार ने चालू परियोजनाओं तथा सुधारों को पूरा करने के लिए पूर्व में इस अवधि में 2 वर्षों का विस्तार किया था। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 17.1.2013 को मार्च, 2014 तक नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु जेएनएनयूआरएम को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अनुसरण में, सरकार ने राज्यों/संघ शासित राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। अनुमोदन हेतु अर्थात् 1000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत की कोई बड़ी परियोजनाएं लंबित नहीं हैं।

परियोजनाओं पर जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत उनकी समरूपता और उनके तकनीकी मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है।

यूजीसी के दिशा-निर्देशों की समीक्षा

1526. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2010 के दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यूजीसी के विनियमों में कई असंगतियों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूजीसी के 2010 के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए नवगठित समिति यूजीसी के विनियमों में विसंगति को रोकने के लिए किस हद तक सुझाव देगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (ङ) और (छ) के तहत विनियम जारी किए गए थे, जिनमें सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तथापि कतिपय वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विनियमों में विसंगतियों की पहचान करने और समुचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया है। इसके पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन विनियमों की पुन: जांच करने हेतु एक और जांच समिति का भी गठन किया था।

(घ) विसंगति समिति ने दिनांक 11.10.2011 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जांच समिति ने भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिनांक 21.09.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुल मिलाकर, विसंगति समिति और जांच समिति ने क्रमश: 67 तथा 115 अनुशंसाएं कीं।

[हिन्दी]

अवसंरचना विकास परियोजनाएं

1527. श्री सतपाल महाराज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड में संस्वीकृत अवसंरचना विकास परियोजनाओं एवं प्रत्येक ऐसी परियोजना के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य की उन अवसंरचना विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी हे जो अनुमोदन हेतु लंबित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा अवसंरचना विकास परियोजनाएं, विभिन्न फ्लैगशिप केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग स्कीमों के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वीकृत और आरंभ की जाती हैं। योजना आयोग राज्यों को विशेष योजना सहायता (एसपीए) के तहत भी परियोजनाएं अनुमोदित करता है और वित्त मंत्रालय को निधियां जारी करने की सिफारिश करता है। योजना आयोग द्वारा 2012-13 के दौरान विशेष योजना सहायता के तहत उत्तराखंड की 27 अवसंरचना विकास परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित अवसंरचना विकास परियोजनाओं और इनके लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2012-13 के दौरान विशेष योजना सहायता (एसपीए) के तहत संस्तुत उत्तराखंड की अवसंरचना विकास परियोजनाएं/इनके लिए जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	2012-13 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित			वर्ष 2012-13 दौरान जारी राशि
		90% अनुदान भाग	10% राज्य का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	नैनी-सैनी हवाईपत्तन (पिथौरागढ़) का कार्य	22.50	2.50	25.00	22.50
2.	6 हेलीपेडों का निर्माण कार्य	8.10	0.90	9.00	8.10
3.	चिनयालीसौर (उत्तरकाशी) में हवाईपत्तन का कार्य	18.00	2.00	20.00	18.00
4.	बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य	27.00	3.00	30.00	0.00
5.	कोसी बांध (अल्मोड़ा) का निर्माण	9.00	1.00	10.00	9.00
6.	12 कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों का निर्माण	7.20	0.80	8.00	7.20
7.	शिक्षा निदेशालय का निर्माण	2.88	0.32	3.20	2.88
8.	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का निर्माण	13.50	1.50	15.00	13.50
9.	डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण	13.50	1.50	15.00	13.50
10.	इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर की स्थापना और पॉलीटेक्नीकों का सुदृढ़ीकरण	9.00	1.00	10.00	9.00

1	2	3	4	5	6
11.	पेयजल स्कीमों का निर्माण	45.00	5.00	50.00	44.22
12.	भंडारीबाग में आरओबी, बुल्लीवाला और आईएसबीटी (देहरादून) पर फ्लाईओवर का निर्माण	19.80	2.20	22.00	19.80
13.	काशीपुर-ठाकुद्वारा सड़क (उद्धम सिंह नगर) का निर्माण	6.30	0.70	7.00	6.30
14.	किच्छा-नगला सड़क (यूएसएन) का निर्माण	3.60	0.40	4.00	3.60
15.	दुगरीपंत-छटीखल सड़क (पौढ़ी गढ़वाल)	2.70	0.30	3.00	2.70
16.	श्रीनगर (पौढ़ी) में चौरस पुल का निर्माण	1.80	0.20	2.00	1.80
17.	कोर्ट मचंजी सड़क (देहरादून) का निर्माण	1.80	0.20	2.00	1.80
18.	शिमला बाइपास सड़क (देहरादून) का निर्माण	4.50	0.50	5.00	4.50
19.	देहरादून शहर में परिवहन सुविधाएं	4.50	0.50	5.00	4.50
20.	देहरादून शहर में परिवहन सुविधाएं	4.50	0.50	5.00	4.50
21.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	9.00	1.00	10.00	9.00
22.	देहरादून, हरिद्वार और हलद्वानी में शौचालयों का निर्माण	4.50	0.50	5.00	4.50
23.	मसूरी के लिए एकीकृत विकास संबंधी मास्टर प्लान	13.50	1.50	15.00	0.00
24.	भरसर-रानीचौरी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय	18.00	2.00	20.00	18.00
25.	कामकाजी महिला हॉस्टल	0.90	0.10	1.00	0.90
26.	राज्य डेटा केन्द्र एवं आईटी भवन का निर्माण	6.30	0.70	7.00	0.00
27.	पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण	23.40	2.60	26.00	23.40
		300.78*	33.42	334.20	253.20

*योजना आयेाग ने 300.78 करोड़ रुपए (90% अनुदान भाग) की तुलना में 300 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की।

[अनुवाद]

वायुक्षेत्र की साझेदारी

1528. श्री एम.के. राघवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागर विमानन सेवाओं के लिए सैन्य वायु क्षेत्र को साझा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होगा; और

(ग) रक्षागत वायुक्षेत्र के उपयोग के लिए क्या सुरक्षोपाय किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क)

(ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग की अवधारणा के अनुसार भारत में नागर-सैन्य वायु क्षेत्र का साझा उपयोग एक सतत् प्रक्रिया है। वायु क्षेत्र के साझे प्रयोग के परिणामस्वरूप छोटे ईंधन सक्षम मार्गों का डिजाइन/कार्यान्वयन तथा विशिष्ट उपयोगकर्त्ता वायुक्षेत्रों द्वारा हवाईअड्डों के लिए आगमन/प्रस्थान प्रक्रिया कार्यान्वित हुई है। इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन तथा ईंधन प्रयोग में महत्वपूर्ण कमी हुई।

(ग) रक्षा वायुक्षेत्र के उपयोग के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं:—

- भारतीय विमानपत्तन्न प्राधिकरण (एएआई)/भारतीय वायु सेना द्वारा नियमित आधार पर विमान यातायात को समन्वित तथा मॉनीटर किया जाता है।
- जब भी रक्षा उड़ान के लिए आरक्षित वायु क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे रक्षा एटीसी द्वारा सिविल एटीसी को सिविल यातायात के लिए सौंप दिया जाता है।
- सिविल एटीसी तथा रक्षा एटीसी यूनिटों के बीच विमान यातायात का सक्रिय समन्वय है।
- विमान यातायात सेवा (एटीएस) मार्गों को रक्षा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने के पश्चात् ही निर्धारित किया जाता है।

हवाईअड्डों की सुरक्षा

1529. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीसीएएस के कर्मचारी और अधिकारी भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के तहत आते हैं जिनमें अधिकारियों के लिए तीन वर्ष के कार्यकाल की सीमा तय की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीसीएएस के कुछ कर्मचारी और अधिकारी एक दशक से भी अधिक समय से एक ही स्थान/पद पर तैनात हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संवेदनशील पदों और संगठनों में कार्यरत अधिकारियों के प्रत्येक 2/3 वर्षों में आवर्तन करने संबंधी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के अधिकारियों के आवर्तन/स्थानातंरण के लिए नीति निर्धारित की है। इस नीति के अनुसार बीसीएएस में किसी भी संवेदनशील पद धारित अधिकारी का स्थानातंरण किया जाना बाकी नहीं है।

अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार

1530. श्री ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **प्रवासी भारतीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रस्ताव है ताकि अप्रवासी भारतीय आगामी 16वीं लोक सभा के चुनाव में अपना मत डाल सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) निर्वाचन नामावली, 2013 के अनुसार, प्रवासी भारतीय मतदाताओं की कुल संख्या 11,328 है।

(ख) और (ग) अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) भारत के चुनाव आयोग ने, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को, विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के मासिक रिकॉर्ड भी रखते हैं।

(ii) विदेश मंत्रालय ने उन 15 देशों, जहां अनिवासी भारतीयों की जनसंख्या एक लाख से अधिक है, अर्थात् आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, इटली, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतर, सउदी अरब, सिंगापुर थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशन प्रमुखों को, अनिवासी भारतीय मतदाताओं के नामांकन को सरल बनाने के लिए पत्र जारी किए हैं।

(iii) भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट से नामांकन फार्म 6(ए) को डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) का डाक पता उपलब्ध है।

(iv) चुनाव आयोग ने अपनी कार्यालयी वेबसाइट अर्थात् *www.eci.nic.in* पर प्रवासी मतदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण करना भी शुरू किया है।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

जैतपुर एनपीपी के लिए ईपीआर रियेक्टर

1531. श्री पी. लिंगम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फ्रांस के राष्ट्रपति के हालिया दौरे के दौरान प्रस्तावित जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) के लिए ईपीआर रियेक्टर की आपूर्ति के मुद्दे पर उनसे चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किए गए भारत के राजकीय दौरे के दौरान, भारत तथा फ्रांस द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2013 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था, पहले दो ईपीआर यूनिटों की स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी, और यह पाया गया था कि, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 'अरेवा' तकनीकी-वाणिज्यिक विचार-विमर्श कर रहे थे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आईसीएओ द्वारा लेखा-परीक्षा

1532. श्री रामसिंह राठवा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा की गई लेखा-परीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईसीएओ की कुछ सिफारिशों/निष्कर्षों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आईसीएओ द्वारा पुनः/सुरक्षागत लेखा-परीक्षा के तहत लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश के सभी हवाईअड्डों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर तथा हवाईअड्डों की संरक्षा की सुरक्षा ऑडिट अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) दल द्वारा दिसंबर, 2012 में की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) जयपुर हवाईअड्डों से संबंधित 8 सिफारिशें तथा पटना हवाईअड्डों से संबंधित 13 सिफारिशें की गई थीं। इनमें से जयपुर हवाईअड्डें से संबंधित एक सिफारिश तथा पटना हवाईअड्डों से संबंधित छह सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। शेष सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। चूंकि सिफारिशों के कार्यान्वयन से कई पहलू जुड़े होते हैं अत: पहले से कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एएआई हवाईअड्डों की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियमित संरक्षा ऑडिट की जाती है। देशभर में सभी हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) एंटी हाइजैकिंग उपायों को कार्यान्वित करने के लिए 52 एएआई हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात किया गया है।

(ii) उपकरण जैसे— इन लाइन एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएक्स), पैरामीटर इनट्रूज़न डीटेक्शन सिस्टम (पीडीआईएस) बॅम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन सिस्टम (बीडीडीएस) हवाईअड्डों पर लगाए जा रहे हैं; और

(iii) प्रवेश द्वारों पर यात्रियों की रैंडम स्क्रीनिंग शुरू की गई है।

अवैध निर्माण

1533. **श्री रुद्रमाधव राय : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के सार्वजनिक-सड़कों, भूमि और पटरी पर मूर्ति-स्थापना और अन्य प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के नियमनिष्ठ अनुपालन के लिए देश में लोक सेवा प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक भूमि, सड़कों और पटरी के सभी अवैध निर्माणों को कब तक हटा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) दिल्ली की स्थानीय निकायों के अनुसार दिल्ली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से नहीं चल रहा है। निदेशक (स्थानीय निकाय) के कार्यालय ने सूचित किया है कि जब कभी कोई अधिकृत निर्माण की सूचना प्राप्त होती है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार संबंधित नगर निगम क्षेत्र के भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि प्रवर्तन भवन नियमितीकरण विभाग अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए कार्य कर रहा है। नोटिस किए गए अनधिकृत निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए ही चार कनिष्ठ अभियंताओं की तैनाती की गई है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके नोटिस में आने वाले अवैध निर्माणों के विरुद्ध डिमोलिशन/सीलिंग कार्रवाई की गई है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि जब भी अवैध निर्माण गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है तो छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239(i), (ii) एवं (iv), 248 एवं 320 के तहत कार्रवाई की जाती है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोग भी चलाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। स्ट्रीट फर्नीचर एवं सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के अलावा।

(ङ) और (च) निदेशक (स्थानीय निकाय) के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर मूर्ति लगाने या किसी संरचना के निर्माण के संबंध में 2006 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8519 में दिनांक 18.01.2013 के उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति दिल्ली के तीन नगर निगमों एवं इनके लोक निर्माण विभाग, को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजा गया है। निदेशक (स्थानीय निकाय) के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सड़क के मार्गाधिकार पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और अतिक्रमण रोकने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

बेरोजगार लाइसेंसधारक वाणिज्यिक पायलट

1534. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देशभर में बेरोजगार वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसधारकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा कितने पायलटों/सह-पायलटों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) सरकार का बेरोजगार पायलटों/सह-पायलटों की सेवाएं भविष्य में किस प्रकार उपयोग में लेने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) डीजीसीए देश के बेरोजगार वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसधारकों (सीपीएल) की संख्या के आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जिला-स्तर पर दूरसंचार सेवाएं

1535. श्री शिवराज भैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न दूरसंचार जिलों, विशेषकर मध्य प्रदेश में, बीएसएनएल के काफी सारे टेलिफोन एक्सचेंज और मोबाइल टॉवर ठप पड़े हैं अथवा उनमें से कुछ सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दमोह सहित दूरसंचार जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न दूरसंचार जिलों में अनिवार्य उपकरणों की कमी है और ऐसे जिलों में उचित मूल्य पर इस हेतु निविदाएं नहीं जारी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में, विशेषकर मध्य प्रदेश, प्रभावित जिलों/क्षेत्रों में लैंडलाइन और मोबाइल फोन-सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित देश में भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन एक्सचेंज तथा मोबाइल टॉवर सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने नेटवर्क का संवर्धन करता है। तथापि, सामान्य रूप से बीएसएनएल मे अनिवार्य उपस्करों की कोई कमी नहीं है।

(ङ) दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल का वरिष्ठ प्रबंधन बीएसएनएल के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। तथापि, बीएसएनएल ने मध्य प्रदेश सहित देश में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- बिक्री तथा वितरण पद्धति को सुदृढ़ करना।
- विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण कैम्प।
- भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों का पालन करने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी।
- "परियोजना स्माइल" के माध्यम से उपभोक्ताओं की देखभाल (कस्टमर केयर) में लगातार सुधार।
- विभिन्न आकर्षक टैरिफ प्लानों और विकसित बाजार रणनीतियों को लागू करना।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं, इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं और ब्रॉडबैंड आधारित मूल्य वधित सेवाओं जैसे वीडियो/गेम्स/म्यूजिक ऑन डिमांड आदि सहित मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान करना।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए शिक्षा

1536. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के स्तर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत/जारी/खर्च की गई कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक प्राप्त परिणाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् कक्षा-III, V और VII के बच्चों, जिनमें लड़कियां शामिल हैं के शिक्षा स्तर का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करती है। सर्वेक्षण को यह पता चला है कि औसत छात्र उपलब्धि स्तरों में वृद्धि हुई है, हालांकि उपाय उपलब्धि कम है।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान में उनके आस-पास स्कूल खोलने, ताकि लड़कियों की उनमें अधिक आसानी से पहुंच हो सके, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क वर्दी, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और आईसीडीएस कार्यक्रम आदि के अभिसरण सहित नजदीकी स्कूलों में उनके के निकट शिक्षा केन्द्रों, लड़कियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने हेतु शिक्षक सुग्राही कार्यक्रम, जेंडर संवेदी शिक्षा अधिगम सामग्रियां जिनमें पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं, आवासीय उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का प्रावधान है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए उपायों में, नए स्कूल खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति, मौजूदा स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण, लड़कियों हेतु छात्रावास सुविधाएं, शिक्षक सुग्राही कार्यक्रम और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय खंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियों की छात्रावास योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण-शुल्क का भुगतान करने से छूट और नवोदय विद्यालयों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लड़कियों और महिलाओं के लाभ हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें महिला छात्रावासों की निर्माण योजना, उच्चतर शिक्षा में महिला-प्रबंधकों की क्षमता निर्माण योजना, एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और विज्ञान विभागों में अनुसंधान करने के लिए एकल बालिका को अध्येतावृत्ति, जिन्हें मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल किया गया है, को भी शुरू किया गया है।

एसएसए और आरएमएसए कार्यक्रमों के तहत, लड़कियों की शिक्षा का संवर्धन करने के उपायों सहित जारी की गई निधियां और किया गया व्यय संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है।

लड़कियों का नामांकन धीरे-धीरे बढ़ रहा है और शिक्षा के सभी स्तरों पर स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दर गिर रही है। जनगणना, 2011 में यह पता चलता है कि महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में 53.67% से बढ़कर वर्ष 2011 में 65.46% हो गई है।

विवरण

एसएसए के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान जारी की गई निधियां और किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
		रिलीज	व्यय (राज्य शेयर सहित)	रिलीज	व्यय (राज्य शेयर सहित)	रिलीज	व्यय (राज्य शेयर सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	385.70	722.57	810.00	1440.44	1835.52	3372.48

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	114.28	124.28	204.02	209.93	238.80	267.06
3.	असम	474.80	507.81	768.54	855.75	1069.21	1249.31
4.	बिहार	1217.39	2248.70	2047.90	3495.07	1851.08	4089.63
5.	छत्तीसगढ़	555.93	963.41	878.63	1231.07	698.70	1339.02
6.	गोवा	5.51	12.13	6.71	14.59	10.79	19.34
7.	गुजरात	200.32	400.58	440.65	826.24	880.28	1417.81
8.	हरियाणा	276.00	456.21	327.86	643.79	404.61	771.94
9.	हिमाचल प्रदेश	86.08	146.10	137.87	217.56	141.93	251.97
10.	जम्मू और कश्मीर	373.63	222.58	403.49	640.01	300.71	1047.33
11.	झारखंड	709.40	1199.47	895.62	1592.47	579.03	1172.33
12.	कर्नाटक	442.21	830.29	669.03	1144.58	627.88	1249.96
13.	केरल	119.90	192.33	196.61	260.72	170.22	260.46
14.	मध्य प्रदेश	1132.49	1940.12	1767.83	2935.43	1904.27	3428.32
15.	महाराष्ट्र	564.32	1078.84	855.37	1432.00	1179.63	1810.66
16.	मणिपुर	15.00	14.43	132.54	106.59	39.41	83.90
17.	मेघालय	93.83	120.94	185.41	200.50	144.11	197.83
18.	मिजोरम	66.18	82.54	101.15	90.73	108.14	140.85
19.	नागालैंड	49.13	54.40	86.37	103.50	97.98	103.15
20.	ओडिशा	630.62	1120.12	731.78	1465.08	927.20	1625.70
21.	पंजाब	200.44	367.72	396.13	559.43	481.12	647.03
22.	राजस्थान	1271.24	1998.94	1461.82	2703.68	1485.81	3130.64
23.	सिक्किम	17.36	20.41	44.69	39.16	40.23	44.53
24.	तमिलनाडु	483.66	782.67	690.69	1194.81	681.42	1168.18
25.	त्रिपुरा	74.73	91.96	171.21	142.84	174.94	242.64

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	1960.12	3350.49	3104.63	5110.96	2636.83	5158.04
27.	उत्तराखंड	160.06	271.87	257.94	368.32	208.92	399.36
28.	पश्चिम बंगाल	1041.42	1625.40	1747.03	3053.33	1776.53	2986.27
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.12	7.24	3.58	8.86	9.07	16.06
30.	चंडीगढ़	11.01	20.63	21.56	25.66	16.11	33.01
31.	दादरा और नगर हवेली	3.50	6.31	4.14	6.92	5.64	7.96
31.	दमन और दीव	1.69	3.24	1.63	3.75	2.57	4.85
33.	दिल्ली	30.89	36.85	35.53	46.58	37.83	80.09
34.	लक्षद्वीप	1.44	2.46	1.27	2.93	1.28	3.63
35.	पुदुचेरी	6.70	11.25	4.85	12.96	7.58	12.76
	कुल	12781.08	21035.27	19594.07	32186.23	20775.38	37834.10

आरएमएसए के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान जारी की गई निधियां और किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरएमएसए के अंतर्गत जारी की गई निधि					
		2009-10		2010-11		2011-12	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.64	0.32	1.05	1.04
2.	आंध्र प्रदेश	15.05	9.53	311.57	359.41	328.32	225.37
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.89	0.00	26.98	14.17	20.24	1.18
4.	असम	8.70	4.47	19.35	2.16	83.46	17.53
5.	बिहार	19.64	0.00	77.27	11.27	23.50	26.67
6.	चंडीगढ़	0.10	0.00	0.45	0.61	2.35	1.20

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	छत्तीसगढ़	58.12	0.22	15.25	15.05	344.69	335.96
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.20	0.00	1.26	0.37
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.31	0.11	1.29	1.11
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.71	0.00	3.97	0.02
11.	गोवा	0.51	0.00	0.54	0.00	3.12	0.23
12.	गुजरात	2.94	0.00	10.69	0.29	15.25	16.67
13.	हरियाणा	5.33	12.03	23.00	25.02	175.56	179.83
14.	हिमाचल प्रदेश	3.74	0.05	38.50	22.77	57.66	23.90
15.	जम्मू और कश्मीर	11.02	0.01	26.40	4.73	96.36	20.32
16.	झारखंड	9.41	0.00	69.43	6.01	17.94	7.99
17.	कर्नाटक	74.43	0.00	19.47	20.94	48.90	68.85
18.	केरल	10.33	0.00	15.13	20.48	19.10	20.95
19.	लक्षद्वीप	1.10	0.00	0.05	0.01	0.74	0.00
20.	मध्य प्रदेश	97.58	0.00	196.19	307.81	242.39	345.58
21.	महाराष्ट्र	3.50	0.00	13.47	18.28	73.99	10.36
22.	मणिपुर	18.54	0.00	25.26	1.55	38.13	14.01
23.	मेघालय	1.86	0.00	0.00	0.02	12.39	0.87
24.	मिजोरम	17.21	1.44	19.08	8.29	36.23	50.98
25.	नागालैंड	11.87	0.00	5.24	2.38	28.26	1.11
26.	ओडिशा	8.04	0.00	89.83	0.52	128.87	224.15
27.	पुदुचेरी	1.82	0.00	1.87	2.11	1.96	0.00
28.	पंजाब	25.25	31.20	188.25	43.78	89.40	198.47
29.	राजस्थान	19.38	0.00	52.96	0.67	146.89	0.00
30.	सिक्किम	2.70	0.25	4.26	1.92	6.92	3.02
31.	तमिलनाडु	55.18	20.75	77.05	36.81	197.19	230.55

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	त्रिपुरा	9.98	0.00	25.26	2.90	7.23	23.80
33.	उत्तर प्रदेश	36.10	0.91	49.43	2.23	204.48	122.54
34.	उत्तराखंड	3.52	0.00	76.01	3.61	34.07	63.04
35.	पश्चिम बंगाल	12.99	0.00	0.00	0.27	2.74	1.01
	कुल	547.83	80.85	1480.10	936.49	2495.90	2238.66

परमाणु-सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं का दायित्व

1537. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाण्वीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के अनुसार परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्त्ता परमाण्विक दुर्घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में, आपूर्ति किए गए उपकरणों की लागत से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण और इसका औचित्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस उपबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 4 के अंतर्गत, नाभिकीय क्षति के लिए दायित्व, नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक पर डाला गया है। नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक के पास, किसी नाभिकीय क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध अवलंबन का अधिकार होगा। आपूर्तिकर्त्ता का, किसी नाभिकीय घटना के पीड़ितों को प्रथमत: नाभिकीय क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने संबंधी कोई दायित्व नहीं है।

(ग) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, प्रचालक का दायित्व सख्त और दोषरहित दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अन्तर्निहित उद्देश्य किसी नाभिकीय घटना के पीड़ितों को शीघ्र मुआवजे का भुगतान करना है।

(घ) से (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई.टी.-टाउनशिप

1538. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एकीकृत आईटी-टाउनशिप की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन राज्य सरकारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो आईटी-टाउनशिप की स्थापना के लिए आगे आई हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसी टाउनशिपों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी टाउनशिपों के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना की अनुमति प्रदान की है/का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण (ईएचएम) सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मई, 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी

निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) की स्थापना के लिए नीति की घोषणा की है। न्यूनतम 40% संसाधन क्षेत्र और लगभग 40 वर्ग किमी. के न्यूनतम क्षेत्र के साथ आईटीआईआर निवेश के लिए विशेष रूप से चिह्नित क्षेत्र होगा। यह सेवाओं एवं मूलसंरचना के साथ आईटी/आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण यूनिट सुविधाओं की स्थापना के लिए बनी योजना में आईटीआईआर में विशेष आर्थिक जाने (एसईजेड), औद्योगिकी पार्क एवं वेयरहाउसिंग जोन, निर्यातोन्मुख यूनिटों को शामिल किया जा सकता है। नीति में परिकल्पना की गई है कि आईटीआईआर की स्थापना में राज्य सरकार की अहम भूमिका होगी। केन्द्र सरकार चल रही योजनाओं के माध्यम से बाह्य मूलसंरचना के लिए आवश्यक व्यवहार्यता अंतरालों को पूरा करने के लिए निधियन उपलब्ध कराएगी।

सभी राज्य सरकारों से आईटीआईआर की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं ओडिशा से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा से प्राप्त प्रस्तावों पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पास 42.51 वर्ग किमी. के क्षेत्र में आईटीआईआर की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिला में 3 क्लस्टरों/समूहों में 202 वर्ग किमी. के क्षेत्र में आईटीआईआर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर के समीप 41.32 वर्ग किमी. के क्षेत्र में आईटीआईआर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। तमिलनाडु सरकार का चेंगलपट्टु, श्रीपेरमबुदूर और कांचीपुरम में 500 वर्ग किमी. के क्षेत्र में आईटीआईआर की स्थापना का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कुछ विवरण मांगे गए थे।

सार्वजनिक निजी भागीदारी समेत आईटीआईआर के अंतर्गत परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारें अलग-अलग मॉडल का प्रयोग कर सकती हैं।

[हिन्दी]

स्कूली बस्तों का वजन

1539. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी स्कूली बस्ते को ढोने से स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बच्चों के स्कूली बस्ते का भार हलका करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) पूर्व-बाल्यावस्था शिक्षा के लिए कोई पाठ्य-पुस्तक निर्धारित नहीं करती है। इसके द्वारा कक्षा I और II के लिए केवल दो पाठ्यपुस्तकें तथा कक्षा III से V के लिए तीन पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से स्थाई प्रत्यायन चाहने वाले स्कूलों के लिए बोर्ड के संबंधन उप-नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार 'कक्षा II तक छात्रों हेतु कोई स्कूल बैग और कोई गृह-कार्य नहीं' की नीति का अनुपालन अनिवार्य है।

[अनुवाद]

बोर्ड परीक्षाओं में कदाचार

1540. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छात्र-निकायों से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं को सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ/हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाविद्यालयों में कदाचार न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में स्वप्रेरणा से कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि बोर्ड परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं में पारदर्शित बनी रहे है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं की वस्तुनिष्ठता और परदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक परीक्षक के साथ-साथ परीक्षक को नियुक्ति करता है।

[हिन्दी]

आधार-कार्ड

1541. **डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों, विशेषकर हरियाणा में, आधार-कार्डों में अत्यधिक गलतियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) आधार पर नामांकन यूआईडीएआई के विभिन्न पंजीयकों, जो विशेष रूप से राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, भारतीय डाक इत्यादि हैं, के द्वारा नामांकन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त नामांकन प्रचालक नामांकन के समय निवासियों के जनसांख्यिकी आंकड़े दर्ज करते हैं। हरियाणा सहित कुछ राज्यों में निवासियों द्वारा जनसांख्यिकी डेटा में नाम में वर्तनी, निवासी के पते, निवासी की लिंग की गलत प्रविष्टि और जन्म तिथि जैसी कुछ त्रुटियां रिपोर्ट की गई हैं।

(ग) यूआईडीएआई ने जनसांख्यिकी त्रुटियों को कम करने के लिए प्रणाली लागू की है, जैसे कि नामांकन के दौरान डेटा की प्रविष्टि करते समय निवासी की ओर से दिखाई देने वाला एक अतिरिक्त स्क्रीन उपलब्ध कराना, जिससे कि निवासी स्वयं से संबंधित ब्यौरे को देखने में समर्थ हो सके। प्रत्येक नामांकन के अंत में एक समीक्षा स्क्रीन तैयार की जाती है और कोई त्रुटि होने पर निवासी के पास उसे देखकर जनसांख्यिकी ब्यौरे में परिवर्तन करने का सुझाव देने का अवसर होता है। निवासी द्वारा समीक्षा स्क्रीन में दिए गए जनसांख्यिकी ब्यौरे की एक बार संपुष्टि कर देने के पश्चात् एक वैयक्तिक नामांकन आईडी स्लिप प्रिंट किया जाता है। अब नामांकन प्रक्रिया में शिक्षा प्रक्रिया के बाद दिन के अंत में भी निवासी डेटा का एक बार फिर समीक्षा करने का प्रावधान है। निवासियों के पास यह विकल्प भी है कि वे नामांकन केन्द्र में जाकर नामांकन के 96 घंटे के भीतर अपने ब्यौरे ठीक करा लें। प्रतिदर्श आधार पर जनसांख्यिकी डेटा में त्रुटियों की पहचान करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा यादृच्छिक गुणवत्ता जांच के माध्यम से एक बार फिर डेटा का निष्पादन किया जाता है। नामांकन पैकेट्स में पहचान की गई कुछ त्रुटियों को एक ऑनलाइन कार्य प्रवाह के द्वारा ठीक कर पाना संभव है। अन्य मामलों में नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाता है और नामांकन एजेंसी पर वित्तीय दंड लगाया जाता है। जनसांख्यिकी त्रुटियों का पता चलने वाले सभी नामांकनों के लिए पंजीयकों को वित्तीय सहयोग का भुगतान नहीं किया जाता है। आधार संख्या के सृजन के पश्चात् निवासी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नामांकन डेटा का अद्यतन कर सकते हैं/में सुधार कर सकते हैं या डाक के माध्यम से नामांकन डेटा का अद्यतन कर सकते हैं/में सुधार कर सकते हैं या डाक के माध्यम से अद्यतन करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन

1542. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12वीं पंचवर्षीय योजना को अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उद्योगों में श्रमिकोन्मुखी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो देश में व्यापक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्र की सकल बजटीय-सहायता में पिछली पंचवर्षीय योजना की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिनांक 27 दिसंबर, 2012 को हुई इसकी बैठक में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के मसौदे को अनुमोदित कर दिया है। इस योजना में 8% औसत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा

गया है। इसका ब्यौरा बारहवीं योजना दस्तावेज के मसौदे में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस योजना में उच्च रोजगार सृजन करने वाले श्रम सघन उद्योगों यथा वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े का सामान, रत्नों और आभूषणों आदि की पहचान की गई है। इसमें योजनावधि के दौरान 50 मिलियन गैर-फार्म कार्य अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विकास को समावेशी बनाने के लिए ग्रामीण प्रवासी और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल सेट सृजित करने पर जोर दिया गया है।

(ङ) और (च) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की केन्द्रीय योजना के लिए प्रस्तावित सकल बजटीय सहायता और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12) की प्राप्ति निम्नानुसार हैं:—

ग्यारहवीं और बारहवीं योजनाओं में जीबीएस आवंटन

(वर्तमान कीमतों पर करोड़ रुपए)

मद	ग्यारहवीं योजना के प्राप्ति		बारहवीं योजना अनुमान		
	राशि	कुल जीबीएस में % हिस्सा	राशि	कुल जीबीएस	ग्यारहवीं योजना की तुलना में % वृद्धि
केन्द्रीय योजना (केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें)	1167886	73.48	2710840	75.96	132.12
राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता	421458	26.52	857786	24.04	103.53
कुल	1589344	100.00	3568626	100.00	124.53

स्रोत: बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज का मसौदा।

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा की समीक्षा

1543. श्री गजानन ध. बाबर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरस्थ शिक्षा की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि विनियामक निकाय होने के कारण, दूरस्थ शिक्षा परिषद् को देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से असंपृक्त होना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिशें की गई हैं कि तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं सहित प्रत्येक परम्परागत विश्वविद्यालय एवं संस्था को मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएफ) कार्यक्रम प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने की दोहरी प्रणाली अपनानी चाहिए। इस रिपोर्ट में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसीआई) नामक एक नया विनियामक निकाय सृजित करने; इसे ओडीएल प्रणाली के विनियमन की जिम्मेवारी से मुक्त करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम में संशोधन करने; अतंरिम उपाय के तौर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मानकों के अनुरक्षण की जिम्मेवारी अपनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु नीतिगत निर्देश जारी करने; संस्थाओं को अपने सांविधिक सीमा क्षेत्र की सीमाओं में अध्ययन केन्द्र

सीमित करने; दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से पीएचडी की अनुमति देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय की समीक्षा करने तथा नए सम-विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति न देने; सबंद्ध कॉलेजों/फ्रेंचाइजी केन्द्रों के माध्यम से सम-विश्वविद्यालय संचालित करने पर प्रतिबंध लगाने; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने; रोजगार एवं शिक्षा दोनों ही उद्देश्यों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई तथा नियमित प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई डिग्रियों को समकक्षता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो

1544. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में एएआईबी संबंधी आदेश-पत्र को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और देश में उक्त ब्यूरो को कब तक प्रचालित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की स्थापना मंत्रालय के दिनांक 30.07.2012 के आदेश के तहत की गई है और इस समय यह प्रचालनिक है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के कार्य विमान (दुर्घटना तथा घटना अन्वेषण) नियम, 2012 में परिभाषित किए गए है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:—

— अपने स्वयं के अधिकारी या इनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त करना।

— समितियों तथा न्यायालयों को जांच तथा प्रशासनिक कार्य में आवश्यकतानुसार सहयोग करना।

— न्यायालयों तथा जांच समितियों की रिपोर्टें प्राप्त करना तथा उन पर कार्य करना।

— न्यायालयों तथा जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना कि संबंधित एजेंसियों द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

— संरक्षा में संवर्धन के लिए नई प्रौद्योगिकी शामिल किए जाने सहित समय-समय पर आयोजित सुरक्षा अध्ययनों के आधार पर संरक्षा सिफारिशें तैयार करना।

शिक्षा-संस्थाओं में रैगिंग

1545. श्री उदय सिंह :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैगिंग रोकने के सरकार के अनुदेशों के बावजूद कई संस्थाओं में अब भी रैगिंग करने की सूचना प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) वारंगल, सहित देशभर में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में घटित रैगिंग के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रैगिंग के ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें छात्रों की जान गई या वे घायल हुए; और

(घ) इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान 34 कथित रैगिंग की घटनाओं की जानकारी मिली है। जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जानकारी दी गई है, मामलों की जांच करने पर कोई

भी मामला रैगिंग का नहीं पाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), वारंगल ने सूचना दी है कि इस संस्थान में रैगिंग की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जानकारी दी है कि चार मामलों में चोट या मृत्यु हुई है। तथापि, जांच करने पर यह पाया गया कि ये चारों मामले रैगिंग से संबंधित नहीं थे। चोट या मृत्यु आंतरिक झगड़ों, दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर, 2012 में इस मंत्रालय को योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली से एक और मामले की जानकारी मिली थी, जिसमें रैगिंग का मामला दर्ज किया गया था तथा इस घटना में शामिल सात विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया था।

(घ) देश में रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय दंत परिषद्, सभी ने रैगिंग-रोधी विनियम अधिसूचित किए हैं। इनमें रैगिंग-रोधी विनियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कड़े प्रावधान है। अकादमिक सत्र आरंभ होने से पहले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों को संस्था की रैगिंग-रोधी समिति में भाग लेने और रैगिंग के मामलों में तत्काल कठोर कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। इस मंत्रालय ने एक रैगिंग-रोधी हैल्पलाइन स्थापित की है, जो 15 जून, 2009 से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति रैगिंग के मामलों की सूचना देने के लिए इस टोल-फ्री हैल्पलाइन को फोन कर सकता है। यूजीसी ने *www.antiragging.in* पर एक रैगिंग-रोधी पोर्ट आरंभ किया है जो 26 जुलाई, 2012 से काम कर रहा है।

[हिन्दी]

भाषाओं का लुप्तप्राय होना

1546. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुचित ध्यान न देने के कारण कई प्राचीन भाषाएं लुप्तप्राय हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्राचीन भाषाओं की संख्या कितनी है जिनका वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जब से भारत सरकार ने रिकॉर्ड रखना आरंभ किया है, कोई प्राचीन भाषा लुप्त नहीं हुई है। भाषा 'प्राचीन भाषा' के रूप में तब मानी जाती है जब उस पर 5वीं शताब्दी एडी से पहले लिखित सामग्री (शिलालेख सहित) उपलब्ध हो। तद्नुसार, संस्कृत और तमिल 'प्राचीन भाषाएं' कही जा सकती हैं। इस समय ये दो 'प्राचीन भाषाएं' प्रचलित हैं और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं। भारत सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति और महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की स्थापना की है। इसके अलावा, विभिन्न संस्कृत विद्यालयों से संबद्ध 1057 संस्कृत कॉलेज/केन्द्र हैं जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संस्कृत और तमिल के संवर्धन हेतु यूजीसी और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार ने शास्त्रीय तमिल के संवर्धन और संरक्षण हेतु केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई की भी स्थापना की है।

विदेशी पायलट

1547. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रहे विदेशी पायलटों का एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय पायलटों की तुलना में विदेशी पायलटों को दी जा रही उपलब्धियों के बीच कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पायलटों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए किसी अकादमी की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विभिन्न कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी पायलटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

एयरलाइन	विदेशी पायलटों की संख्या
एयर इंडिया	21
जेट एयरवेज	86
स्पाइस जेट	63
ब्लू डॉर्ट	08
इंडिगो एयरलाइंस	50
एलायंस एयर	11
गैर-अनुसूचित प्रचालक	85

(ख) और (ग) पायलटों का वेतन, परिलब्धियां आदि संबंधित एयरलाइनों का आंतरिक प्रशासनिक मामला है। सरकार एयरलाइनों के इस प्रकार के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(घ) पायलओं की भर्ती तथा प्रशिक्षण उन एयरलाइनों का विशेषाधिकार है, जिन एयरलाइनों द्वारा पायलटों को नियुक्त किया जाता है। तथापि, लाइसेंसधारक पायलटों को अपने लाइसेंसों की वैधता बनाए रखने के लिए वायुयान नियमावली, 1937 तथा इसकी अनुसूची-II के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

यूआईडी के आंकड़ों का खो जाना

1548. **श्रीमती प्रिया दत्त** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा संग्रहित बायोमेट्रिक आंकड़े सहित भारी संख्या में आंकड़े खो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने आंकड़े खोने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएओई) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय डाक/भारत के महापंजीयक इत्यादि के साथ भागीदारी कर आधार परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इन भागीदारों द्वारा पंजीयकों के लिए बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा संग्रहण करने हेतु, जिसे बाद में आधार तैयार करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए यूआईडीएआई के साथ साझा किया जाता है फील्ड पर नामांकन करने हेतु नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति की जाती है। यूआईडीएआई ने उन्हें मानकीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए हैं। फील्ड एजेंसियों द्वारा अपलोड किए गए डेटा की डिक्रिप्टिंग करके उसके संपूर्णता की जांच की जाती है और कोई डेटा जो इस संपूर्णता मानदंड को पूरा नहीं करता, उसे कार्रवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार के सभी मामलों में निवासी को पुन: नामांकित किया जाता है। आधार के सफलतापूर्वक तैयार होने पर ही यूआईडीएआई द्वारा पंजीयकों को भुगतान किया जाता है।

फ्लाईंग स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी

1549. **श्री बाल कुमार पटेल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)/नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रियायत दर प्रदान करते समय दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए न-लाभ-न-हानि के आधार पर देश में विभिन्न फ्लाईंग स्कूलों को चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामत: राजकोष को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने देश में लाभ और हानि के आधार पर चलने वाले देश के विभिन्न फ्लाईंग स्कूलों द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता लगाया गया है तथा सरकार से एएआई के उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने इन स्कूलों को प्रणाली से छेड़छाड़ की अनुमति दी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीवीसी द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) फ्लाईंग स्कूलों से हानि की वसूली के लिए तथा भविष्य

में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग – (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने नागर विमानन मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को इस मामले की जांच-पड़ताल करने और यथाशीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व में नागर विमानन महानिदेशालय के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था और अन्वेषण/जांच-पड़ताल लंबित होने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें पुन: बहाल किया गया था। उड़ान स्कूलों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय शुल्क लगाने के मुद्दे की जांच करने के लिए मंत्रालय द्वारा चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी का आकलन

1550. **प्रो. रामशंकर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और श्रम बल का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) ऐसा आकलन करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी है। योजना आयोग गरीबी रेखा को एक मानदंड के रूप में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर परिभाषित करता है। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2009-10 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में लगाया गया है। देश में 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 29.8% अनुमानित की गई है।

योजना आयोग बेरोजगारी और श्रम बल संबंधी डेटा एकत्र नहीं करता है। तथापि, इस प्रकार का डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण द्वारा पंचवर्षीय आधार पर एकत्र किया जाता है।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय मानक वाले विश्वविद्यालय

1551. **श्री हरिभाऊ जावले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकादमिक और अनुसंधान में विश्वस्तरीय मानक के उद्देश्य से नवाचार हेतु विश्वविद्यालयों को स्थापित करने वाले विधायी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई विशेष प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्तवों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने 'अनुसंधान तथा नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक' को तैयार किया है, जिसे दिनांक 21.05.2012 को संसद में पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान तथा नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन करने की व्यवस्था करना है। विधेयक की एक प्रति *http://164.100.24.21/BillsTexts/LSBill Tests.asintroduced/61 2002 LS ENG.pdf* पर उपलब्ध है।

(ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने, सार्वजनिक वित्त-पोषित प्रणाली में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए एक स्थान के रूप में महाराष्ट्र में पुणे की अनंतिम रूप से पहचान की है।

(घ) इस समय, कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि संसद में विधेयक पारित होने पर ही इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना है।

अहमदाबाद हवाईअड्डे पर सीपीसी

1552. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए केन्द्र (सीपीसी) हेतु भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेंसी का ब्यौरा क्या है जिसे भूमि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सीपीसी सुविधा शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु सरकार/एएआई के पास कोई अनुरोध लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(ग) से (ङ) मैसर्स गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएआईसीएल) के अनुरोध पर अहमदाबाद हवाईअड्डे पर सेंटर फॉर पैरिशेबल कार्गो (सीपीसी) सुविधा की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा सेंटर फॉर पैरिशेबल कार्गो (सीपीसी) नीति के अंतर्गत आवंटित की गई थी। मैसर्स गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भूमि निदेशालय के बीच एक करार पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। मैसर्स गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीपीसी सुविधा के प्रचालन तथा प्रबंधन की आऊटसोर्सिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अनुरोध किया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मौजूदा सीपीसी नीति के अनुसार अनुमेय नहीं है।

आईजीआई हवाईअड्डे से यात्रियों के सामान की चोरी

1553. श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीने के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से यात्रियों के सामान की चोरी के कितने मामले दर्ज हुए तथा इस संबंध में अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) चोरी की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा उक्त प्रत्येक मामले में चोरी हुए सामान का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सामानों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं के संदर्भ में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इंडिया की सामान की ट्रॉली ऐसे समय खुली होती है जब अन्य एयरलाइनों की ट्राली बंद होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार/एयर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) पर यात्रियों के सामान की चोरी के 22 मामले दर्ज किए गए हैं और इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इन मामलों तथा चोरी किए गए सामान के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने विभिन्न एवीएसईसी विमानन सुरक्षा आदेश/परिपत्र जारी किए हैं जिनमें सामान, कार्गो, खान-पान, विमान की सुरक्षा के लिए तथा हवाईअड्डे पर सीसीटीवी मॉनीटरिंग के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना हेतु सुरक्षा स्टाफ को तैनात किए जाने के लिए प्रावधान है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमान प्रचालक द्वारा यात्री सामान की सुरक्षा हेतु भी आदेश जारी किए हैं। एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ बैगेज ब्रेकअप/मेकअप क्षेत्र तथा विमान होल्ड क्षेत्र में तैनात किए गए हैं और यह स्टाफ यात्री सामान को लोड करते समय तथा उतारते समय भी उपस्थित रहते हैं। सामानों की सभी ट्रालियों को आगमन विमान से लेकर बैगेज ब्रेकअप क्षेत्र तक तथा प्रस्थान की स्थिति में बैगेज मेकअप क्षेत्र से विमान तक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यात्रियों के

सामान की किसी प्रकार की चोरी/उठाईगिरी की घटना से बचने के लिए कड़ी निगरानी की जाती है। एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ द्वारा औचक जांचें भी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण बैगेज संचलन क्षेत्र तथा कन्वेयर बेल्ट सीसीटीवी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की निगरानी के अंतर्गत रहता है।

(घ) और (ङ) वाइड बॉडी वाले विमानों में सभी के यात्री सामानों को बंद कंटेनरों में लोड किया जाता है, जिन्हें सील करके और प्रस्थान विमान तक सुरक्षा कार्मिकों की निगरानी में भेजा जाता है। नैरो बॉडी वाले विमानों के मामले में, सामान्य ट्रालियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हें सुरक्षा कार्मिकों की निगरानी में भेजा जाता है।

विवरण

सामान के चोरी के मामलों तथा उनके अनुमानित मूल्य का ब्यौरा

क्र. सं.	एफआईआर संख्या	धारा	चोरी की संपत्ति का अनुमानित मूल्य	हिरासत में लिए गए
1	2	3	4	5
1.	267/12	379 आईपीसी	350 यूरो, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड 2,000/- रुपये	2
2.	285/12	379/411 आईपीसी	3,200-4,000 अमेरिकी डॉलर	1
3.	299/12	379 आईपीसी	20,000/- रुपये	—
4.	333/12	379 आईपीसी	जेवरात, लैपटॉप, कुछ कपड़े	—
5.	342/12	379 आईपीसी	11,400 अमेरिकी डॉलर	—
6.	347/12	379 आईपीसी	1 एप्पल एमएसी बुक, लैपटॉप, 21 फोन	—
7.	355/12	379 आईपीसी	1 हैंड बैग	1
8.	360/12	379 आईपीसी	1 लैपटॉप — एचपी	—
9.	375/12	379 आईपीसी	1 डिजीटल कैमरा — सोनी, 2,000/- अमेरिकी डॉलर	—
10.	377/12	379 आईपीसी	1 फोन एप्पल 3 जीएस, आई पैड एप्पल तथा 200 अमेरिकी डॉलर	3
11.	385/12	379 आईपीसी	सोने की चेन, सोने की अंगूठी	—
12.	07/13	379 आईपीसी	पर्स जिसमें 1300-1,350 और 1500/- रुपये नगद थे	—
13.	08/13	379 आईपीसी	नगद तथा अन्य वस्तुओं से भरा बैग	—
14.	13/13	379 आईपीसी	बैग से आई-पैड निकाला गया	—
15.	14/13	379 आईपीसी	पर्स जिसमें 2300/- रुपये, पहचान-पत्र तथा ड्राईविंग लाइसेंस था	—

1	2	3	4	5
16.	16/13	379 आईपीसी	2 सोने की चेन – लगभग 21, हीरे के सेट-1, लगभग 260000 रु., 1 गोल्ड अनकट डायमंड सेट – लगभग 250000 रु., एक सोने का सेट – लगभग 15000 रु., 1 सोने का कड़ा – 50,000 रु., 8 लाख रुपये	–
17.	19/13	379 आईपीसी	एक लैपटॉप और कुछ कपड़े	–
18.	21/13	379 आईपीसी	2 ब्लैक बेरी मोबाइल फोन, एक पैड, 1 निकॉन कैमरा, सोने की चूड़ी – लगभग 80000 रु., 30000 रु. नगद तथा कुछ कपड़े	2
19.	24/13	379/411 आईपीसी	एक लैपटॉप	–
20.	29/13	379 आईपीसी	सूटकेश 2000 अमेरिकी डॉलर, सोनी का कैमरा	–
21.	30/13	379 आईपीसी	9200 अमेरिकी डॉलर	–
22.	53/13	379 आईपीसी	सोने के कड़े-2 तथा कान की बालियां, सोने की एक जोड़ा पोलकी कनकोक्कट क्लायमोनेक सेट	–

विमानों के संचालन के विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर

1554. श्री संजय निरुपम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ानों के प्रचालन में वृद्धि के कारण यातायात प्रबंधन क्षमता एयर ट्रैफिक कंट्रोल विशेष रूप से कुछ महानगरीय हवाईअड्डों पर बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रन-वे, टैक्सी-वे और तकनीकी क्षेत्र में वायुयानों के संचालन के विश्लेषण के लिए एक सॉफ्टवेयर ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में यातायात प्रबंधन क्षमता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को रनवे, टैक्सीवे आदि पर व्यस्तता समय का विश्लेषण करने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर उपकरण की आवश्यकता है। इस समय रनवे तथा टैक्सीवे पर विमान संचलन समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक उन्नत सतह संचलन दिशा-निर्देश तथा नियंत्रण प्रणाली (एएसएमजीसीएस) का प्रयोग किया जा रहा है। उन्नत सतह संचलन दिशा-निर्देश तथा नियंत्रण प्रणाली (एएसएमजीसीएस) नियंत्रक को भूमि पर विमान संचलन की स्थिति से अवगत कराने के लिए राडार सेंसरों, मल्टीलेटरेशन (एमएलएटी) सेंसरों तथा स्वचालित आश्रित निगरानी-ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी) के बहु-स्रोत निगरानी डाटा को संयोजित करना है।

उन्नत सॉफ्टवेयर टूल रनवे, टैक्सीवे तथा तकनीकी क्षेत्र में विमान संचालन समय का सटीक परिकलन तथा विश्लेषण करने में सहायक होगा।

(ङ) देश में यातायात प्रबंधन क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:–

– यातायात के प्रवाह तथा प्रबंधन में सुधार करने के लिए हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन (एटीएफएम) प्रणाली।

– महाद्वीपीय वायुक्षेत्र के उन भागों को कवर करने के लिए जो इस समय राडार निगरानी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, के लिए नौ नए राडारों को संस्थापित किया गया है, इससे नियंत्रकों की स्थितिगत जागरुकता बढ़ेगी।

– निगरानी अंतरों को कवर करने तथा नियंत्रकों की स्थितिगत जागरुकता में वृद्धि करने के लिए 14 स्थलों पर एडीएस-बी संस्थापित किए गए हैं।

– व्यस्ततम यातायात घंटों के दौरान भीड़भाड़ वाले सिविल वायुक्षेत्र में यातायात व्यस्तता को कम करने के लिए सिविल तथा रक्षा वायुक्षेत्र के बीच में वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग की पद्धति आरंभ की गई है।

– हवाई यातायात में तीव्रता लाने तथा इसके बेहतर प्रबंधन के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नै, हैदराबाद तथा कोलकाता हवाईअड्डों पर कार्यनिष्पादन आधारित दिक्चालन (पीबीएन) प्रणाली आरंभ की गई है और त्रिवेन्द्रम तथा बेंगलुरु हवाईअड्डों पर भी इस प्रणाली को आरंभ किया जा रहा है।

फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

1555. **श्री एम.बी. राजेश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के सहयोग से चल रहे सभी सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में मुक्त सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने एवं उसका संवर्धन करने के मुख्य उद्देश्य से अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास, एफओएसएस परियोजना और जागरुकता फैलाने के लिए निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एनआरसीएफओएसएस) के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया है। कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में सी-डैक चेन्नै/हैदराबाद/दिल्ली/मुम्बई, आईआईटी मद्रास/बॉम्बे और अन्ना विश्वविद्यालय में स्थापित अपने केन्द्रों के साथ एनआरसीएफओएसएस वर्तमान में अपने दूसरे चरण में है।

व्यापक भारतीय भाषाओं की सहायता से इस केन्द्र ने जीएनयू/लाइनक्स आधारित भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन्स (बीओएसएस) के रूप में नामित प्रचालन प्रणाली तैयार की है। बीओएसएस को *http://bosslinux.in* से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। बीओएसएस की सीडी भी निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध है। बीओएसएस को लोकप्रिय बनाने एवं उसको अपनाने के लिए पूरे देश में बीओएसएस सहायता केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में सरकार की सभी सरकारी सहायता प्रदत्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यक्रमों में निःशुल्क सॉफ्टवेयर कार्यान्वित करने की कोई योजना नहीं है।

तथापि, उपर्युक्त (क) और (ख) में बताए अनुसार सरकार देश में प्रयोक्ताओं को इनफॉर्म्ड च्वायसेस हेतु सक्षम बनाने के लिए देश में निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का संवर्धन करने एवं उसके संबंध में जागरुकता फैलाने का व्यर्य कर रही है:–

– इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी राज्य सरकारों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बीओएसएस लाइनक्स के संभव परियोजनाओं के लिए पत्र लिखा है।

– विभिन्न अनुप्रयोगों में बीओएसएस के कार्यान्वयन के लिए सी-डैक ने सीएचआईपीएस छत्तीसगढ़, त्रिपुरा सरकार, बिहार सरकार, एनआईसी और ईएलसीओटी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

– देश में एफओएसएस के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु सी-डैक एवं अन्य एनआरसीएफओएसएस-II एजेंसियां कार्यशाला/सेमिनार/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

– पंजाब/हरियाणा के विद्यालयों/छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना एवं तमिलनाडु में बीओएसएस

लाइनक्स/एडुबीओएसएस परिनियोजित कर चुकी/कर रही है।

दूरसंचार प्रचालकों का अभियोजन

1556. **श्री एन. कृष्टप्प : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीआई ने, जैसा कि प्रिंट मीडिया में आया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव से अग्रणी दूरसंचार-प्रचालक पर अभियोजन चलाने पर उनकी राय मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीआई द्वारा अपने सभी मामलों में इसी मानक परिपाटी को अपनाया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य एजेंसियों से उनके विचार के लिए संपर्क करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जिन महत्वपूर्ण मामलों में निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अभियोजन निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की राय भिन्न-भिन्न होती है उन मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भारत के विद्वान महान्यायवादी की राय मांगने हेतु संदर्भ भेजे जा सकते हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइटों की निगरानी

1557. **श्री पी.आर. नटराजन :**

श्री आर. थामराईसेलवन :

श्री रामकिशुन :

डॉ. पी. वेणुगोपाल :

श्री अर्जुन राम मेघवाल :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेसबुक, ऑर्कुट, यूट्यूब, टिवटर आदि सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से साइबर अपराध/हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन साइटों की विषय-वस्तुओं की निगरानी करने और साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार साइबर हमलों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड बनाने हेतु किसी कार्य योजना पर कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य देशों द्वारा साइबर हमलों को नाकाम करने के लिए उठाए गए/उठा जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) यह पाया गया है कि विद्वेषपूर्ण प्रयोजनों और साइबर हमले/साइबर अपराध करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन वेबसाइटों का उपयोग लक्षित प्रयोक्ताओं या प्रयोक्ताओं के वर्ग को व्यक्तिगत सूचना देने के लिए विद्वेषपूर्ण लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमला-वार नए प्रयोक्ताओं के समूहों में शामिल होने तथा सूचना एकत्र करने के लिए नकली या पता न लगाए जा सकने वाले प्रोफाइल तैयार करते हैं। इस सूचना का इस्तेमाल सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को धोखा देने तथा पहचान की चोरी तथा फिशिंग हमले करने के लिए किया जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइटों का इस्तेमाल मालवेयर फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। प्रयोक्ताओं के परस्पर विश्वास का उपयोग प्रयोक्ताओं को विद्वेषपूर्ण यूआरएल के लिए लिंक्स पर क्लिक करने और मालवेयर सन्निहित फाइलें खोलने हेतु लुभाने के लिए भी किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी उन्नति का लाभ उठाते हुए मालवेयर जैसे ट्रोजन प्रयोक्ताओं के सिस्टम में डिलिवर किए जा रहे हैं। मालवेयर जैसे कूषफेस, बंकोरकुट स्क्रेपकुट आर्कुट वार्म, बैकडोर-सईपी जो प्रयोक्ताओं की सूचना चोरी करते हैं और धोखे से उसका इस्तेमाल करते हैं, के संबंध में सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए प्रचार किए जाने की सूचना थी।

जब भी यह पाया जाता है कि ऐसा मालवेयर सोशल नेटवर्किंग के जरिए फैल रहा है तो भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) विशिष्ट मालवेयर पर चेतावनी जारी करता है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया साइटों के जरिए होने वाली साइबर अपराध

की घटनाओं पर जनता, विशेषकर युवा लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया साइटों की सूचना सामग्री की निगरानी के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) साइबर सुरक्षा सीमाहीन और ट्रांसनेशनल है। तद्नुसार, साइबर सुरक्षा मामलों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सरकार के मुख्य फोक्स क्षेत्रों में से एक है। इस बारे में सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों का निर्धारण करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) साइबर हमलों को रोकने तथा साथ ही घटनाओं पर तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहा है।

(ङ) सामान्यतया, साइबर हमला रोकने के लिए दूसरे देशों द्वारा उठाए जा रहे कदमों/उपायों में कानूनी ढांचा बनाना, साइबर खतरों का आकलन करना, संवेदनशीलता प्रबंधन, पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, अनुपालन और आश्वासन, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, सूचना बांटना तथा सहयोग और शिक्षा एवं जागरुकता शामिल है।

भाषाओं के लिए आवंटन

1558. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भाषाओं के विकास के लिए निधियां आवंटित की हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो पाली सहित तत्संबंधी राज्य-वार और भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक इस प्रयोजन के लिए व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस हद तक प्रत्येक भाषा को लाभ हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न भाषा संस्थाओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं लेकिन ये भाषा-वार आवंटित नहीं की जाती। तथापि, विशिष्ट भाषा संस्थाओं को आवंटित निधियां केवल उसी भाषा के विकास पर खर्च की जाती हैं। भाषा संस्थाओं द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं योजना के प्रथम वर्ष (2012-13 के दौरान खर्च की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रुपए)

क्र. सं.	भाषा संस्थाएं	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी 2013 तक)
1.	हिन्दी	1819.25	1711.45	2036.42	2145.09	2360.84	2521.54
2.	संस्कृत	3701.40	5097.86	6279.88	6453.87	7147.41	5163.50
3	सिन्धी	87.83	131.90	149.91	113.10	238.24	183.62
4	तमिल	400.92	446.64	861.99	1016.31	822.19	717.68
5	उर्दू	1916.21	1922.00	2014.00	2821.49	3753.00	3700.00
6	अन्य	1251.33	1535.66	1197.39	1154.50	1699.07	1758.06
7	पाली	0.50	0.50	42.66	56.57	52.41	32.09
-	कुल	9177.44	10846.01	12582.25	13760.93	16073.16	14076.49

(घ) इन भाषाओं के संवर्धन से हुए लाभ गिने नहीं जा सकते।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

1559. श्री शिवराम गौडा :
श्री के.पी. धनपालन :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :
श्री ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए/स्वीकृत किए गए नए आईआईटी पर हुए व्यय का आईआईटी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; तथा इन आईआईटी की मौजूदा स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) देश में संचालनरत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र.सं.	संस्था का नाम	राज्य
1	2	3
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उत्तर प्रदेश
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	महाराष्ट्र
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	उत्तराखंड
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असम
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़	पंजाब
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर	गुजरात
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	ओडिशा
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	राजस्थान
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	बिहार
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर	मध्य प्रदेश
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी	हिमाचल प्रदेश

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए/संस्वीकृत किए गए नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आईआईटी-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियां निम्नवत् है:—

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पिछले तीन वर्षों में जारी निधि (करोड़ रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	आईआईटी, गांधीनगर	12.50	23.00	35.52
2.	आईआईटी, रोपड़	20.00	25.34	37.55
3.	आईआईटी, जोधपुर	36.00	50.00	66.22
4.	आईआईटी, भुवनेश्वर	37.50	45.38	104.83
5.	आईआईटी, हैदराबाद	45.22	62.13	120.00
6.	आईआईटी, मंडी	17.00	05.00	64.00
7.	आईआईटी, पटना	52.50	20.00	162.80
8.	आईआईटी, इंदौर	27.78	19.15	47.47

8 नए आईआईटी में से 6 आईआईटी हैदराबाद, पटना, राजस्थान, भुवनेश्वर, रोपड़, गांधीनगर ने प्रत्येक बी.टेक. पाठ्यक्रमों में लगभग 120 विद्यार्थियों के दाखिले के साथ शैक्षिक वर्ष 2008-09 से कार्य संचालन आरंभ किया और आईआईटी इंदौर और मंडी में कार्य संचालन प्रत्येक बी.टेक. पाठ्यक्रमों में लगभग 120 विद्यार्थियों के दाखिले के साथ शैक्षिक वर्ष 2009-10 में आरंभ हुआ। प्रत्येक नए आईआईटी के लिए 30 संकाय पद प्रतिवर्ष स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक नए आईआईटी की आवश्यकतानुसार 99 तक गैर-संकाय पदों की संस्वीकृति दी गई है। प्रत्येक आईआईटी के लिए निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है और शासी बोर्ड का गठन कर लिया गया है। सभी आठ नए आईआईटी वर्तमान में अस्थायी परिसरों से कार्य कर रहे हैं। उनकी स्थायी परिसर के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सौंप दी गई है।

[हिन्दी]

विद्यालय से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर

1560. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन का लिंग-वार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों स्तर पर छात्र-छात्राओं दोनों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लिंग-वार, कक्षा-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर मुख्यत: विद्यालयों में शौचालय न होने के कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) 2008-09 (अनंतिम), 2009-10 (अनंतिम) और 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कक्षा I-V में नामांकित छात्रों का राज्य-वार और लिंग-वार ब्यौरा संलग्न विवरवण पर दिया गया है। 2011-12 के लिए छात्रों के नामांकन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) 2009-10 (अनंतिम) और 2010-11 (अनंतिम) के दौरान देश में कक्षा I-V और कक्षा I-X की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की लिंग-वार दर नीचे दी गई है:—

कक्षा	पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर					
	2009-10 (अनंतिम)			2010-11 (अनंतिम)		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
I-V	30.0	27.3	28.9	28.7	25.1	27.0
I-X	53.4	52.0	52.8	50.4	47.9	49.3

(घ) और (ङ) बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की दर का मुख्य कारण आर्थिक रूप से लाभवंचित, घर के भीतर और बाहर कार्य की अधिकता, भाई-बहन की देखभाल और स्कूलों में अवसंरचना और सुविधाओं का अपर्याप्त होना है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु सतत् रूप से प्रगति कर रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन कार्यढांचा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके और प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिकाओं के बीच का अंतर कम किया जा सके। स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, महिला अध्यापकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, नि:शुल्क

पाठ्य-पुस्तकें, नि:शुल्क वर्दियां, बालिकाओं के अलग शौचालय और बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अध्यापक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक आवासीय स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था है। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि करने की दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य महिला-पुरुष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।

विवरण

कक्षा I-V में नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3607168	3515193	3626594	3510697	3633364	3491576
2.	अरुणाचल प्रदेश	109614	99899	112473	104372	117254	108725
3.	असम	2195154	2117008	1462640	1460074	1462640	1460074
4.	बिहार	7426620	5774381	7756205	6151593	8076775	6857499
5.	छत्तीसगढ़	1875810	1745524	1678226	1556684	1677674	1553940
6.	गोवा	65240	59514	66969	60312	66380	60529
7.	गुजरात	3390061	3169903	3515393	3066746	3515393	3066746
8.	हरियाणा	1118172	1084837	1183564	1002815	1206621	1077634
9.	हिमाचल प्रदेश	340561	306318	327272	295926	327804	297714
10.	जम्मू और कश्मीर	677710	610337	662907	611967	662907	611967
11.	झारखंड	2669969	2581109	2785633	2678635	2546408	2469401
12.	कर्नाटक	2859996	2682420	2820488	2639555	2801529	2613045
13.	केरल	1241607	1193329	1235286	1189792	1191088	1144456
14.	मध्य प्रदेश	6127662	5652470	6127662	5652470	5413583	5243899
15.	महाराष्ट्र	5503324	4900422	5484159	4880672	5489880	4892921

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	192296	179598	192153	179506	190448	178506
17.	मेघालय	228238	231476	235043	237610	257243	257811
18.	मिजोरम	90880	83533'	74191	67472	78542	72059
19.	नागालैंड	145894	140341	113801	106003	113801	106003
20.	ओडिशा	2349164	2233038	2308957	2184342	2291043	2167135
21.	पंजाब	962546	802213	1394959	1108880	1394959	1108880
22.	राजस्थान	4849763	4106203	4727309	4071647	4349247	3819370
23.	सिक्किम	41410	39956	41364	39808	41364	39808
24.	तमिलनाडु	3165310	2983101	3190190	3010266	3140426	2969793
25.	त्रिपुरा	237837	225684	228125	216391	201347	193071
26.	उत्तर प्रदेश	12800194	12368619	12779554	12294351	14933338	13901967
27.	उत्तराखंड	571138	537138	567922	532217	567181	526967
28.	पश्चिम बंगाल	4196578	4119345	5087639	4978465	3646369	3605173
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17996	17196	17553	16689	17114	16302
30.	चंडीगढ़	46559	38304	45407	38352	46186	39802
31.	दादरा और नगर हवेली	19763	18287	20739	19041	20881	19151
32.	दमन और दीव	11490	9647	9637	8192	9148	7994
33.	दिल्ली	897235	788278	904651	795288	920149	810974
34.	लक्षद्वीप	3488	3558	3381	3380	3046	2890
35.	पुदुचेरी	57445	54243	57056	54531	57295	54737
	भारत	70093892	64472422	70845102	64824741	70468427	64848519

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उद्योग

1561. श्री रवनीत सिंह :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की तुलनात्मक वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 29 श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लागू संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) को अधिसूचित किया है तथा इसका विचार देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता कलस्टर स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई तथा देश में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के समवर्द्धन हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि सृजित करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए/दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) देश में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुणने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-09 में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण प्रणाली डिजाइन (ईएसडीएम) की मांग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और इसके वर्ष 2020 तक 22% की वृद्धि दर से 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। गत वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

वर्ष	इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन (करोड़ रुपए)	वृद्धि % (वर्ष दर वर्ष आधार पर)
2009-10	110,720	13.8
2010-11	128,870	11.40
2011-12*	143,300	11.20

*(अनुमानित)

(ख) और (ग) सरकार ने 27 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 24(10)/2010-आईपीएचडब्ल्यू द्वारा 29 ईएसडीएम वर्टिकल पर लागू संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) अधिसूचित की है। इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण सेक्टर के लिए एमएसआईपीएस को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एमएसआईपीएस स्कीम के अंतर्गत दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सरकार ने 22 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 8(50)/2011-आईपीएचडब्ल्यू द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना अधिसूचित की है। एमएसआईपीएस के लिए ब्राउनफील्ड इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर अधिसूचित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर की स्थापना के लिए पांच आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण उद्योग की स्थापना करने के मसौदा एनपीई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैक्षिक जगत/अनुसंधान और विकास संस्थानों को उपयुक्त निधियन/औद्योगिक प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर नवोदभवन, इंडियन आईपी, अनुसंधान और विकास, उत्पाद विकास, उत्पादों के वाणिज्यीकरण इत्यादि को बढ़ावा देकर एक इलेक्ट्रॉनिकी विकास को (ईपीएफ; की स्थापना करना एक मुख्य प्रयास है।

देशी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम); क्षेत्र के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एनपीई) 2012 की अधिसूचित किया है। यह नीति देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैश्विक प्रतियोगी ईएसडीएम उद्योग के सृजन की परिकल्पना करती है। ईएसडीएम उद्योगों में समस्याओं को खत्म करने और निवेशक आकर्षित करने के लिए

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) ईएसडीएम क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर (ईएमसी) योजना: उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित माल को वरीयता देने की नीति जिसका देश के लिए और सरकारी खरीद में सुरक्षा निहितार्थ हो; और विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए योजना जैसे नीति को भागों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों की समीक्षा

1562. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के स्तर के संबंध में उनकी कोई आवधिक समीक्षा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षाओं में विश्वविद्यालय-वार क्या-क्या खामियां पाई गई हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उच्च शिक्षा की गुणवत्ता/स्तर सुधारने के लिए सरकार/यूजीसी द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि यह देश में सम-विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों के कार्यों की आवधिक समीक्षा आयोजित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2009 में विशेषज्ञ समितियों की समस्या से 124 सम-विश्वविद्यालयों की व्यापक समीक्षा आयोजित की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों ने अवसंरचना, संकाय, प्रत्यायन, अनुसंधान इत्यादि के पैरामीटरों पर सम-विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया। कुछ सम-विश्वविद्यालयों के कुछ पहलुओं में कमियां पाई गई थीं। विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टें वेबसाइट *http:www.ugc.ac.in/subpage/UGC-Expert-Committee-Reports-DU.aspx* पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और धारा 12ख में शामिल करने से पूर्व प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय की व्यापक समीक्षा भी करता है।

भारत सरकार ने मौजूदा सम-विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2009 में एक समीक्षा समिति गठित की थी। इस समीक्षा ने 39 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-क (जारी रखने के लिए पात्र); 44 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-ख (कुछ पहलुओं में कमियां, जिन्हें तीन वर्ष की समय-सीमा के भीतर दूर किया जा सकता है) तथा 44 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-ग (जारी रखने के लिए अपात्र) के रूप में वर्गीकृत किया है। 44 अपात्र पाई गई संस्थाओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया है तथा यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित सांविधिक परिषद् के सहयोग के निरीक्षण किया जाता है। 138 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति पहले ही 53 निजी विश्वविद्यालयों का दौरा कर चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दौरा करने वाली समितियों की रिर्पोर्टें पर *http://www.ugc.ac.in/privatuniversity.aspx.* उपलब्ध हैं।

उक्त समीक्षाओं के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मंत्रालय भी समय-समय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हैं।

(ग) और (घ) उच्चतर शिक्षा का गुणवत्ता संवर्धन और मानकों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार द्वारा सेमेस्टर प्रणाली, पाठ्यचर्या को नियमित अद्यतन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली आदि को शुरू करने के लिए उपाय किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण मानकों में सुधार करने के लिए "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ताएं तथा उच्चतर शिक्षा में

मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय 2010" विनियम जारी किए हैं। शिक्षकों और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन छात्रों को छोड़कर जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान किए जाने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी पूरी की है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा अनिवार्य अपेक्षाएं बना दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, जो एक स्वायत्त निकाय है, गुणवत्ता के विभिन्न मानदंडों पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का प्रत्यायन करती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का प्रत्यायन अनिवार्य बनाने के लिए विनियम जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पत्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों एवं शिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ करने सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शुल्कों में वृद्धि

1563. **श्री संजय दिना पाटील :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बढ़ाई जाने वाली संभावित राशि सहित इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने शुल्क वृद्धि का इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, गरीब छात्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से गरीब छात्रों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं होने के कारण उनके शुल्क ढांचे के संशोधन सहित अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा गठित सभी समितियों ने शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शुल्कों को अर्थपूर्ण स्तरों तक संशोधित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी संस्थाओं में शिक्षा लागत के साथ सह-संबंध स्थापित किया जा सके। गरीब विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए इसने यह भी सिफारिश की है कि मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने के अतिरिक्त शुल्क में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का एक हिस्सा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को नि:शुल्कता प्रदान किए जाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित 12वीं योजना में भी युक्तिसगत एवं संघारणीय स्तर तक शुल्कों में बढ़ोत्तरी करने की अभिकल्पना की गई है।

जेएनएनयूआरएम के तहत प्रस्ताव

1564. **श्री संजय धोत्रे :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री हरिन पाठक :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्री के. सुधाकरण :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री सी. शिवासामी :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री पी. कुमार
श्री पी. करूणाकरन :

श्री संजय निरूपम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए तथा कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत संस्वीकृत और जारी धनराशि का राज्य-वार, परियोजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के वाहन किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जेएनएनयूआरएम को अपना वांछित परिणाम लक्ष्य प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की/कर रही है; और

(च) क्या सरकार का जेएनएनयूआरएम में सुधार लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत स्वीकृत था राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) से प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

इस मिशन ने दिनांक 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। सरकार ने जेएनएनयूआर के अंतर्गत सुधारों और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष अर्थात् मार्च, 2014 तक अवधि बढ़ा दी है। सरकार ने दिनांक 17.1.2013 को नई परियोजनाओं पर दिनांक 31.03.2014 तक विचार करने एवं अनुमोदन करने हेतु अधिदेश दिया है।

जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन यूआईजी के अंतर्गत यूआईजी के दिशानिर्देशों के अनुरूप तकनीकी मूल्यांकन/अनुपालन और राज्य के लिए निधियों के उपलब्धता के अध्यधीन इन परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत/जारी धनराशि का राज्य परियोजना और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

इस मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण निम्नवत् है:—

शहरों/कस्बों/शहरी समूहों (यूए) की श्रेणी	अनुदान		शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) अथवा पैरा स्टेटल शेयर
	केन्द्रीय	राज्य	
2001 की जनगगना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह	35%	15%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से कम परन्तु एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू और कश्मीर में शहर/कस्बें/शहरी समूह	90%	10%	शून्य
उपरोक्त से भिन्न शहर/शहरी समूह	80%	10%	10%
समुद्र तट से 20 कि.मी. के बीच और अन्य शहरी क्षेत्रों जहां खारे पानी के कारण जल की कमी होती है और सतही स्रोत उपलब्ध नहीं है में विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना	80%	10%	10%

(घ) और (ङ) जी, हां। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन यूआईजी के अंतर्गत स्वीकृत 551 परियोजनाओं में से, 184 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III के रूप में संबंध है। सरकार ने राज्यों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए शीघ्र कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया है।

(च) जी, नहीं।

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन यूआईजी के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र प्रदेश का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		प्राप्त डीपीआर की संख्या	डीपीआर की संख्या	प्राप्त डीपीआर की संख्या	डीपीआर की संख्या	प्राप्त डीपीआर की संख्या	डीपीआर की संख्या	प्राप्त डीपीआर की संख्या	डीपीआर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	2	0	4	2	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	
3.	असम	0	0	1	0	0	0	0	
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	
5.	चंडीगढ़	1	1	0	0	0	0	0	
6.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	0	0	
7.	दिल्ली	1	20	0	1	1	0	0	
8.	गोवा	2	0	2	0	0	2	0	
9.	गुजरात	3	4	1	1	6	1	11	
10.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	2	1	0	
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	2	1	0	
13.	झारखंड	0	0	2	1	2	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	कर्नाटक	2	2	2	0	1	1	0	
15.	केरल	0	1	1	0	0	0	0	
16.	मध्य प्रदेश	2	2	1	1	1	0	1	
17.	महाराष्ट्र	9	2	1	0	1	1	20	
18.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	0	
19.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	
20.	मिजोरम	7	0	0	0	0	3	2	
21.	नागालैंड	1	1	1	0	3	1	0	
22.	ओडिशा	0	1	0	0	0	0	0	
23.	पंजाब	2	1	2	0	0	0	1	
24.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	
25.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	
26.	सिक्किम	2	1	0	0	0	0	0	
27.	तमिलनाडु	0	1	4	1	0	0	0	
28.	त्रिपुरा	2	1	0	0	0	0	0	
29.	उत्तर प्रदेश	4	4	0	0	0	0	0	
30.	उत्तराखंड	1	1	5	3	1	1	0	
31.	पश्चिम बंगाल	18	12	24	8	10	13	1	
	कुल	63	60	50	16	35	27	36	

*जेएनएनयूआरएम ने दिनांक 31.3.2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूर्ण कर लिया है और सरकार के निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए पूर्व में इस अवधि को दो वर्ष बढ़ाया था। अत: वर्तमान वर्ष में किसी भी नई परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया है। अब सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ नई परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए दिनांक 17.1.2013 को जेएनएनयूआरएम को मार्च, 2014 तक जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

विवरण-II

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में जारी एसीए प्रतिबद्धता और जारी निधियां

वित्त वर्ष 2009-10

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	उपयोग के लिए जारी एसीए
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुमाला बाइपास सड़क के पूर्वी और तिरुपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	1613.00	1290.00	323.00
2.	आंध्र प्रदेश	जीएचएमसी का व्यापक जलापूर्ति वितरण नेटवर्क तथा राजेन्द्र नगर म्यूनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन की पहचान करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	31426.00	9000.00	2500.00
3.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति नगर निगम के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	4556.00	3645.00	911.00
4.	चंडीगढ़	जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ को बढ़ाना	13421.00	10738.80	0.00
5.	दिल्ली	सीविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, मिन्टों, नई दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन परियोजना	9716.00	3400.60	0.00
6.	दिल्ली	रोड नं. 56 आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर पर निर्माण	9600.00	3360.00	840.00
7.	दिल्ली	नोएडा मोड़ फ्लाईओवर अर्थात् सिलिप रोड ब्रिज, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, और अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीवस का निर्माण	8818.00	3087.00	771.58
8.	दिल्ली	नन्द नगरी के समीप सड़क संख्या 68 पर रेलवे लेवल क्रासिंग पर आरयूबी और आरओबी	9800.00	3430.00	900.03
9.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किंग का विकास (एएल ब्लॉक, शालीमार बाग, शिव मार्किट पीतमपुरा, क्यूयू पीतमपुरा, सेंट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्मदपुर गांव, मालवीय नगर मार्किट,	46980.00	16443.00	4110.75

1	2	3	4	5	6
		पीवीआर बसंत लोक, पीवीआर साकेत, जी-8 राजौरी गार्डन, ब्लॉक-10 सुभाष नगर, सी-4 जनकपुरी, अजमलखां पार्क, करोल बाग, कृष्णा मार्किट कालकाजी, हौजरानी, न्यूफ्रैंड कालोनी, जंगपुरा, भोगल)			
10.	दिल्ली	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I, और II सेंट्रल जोन की सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण	861.00	5201.00	1300.34
11.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/ सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए अफ्रीका एवेन्यू से रिंग रोड़ तक नारोजी नगर में नाले को ढ़काना	5120.00	1792.00	448.00
12.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/ सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए पुलिस स्टेशन डिफैन्स कॉलोनी के पीछे एनड्रयूज गंज से रिंग रोड तक शेख समय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, ग्रेट कैलाश-1 से होकर गुजरने वाली प्रैस इन्वलेव सड़क से नल्ला को ढ़कना	23300.00	8155.00	2038.75
13.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में आरएमसी पेवमेंट (फेज-I) मुहैया कराकर 60 फुट आरओडब्ल्यू और इससे ऊपर की सड़क का सुधार	16510.00	5779.00	1444.63
14.	दिल्ली	शाहदरा (उत्तरी) जोन में एसएसबीएल (सहारनपुर-शामली ब्रांच लाइन) निकास का पुनर्थरुपेण	15226.00	5329.00	1332.28
15.	दिल्ली	ट्रंक सीवर का पुनर्स्थापन	25337.00	8868.00	0.00
16.	दिल्ली	अफ्रीका एवेन्यू और अरुण आसिफ अली रोड पर फ्लाईओवर	9161.00	3206	0.00
17.	दिल्ली	विवेकानन्द मार्ग, नेशनल मंडला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	9161.00	3206	0.00
18.	दिल्ली	मार्जिनल बंद रोड, गीता कॉलोनी, दिल्ली पर राजाराम कोहली मार्ग इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00

1	2	3	4	5	6
19.	दिल्ली	ईस्ट दिल्ली में शास्त्री नगर के समीप दीसूसर्द कैनाल पर मार्जिनल बंद रोड और मास्टर प्लान रोड के टी जंक्शन पर यातायात के निर्बाद संचालन के लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00
20.	दिल्ली	अप्सरा बॉर्डर के समीप जीटी रोड और सड़क संख्या 56 के जंक्शन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	14147.00	4951.00	0.00
21.	दिल्ली	वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा ब्रिज के यमुना नदी अनुप्रवाह पर ब्रिज और इसकी एप्रोच सड़कों का निर्माण	98071.00	34324.85	0.00
22.	दिल्ली	बारापुला नाला पर एलाइमेंट	97000.00	33950.00	0.00
23.	दिल्ली	राजघाट पावर स्टेशन पैकेज-II के पीछे के शालीमगढ़ फोर्ट तथा शालीमगढ़ फोर्ट से वैलोड्रम रोड पैकेज-I तक रिंग रोड बाइपास का निर्माण	40944	1433040	0.00
24.	दिल्ली	एनएच-24 क्रॉसिंग (नोएडा मोड) से चिल्ला रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश लिंग रोड का कॉरीडोर सुधार	25010	8753.50	0.00
25.	गुजरात	राजकोट शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2 भाग-2	19195.12	9000.00	2250.00
26.	गुजरात	अहमदाबाद में भद्रकिला का पुनर्द्धार	7439.00	2603.65	650.91
27.	गुजरात	बडोदरा शहर में कान्स का पुनर्वास विकसित करने के लिए बुनियादी सेवाएं (क) बरसाती पानी निकासी क्षेत्र (ख) जलआपूर्ति क्षेत्र	16789.88	8394.94	2098.73
28.	गुजरात	वडोदरा शहर के अजवा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अनुपूरक डीपीआर	3059.26	605.50	151.37
29.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिशिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरुद्धार	5474.00	3880.00	970.00
30.	कर्नाटक	बोमाना हली सिटी नगर पालिका परिषद् में भूमिका निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	2270.00	1176.00	294.00

1	2	3	4	5	6
31.	कर्नाटक	विरासत और विरासत मध्य में शहरी नवीकरण	3897.00	3117.60	789.00
32.	केरल	ब्राडवे एवं इरनाकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण परियोजना	2210.00	1105.00	276.25
33.	मध्य प्रदेश	महाकाल एवं गोपाल विरासत क्षेत्र का सुरक्षित संरक्षण एवं विकास	4739.00	3791.20	947.80
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बरसाती पानी निगस (ओमती नाला सहित) का डीपीआर	32649.00	16324.50	4081.12
35.	महाराष्ट्र	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-II	17182.92	8591.46	2147.87
36.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई के नवीं मुम्बई यूए में ठोस कचरा प्रबंधन	4986.86	1745.40	436.35
37.	मणिपुर	इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम	10250.13	9225.12	2306.28
38.	नागालैंड	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	5042.43	4538.19	1134.55
39.	ओडिशा	पुरी कस्बे के लिए ठोस बरसाती पानी व्यवस्था	7182.00	4500.00	1125.00
40.	पंजाब	वाल्ड सिटी क्षेत्र, अमृतसर के लिए मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का पुनर्स्थापन	4578.00	2289.00	572.25
41.	सिक्किम	वृहत गंगटोक के लिए कच्चे पानी की मुख्य लाइनों और जल शोधन संयंत्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण	7261 66	6535.49	1663.87
42.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर शहर नगर निगम में बरसाती पानी निकास प्रणाली (चरण-I)	17924.14	8962.07	2250.00
43.	त्रिपुरा	सीवरेज और जोन (प्राथमिकता-1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवरेज शोधन स्कीम	10221.00	9000.00	2250.00
44.	उत्तर प्रदेश	आगरा सीवरेज स्कीम पोर्ट-I	19592.00	9000.00	2250.00
45.	उत्तर प्रदेश	मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 और 7 में सीवरेज कार्य	18589.00	9000.00	2250.00
46.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी शहर के वरुणा क्षेत्र पार हेतु जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता-2)	20916.00	9000.00	2250.00

1	2	3	4	5	6
47.	उत्तर प्रदेश	मथुरा में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	6035.77	4500.00	1125.00
48.	उत्तराखंड	एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-1)	6283.00	4628.00	1157.00
49.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर में रघुनाथपुर से थुपचुरिया और अकंदारा से फुली ओर तक सड़क का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार	9492.26	4746.13	1186.53
50	पश्चिम बंगाल	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	4008.82	2004.41	501.10
51	पश्चिम बंगाल	30 एमजीडी थापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	21555.27	7544.34	1886.06
52	पश्चिम बंगाल	भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	31970.42	8739.65	2184.91
53	पश्चिम बंगाल	डलहोजी स्केवयर का पुनरूद्धार	2062.00	721.70	180.43
54.	पश्चिम बंगाल	बीधन नगर कोलकाता में निकास और सीवरेज परियोजना	2358.45	825.46	206.37
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता में बज बज नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	3480.16	1218.05	304.51
56.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम (फेज-3)	12681.40	6340.70	1585.18
57.	पश्चिम बंगाल	कुल्टी नगरपालिका, आसनसोल यूए के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	13370.60	6685.30	1671.33
58.	पश्चिम बंगाल	चंदाना घर नगरनिगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मिटरिंग	1369.41	479.29	119.82
59.	पश्चिम बंगाल	बेली नगर पालिका कोलकाता के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	13849.36	4847.28	0.00
60.	पश्चिम बंगाल	विधाना नगर निगम क्षेत्र के लिए बरसाती जल नालियां	1915.53	670.44	167.61
	कुल		894158.85	378751.72	62341.56

वित्त वर्ष 2009-10 में स्वीकृत उपरोक्त 60 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं जो अप्रैल, 2009 से पूर्व स्वीकृत कर गई थी।	330342.35
2009-10 में कुल जारी निधियां।	392683.81

1	2	3	4	5	6
		वित्त वर्ष 2010-11			
1	दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामतः नजफगढ, सपलीमेट्री एवं शाहादरा के साथ इंटरसेक्टर जीवन बिछाना	135771.00	47520.00	11880.00
2.	गुजरात	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	2631.04	2104.84	526.21
3.	झारखंड	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रयोजना	3336.24	1668.12	417.03
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर बीआरटीएस फेज-1 का रीवर साइड कॉरिडोर 14.30 किमी.	18000.00	9000.00	000
5.	तमिलनाडु	चेन्नई में कोयम्बटूर फेज-2 में अतिरिक्त 120 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	11610.00	4063.50	0.00
6.	उत्तराखंड	नैंनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	931.00	744.80	186.20
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	2698.00	2158.40	0.00
8.	उत्तराखंड	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	748.33	598.66	0.00
9.	पश्चिम बंगाल	कमरहाटी नगरपालिका कोलकाता के लिए बरसाती पानी निकासी स्कीम	6733.87	2356.85	591.24
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गौरिया तक बीआरटीएस-15.50 किमी.	25291.00	8851.85	2212.96
11.	पश्चिम बंगाल	पनीहटो नगरपालिका कोलकाता के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	24602.30	8610.81	2152.70
12.	पश्चिम बंगाल	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण	357.00	1139.95	284.99
13.	पश्चिम बंगाल	केएमए में बराकपुर कल्याणी – दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	51457.00	11009.95	2752.49
14.	पश्चिम बंगाल	काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से जोर मंदिर तक भूमोपरि कॉरिडोर	20658.85	7230.60	1807.65
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपर बगजोला नहर का सुधार	5131.12	1795.89	0.00

1	2	3	4	5	6
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर नगपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	3587.39	1255.59	0.00
	कुल		296444.14	110109.81	22811.47
	वित्त वर्ष 2010-11 में स्वीकृत उपरोक्त 60 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं जो अप्रैल, 2010 से पूर्व स्वीकृत कर गई थीं।				158438.04
	2010-11 में कुल जारी निधियां।				181249.51
		वित्त वर्ष 2011-12			
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	2329.00	1863.20	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (जीवीएमसी के सेंट्रल क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी सेक्टरों के बचे हुए क्षेत्र में 24 जल आपूर्ति का कार्यान्वयन	8349.00	4174.50	0.00
3.	गुजरात	पोरबन्दर मिशन शहर के लिए भूमिगत जल निकास (सीवरेज) परियोजना	11180.65	8944.52	0.00
4.	गोवा	पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण	362.25	289.80	72.45
5.	गोवा	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति	7121.83	5697.46	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिट्री ढलाव स्थल	1050.62	840.50	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	ग्रेट जम्मू शहर के डिविजन-क के बाकी बचे फेज-II के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	2032.03	1828.83	0.00
8.	कर्नाटक	चामराजेन्द्र जियोलॉजिक गार्डन में सतही और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	330.00	264.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	अंबरनाथ नगरपालिका परिषद् के लिए सीवरेज प्रणाली	10941.57	3829.55	0.00
10.	मिजोरम	शहरी सड़क फेज-I में सुधार और चौड़ा करना	3873.40	3486.06	0.00
11.	मिजोरम	वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौड़ा और सुधार करना	1907.64	1716.88	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	मिजोरम	आइजोल सिटी रिंग रोड से निकले छोटे मार्ग रूप में सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय	5309.32	4778.38	0.00
13.	नागालैंड	कोहिमा शहर फेज-I के लिए वर्षा जल निकास विकास स्कीम	4026.10	3623.49	905.87
14.	उत्तराखंड	राजभवन का पुनरुद्धार और संरक्षण	412.27	945.82	236.45
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता में उलबेरिया नगरपालिका के लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	12478.23	4367.38	1091.85
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका के वार्ड संख्या 5, 6, 7, 8 में घोष पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बैनर्जी रोड पर रेल ओवर ब्रिज-9 (आरओबी)	1293.00	452.55	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी रेलवे स्टेशन के पास बस टर्मिनल	650.69	227.74	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	आदी गंगा कोलकाता के शुरू में ईएम बाइपास कनेक्टर पर कमलगाजी इंटरसेक्शन पर चार लेन का फ्लाईओवर	10016.62	3505.81	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर में माया बाजार से होकर गम्मन ब्रिज से गांधी मोड़ (एनएच-2) तक रोड का सुधार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	7781.79	3890.89	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरसात के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	44547.77	15591.72	0.00
21.	पश्चिम बंगाल	टीआईटी गढ़ और खरदन, के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	19484.00	6819.40	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल में जुबली ढाबा से एससीओबी गेट तक सड़क का सुधार और 4 लेन तक चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण	4316.61	2158.30	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	बज ट्रंक रोड पर जिनजीरा बाजार और बाटानगर के बीच भूमोपरि रोड का निर्माण	25573.00	8950.55	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	नबादीगंटा औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र (एनडीआईटीए) के बाहरी क्षेत्र में कार्यालय बिल्डिंग/कैफिटेरिया सहित बस टर्मिनल का निर्माण	624.34	218.52	0.00

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	सोदेपुर से एमबी रोड तक बैरकपुर कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-II)	4433.49	1551.72	0.00
26	पश्चिम बंगाल	मध्यम ग्राम नगरपालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली	7204.37	2521.53	0.00
27	पश्चिम बंगाल	बरसातनगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षा जल निकास प्रणाली	8548.33	2991.92	0.00
	कुल		206947.92	95531.02	2306.62

वित्त वर्ष 2012-13 में स्वीकृत उपरोक्त 27 परियोजनाओं के अतिरिक्त उन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं जो अप्रैल, 2011 से पूर्व स्वीकृत कर गई थीं।	407464.42
2011-12 में कुल जारी निधियां।	409771.04

वित्त वर्ष 2012-13

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 189136.86 लाख रुपए की निधियां जारी कर दी गई हैं जो मार्च, 2012 तक अनुमोदित की जा चुकी थीं।

विवरण-III

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाएं प्रगति पर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52	20	32
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	3
3.	असम	2	0	2
4.	बिहार	8	0	8
5.	चंडीगढ़	3	0	3
6.	छत्तीसगढ़	1	0	1
7.	दिल्ली	23	8	15
8.	गोवा	2	0	2

1	2	3	4	5
9.	गुजरात	71	47	24
10.	हरियाणा	4	0	4
11.	हिमाचल प्रदेश	5	0	5
12.	जम्मू और कश्मीर	5	0	5
13.	झारखंड	5	0	5
14.	कर्नाटक	47	23	24
15.	केरल	11	0	11
16.	मध्य प्रदेश	23	9	14
17.	महाराष्ट्र	80	30	50
18.	मणिपुर	3	0	3
19.	मेघालय	2	0	2
20.	मिजोरम	4	0	4
21.	नागालैंड	3	1	2
22.	ओडिशा	5	1	4
23.	पंजाब	6	1	5
24.	पुदुचेरी	2	0	2
25.	राजस्थान	13	4	9
26.	सिक्किम	2	0	2
27.	तमिलनाडु	48	18	30
28.	त्रिपुरा	2	0	2
29.	उत्तर प्रदेश	33	4	29
30.	उत्तराखंड	14	1	13
31.	पश्चिम बंगाल	69	17	52
	कुल	551	184	367

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1565. श्री सज्जन वर्मा :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री एल. राजगोपाल :
डॉ. भोला सिंह :
डॉ. बलीराम :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री लालजी टन्डन :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री रवनीत सिंह :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में शहरी गरीबी में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में शहरी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई निधियों का स्कीम और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन स्कीमों के वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का स्कीम और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) वर्ष 2009-10 के लिए देश में शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे शहरी जनसंख्या की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा जारी की गई कार्य-प्रणाली पर आधारित गरीबी के अनुमानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2004-05 में 25.5% से घट कर 2009-10 में 20.09% हो गया है। वर्ष 2009-10 के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की शहरी जनसंख्या की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी बेरोजगार गरीबों और कम रोजगार प्राप्त गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दे कर तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित करने में प्रोत्साहन दे कर उनको लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र द्वारा सूचित किए गए अनुसार राज्य-वार लाभार्थियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 के लिए राज्यों द्वारा सूचित शहरी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की जनसंख्या तेंदुलकर पद्धति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	48.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80
3.	असम	11.20
4.	बिहार	44.80
5.	छत्तीसगढ़	13.60
6.	दिल्ली	22.90

1	2	3
7.	गोवा	0.60
8.	गुजरात	44.60
9.	हरियाणा	19.60
10.	हिमाचल प्रदेश	0.90
11.	जम्मू और कश्मीर	4.20
12.	झारखंड	24.00
13.	कर्नाटक	44.90
14.	केरल	18.00
15.	मध्य प्रदेश	44.90
16.	महाराष्ट्र	90.90
17.	मणिपुर	3.70
18.	मेघालय	1.40
19.	मिजोरम	0.60
20.	नागालैंड	1.40
21.	ओडिशा	17.70
22.	पंजाब	18.40
23.	राजस्थान	33.20
24.	सिक्किम	0.10
25.	तमिलनाडु	43.50
26.	त्रिपुरा	0.90
27.	उत्तराखंड	137.30
28.	उत्तर प्रदेश	7.50
29.	पश्चिम बंगाल	62.50
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00
31.	चंडीगढ़	0.90
32.	दादरा और नगर हवेली	0.30
33.	दमन और दीव	0.50
34.	पुदुचेरी	0.10
	कुल भारत	764.70

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2009-10 जारी	2010-11 जारी	2011-12 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3390.53	5226.02	6910.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.93	201.79	129.99
3.	असम	1478.03	2869.96	3274.79
4.	बिहार	895.12	2001.40	1579.36
5.	छत्तीसगढ़	881.30	1201.95	1921.96
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	1501.44	1928.53	3843.37
8.	हरियाणा	585.34	654.37	1597.70
9.	हिमाचल प्रदेश	12.15	50.00	109.54
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	135.21	293.30
11.	झारखंड	0.00	814.88	814.00
12.	कर्नाटक	3524.71	5376.04	4874.28
13.	केरल	948.13	474.03	1970.37
14.	मध्य प्रदेश	4087.96	5914.80	5719.08
15.	महाराष्ट्र	8075.96	10464.11	10304.04
16.	मणिपुर	461.88	448.43	399.65
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	369.51	641.66	514.74
19.	नागालैंड	277.13	419.06	269.06
20.	ओडिशा	1476.59	1650.75	2083.28
21.	पंजाब	0.00	0.00	2275.11
22.	राजस्थान	1311.76	2932.96	4187.60
23.	सिक्किम	46.19	194.84	44.84
24.	तमिलनाडु	3817.38	4267.63	6346.09
25.	त्रिपुरा	0.00	224.25	523.81
26.	उत्तराखंड	488.70	546.34	583.96
27.	उत्तर प्रदेश	6462.43	7224.67	11119.01
28.	पश्चिम बंगाल	1840.44	2169.31	5764.81
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	18.75	23.34
30.	चंडीगढ़	0.00	39.26	147.13
31.	दादरा और नगर हवेली	17.58	8.79	8.65
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	175.00
34.	पुदुचेरी	6.66	50.00	75.00
	कुल	42160.85	58149.79	77883.10

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष-वार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12		
		व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूडब्ल्यूएसपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूडब्ल्यूएसपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूडब्ल्यूएसपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	7389	1000	23914	9005	13500	26753	12259	687	67664
2	अरुणाचल प्रदेश	16	0	20	12	22	28	89	54	213
3	असम	472	0	420	90	36	470	126	80	1006
4	बिहार	0	0	0	0	0	17134	438	0	412
5	छत्तीसगढ़	1993	497	1083	1862	911	3701	2687	1895	10505
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	14	0	59
7	गुजरात	19324	70	23754	8015	3287	31517	8914	934	43179
8	हरियाणा	3348	1142	5495	1606	818	4724	1511	758	2440
9	हिमाचल प्रदेश	33	0	170	24	2	112	68	1	262
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	200	0	2356	85	3	1380
11	झारखंड	364	0	209	402	382	2874	81	35	438
12	कर्नाटक	3541	4757	15853	3527	4030	13397	5080	7263	26644
13	केरल	813	1680	2696	1065	1830	3190	1668	2252	5040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	मध्य प्रदेश	15232	1585	33088	16743	1079	31439	11724	1856	27586
15	महाराष्ट्र	6074	31501	40693	7449	34699	38669	6708	6764	56168
16	मणिपुर	8	0	3335	8	0	131	0	0	1283
17	मेघालय	24	0	47	52	0	154	0	0	0
18	मिजोरम	29	130	230	216	330	3145	359	400	2755
19.	नागालैंड	142	203	46	130	196	154	296	609	864
20.	ओडिशा	5907	2593	5697	5168	4338	3356	2851	3088	7364
21.	पंजाब	14	0	0	66	0	0	59	0	995
22.	राजस्थान	9404	11	5315	7305	48	3355	5727	220	9131
23.	सिक्किम	86	0	0	80	70	320	106	0	908
24.	तमिलनाडु	2065	1559	1224	3925	4660	7198	5755	5386	29656
25.	त्रिपुरा	200	0	1014	362	20	1586	253	180	1688
26.	उत्तराखंड	992	0	1744	904	10	2168	725	0	1890
27.	उत्तर प्रदेश	3145	265	15281	7402	2541	52419	4605	904	31846
28.	पश्चिम बंगाल	5024	17571	7049	4412	607	5878	6346	7065	24870
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43	0	1	43	0	0	65	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	112	2	124	429	15	616
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	5	0	60
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	ष0
33.	दिल्ली	95	30	109	2298	213	548	306	10	1230
34.	पुदुचेरी	306	400	44	497	926	276	478	56	741
	कुल	86083	64994	188531	82980	74557	257176	79817	40515	358893

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें

1566. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अक्षम और असंतोषजनक सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं से वर्ष-वार वे सेवा प्रदाता-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सेवा प्रदाता-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को बेहतर और संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिहाज से "ट्राई" संबंधी अधिनियम में संशोधन करके उसे और अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या मोबाइल टॉवरों की अपर्याप्त संख्या और कमजोर सिगनल-क्षमता असंतोषजनक दूरसंचार सेवाओं का प्रमुख कारण है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार अधिक मोबाइल टॉवर स्थापित करने और सिगनल-क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	सेवा प्रदाता								कुल
		बीएसएनएल	एमटीएनएल	भारती	टाटा	रिलायंस	वोडाफोन	आईडिया	अन्य	
1.	2009-10	859	309	1736	678	1000	881	425	370	6258
2.	2010-11	680	181	1305	404	821	680	453	405	4929
3.	2011-12	994	309	3969	955	2057	2471	1095	1076	12926
4.	2012-13 (से 31 जनवरी 2013 तक)	946	290	4402	2129	2261	2681	1307	1539	15555

(ख) ट्राई में प्राप्त वैयक्तिक उपभोक्ता शिकायतों को निदानार्थ संबंधित सेवा प्रदाता के पास भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) ट्राई ने सेवा प्रदाताओं द्वार उपभोक्ता शिकायत निदान के लिए कार्यतंत्र निर्धारित करने हेतु आधारभूत रूप से शक्तियों को प्रदान करने और ट्राई के विनियमों आदि का उल्लंघन करने से सेवा प्रदाताओं पर अर्थ दंड लगाने संबंधी अधिकार के बारे में ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव की समुचित जांच परख करने के बाद सरकार मसौदा विधेयक को उचित समय पर संसद में प्रस्तुत करेगी।

(ङ) और (च) 31 दिसंबर, 2012 को समाप्त तिमाही कार्य निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता सामान्यत: नेटवर्क संबंधी पैरामीटरों के लिए निर्धारित सेवा गुणवत्ता बेंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं।

ट्राई तिमाही कार्य निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से अपने द्वारा विनिर्धारित विभिन्न गुणवत्ता सेवा पैरामीटरों के लिए विनियत बैचमार्कों, स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सेवा गुणवत्ता जांच और मूल्यांकन एवं सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा के बारे में उपभोक्ता-अवबोध मूल्यांकन के आधार पर अनुवीक्षण करता है।

अनुवर्ती कार्रवाई अतिरिक्त मोबाइल टॉवरों (यदि कोई है) के संस्थापन सहित तकनीकी वाणिज्यिक मुद्दों पर आधारित संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाती है।

गैर-वाणिज्यिक गंतव्यों तक कनैक्टिविटी

1567. श्री अम्बिका बनर्जी :
श्री आधि शंकर :
श्री ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस विद्यमान नियम को समाप्त कर दिया है/समाप्त करने का प्रस्ताव किया है जिसमें घरेलू एयरलाइनों के लिए गैर-अर्थक्षम/गैर-वाणिज्यिक मार्गों पर कुछ उड़ानों को भरना अनिवार्य था और अलाभकारी मार्गों पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को सब्सिडी देने के लिए एक सब्सिडी निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे हवाई किराये पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या घाटे में चलने वाले मार्ग, लाभ कमाने वाले मार्गों की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घाटे में चल रहे मार्गों को लाभ कमाने वाले मार्गों के साथ संतुलन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। एयरलाइनों को अलाभकारी मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए अनिवार्य हवाई सेवा निधि के सृजन का प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) घरेलू सेक्टर में प्रचालनों पर से विनियमन हटा लिया गया है। इस प्रकार एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मंत्रालय एयरलाइनों के मार्ग-वार लाभ/हानि का ब्यौरा नहीं रखता।

[हिन्दी]

लड़कियों हेतु जागरुकता अभियान

1568. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लड़कियों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए प्रखंड स्तर पर जागरुकता अभियान प्रारंभ किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) इस अभियान से अनुमानतः कितनी लड़कियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह योजना देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्त्री-पुरुष संकेंद्रित हस्तक्षेप हेतु है। इस कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुदाय का समर्थन जुटाने पर विशेष जोर दिया जाता है और स्कूल, समुदाय और घर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए सहायक वातावरण प्रदान करता है। एक अन्य योजना जिसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीवी) है जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर, मुख्यतः लाभवंचित जैसे अनुसूचत जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) एनपीईजीईएल के तहत 2012-13 के लिए राज्य-वार आवंटित निधियां और 2012-13 हेतु केजीबीवी योजनाओं के तहत् क्रमशः 4.2 करोड़ और 3.68 लाख बालिकाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान एनपीईजीईएल और केजीबीवी के लिए आवंटित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केजीबीवी	एनपीईजीईएल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	60690.14	2563.585
2.	अरुणाचल प्रदेश	3484.13	12.930
3.	असम	1396.48	61.903
4.	बिहार	22012.94	4556.716
5.	छत्तीसगढ़	2553.75	1336.300
6.	दादरा और नगर हवेली	34.21	*
7.	गुजरात	4918.84	755.570
8.	हरियाणा	4193.32	243.350
9.	हिमाचल प्रदेश	137.95	44.700
10.	जम्मू और कश्मीर	5741.87	424.968
11.	झारखंड	6056.69	1689.020
12.	कर्नाटक	4653.18	806.593
13.	मध्य प्रदेश	10427.41	3364.615
14.	महाराष्ट्र	2397.19	326.638
15.	मणिपुर	1698.25	5.090
16.	मेघालय	694.77	*
17.	मिजोरम	27.25	4.130
18.	नागालैंड	1965.74	*
19.	ओडिशा	8061.11	1115.185
20.	पंजाब	1782.03	6.105
21.	राजस्थान	5961.78	1294.780
22.	सिक्किम	524.93	*
23.	तमिलनाडु	1543.21	486.670
24.	त्रिपुरा	204.36	6.410
25.	उत्तर प्रदेश	29164.29	4196.222
26.	उत्तराखंड	543.87	131.230
27.	पश्चिम बंगाल	3068.75	697.673
	कुल	183938.44	24130.383

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनपीईजीईएल स्कीम लागू नहीं हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल दूरसंचार सेवाएं

1569. श्रीमती सीमा उपाध्याय :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री पी. करूणाकरन :

श्री संजय सिंह :

श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री शिवराम गौडा :

श्री दिलीप सिंह जूदेव :

श्री महेश्वर हजारी :

श्री नलिन कुमार कटील :

श्रीमती ऊषा वर्मा :

श्री हर्ष वर्धन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने-अपने सेवा क्षेत्र में मूलभूत और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने में सेवा मानक गुणवत्ता स्तर को पूरा नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल-भूत तथा मोबाइल टेलीफोनों हेतु असंतोषजनक सेवाओं तथा खराब नेटवर्क के लिए दोनों कम्पनियों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या खराब टेलीकॉम नेटवर्क के कारण पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कम्पनियों से बढ़ी संख्या में मोबाइल उपभोक्ता इनको छोड़ चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने उपभोक्ता आए हैं तथा कितने उपभोक्ता बाहर गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए उदासीन रवैया अपनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दी है या करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सेवाओं में सुधार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं एवं नेटवर्क आवर्धन के लिए स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के बुनियादी टेलीफोन सेवा और मोबाइल टेलीफोन सेवा के कुछ उपभोक्ताओं को कभी-कभी सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ता है। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल की दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों का पालन कर रही हैं।

(ग) और (घ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) का कार्यान्वयन होने के बाद दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल से छोड़कर जाने वाले मोबाइल उपभोक्ता केवल 0.88% हैं और एमटीएनएल से बाहर जाने वाले उपभोक्ता 2.46% हैं।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल का वरिष्ठ प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:—

बीएसएनएल

- बिक्री तथा वितरण पद्धति को सुदृढ़ करना।
- विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण कैम्प।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों का पालन करने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी।
- "परियोजना स्माइल" के माध्यम से उपभोक्ताओं की देखभाल (कस्टमर केयर) में लगातार सुधार।
- विभिन्न आकर्षक टैरिफ प्लानों और विकसित बाजार रणनीतियों को लागू करना।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं, इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं और ब्रॉडबैंड आधारित मूल्य वधित सेवाओं जैसे वीडियो/गेम्स/म्यूजिक ऑन डिमांड आदि सहित मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान करना।

एमटीएनएल

- कन्वरजेंट बिलिंग को लागू करने की योजना। इस पद्धति से उपभोक्ताओं को सभी सेवाओं के लिए एक बिल प्राप्त होगा और इससे सेवाओं, प्रशुल्क आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के अनुरोधों का समाधान होगा।
- विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रशुल्क की समीक्षा।
- टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान को सुकर बनाने के उपाय करना।
- विभिन्न सेवाओं के लिए बुकिंग तथा लैंडलाइन और मोबाइल सेवा से संबंधित शिकातयों के लिए ऑनलाइन पद्धति।
- एमटीएनएल के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाएं जैसे नई सेवा के लिए पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए

डुप्लीकेट बिल, बिलों के भुगतान, वर्चुअल कॉलिंग कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए दिल्ली में संचार हाट तथा मुंबई में उपभोक्ता सेवा केन्द्र (सीएससीएस) हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने दूरसंचार नेटवर्क का संवर्धन करते हैं।

हवाई सेवाओं का विस्तारण

1570. **श्री भूपेन्द्र सिंह :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन विमानपत्तनों जिनके निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज तक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है के क्या नाम हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्ताव-वार क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में हवाई संपर्क सेवाओं में असंतुलन है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें, यदि कोई हो, प्राप्त हुई हैं और विभिन्न राज्यों में नागर विमानन सेवाओं में संतुलन बिठाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश के सभी विमानपत्तनों को हवाई सेवा द्वारा जोड़ने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जलगांव विमानपत्तन सहित नए विमानपत्तनों का विकास करने के लिए क्या योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) उन एयरपोर्टों से संबंधित विवरण, जिनके संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों/जन प्रतिनिधियों से विकास तथा अपग्रेडेशन के अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) देशी सेक्टरों पर प्रचालन डि-रेग्यूलेट किया गया है तथा उड़ानों का प्रचालन संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का पालन करने की शर्त पर अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है। सरकार द्वारा देश में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित, विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर बेहतर नियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। तथापि यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशानिर्देश का पालन करते हुए यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार किसी स्थान विशेष के लिए विमानन सेवाएं उपलब्ध कराएं।

भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में देश में 15 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्टों के विकास का अनुमोदन दिया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

गोवा में मोपा हवाईअड्डा।

महाराष्ट्र में नवीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा तथा सिंधु दुर्ग हवाईअड्डा।

कर्नाटक में गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा हवाईअड्डा।

केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय तथा अर्णमूला अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा।

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश में डाबरा हवाईअड्डा।

सिक्किम में पेक्योंग हवाईअड्डा (एएआई द्वारा विकसित)

पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा।

पुदुचेरी में करईकल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा।

(ङ) महाराष्ट्र में जलगांव एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एटीआर टाईप के विमानों के प्रचालन के लिए विकसित किया गया है। तथापि, इस एयरपोर्ट से/के लिए वर्तमान में कोई उड़ान परिचालन नहीं किया जा रहा है।

विवरण

उन हवाई अड्डों का विवरण जिनके विकास, विस्तार, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	हवाईअड्डों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. वारंगल	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है।
		2. विजयवाड़ा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है।
		3. कडप्पा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। भूमि सौंप दी गई है। परियोजना पूरी होने वाली है।
		4. तिरुपति	भूमि आंशिक रूप से सौंप दी गई है, शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
2.	जम्मू और कश्मीर	5. जम्मू (सीई)	राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण और सेना से भूमि हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।
3.	झारखंड	6. देवघर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
4.	कर्नाटक	7. बेलगाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
		8. हुबली	राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सौंप दी है। डीपीआर की तैयार की जा रही है।
5.	केरल	9. त्रिवेंद्रम	अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
6.	ओडिशा	10. झारसुगुडा	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
7.	पंजाब	11. भटिंडा (सीई)	न्यू सिविल एन्क्लेव स्थापित किया गया है।
		12. लुधियाना	राज्य सरकार द्वारा विस्तार और उन्नयन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी है।
		13. चंडीगढ़ (सीई) (मोहाली साईड)	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
8.	राजस्थान	14. किशनगढ़	राज्य सरकार द्वारा भूम अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		15. जोधपुर (सीई)	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
9.	तमिलनाडु	16. कोयंबटूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		17. तूतीकोरिन	राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है।
10.	संघ शासित क्षेत्र	18. अगाती	विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण और सीआरजैड क्लीयरेंस के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा है। 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और लैगून क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए अनुमति (20.84 एकड़) के लिए अनुरोध लक्षद्वीप प्रशासन को भेजा गया है।
11.		19. पुदुचेरी	हवाई अड्डे का विकास एटीआर-72 विमान प्रचालनों के लिए किया गया है और 17 जनवरी, 2013 से अनुसूचित प्रचालन चालू कर दिए गए हैं।

एयर इंडिया के पायलट

1571. श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री संजय धोत्रे :
श्री यशवीर सिंह
श्री अशोक अर्गल :
श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री नीरज शेखर :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया के पायलटों से क्षमता से कम कार्य लेने की घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश में प्रशिक्षित/अनुभवी पायलटों की कमी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं एयरलाइन-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामत: कितनी हवाई सेवाएं प्रभावित हुई/कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ङ) अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षित पायलटों की अनुमानित वांछित संख्या क्या है एवं इस आवश्यकता से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया के पायलटों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने एयर इंडिया छोड़ दिया तथा इसके लिए चिन्हित कारण क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि छ: बी747 विमान ग्राउंड होने के कारण इस विमान का प्रचालन करने वाले पायलटों की सेवाएं फिलहाल कम ली जा रही हैं।

(ग) देश में आवश्यकता के अनुरूप टाइप रेटेड कमांडरों की कमी है। ऐसा विमानन उद्योग के विकास तथा एयरलाइनों द्वारा अपने विमान बेड़े में नए विमान शामिल करने के कारण हुआ है। तथापि पर्याप्त मात्रा में सह पायलट उपलब्ध है और एयरलाइनों में नियुक्त हैं। कमांडरों की कमी को पूरा करने हेतु विदेशी पायलटों को दिनांक 1.12.2010 के सीएआर सेक्शन-7, फ्लाईट क्रू स्टेण्डर्ड, सिरिज-'जी' भाग-II के अनुसार वैधीकृत किया गया है। दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार घरेलू एयरलाइनों द्वारा नियुक्त किए गए पायलटों की संख्या निम्नानुसार है:

एयर इंडिया	—	21
एलाइंस एयर	—	11
जेट एयरवेज	—	86
इंडिगो एयरलाइन्स	—	50
स्पाईजेट	—	63
ब्लू डार्ट	—	08
गैर-अनुसूचित ऑपरेटर	—	85

(घ) नागर विमानन मंत्रालय/नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ऐसी जानकारी अनुरक्षित/संकलित नहीं की जाती है।

(ङ) अपनी प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एयरलाइनें पायलटों की भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है।

(च) और (छ) एयर इंडिया में जनवरी, 2012 से अब तक 5 पायलटों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है तथा 4 पायलटों से वैयक्तिक कारणों से त्यागपत्र दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में दस (10) पायलटों ने उक्त अवधि सेवा से त्याग किया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त स्पैक्ट्रम

1572. श्री देवेन्द्र नागपाल :
श्री खगेन दास :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री एन. कृष्टप :
श्री रमेश राठौड़ :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविदा सीमा से परे अतिरिक्त स्पैक्ट्रम हेतु प्रभारों संबंधी निर्णय को अंतिम रूप देकर कार्यान्वित कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त स्पैक्ट्रम रखने वाले कंपनियां कौन सी हैं;

(घ) अतिरिक्त स्पैक्ट्रम वाली कम्पनियों से वसूले गए या वसूले जाने वाले अतिरिक्त स्पैक्ट्रम प्रभारों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के प्रभारों को वसूलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इन्हें न चुकाने पर संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। आवश्यक आदेश 28.12.2012 को जारी किया जा चुका है। आदेश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जीएसएम स्पैक्ट्रम के संबंध में लाइसेंसधारकों के विरुद्ध एक बारगी स्पैक्ट्रम प्रभारों के कारण मांग उठाई गई है। एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभारों के कारण मांग का कम्पनी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम	राशि करोड़ में
1	2	3
1.	मैसर्स बीएसएनएल	6911.86
2.	मैसर्स एमटीएनएल	3205.71
3.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	5201.24
4.	मैसर्स एयरसेल लिमिटेड	1351.51
5.	मैसर्स बीपीएल लूप मोबाईल लिमिटेड	606.72
6.	मैसर्स डिशनेट	14.25

1	2	3
7.	मैसर्स आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड	1882.00
8.	मैसर्स आरटीएल	173.47
9.	मैसर्स स्पाईस कम्यूनिकेशन्स	231.50
10.	मैसर्स वोडाफोन लिमिटेड	3599.40
	कुल	23177.66

(ङ) मामला न्यायाधीन है।

विवरण

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी स्कंध

सं.पी-11014/19/2008-पीपी (भाग-I) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

आदेश

विषय: मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित जीएसएम/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए एक कालिक स्पेक्ट्रम प्रभार प्राप्त करना।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का अधिनियम सं.13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्र सरकार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज में धारित जीएसएम स्पेक्ट्रम के एक-कालिक स्पेक्ट्रम प्रभार की निम्नलिखित दरें निर्धारित करती है।

(i) 6.2 मेगाहर्ट्ज (जीएसएम) के अतिरिक्त धारित स्पेक्ट्रम के लिए दिनांक 01.07.2008 से दिनांक 31.12.2012 तक लागू दरें अनुबंध में दी गई अनुसूची दर के अनुसार होंगी।

(ii) 4.4 मेगाहर्ट्ज (जीएसएम) के अतिरिक्त धारित स्पेक्ट्रम के लिए दिनांक 01.1.2013 से लागू एक-कालिक प्रभार अनुबंध में दी गई अनुसूची दर के अनुसार होगा। यदि लाइसेंसधारक इसका भुगतान नहीं करना चाहते तो वे 4.4 मेगाहर्ट्ज के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को वापस कर सकते हैं।

(iii) दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान सेवा क्षेत्रों के संबंध में दिनांक 01.01.2013 से लागू 1800 मेगाहर्ट्ज की दरें अनंतिम हैं और नीलामी से निर्धारित दर उपलब्ध होने पर इन्हें इसके लिए समायोजित किया जाएगा।

(iv) 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सभी सेवा क्षेत्रों में इन दरों को नीलामी द्वारा निर्धारित दर उपलब्ध होने पर इसके लिए समायोजित किया जाएगा।

(v) एक से अधिक बैंड (900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज) में धारित स्पेक्ट्रम के मामले में अपफ्रंट प्रभार की गणना के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज की सीमा के संबंध में पहले 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में धारित स्पेक्ट्रम को गिना जाएगा।

(vi) इन दरों को समान अनुपात आधार पर लाइसेंस की शेष अवधि के लिए धारित स्पेक्ट्रम की लागू मात्रा के संबंध में वसूल किया जाएगा।

(vii) इन प्रभारों को वार्षिक आधार पर गैर-ब्याज आधारित अग्रिम राशि के रूप में माना जाएगा और नीलामी से निर्धारित की गई दर उपलब्ध होने पर इन्हें समायोजित किया जाएगा।

2. 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज बैंड के अतिरिक्त धारित सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए दिनांक 1.1.2013 से लागू एक-कालिक स्पेक्ट्रम प्रभार की दर के संबंध में आदेश अलग से जारी कर दिया जाएगा।

3. भुगतान की शर्तें:

लाइसेंसधारकों को 9.75% की दर से ब्याज पर विचार करते हुए लाइसेंस के शेष वर्षों के लिए (इस प्रकार कि भुगतान की जाने वाली अंतिम किस्त लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले आने वाले 12 कैलेंडर माह के बाद नहीं आए) समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ लाइसेंसधारकों को एक अथवा अधिक किस्तों के अग्रिम भुगतान अथवा बाद में भुगतान करने का विकल्प भी प्राप्त होगा।

4. उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2013 से लागू होगा।

5. इसे दिनांक 28.12.2012 की डायरी सं.1859-सलाहकार (वित्त) के जरिए दूरसंचार विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया गया है।

(आर.के. निरंजन)
सहायक बेतार सलाहकार, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. सचिव (टी), सभी सदस्य, दूरसंचार आयोग।
2. अध्यक्ष, ट्राई।
3. प्रमुख सतर्कता अधिकारी, दूरसंचार आयोग।
4. डीजी पीएंडटी, लेखा परीक्षा, दिल्ली।
5. वरिष्ठ डीडीजी (डब्ल्यूपीएफ), दूरसंचार विभाग।
6. वरिष्ठ डीडीजी (एएस), दूरसंचार विभाग।
7. निदेशक, बेतार अनुश्रवण संगठन, नई दिल्ली।
8. निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा, दूरसंचार विभाग।
9. सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विवरण

मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित जीएसएम स्पेक्ट्रम के लिए एकल-अवधि स्पेक्ट्रम प्रभार की दर/मेगाहर्ट्ज/वर्ष की अनुसूची

क्र.सं.	एलएसए	1800 मेगाहर्ट्ज बैंड		900 मेगाहर्ट्ज बैंड	
		"क"	"ख"	"ग"	"घ"
		01.07.2008 से 31.12.2012 की अवधि के लिए 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए दर/मेगाहर्ट्ज/वर्ष	01.01.2013 से आगे की अवधि के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए दर/मेगाहर्ट्ज/वर्ष	01.07.2008 से 31.12.2012 की अवधि के लिए 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए दर/मेगाहर्ट्ज/वर्ष	01.01.2013 से आगे की अवधि के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए दर/मेगाहर्ट्ज/वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.97	11.48	5.94	22.96
2.	असम	0.14	0.35	0.28	0.70
3.	बिहार	0.29	1.86	0.58	3.72
4.	दिल्ली	4.92	19.41	9.84	38.82
5.	गुजरात	3.14	8.99	6.28	17.98
6.	हरियाणा	0.62	1.86	1.24	3.72
7.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.31	0.06	0.62

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू और कश्मीर	0.06	0.25	0.12	0.50
9.	कर्नाटक	5.96	9.24	11.92	18.48
10.	केरल	1.17	2.61	2.34	5.22
11.	कोलकाता	2.25	4.55	4.50	9.10
12.	मध्य प्रदेश	0.50	2.16	1.00	4.32
13.	महाराष्ट्र	5.45	10.51	10.90	21.02
14.	मुंबई	5.87	19.00	11.74	38.00
15.	पूर्वोत्तर	0.06	0.35	0.12	0.70
16.	ओडिशा	0.14	0.81	0.28	1.62
17.	पंजाब	4.37	2.69	8.74	5.38
18.	राजस्थान	0.93	1.88	1.86	3.76
19.	तमिलनाडु	6.71	12.24	13.42	24.48
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1.30	3.05	2.60	6.10
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.88	4.30	1.76	8.60
22.	पश्चिम बंगाल	0.03	1.03	0.06	2.06

[हिन्दी]

निजी विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस का प्रवेश

1573. **श्री कामेश्वर बैठा :**
श्री भूदेव चौधरी :
श्री पूर्णमासी राम :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के मार्गनिदेशों के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए उनकी 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रावधान से राज्य-वार व वर्ष-वार अब तक कुल कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या देश और राजधानी के विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों ने आरटीई अधिनियम के उक्त मार्गनिदेश का पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) स्कूलों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रविधि अपनाई है; और

(च) उक्त प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से गरीबजनों को जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में व्यवस्था है कि विशिष्ट श्रेणी के स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल, कक्षा-I में (या पूर्व प्राथमिक में, जैसा मामला हो), उस कक्षा की संख्या की 25% सीमा तक कमजोर वर्ग और लाभ वंचित समूह से संबंधित पड़ोस के बच्चों को दाखिला देंगे और नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जब तक पूरी न हो, प्रदान करेंगे।

(ख) से (घ) स्कूलों द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के उपबंधों पर नजर रखने और कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसरण में देश के विभिन्न गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। देश भर के बहुत से गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) सहित विभिन्न उपबंधों को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की थीं। माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने 12 अप्रैल, 2012 के निर्णय में आरटीई अधिनियम की सांविधिक वैधता को मान्य ठहराया है।

(ङ) आरटीई अधिनियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण (एससीपीसीआर) आयोगों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के अधिकार की निगरानी के लिए और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की गई है।

(च) सरकार ने 'शिक्षा का हक अभियान' शीर्षक से 11 नवम्बर, 2011 से धारा 12(1)(ग) के अधीन उपबंधों सहित आरटीई अधिनियम के उपबंधों की सामुदायिक गतिशीलता और जनजागरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बच्चों, शिक्षकों और समुदाय सदस्यों के साथ स्कूल स्तर पर अन्त:क्रिया और इसके साथ-साथ मीडिया और संचार प्रयास शामिल हैं।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों का स्तरोन्नयन/नवीनीकरण/विस्तार

1574. श्री सुल्तान अहमद :

श्री वैजयंत पांडा :

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

श्री नामा नागेश्वर राव :

डॉ. रतन सिंह अजनाला :

श्री रवनीत सिंह

श्री एन. चेलुवरया स्वामी

श्री भूपेन्द्र सिंह :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने राज्यों में हवाई अड्डों के निर्माण/स्थापना/स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार नवीनीकरण के लिए कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अनुरोधों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं वर्तमान स्थिति का राज्य-वार और प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत देश में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों/मौजूदा हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन की स्वीकृति दी है/स्वीकृति देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति और लक्ष्य प्राप्ति की तारीख क्या है एवं कंपनियां यदि कोई कार्य में लगी हों, का ब्यौरा क्या है तथा इन पर स्थान-वार और राज्य-वार कितनी राशि व्यय हुई/व्यय होने की संभावना है;

(ङ) पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में हवाई अड्डों के निर्माण/विस्तार/स्तरोन्नयन/नवीकरण/विकास की स्थिति क्या है तथा ऐसे मामले कौन-कौन से हैं जहां परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा हवाई अड्डावार लंबितता के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उक्त परियोजनाओं के कार्यों को गति देने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए तथा देश में बंद पड़े हवाई अड्डों के नवीकरण/पुनर्विकास/दोबारा शुरू करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआईए) द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर शुरू की गई/की जा रही हवाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदित किया जा चुका है, उनका ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) एएआई के हवाईअड्डों के निर्माण/विस्तार/स्तरोन्नयन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है। राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा अपेक्षित भूमि को, निःशुल्क और सभी ऋणभारों से मुक्त, सौंपे जाने में विलम्ब, विभिन्न एजेंसियों की ओर से अपेक्षित क्लियरेंस हासिल करने में बाधाओं विलम्ब आदि की वजह से परियोजनाओं की प्रगति में विलम्ब होते हैं।

(च) एक समर्पित परियोजना दल द्वारा कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थल निरीक्षणों और समन्वय बैठकों में समीक्षा के जरिए स्थल पर नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता आश्वस्त (पीएमक्यूए) विभाग स्थापित किया गया। हवाईअड्डों पर जांच किए जाने के उद्देश्य से, अध्यक्ष, एएआई द्वारा हवाईअड्डे/एएआई मुख्यालय, नई दिल्ली में नियुक्त अधिकारियों/क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक द्वारा औचक जांचे किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विवरण-I

उन हवाई अड्डों का ब्यौरा, जिसके विकास, विस्तार, स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	हवाई अड्डे का नाम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	2009	किशनगढ़	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
2.	तमिलनाडु	2010	कोयंबटूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
		2010	तूतिकोरिन	राज्य सरकार भूमि अर्जित कर रही है।
4.	संघ शासित क्षेत्र	2010	अगाती	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण तथा सीआरजेड क्लीयरेंस के प्रस्ताव को संस्तुत कर दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है। 10 एकड़ भूमि के अर्जन तथा लागून क्षेत्र (20.84 एकड़) में निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध लक्षद्वीप प्रशासन को भेजा गया है।
5.	ओडिशा	2011	जम्मू झारसुगुडा	भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
6.	आंध्र प्रदेश	2011	तिरुपति	आंशिक भूमि सौंप दी गई है और शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
7.	पंजाब	2012	लुधियाना	विस्तार एवं स्तरोन्नयन के लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
8.	झारखंड	2012	देवघर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
9.	कर्नाटक	2012	बेलगाम	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
10.		2013	हुबली	राज्य सरकार द्वारा भूमि एएआई को सौंप दी गई है। डीपीआर तैयार की जा रही है।

विवरण-II

देश में 'सैद्धांतिक' रूप से अनुमोदन प्रदान किए गए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा राज्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	भारत सरकार ने मार्च, 2000 में गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। गोवा सरकार ने सूचित किया कि हवाईअड्डा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का प्रमुख भाग (1270 एकड़) पहले ही अधिगृहीत किया जा चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अवधारणा अभिकल्प, बोली दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन परामर्श दस्तावेज आदि तैयार करने और आवश्यक पर्यावर्णीय स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी है। इसके अतिरिक्त, गोवा के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का भी गठन किया गया है जो हवाईअड्डे के विकास के सभी पहलुओं की जांच करेगी।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार ने जुलाई, 2007 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से नवी मुम्बई हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियां आरंभ कर दी हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की कटाई व भराई द्वारा भूमि विकास, ईएचवीटी लाइनों का स्थान परिवर्तन, जल आपूर्ति, ऊर्जा आदि। 22.11.2010 को प्रमोटर द्वारा पर्यावरण तथा तटीय विनिमय जोन (सीआरजेड) क्लियरेंस प्राप्त की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन को सुलभ बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति यथा परियोजना मॉनीटरिंग तथा क्रियान्वयन समिति (पीएमआईसी) का गठन किया गया है।

1	2	3
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग	भारत सरकार ने सितम्बर, 2008 में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किय है। महाराष्ट्र सरकार ने इस हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एमआईडीसी द्वारा 271 हैक्टर भूमि अधिग्रहीत की गई है। आईआरबी सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा प्रा.लि. (आईएएसपीएल) इस हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए रियायतग्राही है। 21.12.2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त की गई है। हवाईअड्डा कंपनी ने कार्य आरंभ करने के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
4.	कर्नाटक में गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा एयरपोर्ट	गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा में हवाईअड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन किया गया है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: **शिमोगा** : राज्य सरकार तथा शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा.लि. (एसएडीपीएल) के बीच दिनांक 02.04.2008 को परियोजना विकास करार (पीडीए) किया गया था। एसएडीपीएल को 680 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही सौंपी जा चुकी है और रियायतग्राही तथा कर्नाटक राज्य सरकार के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। परियोजना पूर्ण होने के अंतिम स्तर पर है और इसके दिसम्बर, 2013 तक पूरा होने की संभावना है। **गुलबर्गा** : कर्नाटक राज्य सरकार तथा गुलबर्गा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा. लि. (जीएडीपीएल) के बीच पीडीए पर हस्ताक्षर हो गए हैं। डीएडीपीएल को अपेक्षित 670 एकड़ भूमि पहले ही सौंपी गई है। परियोजना पूर्णता के अंतिम स्तर पर है और इसके मई, 2013 तक पूरा होने की संभावना है। **हसन** : कर्नाटक सरकार ने हवाईअड्डे के विकास का कार्य मैसर्स जूपिटर एवियशन एण्ड लॉजिस्टिक लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना के लिए चिन्हित 960 एकड़ भूमि में से 536.24 एकड़ भूमि रियायतग्राही को सौंप दी गई है। 250 मीटर तक चार-दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। **बीजापुर** : कर्नाटक सरकार तथा मैसर्स मार्ग एविएशन प्रा.लि. के बीच हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए दिनांक 18.01.2010 को पीडीए पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह प्रस्तावित

1	2	3
		हवाईअड्डा परियोजना के स्थान परिवर्तन के लिए विचार कर रही है। स्थल को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा। इसलिए, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार, नए स्थान के लिए संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं नए सिरे से पूरी करना अपेक्षित है।
5.	केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	केरल में कन्नूर पर नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा केरल सरकार को जनवरी, 2008 में ''सैद्धांतिक तौर पर'' अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना को स्वयं बनाओ और प्रचालन करो (बीओओ) के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है। इस हवाईअड्डे के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया था। मैसर्स केआईएएल द्वारा इसके लिए 1278 एकड़ भूमि अर्जित की गई। एयर साइड निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) ठेका पहले ही परियोजना कंपनी को प्रदान कर दिया गया है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर, 2009 में ''सैद्धांतिक तौर पर'' अनुमोदन प्रदान किय गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाईअड्डे के विकास के लिए अर्हता हेतु अनुरोध जारी किया गया है।
7.	डाबरा हवाईअड्डा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के दतिया/ग्वालियर जिले में डाबरा पर कार्गो हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे के विकास का प्रस्ताव आरंभिक स्तर पर है।
8.	एएआई द्वारा सिक्किम में विकसित पाक्योंग हवाईअड्डा	सिक्किम में पेक्योंग पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्तूबर, 2008 में "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और इसके जून, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।
9.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के अन्दल-फरीदपुर ब्लॉक पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 को "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और इस कार्य की समाप्ति तिथि जुलाई, 2013 है।

1	2	3
10.	पुदुचेरी में कराइकल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	पुदुचेरी में कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथाकुडी तथा वारिचीकुडी राजस्व गांव के क्षेत्रीय स्थल पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा.लि. को फरवरी, 2011 में "सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया। यह परियोजना विकास के आरंभिक स्तर पर है।
11.	शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र	भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास निगम लि. (एमएडीसी) को काकड़ी गांव कोपारगांव तालुका, शिरडी के नजदीक, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में जुलाई, 2011 को एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा की स्थापना की अनुमति दी है। विकास कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है और इस कार्य की समाप्ति तिथि 2015 है।
12.	अरणमुला अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, केरल	भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को "सैद्धांतिक रूप" में अरणमुला, केरल में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की अनुमति दे दी। यह परियोजना विकास के आरंभिक स्तर पर है।

विवरण-III

उन्नयन/एएआई हवाई अड्डों के आधुनिकी
(प्रगति में काम)

क्रम सं.	हवाई अड्डे का नाम	कार्य का नाम	पीडीसी/ आरपीडीसी	28.2.2013 की यथास्थिति को प्रगति
1	2	3	4	5
	असम			
1.	गुवाहाटी	एलजीबीआई हवाईअड्डे, गुवाहाटी में हैंगर्स का निर्माण	दिसम्बर, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
1.	पोर्ट ब्लेयर	हैंगर, एनेक्सी बिल्डिंग, एप्रन और लिंक आदि टैक्सीवे का निर्माण	मार्च, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	आंध्र प्रदेश			
1.	कुडप्पा	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	अप्रैल, 2013	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
	चंडीगढ़			
1.	चंडीगढ़	एप्रन और संबद्ध कार्यों का विस्तार	जून, 2013	कार्य प्रगति पर है।
		चंडीगढ़ हवाई अड्डे (मोहाली साइड) में नई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास का टर्मिनल बिल्डिंग	फरवरी, 2015	कार्य प्रगति पर है।
	गोवा			
1.	गोवा	नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	मई, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	गुजरात			
1.	वडोदरा	नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	मार्च, 2014	कार्य प्रगति पर है।
	कर्नाटक			
1.	मंगलौर	मंगलौर हवाईअड्डा मंगलौर पर एटीसी टॉवर और तकनीकी ब्लॉक के निर्माण	अगस्त, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	मध्य प्रदेश			
1.	खजुराहो	नई एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (जोखिम एवं लागत)	अगस्त, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	महाराष्ट्र			
1.	गोंदिया	रनवे और समानांतर टैक्सी वे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	जून, 2013	कार्य प्रगति पर है।
2.	पुणे	पुणे हवाईअड्डा, पुणे में हैंगर तथा सीआईपी लाउंज एवं प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सितम्बर, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	मणिपुर			
1.	इम्फाल	एप्रन सहित लिंक टैक्सीवे का विस्तार	जून, 2013	कार्य प्रगति पर है।
		इम्फाल हवाईअड्डे पर नये अधिग्रहण की गई नई भूमि की चारदीवारी का निर्माण	अगस्त, 2013	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
		फायर स्टेशन का निर्माण और संबद्ध कार्य	जून, 2013	कार्य प्रगति पर है।
		सुरक्षा होल्ड क्षेत्र का विस्तार	मई, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	पंजाब			
1.	अमृतसर	अमृतसर एयरपोर्ट पर रनवे 34 से प्रारंभ टीडब्ल्यूआईएफ पर समानांतर टैक्सी ट्रैक	अक्तूबर, 2013	कार्य प्रगति पर है।
	राजस्थान			
1.	बीकानेर	टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन और कार पार्क का निर्माण	मई, 2013	कार्य प्रगति पर है।
2.	जयपुर	ई श्रेणी के वाईड बॉडी जेट विमान के परिचालन हेतु रनवे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण। जयपुर एयरपोर्ट पर कैट। लाईटिंग प्रणाली का प्रावधान	मार्च, 2015	कार्य प्रगति पर है।
	सिक्किम			
1.	पाक्यांग	पाक्यांग, सिक्किम में नए हवाई अड्डे का निर्माण, (एसएचः कटिंग तथा फिलिंग के लिए अर्थकार्य, जियोग्रिड रि-इनफोर्स्ड रिटेनिंग वाल, बाक्स कल्वर्ट, एयरोड्राम पेवमेंट इत्यादि सहित ड्रिनेज सिस्टम)	जून, 2014	कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

एयरपोर्ट मेट्रो का किराया

1575. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई दिल्ली से द्वारका तक एयरपोर्ट मेट्रो में लिया जा रहा किराया समान दूरी की अन्य लाइनों की अपेक्षा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त लाइन पर किराया निर्धारित करने के लिए सरकार और निजी ऑपरेटर द्वारा क्या मानदंड नियत किए गए हैं;

(घ) क्या अन्य लाइनों की तुलना में उक्त लाइन का प्रबंधन और सेवाएं निम्नतर गुणवत्ता की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एयरपोर्ट मेट्रो को रातभर चलाए जाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) एयर पोर्ट मैट्रो लाइन, दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) की अन्य सामान्य लाइनों से पूर्णतया भिन्न है क्योंकि इस लाइन में मुख्य रूप से चेक-इन और बैगेज बुकिंग की सुविधा के साथ-साथ सीटिंग व्यवस्था है। ट्रेनों में हैंड बैगेज के लिए भी अतिरिक्त स्थान है। तदनुसार आपरेटर के साथ रियायत करार के भाग के रूप में इसका भिन्न-भिन्न किराया है।

(ग) प्रारंभिक किराया रियायत करार (सीए) में निर्धारित किया गया था। सीए में दो वर्षों की समयावधि में होलसेल किराया सूची में परिवर्तन के 90 प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् किराया बढ़ाने का प्रावधान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। एयर पोर्ट लाइन पर ट्रेनों की जांच और अनुरक्षण तथा अन्य स्थापित प्रणालियों के लिए प्रतिदिन लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं तथा इसलिए रात्रि के समय में जब यातायात बहुत कम होता है, नियमित अनुरक्षण हेतु प्रचालन रोक दिया जाता है।

अध्यापक-छात्र अनुपात

1576. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री अर्जुन राय :
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनसीईआरटी द्वारा किए गए अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों का नामांकन तो बढ़ा है परंतु विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात गिरा है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोई विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में वर्तमान विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात क्या है;

(च) क्या उक्त सही अनुपात न रखने के प्रभावों का विनिर्धारण करने संबंधी अध्ययन में शिक्षा की गुणवत्ता भी निम्नस्तरीय पाई गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी अवसंरचना और अन्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कराए गए 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसईएस) और 8वें एआईएसईएस के अनंतिम (फ्लैश) आंकड़ों के अनुसार नामांकन और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार हुए हैं जैसाकि नीचे सारणी में दिए गए निष्कर्षों से सिद्ध होता है:—

स्कूल स्तर	7वां एआईएसईएस		8वां एआईएसईएस	
	कुल नामांकन	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर)	कुल नामांकन	विद्याथी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर)
प्राथमिक स्तर	12,29,15,301	42	12,79,61,668	32
उच्च प्राथमिक स्तर	4,68,45,845	34	5,61,48,622	31
माध्यमिक स्तर	2,18,88,888	30	2,86,38,101	28
उच्चतर माध्यमिक स्तर	1,14,37,883		1,62,46,063	

(ग) से (ङ) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ, में प्रत्येक स्कूल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमश: 40:1 और 35:1 का विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), 2011-12 के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात क्रमश: 31 और 29 है।

(च) और (छ) एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय अध्ययनकर्ता उपलब्धि सर्वेक्षणों के दो चक्रों में कक्षा-III, V और VII के बच्चों के सीखने की उपलब्धि में सुधार दर्शाए गए हैं। कक्षा-V के लिए हाल ही में कराए गए तृतीय चक्र के निष्कर्ष भी यह दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों में बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है।

(ज) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में तीन वर्ष की समय-सीमा में पड़ोस में स्कूल स्थापित करने, स्कूल अवसंरचना की व्यवस्था करने और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मानदंडों को पूरा करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. को सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामले

1577. **श्री नीरज शेखर :**
श्री यशवीर सिंह :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीबीआई को जांच के लिए सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में से भ्रष्टाचार के मामलों, जिनमें सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए गए, का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक सीबीआई द्वारा फाइल की गई क्लोजर रिपोर्टों का मामले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत वर्षों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का अनुपात अधिक रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2010, 2011 एवं 2012 तथा चालू वर्ष में 31.01.2013 तक सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 1997 मामले दर्ज किए हैं। ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन मामलों में सीबीआई ने पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में, आज तक समापन रिपोर्टें दाखिल की हैं इनसे संबंधित मामला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

वर्ष	सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की संख्या
2010	650
2011	600
2012	695
2013 (31.01.2013 तक)	52
कुल	1997

विवरण-I

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के ऐसे मामले जिनमें समापन रिपोर्टें दाखिल की गई हैं

वर्ष	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के ऐसे मामले जिनमें समापन रिपोर्टें दाखिल की गई हैं
2010	44
2011	38
2012	45
2013 (31.01.2013 तक)	2
कुल	129

2010

क्र.सं.	मामला संख्या	शाखा	मामला दर्ज करने की तिथि	मामला निपटाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आर.सी.0032008A0049	एसीबी, दिल्ली	17-11-2008	30-07-2010
2.	आर.सी.0032009A0020	एसीबी, दिल्ली	25-03-2009	30-12-2010
3.	आर.सी.0042009A0006	एसीबी, जम्मू	09-06-2009	27-04-2010
4.	आर.सी.0052009A0006	एसीबी, चंडीगढ़	31-03-2009	30-04-2010
5.	आर.सी.0052009A0010	एसीबी, चंडीगढ़	09-04-2009	30-04-2010
6.	आर.सी.0062007A0009	एसीबी, लखनऊ	11-04-2007	31-05-2010
7.	आर.सी.0082010A0008	एसीबी, भोपाल	24-06-2010	23-12-2010
8.	आर.सी.0102009A0001	एसीबी, कोलकाता	12-01-2009	03-03-2010
9.	आर.सी.0102009A0013	एसीबी, कोलकाता	20-04-2009	30-04-2010
10.	आर.सी.0102009A0014	एसीबी, कोलकाता	20-04-2009	26-07-2010
11.	आर.सी.0102009A0015	एसीबी, कोलकाता	20-04-2009	30-04-2010
12.	आर.सी.0102009A0047	एसीबी, कोलकाता	26-12-2009	29-06-2010
13.	आर.सी.0202009A0004	एसीबी, शिलांग	26-03-2009	30-06-2010
14.	आर.सी.0202009A0005	एसीबी, शिलांग	09-04-2009	30-06-2010
15.	आर.सी.0202009A0011	एसीबी, शिलांग	10-12-2009	17-05-2010
16.	आर.सी.0232009A0017	एसीबी, पटना	08-06-2009	29-06-2010
17.	आर.सी.0252009A0008	एसीबी, धनबाद	11-05-2009	28-06-2010
18.	आर.सी.0262009A0036	एसीबी, मुम्बई	05-10-2009	26-02-2010
19.	आर.सी.0262009A0048	एसीबी, मुम्बई	30-12-2009	31-08-2010
20.	आर.सी.0272009A0003	एसीबी, गोवा	13-04-2009	25-08-2010
21.	आर.सी.0302009A0013	एसीबी, जयपुर	08-06-2009	31-05-2010

1	2	3	4	5
22.	आर.सी.0312009A0004	एसीबी, जोधपुर	25-05-2009	30-06-2010
23.	आर.सी.0312009A0005	एसीबी, जोधपुर	25-05-2009	30-06-2010
24.	आर.सी.0312009A0006	एसीबी, जोधपुर	25-05-2009	30-06-2010
25.	आर.सी.0312009A0013	एसीबी, जोधपुर	30-11-2009	28-10-2010
26.	आर.सी.0352009A0008	एसीबी, हैदराबाद	09-06-2009	17-06-2010
27.	आर.सी.0372009A0014	एसीबी, बैंगलूर	22-07-2009	30-08-2010
28.	आर.सी.0422007A0002	एसीयू-वी, दिल्ली	27-04-2007	29-09-2010
29.	आर.सी.0422009A0001	एसीयू-वी, दिल्ली	13-02-2009	28-06-2010
30.	आर.सी.0582009S0006	एसीबी, चैन्नई	20-08-2009	26-11-2010
31.	आर.सी.0932009A0003	एएचडी, रांची	02-03-2009	26-03-2010
32.	आर.सी.0962009A0001	एसीबी, शिमला	30-03-2009	31-03-2010
33.	आर.सी.1202008A0006	एसीबी, गाजियाबाद	23-12-2008	15-03-2010
34.	आर.सी.1202009A0003	एसीबी, गाजियाबाद	09-06-2009	06-01-2010
35.	आर.सी.1212009A0004	एसीबी, पोर्ट ब्लेयर	04-09-2009	28-09-2010
36.	आर.सी.1242009A0002	एसीबी, भिलाई	30-04-2009	31-03-2010
37.	आर.सी.1242009A0003	एसीबी, भिलाई	30-04-2009	27-04-2010
38.	आर.सी.1242009A0007	एसीबी, भिलाई	31-07-2009	31-08-2010
39.	आर.सी.0092009A0009	एसीबी, जबलपुर	15-07-2009	30-12-2010
40.	आर.सी.0152009S0017	एसीबी, भुवनेश्वर	23-07-2009	21-03-2010
41.	आर.सी.0052004A0023	एसीबी, चंडीगढ़	28-09-2004	29-10-2010
42.	आर.सी.0202009A0011	एसीबी, शिलांग	10-12-2009	17-05-2010
43.	आर.सी.0352009A0008	एसीबी, हैदराबाद	09-06-2009	17-06-2010
44.	आर.सी.0062008A0020	एसीबी, लखनऊ	31-10-2008	02-02-2010

2011

क्र.सं.	मामला संख्या	शाखा	मामला दर्ज करने की तिथि	मामला निपटाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आर.सी.0032009A0044	एसीबी, दिल्ली	13-10-2009	31-10-2011
2.	आर.सी.0032009A0046	एसीबी, दिल्ली	10-11-2009	29-11-2011
3.	आर.सी.0032009A0047	एसीबी, दिल्ली	10-11-2009	29-11-2011
4.	आर.सी.0032009A0048	एसीबी, दिल्ली	10-11-2009	30-08-2011
5.	आर.सी.0032010A0007	एसीबी, दिल्ली	02-02-2010	30-09-2011
6.	आर.सी.0032010A0017	एसीबी, दिल्ली	14-05-2010	30-09-2011
7.	आर.सी.0032010A0021	एसीबी, दिल्ली	18-05-2010	30-11-2011
8.	आर.सी.0062010A0003	एसीबी, लखनऊ	22-01-2010	28-01-2011
9.	आर.सी.0082009A0018	एसीबी, भोपाल	06-10-2009	29-07-2011
10.	आर.सी.0082010A0011	एसीबी, भोपाल	29-09-2010	22-12-2011
11.	आर.सी.0082010A0012	एसीबी, भोपाल	29-09-2010	23-12-2011
12.	आर.सी.0082010A0016	एसीबी, भोपाल	31-12-2010	31-12-2011
13.	आर.सी.0082011A0002	एसीबी, भोपाल	03-02-2011	29-12-2011
14.	आर.सी.0102010A0034	एसीबी, कोलकाता	24-11-2010	30-12-2011
15.	आर.सी.0102010A0035	एसीबी, कोलकाता	24-11-2010	30-12-2011
16.	आर.सी.0172010A0008	एसीबी, गोवाहाटी	17-05-2010	29-06-2011
17.	आर.सी.0232010A0007	एसीबी, पटना	31-03-2010	10-03-2011
18.	आर.सी.0232010A0018	एसीबी, पटना	29-09-2010	17-06-2011
19.	आर.सी.0242010A0015	एसीबी, रांची	30-06-2010	30-08-2011
20.	आर.सी.0292010A0004	एसीबी, गांधी नगर	30-04-2010	31-05-2011
21.	आर.सी.0312010A0011	एसीबी, जोधपुर	29-09-2010	31-10-2011

1	2	3	4	5
22.	आर.सी.0322009A0010	एसीबी, चैन्नई	27-02-2009	21-12-2011
23.	आर.सी.0332009A0019	एसीबी, कोच्चि	31-12-2009	31-10-2011
24.	आर.सी.0332010A0008	एसीबी, कोच्चि	31-05-2010	31-10-2011
25.	आर.सी.0342011E0003	एसीबी, तिरुवनंतपुरम	31-05-2011	31-10-2011
26.	आर.सी.0352009A0012	एसीबी, हैदराबाद	01-09-2009	28-02-2011
27.	आर.सी.0352011A0009	एसीबी, हैदराबाद	08-04-2011	29-09-2011
28.	आर.सी.0462009A0002	एसीयू-वी III, दिल्ली	22-07-2009	28-02-2011
29.	आर.सी.0632010E0003	ईओयू-VII, दिल्ली	01-04-2010	12-05-2011
30.	आर.सी.0692010E0008	ईओडब्ल्यू, चैन्नई	18-05-2010	31-05-2011
31.	आर.सी.0732010E0006	ईओडब्ल्यू, कोलकाता	04-11-2010	25-11-2011
32.	आर.सी.0742010E0003	बीएसएफसी, दिल्ली	15-04-2010	31-03-2011
33.	आर.सी.0962009A0005	एसीबी, शिमला	23-11-2009	31-03-2011
34.	आर.सी.1152010E0003	ईओयू-IX, दिल्ली	01-04-2010	31-03-2011
35.	आर.सी.1152010E0005	ईओयू-IX, दिल्ली	01-04-2010	29-04-2011
36.	आर.सी.1202010A0008	एसीबी, गाजियाबाद	30-09-2010	31-05-2011
37.	आर.सी.0232010A0007	एसीबी, पटना	31-03-2010	29-01-2011
38.	आर.सी.1232010A0001	एसीबी, श्रीनगर	30-01-2010	25-02-2011

2011

क्र.सं.	मामला संख्या	शाखा	मामला दर्ज करने की तिथि	मामला निपटाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आर.सी.0032009A0024	एसीबी, दिल्ली	14-05-2009	31-08-2012
2.	आर.सी.0032011A0008	एसीबी, दिल्ली	25-07-2011	31-10-2012
3.	आर.सी.0062003A0019	एसीबी, लखनऊ	05-10-2003	06-07-2012

1	2	3	4	5
4.	आर.सी.0062012A0012	एसीबी, लखनऊ	19-04-2012	29-05-2012
5.	आर.सी.0082010A0017	एसीबी, भोपाल	31-12-2010	17-09-2012
6.	आर.सी.0102010A0017	एसीबी, कोलकता	21-05-2010	29-11-2012
7.	आर.सी.0242000A0013	एसीबी, रांची	15-11-2000	31-12-2012
8.	आर.सी.0252011A0005	एसीबी, धनबाद	19-04-2011	31-12-2012
9.	आर.सी.0262010A0026	एसीबी, मुम्बई	14-07-2010	31-05-2012
10.	आर.सी.0262011A0007	एसीबी, मुम्बई	18-02-2011	28-02-2012
11.	आर.सी.0262011A0016	एसीबी, मुम्बई	16-04-2011	30-03-2012
12.	आर.सी.0262011A0041	एसीबी, मुम्बई	14-11-2011	31-08-2012
13.	आर.सी.0262011A0043	एसीबी, मुम्बई	30-11-2011	31-12-2012
14.	आर.सी.0262012A0009	एसीबी, मुम्बई	23-02-2012	19-11-2012
15.	आर.सी.0262012A0014	एसीबी, मुम्बई	28-02-2012	30-06-2012
16.	आर.सी.0292010A0003	एसीबी, गांधी नगर	22-02-2010	31-10-2012
17.	आर.सी.0312011A0003	एसीबी, जोधपुर	31-05-2011	18-10-2012
18.	आर.सी.0312011A0005	एसीबी, जोधपुर	31-05-2011	12-06-2012
19.	आर.सी.0322011A0012	एसीबी, चैन्नई	22-02-2011	27-03-2012
20.	आर.सी.0322011A0021	एसीबी, चैन्नई	18-05-2011	29-06-2012
21.	आर.सी.0322011A0045	एसीबी, चैन्नई	29-11-2011	31-08-2012
22.	आर.सी.0352010A0023	एसीबी, हैदराबाद	07-10-2010	25-09-2012
23.	आर.सी.0362008A0009	एसीबी, विशाखापटनम	02-04-2008	31-03-2012
24.	0472010A0003	एसीयू-IX, दिल्ली	20-05-2010	28-04-2012
25.	आर.सी.0562012S0001	एसीबी, कोलकाता	09-02-2012	19-04-2012
26.	आर.सी.0932010A0002	एएचडी, रांची	12-05-2010	29-12-2012
27.	आर.सी.0932011A0002	एएचडी, रांची	11-06-2011	30-09-2012

1	2	3	4	5
28.	आर.सी.1202010A0004	एसीबी, गाजियाबाद	17-03-2010	20-03-2012
29.	आर.सी.1202011A0006	एसीबी, गाजियाबाद	24-11-2011	12-06-2012
30.	आर.सी.2162011A0002	एसी-I, दिल्ली	03-03-2011	30-06-2012
31.	आर.सी.2162011A0003	एसी-I, दिल्ली	29-03-2011	31-07-2012
32.	आर.सी.2182011A0001	एसी-III, दिल्ली	08-02-2011	29-06-2012
33.	आर.सी.2182011A0006	एसी-III, दिल्ली	06-06-2011	22-11-2012
34.	आर.सी.2182011A0011	एसी-III, दिल्ली	21-09-2011	28-06-2012
35.	आर.सी.1202011A0006	एसीबी, गाजियाबाद	30-07-2012	29-12-2012
36.	आर.सी.0152011A0002	एसीबी, भुवनेश्वर	31-01-2011	24-07-2012
37.	आर.सी.0532011S0004	एसीबी, लखनऊ	15-07-2011	28-09-2012
38.	आर.सी.1532011A0015	एसीबी, भुवनेश्वर	14-07-2011	26-12-2012
39.	आर.सी.1212011A0003	एसीबी, पोर्ट ब्लेयर	22-08-2011	26-11-2012
40..	आर.सी.0092012A0012	एसीबी, भोपाल	30-05-2012	01-11-2012
41.	आर.सी.0032009A0025	एसीबी, दिल्ली	16-06-2010	31-08-2012
42.	आर.सी.0242011A0009	एसीबी, रांची	21-07-2011	31-08-2012
43.	आर.सी.0962010A0005	एसीबी, शिमला	27-08-2010	21-06-2012
44.	आर.सी.0052010A0023	एसीबी, चंडीगढ़	04-10-2010	17-04-2012
45.	आर.सी.0092011A0001	एसीबी, जबलपुर	21-01-2011	30-03-2012

2013

क्र.सं.	मामला संख्या	शाखा	मामला दर्ज करने की तिथि	मामला निपटाने की तिथि
1	2	3	4	5
1	आर.सी.0252012A0001	एसीबी, धनबाद	03-01-2012	31-01-2013
2	आर.सी.2182011A0004	एसी-III, दिल्ली	25-04-2011	11-01-2013

सीवीसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें

1578. श्री अशोक अर्गल :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011 और 2012 के दौरान सीवीसी को केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध वार्षिक 50 हजार से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2012 के दौरान केंद्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर/आरोप पत्र दाखिल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मांगें गए/सिफारिश किए गए मामलों का विभाग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृति प्राप्त मामलों और कार्रवाई हेतु सरकार के पास लंबित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित होने के कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई इसकी शिकायत निपटान नीति के अनुसार की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायतें प्राप्त होने के बाद [लोकहित प्रकटन एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों सहित], शिकायतों की संवीक्षा की जाती है एवं जहां कहीं सतर्कता दृष्टिकोण/भ्रष्टाचार से युक्त विशिष्ट एवं सत्यापनीय दोषारोपण के मामले पाए जाते हैं, उन मामलों का अन्वेषण कर उसकी रिपोर्ट आयोग को संसूचित करने के लिए, उन शिकायतों को समुचित एजेंसी (अर्थात् उस संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को अग्रेषित किया जाता है। पिछले दो वर्ष अर्थात्, 2011 एवं 2012 के दौरान आयोग में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं।

वर्ष		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या
2011	सामान्य शिकायतें	16929
	पीआईडीपीआई	901
2012	सामान्य शिकायतें	28755
	पीआईडीपीआई	804

इन मामलों का मंत्रालय/विभागवार ब्यौरा, आयोग के पास सहज उपलब्ध नहीं है।

(ग) मौजूदा कानूनी उपबंधों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी मांगने के पश्चात् अन्वेषण एजेंसियों अर्थात् सीबीआई/पुलिस सक्षम न्यायालयों के समक्ष सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीबीआई द्वारा यथासंसूचित दिनांक 31.12.2012 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन माह से मंजूरी के लिए लम्बित मामलों की संख्या 44 है जिसमें राज्य सरकारों के मामलों से संबंधित 17 मामले सम्मिलित हैं।

कभी-कभी अभियोजन की मंजूरी का निर्णय लेने की तीन माह की नियत समय-सीमा का सख्ती से पालन करना संभव नहीं होता। कुछ मामलों में अभियोजन की मंजूरी लेने में विलम्ब, विस्तृत संवीक्षा, मामले के भारी भरकम रिकार्ड एवं साक्ष्य के विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श एवं कभी-कभी संगत दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण होता है।

एयर इंडिया के पायलटों का भत्ता

1579. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से पहले उनके कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा नियम थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया क्रमश: लाभ और हानि में चल रही थीं और दोनों कंपनियों के विलय के बाद उनके विलय के समय से ही घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एयर इंडिया के पायलटों को हब और स्पोक भत्ता सहित विभिन्न भत्तों के रूप में भारी राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है क्योंकि सरकार के स्वामित्व वाली यह एयरलाइन अनवरत रूप से घाटे में चल रही है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में विलय से पूर्व विभिन्न सेवा नियम लागू थे। उक्त सेवा नियम पूर्ववर्ती एयरलाइनों के संबंधित कर्मचारियों के लिए अभी भी लागू है। पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी वर्तमान में तीन सेवा विनियमों यथा विमान कर्मीदल के लिए सेवा विनिमय, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिए सेवा विनियमन तथा विमान कर्मीदल एवं एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग विभाग से भिन्न कर्मचारियों के लिए सेवा विनियम तथा स्थायी आदेश के दो सेट यथा फैक्टरी कामगारों के लिए स्थायी आदेश तथा अनुशासन एवं अपील से सम्बद्ध स्थायी आदेश (विनियम) से संचलित होते हैं। पूर्ववर्ती एयर इंडिया के कर्मचारी दो सेवा विनियमों यथा कामगारों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश तथा गैर कामगार श्रेणियों के लिए लागू एयर इंडिया एम्पलाईज सर्विस रेग्यूलेशन्स से संचलित होते हैं। तथापि एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के समामेलन तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एयर इंडिया की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापना के परिणामस्वरूप एयर इंडिया एम्पलाईज सर्विस रेग्यूलेशन्स का एक सुव्यवस्थित मसौदा तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) विलय से पूर्व पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के रूप में विलय के पश्चात वर्षवार लाभ तथा हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष (विलय पूर्व)	एयर इंडिया (करोड़ रुपए)	इंडियन एयरलाइंस (करोड़ रुपए)
2003-04	92.93	44.17
2004-05	96.36	65.61
2005-06	14.94	49.50
2006-07	(447.93)	(240.29)

वित्त वर्ष (विलय के पश्चात)	एयर इंडिया (करोड़ रुपए)
2007-08	(2226.16)
2008-09	(5548.26)
2009-10	(5552.44)
2010-11	(6865.17)
2011-12	(7559.74)

(ङ) से (छ) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को प्रबंधन तथा सम्बद्ध यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच हुए करार के अनुसार वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मजदूरी, वेतन, कार्य प्रणाली इत्यादि को सुसंगत करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए एयर इंडिया को कार्यान्वयन के लिए भिजवा दी गई है। समिति द्वारा अनुशंसा किए गए वेतन तथा भत्ते लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार हैं। तथापि लाइसेंसशुदा श्रेणियों के लिए समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति का अलग से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

आधार कार्ड जारी करने की स्थिति

1580. श्री के.पी. धनपालन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के सभी निवासियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार कार्ड संख्या जारी करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि तक राज्य-वार कितने कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड, पेन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड, सरकारी पहचान-पत्र आदि के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड को आवश्यक बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सम्पूर्ण परियोजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएं (आधार) सृजित और जारी करने का अधिदेश दिया गया है। यूआईडीएआई को संलग्न विवरण-I के अनुसार, 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2014 तक बहु-पंजीयकों के माध्यम से 60 करोड़ निवासियों का नामांकन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। शेष जनसंख्या को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया के तहत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा कवर किया जाएगा।

(ख) 31.01.2013 तक 27,41,09,826 आधार संख्याएं सृजित की गई हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के रूप में आधार को मान्यता देना सतत् प्रक्रिया है। अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित ने पीओआई और पीओए के रूप में आधार को अधिसूचित किया है:

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए, आधार प्रमणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पहचान और पते की पुष्टि करने के बाद आधार को वैध पीओआई और पीओए के रूप में माना जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बैंक खाते खोलने के लिए पीओआई और पीओए हेतु शासकीय तौर पर मान्य दस्तावेजों के रूप में आधार को मान्यता दी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए वैध पीओआई और पीओए के रूप में आधार को मान्यता दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और वाहनों के पंजीकरण के लिए पीओआई और पीओए के रूप में आधार को मान्यता देने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों, जो प्रमुख जीवन घातक बीमारियों से ग्रसित हैं, द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत किसी सुपर स्पेशियलेटी अस्पताल/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा इलाज करवाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीओआई और पीओए के रूप में आधार को मान्यता दी है।

रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के लिए वैध पीओआई के रूप में आधार को मान्यता दी है।

भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन फोटो पहचान-पत्र ने होने पर चुनावों के समय वैकल्पिक पीओआई और पीओए के रूप में आधार को स्वीकार किया है।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों यथा सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर और राजस्थान ने अपनी विभिन्न निवासी उन्मुखी स्कीमों के लिए पीओआई और पीओए के रूप में आधार को मान्यता दी है।

(ङ) यूआईडी स्कीम केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। सरकार ने, आधार परियोजना के लिए अब तक कुल 8962.06 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की है। आधार परियोजना पर वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बीई	एफई	वास्तविक व्यय
1	2	3	4
2009-10	120.00	26.38	26.21

1	2	3	4
2010-11	1900.00	273.80	268.41
2011-12	1470.00	1195.00	1187.50
2012-13	1758.00	1350.00	887.57 (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)

उपर्युक्त के अलावा, नामांकन लागत, अद्यतन करने की लागत, समस्त जनसंख्या को आधार पत्र जारी करने हेतु संभार तंत्र तथा अन्य पूंजीगत लागतों के लिए 3441.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय हेतु ईएफसी-IV की सिफारिशें, यूआईडीएआई संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन हेतु लंबित हैं।

विवरण-I

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	दिल्ली एनसीटी
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

विवरण-II

आधार सृजन रिपोर्ट

(31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुरुआत से जनवरी, 2013 तक कुल आधार सृजन
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	159,778
2.	आंध्र प्रदेश	52,557,017
3.	अरुणाचल प्रदेश	863
4.	असम	22,271
5.	बिहार	2,200,008
6.	चंडीगढ़	737,523
7.	छत्तीसगढ़	359,122
8.	दादरा और नगर हवेली	29,726
9.	दमन और दीव	132,984

1	2	3
10.	दिल्ली	12,759,993
11.	गोवा	1,196,888
12.	गुजरात	7,566,043
13.	हरियाणा	3,744,819
14.	हिमाचल प्रदेश	4,981,093
15.	जम्मू और कश्मीर	52,250
16.	झारखंड	12,271,278
17.	कर्नाटक	18,358,007
18.	केरल	22,063,963
19.	लक्षद्वीप	45,858
20.	मध्य प्रदेश	17,385,450
21.	महाराष्ट्र	46,326,036
22.	मणिपुर	622,542
23.	मेघालय	1,079
24.	मिजोरम	8,512
25.	नागालैंड	248,866
26.	ओडिशा	5,741,294
27.	पुदुचेरी	965,060
28.	पंजाब	12,641,581
29.	राजस्थान	13,639,130
30.	सिक्किम	484,949
31.	तमिलनाडु	11,228,423
32.	त्रिपुरा	2,958,888
33.	उत्तर प्रदेश	10,074,128
34.	उत्तराखंड	1,031,707
35.	पश्चिम बंगाल	11,512,697
	कुल योग	274,109,826

कॉमन इमरजेन्सी नम्बर

1581. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कॉमन और एकल आपात नम्बर शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) से (ग) पुलिस (100), अग्निशमन (101) और एंबुलेंस (102 जैसी आपात सेवाओं के लिए कोड अलग-अलग होते हैं। तथापि, "3" अंकीय लघु कोड "108" को आपात एवं आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन के रूप में आरक्षित रखा गया है जिसका आबंटन राज्य सरकार द्वारा अनुरोध करने पर किया जाता है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम.-II

1582. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री सी. शिवासामी :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) चरण-2 शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियों की आवश्यकता होगी और केन्द्र, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियों में किस प्रकार से हिस्सेदारी की जाएगी;

(ग) किए जाने वाले संभावित कार्य का ब्यौरा क्या है और द्वितीय चरण में शामल किए गए शहरों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जे.एन.एन.यू. आर.एम.-2 के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है क्योंकि इसमें अन्तर मंत्रालयी परामर्श शामिल हैं।

स्नातकों की नियोजनीयता

1583. श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने वैश्विक परिवर्तनों के मद्देनजर स्वयं को अद्यतन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा संस्थान नियोज्य स्नातक न दे पाने का आरोप झेल रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कई विश्वविद्यालय ऐसे विषयों के स्नातक तैयार कर रहे हैं जिनकी रोजगार-क्षेत्र में अब आवश्यकता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं। देश में विभिन्न विश्वविद्यालय तथा विनियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान (यूजीसी) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कड़ा प्रयास करते हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय विदेशों में स्थित श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग तथा संवाद करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत एवं विदेशी शिक्षा संस्थाओं के बीच अकादमिक सहयोग तथा मानकों का प्रोन्नयन एवं अनुरक्षण विनियम, 2012 जारी किए जिनमें शिक्षण, अधिगम एवं अनुसंधान में सहयोग का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2005 में ऐसे विनियम जारी किए हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में विभिन्न पहलें शुरू की हैं जिनमें सांस्थानिक उद्योग-अकादमिक-अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरापृष्ठ शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2003-04 से "कैरियर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम" कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसने अभी हाल ही में स्नातक डिग्री के रूप में व्यावसायिक शिक्षा स्नातक (बी.वोक) की अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न अकादमिक सुधारों का कार्यान्वयन कर रहा है। जिनमें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस), सेमेस्टर प्रणाली तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का सतत अद्यतन किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अर्हता प्रणाली, स्कूलों को शामिल करने, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं जिनमें माध्यमिक से डॉक्टरेट स्तर की अर्हताएं शामिल हैं, के लिए सामान्य सिद्धांत एवं दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि रोजगार के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचित किया है कि यह उद्योग संस्था भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के साथ पाठ्यक्रमों को अद्यतन करता है। अखिल भारतीय अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड एवं स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययनों में उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा उन्होंने अभी हाल ही में विभिन्न विषयों के आदर्श पाठ्यक्रमों को पूरा किया है जिसमें पाठ्यक्रम की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न योजनाओं जैसे विद्यार्थियों के लिए फिनिशिंग स्कूल, नवाचार कार्यक्रम स्कीमों इत्यादि का कार्यान्वयन करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों (नॉस्काम) एवं मेकिन्से द्वारा आयोजित किए गए एक अध्ययन तथा मीडिया में

दी गई जानकारी के अनुसार केवल 25% इंजीनियरों तथा 15% स्नातकों को कार्यालय रोजगार के रूप में तुरंत रोजगार मिल पाता है। तथापि, इस अध्ययन में उद्योगों एवं विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक रोजगार के ठोस प्रतिशत के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त 'तुरंत रोजगार' के सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के संबंध में गंभीर निहितार्थ हैं, जिनका मुख्य जोर किसी विशिष्ट विषय में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर होता है। विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पॉलिटेक्निकों द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) कार्यक्रम रोजगार विशिष्ट कौशल प्रदान करते हैं। जबकि रोजगार उच्चतर शिक्षा का निश्चित तौर पर एक मुख्य उद्देश्य है, परंतु यह एक मात्र उद्देश्य नहीं हो सकता जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कैरियर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम स्कीम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद स्नातकों के पास सामान्य तौर पर वेतन क्षेत्र एवं विशिष्ट तौर पर स्वयं रोजगार प्राप्त करने हेतु ज्ञान, कौशल एवं दक्षता प्राप्त कर पाए। इस सर्वेक्षण में आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या, इन पाठ्यक्रमों में नामांकन, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कॉलेजों में रोजगार नियोजन की संख्या को शामिल किया गया है। 11वीं योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 212.94 करोड़ रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 2172 कॉलेजों तथा 30 विश्वविद्यालयों को लाभ हुआ है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 3995 विद्यार्थियों को दाखिल/प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विलक्षण बालक

1584. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों में विलक्षण बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुचित स्कूल सुविधाओं जैसा कि विदेशों में विद्यमान हैं के अभाव में ऐसे बच्चे समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा विलक्षण बच्चों के लिए समुचित स्कूली सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) ऐसा कोई दृष्टांत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित सिमों का उपयोग

1585. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार उपयोग में लाए जा रहे कुल सिम कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) आयात किए जा रहे सिम कार्डों का प्रतिशत और इनका निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आयातित सिम कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित बढ़ा खतरा हो सकते हैं क्योंकि इनको द्वेषपूर्ण "इमबेडिड सॉफ्टवेयर" के द्वारा तैयार किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिम कार्डों में "इमबेडिड सॉफ्टवेयर" के बारे में प्राप्त शिकायतों अथवा सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सिमों के आयात को हतोत्साहित करने और सिमों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) देश में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्डों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती है क्योंकि कई बार एक ही नंबर के सिम कार्ड बार-बार जारी किये जाते हैं। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(ट्राई) के अनुसार दिसम्बर, 2012 तक सिम कार्डों की कुल संख्या 86,47,20,186 है।

(ख) भारतीय स्मार्ट कार्ड मंच द्वारा किए गए आकलन के अनुसार सिम कार्डों की कुल वार्षिक आवश्यकता में से 60 प्रतिशत आवश्यकता आयात के द्वारा पूरी की जाती है। विगत 3 वर्षों के दौरान और दिसम्बर, 2012 तक सिम कार्डों के आयात और निर्यात से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

(संख्या मिलियन में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)
आयात	221	557	715	567
निर्यात	71	82	255	229

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजी सीआईएस)

विगत तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में देश का नाम बताते हुए आयातित सिम कार्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभाव्य रूप से प्रभाव डालने वाले एम्बेडेड स्पाईवेयर/मेलवेयर के कारण सिम कार्डों सहित आधुनिक युग के दूरसंचार उपकरणों में सम्भाव्य खतरे हो सकते हैं। ऐसे सम्भाव्य खतरे विनिर्माण एकांश का लिहाज किए बिना नेटवर्क में विद्यमान होते हैं। तथापि, सिम कार्डों में इमेबेडिड सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई विशेष शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अनुसार सिम कार्डों के आयात पर कोई पाबंदी नहीं है। तथापि, देश के भीतर सिम कार्डों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) सिम कार्ड प्रचालन प्रणाली एवं अधिमानित मोबाइल युक्ति विशेषज्ञ समिति का गठन इस आशय के साथ किया गया है ताकि संचालन सेवाओं का सुरक्षित कार्य-निष्पादन किया जा सके।

(ii) दूरसंचार उपकरणों सहित देशी रूप से विनिर्मित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों की भागीदारी में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ सरकार ने सुरक्षा उपायों और सरकारी अधिप्रापण को दृष्टिगत रखते हुए देशी रूप से अधिप्रापण में विनिर्मित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को तरजीह देने के लिए अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 10 फरवरी, 2012 के द्वारा नीति निर्धारित की है। सुरक्षा मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए देशी रूप से विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों तक तरजीही विपणन अभिगम विस्तारित करने के लिए दूरसंचार विभाग पणधारियों के साथ सलाह-मशवरा कर रहा है। "सिम कार्ड प्रचालन प्रणाली और वैयक्तिकरण क्रियाकलाप" देशी विनिर्माताओं तक 100 प्रतिशत तरजीही विपणन अभिगम बनाने के लिए संवेदनशील सुरक्षा दूरसंचार उत्पादों की सूची में निहित मदों में से एक है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आयात सिम कार्ड

(संख्या में)

क्र.सं.	देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	500	16941	5000	399700
2.	आस्ट्रिया			628000	159996

1	2	3	4	5	6
3.	बंगलादेश पीआर				1420000
4.	बेल्जियम		3	304000	816000
5.	ब्राजील			150000	
6.	कनाडा		15000	303000	200
7.	चीन पी आरपी	154107792	404986162	431117989	372319109
8.	कॉस्टा रिका			370000	
9.	सीजेच रिपब्लिक				828000
10.	डेनमार्क			2337400	
11.	डोमिनिक आरईपी			500000	
12.	फिनलैंड	1036	90000	115753	25000
13.	फ्रांस	260095	1281042	5462586	2269002
14.	जर्मनी	585179	5309778	15985648	9776584
15.	होन्डूरस				384000
16.	हांग कांग	10491898	37396227	142621929	100614866
17.	हंगरी			1150000	200
18.	आइसलैंड			734000	
19.	इंडोनेशिया		800	300000	39000
20.	आयरलैंड			1100000	2000
21.	इजराइल	750		2330000	669970
22.	इटली	5600	1100000	5085000	1550595
23.	जापान	102	2070116	10214036	4468796
24.	जोरदन				400000
25.	कोरिया डीपी आरपी		384486		

1	2	3	4	5	6
26.	कोरिया आरपी	1950	938094	4611584	3365687
27.	कुवैत				15000
28.	मलेशिया		40300	4210869	4762101
29.	मॉरिशस		200000		192000
30.	मैक्सिको		400000	680000	
31.	नीदरलैंड	206001	900000	34751	5286833
32.	नार्वे	300000		5000	200000
33.	पाकिस्तान आईआर			285000	
34.	फ्लीपिंस		200000	1000000	
35.	पोलैंड			983179	
36.	पोर्टोगल	4			
37.	रोमेनिया				580000
38.	रूस		529220	661000	
39.	सउदी अरब				293750
40.	सिंगापुर	37629952	38628479	23966083	5809245
41.	साउथ अफ्रीका			70400	
42.	स्पेन		120000	342602	
43.	श्रीलंका डीएसआर	210757		25000	
44.	स्वीडन	500	1526310	285000	305055
45.	स्विटजरलैंड	210000	1312000	1915000	3461000
46.	तेईवान	16021000	19031395	13504774	12444469
47.	थाईलैंड		1451637	7552002	5397377
48.	तुर्की			63000	5000

1	2	3	4	5	6
49.	यू अरब ईएमटीएस	10000	30016	2394818	3078045
50.	यू के	46198	679004	5595049	4698420
51.	यू एस ए	1040946	4736245	21998776	20359007
52.	अनस्पेसीफाइड	100000	33957465		
53.	विटनाम सोकर रेप	-		3553000	233575
	कुल	221230260	557330720	714551228	566629582

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

दुर्लभ खनिज पदार्थों का खनन

1586. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) की चल रही खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चवरा मिनरल डिवीजन, कोल्लम सहित आईआरईएल द्वारा खनन किए जा रहे दुर्लभ खनिज पदार्थ का ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि डिवीजन की गतिविधियां दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस डिवीजन की खनन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) महोदय, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) की प्रचालनरत खनन परियोजनाएं, छतरपुर (ओडिशा) में उड़ीसा बालू सम्मिश्र (ऑसकॉम) में, मानवलाकुरूचि (तमिलनाडु) में और चवरा (केरल) में अवस्थित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा ऐसे किसी विरल मृदा पदार्थ का, जो स्वतंत्र खनिज के रूप में पाया जाता है, खनन नहीं किया गया है। तथापि, भविष्य में मोनाज़ाइट में से थोरियम, यूरेनियम और विरल पदार्थ का निष्कर्षण करने के लिए, पुलिन बालू खनिजों का खनन करने के परिणामस्वरूप प्राप्त मोनाजाइट समृद्ध पछोड़न का भंडारण परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(ग) प्रस्तावित परियोजनाएं हैं: ऑस्कॉक में खनन तथा खनिज पृथक्करण यूनिट की क्षमता का विस्तार करने संबंधी परियोजना, और चवरा, केरल में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के विरल मृदा प्रभाग में पृथक्कृत उच्च विशुद्ध विरल मृदा परियोजना।

(घ) जी, हां। कच्ची पुलिन बालू युक्त खनन योग्य भूमि की सीमित मात्रा में उपलब्धता, और बालू में भारी खनिजों की प्रमात्रा में धीरे-धीरे गिरावट आने की वजह से, हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान चवरा और मानवलाकुरूचि के कार्यकलापों में कमी आ रही है।

(ङ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने इस क्षेत्र में अपने कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों का पता लगाया है: (i) चवरा खानों के वेल्लनतुरूतु, पंडारतुरूतु और पानमाना क्षेत्र के भूस्वामियों से भूमि की अधिग्रहण; (ii) करितुरा, चवरा में भूमि का अधिग्रहण करने के लिए पूर्ण खरीद पैकेज और/अथवा पट्टा पैकेज; (iii) राज्य सरकार और केरल खनिज एवं धातु लिमिटेड की सहायता से नींडकरा पत्तन क्षेत्र से कच्ची बालू का संग्रहण; (iv) नींडकरा बंदरगाह

क्षेत्र से तलकर्षित बालू की खरीद; और (v) चवरा और मानवलाकुरूचि के खनन क्षेत्रों में भूमि की सतह का अधिकार रखने वाले पणधारकों से खनन के प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण।

[हिन्दी]

आपातकालीन स्थिति से निपटाने के लिए प्रशिक्षण

1587. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु बिजली संयंत्र के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप/सुनामी से निपटाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 2007 से आज की स्थिति तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष-वार और संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए, आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपी) सहित विभिन्न संयंत्र प्रक्रियाओं के संबंध में संयंत्र कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपातकालीन प्रक्रियाओं में, बाढ़, सुनामी, चक्रवर्ती तूफान, भूकंप और आग लगने से उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियां शामिल हैं। सुनामी और चक्रवाती तूफान तटवर्ती स्थलों के संगत हैं और तटवर्ती स्थलों पर कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण में इन पहलुओं को शामिल किया गया हैं सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए असामान्य परिस्थितियों हेतु आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं से संबंधित संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से बैचों में आयोजित किया जाता है। प्रचालन कार्मिकों को लाइसेंसिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इन विषयों पर नियमित रूप से पुन: प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वर्ष 2007 से लेकर अब तक वर्षवार और स्थलवार आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बिजलीघर	प्राकृतिक आपदाओं संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वर्षवार संख्या					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
टीएपीएस-1 तथा 2	8	4	4	5	5	7
टीएपीएस-3 तथा 4	8	6	8	15	6	12
आरएपीएस-1 तथा 2	9	10	13	13	41	20
आरएपीएस-3 तथा 4	9	7	14	21	34	40
आरएपीएस-5 तथा 6	6	5	8	6	28	20
एमएपीएस	10	9	4	12	37	11
एनएपीएस	4	4	4	3	11	6
केएपीएस	5	3	2	6	12	8
केजीएस-1 से 4	4	5	4	4	21	17

टीएपीएस — तारापुर परमाण बिजलीघर, तारापुर, महाराष्ट्र;
आरएपीएस — राजस्थान परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा, राजस्थान;
एमएपीएस — मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम, तमिलनाडु;
एनएपीएस — नरोरा परमाणु बिजलीघर, नरोरा, उत्तर प्रदेश
केएपीएस — काकरापार परमाणु बिजलीघर, काकरापार, गुजरात
केजीएस — कैगा उत्पादन केन्द्र, कैगा, कर्नाटक

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.आई.एम. के निदेशकों की बैठक

1588. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के निदेशकों के साथ निधियां जुटाने के नए तरीके खोजने के मुद्दे पर बैठक की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2010 को बंगलौर में भारतीय प्रबंधन संस्थाओं के अध्यक्षों और निदेशकों के साथ हुई बैठक में हुए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निधि अर्जित करने वाली समिति गठित की है। निधि अर्जित करने वाली समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर ने की। रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में निधि अर्जित करने की संभावनाओं, निधि अर्जन प्रक्रिया का प्रबंधन, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर निधि अर्जन कार्यकलापों हेतु ज्ञान और कौशलों की सुलभता पर नई दिल्ली में 13-14 जनवरी, 2012 को एक निधि अर्जन कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से कुछ ने निधि अर्जित करने की प्रक्रिया के प्रबंधन हेतु विदेशों में सेमिनार/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करना, कारपोरेट प्रायोजन, कारपोरेट द्वारा अध्ययन प्रोफेसर का प्रायोजन, कारपोरेट घरानों द्वारा अक्षय निधि इत्यादि कदम उठाए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर ने अपनी कायिक निधि बढ़ाने जैसे विभिन्न योजनाएं तैयार करने के लिए एक विकास कार्यालय स्थापित किया है।

स्पीड पोस्ट केन्द्र

1589. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में पर्याप्त स्पीड पोस्ट केन्द्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों की राजधानियों में विशेषकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर स्टाफ की कमी है और इन केन्द्रों पर शिकायत और सुझाव पुस्तिकाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या रायपुर रेलवे स्टेशन पर अभी तक रेलवे मेल सेवा कार्यालय नहीं खोला गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी, नहीं। देश में स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मूल्य या छुट्टी के कारण स्टाफ की कमी को स्टाफ की पुनर्तैनाती, ड्यूटी के पुन: वितरण तथा संयोजन, शार्ट ड्यूटी स्टाफ के नियोजन और रिक्त पदों की भर्ती के जरिए पूरा किया जाता है। सार्वजनिक सेवा में संलग्न स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर शिकायत तथा सुझाव पुस्तिका/बॉक्स उपलब्ध है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) रायपुर का कार्यालय रायपुर रेलवे स्टेशन पर है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन

1590. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग विभिन्न राज्यों में प्रमुख कार्यक्रमों के निष्कर्ष तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सलाहकारों को प्रधानमंत्री को फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विशेषज्ञता से फीडबैक प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी सुधार का सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणाम और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना मुख्यतया भारत सरकार के कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों का दायित्व है। केन्द्रीय मंत्रालय, कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों और स्कीम के कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्यों को, उन्हें पूर्व में प्रदान की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, निधियां जारी करते हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संसद में पेश किए गए परिणामों और कार्यनिष्पादन बजटों में भी, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए परिणामों को शामिल किया जाता है।

जहां तक योजना आयोग का संबंध है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों के आदेश पर, विकास पर विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनका मूल्यांकन करता है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-12 के दौरान पीईओ ने प्रतिदर्श आधार पर, निम्नलिखित फ्लैगशिप स्कीमों की प्रक्रिया और प्रभाव का मूल्यांकन किया है:

(i) भारत निर्माण का ग्रामीण सड़क घटक

(ii) ग्रामीण टेलीफोनों

(iii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

(iv) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

(v) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

(vi) तैयार मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम)

(vii) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

(ix) एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)

उपर्युक्त मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टों को सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थात योजना आयोग की वेबसाइट *(http://planningcommission.nic.in)* पर उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 27.12.2012 कोई हुई इसकी बैठक में यथानुमोदित 12वीं योजना दस्तावेज में भी विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बारे में इंगित किया गया है। योजना तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकारों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न पणधारियों से परामर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग के सलाहकारों ने राज्यों का दौरा भी किया था। इन आकलनों में निर्दिष्ट सुधार के सुझावों पर, मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की डिजाइन और दिशानिर्देशों को संशोधित करने हेतु, कार्रवाई की जाती है।

ईडब्ल्यूएस हेतु सीटों का आरक्षण

1591. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी तकनीकी शैक्षिक संस्थानों से पांच प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षित करने के लिए कहा है, जिनसे ट्यूशन फीस प्रभारित नहीं की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन तकनीकी संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है जिन्होंने उक्त आरक्षण के निदेशों का पालन नहीं किया है; और

(घ) ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों के उक्त आरक्षण के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की एक स्कीम "शिक्षण शुल्क छूट स्कीम" है जो तीन/चार वर्ष की अवधि के बैचलर कार्यक्रम, डिप्लोमा

और पोस्ट-डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने वाली एआईसीटीई से अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू है। यह स्कीम अनिवार्य है। इस स्कीम के तहत 5 प्रतिशत सीटें अतिरिक्त सीटों के रूप में संस्वीकृत हैं। एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते, ऐसे छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम हो।

(ग) एआईसीटीई ने अपनी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका-2013-14 के अध्याय-IV में दिए गए विनियमों के उल्लंघन के मामले में की जाने वाली कार्रवाई अधिसूचित की है जो एआईसीटीई की वेबसाइट *www.aicte-india.org* पर उपलब्ध है।

(घ) उक्त स्कीम वर्ष 2010-11 से अनिवार्य कर दी गई थी।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक

1592. श्री ए. साई प्रताप : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में हाल ही में लघु तथा सीमांत किसानों को उन्हें समूहों में संगठित करके उनकी आय बढ़ाने तथा बाजारों के बाहर निजी व्यापार के लाभ पहुंचाने संबंधी इसके कार्य समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या-क्या छोटे तथा मझोले किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रोत्साहन पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की 28 जनवरी, 2013 को आयोजित बैठक में मार्केट एकीकरण के माध्यम से लघु धारकों के लिए कृषि आय बढ़ाने हेतु उसके कार्य समूह के प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। एनएसी में कई मुख्य सिफारिशें की गईं, जिनमें निम्न शामिल थे (i) मार्केट के समूहन के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का प्लेटफार्म के रूप में सहयोग करने हेतु अनुदान सहायता और एफपीओ के सहयोग हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास की मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के भीतर एक उप-योजना का विकास करके वित्तपोषण एवं इसका विस्तार; (ii) एफपीओ को सहयोग देने के लिए शीर्ष केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना और संवर्धनात्मक भूमिका के लिए आवश्यकता को पूरा करना; (iii) प्रारंभिक और निवेश पूंजी में वृद्धि के लिए एफपीओ हेतु सहायक नीतिगत शासन-प्रणाली का सृजन करना; (iv) एफपीओ को कृषिजन्य उत्पाद मार्केटिंग समिति (एपीएमसी) अधिनियम के अंतर्गत संस्थान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के रूप में शामिल किया जाए और सदस्यों के उत्पादों को सभी प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने पसंद के क्रेता को बेचने की अनुमति प्रदान की जाए; तथा (v) उत्पादक कंपनियों को प्रस्तावित संशोधित कंपनी विधेयक/अधिनियम 2011 के एक हिस्से के रूप में बनाए रखा जाए।

(ग) और (घ) लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी), जो कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा संवर्धित एक संगठन है, कृषि-आधारित उद्योगों में नए उपक्रमों के माध्यम से कृषि केन्द्रित विकास करने और उसे सुसाध्य बनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में एफपीओ का सवंर्धन करने हतु नोडल एजेंसी है। एफपीओ के लिए सरकारी सहायता को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में पंजीकृत एफपीओ को समतुल्य इक्विटी अनुदान प्रदान करने हेतु 50 करोड़ रु. का प्रस्ताव रखा है, जो वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु प्रति एफपीओ 10 लाख रु. तक अधिकतम है। इसके अलावा, एसएफएसी में 100 करोड़ रु. के प्रारंभिक संग्रह के साथ एक ऋण गारंटी कोष बनाए जाने का भी प्रस्ताव है।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

1593. श्री रामसिंह राठवा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से आरटीई अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के उपबंधों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार आरटीई अधिनियम के उपबंधों से राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को किस प्रकार बांटने पर विचार कर रही है चूंकि ये एसएसए वित्तपोषण के अंतर्गत शामिल नहीं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने उल्लेख किया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 संघ सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा राज्यों से इसके कार्यान्वयन पर संभावित व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के भुगतान की आशा नहीं की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों से लगातार परामर्श कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य साधन है। सर्व शिक्षा के मानदंडों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय में वर्ष 2010-11 में 19,838.23 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 21,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2012-13 में 23,645 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की है। 13वें वित्त आयोग ने भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्यों को अतिरिक्त निर्धारित निधियां प्रदान की हैं। केंद्र और राज्यों के बीच निधि हिस्सेदारी पैटर्न में भी 65:35 के अनुपात में अनुकूल संशोधन किया गया है (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)।

[हिन्दी]

एमएनपी विनियमों का उल्लंघन

1594. श्री महेश्वर हजारी :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की राज्य-वार तथा ऑपरेटर-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा मोबाइल प्रशुल्क तथा सेवा प्रभारों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मोबाइल उपभोक्ताओं तथा एक ऑपरेटरों से दूसरे पर उपभोक्ताओं की पोर्टिंग में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में पोर्ट-आउट तथा पोर्ट-इन करवाने वाले उपभोक्ताओं का ऑपरेटर-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रतिमानों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ऑपरेटर-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध ऑपरेटर-वार क्या कार्रवाई की गई और क्या शास्तियां लगाई गईं; और

(च) सरकार द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा एमएनपी प्रतिमानों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)-वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर प्रस्तुत हैं।

(ख) और (ग) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी उपभोक्ताओं को यह अनुमति देने के लिए शुरू की गई थी कि वे उपभोक्ता अनुरोध पर अपने नंबरों में परिवर्तन किए बिना अपने सेवा प्रदाताओं को बदल सकें। सेवा प्रदाताओं को बदलने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें प्रशुल्क और सेवा गुणवत्ता आदि में वृद्धि भी शामिल है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नवम्बर, 2010 में हरियाणा में और जनवरी, 2011 में शेष देश में शुरू की गई थी। लाइसेंस सेवा क्षेत्रवार और दूरसंचार सेवा प्रदातावार शुरुआत से लेकर अब तक पोर्ट-आउट और पोर्ट-इन किए गए उपभोक्ताओं के वर्षवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV पर प्रस्तुत हैं।

(घ) से (च) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम कार्यान्वित होने के बाद ट्राई को अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें उपभोक्ताओं ने उल्लेख किया है कि उनके पोर्टिंग अनुरोधों को दाता प्रचालक द्वारा विभिन्न आधारों पर निरस्त कर दिया गया है। जांच करने के बाद यह पता चला कि कई मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के पोर्टिंग अनुरोधों को निरस्त करने की प्रक्रिया विनियम के अनुसार नहीं थी। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं को निदेश दिए हैं कि वे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा ट्राई ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को भी जारी किया है जिसके तहत

पोर्टिंग अनुरोध के गैर औचित्यपूर्ण निरस्तिकरण पर अर्थ दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू किए गए थे। इन विनियमों के तहत ट्राई द्वारा किसी सेवा प्रदाता पर आज की तारीख तक कोई पेनल्टी/अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

विवरण-I

31.12.2012 तक सेवा क्षेत्रवार मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	63936016
2.	असम	14336284
3.	बिहार	61020297
4.	गुजरात	50280123
5.	हरियाणा	19527872
6.	हिमाचल प्रदेश	6805711
7.	जम्मू और कश्मीर	6802340
8.	कर्नाटक	52782195
9.	केरल	32245228
10.	मध्य प्रदेश	50668593
11.	महाराष्ट्र	66845302
12.	पूर्वोत्तर	8738579
13.	ओडिशा	24317039
14.	पंजाब	28999339
15.	राजस्थान	46572329
16.	तमिलनाडु	73283971
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	71979410
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	48338084
19.	पश्चिम बंगाल	43076898
20.	कोलकाता	22610241
21.	दिल्ली	39813020
22.	मुंबई	31742046
	समस्त भारत	864720917

विवरण-II

31.12.2012 तक सेवा प्रदातावार मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3
	सा.क्षे.उ.	
1.	बीएसएनएल	99922347
2.	एमटीएनएल	5301918
	कुल सा.क्षे.उ.	105224265
	निजी	
3.	भारती एयरटेल लिमिटेड	181906892
4.	रिलायंस	118528269
5.	वोडाफोन एस्सार	147476290
6.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	69558122
7.	आइडिया मोबाइल	113946827

1	2	3
8.	एयरसेल/डिशनेट	63347284
9.	लूप मोबाइल	2995459
10.	क्वार्डेंट टेलीसर्विसेज (एचएफसीएल)	1696650
11.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड	14880003
12.	यूनीनॉर	41520544
13.	वीडियोकॉन	3640312
	कुल निजी	759496652
	कुल अखिल भारतीय	864720917

विवरण-III

क्र.सं.	एलएसए का नाम	2010		2011		2012		2013	
		पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	2,088,592	2,088,592	4,149,982	4,149,982	369,464	369,464
2.	असम	–	–	46,736	46,736	198,261	198,261	17,891	17,891
3.	बिहार	–	–	510,159	510,159	834,845	834,845	129,422	129,422
4.	दिल्ली	–	–	1092971	1092971	892774	892774	148089	148089
5.	गुजरात	–	–	2110783	2110783	3545456	3545456	525673	525673
6.	हरियाणा	76552	76552	1028900	1028900	1409155	1409155	158905	158905
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	83560	83560	172877	172877	10473	10473
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	2592	2592	4516	4516	1542	1542
9.	कर्नाटक	–	–	2,100,000	2,100,000	6,091,888	6,091,888	489,123	489,123
10.	केरल	–	–	1,218,790	1,218,790	1,640,309	1,640,309	217,556	217,556
11.	कोलकाता	–	–	502,770	502,770	663,340	663,340	461,947	461,947
12.	मध्य प्रदेश	–	–	1,389,210	1,389,210	2,534,581	2,534,581	344,779	344,779
13.	महाराष्ट्र	–	–	1457073	1457073	3386257	3386257	251999	251999
14.	मुंबई	–	–	608881	608881	1257893	1257893	166383	166383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पूर्वोत्तर	–	–	12,208	12,208	97,080	97,080	8,986	8,986
16.	ओडिशा	–	–	526,014	526,014	973,967	973,967	73,330	73,330
17.	पंजाब	–	–	939753	939753	1253506	1253506	155020	155020
18.	राजस्थान	–	–	1962269	1962269	4475177	4475177	559419	559419
19.	तमिलनाडु	–	–	1,194,847	1,194,847	2,581,205	2,581,205	197,605	197,605
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	–	–	966029	966029	2989897	2989897	291999	291999
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	–	–	1299604	1299604	2602370	2602370	365783	365783
22.	पश्चिम बंगाल	–	–	750,164	750,164	1,077,755	1,077,755	879,411	879,411

विवरण-IV

क्र.सं.	टीएसपी का नाम	2010		2011		2012		2013	
		पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया	पोर्ट इन किया गया	पोर्ट आउट किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एयरसेल (जीएसएम)	8768	999	1225519	1311350	2064689	3166493	230523	639297
2.	भारती एयरटेल (जीएसएम)	14890	8316	4750293	4800942	12985592	8812474	1199916	964311
3.	बीएसएनएल	4064	20385	1013827	1489285	929725	1296738	123900	198948
4.	एटीसलात डीबी (जीएसएम)	–	–	4484	38331	2663	1050902	0	52261
5.	एचएफसीएल	0	0	23130	54216	7335	26614	2253	3902
6.	आइडिया/स्पाइस (जीएसएम)	10279	12264	5008995	2897591	9196935	6390529	1783864	610049
7.	लूप/बीपीएल (जीएसएम)	–	4	31459	28906	49783	84735	7380	18060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	एमटीएनएल (जीएसएम)	-	-	19771	100608	25427	71419	2085	11756
9.	एमटीएस (सीडीएमए)	50	585	144985	158354	91678	150978	3573	24028
10.	रिलायंस	976	11978	2047262	3512626	1357061	5210893	373869	536061
11.	एसटेल (जीएसएम)	-	-	12292	39426	330	231964	0	15514
12.	टाटा टेलीसर्विसेज	13892	11887	1790623	2822654	3429786	4685802	471042	576207
13.	यूनिनॉर (जीएसएम)	-	-	206073	346286	436936	2398442	65792	1234635
14.	वीडियोकॉन (जीएसएम)	581	2667	28799	215974	17536	325762	4246	17272
15.	वोडाफोन (जीएसएम)	23052	7467	5471272	4075356	12237615	9933228	1556356	922498

[अनुवाद]

शहरी गरीबों की पहचान

1595. **श्री हेमानंद बिसवाल :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शहरी गरीबों की पहचान हेतु कोई नया तंत्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या समूचे देश में सामाजिक-आर्थिक जनगणना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या शहरी निर्धनों को परिभाषित करने के लिए तैयार किया गया नया तंत्र चल रही सामाजिक-आर्थिक जनगणना का एक प्रतिमान होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) शहरी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए समान कार्य-प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग ने मई, 2010 में प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषा समूह का गठन शहरी क्षेत्रों में गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अभिज्ञात करने के लिए विस्तृत कार्य-प्रणाली की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इस विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट अभी मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जून, 2011 को संपूर्ण देश में संयुक्त ग्रामीण शहरी आर्थिक-सामाजिक और जाति जनगणना अभियान शुरू किया था। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से इस सर्वेक्षण कार्य को शुरू किया है।

अभी तक हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र और ओडिशा ने जनगणना का कार्य पूरा कर लिया है तथा मणिपुर,

पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और लक्षद्वीप में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या को अभिज्ञात करने का मापदंड, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

साक्षर भारत मिशन

1596. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षर भारत मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक इसके लिए राजस्थान सहित देश के चुने गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत किसी जिले के चयन हेतु किन मानदंडों का पालन किया गया है; और

(ग) वर्ष 2009 में साक्षर भारत मिशन के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले पूर्ववर्ती जिलों से बनाए गए नए जिले सहित एक जिला साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, सभी वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिले, उनकी साक्षरता दर पर ध्यान दिए बिना, भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र जिलों को चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। पात्र जिलों की कुल संख्या का सूचीयुक्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2009 में प्रारंभ किए जाने के समय से साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई निधियों एवं उनकी उपयोगिता दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में साक्षर भारत मिशन के लिए चयनित जिलों की राज्य-वार सूची

आंध्र प्रदेश-19

1. महबूबनगर
2. करीमनगर
3. वारंगल
4. गुंटूर
5. मेडक
6. कूरनुल
7. प्रकाशम
8. चित्तूर
9. अदीलाबाद
10. अनंतपुर
11. खम्माम*
12. नेल्लौर
13. निजामाबाद
14. श्रीकाकुलम
15. कुडप्पा
16. रंगारेड्डी
17. विजयानगरम
18. नालगोंडा
19. विशाखापट्टनम

अरुणाचल प्रदेश-15

1. ईस्ट कमेंग
2. ऊपरी सुबनसिरी
3. पश्चिम कमेंग
4. कुरूंग कुमे
5. त्वांग
6. ऊपरी सियांग

7. दिबांग घाटी

8. अंजाव

9. तिरप

10. चांगलांग

11. पश्चिम सियांग

12. ऊपरी दिबांग घाटी

13. लोअर सुबनसिरी

14. लोहित

15. पूर्वी सियांग

असम-15

1. डुबरी

2. बारपेटा

3. हैलाकांडी

4. बक्शा

5. कोकराझार

6. सोनितपुर

7. गोलपाड़ा

8. उडालगुडी

9. दरांग

10. बोंगईगांव

11. तिनसुकिया

12. चिरांग

13. कर्बी आलांग

14. मेरीगांव

15. धेमाजी

बिहार-38

1. किशनगंज

2. जमुई*

3. शेखपुरा

4. नालंदा

5. सुपौल

6. मधुबनी

7. सारन

8. भागलपुर

9. अररिया

10. सहरसा

11. सिवान

12 भोजपुर

13. मधेपुरा

14. बांका

15. वैशाली

16. औरंगाबाद*

17. शिवहर

18. गोपालगंज

19. मुजफ्फरपुर

20. रोहतास*

21. पूर्वी चंपारन

22. खगड़िया

23. गया*

24. मुंगेर

25. पूर्णिया

26. दरभंगा

27. बेगूसराय

28. पटना

29. पश्चिम चंपारन

30. समस्तीपुर

31. कैमूर (भाबुआ)

32. बरवाल

33. कटिहार

34. नवादा

35. जहानाबाद*

36. सीतामढ़ी

37. लखीसराय

38. बक्सर

छत्तीसगढ़-16

1. दंतेवाड़ा*

2. कोरबा

3. जसपुर

4. नारायणपुर

5. बस्तर*

6. जांजगीर-चंपा

7. महासमंद

8. बीजापुर

9. कवर्धा

10. बिलासपुर

11. रायपुर

12. कांकेर*

13. सरगुजा*

14. कोरिया

15. रायगढ़

16. राजनंदगांव*

गुजरात-13

1. दाहोड़

2. नर्मदा

3. साबरकांठा

4. जामनगर

5. बनासकांठा

6. पाटन

7. भावनगर

8. डांग

9. पंचमहल

10. सुरेन्द्र नगर

11. अमरेली

12. जूनागढ़

13. कच्छ

हरियाणा-12

1. कैथल

2. हिसार

3. गुड़गांव

4. करनाल

5. जींद

6. सिरसा

7. महेन्द्रगढ़

8. मेवात

9. फतेहाबाद

10. भिवानी

11. फरीदाबाद

12. पलवल

हिमाचल प्रदेश-01

1. चंबा

जम्मू और कश्मीर-20

1. कुपवाड़ा

2. पुलवामा

3. श्रीनगर

4. किश्तवाड़

5. बड़गाम

6. पुंछ

7. लेह (लद्दाख)

8. कुलगाम

9. डोडा

10. कारगिल

11. कठुआ

12. सोफियां

13. बारामुला

14. ऊधमपुर

15. रियासी

16. गंदरबल

17. अनंतनाग

18. राजौरी

19. रामबन

20. बांदीपुरा

झारखंड-24

1. पाकोर

2. पलामू*

3. हजारीबाग

4. लातेहर

5. गढ़वा

6. कोडरमा

7. गुमला

8. सरायकेला खरसावन

9. गिरिडिह

10. दुमका

11. बोकारो*

12. जामतारा

13. साहिबगंज

14. देवघर

15. रांची

16. खुंटी

17. गोड्डा

18. पश्चिम सिंहभूम*

19. धनबाद
20. रामगढ़
21. चतरा*
22. लोहरदगा*
23. सिमडेगा
24. पूर्वी सिंहभूम*

कर्नाटक-20

1. रायचूर
2. बालकोट
3. गदग
4. तुमकूर
5. गुलबर्गा
6. बेल्लारी
7. बेल्जिम
8. हावेरी
9. कोप्पल
10. बिदर
11. चित्रदुर्ग
12. चिकबल्लपुर
13. कामराजनगर
14. मंडया
15. बंगलौर ग्रामीण
16. रामनगर
17. बीजापुर
18. कोलार
19. मैसूर
20. यादगिर

मध्य प्रदेश-42

1. शिवपुर
2. उमरिया
3. सतना
4. दतिया
5. झबूआ
6. शहडोल
7. नीमच
8. बागलकोट
9. सिद्दी
10. गुना
11. पूर्वी निमाड़
12. रतलाम
13. बरवानी
14. देवास
15. सियोनी
16. ग्वालियर
17. राजगढ़
18. दामोह
19. पश्चिम निमाड
20. हर्दा
21. छतरपुर
22. रीवा

23. भिंड
24. अशोकनगर
25. डिनडोरी
26. मंडला
27. सागर
28. अलीराजपुर
29. टीकमगढ़
30. सिहोर
31. छिंदवाड़ा
32. बहरामपुर
33. शिवपुरी
34. विदिशा
35. मंदशोर
36. सिंगरोली
37. धार
38. कटनी
39. बैतूल
40. अनुपुर
41. मुरैना
42. पन्ना

महाराष्ट्र-10

1. नंदूरबार
2. हिंगोली
3. नांदेड़
4. गोंडिया
5. जालना
6. परभनी
7. उस्मानाबाद
8. लातूर
9. गढ़चिरोली*
10. बीद

मणिपुर-04

1. चंदेल
2. थौबल
3. सेनापती
4. तमेंगलोंग

मेघालय-02

1. वेस्ट गारो हिल्स
2. साउथ गारो हिल्स

नागालैंड-04

1. मोन
2. त्यूएनसांग
3. किफिर
4. लोंगलेंग

ओडिशा-19

1. नबरंगपुर
2. गजपति
3. बोलंगिर
4. बारगढ़
5. मलकानगिरि

6. कालाहांडी

7. सोनापुर

8. सुंदरगढ़

9. नुपाड़ा

10. कंधमाल

11. केन्दुझार

12. संबलपुर

13. रायगढ़

14. बौद्ध

15. गंजम

16. अनुगूल

17. कोरापुट

18. मयूरभंज

19. देबगढ़

पंजाब-07

1. मनसा

2. फिरोजपुर

3. भंटिडा

4. बरनाला

5. मुक्तसर

6. संगरूर

7. फरीदकोट

राजस्थान-32

1. जालोर

2. राजसंमद

3. झालावाड़

4. हनुमानगढ़

5. बांसवाड़ा

6. चित्तौड़गढ़

7. जोधपुर

8. अजमेर

9. डुंगरपुर

10. बूंदी

11. भरतपुर

12. गंगानगर

13. टोंक

14. सिरोही

15. अलवर

16. चुरू

17. जैसलमेर

18. नागौर

19. करौली

20. सीकर

21. सवाई माधोपुर

22. दौसा

23. बाड़मेर

24. जयपुर

25. भीलवाड़ा

26. बारन

27. बीकानेर

28. झुनझुनू

29. पाली

30. धौलपुर

31. उदयपुर

32. प्रतापगढ़

सिक्किम-02

1. पश्चिम सिक्किम

2. उत्तरी सिक्किम

तमिलनाडु-09

1. धर्मपुरी

2. पेरमबलूर

3. इरोड

4. विल्लुपुरम

5. अरियालपुर

6. तिरुवन्नामलई

7. सलेम

8. कुशनागिरि

9. तिरूपुर

त्रिपुरा-01

1. ढलाई

उत्तर प्रदेश-68

1. श्रावस्ती

2. मुरादाबाद

3. फैजाबाद

4. बागपत

5. बलरामपुर

6. बांदा

7. देवरिया

8. जालौन

9. बहराइच

10. महोबा

11. आजमगढ़

12. फर्रूखाबाद

13. बदायूं

14. खेरी

15. गाजीपुर

16. चित्रकूट

17. सिद्धार्थनगर

18. बस्ती

19. जौनपुर

20. आगरा

21. महाराजगंज

22. हरदोई

23. बुलंदशहर

24. कन्नौज

25. कौशाम्बी

26. शाहजहांपुर

27. मथुरा

28. सहारनपुर

29. गोंडा

30. संत रविदास नगर

31. गोरखपुर

32. झांसी

33. कुशीनगर

34. बरेली

35. चंदोली

36. फिरोजाबाद

37. रामपुर

38. हमीरपुर

39. बलिया

40. मैनपुरी

41. ललितपुर

42. मिर्जापुर

43. अम्बेडकर नगर

44. वाराणसी

45. ज्योतिबाफुले नगर*

46. रायबरेली

47. अलीगढ़

48. कानपुर देहात

49. संत कबीर नगर

50. प्रतापगढ़

51. हाथरस

52. गौतमबुद्ध नगर

53. पीलीभीत

54. सुल्तानपुर

55. बिजनौर

56. मेरठ

57. सीतापुर

58. एटा

59. मऊ

60. इटावा

61. बाराबंकी

62. फतेहपुर

63. इलाहाबाद

64. कांशीराम नगर

65. सोनभद्र

66. उन्नाव

67. मुजफ्फरनगर

68. छत्रपति शिवाजी महाराजनगर

उत्तराखंड-06

1. उत्तरकाशी

2. चम्पावत

3. उधम सिंह नगर

4. टिहरी गढ़वाल

5. हरिद्वार

6. बागेश्वर

पश्चिम बंगाल-10

1. पुरुलिया

2. मुर्शिदाबाद

3. बीरभूम

4. कूच बिहार

5. उत्तर दिनाजपुर

6. बांकुरा

7. दक्षिण दिनाजपुर

8. पश्चिम मिदनापुर*

9. माल्दाह

10. जलपाईगुड़ी

दादरा और नगर हवेली-01

1. दादरा और नगर हवेली

*वामपंथी अतिवाद प्रभावित 35 जिले।

विवरण-II

देश में साक्षर भारत मिशन के लिए चयनित जिलों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित निधियां (28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)	एसएलएमए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधियां (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44569.31	27163.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3588.33	3150.33
3.	असम	2551.86	1656.00
4.	बिहार	12007.96	5907.85
5.	छत्तीसगढ़	21438.69	8915.08
6.	दादरा और नगर हवेली	23.94	7.41
7.	गुजरात	6352.47	2296.38
8	हरियाणा	1811.73	1040.54
9.	हिमाचल प्रदेश	650.41	407.55
10.	झारखंड	7667.52	1248.32
11.	जम्मू और कश्मीर	1182.99	156.21
12.	कर्नाटक	13891.70	5643.77
13.	मध्य प्रदेश	6516.84	7.26
14.	महाराष्ट्र	3015.74	2580.57
15.	मणिपुर	826.09	744.70
16.	मेघालय	402.25	145.14
17.	नागालैंड	363.45	353.34
18.	ओडिशा	2642.60	778.01
19.	पंजाब	2081.78	52.28*
20.	राजस्थान	16695.61	11210.00
21.	सिक्किम	69.59	44.70
22.	तमिलनाडु	4808.98	3021.34
23.	त्रिपुरा	91.87	68.17
24.	उत्तर प्रदेश	29373.95	5990.87
25.	उत्तराखंड	5272.08	3067.39
26.	पश्चिम बंगाल	5823.65	4270.00

*एसएलएमए द्वारा दिनांक 31.03.2012 से प्रदान की गई रिपोर्ट।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन एजेंसियां

1597. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शहरी परिवहन की खराब होती स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन किया है/करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं तथा उक्त प्राधिकरण को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) देश में शहरी परिवहन की स्थिति खराब नहीं हो रही है। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी परिवहन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है। कार्य दल द्वारा यथा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट *www.urbanindia.nic.in* पर डाल दी गई है और सरकार रिपोर्ट में सुझाए गए अनुसार शहरी परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने 21 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) को अनुमोदन प्राप्त किया है जिसमें 3 परियोजनाएं पर्ण हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत सभी 61 मिशन मोड शहरों के लिए 15260 बसें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। अनुमोदित मेट्रो रेल प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजनाओं एवं पूर्णता की समय सीमा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) 2006, में सभी दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एकीकृत मेट्रोपोलिटन परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना की अनुशंसा की गई है।

(ङ) यूएमटीए का समग्र लक्ष्य मुख्य निकाय के रूप में कार्य करना है, जो बेहतर मोबिलिटी के लिए भावी विजन के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सुनिश्चित करती है कि अपेक्षित निवेश किया जाए। यह शहरी परिवहन प्रणाली एवं उसके एकीकृत प्रबंधन की आयोजना, समन्वय और नियामक कार्यप्रणाली निष्पादित कर सकेगी। 14 राज्यों ने राज्य/क्षेत्रीय/शहर स्तर पर यूएमटीए की स्थापना कर ली है।

विवरण-I

अनुमोदित मैट्रो रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
1.	दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)	दिल्ली एमआरटीएस फेज-I	17.09.1996
		दिल्ली एमआरटीएस फेज-II	30.03.20006 04.12.2006
		केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	17.05.2007
		द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21	26.04.2008

1	2	3	4
		नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21	17.05.2007 29.01.2009
		गुड़गांव (हरियाणा) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	04.12.2006
		नोएडा (उत्तर प्रदेश) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	19.03.2008
		आनंद विहार आईएसबीटी से वैशाली (उत्तर प्रदेश) का दिल्ली मेट्रो का विस्तार	05.09.2011
		दिल्ली मेट्रो फेज-III	26.09.2011
		बदरपुर से वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद (हरियाणा) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	13.09.2011
		द्वारका से नजफगढ़ तक विस्तार	11.09.2012
		यमुना विहार से शिव विहार तक विस्तार	11.09.2012
		मुंडका से बहादुरगढ़ (हरियाणा) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	11.09.2012
2.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो	2009 में अनुमोदित
3.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो फेज-I	2009 में अनुमोदित
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो	30.07.2008
5.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो फेज-1	21.01.2011
6.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-2	2009 में अनुमोदित
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो परियोजना	2010 में अनुमोदित
8.	केरल	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना	जुलाई, 2012 में अनुमोदित

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	लम्बाई	कुल लागत	पूर्णता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)	दिल्ली एमआरटीएस फेज-I, II	103.05	35,242	मार्च, 2016

1	2	3	4	5	6
		द्वारका से नजफगढ़	5.50	1070	2015
		यमुना विहार से शिव विहार	2.717	282	मार्च, 2016
		मुंडका से बहादुरगढ़ (हरियाणा)	11.5	1990	मार्च, 2016
		बदरपुर से वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद,	13.875	2494	सितम्बर, 2014
2.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो फेज-I (भारत सरकार और राज्य का संयुक्त उद्यम)	42.3	11609	मार्च, 2015
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता पूर्वी और पश्चिमी मेट्रो	14.67	4874.58	सितम्बर, 2016
4.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-1	9.25	1250	2013 का बाद का भाग
5.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो	45.046	14600	2014-15
6.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-1 (पीपीपी) वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर	11.07	2356	2013 का बाद
		मुम्बई मेट्रो लाइन-2 (पीपीपी) चारकोप-बांद्रा-मनखुर्द	31.87	7660	2015
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो	71.16	12132	2016
8.	केरल	कोच्ची मेट्रो	25.612	5181.79	2016

एयर इंडिया फ्लाइटों का मार्ग परिवर्तन

1598. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया फ्लाइटों के विभिन्न स्थानों पर मार्ग परिवर्तन की अनेक घटनाएं हाल ही में घटी हैं, जिस कारण यात्रियों को असुविधा हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका घटना-वार क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हुए ऐसे मार्ग परिवर्तनों के कारण अब तक अनुमानित कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने एयरलाइनों के लिए यह अनिवार्य बनाया है कि फ्लाइटों के मार्ग परिवर्तन के मामले में इसकी सूचना यात्रियों को दी जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या यात्रियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है और इस संबंध में निर्धारित मानक क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (च) जी, नहीं। ऐसे कोई दिशानिर्देश/निदेश विद्यमान नहीं है।

महिलाओं के लिए रासायनिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय

1599. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक तथा दिल्ली सहित देश में केवल महिलाओं हेतु रासायनिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ए.एम.पी. शिकायतें

1600. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि विमान अनुरक्षण कार्मिकों (एएमपी) को लंबी अविनियमित कार्य पालियों में रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर दबाव हटाने और इस कमी को दूर करने के लिए और अधिक एएमपी की भर्ती हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में अन्य कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ङ) एयर इंडिया के विमान अनुरक्षण कार्मिकों (एएमपी) को लंबी अविनियमित कार्य पालियों में नहीं रखा जाता! वस्तुत: वे आवर्ती पालियों में कार्य करते हैं, जो कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 द्वारा शासित हैं।

ईडब्ल्यूएस के लिए अलग विद्यालय

1601. **श्री नित्यानंद प्रधान :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की शिकायतों के निवारण के लिए अलग से विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों से भी अपने विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए आस-पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) (ग) में व्यवस्था की गई है कि विशेष श्रेणी स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल कक्षा-1 में (अथवा प्राथमिक-पूर्व कक्षा में, जैसा भी मामला हो) आस-पड़ोस के लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों को कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक दाखिला देंगे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे।

आरटीई अधिनियम की लेखापरीक्षा

1602. **श्री जयंत चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के कार्यान्वयन की संस्थागत लेखापरीक्षा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

(एनसीपीसीआर) ने आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक लेखापरीक्षा शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सामग्री तथा समय-सीमा की रूपरेखा तैयार की है जिसके भीतर विद्यालयों को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अवश्य कराना होगा जो कि आरटीई अधिनियम का भाग है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम, जिसे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है, के अंतर्गत 41 सामाजिक विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर अनुवीक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा सभी राज्य एसएसए कार्यक्रमों की वार्षिक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षा और इसके साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली विद्यमान है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 12 जिलों में 225 पंचायतों और 10 शहरी वार्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा की है जिसमें आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के बारे में सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है।

(ङ) और (च) एनसीईआरटी ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के संबंध में आदर्श सामग्री विकसित की है जिसे राज्यों को भेजा गया है। अब तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे सीसीई की प्रणाली लागू कर रहे हैं।

गैर-अनुसूचित विमान बेड़ा

1603. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न एयरलाइंस में गैर-अनुसूचित विमानों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या कई विमानन कंपनियों ने अपने गैर-अनुसूचित संचालनों को प्रारंभ करने में रुचि प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इन संचालनों में प्रमुख सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर-अनुसूचित एयरलाइंस के सभी सुरक्षा मुद्दों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) दिसंबर, 2012 तक, गैर-अनुसूचित एयरलाइनों के प्रचालक परमिट में पृष्ठांकित विमानों की संख्या 410 थी।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड 3, विमान यातायात श्रृंखला 'सी' भाग-III के रूप में उचित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो गैर-अनुसूचित विमान यातायात सेवाओं के प्रचालन के लिए परमिट प्रदान करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित करती है। अब तक 147 वैध गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट धारक हैं। सीएआर में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली कंपनियों को विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(घ) से (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने गैर-अनुसूचित एयरलाइनों सहित एयरलाइनों के लिए संरक्षा अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। डीजीसीए प्रचालन के लिए संरक्षा अपेक्षा सुनिश्चित करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन

1604. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई दीर्घावधि योजना है; और

(घ) यदि हां, तो अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयोजन हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी अंगीकार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने ठोस कचरा प्रबंधन पर एक प्रौद्योगिकी सलाहकार दल गठित किया है इस दल की रिपोर्ट जिसे मई, 2005 में अंतिम रूप दिया गया था, में वित्तीय और प्रौद्योगिकी मुद्दों सहित ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया है। इस रिपोर्ट को अपनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। मार्च, 2003 में रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ सिटी कम्पोस्ट का उपयोग करके समेकित संयंत्र न्यूट्रिएन्ट प्रबंधन की कार्य योजना तैयार करने के लिए एक कार्यदल भी गठित किया गया था। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को भी परिचालित की गई थी।

(ग) इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सहित 10 एयरफील्ड कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम, सिक्किम सहित क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान संबंधी स्कीम के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रमशः वर्ष 2000 और वर्ष 2005 में प्रकाशित ठोस कचरा प्रबंधन पर मैनुअल और म्युनिसिपल ठोस, कचरा प्रबंधन पर प्रौद्योगिकी सलाहकार दल की रिपोर्ट में म्युनिसिपल ठोस कचरे को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर एकत्रीकरण, परिवहन, संसाधन, शोधन और निपटान करने की विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया गया है।

एम.डी.एम.एस. का विस्तार

1605. **श्री नलिन कुमार कटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतम विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों हेतु अनिवार्य मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा केन्द्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के निर्धन छात्रों को भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मध्याह्न भोजन योजना में सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) के अंतर्गत चल रहे केन्द्रों/सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समर्थित मदरसों/मक्तबों सहित वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा (एआईई) केन्द्रों में अध्ययनरत कक्षा-I-VIII के बच्चों को शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) वर्तमान में, मध्याह्न भोजन योजना केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को शामिल नहीं करती है। इन विद्यालयों में अधिकाशंत: सरकारी कर्मचारियों के बच्चे शामिल होते हैं।

आई.सी.एस.एस.आर.

1606. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.) में कतिपय मुख्य ढांचागत परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आई.सी.एस.एस.आर. के अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान नेटवर्क पुनर्गठन के लिए और देश में और अधिक ऐसे अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के लिए 23 सितम्बर, 2010 को एक समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 28 जून, 2011 को प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट इस मंत्रालय की वेबसाइट *http://www.mhrd.gov.in* पर उपलब्ध हैं इस समिति की मुख्य सिफारिशों में परिषद की पुनर्संरचना और पुन: डिजाइनिंग करना, अनुसंधान को सुदृढ़ करना, संसाधनों एवं वित्तों में सुधार करना तथा परिषद के संस्थानों का पुनर्गठन करना शामिल है।

इस अनुसंधान परिषद के अनुसार समीक्षा समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की गई है। इस परिषद के संगम ज्ञापन को संशोधित करने का निर्णय किया गया है ताकि परिषद के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और गैर पदेन अकादमिक सदस्यों की नियुक्ति को सुचारू बनाकर, ऐसी नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और इसके अतिरिक्त इस परिषद को कार्यकरण में अधिक स्वायत्तता एवं निरंतरता प्रदान की जा सके।

(ग) उक्त समीक्षा समिति ने इस अनुसंधान परिषद के पुनर्संरचना तथा संस्थागत नेटवर्क के सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव भी दिए हैं। इनमें न्यूनतम आरंभिक संकाय संख्या, परिषद द्वारा स्वीकृत पदों के वेतन व्यय का 100 प्रतिशत भुगतान और परिषद से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे सभी विद्यमान 25 अनुसंधान संस्थानों को कार्य अनुदान तथा अध्ययन के उन प्रादेशिक क्षेत्रों में नए आई.सी.एस.एस.आर. अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना जहां इस समय ऐसे संस्थान नहीं हैं। आई.सी.एस.एस.आर. ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि समाज विज्ञान में अनुसंधान परिणाम, छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं वर्तमान में राष्ट्रीय समाज विज्ञान प्रलेखन केन्द्र से प्राप्त 3700 पीएच.डी. शोध, ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं। ये वेबसाइट *http://www.vidyanidhi.org.in* पर उपलब्ध हैं।

जलवायु परिवर्तन पर इसरो के प्रयोग

1607. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगइन (इसरो) जलवायु परिवर्तन की प्रघटना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग कर रहा है तथा अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु 11वीं और 12वीं योजना अवधि में कितनी धनराशि व्यय हुई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) निम्नलिखित कार्य करता है:

(i) तापमान, आद्रर्ता, दाब और ओजोन का मापन करने हेतु रेडियोसोंडे तथा ओजोनसोंडे वाहक बैलूनों के माध्यम से परीक्षणों का आयोजन;

(ii) उपकरणों सहित वैधशालाओं के नेटवर्क की स्थापना जिसमें एयरोसोलों के मापन हेतु स्वदेशी रूप में विकसित बहु-तरंगदैर्ध्य रेडियोमापी, काले कार्बन के मापन के लिए अथैलोमीटर, प्रकीर्णन गुणांक के मापन हेतु नेफेलोमीटर, कण के आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व के मापन हेतु क्वार्ट्ज क्रिस्टल सूक्ष्मतुला; रसायनिक प्रदूषण के मापन हेतु सीमा परत लिडार; और उपग्रह तथा भू-आधारित पर्यवेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग शामिल है।

(iii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से कृषि प्रणालियों, रासायनिक प्रदूषण और वायुमंडलीय कार्बन पृथक्करण में भूमि उपयोग/भू-आवरण गतिकी, वायुमंडलीय एयरोसोलों और अनुरेख गैस रसायन पर अध्ययन आयोजित करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए व्यय की गई राशि 90.31 करोड़ रुपए है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस उद्देश्य हेतु योजना परिव्यय 150 करोड़ रुपए है।

नई लेखा प्रणाली

1608. **श्री पन्ना लाल पुनिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, तथा सीबीएसई से संबद्ध या उनके अंतर्गत विभिन्न संस्थानों हेतु नई लेखा प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावित कदमों से शैक्षिक संस्थानों की मुनाफाखोरी को रोकने में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र वाली शैक्षिक संस्थाओं में नए लेखा मानकों को वित्त वर्ष 2013-14 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई लेखा प्रणाली इस मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों पर आधारित है। कार्यदल की कुछेक सिफारिशें निम्नलिखित हैं:—

(i) सभी शैक्षिक संस्थाओं को लेखाकरण का प्रोद्भवन आधर लागू करने का अधिदेश होना चाहिए।

(ii) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों को शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

(iii) उद्दिष्ट/अभिहित निधियों के लिए निधि आधारित लेखाकरण लागू किया जाना चाहिए।

(iv) सभी शैक्षिक संस्थाओं को अपनी सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए साझा फार्मेट अपनाना चाहिए ताकि समुचित जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन, निधियों का सही प्रयोग सुनिश्चित हो और पणधारियों की जरूरतें पूरी हों।

(ग) जी, हां। शैक्षिक संस्थाओं में नई लेखाकरण प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप उनके द्वारा निधियों के सही प्रयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।

हवाई कार्गो प्रभार

1609. श्री मानिक टैगोर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान कई भारतीय कैरियरों द्वारा अधिक मात्रा में एयर कार्गो दर बढ़ाई गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके एयरलाइन-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या किसी उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने और कार्गो प्रभारों में वृद्धि की जांच करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा हवाई कार्गो प्रभारों को वहनीय बनाने के लिए कैरियरों द्वारा मनमानी बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय ने कार्गो एयरलाइनों के मूल्य निर्धारण तंत्र के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। तथापि, विमान किरायों का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि ये बाजार की मांग तथा आपूर्ति शक्तियों पर निर्भर करते हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा कार्गो शुल्क की बढ़ोत्तरी में हस्तक्षेप तथा जांच करने के लिए किसी भी ग्राहक सेवा संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. की लंबित परियोजनाएं

1610. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अस्पतालों, कॉलेजों और औषधालयों के लिए भूमि के आबंटन की विभिन्न परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र अनुमति देने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में औषधालयों के लिए 17 स्थलों, अस्पताल हेतु 02 स्थलों और कॉलेज/विश्वविद्यालय हेतु 01 स्थल हेतु भूमि के आबंटन के अनुरोध की जांच की जा रही है बशर्ते कि भूमि की व्यवहार्यता रिपोर्ट, ले-आउट प्लान और कानूनी स्थिति का आकलन प्रस्तुत कर दिया जाए। उक्त पात्रता मानदंडों के आलोक में आबंटन के अनुरोध निपटाए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.00¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) 26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची शुद्धि*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं "26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की शुद्धि" के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मध्याह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री वी. नारायणसामी - उपस्थित नहीं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:-

(1) रिसर्च एंड इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) रिसर्च एंड इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8472/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजीव विद्या मिशन, सर्व शिक्षा अभियान (पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (दो) राजीव विद्या मिशन, सर्व शिक्षा अभियान (पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8473/15/13]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों

---

*सभा पटल पर रखी गई और ग्रंथालय में भी रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8488/15/13

को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8474/15/13]

(5) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8475/15/13]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8476/15/13]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8477/15/13]

(11) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8478/15/13]

(13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8479/15/13]

(15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8480/15/13]

(17) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8481/15/13]

(19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटि ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8482/15/13]

(21) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 79(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1548(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8483/15/13]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

(एक) वायरलेस डाटा सेवाओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता का प्रतिमानक विनियम, 2012 जो 4 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 305-12/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन्स अभिगम सुसाध्यीकरण प्रभार तथा सह-अवस्थिति प्रभार विनियम, 2012 जो 21 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 416-5/2012-एनएसएल-आई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ब्रॉडबैंड सर्विस की सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012 जो 24 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 305-21/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8484/15/13]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दास मुंशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8485/15/13]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

31वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी) : महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(दो) (क) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री जी.के. वासन की ओर से मैं पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पयर्टन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8486/15/13

लोक सभा में कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 और दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन - भाग II के द्वारा जारी किए गए निर्देश 73ए के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग-संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को 177वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. 177वें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति की बैठक 16 अप्रैल, 2012 को हुई। उपर्युक्त समिति ने 3 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन विचार किया और उसे अंगीकार किया। 177वें प्रतिवेदन को 07.05.2012 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और इसे 07.05.2012 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

3. मैं 177वें प्रतिवेदन में निहित उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति देने वाला एक विवरण भी सभा पटल पर रख रहा हूं।

अपराह्न 2.02½ बजे

(ख) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8487/15/13

[श्री मिलिन्द देवरा]

अनुदानों की मांगों (2012-13) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

माननीया अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73 'क' के अनुसरण में, मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित विलंब विवरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्यान्वयन स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सदन का बहुमूल्य समय लिय बगैर सदन के पटल पर रखना चाहूंगा।

अपराह्न 12.02¾ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-*जारी*

अध्यक्ष महोदया : श्री वी. नारायणसामी। कृपया भविष्य में, उपस्थिति रहने का ध्यान रखे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उप-धारा (2) के तहत दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को अधिसूचना सं. जी.एस.आर 649(ई) में प्रकाशित भारतीय पुलिस बल (विशेष भत्ता) नियम, 1977 को निरस्त करते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 18(ई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8471/15/13]

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे! सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभापटल पर रखने के इच्छुक है तो वे स्वयं 20 मिनट के अन्दर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभापटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष को व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों के अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं का यहां अभाव है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को तो पूर्णत: अभाव है, जिसके कारण प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। सुल्तानपुर जनपद में 14 विकास खंड है, जिसमें से 13 विकास खंडों को शैक्षित दृष्टि से पिछड़ा हुआ विकास खंड चिन्हित किया गया है यानि कि 92.85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं की कमी नहीं है किंतु स्तरीय शिक्षण संस्थाओं के अभाव में इनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली छात्र/छात्राएं आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार से होने के कारण बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में माडल स्कूल खोलने की योजना के अंतर्गत मेरे जनपद-सुल्तानपुर के 3 विकास खंडों में स्वीकृति प्रदान की गई है।

मेरा अनुरोध है कि सुल्तानपुर जनपद के शेष 10 विकास खंडों में भी माडल स्कूल स्वीकृत करें, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं के साथ न्याय हो सके।

(दो) मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का निरसन किए जाने तथा राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार की घटनाओं को भी रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : मणिपुर में नशीले पदार्थों के व्यापार की काफी गतिविधियां चल रही हैं। राज्य पुलिस

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

कमांडोज़ को चंदेल जिले में पैलेल पर म्यंम्मार में करीब 25 करोड़ रुपए मूल्य के साइकोट्रॉपिक नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश करते हुए पांच अन्य लोगों सहित जन-संपर्क अधिकारी (रक्षा स्कंध) पकड़ा उसी दिन, नार्कोटिक और सीमा के कार्य (एनएबी) के कार्मिकों ने इम्फाल हवाईअड्डे से लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की पेटाज़-टीआर गोलियों के एक अन्य बहुत बड़े परेषित माल को जब्त किया। दो महीनों से भी कम समय में ऐसा चौथी बार हुआ है कि मणिपुर की पुलिस ने राज्य में एक बहुत बड़े परेषित माल को जब्त किया है। 11 जनवरी को इम्फाल पश्चिम की विशेष आसूचना ईकाई (एसआईयू) ने इम्फाल के तुलिहल हवाई अड्डे से लगभग 1.4 करोड़ रुपए मूल्य की कॉन्ट्राबैंड स्युडोएफेड्रीन गोलियों की बहुत बड़ी मात्रा जब्त की है, इसके अलावा, 15 फरवरी को इम्फाल (पूर्व) पुलिस ने मंत्रिपुखरी लगभग 1.3 करोड़ रुपए मूल्य के वही नशीली गोलियां जब्त कीं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए, देश के इस हिस्से में चल रहे नशीले पदार्थों के व्यापार को रोके और सबसे महत्वपूर्ण, मैं केन्द्र सरकार से एएफएसपीए, 1958 को तत्काल निरसित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) देश के आंग्ल-भारतीय समुदाय बहुल शहरों में आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : यूरोपीय संतति समुदाय, जिसे अब आंग्ल भारतीय नाम से जाना जाता है, अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। आंग्ल-भारतीय समुदाय को केन्द्रीय सेवाओं में रोजगार में आरक्षण देने से मना किए जाने के बाद उनकी स्थिति में अचानक परिवर्तन होने के कारण वे आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं तथा इनमें अधिकतर को किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। अपने जन्म स्थान से दूर तथा अपने सगे-संबंधियों से दूर, इस समुदाय का स्थान परिवर्तन उनकी जीवन-शैली तथा भाषा को गंवाने में मुख्य कारक रहा है ओर इससे उनकी संस्कृति भी नष्ट हुई है।

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं तथा संस्थाओं की शुरूआत की है। लेकिन इन मामलों में आंग्ल-भारतीय पिछड़े हुए है। यह आवश्यक है कि कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर, मुंबई, चेन्नई, कोचीन जैसे शहरों तथा अन्य स्थानों जहां आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं, में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाए। मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन परियोजनाओं के लिए निधियों के आबंटन के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं तथा मंत्रालय स्तर पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक भूमि का आवंटन किया जाता है तथा सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण कार्य भी किया जाता है।

(चार) हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में उन किसानों, जिनकी फसलें पाले और ठंडी हवाओं के कारण नष्ट हो गई है, को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में पाले के कारण हुए नुकसान के लिए प्रतिकर को तत्काल जारी किए जाने के लिए अनुरोध की आकृष्ट कराना चाहती हूं।

इस संबंध में, दक्षिण हरियाणा में पाला तथा ठंडी हवाओं के कारण हुई क्षति के लिए पर्याप्त प्रतिकर जारी करने के लिए अनुरोध करने तथा स्थिति का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् प्राकृतिक ''पाला'' को प्राकृतिक आपदाओं की अर्ह सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध करने के लिए मैंने 18 फरवी, 2012 को माननीय कृषि मंत्री से भेंट की थी। प्रभावित किसानों तथा उनके परिवारों को राहत देने के लिए फसल के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने राज्य राजस्व अधिकारियों के साथ विशेष 'गिरदावरी' किया था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में फसल विशेषकर सरसों तथा जो की फसल या तो बर्बाद हो गई या बुरी तरह से प्रभावित हुई।

यह पाया गया है कि गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को संबोधित अपने दिनांक 20 सितंबर 2012 पत्र सं. 32-3/2012-एनडीएम-1 के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जनवरी-फरवरी, 2012 में ठंडी हवा/पाला के प्रबंध के लिए 31.10 करोड़ रुपए का आबंटन किया था, जो कि ज्ञापन तथा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने तथा उस पर राज्य आपदा अनुक्रिया बल तथा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के अंतर्गत सहायता कि विद्यमान मदों तथा मानकों के अंतर्गत उस पर अन्तर मंत्रालयीय समूह की स्वीकृति पर विचार करते हुए 12.9.2012 को हुई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तथापि, एक वर्ष बीत जाने के बावजूद, भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले में प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

[श्रीमती श्रुति चौधरी]

अत: मैं, अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृषि मंत्रालय के परामर्श से मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए तथा इस प्रयोजनार्थ अविलंब प्रतिकर के रूप में निधियों को जारी कर किसानों तथा उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए।

(पांच) ओडिशा के सुन्दरगढ़ जिले में बीएसएनएल टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमानन्द बिसवाल (सुन्दरगढ़) : दूरसंचार सेवा के विस्तार के लिए बीएसएनएल ने ओडिशा सर्किल के सुन्दरगढ़ जिले के सुदूर क्षेत्रों में टावरों का निर्माण किया है। यह सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है जिसमें मुख्य रूप से जनजातियां रहती हैं। इसका एक बड़ा भाग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है। दूरसंचार उग्रवाद को रोकने तथा समावेशी विकास सहित अच्छे प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन काफी निराशा की बात है कि निर्माण किए गए 22 टावर कार्य नहीं कर रहे हैं का इसलिए उनके निर्माण का प्रयोजन बुरी तरह से विफल हो गया है। क्षेत्र में नियमित दौरे के दौरान, मुझको भी व्यक्तिगत रूप से इस समस्या से जूझना पड़ा है। मैंने शिकायत के तत्काल निपटान करने के लिए इस मामले को दूरसंचार प्राधिकारियों की जानकारी में लाया, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है। इस संदर्भ में, मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा टावरों को तत्काल चालू करने के लिए यथावश्यक कदम उठाए जाएं।

(छह) महाराष्ट्र में मुरुर रेलवे स्टेशन पर लातुर एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 22107/22108) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : लातूर से मुंबई तथा मुंबई से लातूर प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी लातूर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22108 तथा 22108 जिसका मुरुड़ स्टेशन पर ठहराव नहीं है, इस स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं रूकने से क्षेत्र के हजारों लोगों को अपनी यात्रा शुरू तथा समाप्ति हेतु लातूर ही जाना पड़ता है, जिसके कारण आम जन का काफी समय बर्बाद होता है। मुरुड़ नहीं जाकर लातूर जाने से आस-पास के करीब 15 गांवों की जनता लगभग 25 से 30 कि.मी. के फासले पर लातूर जाकर यह रेलगाड़ी पकड़ते हैं तथा मुरुड़ स्टेशन पर गाड़ी नहीं रूकने के कारण यहां के तथा आस-पास के लोगों को मजबूरन लातूर तक की दूरी तय करनी पड़ती है और उन्हें वापस अपने गांवों में लौटना पड़ता है।

मेरी क्षेत्रीय जनता की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार से मांग है कि मुरुड़ स्टेशन पर लातूर एक्सप्रेस गाड़ी का अविलम्ब स्टोपेज देने हेतु आदेश प्रदान करे, ताकि क्षेत्रीय व्यापारियों, किसानों तथा भारी मात्रा में नियमित यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके तथा अपने समय का सदुपयोग कर सके।

अत: क्षेत्र की जनता की यह जायज मांग है। इस पर शीघ्र अमल किया जाए।

(सात) महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति का दर्जा लागू करने के लिए धंगर समुदाय बड़े लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं।

मानवजाति विज्ञान की तथ्य के रिपोर्ट के अनुसार धंगड़ और धंगर एक ही जाति है जो चरवाहों की जाति है। यही कारण है कि दोनों शब्द ही एक समुदाय के हैं जो महाराष्ट्र के चरवाहों से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य ने दो बार भारत सरकार को अनुसूचित जनजाति की सूची में धंगर समुदाय को शामिल करने की सिफारिश की थी। 1989 में भी कैग रिपोर्ट में धंगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई थी।

इसलिए यह विनम्रतापूर्वक सरकार को अनुरोध किया जा रहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप पर धंगर समुदाय को महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक न्याय प्रदान करें।

(आठ) जिन किसानों को उनकी कृषि भूमि के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइनों के कारण जान और फसल की हानि होती है, उन्हें प्रतिकर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाए गए पावरग्रिडों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पा.ग्रि. इं.लि. द्वारा स्थापित पावरग्रिड देश के विभिन्न राज्यों की कृषि भूमि पर लगाए गए हैं। पावरग्रिडों की विद्युत तारें अक्सर लहलहाते खेतों पर टूटकर गिर जाती हैं। हाईपावर तारें खेतों में खड़ी तैयार फसल को जलाकर बर्बाद कर देती हैं। दर्जनों खेत जलकर स्वाहा हो जाते हैं। इससे देश को करोड़ों रुपये के खाद्य का भी नुकसान होता है। तारें गिरने से कभी-कभी किसानों की भी तत्काल मृत्यु हो जाती है। किंतु बड़े दुख की बात है कि कंपनी द्वारा इसका मुआवजा किसान

को अथवा उसके परिवार को नहीं दिया जाता है जोकि सरासर अन्याय है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के गरीब किसानों के साथ न्याय करते हुए संबंधित कंपनियों को मुआवजा देने का प्रावधान बनाने हेतु निर्देश दिए जाएं जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके तथा जहां टावर खड़ा करते हैं उस जमीन का भी मुआवजा किसानों को दिया जाए।

(नौ) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर में ओएनजीसी के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के अंकलेश्वर क्षेत्र में स्थित ओएनजीसी का पीएसयू कार्यरत है उसमें एक ओर तो नियमित ओएनजीसी के रेगुलर मजदूर है जिनका पच्चीस हजार से ज्यादा वेतन मिल रहा है और उनको कार्य करने के लिए सुरक्षा उपकरणों की किट भी मिलती है। दूसरी तरफ ठेके पर जो मजदूर है वे स्थानीय लोग है और अनुसूचित जनजाति से है उनको चार हजार से कम का वेतन मिलता है और उनको किट भी नहीं मिलती है जिसके कारण कई मजदूरों का दुर्घटना होने की स्थिति में उनके किसी अंग का नुकसान पहुंच सकता है। कई मजदूर घायल भी हो जाते हैं। ओएनजीसी का 95 प्रतिशत इन्हीं ठेके वाले मजदूरों द्वारा किया जाता है। नियम के हिसाब से जो काम इन ठेके वाले मजदूरों से करवाया जाता है वह ठेके वाले मजदूरों से नहीं करवाया जा सकता है एवं इसकी शिकायत करने पर इन्हें नौकरी पर से निकाल दिया जाता है। ओएनजीसी के उपरोक्त पीएसयू में रेग्यूलर मजदूरों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओएनजीसी एक नवरत्न कंपनी है जिसके कारण श्रम संबंधी कार्य में निर्णय ओएनजीसी अपने स्तर पर लेती है और सीधे नियुक्ति भी कर सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि ओएनजीसी के उपरोक्त पीएसयू में सभी कामगों को एक समान वेतन, सेवा शर्तें एवं कार्य करने की अच्छी परिस्थितियां सुलभ कराई जायें।

(दस) उत्तराखंड में टिहरी बांध के आर-पार जाने वाले पैदल यात्रियों की मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। टिहरी झील में पानी भरने के बाद झील के दूसरी ओर जाने के लिए जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेषकर टिहरी वासियों को डैम के ऊपर से आवागमन का हक नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा कारणों को वजह बताया जाता है। जबकि भाखड़ा नांगल के ऊपर से आवाजाही खुली हुई है। झील के दूसरी तरफ टिपरी, धनशाली, रजाखेत और प्रतापनगर जाने वाली जनता को 15 कि;मी; का लंबा पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता हैं इस 15 कि.मी. रास्ते को पार करने में एक घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है तथा पैट्रोल/डीजल की भी अधिक खपत होती है और दुर्घटना भी समय-समय पर होती रहती है जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जबकि डैम के ऊपर से जाने से मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है और टिपरी के आसपास के ग्रामीण पैदल ही अपने घर जा सकेंगे। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जनहित में टिहरी की जनता को डैम के ऊपर आने-जाने की सुविधा दी जाए। इससे पेट्रोल/डीजल की भी बचत होगी तथा कीमती समय भी बचेगा।

(ग्यारह) मिड-डे-मील योजना को पुनः चालू किये जाने तथा योजना के प्रबंधन से शिक्षण कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने की आवश्यकता

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : मिड-डे-मिल (माध्याहन भोजन) में कक्षा 1 से कक्षा-8 तक बच्चों को दोपहर में खाना खिलाया जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उस स्कूल के अध्यापक को दी जाती है। खाने की गुणवत्ता, खाने का सामान, हिसाब-किताब और उसके बनवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी अध्यापक पर है। वैसे तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस-एम-सी) का भी एक्ट में प्रावधान है जिसमें 15 मेंबर होते हैं। उसमें बच्चों के अभिभावक की तरफ से प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते हैं, और इस व्यवस्था में गांव का प्रधान पूरी तरह से बाहर रखा जाता है।

इसका हिसाब-किताब और बैंक ऑपरेशन भी हेडमास्टर करता है, और संक्षेप में शुरू से अंत तक मध्याहन भोजन की पूरी जिम्मेदारी अध्यापक पर रहती है, और उसके बाद ग्रामवासी अभिभावकगण बच्चे और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी जैसे बेसिक अधिकारी आदि सीधे अध्यापक पर पूरी जिम्मेदारी को निभाने का उत्तरदायित्व रखते हैं।

इस पूरी कार्यवाही में ग्राम प्रधान को पृथक रखा गया है, जबकि भारत के संविधान में पार्ट-9 की धारा-243बी में ग्रामसभा धारा-243ए में लिखा है कि ग्रामसभा में एक्सरसाइज सच पावर एड विलेज लेबल एज लिजेस्लेचर आफ स्टेट एवं धारा-243 सी कान्सटीयूशन ऑफ पंचायत में सीधे चुनाव द्वारा प्रधान चुनने की प्रक्रिया दी है जिसको संविधान में पंचायत का चेयर परसन भी कहा जाता है।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

243ए में पंचायत में चेयर परसन के चुनाव का प्रावधान है, पर स्कूल जो कक्षा-1 से कक्षा-5 तक प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक पाठशाला और कक्षा-5 से कक्षा-8 तक जूनियर हाईस्कूल तक ये प्राय: स्कूल प्रति ग्रामसभा में होते हैं परंतु जो गांव में स्कूल हैं उस स्कूल से प्रधान को कोंसों दूर रखा गया है ये पंचायतीराज और केन्द्र सरकार की नीति की दुर्दशा है।

इस पूरी प्रक्रिया में हेडमास्टर या किसी स्कूल में एक ही अध्यापक होता है उसको जिम्मेदारी देने से वह पढ़ाई छोड़ करके खाने से संबंधित सब काम दिन-भर करता है। और सरकार उसे वेतन पढ़ाने के लिए देती है और इस स्कूलों से बच्चों की पढ़ाई न होकर बच्चों को खाना बनाने की कला व रसोइया बनाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि स्कूल में शिक्षा लुप्त हो रही है। छोटे-छोटे बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं यदि इनकी नींव कमजोर हो गयी तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

मेरा सुझाव व मांग है कि..........

1. शिक्षकों को मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन) से दूर रखा जाए।

2. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को प्रभावी बनाया जाए।

3. मिड-डे-मील की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में मिड-डे-मील की कमेटी को सौंपा जाए।

(बारह) बिहार में पिपरा से उत्तर प्रदेश में कसेया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को चार लेन वाला बनाये जाने के कार्य का आरंभ करने तथा बिहार के गोपालगंज जिले में कमला राय चौक राजमार्ग पर एक ऊपरिपुल का निर्माण भी किये जाने की आवश्यकता

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज) : हमारे संसदीय क्षेत्र बिहार राज्य के गोपालगंज में एन.एच. 28 पिपरा से कसेया, उत्तर प्रदेश जाने वाली फोरलेन सड़क बन रही है। उसमें पैकेज 9 का कार्य संवेदक पी.सी.एल. कंपनी को दिया गया है इस कंपनी के द्वारा किया कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं है। इसकी जांच कराई जाये तथा यह कार्य दो वर्षों से बंद है। इस पथ में कमला राय चौक पर एक फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता है। कारण यह है कि पी.डब्ल्यू.डी सड़क पश्चिम चंपारण, बेतिया से गोपालगंज शहर होते हुए सीवान जाती है। अगर फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं होता है, तो शहर के लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा।

मैं माननीय मंत्री सड़क परिवहन से मांग करता हूं कि कमला राय चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण के साथ-साथ पैकेज 9 फोर लेन सड़क का निर्माण कराने का कष्ट करें और पूर्व के हुए कार्य की भी जांच करावें।

(तेरह) देश में किन्नरों की समस्याओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : किन्नरों की पहचान न तो पुरुषों के रूप में है, न ही महिलाओं के रूप में। संक्षेप में कहें तो किन्नर पुरुष शरीर में महिला मानसिकता वाले प्राणी होते हैं। हमने आजादी के 65 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किन्तु किन्नरों को आज भी आजादी नहीं मिली है। उन्हें आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मुगल शासक उन्हें हरम में रहने वाली औरतों के रक्षक के रूप में व्यवहार करते थे। सेलवेशन ऑफ ऑप्रेस्ड यूनक (एसओओई) नामक एक संगठन की ओर से मेरी जानकारी में यह बात लाई गई है। यह संगठन अपनी शिकायतों को जोर-शोर से उठाने के लिए प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु वर्षों से अथक प्रयास करता रहा है। इस संगठन के सरकार को निरंतर पत्र लिखते रहने के प्रयास से कोई वांछित परिणाम सामने नहीं आया है।

हालांकि किन्नरों को दूसरों को आशीष देने की निष्ठा की दैविक शक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्राप्त है, पर दु:ख की बात है कि उन्हें स्वयं ही समाज में नीची निगाह से देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से इस बात का पुरजोर आग्रह व अनुरोध करती हूं कि वे किन्नरों को समाज का सम्मानित अंग मानते हुए उनकी शिकायतों पर अविलम्ब गौर करें।

(चौदह) देश में कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली कुर्माली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : मैं माननीय गृह मंत्री के

ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए समय-समय पर सम्मानजनक प्रयास होता रहा है और यह हमारी सांविधिक बाध्यता के अनुरूप ने केवल राजनीतिक एकता को अशुण्ण रखने, बल्कि सांस्कृतिक व भाषाई विविधता की रक्षा और इसे बनाए रखने के लिए भी किया जाता रहा है।

मैं कुर्मी समुदाय के बारे में कुछ शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। वे हिन्दू कृषक समुदाय हैं जो भारत के कुछेक हिस्सों में निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल में वे पश्चिम पुरुलिया, बांकुरा, माल्दा, नादिया और पश्चिम मिदनापुर जिलों में रहते हैं और कुर्माली भाषा बोलते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाषा किसी समुदाय का उसके अनुभव, भावना, दु:ख और सुख को व्यक्त करने का मुख्य साधन होती है। तकरीबन छह लाख भारतीय इस भाषा को बोलते हैं। फिर भी, इस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

अत: मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कृपया कर इस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के मामले पर विचार करें।

(पन्द्रह) चेन्नई एगमोर-गुरुवयुर-चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस चेन्नई-एगमोर-त्रिवेन्द्रम, अनंतपुरी एक्सप्रेस ट्रेनों को उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन पर ठहराव किये जाने की आवश्यकता

श्री एम. आनंदन (विलुपुरम) : उलुन्द्रपेट विलुपुरम जिले (तमिलनाडु) में लगभग 4 लाख की आबादी वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें अधिकांश व्यवसायी लोग हैं जो रोज भिन्न-भिन्न जगहों के लिए आया-जाया करते हैं। यह इस जिले का मुख्य केन्द्र है जो एक और दक्षिणी जिलों अर्थात् त्रिचिरापल्ली और मदुरै को और पश्चिम की ओर सेलम व कोएम्बटूर को जोड़ता है। यह तिरुनेलवेली-चेन्नई लाइन के मुख्य ट्रंक मार्ग पर स्थित है। यह स्थान तिरुपति और बंगलोर से भी जुड़ा हुआ है। भिन्न-भिन्न दिशाओं में भिन्न-भिन्न स्थानों को जोड़ने वाले इस मुख्य केन्द्र पर भारी सड़क यातायात होता है।

उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन मुख्य चेन्नई एगमोर-तिरुनेलवेली मुख्य मार्ग पर स्थित है। फिर भी, इस स्टेशन पर कोई भी मेल एक्सप्रेस। सुपरफास्ट ट्रेन नहीं रूकती है।

ऐसी कई मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेने हैं जो इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं। जैसा कि उलुन्द्रपेट स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, इसलिए लोगों को तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तिरुनेलवेली या चेन्नई जैसे कई अन्य स्थानों का दौरा करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन पर कम-से-कम दो ट्रेनों अर्थात् चेन्नई एगमोर-गुरुणयुर - चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस ट्रेनों (ट्रेन सं. 16127/16128) और चेन्नई एगमोर-त्रिवेन्द्रम अनंतपुरी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए आदेश जारी किए जाएं।

(सोलह) ओडिशा के गंजम जिले में प्रस्तावित बारहमासी गोपालपुर पत्तन का निर्माण कार्य शीघ्र किये जाने की आवश्यकता

श्री विभूप्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित गोपालपुर बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और आदर्श रूप में यह भारत के पूर्वी तट पर भी स्थित है। गोपालपुर पोर्ट को बारहमासी पोर्ट के रूप में बनाने के प्रथम चरण का कार्य मार्च, 2013 तक पूरा किया जाना था। उक्त पोर्ट के निर्माण के अलावा विद्युत वितरण प्रणाली, रेलवे, सड़क सम्पर्क आदि जैसी अन्य सहायक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी साथ-ही-साथ विचार किया गया था। फिर भी आज की तारीख में निर्माण कार्य उस स्तर तक नहीं हुआ है जिसकी कल्पना की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि गोपालपुर पोर्ट को बारहमासी पोर्ट बनाने के लिए और अधिक संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने और साथ ही उनके लिए प्रोविडेन्ट फंड ईएसआई आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान की वैसी ही आवश्यकता है जैसी कि केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए है।

उक्त के आलोक में मैं संबद्ध मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रस्तावित बारहमासी गोपालपुर पोर्ट को शीघ्रपूरा किया जाए और इसके निर्माण कार्य में और अधिक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और उन्हें सभी सुविधा मुहैया कराई जाए।

अपराह्न 12.03½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब शून्यकाल

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गंभीर प्रकरण की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। कल सीएजी की तरफ से दो रिपोर्ट्स सभा पटल पर रखी गई हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट किसानों के कर्ज माफी योजना से संबंधित है। आपको मालूम है कि सन् 2009 के चुनाव से एक वर्ष पहले सन् 2008 में सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपए की किसान कर्ज माफी योजना की शुरूआत की थी, जिससे आत्महत्याएं करते हुए किसानों को एक राहत का अहसास हुआ था कि हमारे कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। हम भी सोच रहे थे कि उनमें अब आत्महत्या का सिलसिला रूकेगा। लेकिन कल जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत चौंकाने वाले और पूरे देश को शर्मसार करने वाले तथ्य सामने आये हैं। सीएजी ने उस रिपोर्ट में कहा है कि कितने हजार पात्र व्यक्तियों के कर्ज माफ नहीं किये गये और कितने ही हजार अपात्र व्यक्तियों के कर्ज माफ कर दिये गये। वे माइक्रो फाइनैन्स इंस्टीटयूशंस जिन्हें कोई पैसा देय नहीं बनता था, उन्हें भी वह पैसा दे दिया गया।

महोदया, हमारी सदन की स्थापित परम्परा है कि सीएजी की रिपोर्ट्स पीएसी के पास निरीक्षण के लिए जाती हैं, इसलिए हम सीएजी की रिपोर्ट्स पर आज चर्चा करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर की। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आज से पहले भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण उजागर हुए हैं, उसमें आरोप सरकार पर लगे हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है, जहां सरकार खजाने का पैसा बैंक कर्मचारी और अधिकारी लूटते रहे, मगर सरकार उसकी निगरानी नहीं कर सकी। अपने दिए पैसे पर भी जो सक्रिय मॉनिट्रिंग होनी चाहिए थी, वह नहीं कर सकी। पहली बार, सीएजी ने रिपोर्ट फाइनल करने से पहले आरबीआई को यह कहा कि हमने यह पाया है कि हज़ारों अपात्र लोगों को पैसा मिल गया है। हज़ारों लोगों को जितना पैसा दिया जाना था, उससे ज्यादा मिल गया। उन्होंने वे आंकड़े उसके सामने रख दिए। 7 दिसंबर को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के यहां एक मीटिंग हुई और 15 जनवरी को एक परिपत्र, एक सरक्युलर आरबीआई ने बैंकों को जारी किया। उसकी प्रति मेरे हाथ में है। 15 जनवरी को आरबीआई ने यह कहा कि भारत सरकार यह चाहती है कि सुधारात्मक कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। वह कार्यवाई क्या है? एक-एक ऑब्ज़रवेशन को लिख कर उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को जो पैसा ज्यादा दे दिया गया है उसकी वसूली तुरंत की जाए। बैंक अधिकारी और ऑडिटर्स की रिस्पॉसिबिलिटी फिक्स की जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। यह भी कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बारे में भी सोचा जाए। उन्होंने पंद्रह दिन की अवधि तय की। यह कहा कि यह सारी कार्यवाई पंद्रह दिन के अंदर-अंदर कर के आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया जाए। यह पंद्रह जनवरी का सरक्युलर है। पंद्रह दिन की अवधि 30 जनवरी को समाप्त हो गई है। कल पांच मार्च को सीएजी की रिपोर्ट हमारे पास आई है। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहती हूं कि पहले तो आप सोते ही रहे, यह तो जब सीएजी ने निकाला तो सैंपल सर्वे में ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन 15 जनवरी को आपके आदेश पर, इसमें लिखा है कि "भारत सरकार यह चाहती है......." भारत सरकार यह चाहती है। आरबीआई का यह सरक्युलर 15 जनवरी को निकला है। पंद्रह दिन में उनसे यह कार्यवाई अपेक्षित थी। अगर यह कार्यवाई 30 जनवरी तक हो जाती और सीएजी को बता दी जाती तो कल की रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता। लेकिन इसका मतलब है कि इसके बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह इतना गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित विषय है, एक तो किसान वैसे ही अपनी पचास समस्याओं को लेकर रोता रहता है। लेकिन उसको सरकारी खजाने से यह जो राहत मिलनी थी, वह राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप बीएसी में कोई दिन तय करके, तिथि तय करके, एक स्ट्रक्चरड डिस्कशन, एक पूरी चर्चा इस विषय पर इस सदन में कराएं, ताकि सबके सामने सत्य आ सके।...*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : यह राज्य सरकारों ने किया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप यह उनको बताइएगा।...*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया : हम मध्य प्रदेश से आते हैं।...*(व्यवधान)* आप क्या बात कर रही हैं?...*(व्यवधान)* यह राज्य सरकारों ने किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर राज्य सरकारें इसमें दोषी हैं तो सरकार जवाब में कह देगी। आप अभी क्यों उतावले हो रहे हैं? इतने किसानों का पैसा लोग खा गए।...*(व्यवधान)* आपको हमारे साथ स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया : राज्य सरकारों ने धोखा किया है।...*(व्यवधान)* देश में सबसे ज्यादा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो जाते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, क्या हो गया? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हर समय क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं जो बात कह रही थी, मेरी तवक्को थी कि इस पर पूरा सदन समस्वर में बोलेगा। इसीलिए मैंने यह नहीं कहा कि सरकार शर्मसार हुई है, मैंने कहा कहा है कि देश शर्मसार हुआ है। वे किसान, जिन्हें छोटा-छोटा पैसा मिलना था, क़र्ज़माफी के माध्यम से राहत मिलनी थी और हो सकता है कि वे उस कारण आत्महत्या न करते तो हमारी संवेदनहीनता इतनी हो गई, संवेदनशीलता इतनी मर गई कि उनके जो थोड़े-थोड़े रुपए थे, वह भी खा गए। उसमें मेरे साथ स्वर मिलाने की बजाय आप खड़े हो कर इस तरह से बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर राज्य सरकारें दोषी हैं तो सरकार जवाब दे देगी।

अध्यक्ष महोदया : आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन आप इस समय तो किसानों के साथ बोलिए। आप इस समय भी किसानों के साथ बोलने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा कराएं ताकि सत्य सामने आ सके। अगर कोई सत्य किसी राज्य सरकार के विरुद्ध जाता है तो वह भी सामने आ जाएगा। यह विषय ऐसा है, मैं चाहूंगी कि पूरा का पूरा सदन इस पर संवेदनशीलता से अपने बात कहे और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप चर्चा की तिथि तय करें।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती ज्योति धुर्वे और श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) **:** महोदया, जो मामला नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने उठाया है और जो सीएजी की रिपोर्ट

[श्री रेवती रमण सिंह]

अभी लोक सभा में आयी है, वह बहुत गम्भीर है। यह 65 फीसदी किसानों का देश है। जब यह कर्ज माफ किया गया तो पूरे देश के किसानों में एक हलचल मची हुई थी और उनको लगा कि पहली बार सरकार ने उनकी दुखती हुई रगों पर हाथ फेरा है, लेकिन जो रिपोर्ट आयी है, वह चौंकाने वाली है। जिन पात्र किसानों का कर्ज माफ होना था, वह तो बैंक वालों ने किया नहीं और जिनका नहीं होना था, उनका कर्ज माफ कर दिया। अगर इन्होंने यह काम कायदे से किया होता तो जो लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी भी पैकेज देने के बाद भी, कर्ज माफ करने के बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं, शायद उस पर रोक लगती, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। सरकार ऐसा करना भी चाहती थी, फिर भी बैंक वालों ने यह काम नहीं होने दिया। सीएजी ने जब यह कहा, रिजर्व बैंक से उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने टाइम दिया कि 31 जनवरी तक इसका निष्पादन हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बैंक के जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उन पर केवल एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। किसान बैंक में जाता है, मजदूर बैंक में जाता है तो उससे बिना पैसा लिये ये कोई भी काम नहीं करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी ये घपला करते हैं जब किसान पैसा देता है, तभी उसे किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है।

महोदया, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जब आप इस पर चर्चा करायेंगी, तब तो सब लोग डिटेल में बोलेंगे, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि आप पीठ से सरकार को निर्देश दें कि तत्काल इस पर कार्रवाई कराकर सदन को सूचित करने का काम करें।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदया, आज हम बहुत गम्भीर विषय पर अपने कमेंट देने के लिए खड़े हुए हैं। देश में किसानों के लिए वर्ष 2008 में ऋण माफी योजना लागू की गयी थी, मैं समझता हूं कि वह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा, या जो भी रहा हो, लेकिन आज जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में पता चला है कि 65 हजार करोड़ रुपए ऋण माफी के नाम पर जिस तरीके से बैंक को दिया, उसका सही तरह से उपयोग हुआ या नहीं। उसकी एक कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जिसने लोगों से मिलकर, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है और 9 हजार से ज्यादा खाता तलाशने के बाद महज एक हजार लोग उसमें पात्र थे, लगभग 13 परसेंट लो ऋण माफी के पात्र थे।

महोदया, आप समझ सकती हैं कि इस देश का किसान कितना भोला-भाला है। इतने प्रतिशत ऋण माफी के बाद भी, जो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि पूरे देश के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आज तो वैसे भी किसान धान की खरीद को लेकर परेशान हैं, उसकी धान की फसल की खरीद नहीं हो रही है, आलू की खरीद नहीं हो रही है तो वह हर तरफ से परेशान है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो सीएजी की रिपोर्ट आयी है, इसमें कौन दोषी है, कौन नहीं, यह तो जांच के बाद पता चल जायेगा। लेकिन इतना बड़ा जो घपला हुआ, और जो बैंक के लोग इसमें शामिल हैं, मेरा सरकार पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर आपने किसानों के हित के लिए पैसा दिया है तो उसकी जांच होना चाहिए। अभी हमारे दूसरे साथी कह रहे थे कि बैंक के लोगों की आज यह हालत है कि.. .*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वे शैड्यूल्ड बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : जी हां, वे सभी बैंक हैं। हमारे सदन के जितने भी सदस्य हैं, यदि किसी बैंक में कोई सदस्य या पोलिटिकल आदमी चला जाए एक गाड़ी फाइनैन्स कराने के लिए, तो उनकी सिफारिश पर कोई गाड़ी फाइनैन्स नहीं हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर घपला है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी संसद सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि अपनी जरूरत के मुताबिक उनकी शर्तों पर गाड़ी फाइनैन्स करा ले तो नहीं करा सकता। इतना बड़ा घोटाला जो बैंक के लोगों ने मिलकर किया है, माइक्रो फाइनैन्स कंपनी ने किसानों के नाम पर जो किया है, मैं समझता हूं कि इसकी रिकवरी भी उन्हीं से होनी चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सुषमा जी ने जो सवाल उठाया, जितने भी संसद सदसय लोग सभी में सक्रिय रहते हैं, हम सबको पहले दिन से मालूम है कि इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर जो कर्ज़ माफी है, उसमें बैंक के लोग बहुत ही हेराफेरी कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री प्रणव बाबू थे तो मैं दो बार उनसे मिला और जहां-जहां मैं घूमा था, वहां के आंकड़ों सहित किस्से मैंने दिये। उन्होंने आश्वासन भी दिया। मैं आपके पास भी इसको उठाने वाला था। सीएजी की जो रिपोर्ट आई, यह तो पार्लियामेंट में आएगी और पीएसी के सभापति इसको देखेंगे, लेकिन इससे हमारा वास्ता यह है कि हिन्दुस्तान के जो किसान और गरीब लोग हैं, उनकी बाबत जितने भी मामले

यहां लोक सभा से और आपकी सरकार से तय होते हैं, वह उनके पास नहीं पहुंचते हैं जैसा इस मामले में हुआ। मैं नहीं मानता कि यह मामला सरकार का नहीं है। सरकार आपकी है और ज़िम्मेदारी आपकी है, बैंक आपके हैं। आप इतनी बड़ी योजना लगाते हैं और वह योजना आप ठीक से नहीं लगाते हैं। रिज़र्व बैंक मीटिंग करता है और 30 जनवरी की तारीख दे देता है। इसके बाद भी इसमें एक रास्ता निकालकर जिन लोगों ने इसमें गोलमाल किया है, वह उन लोगों से किया है जो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहां कहा गया है कि स्ट्रक्चर्ड डीबेट होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह बहस जो जब होगी, लेकिन कार्रवाई आपको तत्काल आज से शुरू करनी चाहिए। आज से शुरू करके जो अपराधी लोग हैं, जो इस तरह से गरीब आदमी के पेट को काटते हैं, उनका इलाज करने का काम आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है। बहस तो जब होगी, तब होगी, लेकिन आप इसको इनीशियेट करिये।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, जिस योजना का कार्यान्वयन किया गया था उसका वास्तव में नाम 'कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना' था। भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि किसानों हेतु इस कृषि ऋण राहत योजना' का कार्यान्वयन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा मिल कर किया जाएगा। तथापि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश मामलों में पूर्ण जांच परख के बाद जिनका चयन किया गया था उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

बकाया माफी की यह योजना उन पर लागू नहीं होती थी। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इसकी टिप्पणी थी कि योजना के तहत अपात्र खातों को लाभ दिए गए। लेखापरीक्षा ने नोट किया है कि अपात्र किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कागजात से छेड़छाड़ ओवरराइटिंग, अपर्याप्त दस्तावेज आदि के तरीके अपनाए गए और इसके अतिरिक्त किसानों को न केवल सीधे सीधे लाभ पहुंच गए अपितु कुछ मामलों मे एम एफ आई को ऋण दिए गए और फिर इनका दावा किया गया और संवितरित किया गया। अत: महोदया, स्वाभाविक है कि हम सभी को इस गंभीर मामले में चिन्ता हो। किसान अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूखे किसान आजीविका के लिए भूख से लड़ रहे हैं। जब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है तो हमे ऐसी घटनाएं और नहीं होने देनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, राज्य सरकार की या किसी अन्य की, यह स्थिति इतनी गंभीर है कि आपने सभी राजनैतिक दलों को किसानों के हित मे अपनी बात सभा में कहने का समय दिया। कम से कम किसानों को महसूस होगा कि भविष्य में अनके मामले पर सभा में विस्तार में विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि किसानों की हितों की रक्षा की जाएगी और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे घृणित कार्यो के वास्तव में जिम्मेदार हैं तथा दोषी हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2008-09 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की थी कि वर्ष 1997 से वर्ष 2007 तक जिस किसान ने कर्ज लिया है, छोटा किसान और सीमान्त किसान, वह अगर एक साल में, फरवरी, 2008 तक अगर रिफन्ड नहीं कर सका तो उनका कर्ज माफ किया जाएगा। हम सभी ने, तमाम विरोधी पक्ष और हम तो उस समय बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे थे। हमने उसका समर्थन किया था। लेकिन हमने बजट भाषण पर बोलते समय सरकार को सावधान किया था कि इसका इम्पलीमेंट ठीक ढंग से होना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट कल जो पेश हुई, हम तो छ: महीने से यह सुनते आ रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला है। हमारे देश में 2 लाख 76 हजार किसानों ने खुदकुशी की है और आज भी खुदकुशी चल रही है। हर तीस मिनट में एक किसान को हमारे देश में आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे देश में 80 फीसदी गरीब और छोटे किसान हैं और इन किसानों का पैसा लूटा गया है। हमारे देश में तो लूट हो रही है, हजारों-करोड़ों-अरबों की लूट हो रही है, हर रोज़ हमारे देश में लूट हो रही है। लेकिन यह सवाल इतना गम्भीर क्यों है, क्योंकि हमारे देश के छोटे किसानों का पैसा लूटा गया है। 90 हजार उन्होंने दिखाया है।...*(व्यवधान)* 90 हजार में 22 हजार, लेकिन जब पूरा आ जाएगा तो कितना होगा? कम से कम एक करोड़ से ज्यादा किसानों का पैसा लूटा गया है। किसने यह पैसा लूटा है? क्या सरकार को यह सब पता नहीं था? सरकार को सब पता था। लेकिन सरकार को सब पता होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या सरकार का इस सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या सरकार सदन को जवाब नहीं देगी।

सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह एक करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों मामला है। कुछ अधिकारियों ने उनका धन लूट लिया। वे

[श्री बसुदेव आचार्य]

कौन लोग इसमें शामिल हैं हमनें एक सुनियोजित चर्चा की मांग की है। यहां पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट होना चाहिए। वह तो होगा। जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर देकर पन्द्रह दिनों का समय दिया 30 जनवरी तक। 30 जनवरी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आप यह जवाब नहीं देंगे? क्या सदन को बताएंगे नहीं कि कौन-कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? जिन्होंने हमारे देश के किसानों का पैसा लूटा, करोड़ों-अरबों रुपया लूटा, कौन इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा था, यह भी सदन को बताना पड़ेगा।

मैंडम, यह बहुत गंभीर विषय है, किसानों का विषय है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जल्दी-जल्दी हमारे इस बजट सत्र के प्रथम फेज के खत्म होने के पहले ही सरकार सदन को बताएगी कि क्या कार्रवाई की गयी है और जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, यह सदन को बताएंगे और फिर सदन में चर्चा होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी. राजेश, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, और श्री पी.के. बिजू को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, किसानों की ऋण माफी के लिए प्रदान किए गए धन की फिजूल खर्ची और लूट के मुद्दे के संबंध में विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त किए गए विचार का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इसकी जानकारी लोगों को है क्योंकि जब बजट 2008-09 के दौरान घोषणा की गई थी उस समय उस मुद्दे पर बोलने वाले अधिकांश सदस्यों ने सरकार को सावधान किया था कि सरकार सभी प्रकार की पूर्व सावधानी रखे ताकि लाभ किसानों को ही मिले।

पिछले सप्ताह, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मैं बोल रहा था मैंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध मुद्रण मीडिया में छपी खबर को उद्धत किया था। कल यह रिपोर्ट राज्य सभा में रखी गई थी और अब यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है सही ही उल्लेख किया गया है कि न केवल एमएफआई के एक सदस्य बल्कि अनेक एमएफआई सदस्यों ने लाभ उठाया है या हमारे देश में प्रचलित ऋण वितरण प्रणाली के आंखों में धूल झोंकी है। बैकिंग प्रणाली में आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली अंतविष्टि है। एक केन्द्रीय लेखापरीक्षा प्रणाली भी है। इन सभी प्रणालियों के होने बावजूद हमने पाया है कि प्रणालीगत असफसलता हुई है और करोड़ो रुपए का घपला किया गया है। यह भी पाया गया है कि रिकार्डों में छेड़छाड़ की गई। एक किसान जिसके पास 1 एकड़ भूमि भी नहीं है को 20,000 रु. से 1 लाख रुपए या 1.20.000 रुपए ऋण माफी के रूप में दिए गए है। ऐसा कैसे हो सका? जैसे कि हम सभी जानते है, इस सभा के सजग सदस्यों के रूप में हम जानते हैं कि जब नियंत्रक और महालेखा-परीक्षण द्वारा कोई प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। बाद में एक बैठक भी होती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि सभा में सुव्यवस्थित एक परपंरा है कि सभा पटल पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखे जाने के बाद यह पीएसी के पास भेजी जाती है। सभा में इस पर चर्चा नहीं होती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : विवाद किस संबंध में है? किसानों को ऋण माफी के कारण आप वर्तमान स्थिति के संबंध में बोल सकते हैं। परन्तु सी एंड एजी रिपोर्ट के संबंध में विचार न करें क्योंकि अभी इसे पीएसी के पास भेजा जाना हैं। हम इन दोनों को न मिलाएं। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बार-बार इसका उल्लेख न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : मुझे इसकी जानकारी है मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तरी) : मैं पीएसी का भी सदस्य हूं। श्री भर्तृहरि महताब, इसीलिए आपने ताली बजाई, पीएसी के सदस्य के रूप में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, ठीक है, यह कोई काम की बातें नहीं है। मैं बहुत गंभीर बात का उल्लेख कर रही हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : यह एक बहुत गंभीर मामला है। मैं अपने सहयोगियों से पूछ रहा था। *[हिन्दी]* जैसे हिन्दी में कह दिया, यह काफी गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

हम इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या यह 'ग्रेव' है या ''सीरियल'' या उससे अधिक मैं शब्दकोश में इसके लिए उपयोग हो सकने वाले बेहतर शब्द को खोजूंगा।

यह एक विशिष्ट मामला है। निरपवाद रूप से विगत 20 वर्षों ये 1992-93 से हम घोटालों के बारे में सुनते रहे हैं। हम सुनते रह हैं कि राजनैतिक व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें शासन प्रणाली स्वयं विफल हुई है। यह प्रणाली कोई नई नहीं है। यह प्रणाली विगत 40 वर्षों से लागू है। यह प्रशासनिक विफलता है। क्या हम सोवियत संघ के विघटन की अवधि की ओर जा रहे हैं, जब पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त हुआ था तथा पूरी शासन प्रणाली ढह गई थी? क्या यह प्रणाली की विफलता का लक्षण है? अगर ऐसा नहीं है, तो यह अच्छा है।

और क्या किया जा सकता हैं, इसके बारे में हम बाद में विचार-विमर्श करेंगे, शायद इस बजट सत्र के प्रथम भाग के खत्म होने के पहले मैं केवल यह उल्लेख करूंगा कि 'एक्जिट' बैठक हुई थी- मैं सीएजी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं कर रहा हूं- यह बैठक लेखापरीक्षकों तथा संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय के बीच हुई थी जिसमें आरबीआई को निदेश दिया गया था, नाबार्ड को निदेश दिया गया था, वित्तीय सेवा विभाग को भी निदेश दिया गया था, और तदनुसार दी गई समयावधि जो कि 31 जनवरी से पूर्व है, के अंदर संबंधित अनुसूचित बैंकों को अनुपालन के लिए पत्र भेजे गए थे।

आज हमारे हाथ में यह जो रिपोर्ट है, इस पर 15 फरवरी को सीएजी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा आज 6 मार्च है। क्या कार्यवाही की नहीं है? लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी कि खामी कहां है तथा व्यवस्था की विफलता कहां है। सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि यह विगत तीन, चार सप्ताह से सार्वजनिक है। इस पर मीडिया में चर्चा हो रही है। यहां प्रिंट मीडिया में है। उदाहरण दिए गए हैं। महोदया, इसलिए हमारा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि इस सभा को इस मामले पर विचार-विमर्श करना चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी राज्य इस प्रकार के घपले से मुक्त नहीं है। इस मामले में कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और यह जितनी जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया, सन् 2008 में भी चिदम्बरम जी ही वित्त मंत्री थे, उस समय उन्होंने यहां पर बजट में किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी। उस घोषणा से पूर्व जब उस चर्चा में मैंने अपनी बात रखी थी, तब भी मैंने यह बात सदन के सामने रखी थी, उसको मैं आज यहां पर दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यह मांग महाराष्ट्र के विदर्भ से उठी। सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के विदर्भ में हुई। सन् 2005 से लेकर 2008 तक, तीन साल में पांच हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इसलिए कर्जा माफी का आंदोलन विदर्भ से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने किया। जब हमने पहली मांग उस आंदोलन में नागपुर में की कि देश किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, तब उस संदर्भ में आज के प्रधान मंत्री, यूपीए-वन के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी ने एक वार्तालाप में यह कहा था कि देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। उसी बात को उस समय के वित्त मंत्री, चिदम्बरम जी ने दोहराया था, लेकिन धीरे-धीरे यह मांग विदर्भ, नागपुर से निकली और वह महाराष्ट्र से हाते हुए पंजाब तक पहुंच गई। देश के सारे किसान उत्तेजित हुए। तब वर्ष 2008 से वित्त मंत्री जी को यह घोषणा करनी पड़ी कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसानों की कर्ज माफी हुयी।

अध्यक्षा जी, कर्ज माफी होने के बाद जब-जब भी इस संदर्भ में इस सदन में चर्चा हुयी है, तब कई बार हमने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इस कर्ज माफी में बहुत बड़ी लूट हो रही है। कर्ज माफी के लिए जो सही हकदार है, उन किसानों को कर्ज माफी नहीं मिल रही है और जिनका कर्ज माफी से कोई ताल्लुक नहीं, कर्ज माफी से जिनका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे किसान जिनकी माली हालत अच्छी है, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं, उनके एकाउंट क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा एक और चिंता की बात है कि कर्ज माफी घोषित करने के बाद कर्ज माफी के सर्टिफिकेट ईश्यू किए गए। वे सर्टीफिकेट किसानों के पास गए। किसान ने मान लिया कि मेरा कर्ज माफ हो गया।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक गंभीर विषय सदन में रख रहा हूं,

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

जो मैंने उस समय वित्त मंत्री जी के सामने रखा था। सर्टिफिकेट ईश्यू होने के बाद, किसी भी किसान को नया कर्ज देने से बैंकों ने इन्कार कर दिया। एक तो किसानों को कोई कैश नहीं मिला, केवल सर्टिफिकेट मिला और जब अगली फसल के लिए किसान कर्ज लेने के लिए बैंकों में गए तो बैंकों ने किसानों को कर्ज देने से सीधे नकार दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार की ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जिन किसानों की आत्महत्या के कारण कर्ज माफी सरकार को करनी पड़ी, उन लाशों के ऊपर जिन अधिकारियों ने कर्ज माफी में यह घिनौनी लूट की है, यह बिल्कुल अपराध है और इसे अपराध करार करते हुए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह संस्था हो।

अध्यक्षा जी, सीएजी की रिपोर्ट पर मैं यहां पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सुषमा जी ने यहां कहा कि उन्होंने आरबीआई के ध्यान में यह बात लायी। आरबीआई ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर निकाला, उन्होंने एक समय-सीमा कार्रवाई करने के लिए दे दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी। मैं सुषमा जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस पर चर्चा हो। चर्चा जब भी हो, लेकिन जो लोग इन किसानों आत्महत्या पर, इनकी लाशों पर लूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

डॉ एम. तम्बिदुरई (करुर) : अध्यक्ष महोदया, अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस बेहद गंभीर मामले को उठाया है कि किस तरह अधिकारियों ने अपात्र किसानों के लिए राजकोष के धन का दुरूपयोग और विपथन किया है। भारत अभी भी एक कृषि देश है। हमारे किसानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह एक समस्या है जिसका वे सामना कर रहे हैं।

अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है; यद्यपि हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिकांश अपात्र किसानों ने किसी न किसी प्रकार से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर लिया है। जैसा कि श्री महताब ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व जब एक्जिट बैठक हुई थी, अधिकारियों के सामने यह निश्चित रूप से आ गया होगा कि क्या हुआ था। उस समय वे कार्रवाई कर सकते थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अधिकारियों को ऋण माफी योजना का लाभ उठाने वाले अपात्र किसानों से धनराशि वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया था। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। यह एक गंभीर मामला है; यह बहुत आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें। महोदया, आपको चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना होगा तथा हमें इस मुद्दे को तत्काल चर्चा के लिए लेना चाहिए।

मैंने श्रीलंका की जातीय समस्या से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था तथा इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए मैं माननीय संबंधित मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस पर कब चर्चा की जाएगी। यह एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका की जातीय समस्या पर चर्चा के लिए मांग को शीघ्र स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी लिंगम को डॉ एम. तम्बिदुरई द्वारा उठाए गए श्रीलंकाई मामले के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मैडम स्पीकर, अभी किसान की कर्ज माफी के ईश्यू के ऊपर बात हुयी। जिस तरह से मिडिल मैन द्वारा फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट डालकर किसानों के साथ लूट हुयी, उससे हमें बहुत तकलीफ हुयी है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। किसान को जिस तरह से देश में लूटा है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज के दिन देश का किसान बहुत तकलीफ में है। अभी विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में मेनली आन्ध्र प्रदेश में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। पहली दफा आन्ध्र प्रदेश का किसान बोल दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, क्रॉप हॉलीडे एनाउंस किया है। यह भी गवनर्मेन्ट के समय में हुआ है। किसान को इतनी तकलीफ होने से, जिंदगी भर खेती करने वाले किसान, खेती उनका लाइव्लीहूड है, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग खेती नहीं करेंगे, दो साल पहले तीन लाख एकड़ जमीन में खेती नहीं किया। हम पन्द्रहवीं लोक सभा में आने के बाद हम सोचते थे कि किसानों की समस्या को यह गवनर्मेन्ट बहुत सिरियसली लेगी। किसानों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। मगर वह सब पार्लियामेंट के रिकार्ड्स में है और आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी इस इश्यू के ऊपर सीएजी का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आया है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर आरबीआई ने ड्राफ्ट रिपोर्ट के ऊपर जो मीटिंग किया था उसमें

गवर्नमेंट का पूरा सेक्रेट्री इंवाल्व है। गवर्नमेन्ट के सेक्रेट्री को मालूम है कि क्या हो रहा है? उसके बैंकर्स को भी बुलाया था, मेनली कारपोरेशन बैंक और डीसीसीबी, ये सभी बैंकर्स को भी मालूम है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो मामला उठाया है, आरबीआई के नोटिस में आने के बाद भी यह कंट्रोल नहीं हो पाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

श्री नामा नागेश्वर राव : इतना गंभीर विषय पर बात करने के समय में, उधर से एक माननीय सदस्य उठ कर बोले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ये सब बातें अब आप बाद में बोलिएगा। आप अपनी बात बोलिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : आन्ध्र प्रदेश में किसानों को आज के दिन में जो तकलीफ है।...*(व्यवधान)* इस रिपोर्ट के अंदर भी किसानों के बारे में भी लिखा है, वे उठकर आन्ध्र प्रदेश के बारे में बात करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आपका समय समाप्त हो गया।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री संजय निरुपम की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर) : मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आज जो विषय सदन में रखा है वह निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। उसके प्रति हम सब चिंतित हैं। वर्ष 2008-09 में अच्छी नियत और शुद्ध विचार के साथ कर्ज माफी की योजना एनांउस की गई थी। इरादा यह था कि साढ़े-तीन चार करोड़ किसान, जो अपने फसल की बर्बादी और कर्ज के बोझ से परेशान हैं, आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं उनको कर्ज माफी दी जाए, यह इरादा था और लगभग 52 हजार करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमारे देश में 60 साल से ज्यादा पुरानी व्यवस्था है, हमारे देश में जो वितरण की व्यवस्था है उस व्यवस्था में डायरेक्ट एक मिनिस्टर इंवाल्व नहीं होता, सेन्ट्रल गवनर्मेन्ट डायरेक्ट शामिल नहीं होती। उस पूरी व्यवस्था में आप राज्य सरकारों के जरिए जो स्थानीय जिला सहकारी बैंक होते हैं, भूमि सुधार बैंक होते हैं या नेशनलाइज बैंक होते हैं, उन बैंकों के माध्यम से, ये सारा काम करते हैं। बैंकों के माध्यम से पात्र किसानों को पैसे नहीं मिले, नापात्र किसानों को पैसे मिले, ऐसी व्यवस्था हुई है, ऐसी अनियमितता हुई है, ऐसे लैपसेज पाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता है। पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। लेकिन, याद रखिएगा कि साढ़े तीन-चार करोड़ एकाउंट्स का मामला है। बैंकों में जो खाते खुले, सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन सीएजी भी अधिकतम 90 हजार खातों की छानबीन कर पाए हैं। उन्होंने 90 हजार खातों को सैम्पल के तौर पर लिया और 20 हजार खातों से ज्यादा नहीं पहुंच पाएं। वे बीस करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे उसे विस्तार में नहीं जाना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : रिपोर्ट के विस्तार में मत जाइए। अगर आप यह करेंगे तो पीएसी क्या करेगी। पीएसी की कोई भूमिका भी नहीं रहेगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम : मेरा कहने का आशय यह है कि एक बहुत बड़ा विषय है, बड़ा व्यापक विषय है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन पूरी छानबीन होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है ज्यादती होगी। बैंक के अधिकारी या बैंक, चाहे बड़े ऑफिसर हैं या छोटे, अगर इसमें कहीं भी शामिल पाए जा रहे हैं तो उन अधिकारियों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संजय निरुपम]

को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी जिन अधिकारियों ने ऐसी गलतियां की हैं और जिनकी गलतियों की वजह से हमारे पात्र किसानों को कर्ज माफी की योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें पुन: इसका लाभ दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि इस बहस का एक सार्थक अर्थ निकलेगा अन्यथा यह बहस सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी। जब सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के पास आएगी, मैं पीएसी का मैम्बर हूँ, मेहताब साहब भी हैं, हम पीएसी में बढ़िया से चर्चा करेंगे। लेकिन पीएसी की स्क्रूटनी के बाद ही कहीं पाया जा सकता है कि सीएजी की रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है, उसमें कितना दम है। उसके बाद छानबीन होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं सोच रहा था कि सरकारें ऐसा काम नहीं करतीं जैसा यह सरकार करती है। अगर सरकार है तो पैसा उन लोगों के पास जाना चाहिए था जिन पर कर्जा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है - सरकार की है। अफसर किसके हैं? सरकार के कंट्रोल में हैं। कंट्रोल कैग करेगी या सरकार करेगी, मुझे यह बताइए। जब कैग की रिपोर्ट आती है तो हम सब कहते हैं कि यह गलत है, गलत है। गलती करने वाला कौन है? गलती करने वाली सरकार है।...*(व्यवधान)* अकाली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, घबराने की बात नहीं है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जो भी जिम्मेदार है, उस पर एक्शन लेना चाहिए और इस बारे में स्पैशल डिसकशन होनी चाहिए।

श्री लालू प्रसाद (सारण) : मैडम, आपके चैम्बर में बात हुई थी कि इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा होगी। आज सुषमा जी इंट्रोडयूस करेंगी और सब नेता दो-दो मिनट बोलेंगे। इसलिए हम आज विस्तार से नहीं बोलना चाहते हैं। उस मंत्रिमंडल का मैं भी सदस्य था। हमने बहुत अच्छी नीयत से कार्य किया था। लेकिन जो स्कैंडल हुआ है, जिन अधिकारियों और बैंकर्स ने मिलकर किसानों को लूटा, लूटा ही नहीं बल्कि घिनौना काम किया है। पोलीटिकल सिस्टम और राजनेताओं को बदनाम किया जाता है, ये सब हाथी के हाथी निगल गए। सरकार की नीयत पर कोई खोट नहीं है, यह सरकार के इंटरस्ट में है। लेकिन चर्चा से पहले सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सुषमा जी ने सारी चीजें पढ़कर उनकी ओर इशारा किया है। उन तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए। यह बात सरकार के हित में है। मैं आज यही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : महोदया, बोलने का मौका देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा की कार्यवाही देख रहा था। जब आपने मुझे बुलाया मैं इस मुद्दे के बारे में ज्यादा चिंतित था।

मैंने लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया है। मैं किसी की ओर से दलील नहीं देना चाहता हूं। जैसा कि आपने सही कहा है कि प्रक्रिया यह है कि जब सी एंड एजी की रिपोर्ट आती है उस समय सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सी एंड एजी द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दे और अगर सी एंड एजी संतुष्ट नहीं होता है तो सी एंड एजी को रिपोर्ट करना होता है तथा रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जाना होता है। इसके बाद यह लोक लेखा समिति का उत्तरदायित्व होता है कि वह पूरे मुद्दे की विस्तारपूर्वक जांच करे। जब लोक लेखा समिति सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्वीकार नहीं करती है, तब मामले को उसी रूप में सी एंड एजी द्वारा रखा जाएगा तथा मामले को सभापटल पर रखा जाएगा। इसलिए हमें पूरी धोखाधड़ी के बारे में चर्चा करने का पूरा अधिकार है। मैं उन प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बताऊँगा जिनका मैंने लोक लेखा समिति के सभापति रहने के दौरान पालन किया था। मैं केवल किसानों के लिए चिंतित हूं जिनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह मुद्दा पूर्ववर्ती सत्र में उठाया गया था जब पूर्व वित्त मंत्री, जो अभी इस गणराज्य के राष्ट्रपति है, यहां थे। मैंने स्वयं इस मामले को उठाया था। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कुछ राज्यों में वास्तविक किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं प्राप्त होगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी जमींदार मौखिक काश्तकारी अधिकार दे रहे हैं। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं किसी राजनैतिक दल की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। अभी उन किसान को जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, लाभ दिया जाएगा। कैसे? जमीन मालिक अथवा जमींदार ऋण लेगा तथा यह उसकी दया पर है कि काश्तकारों को थोड़ा बहुत लाभ मिले। इसी प्रकार बैंकों ने ऋण दिया है। वास्तविक किसानों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे यह कहते हुए काफी निराशा हो रही है।

अगर मुझे ठीक से याद है तो 1931 अथवा 1932 में आवाड़ी कांग्रेस सत्र में इस देश में भूमि सुधार लाने के लिए संकल्प लाया गया था। मुझे डर है, मैं किसी राज्य अथवा किसी राजनैतिक दल पर कोई मकसद होने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज भी वास्तविक

काश्तकार मौखिक काश्तकार हैं अथवा कहीं-कहीं फसल-बंटाइदार काश्तकार है। अभी भी यह प्रणाली चल रही है। भूमि सुधार लाने का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। 1991 से मैंने किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष किया है। मैं यूपीए अथवा एनडीए के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सरकार ने अच्छे इरादे से लघु अथवा मंझोले किसानों के ऋणों को माफ करने का यह कदम उठाया है। यहां केवल ऋण को माफ किए जाने का प्रश्न नहीं है। यह केवल अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है। अथवा प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जा रहा है। मैं केवल अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह इस सरकार को अथवा उस सरकार को समर्थन देने के लिए नहीं है। मुझे काफी खेद है।

लोक लेखा समिति द्वारा पूरी व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए। इस बीच, यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। जब मेरे मित्र बोल रहे थे तब आपने लोक लेखा समिति के बारे में कुछ दिशा-निर्देश दिए थे। यदि आप धोखाधड़ी की पूरी व्यवस्था पर विशेष चर्चा की अनुमति देंगे, मैं सभी जानकारी विस्तारपूर्वक बताने को तैयार हूं क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह आधे घंटे की चर्चा का प्रश्न नहीं है। इस विषय पर पूर्ण चर्चा की जाए। मैं सरकार के इरादे की सराहना करता हूं। जब उन्होंने इसकी घोषणा की, मैंने सराहना की। आज, यह केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं यह पूरी तरह एक विफलता है क्योंकि हम भूमि सुधार अधिनियम को पूरी तरह से ला पाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, असली किसानों की जगह जमींदार इसका लाभ उठा रहे हैं। इसका पूरा लाभ असली कृषकों तक नहीं पहुंचा। यही मैं कहना चाहता हूं।

मैं सरकार पर आरोप लगाए बिना इस पर चर्चा की मांग करता हूं। यह सरकार को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं है। किस प्रकार असली किराएदार या कृषक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा की जाए। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं सरकार से विस्तृत चर्चा किए जाने की मांग करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। मैंने भी इसी विषय पर अपनी बात रखने की सूचना दी है। इस मामले को कम से कम लघु चर्चा हेतु उठाए जाने के लिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन मैं इस मामले पर एक संपूर्ण चर्चा की मांग करता हूं।

2008-09 के बजट सत्र में, जब यूपीए-एक ने किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत संबंधी एक योजना की घोषणा की थी, तो हमने इस पर अपनी आशंका प्रकट की थी कि क्या इसका लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचेगा या फिर इसका गलत उपयोग या गबन होगा।

अब, यह मामला उठा है और हम इस मामले को चर्चा के लिए तब ले रहे हैं जब सीएजी द्वारा संसद में इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की गई है। मैं सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन यह मामला अत्यधिक चिंता का विषय है।

मैं अपने पूर्व वक्ताओं द्वारा प्रकट किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। लेकिन मामला क्या है? मई, 2008 में यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 4 करोड़ सीमांत और छोटे किसानों तथा लगभग एक करोड़ अन्य किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार दावा कर रही है कि पिछले चार वर्षों के दौरान, उन्होंने चार करोड़ किसानों से संबंधित 52,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास लाभान्वित किसानों के वास्तविक आंकड़े हैं? वे कौन-से सीमांत किसान छोटे किसान और अन्य किसान हैं जिनको इसका लाभ मिला है? बैंक इसका दावा नहीं कर रहा, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने किसानों को 52000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि इसकी उपयुक्त रिपोर्ट या रिकॉर्ड सरकार द्वारा भी नहीं रखा गया है। सरकार ऐसे काम कर रही है।

यह केवल निधियों का सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों में गबन किए जाने का मामला नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि यह आरोप लगाया गया है कि व्यैक्तिक ऋणों के लिए वाहनों के ऋणों दुकानों के ऋणों यहां तक कि भूमि खरीदने के ऋणों, कृषि उत्पाद के गिरवी अथवा माल-बंधन के विरुद्ध अग्रिम हेतु ऋणों को माफ करने के लिए लाभ दिया गया है। अत: इसमें न केवल अधिकारियों द्वारा बल्कि उन बैंकरों द्वारा भी अत्यधिक अनियमितताएं बरती गई है और लूट मचाई गयी है जो उनके साथ मिले हुए थे। यह विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ताकतवर शक्तियों की मिली भगत से किया गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस मामले को चर्चा के लिए लिया जाया जाना चाहिए।

अब, हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात कर रहे हैं। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का स्पष्ट मामला है। कोई, इसे क्रांति कह सकता है। यह क्रांति उस "क्रांति" की देन होगी। अत: हमें इस प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर ध्यान देना चाहिए। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का स्पष्ट मामला है।

[श्री प्रबोध पांडा]

इन शब्दों के साथ, मैं आपसे इस मामले पर विस्तार-पूर्वक चर्चा करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को, निश्चित रूप से इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन अभी भी, सरकार को इस मामले पर अपना उत्तर देना चाहिए। सरकार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सरकार की ओर से उत्तर तत्काल आना चाहिए। सरकार को खड़े होकर इस मामले पर अपना नज़रिया बताना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं स्वयं को उन सदस्यों के साथ संबद्ध करता हूं जो इस मुद्दे पर बोले हैं।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं और इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि चिन्ताजनक तथा शर्म का भी है। इसमें सरकार की तरफ से हम किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल बी.ए.सी. मी मीटिंग है, इसमें माननीय सदस्य तय कर लें और जब चाहें, सरकार इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करना चाहती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : डॉ. अजय कुमार को श्री प्रबोध पांडा द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध किए जाने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों यदि आप मुझे सूचना देंगे, तो मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगी। हम इस पर बीएसी में भी चर्चा करेंगे।

माननीय सदस्यों मैं सभा को सूचित करना चाहती हूं कि आज मध्यान भोजनवकाश नहीं होगा।

[अनुवाद]

डा. एम. तम्बिदुरई (करुर) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री कमलनाथ : महोदया, इस मामले पर बहुत जल्द चर्चा की जाएगी। हमारा इस पर कल चर्चा करने का विचार है।

अपराह्न 12.59 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा में अब मद संख्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

डॉ. चिंता मोहन।

डॉ. चिंता मोहन (तिरुपति) **:** महोदया, पहले गांवों में अंधेरा होता था और लोग केरोसिन की लाइटों का उपयोग करते थे। पूरी तरह अंधेरा हुआ करता था। आज, वह रोशनी से भरा है। गांवों का पूरी तरह से विद्युतीकरण देखा गया है। पहले लोग खुले कुओं का इस्तेमाल करते थे। वे रस्सी और मटके से पानी खींचा करते थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक कुंओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें सार्वजनिक कुंओं से पानी लेने के लिए पांच से छः घंटे इंतजार करना पड़ता था। उन दिनों छूआछूत चरम सीमा पर थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था। पूरी तरह से भेदभाव किया जाता था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अस्पताल भी नहीं जाने दिया जाता था।

अपराह्न 1.00 बजे

यदि एक अनुसूचित जाति का बच्चा डॉक्टर के पास जाता था, चाहे वह एक महीने का ही हो, डॉक्टर उस एक महीने के बच्चे की नब्ज पर एक पत्ता रख कर, उसकी नब्ज देखता था। यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति मृत्युशया पर अस्पताल ले जाया जाता था तो डॉक्टर उसे कभी नहीं छूते थे। वे अब गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर कपड़ा रख कर नब्ज देखते थे। वो दिन भी थे जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा में अनुशासन बनाए रखें। कृपया सभा में अनुशासन बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चिंता मोहन : मैं एक घटना का उदाहरण देना चाहूंगा।

तिरुपति के एक अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति ने भावना और भक्ति के आवेश में मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्योंकि यह स्वतंत्रता से पहले की घटना है ब्रितानी पुलिस ने उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तिरुपति में पकड़ा तथा जेल में डाल दिया बाद में, जवाहरलाल नेहरु, राजगोपालाचारी और महात्मागांधी तिरुपति में उस गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बचाव के लिए आए तथा उसकी जमानत कराकर उसे छुड़ाया। बाद में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरु ने आंदोलन चलाया और मंदिर में उस जमाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रवेश दिलाया।

अभी कुछ दिन पूर्व हम दिल्ली की निर्भया के बारे में बात कर रहे थे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नग्न करके जलूस निकाला गया। उस जमाने में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मृत पशुओं के समान पकड़ा जाता था। एक लकड़ी डाल कर अनुसूचित जाति के जीवित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। अस्पृश्यता उन दिनों प्रचलन में थी। जवाहर लाल नेहरु तथा संविधान सभा ने हमें संविधान का अनुच्छेद 330 दिया है। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत हमे राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ है। लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 100 से अधिक सदस्य है, इसका सम्पूर्ण श्रेय इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरु तथा संविधान सभा को जाता है।

सामाजिक उत्पीड़न प्रचलित था। 1989 तक, प्रत्येक तीन माह में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के संबंध में, चर्चा होती थी। परन्तु इस पर आज कल कोई चर्चा नहीं होती है इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को जाता है। आज भी मुझे वह दिन याद है। सितम्बर 1989 में वह संसद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) विधेयक लाए थे इस विधेयक को स्वर्गीय श्री शंकरानन्द जी ने तैयार किया। मैं इसका साक्षी था। स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र कुमार वाजपेयी की इसमें अग्रणी भमिका थी। इसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण विधेयक, जिसको स्वर्गीय श्री राजीव गांधी लाए थे। इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार काफी कम हो गए है। अनुसूचित जातियों का सम्मान बढ़ा है तथा लोग सम्मान पूर्वक रह रहे हैं। इसका पूरा श्रेय श्री राजीव गांधी और उनके विधेयक को जाता है।

अब अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिल गया है। पिछले वर्ष चरवाहा, नाई, बढ़ई समुदाय के लोग भी आईएएस में प्रवेश पा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग के 350 से अधिक आईएएस अधिकारी सेलो से आयोग के माध्यम से सिविल सेवा में लाए। इसका सारा श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। मैं यूपीए के सहयोगियों को भी इसका श्रेय देता हूं।

सरकार ने संविधान में 93वां संशोधन किया। संविधान के इस संशोधन से हजारों लोग, पिछड़े वर्गों के हजारों लोग जैसे धोबियों को लाभ हुआ है वे सिविल सेवा तथा राज्य सेवाओं में प्रवेश पास सके। काफी संख्या में छात्र/छात्रायें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ले पा रहे हैं। अनेक विद्यार्थियों को छात्रवृति मिल रही है। पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

स्वतन्त्रता के कई दशकों के बाद एक अल्पसंख्यक वर्ग के नेता, को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका पूरा श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी और संप्रग को जाता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा। कि कभी किसी जमाने में इस देश में दलितों को अस्पृश्य माना जाता था, परन्तु अब एक दलित को लोक सभा का नेता बनाया गया। स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद श्री सुशील कुमार शिन्दे को लोक सभा का नेता बनाया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

आज विकास कार्यक्रमों को देखें तो देश में हम आर्थिक क्रांति देख सकते है। चीन जैसे कम्यूनिस्ट देशों मे ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है; रूस जैसे समाजवादी देश में, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है। आज गावों में भी आर्थिक क्रांति देखी जा सकती है। जमीन पर सोने वाला गरीब आदमी आज चारपाई पर सोता है; चटनी खाने वाला गरीब आदमी रोज़ दाल खा सकता है; दाल खाने वाला गरीब आदमी अब अंडा खा सकता है; और जो आदमी अंडा खा सकता था अब कम से कम सप्ताह में एक बार एक गिलास दूध पी सकता है। इसका सारा श्रेय रोजगार गांरटी योजना को जाता है। आर्थिक क्रांति दिखाई दे रही है। झोंपडी में रहने वाले हर गरीब आदमी के पास अब घर है; मिट्टी के तेल के लैम्प के साथ जीवन यापन करने वाले गरीब आदमी के घर अब विद्युत बल्ब है; गरीब आदमी के पास अब टेलीविज़न सैट है; गरीब आदमी अब पंखा ले सकता है। पहले उसके पास केवल हाथ का पंखा होता था। अब वह नहीं है। समाज के गरीब वर्गों के घरों में टेबल फैन या छत का पंखा देखा जा सकता है। गांवों में हरिजन, गिरीजन, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य लोग अब पंखा, फोन मोबाइल फोन रखने में सक्षम है। गांवों में 4 में से 1

[डॉ. चिंता मोहन]

आदमी के पास मोबाइल फोन है। हम यह सामाजिक क्रांति देख सकते है। मनरेगा के कारण आर्थिक क्रांति दिखाई देती है। मैं इसका श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को देता हूं।

शिक्षा की बात करें, तो पहले हरिजनों और गिरीजनों को विद्यालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज गरीब लोगों को विद्यालयों में प्रवेश मिलता है। प्रत्येक गांव में एक विद्यालय है; प्रत्येक गांव में मिड-डे-मील कार्यक्रम है। मां खाना दे या न दे, जब गरीब बच्चे विद्यालय जाते हैं, उन्हें भोजन मिलता है उन्हें अच्छा पोषक भोजन मिल रहा है। सप्ताह में दो बार उन्हें अंडा मिलता है; कुछ स्थानों पर उन्हें मछली मिलती है। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें मिल रही है। करोड़ों बच्चों को स्कूल यूनिफार्म मिलती है। करोड़ों बच्चों का छात्रवृतियां मिल रही है शैक्षणिक स्तर सुधरा है।

स्वास्थ्य की बात करे तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर 70000 करोड़ रुपए व्यय किए गए है। प्रत्येक उप केन्द्र में एक नर्स होती है; प्रत्येक केन्द्र में, एक 'आशा' होती है। लाखों लोग 24 घंटे काम कर रहे है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। आज मातृ मृत्यु दर कम हुई है; शिशु मृत्यु दर कम हुई है; देश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है।

आंगनवाडी केन्द्रों के संबंध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में 10.50 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। 20 लाख से अधिक लोग काम कर रहे है; हरिजन तथा गिरीजन समुदाय की गरीब गर्भवती महिलाओं को पोषक भोजन मिलता है; दो अंडे प्रति सप्ताह। आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरीब लोगों को उत्तम भोजन मिलता है।

पेयजल के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि देश में सभी गांवों को पेयजल मिल रहा है। पहले उन्हें खुले कुओं से पानी मिलता था। विद्युतीकरण के बारे में, मैं कहूंगा देश में 93 प्रतिशत से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। यह सामाजिक परिवर्तन है और विशेष रूप से आर्थिक परिवर्तन है जो कि गांवों में दिखाई दे रहा है।

अब मैं ऐसे कुछ ऐसे मुद्दों की बात करूंगा जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम गरीब लोगों के लिए अनेक कल्याण कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तरफ हम गरीब आदमी को पीने के लिए दूध दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम गरीब आदमी को पीने के लिए उन्हें जहर दे रहे हैं। यहां किस जहर की बात हो रही है? हम मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को अच्छी मजदूरी दे रहे हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 200 रुपए से 300 रुपए दिए जा रहे है।...*(व्यवधान)* एल.आर.एच.एम के माध्यम से यूपीए सरकार उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं दे रही हैं लेकिन दूसरी और गांवों में और गरीब लोगों को सस्ते दामों पर शराब परोसी जा रही है।

मैं इस संबंध में अत्यधिक दुख के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश की महिलाएं बहुत दुखी हैं। उन्हें अच्छी मजदूरी मिल रही है परंतु आदमी गरीब महिलाओं से यह मजदूरी छीनकर सीधे 'बेल्ट शाप्स' में चले जाते हैं। हम उन्हें 'बेल्ट शाप्स' कहते हैं। गांव के कोने कोने में सस्ती और हानिकारक शराब उपलब्ध है। इसे रोका जाना चाहिए। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें गरीब लोगों को बचाने के लिए आगे आना होगा।

मैं तालाबों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। देश भर में हजारों तालाब हैं, लघु सिंचाई तालाब, बृहत् सिंचाई तालाब हैं। सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य को हजारों करोड़ रुपए दे रही हैं। सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में तालाबों की स्थिति में सुधार हेतु 1,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। आन्ध्र प्रदेश में 70,000 बृहत और लघु तालाब हैं। इनके माध्यम से हम किसानों को जल दे रहे हैं और वे फसलें उगा रहे हैं।

परंतु समस्या यह है कि इन 70,000 तालाबों में लगभग 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की मछलियां है। आन्ध्र प्रदेश राज्य को 1 करोड़ रुपए देकर निहित स्वार्थों द्वारा यह सम्पत्ति ली जा रही है। मैं यूपीए की माननीय अध्यक्ष महोदया से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन 70,000 तालाबों में उपलब्ध 7,000 करोड़ रुपए के मूल्य की मछलियों को सीमांत वर्ग, गरीब स्वसदस्यता समूहों, बेरोजगार लोगों को दें ताकि वे आर्थिक उन्नति कर सकें। मैं यूपीए की अध्यक्ष महोदया से यह अनुरोध करूंगा कि वे आन्ध्र प्रदेश के गरीब लोगों की सहायता हेतु इसे एक विशेष मामले के रूप में लें।

महोदया, हालांकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है परंतु हमें प्राथमिक स्कूल में कक्षा एक से ही अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना में हम ऐसा नहीं कर पाए परंतु कम से कम बारहवीं योजना में प्राथमिक स्कूल में कक्षा एक से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू की जानी चाहिए ताकि गरीब लोग अंग्रेजी जान सके और उनके स्तर में सुधार हो।

कुछ स्थानों पर कुपोषण के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति की गर्भवती महिलाएं मर रही हैं...*(व्यवधान)* । हम उन्हें प्रत्येक सप्ताह दो अंडे देते हैं। परंतु गर्भवर्ती महिला के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें प्रतिदिन एक अंडा, दूध का एक छोटा गिलास दिया जाना चाहिए। इससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) : मैडम, माननीय सदस्य द्वारा एक शब्द बार-बार बोला जा रहा है जिस पर मुझे घोर आपत्ति हैं और यह शब्द असंसदीय भी हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डॉ. चिन्ता मोहन : आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को महिलाओं को कम से कम एक अंडा और एक छोटा गिलास दूध प्रतिदिन देने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर पंडित जवाहरलाल नेहरु राजनैतिक क्रांति लाए थे। संसद में अधिनियम लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उत्पीड़न से बचाया था। अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आदर बढ़ा है। मैं इसका पूरा श्रेय उन्हें देता हूं।

अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में भी यही हो रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इसके लिए संविधान में 93वां संशोधन लाने का पूरा श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। मैं डा. मनमोहन सिंह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वे एक सरल, सौम्य नेता है। वे अल्पसंख्यकों, सिक्ख समुदाय के नेता है। एक सिक्ख को प्रधानमंत्री बनाया गया और यह देश जो 1991 में दिवालिया हो गया था आज एक सक्षम देश है और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। उन्होंने इस देश की स्थिति में सुधार किया है। उन्होंने आर्थिक क्रांति की शुरूआत की। आज सभी अग्रणी कार्यक्रमों के लिए निधियां उपलब्ध हैं। सभी कार्यक्रम चल रहे हैं।

मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने समाजवाद के बारे में कुछ था। मैं भी समाजवाद में विश्वास करता हूं। परंतु सोवियत संघ का पत्तन हो गया है। साम्यवादी चीन उदारवादी सुधार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अन्य देशों के विरुद्ध कुछ मत कहिए।

डॉ. चिन्ता मोहन : जब एक तरफ एक साम्यवादी देश विफल हो रहा हैं और दूसरी तरफ एक समाजवादी देश विफल हो चुका है तो उदारवादी सुधारों के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं संसद और इस राष्ट्र को यह ज्ञानवर्धक भाषण देने के लिए जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। जो माननीय सदस्यगण अपना लिखित भाषण देने के इच्छुक हैं वे इसे सभापटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी नेता सुषमा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी तरफ से दो शब्द कह सकूं।

अपराह्न 1.17 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

महोदया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश और सरकार की दशा तथा दिशा बताता है और उसका परिचय करने वाला दस्तावेज होता है। सरकार की नीयत और नीति को भी बताता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की कथनी होती है और उसके बाद जो बजट आता है, आर्थिक सर्वे आता है वह सरकार की करनी होती है। यहां सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन चर्चा से पहले रेल बजट प्रस्तुत हुआ, आर्थिक सर्वे आ गया, आम बजट आ गया और ये तीनों दस्तावेज सरकार के दावे को पूरी तरह से नकारने वाले हैं। सरकार की कलई सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से खुल गई है। रेल बजट में हमने सुना कि 17 साल बाद कांग्रेस के मंत्री द्वारा पेश किया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जब उनके वक्ता बोलते हैं तो सारी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक खत्म कर देते हैं।

अभी चिंता मोहन जी बोल रहे थे, उन्होंने देश के बारे में चिंता कम की है, लेकिन सोनिया जी को हर काम का क्रेडिट दिया है। यह उनका सौभाग्य है कि उनकी नेता उनकी बात सुन रही थीं और

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

खुश भी हो रही थीं। यह बात सही है कि प्रशंसा किसी को भी बुरी नहीं लगती है। यह इंसानी स्वभाव ही है। कांग्रेस पार्टी बड़ी सोच वाली पार्टी कही जाती थी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी कही जाती थी। खास कर जब रेल बजट आया तो पता चला कि लोग क्षेत्रवाद का इल्ज़ाम क्षेत्रीय पार्टी पर लगाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्र की पार्टी नहीं, राज्य की पार्टी नहीं बल्कि अमेठी से रायबरेली तक की पार्टी रह गई है। पूरे रेल बजट में अमेठी से रायबरेली को जोड़ दो, तो देश को जोड़ दिया है। हर वक्ता की जो परिक्रमा है, वह अमेठी से रायबरेली तक परिक्रमा कर लें तो देश की परिक्रमा मान ली जाती है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने जो बातें कहीं, उन बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जिस तरह से उन्होंने आर्थिक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज भाषा बदल गई, आज हर वर्ष की जीडीपी की चर्चा करने वाले और अभी चिंतामोहन जी ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का भी एक बार जिक्र कर लिया और जिक्र करते हुए उनको माइनॉरिटी का सबसे बड़ा नेता बताया और माइनॉरिटी से वे प्रधान मंत्री बने हैं,...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी ने भी हमको तुरंत उनके जवाब के लिए खड़ा कर दिया ताकि उनकी जो माइनॉरिटी की फीलिंग है, वह आहत न हो जाए।

माइनॉरिटीज की क्या हालत है, मैं धीरे धीरे उस पर भी आऊंगा लेकिन इस सरकार को न मर्ज़ मालूम है और न दवा मालूम है। इस सरकार के पास हर साल नया वादा है, हर साल उसी डॉक्टर के पास इलाज होता है जिसको मर्ज का पता नहीं है लेकिन आज इस सरकार के पास रिफॉर्म्स के नाम पर मनमोहन सिंह जी का पुराना चेहरा है। वे रेफरेंस आज का नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि 1991 में देश की क्या स्थिति थी? तब मनमोहन सिंह जी आए। मैं पूछना चाहता हूं कि तब की स्थिति पर चर्चा हो गई और जब वे आए थे तो उसके बाद बहुत दिनों तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। जिस तरह से उनका पर्फामेंस बहुत अच्छा था तो बहुत दिनों तक आप सत्ता में नहीं थे। लेकिन आज की चर्चा कीजिए। देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधान मंत्री हैं। इस पर किसी को कोई शक नहीं है। देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह जी और एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बेहतरीन वित्त मंत्री जी चिदम्बरम साहब हैं इन तीन अर्थशास्त्रियों ने देश को तीन चीजें दी हैं। बेलगाम भ्रष्टाचार, बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी। ये जो अर्थशास्त्रियों की त्रिमूर्ति कांग्रेस ने देश के सामने पेश की है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएमसी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह जी और चिदम्बरम साहब। ये जो एमएमसी है, इन्होंने पिछले नौ साल में एक युवा को रोजगार नहीं दिया। पूरी कांग्रेस रोजगार की बहुत बात करती है। सिर्फ राहुल गांधी जी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के अलावा देश के युवाओं को कुछ नहीं दिया। जो भी दिया, एक रोजगार राहुल गांधी जी को दिया है। जब से यह सरकार आई है, नौ सालों में पांच लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। आम बजट पर जब चर्चा होगी तो हमारे लोग उसकी चर्चा करेंगे लेकिन अभी आम बजट आया तो लगा कि, रेल बजट में चूक गये। बंसल साहब बहुत पोपुलर आदमी हैं। यहां हमारी नेता आदरणीय श्रीमति सुषमा स्वराज जी का गुडविल उनके साथ रहा। इनका स्नेह उनके साथ रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सब सांसदों से उनका सम्पर्क रहा। हम सबकी भी इच्छा थी कि वह बजट अच्छे से पढ़ें। लेकिन लगता है कि कांग्रेस तो रेल बजट पढ़ना भूल गई थी और वे पहले रेल मंत्री थे जो बजट भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब चिदम्बरम साहब आए, शुरू में बहुत अच्छी हारवर्ड वाली अंग्रेजी उन्होंने सुनाई। कुछ पोएट्री एंड में तमिल में सुनाई क्योंकि वह वहां से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, व्यापारी, कर्मचारी किसी की चिंता नहीं की बल्कि बजट के दिन पूरा देश मायूसी की गर्त में चला गया, डूब गया। इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए नए-नए प्रयोग कर रही है। महंगाई बढ़ रही है और बजट एलोकेशन में चार-पांच परसेंट बढ़ा रहे हैं, महंगाई 12 परसेंट बढ़ गई है।...*(व्यवधान)* आप हमसे बढ़े हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आर्थिक हालात पर दो-चार लाइनें हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं।

महोदय, कांग्रेस के लोग एक साल की चर्चा करते हैं फिर पांच साल की करते हैं लेकिन हम आपसे पांच साल का नहीं 50 साल का हिसाब लेने के लिए खड़े हुए हैं। आपको देश को बताना होगा। अभी चर्चा हो रही थी कि यह सिस्टम बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सिस्टम बनाया किसने है? इस सिस्टम को दीमक लग गया है। ऐसा सिस्टम आपने तो बनाया था इसलिए आपको सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया था। विपक्ष के नेता के रूप में हमने मनमोहन सिंह जी को देखा है। हमारा उनके

साथ संबंध रहा है और आज के देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आज न तो आपकी सरकार की विल है और न गुड विल है। सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है। इस सरकार के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ वादा खिलाफी करना, आम जनता के साथ सिर्फ नारे लगाना है। आज 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' कहने वाली सरकार का हाथ और पंजा लोगों की गर्दन तक पहुंच गया है और कांग्रेस के इस नारे से लोगों का डर लगता है। यूपीए-1 ने जाते-जाते कैश फोर वोट कर लिया था जिसे सुनने के बाद बहुत दर्द होता है। हम इस सरकार से बहुत उम्मीद करते भी नहीं हैं। इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उम्मीद करे कि यह सरकार कुछ कर रही है। यह काम चलाऊ सरकार है, सरकार के नाम पर रुतबा भी नहीं है। मंत्रियों के दरवाजे पर भीड़ भी कम हो गई है। अजित सिंह जी पहले भी मंत्री रहे हैं, हम लोगों के साथ भी थे, ये जनाधार वाले नेता हैं। आप अन्य मंत्रियों के यहां चले जाइए, कोई इनसे उम्मीद ही नहीं करता है। ये समझते हैं कि ये बिजी हैं, सुबह से शाम तक इंतजाम में रहते हैं। हम एक घोटाला हो गया, उसके बाद हैलीकाप्टर घोटाला आ गया। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, अभी हम उसके बारे में बोल रहे थे कि दूसरा घोटाला सामने आ गया। इस सरकार से इस जनता को कोई उम्मीद है, हमें ऐसा विश्वास नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। आपसे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, लोग मान चुके हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। आप चुनाव आने का इंतजार कीजिए, जनता तैयार है, आप नौ साल से थक गए हैं, आपका आराम करना तय है। इसलिए एक शायर ने कहा है-"तुम और वफा करोगे यह मैं मानता नहीं, उसको फरेब दो जो तुम्हें जानता नहीं।" हम लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं।...*(व्यवधान)* फरेब वाला शेर इन्हें तुरंत समझ में आता है, लेकिन आपको नहीं आता है।

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : आपने क्या कहा, हमने सुना नहीं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं गिरिजा जी की स्पीच लेकर आया हूं। कांग्रेस की तरफ से दो लोग बोले थे, प्रथम चाको साहब बोले थे, जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन मैं कोई प्रोटोकोल का वॉयलेशन नहीं कर रहा हूं। तीसरे जो मैम्बर बोले हैं, वह हर काम की उपलब्धि प्रधान मंत्री जी से निकालकर सोनिया जी को दे रहे थे। अभी मंत्रिमंडल का कोई विस्तार भी नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें इसका कोई लाभ भी नहीं होना है। मुझे चिंता मोहन जी की ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन कांग्रेस के वक्ता जब बोलते हैं तो मैं सोचना हूं कि कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती होगी। इसलिए एक शायर ने कहा है- "खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों को, शख्सियत का अंदाजा उसकी गुफ्तगू से होता है।" इसलिए गिरिजा जी कम से कम प्रधान मंत्री जी से नसीहत ले लेतीं। वह कम बोलते हैं, कम बोलना ज्यादा अच्छा होता है। जितना कम बोला जाए, अच्छा है, जितना लम्बा बोलेंगे, ज्यादा पकड़े जाओगे। इसलिए कम बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अपना भाषण दिया है, उसी में से मैं कुछ पाइंट यहां रखना चाहता हूं। आज गिरिजा जी और चाको साहब ने इस सरकार की प्रशंसा तो करना थी।

लेकिन इस सरकार के बारे में तो क्रेडिबिलिटी की बात की जाती है। इस देश में दो बातों का कांग्रेस के लोगों ने अच्छे से प्रचार कर दिया कि प्रधान मंत्री जी बहुत ईमानदार है, यह बड़ी बच्छी बात है, आपने प्रचार कर दिया कि प्रधान मंत्री बहुत ईमानदार हैं। देश का प्रधान मंत्री तो ईमानवाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा प्रचार कर दिया कि एंटनी साहब बड़े ईमानदार हैं। यानी दो लोग बहुत ईमानदार हैं और किसी मंत्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा होगा। कांग्रेस के लोग यह बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि ये दोनों हमारे यहां बड़े ईमानदार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : बाकी लोग क्या हैं?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : बाकी क्या हैं, उन पर मैं नहीं बोलूंगा, अपने बारे में आप खुद बताइये। मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं जो आपके बारे में बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : जो सच बोल रहे हैं, वह तो बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं वहीं बोल रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप वह नहीं बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उनके दो मंत्री ईमानदार हैं, इसका प्रचार किया गया। आज यह कहा जा रहा है कि घर लुट गया, लेकिन चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार तो बहुत ईमानदार है, लाठी लेकर बाहर खड़ा था, अब पीछे से घर लुट गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वह चोर की जिम्मेदारी है। वहां जो चौकीदार खड़ा था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगस्ता डील हो गई, हैलिकाप्टर की खरीद में स्कैम हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। प्रधान मंत्री जी और

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

रक्षा मंत्री बहुत ईमानदार हैं। सर्टिफिकेट कहां से लेकर आये हैं, यह भी नहीं पता है। खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ईमानदारी की मिसाल बहुत हैं। मनरेगा की योजनाओं के बारे में गिरिजा जी ने बताया। मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी के नाम की योजना है, पहले उसे भी लोग सोनिया गांधी जी से जोड़ते थे। आजकल अध्यक्ष जी से जोड़ते थे, अब उपाध्यक्ष जी से भी जोड़ने लगे। मनरेगा योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने इस राहुल गांधी की भी ड्रीम योजना बता दिया और उस योजना के बारे में यह कह दिया कि हर चौथा घर मनरेगा से लाभान्वित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गिरिजा जी को मालूम होना चाहिए कि हर चौथा घर इस योजना से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, यही मनरेगा की सचाई है। इनकी जितनी भी योजनाएं बनीं, उन योजनाओं को अगर में कहुं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें आपने अभी कटौती कर दी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने कहा कि उस बहुत काम करेंगे। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, बिहार का पैसा रोके बैठें हैं। आज देश में पेयजल का संकट है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको इसे वारफुटिंग पर लेना चाहिए। हम लोगों के यहां वॉटर लेवल नीचे जा रहा है। जब मैं अपनी कॉन्स्टिटयूएंसी, भागलपुर में जाता हूं, तब देखता हूं कि कुआं सूख रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज हमारे मित्र अजीत सिंह जी उड्डयन मंत्री हैं। आज एयर इंडिया की जो हालत है, उस पर अलग से चर्चा होगी। लेकिन ये जो एयरलाइन है, जब किसी एक एयरलाइन की स्ट्राइक होती है, तो वह किराया बढ़ा देता है। आज आपको ड्रीमलाइनर ग्रांड करना पड़ा है। यह किसकी जिम्मेदारी है? आज बुनकरों के बारे में सरकार ने बड़ी चर्चा की है। बुनकर की क्या हालत है? हम लोग बुनकर के क्षेत्र से आते हैं। भागलपुर में, वैसे तो इनको यही याद आता है कि राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे, तब वहां बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां समाप्त हो गई। लेकिन बुनकर की जो उंगली कटी थी, उसकी चिंता आपने नहीं की है क्योंकि वहां आपको वोट नहीं मिलता है। हमारी वहां की सरकार चिंता कर रही है। आज बुनकर के लिए आपको जो इंतजाम करना चाहिए था, वह कोई इंतजाम इस बजट के अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। जब अटल बिहारी वाजपयी प्रधान मंत्री थे, तब यह योजना आई थी, डॉ जोशी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने जो योजना शुरू की उसके अंदर कुछ बढ़ाने का काम आपने नहीं किया है बल्कि उसको कमज़ोर करने का काम कया है।

सभापति जी, इस सरकार के पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है और छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि बताने के लिए कोई उपलब्धि ही नहीं है और छुपाएं क्या? इनका सब कुछ हम लोग जानते ही हैं। जो ये लोग नहीं जानते हैं, वह भी हम लोग जानते हैं। ये तो सरकार में हैं तो सब कुछ हरा-हरा दिख रहा है। ग्रीन रेवल्युशन वाला हरा नहीं है, कुछ और हरा है। इशारों में कह रहा हूं क्योंकि फिर कुछ कहें तो ये कहेंगे कि यह क्यों कहा?

राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें चर्चा करते हुए सरकार ने आतंकवाद की बड़ी चिंता की है। आतंकवाद और सांप्रदायिकता की चिंता की है। सांप्रदायिकता किसने बढ़ाई है? आपने बढ़ाई है। पहले जब देश के अंदर आतंक होता था तो उसमें पाकिस्तान के लोग शामिल होते थे। अपने देश के लोगों पर कभी उंगली नहीं उठती थी। गृह मंत्री जी ने बयान दिया, पहले तो वे कह गए, बाद में सुषमा जी ने उनसे माफी भी मंगवा दी। लेकिन आतंकवाद को कलर और मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आतंकवाद को मज़हब के चश्मे से नहीं देखती है। इसलिए हम पूरी ज़िम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को उन्होंने जो रंग देने की कोशिश की है, उस रंग को देने के लिए उनको देश लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर आज आतंक का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह देश के लोगों को कमज़ोर करेगा। सरकार की आदत हो गई है, जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता था, सरकार के बयानों से भारत कटघरे में खड़ा होगा।

सभापति जी, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस देश में आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है और आतंकवाद को मज़हब से जोड़ने की जो कोशिश सरकार करती है, उसको देश के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे।

सभापति जी, यह सरकार अल्पसंख्यकों का बड़ा दर्द रखती है। यह सरकार ऐसा दावा करती है कि जैसे यह सरकार अल्पसंख्यकों के लिए दुबली हुई जा रही है। मैं अल्पसंख्यक मामलों की कमेटी में हूं। मैं कल ही उसकी बैठक में गया था। वहां मैं कुछ कागज़ पढ़ रहा था, इसलिए ताज़ा आंकड़े लेकर आया हूं। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय

बना दिया लेकिन उसको दांत नहीं दिए। अगर एक-आधा सरकार की बात लें तो आपने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 11 करोड़ रुपए हरियाणा में दिए, उसमें से दो करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में आपने 45 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उत्तर प्रदेश, जहां अभी शहीद ज़िया उल हक़ की शहादत की चर्चा हो रही है, जो सरकार अपने को सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार कह रही है, और वहां पर...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर (बलिया) : क्या अब हम लोगों को बीजेपी से सेक्युलरिज्म सीखना होगा? अब हम लोगों के ऐसे दिन आ गये हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए।...*(व्यवधान)* इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, यूपी में भ्रमण करके देखिए कि वहां क्या हाल है, माइनोरिटी के लोगों का क्या हाल है?...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : गुजरात में तो सब जगह ऐसा होता है।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उत्तर प्रदेश में 82 करोड़ रुपए इनको मिले थे और केवल 22 करोड़ रुपए खर्च किए।...*(व्यवधान)* यानी पिछले साल 82 करोड़ रुपए इनको मिले और इन्होंने 22 करोड़ रुपए वहां खर्च किए।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : शाहनवाज़ जी, आप वहां खड़े होकर मुसलमानों की बात मत कीजिये।...*(व्यवधान)* इधर खड़े होकर मुसलमानों की बात कीजिये, वहां खड़े होकर मुसलमानों की बात मत कीजिये।...*(व्यवधान)* आप और कोई बात कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार हैं?...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह यादव जी की ठेकेदारी यूपी में हम समाप्त करके आएंगे, चिंता मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : ये लोग ऐसी बात करेंगे।...*(व्यवधान)* जो लोग मरवाते हैं, वे ऐसी बात करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अभी तो आपने मरवाया है, यूपी में मरवाया है न, यही रिकार्ड पर आया है...*(व्यवधान)* क्या अल्पसंख्यक डीएसपी को मरवाने वाले बात करेंगे?...*(व्यवधान)* एक गरीब अल्पसंख्यक लड़का डीएसपी हुआ, उसकी हत्या इनकी सरकार के समय में हुयी।...*(व्यवधान)* वहां के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)* आप जरा देवरिया में जाइए...*(व्यवधान)* बलिया में घूमकर आइए...*(व्यवधान)* आपको वहां जाकर पता लगेगा।...*(व्यवधान)* इस बार वह इंतजाम होगा...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यक लोग आपका वह इलाज करेंगे...*(व्यवधान)* आप चुनाव आने दीजिए।...*(व्यवधान)* महोदय, इन्हें टोकने से रोका जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन जी कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए। आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं? कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, असम के अंदर जो सरकार अपने को अकलियमों की हमदर्द कहती है...*(व्यवधान)* उस सरकार में 29 करोड़ रुपए मिले और अकलियत के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए। यह मंत्रालय की रिपोर्ट है।

महोदय, अकलियत के साथ दिक्कत यह है कि जब हम अपना दर्द रखते हैं तो हमारे ठेकेदार अलग हो जाते हैं। हर समाज के लोग अपना दर्द रख सकते हैं, लेकिन अकलियत के ठेकेदार यूपी में कोई और बन जाते हैं, दूसरी जगह कोई और बन जाते हैं। हम अगर अकलियत का दर्द रख रहे हैं, अगर यूपी के अंदर एक अकलियत का नौजवान मरा है तो उसके दर्द पर मरहम लगाइए, जख्म पर नमक मत छिड़किए।...*(व्यवधान)* यूपी के बलिया, देवरिया में अकलियत के लोग आपको देख रहे होंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। अभी अनेक सदस्यों को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज अकलियत

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

और अकसीरियत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटने की कोशिश नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि आपने अकलियत मंत्रालय क्यों बनाया? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते तो सर्व शिक्षा अभियान में अकलियत शिक्षा अभियान अलग से बनाते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको पढ़ायेंगे।...*(व्यवधान)* हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनायी तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जहां एक हजार की आबादी होगी, पांच सौ की आबादी होगी, अल्पसंख्यक का घर हो या बहुसंख्यक का घर हो, वहां सड़क बनायेंगे। हमने जो भी योजना बनायी, उसमें कभी कोई दर्द रखने का अलग से काम नहीं किया।

महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज अकलियत के लिए और अकसीरियत के लिए वह दौर खत्म हो गया है, जो वोट के ठेकेदार इस नाम पर ठेकेदारी कर रहे थे, वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी होनी वाली है।...*(व्यवधान)* चिंता मत कीजिए।...*(व्यवधान)* उनका कांट्रेक्ट खत्म होने वाला है और मैं आपको यह कह देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

• **श्री नीरज शेखर :** वह शाहनवाज़ हुसैन जी तय नहीं करेंगे, उस देश की जनता तय करेगी।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आज वह दौर नहीं है, आज लोग कहते हैं कि देश के अंदर कोई माहौल है, देश के अंदर हिन्दू और मुसलमान इस मादरे वतन की संतान की तरह मिलकर रहते हैं। आज मुल्क में कहीं पर कोई दंगा फसाद नहीं है। थोड़ा उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाता है, वह अलग बात है, लेकिन पूरे देश में वातावरण अच्छा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी अनेक वक्ताओं को बोलना है। कृपया समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के ही अभी छह सदस्यों को बोलना है अभी उन्हें बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। वे मेरे भाषण के बीच में बार-बार टोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : आप लोग तो दंगा कराने के लिए मशहूर हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इस देश में दोनों समाजों को लड़ाने के लिए तरह-तरह की तकरीर कर दी जाती है। इस देश में यह मानकर चलना चाहिए कि वह दौर बदल गया है। कुछ लोग कह देते हैं कि हमें नाम बदलना पड़ता है...*(व्यवधान)* अब यह तो कोई तरीका नहीं है, ये लगातार हमें टोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : आप चेयर की तरफ देखकर बात कीजिए। आप हमारी तरफ देखकर बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप देखने लायक हैं नहीं तो क्या देखें?

श्री नीरज शेखर : आप बहुत देखने लायक हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, यह इनका कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)* यह कोई तरीका तो नहीं है।...*(व्यवधान)* हम बोल नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप स्वयं के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ये हमारे देखने पर पाबंदी लगा देंगे? इनका राज उत्तर प्रदेश में है, यहां नहीं है जहां किसी को देखने पर पाबंदी लगा देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि आपने कहा कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, यह तरीका बहुत गलत है जो अपना रहे हैं। इनके जो नेता बोलेंगे, उनको भी हम टोककर बता देंगे। शाहनवाज़ हुसैन को मुलायम सिंह को भी टोकना आता है। हम बता देंगे।...*(व्यवधान)* यह ठेकेदारी नहीं चलेगी। ज़िया-उल-हक़ का परिवार आपसे डरेगा, हम नहीं डरेंगे। यह कोई तरीका है?...*(व्यवधान)* बार-बार टोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : ये कैसे कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आपने नहीं बोलने दिया तो हम भी नहीं बोलने देंगे।...*(व्यवधान)* ये समाजवादी पार्टी के लोग अकलियत के नाम से चिढ़ते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया इसे जारी नहीं रखें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मैं अपनी बात रख रहा था। कोई भी नेता जब अकलियत की बात करता है और यदि मैं अकलियत समाज में पैदा हुआ हूं तो समाजवादियों को मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। वे भले ही हमारी कम्यूनिटी से नाराज़ हैं, लेकिन हमको रोकने का अधिकार उनका नहीं है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, क्या समाजवादी पार्टी दो मिनट बिना टोके शाहनवाज़ हुसैन को बोलने दे सकती है?...*(व्यवधान)* हम जाएंगे उत्तर प्रदेश और इनकी पोल खोलेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं अच्छी बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि मुझे डेढ़ मिनट दीजिए, मैं कनक्लूड कर दूंगा। मैं आपको कह रहा था कि आज मुल्क का वातावरण अच्छा है। आज किसी यूसुफ़ ख़ान को दिलीप कुमार बनने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी महज़बी बानो को मीना कुमारी बनने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी बदरुद्दीन काज़ी को जॉनी वॉकर बनकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी मुमताज़ को मधुबाला बनकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज शाहनवाज़ हुसैन, शाहनवाज़ हुसैन बनकर काम कर सकता है और आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख़ खान अपने नाम से काम कर सकते हैं। इसलिए इस मुल्क के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश को रोकना चाहिए। जो कोशिश कांग्रेस ने की है, हम उस कोशिश की मज़म्मत करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, हम अपनी बात को सिर्फ एक बात कहकर खत्म करना चाहते हैं। मैं पिछले 14 साल से पार्लियामेंट में हूं। मैं इस तरह से कभी टैम्पर लूज नहीं करता, न मैं कभी किसी को आहत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि इस देश में देशभक्तों का अपमान और देशद्रोहियों का सम्मान मत कीजिए। जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, हम मिलकर रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में कि यह कह दिया जाए कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में से पुलिस हटा दो, हम आपस में ठीक कर लेंगे। ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिन्दू और मुसलमान इस देश में 15 मिनट नहीं, 1500 साल मिलकर रहेंगे। यह मुल्क हमारा वतन है और हम लोग यहां मिलकर रहेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): [illegible]

[illegible]

[illegible]

تم وفا کرو گے یہ میں مانتا نہیں

اس کا فریب دو گے تم یہ جانتا ہوں

[illegible]

خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں کو

شخصیت کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے

[illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): [illegible]

[illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible]

(مداخلت) [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible]

(مداخلت) [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible]

چیئرمین صاحب، [illegible]

چیئرمین صاحب، [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible] (مداخلت) [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible] (مداخلت) [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible] (مداخلت) [illegible]

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : [illegible] (مداخلت) [illegible]

نہیں چلے گی۔ [illegible] (مداخلت)

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور) : چیئرمین صاحب، [illegible]

چیئرمین صاحب، [illegible]

چیئرمین صاحب، [illegible]

(ختم شد)

[हिन्दी]

***श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला** (खजुराहो) : लोक सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। साधारणतया राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार के कार्यकरण और उसकी इच्छाशक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस अभिभाषण में सरकार इच्छाशक्ति का अभाव साफ-साफ दिखायी दे रहा है। सरकार की असफल नीतियों, निर्णय टालने की नीति के कारण देश बदहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ाने को अपने विकास का पैमाना मानती रही है। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि देश की विकास दर 5 प्रतिशत के आस पास ही रहने वाली है। विकास दर का बढ़ना सरकार की कार्यकुशलता है, तो विकास दर घटने, राजकोषीय घाटे में हो रही बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई, महिला अत्याचार में बढ़ोतरी सरकार की असफलता है।

सरकार द्वारा हमेशा आम आदमी का हवाला दिया जाता है, लेकिन देश में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते महंगाई अपनी चरमसीमा पर पहुंची है। यूपीए-1 और यूपीए-2 के लगभग 9 वर्ष के कार्यकाल में मा. प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 10 बार सदन को आश्वस्त किया है कि महंगाई अब कम होगी, तब कम होगी, हम प्रयास कर रहे हैं, नियंत्रण में लायेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के सदन को दिये गये आश्वासन भी जनता के साथ किये गये वादों की तरह अब तक गलत साबित हुए हैं। सरकार महंगाई तो नियंत्रित कर नहीं पा रही है, लेकिन जनता को 600 रुपए महीने में अपने परिवार का पालन-पोषण करने की सलाह जरूर दे रही है। शहरी क्षेत्र में 32 रुपए प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 28 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर माना जायेगा, उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार का हलफनामा देकर केन्द्र सरकार लोगों का मजाक बना रही है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज देश के 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको राष्ट्रीय शर्म माना है। लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं कुपोषण समाप्त करने के लिए चलाई जा रही हैं उनके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। यदि देश का बचपन ही कुपोषित होगा तो देश में स्वस्थ समाज और सक्षम राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? क्या हम इसी आधार पर 2020 में विश्व की महासत्ता का सपना देख रहे हैं इस स्थिति को हमको बदलना होगा। महंगाई पर नियंत्रण के साथ-साथ देश में पोषण खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए और प्रयास करने चाहिए।

आज देश में चारों और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। सभी घोटालों में केन्द्र सरकार लपेटे में आ रही है। जल, थल, वायु, नभ किसी भी क्षेत्र की कोई योजना हो, उसमें घोटाला निकलता है। योजना बाद में क्रियान्वित होती है, आर्थिक घोटाला पहले सामने आता है और कोई भी घोटाला ऐसा नहीं जिसमें केन्द्र सरकार पर आरोप न लग रहे हो।

अभी हाल ही में वीआईपी के उपयोग के लिए खरीदे गये अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकाप्टर सौदे में 360 करोड़ रुपए की दलाली देने का मामला हमारे देश में नहीं, विदेश में उजागर हुआ। इससे पहले 2 जी स्पैक्ट्रम,कोलगेट, आदर्श आदि घोटालों की लंबी सूची दी जा सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार जन विरोधी नीति अपनाकर अपनी जेबें भरने में लगी है। इसलिए इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। सरकार द्वारा किसानों की लगातार उपेक्षा करने से किसानों द्वारा बड़ी संख्या में देश में आत्महत्यायें की जा रही हैं। सरकार को देश के 31 जिलों को किसान आत्महत्या प्रभावित जिले घोषित करना पड़ा। किसानों को उनकी लागत के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके कृषि उत्पादों के विश्व बाजार में निर्यात पर सरकार पाबंदी लगा रही है। किसानों को कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक उर्वरक, बीज, कृषि उपकरणों के दाम बढ़ाये जा रहे हैं। अब तो पेट्रोल की तरह डीजल को अनियंत्रित करने के कारण फसल में लगने वाले आवश्यक चीजों के दाम लगातार बढ़ेगें, इसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी। इस सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में असफलता के कारण जनता के जीवनयापन पर भी प्रत्यक्ष कुप्रभाव पड़ रहा है।

सरकार की सबसे महत्वपूर्ण असफलता रोजगार सृजन के क्षेत्र में है। आज सरकार द्वारा रोजगार सृजन के नाम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो नीति बनाई जा रही है उससे देश के खुदरा क्षेत्र में तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही बेरोजगारी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन पहले से बढ़ रहा है, लेकिन रोजगारों का सृजन उस अनुपात में नहीं हो रहा है। छंटनी हो रही है। रोजगार घट रहे हैं। देश के युवा का हाथ खाली है। देश के युवाओं को आवश्यक रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के उपायों की कोई चर्चा नहीं हो रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरा क्षेत्र खजुराहो स्वयं एक प्रसिद्ध एवं विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल है। केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण खजुराहों में पर्यटन क्षेत्र विकास के कार्य पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं। खजुराहो को विश्व विरासत का दर्जा देकर उसे विश्व मानकीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए विशेष परियोजना बनाने के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने की मांग करता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आम जनता से जुड़े तथा देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की सार्थक बातों का उल्लेख नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य के द्वारा सरकार से अपनी कुछ मांगों को रखा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : मैं 21 फरवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके समाधान का कोई कारगर उल्लेख नहीं किया। देश घनघोर भ्रष्टाचार तथा बढ़ती हुई महंगाई से जहां एक ओर तबाह है वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, विदेशी घुसपैठियों का लगातार हो रहा देश में प्रवेश, सीमा में पड़ोसी देश द्वारा किया जा रहा अत्याचार एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं।

केन्द्र सरकार की गिरती हुई साख तथा अवरुद्ध होता हुआ विकास लोगों की जुबान पर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 फीसदी आबादी को कृषि क्षेत्र रोजगार दे रहा है, लेकिन सिर्फ खाद्यान्न के बढ़ते उत्पादन की तारीफ करके किसानों को लागत खर्च के अनुपात में यदि समर्थन मूल्य उत्पादन बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा तो वह फिर से निराश हो जाएगा, वैसे भी देश के 20 लाख से अधिक किसानों ने खेती के परम्परागत धंधे को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वह घाटे का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं।

मध्य प्रदेश राज्य ने खेती के घाटे के धंधे को फायदे का धंधा बनाने के लिए जो प्रभावी कदम उठाया था, जिसके चलते कृषि विकास की दर 18.91 प्रतिशत जो देश में सबसे अधिक है, इसी के चलते राष्ट्रपति जी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया। लेकिन जो राज्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनने में काम कर रहे हैं। उन राज्यों की जो योजनाएं वित्तीय सहायता के लिए लंबे समय से विचाराधीन हैं, उन्हें आज तक स्वीकृति नहीं दी गई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रदेश सरकार ने नदी जोड़ो योजना के तहत नर्मदा, क्षिप्रा रिवर लिंक के लिए तथा बरगी बांध की दांयी तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु जो प्रस्ताव भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में विचाराधीन है, उसे भी स्वीकृति दिलाये जाने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं है, कृपया उसकी स्वीकृति दिलाई जाए।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण सुविधा दे रहा है। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस तथा धान में 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज प्रदेश ने 21 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ा दिया। आवश्यकता आई तो किसानों को बिजली भी पर्याप्त दे रहा है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर वर्ष लाखों किसानों की फसलें नष्ट होती हैं इस वर्ष राज्य के 13 जिलों में ओला तथा 20 जिलों में पाले के कारण दलहन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि फसल बीमा जिसमें किसानों के खेत की इकाई बनाये जाने तथा उसका प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जमा किये जाने का राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए।

विगत वर्षों में किसानों के ऋण माफी हेतु केन्द्र सरकार ने जो घोषणा की थी, उसमें व्यापक गड़बड़ी की शिकायत मिली है; सीएजी रिपोर्ट में 22.32 प्रतिशत अपात्र लोगों के कर्ज माफ हो गये। उसकी जांच करायी जाये, तथा किसानों के फसल का लागत खर्च के अनुपात में समर्थन मूल्य तत्काल घोषित किया जाना चाहिए। उर्वरकों के दाम 300 गुना बढ़ गए हैं। डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं तथा केन्द्र सरकार सब्सिडी लगातार कम करती जा रही है।

गरीबी रेखा का सही निर्धारण आज तक योजना आयोग नहीं कर पाया। राज्यों की गरीबी रेखा की सूची तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित सूची में बहुत अंतर है। आखिरकार इस अंतर को खत्म करने के उपाय तो करना पड़ेगा। योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए जो परिवार में रोज खर्च कर सकेगा, उसके अलावा परिवार ही गरीबी रेखा के लिए पात्र होंगे, जबकि यह पूर्णत:अव्यवहारिक है। इस मापदंड को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े

[श्री गणेश सिंह]

हुए हैं, जिस तरह से बुन्देलखंड को विशेष पैकेज दिया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश का विन्ध्य क्षेत्र जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी विशेष पैकेज की मांग करता हूं।

देश के सामने भ्रष्टाचार तथा महंगाई दोनों ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं, जिसका स्थायी हल निकालने के प्रयास करने के बजाय केन्द्र सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। पिछले 4 वर्षों में परत दर परत घोटाले उजागर होते आ रहे हैं।

यूपीए सरकार ने आम आदमी के कल्याण का नारा दिया था, यह भी नारा उसी तरह खोखला साबित हो गया है, जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान देने तथा गरीबी मिटाने का था आज भी बड़ी संख्या में कूढ़े के ढेर में खाना तलाशते हैं, खुले आसमान के नीचे माघ पूस की ठंडी में रात गुजारते हैं। गरीबी का आलम तो यह है कि करोड़ों लोगों के पास बदन में कपड़े नहीं हैं, पांव में जूता कभी पहना ही नहीं, बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, ये तमाम समस्यायें देश के किसी कोने में जाकर देखा जा सकता है।

दुनिया में सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बीमार, सबसे अधिक कुपोषण हमारे देश में मिलेंगे जो कमाने वाला है वह कर्ज के बोझ के नीचे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। 63 वर्ष की आजादी में आखिरकार इन ज्वलंत सवालों का हल क्यों नहीं खोजा गया। यह देश जानना चाहता है, कोई तरस रहा उजियारे को कोई सूरज बांधे फिरता है। इस देश में अभी तक यही हुआ है। एक मालामाल है तो दूसरा कंगाल है, दोनों में असमानता बढ़ती जा रही है। अमीरों का भारत अलग, गरीबों का भारत अलग है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय का सपना देखा था, लेकिन उनका वह सपना भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें हैं, विशेष रूप में मध्य प्रदेश में, वहां शत प्रतिशत सपना क्यों पूरा हो रहा है। आखिरकार इसी तरह का कार्य केन्द्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। इसका एक ही उत्तर निकलता है कि नीयत ठीक नहीं है। इसलिए नहीं किया। देश का विकास यदि योजनाबद्ध तरीके से किया गया होता तो आज चीन हमसे आगे नहीं होता, विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। आयात बढ़ता जा रहा है, जिससे 4 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार छिन जायेगा। किसानों को भी तबाही झेलनी पड़ेगी। गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश की विकास दर 8 प्रतिशत से आगे बढ़ने की बजाय 5 प्रतिशत से भी कम पर टिकी हुई है।

आखिरकार इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को तथा वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी को तथा यूपीए की चेयर परसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को देना होगा।

देश, संतुलित विकास जो भेदभाव रहित होना चाहता है। चीन के एक नेता डेन ने कहा था कि दुनिया में वही देश तरक्की करेगा जो ग्रामीण विकास तथा कृषि को प्राथमिकता देगा। इसीलिए चीन हमसे जो बहुत पीछे था, वह आगे हो गया और हमारा देश जो कृषि प्रधान देश था, भारत गांवों में बसता है, वह पीछे रह गया। यह सब सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है।

कभी हमारा कृषि क्षेत्र कल जो डी.पी. में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देता था, अब मात्र 12 प्रतिशत पर आकर रूक गया। क्यों, यह देश जानना चाहता है।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित) : पंद्रहवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र के आरंभ करने वाला माननीय राष्ट्रपति का भाषण उल्लेखनीय था जिसमें यह स्पष्ट संकेत था कि सरकार किस दिशा में बढ़ रही है। यह इस सरकार के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु को भी दर्शाता है। जबकि माननीय राष्ट्रपति ने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा तथा रोजगार संभावनाओं के बारे में लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया है, उन्होंने अपने भाषण में इस स्थिति में निपटने के लिए कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया है। यह हमारी महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा तथा निरंतर विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के बारे में लोगों की तथा सरकार की चिंता है।

राष्ट्रपति ने निवेश कार्यकलाप को पुनर्जीवित करने के इरादे से सरकार द्वारा किए जाने वाले अनेक उपायों के साथ ही व्यापक रूप से लोगों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया है। लाभ के सीधे हस्तांतरण की प्रणाली गरीब परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिरता तथा मूल्य वृद्धि से राहत के बारे में उम्मीद जगाती है।

खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के बारे में चिंता के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का अधिनियमन किए जाने की सरकार की घोषणा से आम लोगों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सुनिश्चित होगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से सरकार को इस संबंध में कानून

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के अधिनियमन में आत्मविश्वास देता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मनाये गए 'बागवानी वर्ष' से किसानों में नई उम्मीद जगी है। 128 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है।

मनरेगा योजना में 'उन लोगों' को रोजगार दिया जाता है जो रोजगार चाहते हैं और इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था।

गरीबों, अल्पसंख्यकों को आवास प्रदान करने तथा गरीब लोगों के समग्र कल्याण के लिए यह सरकार सही दिशा में बढ़ रही है तथा राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया है।

बच्चों के स्वास्थ्य में और अधिक सुधार के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 30 विभिन्न प्रकार के रोगों, विकारों, कमियों तथा विकलांगताओं के लिए स्क्रीनिंग करने हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा एक क्रांतिकारी योजना है।

स्वास्थ्य सुधार तथा रोगियों की मदद के लिए एक अन्य साहसी कदम कम कीमत पर आवश्यक दवाओं के उपलब्ध होने को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषध नीति - 2012 है।

आधारभूत ढांचा में समग्र सुधार के लिए तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 33000 किमी- रेलवे ट्रैक को कवर करते हुए पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाले डेडिकेटेड माल ढुलाई गलियारा परियोजना से हमारी अर्थव्यवस्था को तथा माल ढुलाई को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। उनके भाषण में यह प्रत्याशा कि वर्ष 2012-13 के दौरान 2600 किमी सड़क पूरी की जाएगी तथा 3000 किमी नई सड़कों के लिए ठेका प्रदान किया जाना एक स्वागतयोग्य कदम है।

हमारे कोयला भंडार के दोहन के लिए राष्ट्रपति के भाषण में यह उल्लेख, कि कोल इंडिया लि. की उत्पादकता में सुधार के लिए खान डेवलपर तथा आपरेटर की नियुक्ति कर कोयला ब्लॉकों का उपयोग किया जाएगा, एक गंभीर मामला है क्योंकि भारत इंधन संकट का सामना कर रहा है।

राष्ट्रपति के भाषण में प्रवासी भारतीयों के बारे में भी चिंता दिखाई देती है। प्रवासी भारतीय कामगारों को बीमा कवर, पेंशन तथा प्रतिलाभ एवं पुन:स्थापन बचत आदि जैसे लाभ प्रदान करने के लिए मई 2012 में प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू किया जाना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए काफी राहत की बात है।

जबकि सरकार हमारी लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को बनाए रखने तथा सभी लोगों के कल्याण विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति के भाषण से उम्मीद बढ़ती है और मैं राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री एम. कृष्णास्वामी** (अरानी) : मैं भारत के राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र में शानदार अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे सुधारने के लिए स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था की मंदी के बावजूद भारत अपेक्षाकृत अच्छी प्रगति कर रहा है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति भी विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशन पर ध्यान देते हैं। हम काफी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री, यूपीए की अध्यक्षा, माननीय मैडम के सक्षम दिशानिर्देशन में चला रहे हैं। हमने चुनाव घोषणा पत्र में जो आश्वासन दिए, उन्हें हम सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं।

हमारे युवा नेता श्री राहुल जी के कारण हमारे देश का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है जो असली भारत के बारे में जानने के लिए देश के कोने-कोने की यात्रा कर रहे हैं। अत: हम आश्वस्त हो सकते है कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पहले ही कई कदम उठाए हैं, मुद्रास्फीति जनता के लिए एक मुख्य समस्या बना हुआ है। यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक नीचे आया है, खुदरासूचकांक में यह कमी नजर नहीं आई। मैं इस समस्या के लिए केवल व्यापारियों को दोषी मानता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए प्राथमिकता आधार पर कदम उठाएं।

इस समय मेरा राज्य तमिलनाडु बार-बार विद्युत की कमी से गुजर रहा है। मेरे राज्य में न तो एनटीपीसी की और न ही एनएचपीसी की कोई मुख्य परियोजनाएं हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। महाबली पुरमके निकट चेयूर में 4000 मेगावॉट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना को अभी साकार रूप नहीं दिया गया है। दक्षिण ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाए। मैं माननीय विद्युत मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस स्थिति की समीक्षा करें। किसान भी सिंचाई के लिए विद्युत पर आश्रित हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम. कृष्णास्वामी]

पूरे तमिलनाडु राज्य को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। मेरा जिला तिरुवन्नामलाई बहुत पिछड़ा और मुख्यत: कृषि आधारित जिला है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आना चाहिए कि कृषि उत्पादकों को उचित प्रतिपूर्ति की जाए।

रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेज जिसे आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा तमिलनाडु में तूतीकोरिन तक में पाइपलाइन बिछानी थी, पिछले 6 वर्षों से यह कार्य नहीं किया और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पाइपलान बिछाने का ठेका गेल को देना चाहिए।

4 लेन राजमार्ग स्वागत योग्य विकास है परन्तु इससे पैदल चलने वाले निर्दोष लोगों के लिए समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एनएच 45 जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है, में कुट्टेरिपट्ट जंक्शन जो कि चेन्नई से 130 कि.मी. है में एक सड़क है जो जिंजी जाती है। लोग इस सड़क का नियमित रूप से उपयोग करते है, और ऐसा करते हुए अब तक लगभग 200 पैदल यात्री दुर्घटना में मारे जा चुके हैं और 1000 से अधिक लोग घायल ही चुके हैं।

इसलिए, मैं एनएच 45 में कुट्टेरिपट्ट जंक्शन पर एक अंडरपास या एक ऊपरी पुल की तत्काल स्वीकृति दिए जाने की मांग करता हूं। मैंने एनएचएआई को अनेक अभ्यावेदन दिए हैं। यहां तक कि माननीय राजमार्ग मंत्री जी ने भी एनएचएआई को कदम उठाने के अनुदेश दिए हैं परन्तु उन्होंने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। ग्रामीणों का जीवन एनएच विभाग की दया पर है।

मेरे अरानी निर्वाचन क्षेत्र में, चेयूर, जो चेन्नई से 90 किमी हैं औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां कोई उपयोगी कृषि नहीं होती क्योंकि उचित सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। चेन्नई और इसके उपनगरों में निवेश करने के लिए जो एमएनसी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं उन्हें अब आगे आकर चेयूर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में और उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वहां एक बड़ा भूभाग राज्य उद्योग विभाग (सिपकोट) के पास हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुशल और अकुशल, दोनों प्रकार के श्रमिक बल उपलब्ध हैं।

मेरा जिला तिरुवन्नामलाई महात्मा गांधी नरेगा का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने वालो में अग्रणी जिलों में से एक है। अत: मेरा अनुरोध है कि प्रत्यक्ष नकद अन्तरण योजना को मेरे पिछड़े तथा सूखाग्रस्त जिले में कार्यान्वित किया जाए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र अरानी नगर सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और अरानी सिल्क में तमिलनाडु की परपंरा तथा कला प्रतिबिम्बित होती है। यह कौशल धीरे-धीरे तुप्त हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान द्वारा इस परंपरा को सुदृढ़ किया जा सकता है। जिससे बुनकरों और उस क्षेत्र के लोगों की आजीविका में सुधार आएगा। अत: मैं माननीय वस्त्र मंत्री से अपील करता हूं कि आवश्यक अवसंरचना सहित एक सिल्क पार्क की स्थापना की जाए।

तमिलनाडु महान परंपरा और इतिहास की भूमि है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिंजी नामक नगर में धर्मनिरपेक्षता, एकता और विभिन्नता है। उत्तर भारत से देसिंगु राजा नामक राजा आया और उसने अपने मित्र और सेनापति मोहम्मद खान की सहायता से यहां शासन किया। जब नवाब ने निजी पर हमला किया तो उसने अपने मित्र के लिए जीवन तक बलिदान कर दिया। हिंदु धर्म, इस्लाम और जैन धर्म इस क्षेत्र में फले-फूले। आज भी इस नगर में धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा धर्मनिपेक्षता जिंजी के गौरव का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। मुझे संसद सदस्य के रूप में इस जंजी नगर से संबंधित होने पर गर्व है।

टिन्डीवनम से तिरुवन्नामलाई के मध्य तथा टिन्डीवनम से नगरी के मध्य नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर हैं और अब तक क्रमश: 42 करोड़ रुपए और $129^{1/2}$ करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस वर्ष भी रेल मंत्रालय ने दो नई रेलवे लाइनों के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्रमश: 20 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए की संस्वीकृति दी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह परियोजना का कार्यान्वयन यथासंभव शीघ्रता से पूरा करे ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा पूरी हो सके।

***डॉ रत्ना डे** (हुगली) : आज के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं।

मैं इस महान सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, 2013 में निहित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल देना चाहूंगी। यद्यपि सरकार ने कई क्षेत्रों में विकास का दावा किया है, तथापि, असलियत पूरी तरह इसके विपरीत है।

वास्तविकता यह है कि सरकार कई क्षेत्रों में विफल हुई है। सबसे पहला भ्रष्टाचार है। केन्द्र सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार पाया गया हैं चाहे वह मरनेगा (एमजीएनआरईजीए) हो या चॉपर सौदा हो।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित लेख और खबरें छायी रहती हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका ज़रा भी उल्लेख नहीं है।

मैं यहां कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देना चाहूंगी जो हमारे देश के विकास के लिए अत्यावश्यक है लेकिन हम उसके मानकों से काफी पीछे हैं।

सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में असमर्थ है जैसा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी सुनने को मिला जहां उन्होंने यह बताया कि भारत का पिछला वर्ष वित्तीय दृष्टि से काफी मुश्किल रहा। इस मुश्किल के परिणामस्वरूप हमारे देश का पहले से कम विकास हुआ।

पिछले कई वर्षों से हस्तशिल्प क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है। मैंने इस मुद्दे को इस महान सदन में कई बार उठाया है, पर कोई परिणाम नहीं निकला।

अब, सरकार लंबी निंदा से जागी है और हस्तशिल्प क्षेत्र के लगभग 10 लाख बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए रिआयती ऋण देने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है। यद्यपि, यह सरकार की ओर से देर से उठाया गया कदम है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया है कि वह अपने अभिशासन में और अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देगी, मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा उन घोटालों और गड़बड़ियों के लिए क्या प्रयास किए गए हैं जो उनके पिछले 9 वर्ष के शासनकाल में सामने आए हैं।

चूंकि, सरकार ने उस अभिभाषण में यह दावा किया है कि उसने एक लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है, देश में बिजली की स्थिति क्या है? क्या हम देश में सब जगह गर्मियों में बिजली कटौती का सामना नहीं कर रहे?

देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वह स्थिति 16 दिसंबर, 2012 के दिल्ली गैंग रेप के साथ और भी बदतर हुई है। हालांकि, राष्ट्रपति ने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती यौन शोषण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन यह काफी नहीं है। एक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें, जो महिलाओं के विरुद्ध ऐसा घृणित अपराध करते हैं, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

शिक्षा में, मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत में विद्यालय शिक्षा के बारे में बहुत ही निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत किया है।

इसी तरह हमारा देश सूखे की मार झेल रहा है। लेकिन सूखा और बाढ़ मौसमी हैं तथा बार-बार होने वाली घटनाएं हैं। केन्द्र सरकार के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है जिसका परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि लोग सूखा प्रभावित राज्यों जैसे विशेषकर महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं।

कई योजनाएं जिनको फ्लैगशिप योजनाओं का रूप दिया गया था, प्रभावी रूप से आगे ही नहीं बढ़ पाई। इन्होंने वांछित परिणाम नहीं दिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह दावा किया गया कि सरकार राष्ट्रपति खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक काफी समय से लंबित है। केन्द्र सरकार इसके कार्यान्वियन के लिए सहमति नहीं बना पा रही।

मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया कि इस राज्य के गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन को इसके सामाजिक-आर्थिक अवसरंचना के विकास के लिए 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह घाव नमक छिड़कने के अलावा और कुछ नहीं है। हम तब से वित्त पोषण पैकेज के लिए अनुरोध कर रहे हैं जब से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वापस सत्ता में आई है, एक तरफ तो कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ओर दूसरी तरफ 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की अल्प राशि का वाद किया जा रहा है। किस प्रकार वित्तीय बोझ से दबा पश्चिम बंगाल इसका सामना कर पाएगा। मैं केन्द्र सरकार से विनती करती हूं कि वह गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के लिए और अधिक वित्तीय आबंटन करे।

यहां, मैं इस अवसर पर सरकार से व्यक्तिगत रूप से और लिखित में हमारे नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री और हमारे संसद सदस्यों द्वारा भी लगातार किए गए निवेदनों पर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं तथा ऋण के भुगतान की आस्थगन अवधि को 3 वर्ष बढ़ाने और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्यियों के के 34 वर्षों के खराब शासन से उबरने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने का भी अनुरोध करती हूं।

हमें नक्सली ताकतों के विरुद्ध भी लड़ना है जो राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक बनाए रखने में समस्या पैदा कर रही हैं। हमें अपने लोगों की सुरक्षा और बचाव के लिए अधिक निधियां चाहिए।

[डॉ रत्ना डे]

मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री हमारे अनुरोधों पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।

जब से हम सत्ता में आए हैं तब से वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हम पश्चिम बंगाल में प्रत्येक जरूरी क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केन्द्र सरकार को पूर्ण समर्थन देकर, तृणमूल कांग्रेस बेहतर ढंग से सरकार चला सकेगी।

अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित होने वालों में गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं। परंतु इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। यूपीए - दो सरकार अनिवार्य वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में विफल रही हैं। सरकार को अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि से गरीब और जरूरतमंदों की देखभाल करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

विगत माह पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई थी और इसमें एक बार फिर वृद्धि के संकेत मिले हैं। आम आदमी पेट्रोलियम उत्पादों और अनिवार्य वस्तुओं के लगातार बढ़ते मूल्यों का बोझ कैसे वहन करेगा?

जब हमारे नेता रेल मंत्रालय में थे, तब रेल के किराए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी। विगत माह रेल के किराए में वृद्धि हुई थी और रेल बजट में मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना हैं। हमने इस वृद्धि का पुरजोर विरोध किया है क्योंकि इससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गरीब और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों पर और भी बढ़ेगा। अत: सरकार को मेरा सुझाव और दलील यह है कि वह रेल के रिकायों में और वृद्धि न करे।

यूपीए-दो सरकार विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने में विफल रही हैं। यह केवल वाक्पतुता में निपुण हैं, परंतु विदेशों से काले धन को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सरकार को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे।

अनेक ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं जिन पर हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी और हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस न बार-बार अपनी आशंकाए व्यक्त की हैं परंतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहु ब्रांड में लोकपाल, एन.सी.टी.सी, बांग्लादेश के साथ जल संधि के मामले में हमने अपना विरोध दर्ज कराया हैं। हम ऐसा करने में अपना सहयोग देंगें परंतु हमारी निन्दा रचनात्मक स्वरूप की होगी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लगभग 4 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हैं परंतु कोई भी यही कहेगा कि यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विफल रही है। यूपीए दो सरकार अब तक भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में निर्दोष साबित नहीं हुई है।

हम वैश्विक मंदी के दौर से होकर गुजर रहे है।, इसने हमारे विकास को प्रभावित किया हैं। गरीब और गरीब हो रहे हैं ओर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। परंतु यूपीए - दो सरकार इस तथ्य को भुलाकर पुरानी जीत का राग अलापती रहती हैं जो कि वास्तव में किसी भी दृष्टि से जीत नहीं हैं और सही दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा।

***श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर) : जैसा कि बताया गया है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति की दर को कम करना है विशेषकर आम आदमी की खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों से रक्षा करना हैं। यह तभी संभव होगा जब सरकार कृषि कार्यकलापों हेतु अधिकतम प्रयास करने में लगने वाले समय और लागत को बचाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना प्रदान कर किसानों को बढ़ावा देगी। इसके लिए, हमारे बजट प्रावधानों में 60 प्रतिशत का अंशदान करने वाले और क्रमश: देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में सहयोग करने वाले कृषि कार्यकलापों को प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है। रेलवे बजट की तरह कृषि के लिए भी कृषि बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम केवल तभी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख पाएंगे और मुद्रास्फीति की दर कम कर पाएंगे। हमारे देश में आजकल महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा हैं। देश में प्रतिदिन बलात्कार की अनेक घटनाएं हो रही हैं। सरकार देश में महिलाओं की रक्षा करने में विफल रही हैं। इस देश के लोग अत्यधिक महंगाई का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार जनता पर अनेक भार डालती जा रही हैं। राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी सिलेंडरों की आपूर्ति को बढ़ाकर प्रति वर्ष 18 सिलेंडर किया जाना चाहिए। एच.एस.डी के मूल्यों में वृद्धि को वापिस लिया जाना चाहिए। महंगाई की दर को कम करने के लिए एच.एस.डी के मूल्य में राजसहायता दी जानी चाहिए। कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। अत: कृषि में विकास हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र हेतु सभी प्रकार के ऋणों की ब्याज दर 5 प्रतिशत की जानी चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

कृषि उत्पादों के संचलन पर लगने वाली लागत को बचाने के लिए खेतों तक पहुंचने वाली आंतरिक सड़कों के अवसंरचनात्मक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे हानि में कमी हो और खाद्यान्नों तथा सभी खराब होने वाले और टिकाऊ कृषि उत्पादों को पूरे वर्ष उपलब्ध कराकर किसानों को वित्तीय स्थिति में सुधार हो।

फसलों को सिंचित करने के लिए वैज्ञानिक रूप रसे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा जल संरक्षण से हरित क्रांति लाई जा सकती है। एक बात और है कि सरकार को पांच वर्षों की समयावधि में केवल एक बार सब्सिडी देनी चाहिए।

किसान अपने बागानों हेतु जल संरक्षण का पूरा ध्यान रख रहे हैं और मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। सिंचाई प्रणाली के वैज्ञानिक तरीकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण किसानों को जल में घुलने वाले उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। भाषण में पारम्परिक उर्वरकों को प्रदान की गई राजसहायता की भांति इस तरह के उर्वरकों हेतु राजसहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, जल में घुलने वाले उर्वरकों के प्रयोग से इसका 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग सुनिश्चित होगा जिससे राष्ट्रपति बचत भी होगी।

किसान अपने कृषि उत्पादों के भंडारण की समस्या से जूझ रहे हैं अत: जब भी फसल तैयार होने वाली होती है तो किसान को उसे उस समय मिलने वाली कीमत पर बेचना पड़ता है। परंतु यदि कृषि उत्पादों के भंडारण का कोई प्रावधान होगा तो किसान इसे भंडारण स्थल पर रख सकता है और अच्छा मूल्य प्राप्त होने पर बेच सकता है। यदि भंडारण की उचित व्यवस्था होगी तो खराब होने वाले और टिकाऊ माल की न्यूनतम बरबादी होगी। अत: जो भी उत्पादित होगा हम उसका उपयोग कर पाएंगे। कम से कम ब्लाक स्तर पर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दरअसल यह कहा जाए कि परिवहन लागत को फिर से कम करने के लिए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप भंडारण सुविधाएं सृजित की जा सकती हैं जिससे इस पर आगे और बचत हो सकती है।

कृषि उत्पाद का भंडारण किसानों द्वारा एक बार किसी सुरक्षित भंडार गृह में कर लिया जाता है जहां यह लंबे समय तक बने रह सकता है और इसकी गुणवत्ता प्राकृतिक स्तर पर बनी रह सकती है और इस तरह यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में सुरक्षित होता है, तो बैंक भी इस उत्पाद को गिरवी रखने के बदले आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकता है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र के अन्य कार्यकलापों में किया जा सकता है और इस तरह आर्थिक विकास में वृद्धि दर्ज हो सकती है। समुचित भंडारण सुविधाओं और सरकार संस्था जैसे नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण का प्रावधान कर किसानों के उत्थान के लिए भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इससे निश्चय ही मुद्रास्फीति की दर को कम करने में मदद मिलेगी और सही अर्थों में समग्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, जैसा कि भाषण में इसका उल्लेख किया गया है और इस पर जोर-शोर से प्रकाश डाला गया है।

समुचित व गुणवत्तायुक्त कृषि उत्पाद का लक्ष्य हासिल करने हेतु किसानों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त विद्युत की चौबीसो घंटे आपूर्ति के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभाव और हाल ही में आए अचानक बदलाव की वजह से उन प्राकृतिक आपदाओं जिनसे किसान जूझ रहे हैं, के कारण होने वाली राजस्व हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लाए जाने पर विचार किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा संबंधी मानदंड ओलावृष्टि समेत सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए होने चाहिए और बीमा की अवधि फसलों के पूरे होने की अवधि तक होनी चाहिए।

चूंकि जब स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और यह तेजी से कम होता जा रहा है, भविष्य में जल की कमी को दूर करने के लिए मेगा रिचार्ज स्कीम को विशेषकर कच्छ क्षेत्र (बाजरा क्षेत्र) में प्राथमिकता के आधार पर लाया जाना चाहिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा इस तरह के रिचार्ज को तकनीकी रूप से सक्षम पाया गया है।

सूखे और बाढ़ की विभीषिका जिनसे किसान सचमुच में निरंतर भयभीत रहते हैं, से निजात पाने के लिए नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने की प्रभावी परियोजना योजना पर विचार किया जाना चाहिए।

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, अत: बजट पेश करते समय उर्वरक, समय से इसकी उपलब्धता, इसकी कीमत, ऊर्वरकों पर राजसहायता का प्रावधान, ऊर्वरक नियंत्रण, कीटनाशक, बीज आदि के लिए निगरानी तंत्र पर कड़े नियंत्रण जैसे अन्य मुद्दों समेत उक्त वर्जित मुद्दों को विचारार्थ लिया जा सकता है।

अन्य मुद्दे जिनके सकारात्मक उपाय ढूंढने में सरकार विकास रही है, निम्न प्रकार है:-

[श्री हरिभाऊ जावले]

(क) सरकार एक ओर प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर जोर दे रही है और दूसरी और स्कूली शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की ओर से ऐसी कोई सुविधाएं व आधारभूत संरचनाएं मुहैया नहीं कराई जाती है। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) की सुविधाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए दी जाती हैं और हाल ही में कक्षा आठ तक की शिक्षा को भी इसके तहत जोड़ा गया है, किन्तु स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, अवैतनिक सहायता ग्रांट और अन्य स्कूली सामग्री जैसी कोई अन्य सुविधाएं सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सेकंडरी स्कूल लेवल तक एसएसए के प्रावधान में शामिल नहीं की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधाओं में इजाफा करने के लिए भाषण में किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) हमारे देश में ऐसे कई जनजातीय क्षेत्र हैं जहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इन जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी से निजात दिलाने के लिए योजना का कोई समुचित उल्लेख नहीं है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में प्रतयक्ष विदेशी निवेश के अवसर प्रदान करने का मतलब देश से लाभ कमाकर इसे बाहर ले जाने का है। इसलिए एफ.डी.आई को सामान्य खुदरा व्यापार क्षेत्रों में अनुमति देकर इसे सीमित रखा जाना चाहिए। कठोर नियंत्रण के लिए कोई पहल और कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) इनके निर्यात पर प्रतिबंध से अचानक बाजार में चीनी और प्याज की कीमतें धराशायी हो गई हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और भारी मात्रा में ऐसे कृषि उत्पाद बर्बाद हुए हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए जन वितरण के समुचित संचालन और निगरानी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ङ) भाषण में किसानों के लिए किसी समुचित और प्रभावी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। किसानों की प्याज की फसलें बर्बाद हो गया हैं, इन किसानों के लिए भाषण में किसी प्रभावी कदम पर विचार नहीं किया गया है।

(च) खाद्य सुरक्षा कानून जिस मकसद से बनाया गया था उसके निमित्त इसकी सख्ती से निगरानी नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के राजसहायता दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किसी सुधारात्मक उपाय पर चर्चा नहीं की गई है।

(छ) सरकार ने वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली को हासिल करने की योजना का प्रस्ताव किया है, पर इस लक्ष्य तक पहुंचने और इसे हासिल करने के लिए कोई कार्य योजना निष्पादित नहीं की गई है और न ही इसे प्रभावी बनाया गया है। साथ ही इस दिशा में इसके अनुरूप आनुपातिक कोई प्रगति नहीं हुई हैं।

(ज) कृषि अपशिष्ट पदार्थों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता की बात नहीं कही गई है।

(झ) राजमार्गों का विकास और परिवहन के मामले में बेहतर बुनियादी संरचनाओं का सृजन देश की विकासशील अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। एक तरफ नए राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है, वही दूसरी तरफ मौजूदा राजमार्गों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सुरक्षित व बेहतर परिवहन के लिए सड़कों की आयु को बनाए रखने के लिए गुणवत्तायुक्त कार्य हेतु किसी उपचारात्मक उद्देश्य का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ञ) हाल ही में सरकार भिन्न-भिन्न घोटालों को नियंत्रित करने और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के किसी समुचित अभियान पर चर्चा नहीं की गई है और न ही इसका उल्लेख किया गया है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री एन. पीताम्बर कुरुप** (कोल्लम) : मैं 21 फरवरी, 2013 को संसद के संयुक्त दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्तात्र पर चर्चा पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। यूपीए सरकार यूपीए चेयरर्पन, श्रीमती सोनिया गांधी तथा माननीय प्रधानमंत्री डॉ.

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मनमोहन सिंह के शानदार नेतृत्व में देश को विकास और गौरव के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है।

यह कहते हुए मुझे अति-सौभाग्य तथा सम्मान का अनुभव हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकार छात्रवृति, पेंशन तथा मातृत्व लाभ जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित लाभों को लाभार्थियों के आधार क्रमांक का उपयोग करके उनके खातों में सीधे अंतरित कर सकेगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली यथासमय मजदूरी एवं खाद्यान्न तथा रसोई गैस पर सब्सिडी भी कवर करेगी। इस प्रणाली से लीकेज में कटौती करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली में लाने में सहायता मिलेगी तथा इससे लक्षित लाभार्थियों को बेहतर रूप से लाभान्वित किया जा सकेगा। यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गरीब से गरीब नागरिकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रथप्रदर्शक होगा। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की कम दर के दौर से गुजर रही है। चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह पिछले दशक के लगभग 8 प्रतिशत की औसत दर से काफी कम है। विकास की धीमी दर वैश्विक तथा घरेलू कारकों का मिला जुला परिणाम है। तथापि हमारी सरकार इस मंदी के लिए जिम्मेदार कारकों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, जबकि दसवीं योजना में कृषि की वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत थी। इस वर्ष अनियमित तथा कम वर्षा के बावजूद ऐसा अनुमान है कि 250 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होगा। हमारी सरकार स्थायी समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का अधिनियम कर रही है। देश में कोल्ड चेन (कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कोल्ड स्टोरेज चेन विकास केन्द्र का गठन किया गया है। वर्ष 2012 में 128 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए गोदामों के निर्माण को सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है।

हमारे सरकार का प्रतिष्ठित अग्रणी कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कठिन समय के दौरान रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करके नई-नई उंचाइयां छू रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। हमारी सरकार का विचार 12वीं योजना में एक मिलियन आवासों के लक्ष्य के साथ सभी लघु एवं मंझोले शहरों में राजीव गांधी आवास योजना का विस्तार करना है। सम्पूर्णस्वच्छता अभियान में संशोधन कर इसे निर्मल भारत अभियान का रूप दिया गया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुलभ कराना है। सरकार ने हाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेशंन योजना के अंतर्गत विधवा तथा विकलांग लाभार्थियों के लिए पेंशन की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह कर दी है। 80 वर्ष की उम्र होने पर दोनों योजना के लाभार्थी अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में चले जाते हैं जिसमें उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार तीन छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें प्रत्येक योजना में 30 प्रतिशत निधि छात्राओं के लिए नियम है। 31 दिसंबर, 2012-13 तक 55 लाख से अधिक छात्रों को 880 करोड़ रुपए की राशि संवतरित की गई है। बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार ने बारहवीं योजना के 1,23580 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ एकीकृत बाल विकास योजना की पुनर्सरचना करने तथा इसे सुदृढ़ बनाए जाने का अनुमोदन किया है। हमारी सरकार ने बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम का एक नया कानून बनाया है जिसमें इस प्रकार का अपराध करने वालों अथवा इन अपराधों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया हैं मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम अभी 12 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 लाख बच्चों को कवर करता है। जनवरी, 2013 में हमने वाइल्ड पोलियो-वायरस के एक भी मामला सामने आए बिना दो वर्ष पूरा कर लिया है। जब से पोलियो उन्मूलन प्रयास आरंभ किए गए थे उसके बाद से यह देश में सबसे लंबी पोलियो-मुक्त अवधि है। नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों में सुदूर एवं अल्प-सेवा वाले जिलों में 200 से अधिक नर्सिंग विद्यालयों को स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को वैश्विक रूप से सफल कार्यक्रम की मान्यता दी गई है। कार्यक्रम से पिछले दशक में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों में 57% से अधिक की कमी हुई है। वयस्क एच.आइ.वी की मौजूदगी वर्ष 2000 में 0.40% से घटकर 0.24% हो गई है। भारत वर्ष 2012-13 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है।

हमारी सरकार ने नवी मुंबई, मोपा और कन्नूर के अलावा, केरल के अरनामुला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने की 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

[श्री एन. पीताम्बर कुरुप]

के अंतर्गत, एक लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। लगभग 2,85,000 गांवों का सघन रूप से विद्युतीकरण किया गया है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक घरों में बिजली के मुफ्त कनेकशन दिए गए हैं। उचित नीतिगत निर्णय लेकर, हमारी सरकार आयातित तेल और गैस पर हमारी निर्भरता जो कि अभी हमारी जरूरत का 75% से अधिक है में ज़रूरी कमी लाने का लक्ष्य कर रही है। दिसंबर, 2014 तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा जाएगा। वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई है। नक्सली हिंसा में मरने वालों की संख्या 2011 में 611 से 2012 में 414 तक गिरी है। जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति काफी सुधार हुआ है। जम्मू ओर कश्मीर घूमने जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2011 में 8.99 लाख से बढ़कर 2012 में 12.37 लाख हो गई। 2011 की तुलना में 2012 में आतंकवादी घटनाओं में मरने वाले की संख्या घटकर लगभग आधी हो गई है।

हमारा सैनिक बल देश के विरुद्ध किसी भी खतरे से रक्षा कर पाने में समर्थ है। हमारी सरकार सैनिक बल का आधुनिकीकरण और आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने और इसके ढांचे को सुधारने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने देश के नागरिकों को यथासमय, सुविधापूर्वक और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए पोसपोर्ट सेवा परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

हमारी सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के हितों और कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। सरकार ने, भारतीय प्रवासी कामगारों को बीमा कवर पेंशन तबा वापसी और पुर्नवास बचत के लाभ प्रदान करने के लिए मई, 2012 में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को आरंभिक स्तर पर शुरू किया है।

मैं सरकार से मेरे राज्य से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का अनुरोध करता हूं:-

पूरा केरल गहन सूखे की चपेट में है। केरल में अप्रत्याशित सूखे के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। सूखे के परिणामस्वरूप 5800/ करोड़ रुपए की कृषि संबंधी हानि हुई है। केरल विद्युत बोर्ड को राज्य के कई बांधों में पानी की कमी के कारण 1610/- करोड़ रुपए की हानि का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कई जिलों में पीने के पानी की बहुत कमी है। कई स्थानों पर बांध भी सूख गए हैं। केरल के अत्यंत गर्मी वाले जिलों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु धनराशि खर्च की जानी चाहिए। अत: ऐसी मुश्किल परिस्थिति को पार करने हेतु एक विशेष केन्द्रीय वित्त पैकेज की मंजूरी दी जाए।

केरल देश का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है। रबड़ के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए कोल्लम में रबड़ पार्क विकसित किया जाए।

केरल में काजू कामगारों के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

हमारे मछुआरे जिनकी समुद्र में मृत्यु हो जाती है, जो हमलों और विपत्ति का शिकार हो जाते हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए एक व्यापक कानून लागू किया जाना चाहिए।

केरल के कुट्टनाड के विकास के लिए पूर्व घोषित वित्तीय पैकेज को तत्काल कार्यान्वित किया जाए।

ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों के जो अत्यधिक कर्ज में डूबे हैं, शैक्षिक ऋण का ब्याज माफ किया जाए।

केरल को और अधिक चावल तथा गेहूं आबंटित किया जाए क्योंकि वहां जन वितरण प्रणाली बहुत मजबूत और पारदर्शी है।

केरल में आईआईटी स्थापित किया जाए।

केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

सामाजिक स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य द्वारा प्रगति के बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को केरल तक बढ़ाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का घोर अभाव है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साल भर सरकार क्या करने वाली है इसका लेखा-जोखा होता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु किसी ठोस नीति का उल्लेख नहीं है। देश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है, किन्तु इसकी चिंता सरकार को नहीं है। इस अभिभाषण में बताया गया है कि सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण कर लिया गया है, परंतु यह नियंत्रण कैसा है जिसमें महंगाई रूकने का नाम नहीं ले रही है और दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभिभाषण में आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रपति महोदय ने चिंता व्यक्त की है, परंतु इन समस्याओं को किसने पैदा किया है और कौन इसके जिम्मेदार हैं, इसके लिए बहाना बताया गया हे कि यूरोप में जो मंदी है उसका असर भारत पर पड़ रहा है। एशिया के दूसरे देशों में इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा हैं सरकार अपनी अक्षमता को छिपाना चाहती है। इस महंगाई से देश की गरीबी बढ़ रही है, परंतु सरकार अभी भी गरीबी कम होने का दावा कर रही है। सरकार ने तीन साल पहले के आंकड़ों का हवाला देते हुए इस संबंध में बताया हे कि देश की गरीबी 2009-10 में 29.8 प्रतिशत रह गई है जो 2004-05 में 37.2 प्रतिशत थी। यदि वर्तमान गरीबी के मानदंड के आधार पर एवं महंगाई के आधार पर देखा जाये तो देश का गरीबी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा।

सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय के भाषण में जो वायदे किये जाते हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं हैं। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया था उसमें से 100 दिनों का एजेंडा पेश किया गया और आठ बिलों को इन 100 दिनों में पास होना था, लेकिन अभी तक कोई भी बिल पास नहीं हो सका।

देश के विकास का पता आर्थिक विकास दर से लगता है। पूर्व में सरकार 8 फीसदी विकास दर प्राप्त कर लेती थी और कभी-कभी 10 प्रतिशत विकास दर भी प्राप्त की है। किन्तु इस बार सरकार 4 प्रतिशत विकास दर को भी प्राप्त नहीं कर सकी। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय जी ने भाषण दिया उसी दिन देश का 300 से ज्यादा सेंसेक्स गिरा, भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट हुई। इस अभिभाषण में कहा गया है कि देश में महंगाई घटी है और नियंत्रण में है। जबकि, आरबीआई कह रहा है कि भविष्य में महंगाई और तेजी से बढ़ने के आसार हैं। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार प्रयास कर रही है कि मैन्युफैकचरिंग क्षेत्र को बढ़ाकर इसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत की जायेगी और इससे दस करोड़ लोगों को रोजगार दिया जायेगा परंतु आज मन्युफैकचरिंग क्षेत्र की जो हालत है वह, बहुत ही दयनीय है जिससे युवा वर्ग में बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे लगता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं दिखते।

देश के श्रमिक वर्ग में जबरदस्त आक्रोश है। इसका कारण देश में श्रमिकों की दयनीय हालत है। परंतु उसके कल्याण एवं उनकी सुविधा के बारे में राष्ट्रपति अपने भाषण में मौन हैं। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहे थे उसी दिन श्रमिक वर्ग अपने असंतोष को लेकर सड़कों पर थे। जब तक श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा तब तक देश के विकास की बात करना समय की बर्बादी है। किसानों की अनेकों ज्वलंत समस्याएं हैं तथा उनकी कृषि संबंधी सुविधाएं जैसे बिजली, सिंचाई, खाद की समुचित आपूर्ति के बारे में राष्ट्रपति महोदय जी ने कुछ नहीं कहा है जबकि, यही किसान देश के लिए खाद्यान्न पेदा कर रहा है। आज किसानों को उनके कृषि लागत के बराबर फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे आज देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा हुआ है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। कृषि व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया है और लोग कृषि व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं। भारत के किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है, पोटाश एवं फास्फोरेस के लिए लम्बी-लम्बी लाईन लगी होती है। उर्वरक का बोरा जो वर्ष 2010 में 500 रुपए में मिलता था आज वह 1300 रुपए का हो गया है और इसकी काला बाजारी जबरदस्त ढंग से हो रही है। परंतु मंत्रालय इस संबंध में कुछ नहीं कर पाया है। अभिभाषण में इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है कि खाद को किस तरह से किसानों को समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि क्षेत्र में वित्त व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। आज भी किसान साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं। किसानों की दशा सुधारने के संबंध में अभिभाषण में स्थान नहीं दिया है, जो खेदजनक है।

बिजली का उत्पादन बढ़ाने एवं बिजली सभी को पहुंचाने की बात हर साल के राष्ट्रपति अभिभाषण में कही जाती है। आज देश के अनेक बिजली संयत्र अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हें। उनके संयंत्र महीनों से खराब पड़े रहते हैं जिसके कारण देश में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद बिजली का उत्पादन मांग के हिसाब से बहुत कम हो रहा है। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बिजली आठ घंटे भी नहीं मिल पा रही है और देश के कई शहरों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है। देश में बिजली कई अन्य चीजों से बनाई जा सकती हैं जैसे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से एवं कूड़ा-करकट से परंतु, इस दिशा में कार्य संतोषजनक नहीं है। देश में बिजली वितरण कार्य प्राईवेट कंपनियों को दिया जा रहा है जो देश की जनता का शोषण कर रही है और करोड़ों रुपए का फायदा मिलने के बाद हर दो या तीन महीने में बिजली की दर को बढ़ा देती है। अभिभाषण में इस समस्या के निदान के लिए कुछ नहीं बताया गया है।

देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार किये जाने की अति आवश्यकता है। इसके बाद भी भाषण में इस विषय में कुछ नहीं किया गया। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा सी गई है और अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है। आये दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, पिछले साल हर घंटे में चार हत्याएं और तीन बलात्कार हुएं किसी भी देश सरकार का मुख्य कर्तव्य कानून एवं व्यवस्था कायम करना है जिसमें सरकार पूरी तरह से असफल रही है। अभिभाषण में महिलाओं के प्रति अपराध पर केवल चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। बल्कि इसके लिए सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है। देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि महिला अपराध से पीड़ित लोगों को समाज में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अपराधियों को बचाने के लिए और इन अपराधों को रोकने वाली पुलिस की लापरवाही के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। दिसंबर, 2012 में दिल्ली में जो बलात्कार की घटना हुई उसमें पुलिस की काफी भर्त्सना की गई। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय एवं सरकार, पुलिस कमीशनर और दोषी पुलिस उच्च पदाधिकारी को बचाने में लगी रही। आज भी पुलिस का रवैया जनहित में नहीं है एवं लोग पुलिस के सामने जाने से डरते हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात का जिक्र किया गया है और उसमें मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया है। परंतु पाकिस्तान देश में आतंक के माध्यम से अशांति पैदा कर रहा है और अनेकों बम विस्फोट में उसके हाथ होने का साक्ष्य सरकार के पास है। सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों को मार कर उनके सिर विहिन लाश को भारत को दिया जा रहा है। इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत करने की बात समझ में नहीं आती है। यह खेद की बात हे कि जिस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया उसी दिन दो बम विस्फोट से देश का हैदराबाद लहूलुहान हुआ जिसमें 16 से ज्यादा मौते हुई और 84 से ज्यादा घायल हुए।

देश में 2009 के बाद की सरकार घोटालों की सरकार रही है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किये गये, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, अब हेलिकॉप्टर घोटाला। ये तो मुख्य घोटाले हैं, छोटे-मोटे घोटालों की तो भरमार है, जिनकी जांच की घोषणा की गई। उसमें रिपोर्ट भी आ चुकी है और इन रिपोर्टो पर फिर कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है जिसके कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द हैं।

देश के व्यापारी वर्ग और उद्योगपति वर्ग भारत में निवेश करने की बजाय विदेशों में निवेश कर रहे हैं। देश में 40 हजार करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य था जिसमें से केवल 13854 करोड़ का निवेश ही सरकार हासिल कर पाई है जो आधे से भी कम है। देश के छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। इन छोटे और लघु उद्योगों में रोजगार पैदा करने की ज्यादा संभावनायें होती हैं तथा काफी हद तक इससे उत्पादित वस्तुओं का निर्यात होता है। दूसरी ओर, विदेशी उद्योगों का हम स्वागत कर रहे हैं जिनका लाभ विदेशों में जायेगा। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि एक लाइसेंस के लिए अनेकों एनओसी लेने पड़ते हैं जिसमें बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलता।

अभिभाषण में शहरों में स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है जिसमें 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात कही गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो घपले और अनियमिततायें हो रही हैं उनसे सरकार ने सीख नहीं ली है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य मिशन पर बराबर निगरानी रखी जाये अन्यथा सरकारी पैसा का दुरूपयोग होगा और इन स्वास्थ्य योजनाओं से जनता का उतना भला नहीं होगा जितना इन पर पैसा खर्च किया जायेगा।

राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में बताया है कि आर्थिक चुनौतियों से पार पा लिया है और महंगाई में कमी आई है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जबकि, आर्थिक चुनौतियां तो अब शुरू हुई और गलत नीतियों के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। महंगाई रूकने की बात भी गलत है। महंगाई की रफ्तार अब और तेज हो गई है। सिलेंडरो की कीमत बढ़ने, पेट्रोल की कीमत आये दिन बढ़ने से एवं हर महीने डीजल में एक रुपए की बढ़ोतरी और रेलवे भाड़े एवं रेलवे यात्रा में हुई वृद्धि से महंगाई कम हो जायेगी यह तो दिन में चिराग जलाने जैसा है और देश की जनता के साथ भयानक धोखा है। सरकार ने राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान बताया हे कि सरकार तेल एवं गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य पर काम कर रही है परंतु डीजल एवं पेट्रोल की कीमत खपत देश में बढ़ रही है और इसका मूल्य भी साधारणतया हर महीने बढ़ जाता है।

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर) : महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से भारत की जनता के कल्याण के कार्यों को गति मिली है। अभिभाषण में ग्रामीण, किसान, व्यापारी, दलित, मजदूर, युवा,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महिलाएं, अल्पसंख्यक एवं सभी आम आदमियों के हितों का ध्यान रखा गया है। अभिभाषण स्वागत योग्य है। सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही। विकास दर वैश्विक एवं घरेलू कारणों से धीमी रही। कांग्रेस सरकार मंदी के कारणों से निपटने के कदम उठा रही है।

राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की दर 5.3 पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य योजना स्वीकृत की जा रही है। सरकार की नीतियों से कृषकों के अथक प्रयास से खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। 1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन था, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल था। कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

वर्ष 2011-12 में गन्ना और कपास की रिकार्ड पैदावार हुई है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रुपए 29,296 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 का अनुमोदन किया है जिससे वर्ष 2016-17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हाल ही में यूरिया के लिए नई निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। "इंदिरा आवास योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में काफी बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई रुपए 45,000 से बढ़ाकर रुपए 70,000 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई रुपए 48,500 से बढ़ाकर रुपए 75,000 कर दिया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से रुपए 1000 करोड़ की निधि के सृजन का निर्णय लिया है। ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रुपए 5000 करोड़ है। कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2011-12 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया।

देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है जोकि वर्ष 2012 के दौरान अनुमानत: रुपए 94,487 करोड़ था। यह पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और 3000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण अपेक्षित है। 2900 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा।

11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, इस योजना में 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनैक्शन दिए गए हैं। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता 26,400 मेगावाट से अधिक है जोकि देश की कुल विद्युत उत्पाद क्षमता के 12 प्रतिशत से अधिक है।

कांग्रेस सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सड़क बनाने एवं फ्लड लाइटों के कार्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है।

[श्री रतन सिंह]

सरकार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है क्योंकि खाड़ी क्षेत्रों में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं।

भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना की है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। सरकार प्रवासी भारतीयों के हित एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा देश नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

राष्ट्र के रूप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमें ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की।

महामहिम राष्ट्रपति के इस जनकल्याणकारी, आम आदमी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक एवं देश की प्रगति व आर्थिक विकास के प्रतीक अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं एवं स्वागत करता हूं।

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 15वीं लोकसभा के गठन के पश्चात राष्ट्रपति जी का यह पांचवा अभिभाषण है। इससे पहले 2009 से 2012 तक के चार अभिभाषणों को एक बार पुनः मैंने देखा है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि इन चार भाषणों में इस संप्रभु संसद के माध्यम से सरकार ने कितने तथा कैसे-कैसे वायदे देश की जनता से किये हैं। काश ये वादे पूरे हो जाते, इन वायदों का दस प्रतिशत ही क्रियान्वित हो जाता तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि देश की आज जैसी दुरावस्था है, वैसी नहीं होती।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी योजनाएं, अपने संकल्प देश की जनता के सामने रखती है, इन योजनाओं एवं संकल्पों के साथ केवल सरकार की विश्वसनीयता नहीं जुड़ी होती, राष्ट्रपति पद की गरिमा भी जुड़ी होती है। घोषणाएं करना तथा फिर उन्हें पूरा नहीं करना सरकार की विश्वसनीयता के साथ राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी घटाता है। सरकार की कथनी एवं करनी के इस बहुत अधिक अंतर का यह भी एक परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र की साख जनता में कम हो गई है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की चिंता करे तथा 2009 से अब तक के अभिभाषण में सरकार द्वारा किए गए वायदों का कितना प्रतिशत घोषित समय सीमा के अंदर अथवा उसके बाद भी पूरा किया गया, इसकी समीक्षा करे तथा इस पर एक श्वेत पत्र अथवा विस्तृत विवरण पत्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की चर्चा की है। देश के वित्त मंत्री महोदय ने कांग्रेस के मंच से देश को यह बताया कि यह योजना गेम चेंजर (पासा पलटने वाली) सिद्ध होगी। इस गेम चेंजर से उनका क्या तात्पर्य था। निश्चित ही ऐसा बोलते समय उनकी निगाह में लोक सभा के आगामी चुनाव थे। वे कांग्रेस नेतृत्व को आश्वस्त कर रहे थे कि इस योजना के द्वारा हम बाजी पलट देंगे, निश्चित रूप से हारने वाले यूपीए गठबंधन को विजयी बना देंगे। योजना बनाते समय नजर जब देश की बजाय पार्टी के लाभ की ओर हो तो योजना ठीक कैसे बनेगी। क्योंकि चुनाव में लाभ लेने की जल्दी है इस कारण योजना को सफल करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं अनिवार्य तंत्र को तैयार नहीं किया गया तथा योजना लागू करने का निर्णय कर दिया। प्रारंभिक अनुभव अच्छे नहीं हैं तथा मुझे संदेह है कि इस योजना का लाभ अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगा। मुझे आशंका हे कि मनरेगा की तरह यह योजना भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त न हो जाये।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की चर्चा इस अभिभाषण में भी है, गत वर्ष के अभिभाषण में भी थी। निगाह क्योंकि चुनाव पर है इसलिए मुझे विश्वास है कि यह बिल इस जरूर संसद में प्रस्तुत हो जायेगा। खाद्य सुरक्षा हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, यह उसे मिलना ही चाहिए परंतु इस सुरक्षा को प्रदान करने वाले किसान की कितनी चिंता यह सरकार कर रही है? आज किसान परेशान है,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आत्महत्या करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, वह मूल्य किसान को प्राप्त हो इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जहां किसान रहता हे उन गांवों की क्या स्थिति? आजादी के 65 वर्ष बाद भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है - बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का गांवों में अभाव है। इन सब कारणों से किसान गांवों से पलायन कर रहा है। यदि गांव और किसान को केन्द्र में रखकर योजनाएं नहीं बनाई गई तो खाद्य सुरक्षा का अधिकार आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? अपनी मेहनत से किसान रिकॉर्ड उत्पादन करता है। सरकार किसान का अभिनंदन तो करती है परंतु उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे प्रदान नहीं करती। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आता हूं। यह क्षेत्र गन्ने का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। गन्ना किसान की क्या स्थिति है? मिलें गन्ने का ठीक समय पर उठान नहीं करती, समय से भुगतान नहीं करती। मेरठ मंडल के गन्ना भुगतान की स्थिति यह हे कि किसानों द्वारा 15 दिन या उससे पहले मिलों पर डाले गए गन्ने का 800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है। देश की सर्वोच्च अदालत फैसला करती है कि 15 दिन के बाद किए गए भुगतान पर मिलें किसानों को 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें। क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन हो रहा है। इस आदेश का चीनी मिलों से पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या असंगठित गरीब किसान स्वयं यह लड़ाई लड़ सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का चीनी मिलों को कोई भय नहीं है तथा इसी कारण गन्ना किसान का भुगतान धीरे-धीरे किश्तों में अगले पेराई सीजन तक मिलें करती रहती हैं। पिछले वर्ष ही, सर्वोच्च्व न्यायालय ने तीन किश्तों में किसानों का बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे। 7 जून, 7 जुलाई तथा 7 अगस्त, 2012 में यह भुगतान होना था परंतु इन आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। किसान का इसी प्रकार से शोषण तथा उत्पीड़न होता है। उसे उसकी उपज का भुगतान कई-कई महीनों बाद किश्तों में मिलता है, उसे ब्याज मिलता नहीं परंतु उसे ब्याज देना पड़ता है। समय से बिल न चुकाने से उसकी बिजली काट दी जाती है। ऋण की किश्त समय से न चुकाने पर प्रशासन द्वारा उसकी आर.सी. काट दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता हैं अन्नदाता अपमानित रहेगा तो खाद्य सुरक्षा कैसे होगी। आप सरकार को बताइए कि वह इस अन्नदाता की चिंता में केवल कोरे वायदे पर वायदे न करे, उसके लिए जमीनी योजनाएं बनाएं। गांव तथा किसान को केन्द्र में रखकर आर्थिक नियोजन करे तब खाद्य सुरक्षा भी होगी, देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी।

जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन में बहुत भ्रष्टाचार है। मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। समय सीमा का कोई ध्यान नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र मेरठ का इस संबंध में मैं विशेष उल्लेख करूं तो सारे शहर की सड़कें इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए खोद दी गई हैं, उनकी ठीक से मरम्मत नहीं हो रही है। शहर में जाम लगा रहता है, मेरठ में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। क्रियान्वयन में असाधारण व आपराधिक ढिलाई के परिणामस्वरूप वर्तमान मिशन की अवधि बढ़ाने के अलावा सरकार के पास क्या रास्ता बचा था। अवधि मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है परंतु इस योजना की कोई सोशल आडिटिंग की व्यवस्था नहीं है यह मिशन पुनर्निधारित समय सीमा में पूरा हो इसके लिए इसकी बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए सोशल आडिटिंग की व्यवस्था होनी चाहिएं इसके संबंध में मेरा एक और निवेदन है, इस योजना के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक छोटे-बड़े शहर को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एनसीआर बनाये जाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक ओर तो पथ विक्रेताओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 को संसद में प्रस्तुत करने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देकर सरकार ने इन पटरी वालों के रोजगार छीनने का इंतजाम कर दिया है। संसद के गत शीतकालीन सत्र में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर हुई बहस तथा उस पर हुए मतदान का परिणाम मुझे याद है। उस दिन की बहस को सारे देश ने देखा है, संसद के बहुमत की राय खुदरा में विदेशी निवेश के खिलाफ थी परंतु मतदान में परिणाम पक्ष में आया। ऐसा कैसे हुआ, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता परंतु इस प्रकार के दूरगामी परिणाम वाले निर्णयों को यदि सर्वानुमति से किया जाना संभव नहीं है तो लगभग सर्वानुमति से ही इन निर्णयों को किया जाना चाहिए, अन्यथा इन निर्णयों की निरंतरता के संबंध में दुनिया में संदेह बना रहता है जो अर्थव्यवस्था के लिए हितकर नहीं है।

अंत में एक विषय की मैं और चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2012 को दिए गए अभिभाषण में आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया था। इस बार के अभिभाषण में आई.टी सॉफ्टवेयर की क्षमता तथा उपलब्धियों का तो उल्लेख है परंतु आई.टी हार्डवेयर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे एक बात तो यह सिद्ध होती है कि सरकार

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किए गए वायदों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, जिसके विषय में मैंने प्रारंभ में ही अपनी चिंता व्यक्त की है। दूसरेआई.टी आई.टी में हार्डवेयर के क्षेत्र में हम लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। केवल मोबाइल फोनों में ही नहीं, हार्डवेयर के अन्य सभी उपकरणों में चीन का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है। मैंने पिछले वर्ष भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की थी परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बहुत गंभीर विषय है तथा मेरा सरकार से आग्रह है कि आई.टी में हार्डवेयर उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले ऐसे उत्पादनकर्ताओं को सरकार प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करे ताकि हमारा देश भी आई.टी हार्डवेयर के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके।

***श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** (गिरिडीह) : आज हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या महंगाई व भ्रष्टाचार की है। महंगाई का तीव्रगति से बढ़ना अत्यंत चिंता का विषय है। महंगाई के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। बेरोजगारी के साथ-साथ विकास दर गिरती जा रही है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के लिए कोई ठोस योजना बनाये जाने का जिक्र तक नहीं किया गया। सभी जटिल मुद्दों से आंखें मूंद लेने वाला अभिभाषण दिया गया। आज सारा देश महंगाई की मार झेल रहा है और अभिभाषण में इससे निकलने हेतु कोई जिक्र किया गया। महंगाई के कारण गरीब आदमी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

यह अभिभाषण केवल एक चुनावी अभिभाषण था। देश के विकास के लिए इसमें किसी बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई। महंगाई का बढ़ना रुपए की कीमत का गिरना देश के लिए अत्यंत खतरनाक है। भारत एक कृषि प्रधान देश हे और जिस देश के किसान आत्महत्या करते हों बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है। इस अभिभाषण में किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहे है और किसानों के लिए कोई ठोस नीति की घोषणा नहीं की गई। यदि किसानों के लिए कोई योजना बनाई भी जाती है तो उसमें भारी अनियमितताएं देखने में आती हैं। जहां एक देश इंटरनेट और मोबाइल जैसे उपकरणों का प्रयोग कर संचार माध्यम से मजबूत हो रहा है वहां आज भी किसानों का उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, यह बड़ी चिंता की बात है।

दिशाहीन नीति के कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काला धन और उस पर बड़े-बड़े घोटाले जो देश को खोखला करने में लगे हैं। इन्हें दूर करने हेतु अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

देश का करोड़ों रुपया काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। उसकी वापसी के लिए किसी ठोस योजना का जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी महत्वहीन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं के अलावा यह अभिभाषण मात्र खानापूर्ति है।

आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। अभिभाषण में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किसी योजना का कोई जिक्र नहीं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, कोई जिक्र नहीं।

देश की आम जनता इस उम्मीद में थी कि राष्ट्रपति जी महंगाई, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने हेतु किसी ठोस नीति की घोषणा करेंगे, किंतु जनता को निराश होना पड़ा।

सरकार अनाज भंडारण कर श्रेय लूटाना चाहती है, जबकि इसका सारा श्रेय किसानों को जाता है मेहनत किसान करता है और वाहवाही सरकार लूटती है। मनरेगा को भ्रष्टाचार रूपी दलदल से निकालने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

[अनुवाद]

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम) : संसद को राष्ट्रपति का संबोधन भाषण एक वार्षिक परंपरा है और इसमें सामान्यत वह कार्य विधि बताई जाती है जिसका सरकार आगे अनुसरण करने वाली होती है। तथापि राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार कैबिनेट मंत्री के रूप में अंतिम भाषण के बाद, राष्ट्रपति के रूप में संसद में उनके प्रथम संबोधन से कोई आशा नहीं जगी है और हमारी उम्मीदों पर तुषारापात हुआ है। सरकार ने बीते वर्ष के दौरान जो किया न तो वह शानदार था और न उत्साह जनक। सरकार आगामी वर्ष में क्या करने वाली है

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसपर प्रकाश नहीं डाला गया है।

मुझे कभी यह आशा नही थी कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जैसे एक विद्वान सक्षम तथा सक्षम प्रशासन केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा पारित भाषण को पढ़ेंगे। इसके स्थान पर, भाषण में सरकार की नीति के मुद्दे की विशिष्टताओं के संबंध में विस्तृत संकेत दिए जाने चाहिए थे। मेरा विचार है कि उन्होने यह कार्य वित्त मंत्री पर छोड़ दिया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा से भरा हुआ है। परंतु यह क्या पाने में असफल रही उसका भाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

11वीं योजना में विद्युत उत्पादन योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम था। ऐसा क्यों हुआ, हम लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सके? मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति के भाषण में कम से कम संक्षेप में इस पहलू की समीक्षा की जानी चाहिए थी। अपनी पीठ खुद थपथपाने का कोई लाभ नहीं है। भाषण में सरकार की उपलब्धियों की डींग हांकने के अतिरिक्त, उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें हम असफल रहे हैं, संभव हो तो यह बताया जाए कि हम क्यों असफल हुए हैं।

मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के भाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की कवरेज बढ़ाने का संकेत दिया जाएगा। परंतु कोई घोषणा नहीं की गई। हथकरघा क्षेत्र को रियायती ऋण दिया जाना तथा 10 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ प्रदान करना स्वागत योग्य कदम है। परंतु मैं महसूस करता हूं रियायती ऋण से हथकरघा कामगारों के केवल एक छोटे वर्ग को लाभ मिलेगा। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि और अधिक संख्या में हथकरघा कामगारों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया जाए।

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्योगों का जीडीपी में अंशदान बहुत कम है। परन्तु यह इस तथ्य के कारण है। कि सरकार से आवश्यक सहायता नहीं मिल पा रही और बैंक एमएमएमई क्षेत्र को ऋण सुविधाएं देने में उदार नहीं हे जो कि इस क्षेत्र की धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है। मुझे उम्मीद थी कि भाषण में इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्यवश इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई।

समर्पित फ्रंट कॉरिडोर परियोजना अभी भी दूर का सपना यद्यपि इस मुद्दे पर अत्यधिक उम्मीद लगी हुई है। चूंकि विकास कार्यों को सरकार ही आगे बढ़ाती है अंत मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्रता से किया जाए और सरकार तथा रेलवे से मेरा अनुरोध है कि वह दक्षिणी क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

इस संबंध में मजबूर होकर केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि अरबन लाइवली हुड मिशन (शहरी आजीविका मिशन) को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तमिलनाडु में शहरी गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। हमने प्रतीक्षा की और आशा की थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अरबन लाइवलीहुड मिशन का उल्लेख किया जाएगा। परंतु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण को गेम चेंजर माना जाता है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुची थलाइवी अम्मा ने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं। नकदी अंतरण प्रणाली पीडीएस तथा उर्वरक राजसहायता जैसी कुछ योजनाओं के लिए काम नहीं करेगी। यह जैसा कि मेरे नेता ने कहा "जैसे कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी त्यागने की कोशिश कर रही है और उपलब्धता के वास्तविक मुद्दे को हल करने के स्थान पर केवल पैसा फेंक रही है।"

यह अभिभाषण लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में असफल रहा है और इसमें कोई प्रशंसनीय घोषणा नहीं की गई है। इसमें खोखले वादों वाले खाली शब्दों के सिवा कुछ नहीं है। तथापि मुझे आशा है कि आने वाले दिनो में यूपीए सरकार "आम आदमी" की आवाज सुनेगी और तीव्र आर्थिक और समेकित विकास के लिए नीतियां तैयार करेगी।

***श्री सी. राजेन्द्रन** (चेन्नई दक्षिण) : माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के दोनों सदनों को 21 फरवरी 2013 को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम यह बहुत निराशाजनक है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से अधिक उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि लोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि, पैट्रोल और डीजल के मूल्य में मासिक वृद्धि सरकार की वर्तमान डी कन्ट्रोल की नीति तथा अन्य कारणों से बहुत सारी समस्याएं झेलते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनमें से किसी भी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया। सरकार उनसे निपटने में बुरी तरह असफल रही है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सी. राजेन्द्रन]

अभिभाषण के आरंभ में ही सरकार प्रत्यक्ष नकद अन्तरण योजना (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर) परंतु इसका कार्यान्वयन आधार कार्डो के माध्यम से किया जाएगा जो अभी अधिकांश नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। वे लोग भी जिन्होंने एक वर्ष से अधिक पूर्व पंजीकरण कराया है उन्हें कार्ड नहीं दिए गए है। सरकार सभी नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को कब पूरा करेगी और कब यह योजना वास्तविक रूप से कार्यान्वित होगी?

अभिभाषण में स्वीकार किया गया है क मुद्रास्फीति अभी भी एक समस्या बनी हुई है। पैट्रोल और डीजल के मूल्य, पर एक सही नीति के न होने से मुद्रास्फीति सरकार के लिए निश्चय ही समस्या बनी रहेगी और इससे आवश्यक वस्तुओं के कुल मूल्य में वृद्धि होगी। आज पूरे देश में यही हो रहा है।

यद्यपि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण अनाज का उत्पादन काफी अधिक हुआ तथापि, ऋण के बोझ, बिजली और पानी की कमी के कारण कई किसानों द्वारा आत्महत्या करने की समस्या कृषि क्षेत्र में आसन्न हो गई है। सिंचाई और पीने के लिए पानी की लगातार कमी लोगों को डरा रही है।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री के काफी अनुनय-विनय और भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बाद कावेरी नदी जल अधिकरण को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के कारण हम प्रसन्न हैं। अब, केन्द्र को सुनिश्चित करने है कि यह निर्णय सही मायनों में कार्यान्वित किया जाए और तमिलनाडु को कावेरी नदी का 419 टीएमसी फीट पानी आबंटित किया जाए।

बिजली की कमी अभी तक भी चिंता का कारण बनी हुयी है। हालांकि, तमिलनाडु में बिजली की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन अभी भी कमी है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, डॉ अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री को, बिजली के संकट से पार पाने के लिए तमिलनाडु को 1000 मेगावाट की अधिक बिजली आबंटित करने के लिए कई पत्र लिखे, लेकिन विद्युत कॉरिडोर मुद्दे को यहां उद्धृत करते हुए हमें कोई जवाब नहीं मिला। अतः इस कॉरिडोर की समस्या से उबरने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक अंतरिक व्यवस्था के रूप में तमिलनाडु में आंतरिक उपयोग करने के लिए बिजली आबंटित की जा सकती है।

अब श्रीलंकाई जातीय संकट की बात करते हैं, अद्यतन मीडिया रिपोर्टें दर्शाती है कि किस प्रकार प्रभाकरण का 12 वर्ष का मासूम बेटा श्रीलंकाई सेना द्वारा मारा गया है। जैसा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री द्वारा मांग की गई है, भारत सरकार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में श्रीलंकाई सरकार के इस क्रूर कार्य की निंदा करते हुए अगले महीने आने वाले प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए ताकि उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सके।

श्रीलंकाई नौ सेना द्वारा तमिल मछुआरों पर हमला अभी भी जारी है। इस समस्या का एकमात्र समाधान कच्चाथीवु द्वीप को वापस प्राप्त करना है। मैं भारत सरकार से इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में, हाल ही में हैदराबाद में बम धमाके हुए थे और परिणामतः अन्य शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, उनमें से एक तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर भी था। तमिलनाडु सरकार माननीय डॉ अम्मा के सक्षम नेतृत्व में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन, इसके लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्र सरकार से पर्याप्त निधियों की आवश्यकता है। राज्य से लगातार किए जा रहे अनुरोधों की सुनवाई नहीं हो रही और पर्याप्त निधियां नहीं प्रदान की जा रही।

भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा, हम अब तक 2जी, सीडब्ल्यूजी, कोयला ब्लॉक आबंटन और अभी-अभी अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला देख चुके हैं। काफी बड़ी मात्रा में काला धन कर अपवंचन के रूप में में विदेश में जमा किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इनमें से किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। इस मांग के साथ कि सरकार इन चीजों पर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विचार करे, मैं यहां अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री के. सुगुमार (पोल्लाची) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विकास कार्यक्रमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। गरीब लोग मूल्यवृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हैं। उनके कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के कई भागों में सूखे जैसी स्थिति है। देश के कई जिलों में लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। कर्ज में डूबे किसानों की मदद के लिए कोई योजना नहीं है जबकि कृषि बुरी तरह प्रभावित है। केन्द्र सरकार को ऐसे प्रभावित किसानों के राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों

*मूलतः तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

से लिए गए ऋणों को माफ कर देना चाहिए कोयम्बटूर जिले में, नारियल उगाने वाले किसान उनके उत्पादित माल की सही कीमत न मिलने के कारण प्रभावित हुए हैं। बाज़ार में नारियल की कोपरा किस्म की कीमत 70 रुपए से घटकर 42 रुपए हो गई है।

कृषि कामगारों के दैनिक वेतन में उर्वरकों और अन्य कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए कोपरा किस्म के लिए वर्तमान मूल्य पर्याप्त नहीं है। माननीय कृषि मंत्री के कई बार ध्यान में लाने के बावजूद कोपरा किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वर्तमान में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 51.40 रुपए है। माननीय कृषि मंत्री ने इसका मूल्य 60 रुपए तक बढ़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक केवल 1.50 रुपए बढ़ाया गया है। इसलिए, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। कावेरी नदी में कर्नाटक द्वारा पानी न छोड़े जाने के कारण कावेरी डेल्टा का इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डेल्टा इलाके के कृषक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। उनकी धान की फसलें नष्ट हो गईं।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराछी थलाईवी अम्मा ने डेल्टा इलाके के किसानों को 15000/- रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का एलान किया है।

माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाईवी अम्मा ने मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए हैं। इस संबंध में, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करनी चाहिए।

वर्ष 2006-2011 के बीच तमिलनाडु राज्य में पूर्व द्रमुक नेतृत्व वाली सरकार की गलत नीतियों के कारण, राज्य बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है। कृषि, कई उद्योग और आम लोगों का रोजमर्रा का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के लोगों की सहायता के लिए, तमिलनाडु के साथ-साथ तमिलनाडु के कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली पूरी तरह से राज्य को मिलनी चाहिएं। मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के लोगों के जीवन को बचाने के लिए उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। गत दो वर्षों से, केन्द्र सरकार तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री पुराची थलाईवी अम्मा द्वारा की गई किसी भी मांग को नहीं मान रही है। केन्द्र सरकार लगातार राज्य की मांगों को टाल रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु के लिए पर्याप्त निधियां, बिजली, मिट्टी का तेल आबंटित करे।

[हिन्दी]

***श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह** (टिहरी गढ़वाल) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहती हूं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों लगभग प्रत्येक सत्र में महंगाई पर पहले दिन ही किसी न किसी नियम के तहत चर्चा होती आ रही हे, लेकिन महंगाई घटने की जगह लगातार बढ़ रही है। चावल, गेहूं, दाल, आटा की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों, में विशेषकर डीजल तथा रसोई गेस के मूल्यों में, वृद्धि के कारण आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। विशेष रूप से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में रसोई गैस तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि से लोगों का जीवन और कठिन हो गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली तथा देहरादून में जनता को कई-कई दिनों से रसोई गैस नहीं मिल रही है, सिर पर सिलेंडर लिए लोग गैस एजेंसी पर जाते हैं और पूरे दिन लाइन में रहने के बाद गैस नहीं मिलती है। पहाड़ में लोग खाना बनाने के लिए जंगल की लकड़ी काट रहे हैं, जिसके कारण जंगल कट रहे हैं। महंगाई के कारण गरीब लोगों की जिंदगी काफी मश्किल हो गई है। गरीब परिवारों को अपने परिवार का लालन-पालन करने में बहुत कठिनाई हो रही है। एनडीए सरकार के समय मा. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने की घोषणा की थी ताकि पहाड़ के गरीब लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके। इस संस्थान को दो वर्ष के भीतर बनकर तैयार होना था लेकिन अब तक 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी संस्थान आरंभ नहीं हो सका है। जिसके कारण पहाड़ों के गरीब लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है जहां गरीब लोगों का शोषण हो रहा है लोगों को लूटा जा रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड राज्य के लोगों को अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के लिए ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा शीघ्र आरंभ की जाये। उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि इस पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो सके। उत्तराखंड की सीमा चीन से मिलती है। चीन अपने सीमावर्ती राज्यों में सड़कों और अन्य विकास कार्यों को बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। एनडीए सरकार के समय उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला, लेकिन केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। जबकि पहाड़ी और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह]

सीमावर्ती राज्य होने के नाते केन्द्र सरकार को यहां के विकास के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए, ताकि राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्य की ओर ध्यान नहीं दे रही है। पहाड़ों में सड़कें टूटी-फूटी हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत ही खराब है, विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 ऋषिकेश-टिहरी तथा उत्तरकाशी जो जुलाई-अगस्त, 2012 में बारिश के समय जगह-जगह टूट गयी थी, उसे अब तक भी ठीक नहीं किया गया है।

ऋषिकेश-टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल चलना भी कठिन है। जिसके कारण टिहरी के लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यहां खूबसूरत पहाड़ियों के साथ ही प्रकृति की अनुपम धरोहर देखने के लिए पर्यटक लगातार आते रहते हैं, लेकिन सड़कें खस्ताहाल हैं।

टिहरी में बांध बनने से तेजी से विकास तो हुआ है, लेकिन बांध बनने के कारण सैंकड़ों गांव विस्थापित हो गये। पूरा शहर डूब गया। झील बनने से प्रतापनगर क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में सैंकड़ों गांव पूरे टिहरी जनपद से कट गये हैं, इस क्षेत्र के रैका पट्टी तथा धारमंडल पट्टी को जोड़ने वाले पुल तथा सड़के पानी में डूब गये। इस क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों को जाने के लिए एक मात्र पुल पीपल डाली में एक झूला पुल बनाया गया था जहां से केवल छोटे वाहन ही जा सकते हैं। वह पुल भी खस्ता हालत में है। डोगरा-चांठी पर एक पुल का निर्माण पिछले 5-6 वर्षों से धीमी गति से चल रहा है, जिसके बनने से कुछ सविधा प्रतापनगर तहसील के लोगों को मिलती, लेकिन इस पुल को पूरा होने में अभी सालों लगने हैं टिहरी से प्रताप नगर, रजाखेत तथा धनशाली की तरफ जाने वाले लोगों को डैम के ऊपर से जाने की सुविधा नहीं है, विशेषकर टिहरी वासियों को डैम के ऊपर से आवागमन का हक नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा का बहाना बनाया जाता है। जबकि भाखड़ा नागल के ऊपर से आवाजाही खुली हुई है। झील को पार करने के लिए 15 कि.मी. का लम्बा पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। इसमें लगभग एक घंटे का समय लगता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि टिहरी की जनता को डैम के ऊपर आने जाने की सविधा दी जाये। इसी प्रकार झील के चारों ओर लोगों की सुरक्षा के लिए दीवार या तार लगाये जायें तथा टिहरी बांध परियोजना से बांध प्रभावित भागीरथी घाटी एवं भिलंगना घाटी के आंशिक रूप से डूब क्षेत्र गांवों को विस्थापित किया जाये और भूमि, भवन आदि का मुआवजा दिया जाये और भिलंगना घाटी के गांवों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

हमारा पड़ोसी देश चीन ने सीमा तक अपनी रेल लाइनों का जाल बिछाया है, लेकिन भारत सरकार के रेल मंत्री की नजरों में उत्तराखंड में रेल के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के तीन मैदानी जिलों को छोड़कर दस पर्वतीय जिलों में आज भी हजारों लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी है जबकि उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से रेल सेवा का विस्तार महत्वपूर्ण है। जिस रफ्तार से पड़ोसी मुल्क चीन उत्तराखंड की सीमा तक रेल व सड़क मार्ग पहुंचा चुका है उसे नजरअंदाज किया जाना समझदारी नहीं है। इसके लिए केन्द्र ही नहीं प्रदेश सरकार भी संवेदनहीन दिखाई दे रही है। वर्ष 2013-14 के रेल बजट में उत्तराखंड की झोली खाली ही रही और उत्तराखंड की प्रदेश सरकार की ओर से भी रेल मंत्रालय को रेल की मांग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

यह चिंता की बात है कि पड़ोसी देश रेल और सड़कों के जरिए हमारे देश की सीमाओं के पास पहुंच रहा है और हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य की वार्षिक योजना में विशेष योजना सहायता राशि के तहत मिल रही 800 करोड़ में से 500 करोड़ केन्द्र द्वारा कटौती की गई है। मैं आग्रह करती हूं कि 500 करोड़ की कटौती वापिस ली जाए और उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन से लगती है इसलिए सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर रोक लग सके।

[अनुवाद]

***श्री प्रेमदास राय** (सिक्किम) : हमारे संप्रग के साथियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का में समर्थन करता हूं। सिक्किम वर्ष 1975 से भारत संघ का अंग है। इसलिए, हमारा राज्य कई मायनों में देश के 'अनेक राज्यों में से एक' नवीन राज्य है। तथापि, हमारा राज्य धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जो 2014 तक अपना चौथा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं के सक्रिय नेतृत्व में राज्य को आगे बढ़ाकर राष्ट्रनिर्माण में सहयोग कर रहे हैं। सिक्किम के लोगों ने हमारे दल पर पुनः विश्वास जताया है और हमने उनको निराश भी नहीं किया है। मैं भारत सरकार और संप्रग को हमारी सरकार को हर तरह से सहायता करने के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आभार व्यक्त करता हूं। अभी-अभी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी हटाने की ओर कार्यरत हैं। तथापि, यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो विकास सहायता प्रोत्साहन क्या मिलेगा? सभी योजनाएं और कार्यक्रम अधिक गरीबी के लिए प्रोत्साहन सहायता देने के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इसलिए, अब समय आ गया है जब इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाए। मैं भारत सरकार से इस मामले पर एक तीव्र विकासशील राष्ट्र के रूप में विचार करने का आग्रह करता हूं। विश्व में आर्थिक परिस्थिति के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद मैं सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की सराहना करता हूं।

हमें संसद के रूप में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए भारत के लोग और अधिक कटु स्वभावी न हो। अत: मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों उससे हटकर हमें उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हम एक संसद के रूप में उन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं जो राष्ट्रविरोधी हैं आइए, इन सब समस्याओं पर एक संयुक्त संसद के रूप में विचार करे और राष्ट्र को एक शक्तिशाली और दृढ़ नेतृत्व दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 21.2.2013 को अभिभाषण हुआ परम्परानुसार, सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेंडे की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है। इस अभिभाषण में मुख्यत: आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर चिंता व्यक्त की है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण के निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है।

सरकार द्वारा हाल ही में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा प्रणाली दिए जाने वाले लाभों यथा छात्रवृति, पेंशन और मातृत्व लाभ, को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा इसके अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थों एवं एल पी जी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के रिसाव को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिन्हित करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। फरवरी, 2013 में सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन है, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने की प्रतिबद्धता अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण प्रशंसनीय कदम है। कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, जिससे भारतीय किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही है। वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो कि एक मिसाल है।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत 12वीं योजना में 10 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम नगरों तक किया जाएगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने "इंदिरा आवास योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई 45,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

क्षेत्रों में प्रति इकाई 48,500 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि देश के सभी क्षेत्रों में समानता से विकास हो सके।

जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन अवधि को मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए 1000 रुपए करोड़ की निधि के सृजन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक सितंबर, 2012 में लोक सभा में पेश किया।

सरकार ने एक पृथक नि:शक्तता कार्यविभाग का सृजन किया है। सरकार ने नि:शक्त छात्रों के लिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना प्रारंभ की है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण के लिए वक्फ विकास निगम की स्थापना करेगा इस हेतु वक्फ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है।

सरकार ने "लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम" के रूप में एक नया कानून बनाया है जिसके अंतर्गत अपराध करने वालों या ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012", संसद में पेश किया यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों में सरकारी अस्पतालों में, "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" के नाम से पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक विशिष्ट सुविधा केन्द्र होगा।

"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" नामक एक नए कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यनीतिक बदलाव किया जा रहा है, जिससे राज्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से व्यापक उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन कर सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन और अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए जा सकें। इसके अतिरिक्त बुनियादी ऋण निधि का सृजन करके बुनियादी परियोजनाओं को पुन: वित्त-पोषित करने के लिए किफायती और दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना-2020 तैयार कर ली गई है। इसमें ऐसे विद्युत और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हों तथा जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता कम हो सके।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति-2012 अधिसूचित की गई है ताकि किफायती मूल्यों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध होने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जा सकेंगे। हैदराबाद, गांधीनगर, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहटी और रायबरेली में छह नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है।

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2012 में लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज प्लेटफार्म शुरू किए हैं, ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पूंजी बाजार का आसानी से लाभ उठा सकें।

भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र है। भारतीय नृत्य देश ही विदेशों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ, मैं श्री प्रभुदेवा को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भारत की पहली 3डी डान्स फिल्म बनाई।

सरकार, शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार व्हसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सरकार प्रभावी रूप से दोषियों को दंडित करने और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक तरफ केन्द्र सरकार बाजार में खाद्यान्न, चीनी, तेल की मांग के अनुसार उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके विपरीत कुछ राज्य सरकारें महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इन सरकारों में जरा सी भी नैतिकता नहीं है इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और मनचाहे रूप से लिये जा रहे कर को बंद करवाना चाहिए। समस्या गंभीर है, कृपया राज्य सरकारें इससे राजनीति न करें, इसका सामना करने के लिए सभी सहयोग करें। आलोचना करना आसान है समस्या का सार्थक समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक, किसानों व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरु) : राष्ट्रपति अभिभाषण पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। देश के हालात अत्यंत चिंताजनक हैं। भारतीय अर्थव्यस्था गहरे संकट से गुजर रही है। तमाम कोशिशें के बावजूद विकास दर में गिरावट जारी है। बेरोजगारी मुंह बायें खड़ी है तथा देश गरीबी के कगार पर जा रहा है। अभिभाषण में गरीबी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताए गए। अभिभाषण में हिन्दुस्तान की गरीब जनता की अनदेखी की गई है ताि यह समस्याओं से मुंह चुराने वाला अभिभाषण है। भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई के चंगुल में फंसी है जिसे बाहर निकालने का अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। महंगाई से त्रस्त आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए चुनावी नैया पार करने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। देश को आगे बढ़ाने की ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं। बढ़ती महंगाई, टूटता रुपया और महंगे कर्ज से देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें विकास का सारा दारोमदार घरेलू खपत पर निर्भर हो गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि ग्रोथ रेट 01 फीसदी रह गई है। कृषि रोजगार सृजन का बहुत बड़ा माध्यम है। कृषि का अलग से बजट होना चाहिए। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। किसानों की कर्ज माफी योजना में भी भारी अनियमितताएं बरते जाने की खबरे आये दिन प्रकाशित हो रही हैं। वित्त मंत्री जी ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। जहां एक ओर सरकार फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर किसानों को उनका लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है जो एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। उपरोक्त के साथ-साथ कृषि बीमा के विस्तार एवं इसकी खामियों को दूर करने का जिक्र भी अभिभाषण में नहीं किया गया है। गलत आर्थिक नीति एवं भ्रष्टाचार के कारण देश की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई की आंच से झुलसता हुआ आम आदमी है वहीं दूसरी ओर सिलसिलेवार घोटालों और काले धन जैसे मुद्दों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने ऐसे कार्यक्रम गिनाए हैं जिनका कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस दस्तावेज में सरकार की नीतियों और योजनाओं का दिवालियापन साफ दिखाई दिया। खाद्य सुरक्षा विधेयक व नकदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के सिवाय इसमें भी नया नहीं है। महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने व जनता में भरोसा जमाने में यह अभिभाषण नाकाम रहा है। पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार और महंगाई से निपटने की प्रभावी रणनीति का अभाव रहा है। हाल ही में उजागर हुए हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद सरकार को यह बताना चाहिए था कि वह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना रही है। रसातल में जा चुकी आर्थिक विकास दर और दशक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राम सिंह कस्वां]

औद्योगिक क्षेत्र को उबारने का कोई खास विकल्प राष्ट्रपति जी नहीं दे पाए। जनता को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी सरकार की तरफ से महंगाई पर काबू पाने संबंधी संभावित कदमों के बारे में बताकर बाजार के साथ साथ आम जनता को भी दिलासा दिलायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार अनाज के भंडार भरने का दावा कर रही है जबकि इसका श्रेय सरकार की बजाय किसानों को दिया जाना चाहिए। सरकार मनरेगा का प्रचार प्रसार कर वाहवाही लूट रही है जबकि हकीकत में यह योजना जन-कल्याणकारी न होकर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। किसान द्वारा अपने खेत पर किये जाने वाले कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ा जावे तभी इसे वास्तविक अर्थों में फलीभूत समझा जायेगा।

देश का करीब 25 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। विदेशों से काले धन को वापिस मंगवाये जाने संबंधी किसी भी ठोस योजना अथवा नीति का जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे पहले ही बोलना था लेकिन आज मौका मिला है। सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का आभार मानता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश में जितने सवाल हैं, उन सभी को छू लिया है। आर्थिक मंदी है, रुपया डूब गया है, इम्पोर्ट घट गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया है और जीडीपी घट गयी है। यह सब संकट उन्होंने बताए हैं। रोज़गार का सृजन करेंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था डावांडोल है इसलिए हम भी डावांडोल हैं। स्वास्थ्य, विधवा पेंशन, अल्पसंख्यक, जिसके बारे में शाहनवाज जी बोल रहे थे, उनके सशक्तिकरण का मामला है, विज्ञान और तकनीक है। हमारे यहां कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी चिह्न-चिह्न के दे..सुषमा जी आप कहां जा रही हैं। सोनिया जी भी चली गयीं और आप शाहनवाज जी का भाषण सुन कर जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मैंने किसी को अपने चैम्बर में मिलने का समय दिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि आप बोलने वाले हैं। मुझे लगा कि 12 बजे हो जाएगा।

श्री शरद यादव : कोई बात नहीं, आप और हम तो एक-दूसरे का भाषण सुनते रहते हैं। सॉरी।

अंधा बांटे रेवड़ी चिह्न-चिह्न के दो। लेकिन यहां उलटा है। आंख वाला बांटे रेवड़ी, आंख खोल के बांटे रेवड़ी, पहचान-पहचान के दे। पहचान-पहचान का मतलब यह है कि कुछ रस्म अदायगी होती है, गांव में उसको टोटका कहते हैं। यदि कथा होती है तो चरणामृत बंटता है, प्रसाद बंटता है। यहां प्रसाद बंट गया है।

महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मैं राष्ट्रपति जी के सम्मान में तो गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनका जो वक्तव्य सरकार ने लिख कर दिया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उससे इस देश की एक भी बुनियादी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैंने प्रतिभा जी का अभिभाषण पढ़ा है ओर वर्तमान राष्ट्रपति का भी अभिभाषण पढ़ा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनसे पहले के तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों में कोई मोटा-मोटी फर्क नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप तात्कालिक सवालों को एड्रेस न करें और न उनकी तरफ हाथ बढ़ता है, पिछड़ता जा रहा है। इस अभिभाषण में आबादी का कोई जिक्र नहीं है। इमरजेंसी में एक बार नसबंदी क्या हो गयी कि वह कल्याण मंत्रालय हो गया। 120 करोड़ की आबादी हो गयी है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस पर कोई चिंता नहीं है। आपने कोई चिंता इसमें नहीं करवायी। इस धरती पर 32 करोड़ आदमी रह सकते हैं, अब इस धरती को चिरोगे, कोई और तल बनाओगे, कहां इनको रखोगे?

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : 32 करोड़ की आबादी तब थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था।

श्री शरद यादव : तब भी आप 32 करोड़ ही रह सकते हैं। आपने जानवर कम कर दिए, आपने पेड़-पौधे खत्म कर दिए, आपने नदियों का नाश कर दिया, कोई एक नदी बचने नहीं दी। लेकिन आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे कोई संकल्प नहीं करवाया। हिन्दुस्तान में हजारों बरस की जो बर्बादी है, भारतीय समाज खंड-खंड है। उसमें कोई समरसता नहीं हैं जब नदी पोखर-पोखर हो जाए, खंड-खंड हो जाए तो बंद नदी सड़ जाती है, तालाब सड़ जाता है। यही हाल है इस देश का यानी ये समस्याएं हज़ारों वर्षों की हैं इस समस्या पर इस देश के सारे महापुरुषों ने चोट मारी। चाहे वे नारायण स्वामी हों, बसवणा हों, साहू महाराज हों, महात्मा फूले हों, बाबा साहब हों, कबीर हों, महात्मा गांधी हों, लोहिया हों, जय प्रकाश हों, चौधरी चरण सिंह हों, इन सबने इससे माथा मारा लेकिन इसमें भारत का समाज समरस कैसे बनेगा, इन 60-65

वर्षों में इसकी कोई योजना नहीं बनी। हमने कभी इस पर नहीं सोचा। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि पहले व्यक्ति नहीं बनेगा। पहले जगत बनेगा, समाज बनेगा तब व्यक्ति बनेगा। यहां उल्टा है। यहां हर आदमी अपने बेटे को, अपने घर को बना रहा है। समाज को तो कोई नहीं बना रहा है। समाज की तो यह हालत हे कि चपरासी के घर में भी करोड़ो रुपए मिलते हैं मान लीजिए अगर किसी अफसर के यहां छापा पड़ा तो नोट गिनते-गिनते उंगली फट जाएगी। गिनत-गिनत उंगली फट जाएगी। ऐसी डकैती, ऐसी चोरी कोई एक आदमी नहीं कर रहा। जिसके हाथ में सड़क का काम आ गया, जनता को जो पैसा पड़ गया, वह लेकर भाग रहा है। जिसके हाथ में लोहा पड़ गया, वह लेकर भाग रहा है।

अभी बैंक के मामले में बात हो रही थी। आपके आदमी, शायद जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे चले गए। वे सुषमा जी को टोक रहे थे। मैं उन्हीं के यहां सो रहा था। मैं उनके ही जिले में जाता हूं। मैं वहां सो रहा था। मेरे पैर खराब हैं, टूटे हुए हैं। मैं इसे रात में मालिश नहीं करवाता, थोड़ा-सा दबवाता हूं। वहां एक आदिवासी था, ट्राइबल था। मैंने उससे मनरेगा के बारे में पूछा। उसने बोला कि साहब एक पैसा भी हमारे गांव में हमें नहीं मिल रहा है। ट्रैक्टर से मिट्टी डाल दी जाती है और इस काम को जो ठेकेदार करता है, वह मुझे बुला कर या हमारे गांव के किसी को बुला कर उसे एक दिन की मजदूरी दे देता है। वह भी खुश और लूटने वाला भी खुश। गरीबों के बाबत एक भी योजना इन पैंसठ वर्षों में ज़मीन पर नहीं उतरी है। राजीव गांधी पन्द्रह पैसे कहते थे। आज राहुल गांधी पांच पैसे कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रही है एक पैसा एक जो उसमें समस्या है ईमान वाली, आप कभी भी यह इंतजाम नहीं करते कि भारत का समाज समरस कैसे बने। अब दलित को पकड़ो तो उसमें जातियां, किसान और पिछड़ों को पकड़ो तो उसमें एक लाख जातियां, ऊंची जाति को पकड़ो तो उसमें जातियां भी हैं और गोत्र भी हैं। इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या इसका इलाज सरकार के पास नहीं है? आप यह क्यों नहीं कर सकते कि जो अंतर्जातीय शादी करेगा, उसे सबसे पहले चाहे प्राईवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसे नौकरी मिलेगी। जो अंतर्जातीय शादी करे, सरकार उसे बुला ले, गोद ले ले।...*(व्यवधान)* आप प्रयास ही नहीं करेंगे। आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे तो यह कैसे हो सकता है। आप हाथ-पैर हिलाएंगे नहीं तो मुंह में खाना कैसे जाएगा? ये बुनियादी बातें हैं। इनके चलते देश का नाश हो रहा है और जो शहर में बैठा है जबरा। आप दिल्ली चले जाओ तो देश हो गया। यह एक देश है, वह पानी अलग पीता है। पानी इस देश में कैसे सुधर जाएगा?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02:00 बजे

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : एक है इंडिया, एक है भारत।

श्री शरद यादव : आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन यह तो समझिए कि गाय का दूध मिल रहा है 12 रुपए में और पानी बिक रहा है 15 रुपए में। 15 रुपए वाला पानी का दाम और ज्यादा बढ़ जाता है। एक होटल में हम चले गए थे, जब उसकी कीमत पूछी तो बोले कि साठ रुपए है। अब आप बताइए, क्या कभी इस देश का पानी ठीक हो सकता है? जो शासन करने वाले हैं, रूल करने वाले हैं, वे तो अपना अलग पानी बना लिए, उधर अपने ठहरने का इंतजाम कर लिया, उन्होंने बस्ती बना ली, फार्म हाउस बना लिए। कोई फार्म हाउस के बारे में नहीं कहता, इतनी आबादी बढ़ रही है, वह कहां रह रही है? फार्म हाउस में जो स्वीमिंग पूल हैं, उसमें लोग लोर रहे हैं, जैसे भैंस लोरती है, वैसे लोग लोर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं होती है।

दिल्ली में पचास लाख लोग डीजल का बैक-अप ले रहे हैं, उनके बंगले में बिजली गयी तो डीजल से जेनरेटर को चलाते हैं। आपने एक अच्छा काम किया है। मैं बजट पर आऊंगा, तब उस पर बोलूंगा। एसयूवी पर आपने पांच पर्सेंट टैक्स बढ़ाया है, लेकिन सेल टॉवर पर आपने कुछ नहीं किया, मॉल पर कुछ नहीं किया। साउथ दिल्ली से लेकर सब जगह जो फार्म हाउस में लोग रह रहे हैं, सैनिक हाउस में रह रहे हैं, इनके यहां कहीं भी चले जाओ, हर जगह डीजल का बैक-अप है। डीजल बैकअप छोटे नहीं हैं, बड़े-बड़े हैं, धम-धम चलते हैं। उनकी धम-धम आवाज से धरती हिलती है। यह हालत है।

आपने यह किया कि एक करोड़ रुपए की आमदनी वाले पर थोड़ा टैक्स दिया। बड़े गजब की बात हैं आप खाना तो खिला नहीं रहे हैं, मुंह पोछ रहे हैं। आप मुंह क्यों पोछ रहे हैं? यह हालत है। जो समाज की विषमता है, वह जाति के साथ जुड़ी हुयी है। जैसे-जैसे जाति ऊंची है, उसके नीचे-नीचे की जाति में गरीबी बढ़ती जाती है। यह हमारा हाल है कि जो जबरा मिल जाता है, उसको हम चाटते

[श्री शरद यादव]

हैं और जो कमजोर मिलता है, उसको हम काटते हैं। हम इसको नहीं बदलेंगे। उन्होंने जो आंख खोलकर रेवड़ी बांटी हैं, आंख खोलकर पढ़ दिए हैं, क्यों भाई? यह हालत है। जितने कार्यक्रम तय किए हैं, उनमें कोई भी पैसा जमीन पर नहीं जाता है, यह उनकी सरकार के कर्ता-धर्ता राहुल गांधी कह रहे हैं। राजीव तो हैं नहीं, लेकिन राहुल कह रहे हैं पांच पैसे, पिता जी कह रहे थे 15 पैसे और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक पैसे। एक पैसे का क्या करें? आजकल एक पैसे में बीड़ी छोड़िए, बाजार में कोई चीज ही नहीं है, एक पैसा चलता ही नहीं है, बताइए।...*(व्यवधान)* यानी यह ही तय नहीं हो पा रहा है कि कितना लोग चाखा रहे हैं। यानी पूरी तरह से लूट का एक जाल बनाकर रखा है।...*(व्यवधान)* यह अड्डा बने हुए हैं। यह हालत भ्रष्टाचार की है। इस पर बहस नहीं होती है। किसी भी बात पर पार्लियामेंट बंद हो जाती है। हम कहां बोलें? अपनी बात रोने के लिए भी समय नहीं है देश में 52 पार्टियां हो गयीं। कोई किसी बात पर खड़ी हो जाती है, कोई बात पर खड़ी हो जाती है। अब रोने के भी लिए सदन में नहीं बचा, रोने के लिए भी वक्त नहीं है, पहले तो बहुत रोते थे।...*(व्यवधान)* यही असली स्थिति है। ये उपद्रव करते हैं, फिर यहां लोग उपद्रव करते हैं, यानी ये चुटकी लेते हैं, आदमी जब जप करता है। यह स्थिति है।...*(व्यवधान)* खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं छोटा आदमी हूं। देश की यह हालत है। इसमें जितनी डिबेट हो रही हैं, उनमें इस बुनियादी बात के बगैर कोई बात नहीं बनेगी। यह पूरा खंडित समाज विखंडित नहीं होगा, कितना ही माथा माल लो, कोई सरकार बना लो, कभी देश नहीं बन सकता। आप कब तक दिल चुराएंगे जो लोग हैब्स हैं, सिस्टम का मतलब है-कास्ट सिस्टम और ये लोग कोई बात होने नहीं देते, बहस होने नहीं देते। आज देश में पानी के मामले में त्राहिमाम् मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में सूखा है। कहीं न कहीं त्राहिमाम् हो रहा है।...*(व्यवधान)* चिंतामणि तो चिंता वाला आदमी है लेकिन खुश है। वह खुशमणि है, वह चिंतामणि नहीं था। खुशमणि यहां से चले गए। उनका काम हो गया।...*(व्यवधान)* हम इस हाल में ही अपना रुदन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* दिल तो खाली हो जाएगा।...*(व्यवधान)* वकील साहब आप सुन लेंगे, वही काफी है।...*(व्यवधान)* मैं नहीं मानता कि एक चने से भाड़ नहीं फूटता है। एक चने से भी भाड़ फूट जाता है।

पानी के बारे में राष्ट्रपति जी के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने बजट में भी देखा है कि इसके लिए साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमने पानी के प्रबंधन को नमस्कार कर लिया है। इस देश में 32 फीसदी जमीन सिंचित है। सरकार ने अपने आंकड़े में चालीस फीसदी लिख कर रखा है, यह सत्य नहीं है। यह भी जान लीजिए कि आप और हम देश के देहातों से आते हैं। जहां पानी चला गया, वहां सड़क भी गई, वहां बिजली भी गई, वहां हरियाली भी गई। जहां पानी चला गया वहां के चेहरों पर पानी चला गया।...*(व्यवधान)* जहां पानी गया है, वहां की सभा कर लो तो कपड़े अलग दिख जाएंगे। वेस्टर्न यूपी चले जाइए, वहां कपड़े अलग दिख जाएंगे। इन्होंने यह नहीं बनाया। गंगा नहर अंग्रेज बना कर चला गया। मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरो थे, वे क्या शानदार आदमी थे। वे सब कारखाने ले गए। वे पानी ले गए। इस देश में दस-पन्द्रह वर्ष पहले सबसे संपन्न इलाका कोई था तो जहां भाखड़ा का पानी आया है- पंजाब और हरियाणा, ये ही आगे थे। जहां हम पानी ले गए हैं वहां खुशहाली आई है। मनरेगा बांटने से खुशहाली नहीं आएगी। गरीबों में यह नहीं बंटेगी। यानी हर कदम पर लूटेरा बैठा हुआ है।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी मैंने आपके आने से पहले कहा कि कौन सी योजना दलाल नहीं खा रहा है?...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, दोनों ऐसे डकैत हैं, जिसके मन में आ रहा है उसको उठा कर ले जा रहे हैं। आप यह बताइए कि पानी के सवाल से देश बनता है। आपकी जब सरकार रही है तो आपके जो मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया है उससे देश बना है। मेरे इलाके में तवा नहर है। वहां मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह थे, उन्होंने तवा नहर लाया तो पंजाब में जितना उत्पादन होता है उतना ही उत्पादन मेरे जिले में होता है, उसके पहले लोग भूखे मरते थे। जहां पानी चला गया, वह हर चीज खींच कर ले जाता है। आपने पानी के लिए साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए दिए हैं पिछले साल आपने पानी पर कितना पैसा खर्च किया है- चार सौ करोड़। एक हजार साल लगेगा, इस देश की 68 फीसदी जमीन गैर-सिंचित है। यदि देश को बनाना चाहते हैं तो पानी को पकड़ लो। पानी इंसान के लिए जीवन ही नहीं है बल्कि पानी खेत, खलिहान, हरियाली, पशु-पक्षी, धरती की चराचर को आदि को हरा करने का माध्यम है, देश को हरा करना है। अगर बाजार को हरा करना है, उद्योग को हरा करना है...*(व्यवधान)* आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा पानी सेना बनाइए। वे गिरफ्तार भी नहर के गेट पर हुए थे।...*(व्यवधान)* आप भी हुए

थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके चलते आपकी जीडीपी नीचे आ रही है, यह जीडीपी आपको नहीं पकड़ागी। आप यूरो के रास्ते से जीडीपी नहीं पकड़ सकते। चीन ने पहले अपनी इंटरनल स्ट्रैन्थ को तैयार किया। आदमी पचास साल तक साइकिल पर चला। आपके प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी का पहले दिन से ही काफी खर्चा है। क्या कोई हमारे जैसे आदमी को मारेगा? इन्हें कौन मारने वाला है, इनसे क्या बिगड़ रहा है? बेकार का तमाशा लगाया हुआ है। राष्ट्रपति जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं जब आ रहा था तो मेरी गाड़ी रोक ली गई। मैंने कहा कि देखूं, क्या हो रहा है। मैंने देखा कि राष्ट्रपति भवन के घोड़े टम-टम करते हुए आ रहे थे। यहां घोड़े आने की क्या जरूरत है, किसलिए घोड़ा लाया गया। घोड़े पर कितना खर्च होता है, वह देखिए।...*(व्यवधान)* उसे छोड़ें, लेकिन खर्चा तो कम कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि घोड़ा दस आदमियों के बराबर खाना खाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, यदि बजट पर ठीक से कार्य किया गया होता तो मैं पानी के सवाल पर नहीं बोलता। आपने राष्ट्रपति जी की जुबान से पानी के बारे में नहीं कहलवाया। पानी पर दुनिया में संकट होने वाला है। उनकी नकल करते हैं तो यूरोप की कोई भी नदी देखकर आइए। उसका जल कांच जैसा है। उसमें चेहरा देखेंगे, पैसा डालेंगे तो मिल जाएगा। इनके यहां चम्बल नदी है। मैंने बचपन में देखा है कि अगर उसमें पैसा डालते थे तो साफ-साफ दिखाई देता था। वहां आज भी वैसा ही है। पानी के बारे में कोई सवाल नहीं है। इस बार इनका 16 लाख करोड़ का बजट है। पांच लाख पचास हजार करोड़ का स्कैम हो गया। मैं नहीं कहता कि वह सही है। उस पर बहस नहीं हुई। हम पीएसी में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। देश को आगे ले जाने में सब लोग दिल चौड़ा नहीं करते। जिसने पैसा खा लिया, वह मेरी पार्टी का है या आपकी पार्टी का है उसे सजा होनी चाहिए। पांच लाख पचास हजार यानी देश का एक-तिहाई बजट ऐसे चला गया जैसे नदी अपना रास्ता बदल लेती है। काले धन का अजीब हिसाब है। क्या दलितों का काला धन बंद है? क्या आदिवासी लोगों का काला धन बंद है? किसानों का काला धन बंद है? क्या उन्होंने काला धन विदेश भेजा हुआ है? मैं कह रहा हूं कि गरीब लोगों का काला धन नहीं है। अगर छलनी से देखेंगे तो मुट्ठीभर लोग ही हैं जो काला धन बना रहे हैं और वहां डाल रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से इस बारे में भी ठीक से नहीं बुलवा पाए।

हम महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। इस देश की मां, बहन, बेटी बेइज्जत हैं। वे आज से नहीं, हजारों वर्षों से बेइज्जत हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा राज है, राज का सबसे बड़ा ठिकाना है, गर्भ गृह। वह मां है। द्रौपदी जो देश की सबसे तेजस्वी महिला थी, उसे नंगा कर दिया गया। हर घर में लोगों को वह किस्सा मालूम है। जब भी गांव में या कहीं भी झगड़ा होता है, तो मां, बहन, बेटियों के साथ बदलसूकी होती है। वे क्यों गुलाम हैं? इस जात के चलते वे गुलाम हैं। जात चलानी है, जात में शादी करनी है, इसलिए लोग मां, बहन, बेटी को गुलाम रखते हैं। रुस में ऐसा नहीं है। चीन में 65 फीसदी हॉन लोग रहते हैं। मेरे साथ लड़कियों को नहीं रखा गया था, पोलित ब्यूरो को बुलाया गया था। वहां लड़की हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि आप यह तो बताओ कि बलात्कार क्या है, जो बच्चियों के साथ होता है। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। इस पर गहराई से सोच-विचार होगा या नहीं? क्या आपके कानून बनाने से कुछ हो जायेगा? हमारे यहां एक ही रास्ता है कि कानून बना दो, कानून बना दो। जब तक जगत ठीक से नहीं बनेगा तब तक कानून ठीक नहीं बनेगा। समाज हर तरह के जुल्म और अन्याय से भरा हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं। मुलायम सिंह जी का कहना है कि कानून का दुरूपयोग होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन से कानून का सदुपयोग हो रहा है, यह आप बता दीजिए। हम लोग हर चीज का सतही इलाज चाहते हैं। हमने कानून बना दिया, शारदा एक्ट बना दिया, लेकिन उसे कौन मान रहा है? मेरा सीधा कहना है कि कानून से नहीं, किसी भी कानून में यदि सख्ती हो जाये, अंग्रेज तो ढाई सौ साल तक राज करके गये हैं। इसलिए मैं आपसे अंत में विनती करना चाहता हूं कि पानी, आबादी और महिलाओं का जो कैदखाना है, मां जो गुलाम है, वह हिन्दुस्तान के समाज की विषमता के चलते गुलाम है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई पीड़ित है, मैं कहता हूं कि आप 33 या 50 फीसदी नहीं, सौ फीसदी रिजर्वेशन कर दो, लेकिन हकीकत को छोड़कर नहीं कर सकते। जमीन पर जो हजारों वर्षों से बेजुबान हैं, जो पेट के लिए रोज तरस रहे हैं, उनमें और ऊंचे लोगों में बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि मां गुलाम है तब तक कुछ नहीं होगा। जब मां बहादुर होती है, तो देश बहादुर होता है। लेकिन हमने मां को ही कैदखाने में डाल दिया। इस देश में बहादुरी कहीं से नहीं टपकेगी।...*(व्यवधान)* ग्यारह सौ साल का हमारा इतिहास है। हमारा हारने का रिकार्ड है। हम क्या कहें?

[श्री शरद यादव]

सभापति जी, आपने दो बार घंटी बजायी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने काफी तैयारी की थी, लेकिन जो तीन सवाल प्रपैगेट किये थे, उन्हें मैं बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं कि उसका क्या रास्ता है। आपके पास समय नहीं है और समय के बंधन को मैं भी मानता हूं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पल्लम राजू जी यहां कोई मंत्री नहीं बैठा हैं।...*(व्यवधान)* आप बैठे हैं, नारायण सामी जी बैठे हैं।...*(व्यवधान)* मैडम बहुत होशियार हैं। वे एन.टी रामाराव जी की बेटी हैं। उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जो बात कह रहा हूं, यह भाषण बांझ भाषण है। इस बांझ भाषण से कुछ नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि असली बात इस देश में जो है, यदि पानी के सवाल पर आप ठीक से ध्यान दे दें, सब पैसा जो विकास के लिए आप चरणामृत बांट रहे हैं, उसे इकट्ठा करके इस देश में पानी ले आइए। इससे मजदूर, गरीब की जिंदगी तर जायेगी। मनरेगा पंजाब में नहीं चलता, हरियाणा में नहीं चलता। मनरेगा चलाने के लिए आप लोग देश को दरिद्र रखते हो, दुखी रखते हो। पानी के सवाल को आपने यहां कहीं नहीं छेड़ा, इसलिए मैंने इसे छेड़ा।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : सभापति महोदय आपने राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किए जाने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता यह बात मुझे और आपको जोकि पीठासीन हैं थोड़ी परेशान करने वाली हो क्योंकि श्री शरद यादव जो कभी हमारे दल के नेता थे, ने एक बार केवल पानी के बारे में बात की थी। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर काफी कुछ बोला जा सकता है। मैं उन सभी मुद्दों जिनका सामना हमारा देश कर रहा है को यहां नहीं उठाऊंगा। मैं केवल कर्नाटक द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करते समय डॉ. तम्बिदुरई ने यह उल्लेख किया था कि 'कावेरी अधिकरण की अधिसूचना' लोगों में खुशी की लहर लाई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 30 वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। अब हम खुश हैं और हम इसे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का उपहार मानते हैं। मुझे इससे ईर्ष्या नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा 30 वर्ष पुराना नहीं है बल्कि 1856 से मौजूद था। इसके लिए स्वतंत्रता से पूर्व संघर्ष शुरू हुआ था और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। आज भी क्या इस मुद्दे को समाप्त कर दिया जाएगा या इस पर संघर्ष जारी रहेगा। यह हम सभी के लिए चिंता का एक विषय है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब अधिकरण का यह अंतिम पंचाट 2007 में आया था। हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते थे लेकिन हमें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि पहली सप्रंग सरकार वास्तविक रूप से वामपंथी और द्रमुक के समर्थन से ही बची थी। उस समय सदन में एआईएडीएम के (अभाअद्रमक) का कोई सदस्य नहीं था। उस समय हमारे पास सदन में केवल तीन सदस्य थे। उस समय मैंने संप्रग का समर्थन किया। उस समय के माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे यह पूछने के लिए बुलाया था कि क्या मैं अपने दल का समर्थन देकर सदन में सरकार के सदस्यों की संख्या 276 तक कर सकता हूं तब मैंने समर्थन दे दिया।

अपराह्न 2.23 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किस प्रकार हम पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरूआत में कहा यह मेरे मित्र श्री तम्बिदुरई के लिए घबेटा देने वाला हो सकता है। मैं आज कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा पर कुछ बिंदु अवश्य रखना चाहूंगा।

कृपया मुझे अपना भाषण पढ़ने की अनुमति दी जाए अन्यथा मुझे सभा को विश्वास दिलाकर राजी करने में काफी समय लगेगा।

बंगलूरु महानगर के दो तिहाई क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताएं कावेरी बेसिन के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। अब जब इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया, बंगलूरु की जनसंख्या 80 से 90 लाख के लगभग थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आज यह एक करोड़ एक लाख है। मैं किसी भी नीयत पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। मेरे पूरे जीवन काल में मैंने न्यायपालिका के प्रति एक भी शब्द नहीं कहा। मैं स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहूंगा। ट्रिब्यूनल का कहना है कि कावेरी बेसिन

में पेयजल के लिए भी उन्हें भूमिगत जल लेना चाहिए। नौ जिले और 30 तालुक मुख्यालयों को कावेरी नदी से या इसके बेसिन की अन्य सहायक नदियों से पेयजल प्रदान किया जा रहा है। बंगलूरु पहले ही 30 टीएमसी जल का उपयोग कर रहा है। उनका क्या कहना है? बंगलूरु महानगर के दो तिहाई क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताएं कावेरी बेसिन के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। माननीय सभा तथा केन्द्र सरकार इस विचार करे।

मैं देश के प्रधानमंत्री को दोष नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें उन विधेयकों को कैबिनेट से पारित करवाने में काफी प्रयास करना होगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक संख्या में मतों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक डी.एम के इसका समर्थन नहीं करती उन्हें इस सभा में पारित नहीं किया जा सकता। वैश्विक वातावरण के कारण मैं वित्तीय कठिनाइयों को जानता हूं। मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। मेरी एकमात्र अपील यह है कि न्याय किया जाए। मुझे अत्यंत खेद है। इसलिए मैने कहा कि मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता। मैं लिखित भाषण लाया हूं और मैं आपकी अनुमति से इसे पढ़ूंगा।

श्री नारायणसामी जी कृपया मेरी बात सुनें। इस देश में पानी के लिए लड़ाई होगी। मुझे नही पता कि आपका गणतन्त्र या जो कुछ भी आप इसे कहते हैं और यह कथित संघ राज्य इसे आप एक रख पाएंगे या नहीं। यह आपके हाथ में नहीं है। मैं आपका बताना चाहूंगा कि मामले की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल के जजों के मध्य झगड़े ने ही तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता को 10/07/2006 को निम्नलिखित कहने पर मजबूर कर दिया। "न्यायाधीश परिषद के मध्य मतभेदों को सुलझाने के लिए होते हैं। बार आपके आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं है। कृपया अपने सभी मतभेदों को केबिन के भीतर सुलझाए। अधिवक्ता के रूप में 56 वर्षों के दौरान मैने ऐसी कड़वाहट न तो देखी न ही अनुभव की है"। यह अधिकरण ही जिसने अधिनिर्णय दिया है। मैं केवल इसके गुणों के कारण इस पर चर्चा कर सकता हूं। मैं किसी पीठासीन अधिकारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय है। तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जो ट्रिब्यूनल के समक्ष आए उनका कहना है कि अधिवक्ता के रूप में उनके 56 वर्ष के कैरियर में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। यह वह ट्रिब्यूनल है जिसे आपने अधिसूचित किया है और यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए एक उपहार है। हम यहां मांगकर सकते हैं परंतु आवश्यक नहीं कि निर्यात हमारी इच्छा के अनुसार हो। आप हमें इस स्थिति में लाना चाहते हैं...*(व्यवधान)* यह एकतरह का विखंडित ट्रिब्यूनल है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह मैं जानता हूं। एक बार संयोगवश और दुर्घटनावश, मैं यहां आया। अन्यथा मेरा राज्य कुछ अलग होता। हम आज कष्ट झेल रहे है। अत: माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है:

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सी.डीब्ल्यू.डी.टी के अंतिम निर्णय का राजपत्र में प्रकाशन उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के प्रति पक्षपात रहित होगा।"

"इतना ही नहीं; सभी एसएलपी.... उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं...*(व्यवधान)* इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल इतना उल्लेख किया है कि प्रकाशन की इतनी जल्दी क्यों थी। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं। क्या आप यह नहीं जानते हैं? मुझे यह पूछने का पूरा हक है। धारा 5(3) के अंतर्गत पूरा मामला अधिकरण के समक्ष है। इसे धारा 5(3) के तहत भेजा गया है और कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल तथा केन्द्र सरकार भी अधिकरण के समक्ष पक्षकार है। यह एक विखंडित ट्रिब्यूनल है। यह सब समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। जो मुद्दे है वो गोपनीय नहीं है। इस सबकी सूचना मीडिया से प्राप्त हो रही है। महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं कि अधिकरण में क्या हुआ है। दोनों पक्ष के न्यायधीश आपस में लड़ रहे है और चेयरमैन एक और...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदय यह मामला जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। वर्ष 2007 से तमिलनाडु राज्य ने इसकी प्रतीक्षा की है। हमने न्याय पाने की कोशिश की परन्तु हमें न्याय नहीं मिला। यह अधिसूचित किया जा चुका है परन्तु अभी भी हमें लाभ नहीं मिल सका। हम अभी भी केन्द्र सरकार से कार्रवाई करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वास्तव में ट्रिब्यूनल का निर्णय हमारे अनुकूल नहीं है। हमें अभी भी बहुत सा जल लेना है। वह अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रहे है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह संयम रखे...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : यह हुआ है। सारी कार्रवाई की सूचना प्रकाशन तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्राप्त हुई। उसका प्रकाशन हुआ। मैं इसे कोई मुद्दा नहीं बना रहा।

पेयजल पर इस सरकार का विशेष बल होने का दावा किया गया है और पर्याप्त निधियों के आवंटन की घोषणा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार से विवरण न दें। कृपया अपना दृष्टिकोण बताएं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं संक्षेप में कहूंगा महोदय। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदया को कल बताया और मैं उनसे उनके चैम्बर में मिला।

मैं मुख्य बिन्दु पढूंगा क्योंकि मैं किसी तरह की कोई बुरी या नकारात्मक छवि नहीं बनाना चाहता। मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। इसीलिए मैंने अपने भाषण के शब्दों को सावधानीपूर्वक चुना। मैं नहीं चाहता कि कोई इस पर आपत्ति करे। अन्यथा मैं राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर घंटो बोल सकता हूं...*(व्यवधान)*

पर्याप्त निधि की घोषणा की गई है पर कर्नाटक के 9 शहरी जिलों, 28 तालुको जिनमें दो तिहाई बंगलौर शहर भी शामिल है को कावेरी नदी तथा इसकी सहायक नदी तथा इसकी सहायक नदियों से पेयजल के मूल अधिकार से पूर्णत: वंचित किया गया है।

मैं केन्द्र सरकार के एक मंत्री से दूसरे बड़े मंत्री के पास तक भाग दौड़ करता रहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के पास गया तथा उन्हें कहा कि कावेरी के बारे में दिया गया पंचाट का निर्णय गलत है। कृपया यह सुनिश्चित करे कि जब तक इसकी मुख्य कमियों के दूर नहीं कर लिया जाता उनके बारे में स्पष्टीकरण तथा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक इसे अधिसूचित न किया जाए। प्रत्येक ने मुझे आश्वासन दिया, "हां हां। हम जानते हैं कि पेयजल मूल आवश्यकता है और इसे सर्वाधिक वरीयता दी जानी चाहिए।" यह आश्वासन दिया गया था और मैं सभी संबंधित प्राधिकारियों से मिला था। आज मैं इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि बंगलुरु शहर के दो तिहाई भाग तथा नौ शहरी जिले, जो हमेशा से अपनी पेयजल आवश्यकताओं के लिए, कावेरी और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर रहे हैं को यह कह कर कावेरी जल से वंचित किया गया है कि यह कावेरी बेसिन से विपथन के बराबर होगा और यदि यह मौजूदा समय में विपथन भी है तो भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी कहा गया कि आप भूमिगत जल का उपयोग करें अधिकरण का अनुमान है कि भूमिगत जल उपलब्ध है।

मुझे यह उत्तर दिया गया कि इस मामले में केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। मैं उद्धृत करूंगा। "इसका कहना है" उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्णय को अधिसूचित करने का निदेश दिया है, और शीर्ष न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए हर कोई बाध्य है. ..*(व्यवधान)*

शीर्ष न्यायालय के लिए मेरे मन में सर्वाधिक सम्मान है और मैं एक बार भी यह धारणा किसी के मन में नहीं आने देना चाहता कि शीर्ष न्यायालय के निदेशों का अनुपालन, सम्मान या कार्यान्वियन न किया जाए। नहीं मैंने ऐसा कभी नही कहा। परंतु क्या यह सच है, क्या पूर्णसच है या वास्तविकता कुछ और है? यह एक ऐसा मुद्दा है जो मैं सरकार के सम्मुख लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एच.डी. देवेगौडा : क्या इस मामले में न्याय किया गया है जैसा कि दावा किया गया है या आपके एजेन्डा को आगे बढ़ाने के लिए राजनैतिक स्वार्थ अपनी भूमिका अदा की है? आवश्यकता केवल इस संदर्भ में विचार करने की थी जो कि अभी तक लम्बित और अनुत्तरित है और उच्चतम न्यायालय जो सदैव तर्क, न्याय और निष्पक्षता की बात सुनता है, एक अलग नजरिया अपना सकता था। केन्द्र सरकार की चुप्पी ने कर्नाटक के लोगों की उम्मीदें तोड़ी है. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मामला न्यायाधीन है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं किसी के पास नहीं जा रहा...

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बिन्दुओं पर विस्तार से बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौडा : कृपया मेरी बात सुने, मेरे लिए यह अपनी बात कह कर अलविदा कहने का मंच है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तार से बोलने के स्थान पर, आप केवल उल्लेख कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौडा : ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कर्नाटक के कावेरी बेसिन के लागों को भी इसी प्रकार, वर्तमान राज्य सरकार तथा 2004-2005 की गठबंधन सरकार द्वारा उनके हितो की रक्षा करने में असफलता के कारण, कष्ट उठाना पड़ा है।

केन्द्र सरकार तथा पक्षकार राज्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अभी तक दिए नहीं गए है। परंतु किस अधिकरण द्वारा? चेयरमैन त्यागपत्र दे चुके हैं और स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अधिकरण के सदस्यों के आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

मेरे पास आदेश की प्रति है। इसमें कहा गया है - पारित किए गए दूसरे और तीसरे आदेश पूर्णतया अनुचित थे तथा न्यायायिक शिष्टाचार के मानकों के विपरीत थे। मैंने जो पढ़ा है वह अधिकरण ट्रिब्यूनलों की कार्यवाही का एक अंश है। मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता।

कृपया इन शब्दों पर ध्यान दें। ये मेरे शब्द नहीं है, अपितु ये एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता के शब्द है जो 56 वर्ष से वकालत कर रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि सरकारी रिकार्ड में दर्ज इन मुद्दों को जिनसे कि करोड़ों लोगों की किस्मत जुड़ी है, को इस तरह के लोगों द्वारा अधिशासित करने की अनुमति दी जा सकती है विशेषत: तब जब अंतिम परिणाम से करोड़ो लोगों की जल में हिस्सेदारी के अधिकार का निर्णय किया जाना है। आवश्यकता ऐसे अधिकरण की है जो संदेह से पर हो ताकि इसके द्वारा किए गए निर्णय पर लोगों का विश्वास और भरोसा हो मूल आवश्यकता यह है कि न्याय न केवल किया जाए अपितु किया हुआ दिखाई दे। परंतु मैं सभा के ध्यान में केवल दो बातें लाना चाहूंगा।

ये मुद्दे हैं- कावेरी अधिकरण का गठन भारत सरकार के अधिनियम. .... की धारा 4(1) के तहत किया गया था...*(व्यवधान)* 1 मैं उन चार मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा जो माननीय अधिकरण के सम्मुख लम्बित हैं - कर्नाटक द्वारा 3.5.2007 को तमिलनाडु द्वारा 27.4.2007; केरल द्वारा 30.4.2007; पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 3.5.2007 को तथा भारत सरकार द्वारा 1.5.2007 को दायर किए गए मुकदमें।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, जयललिता जी ने प्रधान मंत्री को अधिकरण का गठन करने तथा चेयरमैन की नियुक्ति करने के लिए लिखा है क्योंकि उन्हांने त्यागपत्र दे दिया। जब शेष दोनों सदस्यों ने पहले ही न्याय देने से इंकार कर दिया है तो क्या हमें न्याय मिल सकता है? एक स्टेट्समैन तथा राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री हमें बताएं। मैं यह पूछना चाहूंगा। जो दो न्यायधीश अब हैं वे उस निर्णय में भागीदार थे, क्या हम उनसे न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। 56 साल के राजनैतिक जीवन के बाद हमें एक कप पीने के पानी के लिए उनसे भीख मांगनी पड़ रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह सरकार अब डीएम के पर आश्रित है...*(व्यवधान)* मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। दूसरी और मै। बताना चाहूंगा कि उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। क्यों नहीं? मैं इसका स्वागत करता हूं। यदि वह 40 सीटें जीतती है जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही, वह नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में जाती हैं और नरेन्द्र मोदी उनके शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं। यह संबंध हमें प्रभावित कर रहा है। यह सरकार डीएमके की बदौलत चल रही है। सरकार आगे बढ़कर हमें न्याय नहीं देना चाहती। मैं यह सभा पर तथा पूरे देश पर छोड़ता हूं कि क्या 186 वर्ष के संघर्ष के बाद न्याय मिलेगा। इस बार यह सुश्री जयललिता के जन्मदिवस पर उनके लिए तोहफा है और वे इसका स्वागत करते हैं। यह उनके लिए आनन्ददायी उपहार है। मुझे मेरे अंतिम दिनों में न रूलाएं। मेरे जीवन के 80 वर्षों में से 56 वर्ष मैंने यह लड़ाई लड़ी है। क्या हम अपने लोगों को आत्महत्या करने के लिए कहें या कानून तोड़ने के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैडम ने भी 1991 में अनशन तक किया। इस देश में यह पहली बार है कि अनंतिम निर्णय दिया गया। पूरी दुनिया में किसी भी अन्तर्राज्यीय नदी विवाद में, और देशों के मध्य विवाद में भी कभी अनंतिम निर्णय नहीं दिया गया।

[श्री एच.डी. देवेगौडा]

जब हम सत्ता में थे तब हमने बंगलादेश और भारत के बीच गंगा जल विवाद को निपटाया था। यहां उपस्थित नेताओं में से एक नेता उस समय वहां उपस्थित थे। यह मुद्दा 30-35 वर्षों से लंबित था। परंतु हमने इसका समाधान कर दिया...*(व्यवधान)* और यह समझौता सहज ढंग से चल रहा है। क्या हम इस मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते, डा. तम्बिदुरई? यदि आप सीमा के पास बांध बना दें तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। उन्हें ऐसा करने दीजिए। इस समय नदी का पानी बहकर समुद्र में जा रहा है जो कि जल की बरबादी है। हमें मिलकर निर्णय लेना चाहिए। हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह मुद्दा 1991 में उठा था क्योंकि मैडम ने अनशन किया था। मैं उन्हें पसंद करता हूं क्योंकि वे एक बार अध्यक्ष और एक बार मंत्री रह चुके हैं। सभा को भी इस बारे में पता लगने दीजिए। वर्ष 1991-92 में यह 340 टी.एम.सी था और अब वे केवल 195 टी.एम.सी की मांग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. एम. तम्बिदुरई (करुर) : पानी इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि कर्नाटक उसे नियंत्रित करने में असमर्थ था; उस समय तमिलनाडु में बाढ़ आ गई थी...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौडा : जी हां, मैं यह स्वीकार करता हूं। जब हमने बांध के लिए प्रस्ताव रखा था तब केन्द्र सरकार द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया था परंतु इसके साथ ही उन्होंने 1924 के समझौते का उल्लंघन करके अनेक बांधों का निर्माण किया। मेरे पास एक सूची है। क्या उन्होंने कर्नाटक सरकार की सहमति ली है? नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : भारत सरकार ने उनकी सहायता की। मैं उनपर आरोप लगा रहा हूं क्योंकि उन्हें राजनैतिक समर्थन प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार पर आरोप लगाकर समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैं न केवल इस सभा के लाभ के लिए यह बताया कि सीमा से कितना पानी गया है। अब वे 195 टी.एम.सी पानी की मांग कर रहे हैं जो 1992 में 340 टी.एम.सी, 1993 में 358 टी.एम.सी, 1994 में 234 टी.एम.सी, 1995 में 393 टी.एम.सी, 1996 में 195 टी.एम.सी, 1997 में 248 टी.एम.सी; 1998 में 278 टी.एम.सी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, वे अधिकतम जल रखना चाहते हैं और यहां तक कि वे हमें पेयजल से भी वंचित कर रहे हैं। केरल एक बांध बनाना चाहता है। वे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : उन्हें अनुमति नहीं दी गई है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : आप उन्हीं के समर्थन से यहां आए हैं। गठबंधन सरकार चलाना माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक कठिन समस्या है। यह एक राजनैतिक आपदा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : उन्होंने केरल के लिए 30 टी.एम.सी आबंटित किया है और केरल केवल 9 टी.एम.सी जल का प्रयोग कर रहा है शेष 21 टी.एम.सी जल तमिलनाडु में जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कोई विवाद नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : अब मैं अंतिम मुद्दा उठा रहा हूं। कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा आन्ध्र प्रदेश को लगभग 5 टी.एम.सी जल दिया जाता है। जब चेन्नई में पेयजल की समस्या हुई थी तब गांधी मैडम ने एक बैठक की और इन राज्यों के तीनों मुख्य मंत्री 15 टी.एम. सी पेयजल देने के लिए सहमत हुए। उस समय कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश ने यह निर्णय लिया था।

मुझे कावेरी घाटी में रहने वाले 2,27,00,000 लोगों की पेयजल की आवश्यकता की मांग करने के लिए इस सभा में आना पड़ा। 8.7 टी.एम.सी भू जल प्राप्त करने के लिए हमें न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें 70 टी.एम.सी जल की आवश्यकता है। कोई भी इसका हिसाब लगा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइए। अब श्री टी. के.एस इलेंगोवन बोलेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इस सभा में हमारी पार्टी के केवल तीन सदस्य हैं। उनकी पार्टी के 17 सदस्य हैं और कांग्रेस के केवल छह सदस्य हैं। वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते।

महोदय, मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। क्या मैं जयललिता जी की तरह भूख हड़ताल कर सकता हूं? और यदि आवश्यक हुआ तो मैं अनिश्चित काल तक की भूख हड़ताल कर सकता हूं। यह मेरी अंतिम भूख हड़ताल होगी क्योंकि मेरा जीवन लगभग समाप्त होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय सदस्य श्री पी.सी. चाको द्वारा पेश प्रस्ताव और संसद की दोनों सभाओं को भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डा. गिरिजा व्यास द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, इस अभिभाषण में अत्यन्त अच्छे मुद्दों को उठाया गया है। इसमें देश में हरित पक्ष को सूचीबद्ध किया गया है इसमें कृषि विकास को दर्शाया गया हैं भारत विश्व में दूध का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है। गत वर्ष खाद्यान्नों की स्थिति काफी अच्छी थी और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक अन्य मुद्दे हैं जो इस देश के अच्छे भविष्य की ओर संकेत करते हैं।

परंतु यह अभिभाषण लगभग विगत वर्ष का रिपोर्ट कार्ड है। विगत वर्ष में जितनी भी अच्छी बातें हुई हैं वे सब इसमें हैं परंतु मुझे संदेह है कि इसमें भविष्य को कोई स्पष्ट रूप देखा है या नहीं और यह पता लगाने के लिए मुझे शायद इस अभिभाषण को कई बार पढ़ना होगा।

जो कुछ भी हो इस अभिभाषण में देश के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया है। गत चार वर्षों में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो गत वर्षों में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण मैं शामिल थे परंतु, इस वर्ष के अभिभाषण में ये शामिल नहीं हैं।

पहला संसद और राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा। इसे इस अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता कि पन्द्रहवीं लोकसभा के अंत तक यह विधेयक पारित हो पाएगा या नहीं। सरकार में इसका उत्तर देना होगा।

दूसरा मुद्दा लंबित है। हमने देखा कि हाल ही में अनेक मृत्युदंडों को लागू किया गया और फांसी दी गई। विश्व के लगभग 104 देशों ने मृत्यु दंड को हटा दिया है। मृत्यु दंड कोई सज़ा नहीं है। अपराधी को यह महसूस करना चाहिए कि उसने गलती की है। आजीवन कारावास से उसे यह महसूस होगा कि उसने क्या गलती की है और उसने किस निर्दयता से बरताव किया।

इसलिए, आजीवन कारावास जैसी सज़ा ही इंसान को सही करेगी। मौत की सजा एक मिनट का काम है, और बस सब खत्म हो जाता है। उसका कोई भविष्य नहीं होता और न ही उसके पास स्वयं में सुधार लाकर दुनिया में जीने का मौका रह जाता है। जब दुनिया के 104 देश मौत की सजा खत्म कर चुके हैं तो क्यों भारत में भी ऐसा नहीं होता? भारत के लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है। राष्ट्रपति जी ने इस विषय को संबोधित नहीं किया।

तीसरा है खाद्य सुरक्षा विधेयक जिसके बारे में राष्ट्रपति जी ने बताया है। महोदय, इस देश में बिना सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोई खाद्य सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हम उस पर लगातार जोर देते रहे हैं। जब अनाज बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, और सदन इस देश में उत्पादित अनाज का भंडारण किस प्रकार किया जाए, इस पर दूसरी या तीसरी बार चर्चा कर रहा है, यदि वितरण प्रणाली का एक प्रभावी तंत्र होगा, एक मजबूत वितरण प्रणाली होगी और एक सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है, और आगे देश में इस अनाज को कम कीमत पर सब तक पहुंचा कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अभी, सरकार केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्ष्य कर रही है और बाकी लोगों को नहीं कर रही है। तमिलनाडु में, हमारे पास एक बहुत ही सफल सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

प्रणाली है और केवल तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जहां इस प्रणाली को कार्य व्यवहार में लाया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए ऐसी एक योजना हो सकती है जिसमें आप अनाज की कीमत कम कर सकते हैं जिससे इस देश में जीवनयापन की सामान्य लागत कम होगी। हमें नहीं पता खाद्य सुरक्षा विधेयक में क्या है। सदन में यह अभी चर्चा के लिए आना है। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी।

महोदय, अगली समस्या जल से संबंधित है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और माननीय सदस्य श्री देवेगौड़ा, बंगलुरु के लिए पानी प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। महोदय यह मामला वर्ष 1924 में शुरू हुआ। मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहता लेकिन केवल इतना कह सकता हूं कि मद्रास और मैसूर सरकारों के बीच 1924 का समझौता बताता है कि कर्नाटक क्षेत्र में कोई भी नया बांध नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा चार बांध बनाए गए जिससे कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में विस्तार हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलनाडु के निचले तटवर्ती इलाके के अधिकारों का हनन हुआ। इसीलिए, यह मामला, यह अधिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय का दखल, यह सब हमारे सामने आया है। यह कर्नाटक सरकार की गलती थी। यदि उन्होंने 1924 के करार का अनुसरण किया होता और कई बांधों का निर्माण नहीं किया होता, तो यह सब समस्याएं सामने नहीं आतीं।

हम जल प्रदान करने के लिए मना नहीं कर रहे। जल कर्नाटक से आता है। यह उन पर निर्भर करता है कि वह जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं या कृषि उद्देश्यों के लिए। आज कृषि क्षेत्र भूमिका क्षेत्र चार गुना तक बढ़ा है। हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम एक ऐसा निगरानी प्राधिकरण चाहते हैं जो यह देखे कि इसके द्वारा अधिसूचित किये गये अवार्ड का ठीक प्रकार से पालन हो रहा है।

महोदय, मैं पिरुक्कुरल को उद्धृत करूंगा यहां यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है:

"नागुधर पोरयूनेन्द्र नाटल मिगयूचिकन मरचेन्दु इतिर पोरयूट"

इसका अर्थ है मित्रता केवल हंसी-मज़ाक नहीं होती अपितु सीमा लांघने पर उस पर वार भी करना होता है। तो, हम मित्र हैं। हम कांग्रेस के मित्र हैं। हम यूपीए में सहभागी हैं। हम साथ-साथ हैं। हम लोगों के पास एक साथ गए हैं। हम लोगों से एक साथ मिले हैं। हमने एक साथ में लोगों से वादे किए हैं। कांग्रेस द्वारा किए गए वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन डीएमके द्वारा किए गए वादे अभी भी पूरे किए जाने हैं। यह हमारी चिंता है। महोदय, हमारे हाथ में दो झंडे हैं। एक कांग्रेस का तिरंगा झंडा है। दो रंग वाला दूसरा झंडा डीएमके का है। हरा, सफेद और केसरिया रंग कांग्रेस के झंडे में है। डीएमके का झंडा लाल और काले रंग का है। महोदय, इस अभिभाषण ने कांग्रेस के झंडे के हरे रंग को स्पष्ट किया कि कृषि उत्पादन कई गुणा बढ़ा है और हम अनाज उत्पादन के अग्रणी देशों में से एक है। सफेद रंग के साथ न्याय किया गया। हमारा देश इस दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक देश है। उचित या अनुचित रूप से केसरिया रंग के साथ भी न्याय किया गया।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। यह लंबित है और जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए से अधिक निवेश किए गए थे। इस परियोजना को केसरिया कारणों के चलते रोक दिया गया। आप केसरिया के जाल में फंस गए क्योंकि आपको अपने झंडे के केसरिया रंग का औचित्य साबित करना था। काले और लाल रंग के बारे में क्या हुआ? अभी भी वहीं है। आपने किसी को भी न्यायोचित नहीं ठहराया। श्रीलंका में तमिल लोगों का लहू बह रहा है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आप क्या करेंगे? यह देश क्या करेगा? यह सरकार क्या करेगी?

अपराह्न 3.00 बजे

राज्य सभा में एक चर्चा हुई थी। कई पार्टियां यह चाहती थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में यू.एस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करे।

महोदय, मैं इस पर बल नहीं देता। यह एक औपचारिकता मात्र है। चाहे आप मत दें या नहीं, चाहे आप बहुमत या अल्पमत में मत दें, यूएनएचआरसी के बहुमत में सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। यदि आप प्रस्ताव के समर्थन में मत देते हैं, तब यह ठीक है और यह आपकी भावना को दर्शाता है कि आप मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, आपके पड़ोसी देश, श्रीलंका के

प्रति आपका क्या रवैया है? यह केवल यूएनएचआरसी में प्रस्ताव के पक्ष में मत देने का मामला नहीं है। आपके पड़ोसी देश में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा भी आपकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप एक मूक दर्शक बन कर नहीं देख सकते। आप एक मूक दर्शक बन कर नहीं देख सकते जब आपके पड़ोसी देश में बड़े स्तर पर एक वर्ग विशेषकर नरसहांर हो रहा हो।

महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अभी यह बताया कि भारत का एक राष्ट्र के रूप में बहुत ऊंचा स्थान है...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : नरसंहार का ऐसा जघन्य कार्य एलटीटीई द्वारा भी किया गया था।...*(व्यवधान)* कई तमिलियनों को एलटीटीई ने मौत के घाट उतार दिया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। कृपया बैठ जाएं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जो श्री टी.के.एस. इलेंगोवन कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात अभी समाप्त नहीं हुई। कृपया बैठ जाएं।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : महोदय, वह गलत हैं। मैं इस पर बाद में बोलूंगा...*(व्यवधान)* मैं अभी उन्हें उत्तर नहीं दूंगा...*(व्यवधान)* मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। मैं अभी अपनी बात जारी रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी.के.एस. इलेंगोवन की बात के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : महोदय यह उनका विचार है। आप इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित कर सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस बात का उत्तर नहीं दूंगा।

महोदय, महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का स्थान इसलिए उच्च है क्योंकि हमें उदारवादी तथा बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। ये शब्द राष्ट्रपति के अभिभाषण में हैं। आखिर श्रीलंका कब अपने उदारवादी तथा बहुलवादी लोकतंत्र के कारण अपना स्थान बनाएगा? यह मेरा प्रश्न है। महोदय, जबकि हमें अपनी बहुलतावाद पर गर्व है, जब हमें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व है, जब हमें अपने अधिकारों पर गर्व है, लेकिन हम अपने पड़ोसी राष्ट्र में द्वीप में तमिलों के अधिकारों के बारे में गर्व नहीं कर सकते हैं। क्यों?

एक अन्य प्रश्न है। एक दिन माननीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम किसी अन्य देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत ने पूर्ववर्ती पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया था। यही कारण है कि बांगलादेश अस्तित्व में आया। भारत के हस्तक्षेप के बिना बांगलादेश कहां होता? इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हम अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं।

महोदय, एक और बात है। तमिलों के विरुद्ध युद्ध वर्ष 1983 में या अभी हाल में शुरू नहीं हुआ। हमें यह समझना चाहिए। यह वर्ष 1948 में उस समय शुरू हुआ जब श्रीलंकाई संसद ने केवल 'सिंहला' नामक एक संकल्प पारित किया था। 1948 से 1983 तक द्वीप में तमिल बिना हथियारों के संघर्ष कर रहे थे। 1983 में ही उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया।

मेरे प्रिय मित्र तथा मेरे राज्य से मेरे सहकर्मी श्री जे.एम. आरुर रशीद वर्ष 2009 के पूर्ण की हत्याओं के बारे में बात कर रहे थे। महोदय, कांग्रेस पार्टी से मेरा प्रश्न यह है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तमिलों के लिए श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप किया। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप किया। वे श्री राजीव गांधी तथा श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के बीच समझौते में सक्रिय थे। वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के सूत्रधार थे।

अपराह्न 03.04 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए]*

महोदय, वह यह कदम उठाने में सक्रिय थे कि तमिलों की रक्षा के लिए श्रीलंका में 13वां संशोधन होना चाहिए। यह श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी से मेरा प्रश्न यह है। क्या आप श्री राजीव गांधी की विरासत को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं? क्या आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को भुला दिया है? क्या आप उनकी विरासत को आगे नहीं ले जा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृंतात में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने में विघ्न नहीं डालें।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : क्या आप उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं?

जब श्रीलंका की सरकार यह कहती है कि 13वें संशोधन का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा, वैसी स्थिति में जयवर्धने के साथ राजीव गांधी के समझौते की स्थिति क्या है? श्रीलंका के मामलों में राजीव गांधी के नेक नीयत से किए गए हस्तक्षेप का क्या हुआ? उन्होंने अच्छी नीयत के साथ यह किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अच्छी नीयत से हस्तक्षेप किया था। वे तमिलों की रक्षा करना चाहते थे। वे उस द्वीप में हजारों वर्षों से रह रहे एक विशेष भाषा समूह की रक्षा करना चाहते थे। अब क्या हुआ है? श्रीलंका का वह क्षेत्र सिंहली बहुल हो गया है और वहां सेना तैनात है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत सरकार से भी अनेक वादे करती हैं। वह जब भारत आते हैं, वह काफी बड़े-बड़े वादे करते हैं। लेकिन वह अपने द्वारा किए गए किसी वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं अथवा उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभी यही स्थिति है।

महोदय, एडीए सरकार के दौरान जब श्री वाजपेयी सत्ता में थे, हमने परमाणु ऊर्जा में अपनी शक्ति का परीक्षण किया था। हमने एक परमाणु बम का परीक्षण किया था। क्या हुआ? केवल एक परमाणु बम का परीक्षण करने पर पूरे विश्व ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। हम किसी के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार है, जो अपने ही नागरिकों के साथ युद्ध की स्थिति में है। हम उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते हैं? हमने वहां तमिलों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए 500 करोड़ रुपए दिया है. और हमने श्रीलंका सरकार को भी 500 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए हैं। यह दिखावा क्यों? इस दिखावे का क्या उपयोग है जबकि पूरी दुनिया इससे गुस्से में है जो उस द्वीप में हो रहा है?

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : हम वहां तमिल लोगों के लिए धनराशि दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : आप पहले बजट पढ़िए। आप बजट पढ़िए और फिर मुझसे बात कीजिए।

सभापति महोदय : श्री रामासुब्बू, कृपया उन्हें व्यवधान नहीं पहुंचाइए।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : अतः, 13वां संशोधन पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया था। यह संशोधन राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस के लोगों को इस बारे में महसूस करना चाहिए।

महोदय, ये मुद्दे हैं जो महामहिम अपने अभिभाषण में नहीं कह पाए हैं। ये मुद्दे हैं जिन्हें दुनिया गौर से देख रही है। ये मुद्दे हैं जिनमें तमिल लोग रो रहे हैं। रक्तपात के साथ द्वीप में तमिलों की स्थिति रक्तरंजित तथा निराशापूर्ण है। यह डीएमके के झंडे का रंग है। अब डीएमके अकेले झंडा उठाए हुए है। हमने कांग्रेस के साथ मिलकर झंडे को लिया ताकि लोगों के पास जा सकें तथा उनसे वोट मांग सकें। कांग्रेस अपना ध्यान रख सकती है। उन्होंने डीएमके को अधर में छोड़ दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, 21 फरवरी को जिस दिन संयुक्त सभा में राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे, उसी दिन हमारे देश के करोड़ों मजदूर हड़ताल पर थे। यह हड़ताल 20 फरवरी को शुरू हुई थी। देश आजाद होने के बाद पहली बार हमारे देश के तमाम मजदूर, संगठित, असंगठित क्षेत्र के...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : 44 करोड़ मजदूर हड़ताल पर चले गये थे। उन्हें हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा? इससे पहले आपको मालूम होगा कि 28 फरवरी 2012 को एक दिन की हड़ताल हुई थी। हमारे देश के मजदूर क्या मांग कर रहे हैं, उनकी कोई नाजायज मांग नहीं है, सरकार को मालूम है कि मजदूर की क्या मांग है। आज ऐसी परिस्थिति हो गयी है, हमारे देश में ऐसा माहौल हो गया है कि मजदूर का जो अधिकार है, जो श्रम कानून हमारे देश में हैं, इन श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है। केवल श्रम कानून का उल्लंघन ही नहीं हो रहा है, बल्कि मज़दूरों को संविधान में जो अधिकार मिले हैं, अपना संगठन बनाने का अधिकार है, यूनियन और संस्था बनाने का अधिकार संविधान की धारा 19 के मुताबिक हमारे देश के मज़दूरों का यह जो फंडामैंटल

राइट है, यह भी छीना जा रहा है। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने एक ग्लोबल वेज रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा मज़दूरी यदि कहीं घटी है तो वह हमारे देश भारत में घटी है। हमारा देश ब्रिक्स का सदस्य है जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना और इंडिया, ये देश आते हैं। सबसे ज्यादा हमारे देश में महंगाई बढ़ी है और सबसे ज्यादा हमारे देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ी है। इसका बुरा प्रभाव हमारे देश के मज़दूरों के रोज़गार पर पड़ा है। ठेका मज़दूरों की संख्या आज बढ़ रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनको न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं दी जाती है। हमारे देश में जो स्टैटुटरी मिनिमम वेज है, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो या केन्द्र सरकार की तरफ से हो, उतनी वेज भी उनको नहीं दी जा रही है। आधी वेज पर उनको काम करना पड़ रहा है, यह परिस्थिति आज हमारे देश में है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि दो दर्जन श्रम कानून हैं और हर कानून बनने के पहले मज़दूरों के संघर्ष का इतिहास है। ऐसे ही कोई कानून नहीं बना लेकिन ये कानून लागू नहीं हो रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस श्रम सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री ने किया था और जिसकी अध्यक्षता हमारे श्रम मंत्री ने की थी। उसमें क्या तय हुआ था, क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? उसमें यह तय हुआ कि हमारे देश में ठेका मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी 10 हज़ार रुपए होगी और इसको लागू करने के लिए सरकार कानून लाएगी, बिल पेश करेगी। बिल तो तैयार हो गया लेकिन जब कैबिनेट में पेश करने के लिए श्रम मंत्री आए तो आपत्ति हुई। इतना पैसा अगर हमारे देश के ठेका मज़दूरों को दिया जाए, 10 हज़ार रुपए तनख्वाह दी जाए तो हमारे देश में एफ.आई.आई इंस्टीटयूशनल इनवैस्टर इनवैस्ट नहीं करेंगे। इससे हमारे देश में मज़दूरों का शोषण बरकरार रहेगा। यही सरकार की नीति है। हमारे देश में यह परिस्थिति इसीलिए है। मज़दूर दो दिन के लिए हड़ताल पर गए लेकिन फिर भी सरकार होश में नहीं आई। हड़ताल के पहले उन मज़दूरों के प्रतिनिधि, तमाम ट्रेड यूनियन, हमारे देश की 11 ट्रेड यूनियन - आई.एन.टी.यू.सी. से लेकर बी.एम.एस. तक ऐसी कोई ट्रेड यूनियन हमारे देश में नहीं थी जो इस संघर्ष के बाहर थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन मज़दूरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करने की कोई काशिश नहीं की। उनके पास हमारे देश के मज़दूरों के प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने का समय नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री के पास भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोचैम, फिक्की और हमारे देश के कार्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बात करने का समय है। पूंजीपतियों का अपना संगठन है, उनके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का समय उनके पास है। जब हम सकल घरेलू उत्पादक की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे देश के मज़दूर की होती है, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। आज यह परिस्थिति हमारे देश में है।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने कृषि उत्पादन की सराहना की है। बहुत अच्छी बात है कि हमने कृषि उत्पादन में बहुत तरक्की की है। हम जब आजाद हुए थे, तब हम 52 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करते थे, आज हम 294 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। यह रिकार्ड उत्पादन हमारे देश के किसानों ने किया है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम पीएल-480 मंगाते थे, आज मंगाना नहीं पड़ रहा है। हमारे देश का किसान, हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। लेकिन आप किसानों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? हमारे देश का किसान कृषि छोड़ रहा है। पांच साल में पांच लाख किसानों ने कृषि को छोड़ दिया है और अब वह दूसरा धंधा कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश में कृषि लाभजनक नहीं रही है क्योंकि आपने उर्वरक और खाद का भाव बढ़ा दिया है। इस बार बजट में आपने 40 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी है। पहले वैरियबल सब्सिडी और फिक्स प्राइज़ फर्टिलाइज़र का था और डीएपी, एमओपी, फोसफेट और यूरिया का देश में एक ही दाम था। उसके बाद आपने एक नीति अपनायी। आपने प्रणाली में परिवर्तन कर परिवर्तनीय सब्सिडी से नियत मूल्य से परिवर्तनीय मूल्य से नियत सब्सिडी किया है, अभी सब्सिडी एक जगह है, वह बढ़ नहीं रही है। सरकार ने वर्ष 2001-2002 में सात उर्वरक कंपनियों को बंद कर दिया था, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, दुर्गापुर, हल्दिया, तल्चर और रमागुंडम बंद हो गयी हैं। हम यूरिया बाहर से मंगा रहे हैं। यह भी तो हमें मंगाना पड़ता है। हम 45 फीसदी डीएपी आयात करते हैं और हम 35 फीसदी यूरिया मंगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ रहा है, उसको सस्ता रखने के लिए ताकि हमारे देश का किसान उसको खरीद सके, सरकार उस पर सब्सिडी नहीं बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उर्वरक का भाव बढ़ रहा है। वर्ष 2011 में छ: महीने में डीएपी का शत-प्रतिशत भाव सरकार ने बढ़ाया था। साढ़े चार सौ रुपए का बोरा बढ़कर साढ़े नौ सौ रुपए हो गया। लेकिन किसान को वह 1200-1400 सौ रुपए पर खरीदना

[श्री बसुदेव आचार्य]

पड़ रहा है। हमने एक साल का हिसाब किया कि कृषि उत्पादन के लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कृषि की इनपुट कास्ट में 40 परसेंट बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और बजट में भी कहा है कि हमने एमएसपी इतना बढ़ा दिया है। जबकि एमएसपी केवल 13 फीसदी बढ़ा है, जबकि इनपुट कॉस्ट में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। किसान क्या करेगा? वह कृषि छोड़ रहा है। आज हमारे देश में कृषि में संकट बढ़ रहा है। किसान खुदकुशी कर रहा है। 2 लाख 76 हजार किसानों ने खुदकुशी की है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसका जिक्र न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और न बजट में ही सरकार ने किया है। बजट में तो कृषि में पूंजी निर्माण अथवा कृषि में जीडीपी का हिस्सा 1.7 से घटकर 1.5 हो गया है आप कृषि में निवेश धीरे-धीरे घटा रहे हैं। इससे हमारे देश का संकट बढ़ेगा। आज भी हमारे देश की 62 फीसदी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि का संकट गहरा-से-गहरा हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई कदम हमने नहीं देखा, न राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बहुत सराहना की। लेकिन, सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या चिंता कर रही है, ऐसी कोई बात न राष्ट्रपति के भाषण में, न हमारे बजट में है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया उन्हें व्यवधान नहीं पहुंचाए जब आपकी बारी आएगी, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं। कृपया उनकी सहायता नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : बेरोज़गारी की समस्या आज बड़ी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। इकॉनोमिक स्लोडाउन का प्रभाव हर जगह पड़ा है। एक समय वर्ष 2007 में विश्व भर में मंदी शुरू हुई थी तो वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने बोला था कि विश्व भर में यह हो सकता है, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन, वर्ष 2007 के बाद ही इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इस कारण हमारे देश में दो सालों के अंदर, आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है, वर्ष 2007-08, 2008-09 में हमारे देश में पैंतीस लाख मजदूरों की छंटनी हुई है। यह आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है। हमारे देश में बेरोज़गार बढ़ रहा हैं, तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में वर्ष 2000 से 2001 तक जो रोजगार में वृद्धि था, हमारे रोज़गार में जो वृद्धि थी, बढ़ोतरी थी, वह 2.7% थी। आज वह गिर कर क्या हो गयी है? वह 0.08% पर आ गयी है। हमारा रोजगार में वृद्धि 0.08% पर आ गया है। रोज़गार में वृद्धि घटती जा रही है। केन्द्रीय सरकार के दफ्तर में कम से कम दस लाख पोस्ट वैकेन्ट हैं और रेलवे में ढाई लाख पोस्ट वैकेन्ट हैं। बहाली नहीं हो रही है। कहां रोजगार मिलेगा? इसका प्रभाव हमारे देश में रोज़गार के ऊपर पड़ रहा है। बेरोज़गार हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल, हम लोग रोज़गार में वृद्धि नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बेरोजगारी में वृद्धि क्योंकि बेरोजगारी जैसे बढ़ रहा है तो हम रोजगार में वृद्धि की चर्चा नहीं करते हैं, हम बोलते हैं बेरोजगारी में वृद्धि, बरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे देश में बेरोजगारी में वृद्धि 3% से बढ़कर 8% हो गया है।

सर, हमारे देश में चौथी जो समस्या है, यह खाद्य सुरक्षा (फुड सिक्यूरिटी) के बारे में है। इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि कानून बन रहा है। हम साढ़े तीन सालों से, चार सालों से सुनते आ रहे हैं कि एक कानून बन रहा है। इनका वादा था कि द्वितीय यूपीए सरकार सौ दिनों के अन्दर खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के लिए कानून लाएगी। आज तक कानून नहीं लाए हैं। लेकिन, क्या है इसमें? ये जो खाद्य सुरक्षा बता रहे हैं, उसमें ये क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रस्ताव है? इसमें वही विभाजन है। हम नहीं चाहते कि गरीबों में विभाजन हो, एपीएल-बीपीएल हो। वहां पर आपने नॉमेनक्लेचर चेज कर दिया है - प्राईडी जनरल। जब आलोचना हुई देश भर में, तब आपने थोड़ा बढ़ा कर इसे 67% कर दिया। अभी पता नहीं क्या आएगा हमारे पास? उसमें संशोधन करके बिल अभी तक सदन में नहीं आया। यह सुनने में आ रहा है कि ये बढ़ा कर 67% कर रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें 25 किलो अनाज तीन रुपए में है। 25 किलो अनाज एक महीने में मिलेगा, अगर एक परिवार में पांच व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो अनाज मिलेगा। क्या पांच किलो अनाज में एक महीना चल सकता है? पल्लम राजू जी, आप सोचें। आप क्या करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि हमारे देश में जो 50 फीसदी माताएं एवं बहनें कुपोषण की शिकार हैं। लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण ग्रस्त हैं। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। उन्होंने नेशनल शेम बताया और आप कुपोषण को बढ़ाना चाहते हैं।

हमारी मांग है कि 35 किलो अनाज दो और दो रुपए किलो दो। हमने देशभर से तमाम वामपंथी दल चार करोड़ सिगनेचर इस मांग को लेकर जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करो। 35 किलो अनाज दो रुपए किलो दो। इस तमाम मांग को लेकर चार करोड़ सिगनेचर कलेक्ट करके 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। आज देशभर से जत्था निकला है, दस दिन से संघर्ष संदेश यात्रा हर जगह से निकली है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग यहीं मांग को लेकर आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा खाली कानून नहीं, कानून में संशोधन करो। जनवितरण प्रणाली को सार्वजनिक करो, डायरेक्ट ट्रांसफर छोड़ो। आप देखो, डायरेक्ट ट्रांसफर का क्या नतीजा हुआ है। आज ही इसके ऊपर चर्चा हुई है। आपने जो कृषि ऋण माफी में किया है, इसको छोड़ो। चुनाव में फायदा लेने के लिए, सन् 2014 में फिर सत्ता में आने के लिए पिछली बार जो किया था, कृषि ऋण माफ करके कम से कम बीस हजार करोड़ रुपए की जो लूट हमारे देश में हुई है, किसान रो रहे हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर फिर ये करेंगे तो हमारा क्या होगा? जनवितरण प्रणाली, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया इतना बड़े संस्थान का क्या होगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा? राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा है कि ये रहेगा, कैसे रहेगा? आप उनको पैसे दे देंगे, उस पैसे में वे बाजार में जाकर खरीद सकेंगे। आप हर महीने डीजल के भाव बढ़ा रहे हो। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि वे काबू में आ रहे हैं। उन्होंने आधार की बात की है। अभी इसी महीने में साढ़े दस फीसदी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. सौगत राय, कृपया टोकाटोकी नहीं करें। अपना व्यवहार ठीक रखिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात जारी रखें। मैं आपको अपनी बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महादेय, दो मिनट नहीं, बल्कि मुझे पांच मिनट चाहिए अपनी बात कहने के लिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ डोम, कृपया अपनी तरफ से कोई टोकाटाकी नहीं करें, मैं आपसे कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप डीजल का भाव हर महीने पच्चास पैसे बढ़ा रहे हो। आपका कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल का भाव एक रुपए चालीस पैसे बढ़ रहा है। वह पच्चास फीसदी बढ़ा है और उसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड़ रहा है। आपने क्यों डीकंट्रोल किया? जब हम बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब हमने न डीजल को डीकंट्रोल करने दिया, न पेट्रोल को डीरेग्युलेट करने दिया। हमने किसी राष्ट्रीय उद्योग का विनिवेश करने नहीं दिया, आप नहीं कर सके। यूपीए वन की कम से कम हमारी तीन उपलब्धियां हैं। पहला है नरेगा, दूसरा है हमारा आदिवासियों के बारे में, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि 52 लाख क्लेम्स थे ओर उसमें 11 लाख को फॉरेस्ट लैंड का पट्टा दिया, जंगल का, जमीन का पट्टा दिया गया। 52लाख क्लेम्स हैं, उनमें कितने रिजेक्शन हुए? ऐसे भी राज्य हैं, जहां दस परसेंट भी फॉरेस्ट लैंड का पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वामपंथियों के दबाव से आपने कानून बनाया। वामपंथियों के दबाव से सूचना का अधिकार। कम से कम तीन काम हमने कराये आप द्वितीय यूपीए सरकार का एक भी काम बताओ, आपने क्या किया है? आपने किया है भ्रष्टाचार, एक के बाद एक। अगर सबको हम जोड़ दें, तो कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। यह क्यों हो रहा है? आप जिस नीति पर चल रहे हैं, आप अगर तुलना करें, वर्ष 1991 के पहले और उसके बाद, कभी इतने किसानों ने खुदकुशी नहीं की थी, वर्ष 1991 के पहले इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं हुआ, इसके पहले हमारे देश में इतने बेरोजगार नहीं थे, इसके पहले हमारे देश में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। जिस वर्ष आपने नयी आर्थिक नीति अपनायी, जब आपने नयी आर्थिक उदार नीति अपनायी, आज नयी उदार नीति के कारण कृषि पर संकट है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योग का आप विनिवेश कर रहे हैं। आपका एकमात्र मंत्र है, एफआईआई और एफडीआई। अभी आप खुदरा व्यापार का दरवाजा खोल रहे हैं। वॉलमार्ट को बुला रहे हैं, रेड कार्पोट को बिछा रहे हैं। हमारे देश की साढ़े करोड़ आबादी, जो खुदरा व्यापार के साथ जुड़ी हुयी है, उसको उखाड़ने के लिए आप अमेरिका से वॉलमार्ट को बुला रहे हैं वे किसान को सही भाव देंगे और हमारे उपभोक्ता को सस्ते में अच्छा सामान मिलेगा। हमने पहले क्या देखा? मानसेंटो को बुलाया था, तब 2 लाख 76 हजार

[श्री बसुदेव आचार्य]

किसानों ने खुदकुशी की और दस साल के अंदर मानसेंटो बीज का व्यापार करके कितना पैसा किसानों का 40 हजार करोड़ रुपए लूट कर ले गया। आज परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी है। इसलिए जरूरत है कि नीति को बदलो।

महोदय, आज हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ अमीर है, जिनकी पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जो बढ़कर तेरह हो गया, फिर यह बढ़कर पैंतालीस हो गया और अब बढ़कर छप्पन हजार करोड़ हो गया है। उनकी तमाम संपत्ति 240 बिलियन डॉलर से बढ़कर 252 बिलियन डॉलर हो गयी है, जबकि दूसरी तरफ 77 फीसदी आबादी को केवल 20 रुपए में दिन गुजारना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया है, हमारे पश्चिम बंगाल में एक करार हुआ था, चुनाव में परिवर्तन के बाद दार्जिलिंग में जो समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि हम करार करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। करार तो हुआ, त्रिपक्षीय करार हुआ, जिसमें राज्य सरकार, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और केन्द्रीय सरकार शामिल थीं। यह जो करार हुआ, उस करार में विभाजन का बीज बोया गया। ममता बनर्जी का यह कहना था कि जल्दी से जल्दी करके हम दिखायेंगे, देखो 6 महीने के अंदर दार्जिलिंग की समस्या का समाधान कर दिए, लेकिन केन्द्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, आपने क्यों नहीं देखा?

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय करार में विभाजन के बीज बोए गए। *[हिन्दी]* आज क्या हालत हो गयी है? विमल गुरुग ने बंद का ऐलान कर दिया।..*(व्यवधान)* बंद चलेगा। फिर गड़बड़, फिर वही परिस्थिति, आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि एग्रीमेंट के समय जब करार हुआ तो क्यों आपने नहीं देखा कि यह एग्रीमेंट ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। मैंने आपको काफी समय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि उसको अधिकार दिया जाए लेकिन राज्य सरकार का जिस तरह दखलअंदाज कर रहे हैं, दुर्बल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : एक महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी ने इसका जिक्र नहीं किया है। हम बारबार इस सवाल को हाउस में उठाते हैं। आज जो हमारे देश में जरूरत है - वह है चुनावी सुधार। जिस तरह से मनी पावर का प्रभाव बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

चुनाव में मनी पावर का प्रयोग। हमारे देश में तीन-चार कमेटी चुनाव सुधार के लिए बनी थी - दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इन तमाम कमेटियों की सिफारिश मनी पावर के प्रभाव को घटाने के लिए थी। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो लेकिन सरकार तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य, मैं आपको केवल आधा मिनट दे रहा हूं। मैं आपको काफी समय दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अगर हम करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम कुछ हद तक या काफी हद तक मनी पावर को कम करने में सफल होंगे। सर क्या हो रहा है? हम संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र का विस्तार करना चाहते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के बदले अब लोकतंत्र का संकुचन होगा।

[हिन्दी]

लोकतंत्र संकुचित हो रहा है जिनके पास पैसा है उनके हाथ में ही पैसा चला आएगा। इस देश के संसदीय लोकतंत्र में आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, अगर इस तरह से चलेगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर अभी 24 वक्ताओं को बोलना हैं। माननीय प्रधान मंत्री 6 बजे उत्तर देंगे। जो अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं वे इसे सभापटल रपर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कह चुका हूं कि कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब श्री के निम्माला बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा। मैंने आपको आधे घंटे का समय दिया था।

...*(व्यवधान)**

****श्री ओ.एस. मनियन** (मईलादुतुरई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा में बोलने का अवसर दिया। हमारे माननीय राष्ट्रीय को राजनीति का पुराना अनुभव है और वे राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति अत्यंत गंभीर है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के समक्ष आ रही अनेक समस्याओं और चुनौतियों का उल्लेख किया है। बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती है। उनके अभिभाषण में रोजगार सृजन का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। रोजगार की खोज में चित्रित युवा, मजदूर और अन्य विदेशों में जाते हैं और उनके भाषण में ऐसे लोगों की दयनीय स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। मूल्यों में वृद्धि लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर रही है और इस मुद्दे के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से जमा काले धन का मामला चिंता का विषय है और इस मुद्दे पर संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। यह मुद्दा काफी समय से लंबित है। उस काले धन को भारत में वापिस लाने की कोई सूचना नहीं है प्रत्येक वस्तु का लोगों में समान वितरण किया जाना चाहिए। सरकार आर्थिक असमानताओं को दूर करने के संबंध में गंभीर नहीं है। शिक्षा एक व्यापार बनती जा रही हैं। यह क्षेत्र मुख्यत: निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। पिछड़ी जाति के लोग शिक्षा से वंचित हैं इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री पुरतची थलाइबी अम्मा ने गरीब लोगों के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अलगाववाद, आतंकवाद और पड़ोसी देशों और घुसपैठ चिंता का विषय है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसका क्या समाधान है? इस बारे में क्या एहतियाती कदम उठाये जायेंगे? माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरुपुर) : माननीय सभापति मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इस अभिभाषण में कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती है। इसमें किसानों के कल्याण हेतु कोई योजना नहीं है। मानसून न आने के कारण नदियों में जल की कमी, बिजली की भारी कमी तथा कृषि उत्पादों हेतु अपर्याप्त मूल्य की वर्तमान स्थिति में माननीय राष्ट्रपति ने किसानों के कल्याण हेतु किसी योजना की घोषणा नहीं की है। यह चिंता विषय है। तमिलनाडु के किसान पड़ोसी राज्यों के साथ कावेरी, मुलई पेरियार और पल्लार नदियों के जल बंटवाई के मुद्दे के कारण प्रभावित हैं। इसका स्थायी समाधान करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। यह जानने के बाद भी कि तमिलनाडु राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी है जब दिल्ली से यह मांग की गई कि वह उत्पादित अधिक बिजली को तमिलनाडु को दे दें तो संघ सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु उसने इस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद क हिंदी रुपांतर।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सी. शिवासामी]

बिजली की आपूर्ति पाकिस्तान को कर दी। ऐसा लगता है कि भारत तमिलनाडु से ज्यादा पाकिस्तान को पसंद करता है। देश में बिजली की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रभावी पावरग्रिड रखरखाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृषि की तरह वस्त्र उद्योग भी सबसे बड़ा उद्योग है। कपास के मूल्य में उतार चढ़ाव, डालर के मूल्य में उतार चढ़ाव, बिजली कटौती, रंगाई उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं सहित अनेक कारणों से वस्त्र उद्योग काफी प्रभावित है। वस्त्र उद्योग के पुनरूद्धार अथवा वस्त्र निर्यात में वृद्धि हेतु कोई घोषणा नहीं की गई है। चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण स्थिति काफी खराब है।

संघ सरकार अक्सर पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहती है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इन समस्याओं के किसी समाधान का उल्लेख नहीं किया है। भारत जो पहले भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित था स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् एक हो गया। परंतु संघ सरकार कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को महत्व नहीं दे रही हैं। विशेषकर तमिलनाडु को भारतीय संघ का हिस्सा भी नहीं समझा जाता। संघ सरकार पर्याप्त निधियां और अनिवार्य वस्तुएं प्रदान न करके समस्याएं उत्पन्न कर रही है। राष्ट्र की एकता के लिए यह भेदभाव उचित नहीं है। तमिलनाडु सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुरतची थाल्वी अम्या के सक्षम नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। संघ सरकार को राज्य सरकार की मांगों को अस्वीकृत नहीं करना चाहिए। उन्हें तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टरों और पुलिस आयुक्तों के साथ तीन दिन बैठक करने के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री पुरतची थाल्वी अम्मा ने राज्य के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं घोषित की हैं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संघ सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की केवल एक दिन की बैठक बुलाई और देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचार सुने। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। संघ सरकार को भविष्य में ऐसी बैठकें अधिक दिन के लिए आयोजित करनी चाहिए ताकि राज्य केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें रख सकें। श्रीलंका की नौसेना तमिल मछुआरों को गिरफ्तार करती रहती हैं। मछुओरों को बंदी बना लिया जाता है और कई बार वे गोलीबारी की घटनाओं में मारे जाते हैं। यह एक निन्दनीय कृत्य है। संघ सरकार इस मुद्दे पर सौतेला रवैया रखती हैं जो निन्दनीय है। संघ सरकार ने इस देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई है। संघ सरकार केवल स्थापित व्यापारियों के विकास को ही महत्व दे रही हैं, वह युवा, लघु तथा मझोले व्यापारियों की परवाह नहीं करती। माननीय राष्ट्रपति ने ऐसी किसी महत्वपूर्ण योजना की घोषणा नहीं की है जिससे आज देश के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधियों पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह निन्दनीय है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत को महाशक्ति बनाने का कहीं उल्लेख नहीं है अपितु इसमें भारत के प्रमुख व्यवसायियों को विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनाने पर महत्व दिया है। जो चिंता का विषय है।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण प्रणाली लागू करने में यूपीए सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया है। मैं इस प्रशंसनीय कदम के लिए यूपीए सरकार को बधाई देता हूं, जो प्रशासन के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शदक साबित होगा। इस संदर्भ में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्यों/संघ राज्य सरकारों को यथा भूमिका देकर परियोजना तैयार करे ताकि परियोजना सफल हो सके।

मैं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कम संख्या में समेकित करने और योजनाओं की और लचीला बनाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपयुक्त पाई गई अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरू करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम राजस्व आबंटित करे।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि सरकार माल और सेवा कर पर सर्वसम्मति बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ कार्य कर रही हैं। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि माल और सेवा कर प्रणाली को अनिवार्य सुरक्षोपायों के साथ शुरू किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी भी प्रकार में राजस्व की कोई हानि न हो।

*मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद क हिंदी रुपांतर।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में यूरिया के 100 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता के सृजन का उल्लेख किया गया हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस उद्देश्य को यथा शीघ्र प्राप्त करने के लिए इस दिशा में पूरे प्रयास करे।

माननीय राष्ट्रपति ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा हाल ही में अपनाई गई नई राष्ट्रीय जल नीति में जल के प्रभावी उपयोग और जलवायु परिवर्तन, समदृष्टि, सामाजिक न्याय और उसे बनाए रखने की चुनौतियों के साथ जल संसाधनों की आयोजना को मिलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार को पहले से ही सिंचित क्षेत्रों में जल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने को पूरा महत्व देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक समय में उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र को अब साल में एक फसल उगाने के लिए भी पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है परंतु इतनी अधिक अन्तरराज्यीय नदी समस्याओं के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं किया गया। इसका समाधान अन्तरराज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण में हैं। तथापि, इस संबंध में सरकार की कार्यवाही में जोश की कमी हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे को यथा महत्व दे और आवश्यक प्रोत्साहन दे।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का उल्लेख हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011-12 में योजना के अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।

इस संबंध में मैं मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) योजना के तहत रोजगार पाने वाले गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने की निहायत जरूरत की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस योजना के तहत स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के वांछनीय कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।

मैं बच्चों, महिलाओं और वंचित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार की चिंताओं को दर्शाने वाली उनकी नीतिगत पहल और कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत करता हूं। सरकार का 'निर्मल भारत अभियान' के जरिए वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में साफ-सफाई का प्रबंध कराने के लक्ष्य को हासिल करने का उद्देश्य एक उत्तम पहल है। अनुसूची जाति के नौवीं व दसवीं के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजना को सरकार द्वारा तेजी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि इस योजना के ढेर सारे बहुउद्देश्यीय लाभ होंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु के राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह नोट करना काफी उत्साहजनक है कि वर्ष 2006-12 की अवधि के दौरान आई टीआई की संख्या 5,114 से बढ़कर 10,344 हो गई हैं। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विशेषकर ग्रामीण युवकों का कौशल विकास तेजी से करने के लिए देश के प्रत्येक ताल्लुका में एक आईटीआई खोला जाए। मैं ज्युडिशियल स्टैंर्डड्स एं अकाउन्टेबिलिटी बिल को इस सत्र में पुर:स्थापित करने की घोषणा का भी स्वागत करता हूं क्योंकि इसका न्यायिक सुधार और लोगों को सही न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित देश के लगभग 10 लाख बुनकरों के फायदे के लिए हथकरघा क्षेत्र में रियायती क्रेडिट योजना के संबंध में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को प्रभावी तरीके से व तेजी से लागू किया जाए; जैसाकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में गरीबी से त्रस्त बुनकर हैं जो बेहद दु:खद स्थिति में दाने-दाने को मोहताज ढेर सारी कठिनाइयों के साथ अपनी जिन्दगी जी रहे हैं।

तमिलनाडु घोर विद्युत संकट से गुजर रहा है। केन्द्र सरकार ने 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की योजना बनाई है। इन परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु में अभिप्रेत विद्युत परियोजनाओं की योजना व कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर तेजी से करे। साथ ही माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी आश्वासन दिया गया है कि कुदमकुलम में परमाणु विद्युत संयंत्र की दो इकाइयां इस वर्ष शुरू की जाएगी और परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी मांग है कि सरकार परमाणु विद्युत संयंत्रों के आस-पास ठोस कल्याणकारी विकासात्मक उपाय कर स्थानी लोगों के भय को दूर करे और संयंत्र को अतिशीघ्र चालू करे।

[श्री ए.के.एस. विजयन]

आंतरिक रूप से विस्थापित तमिल लोगों का पुनर्वास और उन्हें फिर से स्थापित करने के प्रयास समेत श्रीलंका के साथ सरकार की बातचीत के संबंध में उनकी घोषणा का उत्सुकता से इंतजार है और इसपर तमिलनाडु के लोगों की निगाह है। श्रीलंका के युद्ध-प्रभावित तमिल लोगों की दुर्दशा बहुत ही करुण है ओर इसे विस्तार से बताए जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सामान्य मानव अपनी राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठकर इन लोगों के भले का समर्थन करेगा। हालांकि भारत इस मामले में अभी तक मूकदर्शक बना रहा है। मेरी मांग है कि सरकार श्रीलंका में तमिल लोगों के शांतिपूर्ण, गरिमामय व समानता के जीवन का संरक्षण सुनिचित करने के लिए वहां की सरकार से अविलम्ब बात करे। बातचीत की इस प्रक्रिया में और तमिल लोगों के पुनर्वास में तमिलनाडु के जनप्रतिनिधियों को शामिल करे। इस संदर्भ में मैं श्रीलंकाई सेवाओं द्वारा तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों पर बारंबार हमले और उनके उत्पीड़न की समस्या को जोर-शोर से उठाना चाहता हूं। श्री लंकाई नौसेना का अत्याचार अनिश्चित काल से जारी है। भारत सरकार से हमारे निरंतर अनुरोध के बावजूद इस सरकार के रवैये में आज तक बदलाव नहीं आया है, जैसाकि इस विषय का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से एक बार फिर अनुराधे करना चाहता हूं कि वे इस समस्या का शीघ्र ही स्थायी समाधान निकाले जिससे कि हमारे मछुआरों का मत्स्य पालन अधिकार प्रभावित न हो। साथ ही, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार खाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा व कल्याण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि अभिभाषण में सेतु कनाल प्रोजेक्ट का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह सरकार जो बुनियादी संरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है, इस मसले पर पूरी गंभीरता से विचार करे और तमिलनाडु की जनता की इस चिरप्रतीक्षित मांग का कोई न कोई हल निकाले। मैं चाहता हूं कि तटीय जलमार्ग का एक उचित मॉडल तैयार किया जाए और सेतु कनाल प्रोजेक्ट के मूल सरेखण के प्रति धार्मिक विरोध से निजात पाने के लिए इसे इस परियोजना के साथ समेकित किया जाए और इस परियोजना को शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए।

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली) : मै 2012-13 के दौरान संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण स्पष्ट रूप से सरकार की नीति तथा कार्यकरण को दर्शाता है।

वर्ष 2012 के दौरान वैश्विक स्तर पर मंदी तथा वित्तीय संकट था। यद्यपि यह एक विश्वस्तरीय समस्या है, भारत व्यापक बड़े वित्तीय संकट से बच गया। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक साधनों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी कुछ नियंत्रित करता है। वैश्विक संकट के दौरान लोगों में घडबड़ाहट थी। हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुछ कम हुई है। जीडीपी वृद्धि पर उल्लेखनीय रूप से 8% से घटकर 5.4% हो गयी है। इसके बाद भी हमारी यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा उपयों का कार्यान्वयन किया है। हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि वैश्विक तथा घरेलू दोनों कारकों ने हमारे विकास को प्रभावित किया है। अपने अभिभाषण में उन्होंने रोजगार सुरक्षा, महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के बारे में लोगों की चिंता का जिक्र किया है। छात्रवृत्ति, पेंशन तथा मातृत्व लाभों जैसे लाभों को सीधे प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में अंतरित करने की योजना को यथासमय व्यापक बनाकर इसमें मजदूरी एवं खाद्य तथा रसोई गैस पर राजसहायता को भी कवर किया जाएगा। इस प्रणाली से लीकेज कम करने में सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 5 करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजगार अवसर प्रदान किया।

इस योजना के अंतर्गत पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान वेतन दिया जा रहा है ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण से सहायता मिले। इस योजना से सूखा प्रवण राज्य भी काफी लाभान्वित होते हैं।

इंदिरा आवास योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों के निर्माण में सहायता में वृद्धि की गई है।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वर्ष 2013 के दौरान 2600 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा। इससे सड़क संपर्क में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना भी गांव तथा शहर को जोड़ने में सहायक है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रपति ने यह कहा है कि सरकार महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराधों की घटनाओं के बारे में काफी चिंतित है। न्यायमूर्ति जे.एस वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध जघन्य लैंगिक अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए दंड विधान में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश तैयार किया है।

विकास दर में वृद्धि तभी की जा सकती है यदि विनिर्माण क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। उत्पादन में लगे विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीति सरल तथा सुलभ होनी चाहिए। अगर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दिया जाता है तभी स्थायितव की उम्मीद जगेगी। लैंगिक उत्पीड़न समाप्त करने के लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा तथा असली एनजीओज तथा फोरम के माध्यम से जनजागरूकता का सृजन समय की आवश्यकता है। एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए शराब की दुकानों, मादक दवाओं तथा अन्य नशीलें पदार्थों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मीडिया, सरकार, विपक्षी दामों तथा सत्ता दल को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सभी पहलुओं में "विविधता में एकता" आवश्यक है। अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने के लिए सभी का उत्तरदायित्व बनता हैं।

*श्री आधिशंकर (कल्लाकुरिचि) : मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

मैं इस गरिमापूर्ण सदन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने लाना चाहता हूं जिनका उल्लेख वर्ष 2013 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने इस परिस्थिति में सर्वोत्तम कार्य किया है। अभिभाषण में यथार्थवादी स्थिति का उल्लेख किया गया है। विकास दर कम हुई है लेकिन हम विभिन्न क्षेत्रों में मानकों से काफी पीछे नहीं हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हाल की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में काफी निराशाजनक स्थिति का चित्रण किया गया है। वर्ष 2012 के शैक्षिक अनुसंधान संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की स्कूली शिक्षा के बारे में निराशाजनक परिदृश्य चित्रित किया गया है। छात्रों के दाखिले में वृद्धि की जानी चाहिएं अत: छात्र-शिक्षक अनुपात में वृद्धि किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा, सफलता के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है। उक्त वार्षिक स्थिति रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वशिक्षा अभियान, आर.टी.ई जैसी सभी शिक्षा संबंधी योजनाओं पर नए परिप्रेक्ष्य में समग्रत; देखा जाना चाहिए।

अत:, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाए तथा शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए।

अनेक राज्य सूखाग्रस्त हैं। लेकिन सूखा एवं बाढ़ बार-बार होने वाली घटना बन गई है और मैं चाहता हूं कि सरकार को उन वार्षिक घटनाओं के समाधान के लिए एक ब्लूप्रिंट लाना चाहिए। मैं चेन्नई विमानपत्तन में नए टर्मिनल को पूरा करने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पिछले माह पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई और एक बार फिर मूल्य वृद्धि होने के संकेत हैं। एक माह के भीतर दो बार पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई है। ऐसे परिदृश्य में, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गरीब और जरूरतमंद लोग पैट्रोलियम उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को झेलते हुए अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी के मध्य सामान्य जीवन जी सकेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं, बलात्कार तथा महिलाओं के विरुद्ध पाशविक अतयाचार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 16 दिसंबर 2012 का दिल्ली गैंगरेप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की चरमसीमा है। हमारे राष्ट्रपति ने भी महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। सरकार को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए।

अनेक विधेयक जैसे खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमिअधिग्रहण विधेयक लम्बित हैं। हमें आशा है कि इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

श्रीलंका में तमिल मूल के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुर्नव्यवस्थापन और पुनर्वास का मामला तमिल लोगों तथा तमिलनाडु के लिए अत्यंत संवेदनशील मामला है। इस वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी सरकार ने केवल यह उल्लेख किया है कि श्रीलंका को इस कार्य में शामिल करने की बातचीत में प्रगति हुआ है। परंतु श्रीलंका में वास्तविकता पूर्णत: विपरीत तथा अलग है। युद्ध अपराधों के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आधिशंकर]

श्रीलंका सरकार को आड़े हाथों लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे पर अभियोग लगा कर श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमारा दल डीएमके और हमारे नेता डा. कलइंगनार करुणानिधि श्रीलंकाई तमिलों के लिए शांति, मर्यादा और समानता का जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अभी भी एक स्वप्न है।

डीएमके श्रीलंका सरकार के विरुद्ध जेनेवा में यूनाइटेड नेशन्स मानवाधिकार परिषद में यूएस द्वारा प्रायोजित संकल्प के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए यूपीए दो सरकार को आग्रह करने के पक्ष में है। तमिलनाडु में राजनैतिक दलों द्वारा श्रीलंका के तमिलों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए लगातार छिटपुट विरोध प्रदर्शन होते रहते है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निकट कुड्डालोर में एक व्यक्ति ने आत्मदाह तक कर लिया। विरोध प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई से श्रीलंकाई मिशन पर धरना देने जाने का प्रयास किया तो कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। श्रीलंका में 2009 में जातीय युद्ध के अंतिम चरणों में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ ऐसे अपराध किए गए जो कभी सुने नहीं गए थे।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जेनेवा में यू.एन.एच. आर.सी में श्रीलंकाई तमिलों के प्रति किए जाने वाले युद्ध अपराधों के लिए यूएस संकल्प का समर्थन करे।

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरी) : मैं अपने दल डीएमके की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पिछले माह की 21 तारीख को संसद की दोनों सभाओं से सदस्यों के समक्ष दिए गए गए अभिभाषण का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

चूंकि पिछले वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत कठिन वर्ष रहा, हमारे समक्ष लगातार कठिन चुनौतियों आती रही। वर्तमान में हम धीमी वृद्धि को झेल रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात कम हुआ है और आयात में वृद्धि हुई है। ग्यारहवीं योजना के दौरान हमारा जीडीपी 8% रहा। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के प्रथमार्द्ध के दौरान जीडीपी में 5.4% की अल्पवृद्धि रही जबकि पिछले दशक में यह 8% थी। यह प्रकृति खतरनाक है। सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में वृद्धि तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए सम्पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जहां तक कृषि और संबंधित क्षेत्रों का संबंध है, दसवीं योजना में यह वृद्धि 2.4% थी इसकी तुलना में ग्यारहवीं योजना के दौरान हमारी वृद्धि 3.7% थी जोकि स्वागत योग्य कदम है। कृषि उत्पादकता को सुधारने के लिए और अधिक कदम उठाए जाने चाहिएं किसानों को बीज, कीटनाशक और अन्य वस्तुएं सब्सिडी प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उन्हें फार्म तकनीकों के संबंध में उचित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए और जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, बवंडर आदि के कारण नुकसान उठाना पड़ा है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। फसल बीमा का आधार बढ़ाया जाए। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, फसलों के नष्ट हो जाने के कारण बड़ी संख्या में कसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने उनके बकाया ऋणों को माफ करने के लिए कदम उठाए हैं। परंतु उनमें से अनेक अभी भी इस योजना में कवर नहीं किए गए है अधिकांश किसान अभी भी वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं (साहूकारों) की दया पर निर्भर है चूंकि उन्हें बैंकों से फार्म लोन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

अब भी तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, प्रति एकड़ उतपादन में वृद्धि हेतु तथा रासायनिक खेती पर पूर्णनिर्भरता के स्थान पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए कोई उचित सुविधा नहीं है अकसर पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण गेहूं, द्यान, और अन्य खाद्यान्न सीएपी (खुले में ढककर) रखे जाते हैं जिन्हें तिरपाल से कवर करके धूप बरसात, तूफान में खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है और वह अनाज सड़ जाता है तथा फेंकना पड़ता है और जानवरों के खाने लायक भी नही रहता। सरकार को देश में खाद्यान्न भंडारण सुविधा सुधारने के प्रयास करने चाहिए तथा इस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को भी शमिल किया जाना चाहिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारत की भागीदारी मात्र 3% है। यदि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है तो फलों और सब्जियों की सड़ जाने की समस्या कम होगी, निर्यात और रोजगार के अवसर सुधरेंगे।

मनरेगा सरकार का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इससे लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलता है। तथापि योजना के कार्यान्वयन से कृषि की उत्पादकता में कमी आई है। कृषि क्षेत्र को मजदूर मिलने में कठिनाई होती है तथा भारी संख्या में कृषि मजदूर महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) में लग गए है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार ऐसे आवश्यक उपाय करे कि इससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

यदि यही प्रवृत्ति रही तो कृषि उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा और कृषि भूमि धीरे-धीरे आवासीय और वाणिज्यिक/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित हो जाएगी।

देश के कई हिस्सों में महिलाएं घर से अकेले बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। देश में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है और पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। पुलिस में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस लोगों के बीच के अनुपात को कम किया जाए। इसके अलावा, देश में महिला पुलिस बल को बढ़ाया जाना चाहिए और राज्यों को शीघ्रता से सभी महिला रिक्तियां भरने के निदेश देने चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में, देश के विविध भागों में एम्स जैसे अस्पताल बनाने का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए पर्याप्त निधियां निर्धारित करते हुए सरकार को देश में एम्स जैसे अस्पतालों का जल्दी स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में डॉक्टर - मरीज का अनुपात बहुत ही कम है। रिपोर्ट के अनुसार, हर 2000 की जनसंख्या पर कोई डॉक्टर नहीं है और देश में केवल 6 लाख सक्रिय एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। देश के कई स्थानों पर विशेषकर गांवों और कस्बों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं जिसके चलते उन्हें काफी समस्याएं आती हैं। पर्याप्त दवाइयों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और वहां डॉक्टरों को उपलब्ध कराया जाए तथा राज्यों को इसके लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाए। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर चिंता का विषय है। मृत्यु दरों में कमी लाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरूआती कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इन्हें ऋण लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये उद्यम ही रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन उद्योगों के मालिकों को उपयुक्त वित्तीय और अन्य संबंधित सहायता प्रदान की जाए।

सरकार को पर्यटन को बढ़ाना देना चाहिए। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। यह क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जो रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। देश में पर्यटन के लिए आने वाले बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार को और अधिक टूरिस्ट गाइडों, कम बजट वाले होटलों को बढ़ाया जाए और पर्यटन की समस्याओं संबंधी पुलिस स्टेशनों को बड़ी संख्या में वहां स्थापित किया जाए जहां अधिकतर पर्यटक घूमते हैं।

हम अत्यधिक बिजली की कमी झेल रहे हैं। क्षमता हमारी बिजली उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएं और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली उत्पादन में सुधार किया जाए। तमिलनाडु रोज़ आठ से दस घंटे की बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा हैं मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश की बिजली की स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाए और केन्द्रीय पूल से बिजली की अत्यधिक कमी वाले तमिलनाडु राज्य को बिजली आबंटित करे।

हम भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष मना रहे हैं। इस इंडस्ट्री को सुविधाएं और बढ़ाई जाएं।

***श्री एन. कृष्टप्प** (हिंदुपुर) : माननीय सभापति, बजट सत्र 2013-2014 के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पुरानी बोतल में नई शराब डालने जैसा है। उन्होंने इस देश के लोगों के हित के लिए शुरू की गई कई सरकारी योजनाओं का हवाला दिया। मुझे नहीं पता कि इस देश के लोग इन सब योजनाओं के बारे में जानते हैं या नहीं लेकिन वह इस सरकार द्वारा किए गए निरंतर घोटालों के बारे में जरूर जानते हैं। यूपीए - दो के कार्यकाल के दौरान कई घोटाले सामने आए हैं जैसे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सीडब्ल्यूजी घोटाला, कोयला घोटाला, किसान ऋण, माफी घोटाला, आदर्श घोटाला, आईसीडीएस

*मूलत: तेलुगू में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद के हिंदी रुपांतर।

[श्री एन. कृष्टप्प]

घोटाला, अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला और आईपीएल घोटाला। इस देश के लोग इन सब घोटालों से परिचित हैं।

राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और टेलीफोन संबंधी सुविधाओं को बढ़ाए जाने के बारे में बात की गई है। लेकिन, इन सब सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बिजली चाहिए जोकि आधारभूत आवश्यकता है। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करे बिना, अन्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का कोई उपयोग नहीं है। हमें इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के लोगों का अपने यहां से 32 सांसद देकर यूपीए-दो की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आन्ध्र प्रदेश में, हम 12 घंटे बिजली की कटौती झेलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के और किसी भाग में इस प्रकार की बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो आप 12 घंटे की बिजली कटौती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इंटरनेट और टेलिफोन संबंधी सुविधाओं के विस्तार की बात कर रहे हैं। ये सुविधाएं क्या करेंगी जब तक कि आप आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित नहीं करेंगे।

कृषि समुदाय अत्यधिक परेशान है। कृषकों से 7 घंटे बिजली प्रदान किए जाने का वादा किया गया था। लेकिन उन्हें दो या एक घंटे की भी बिजली नहीं मिल रही है। कृषि करने वाले लोगों को स्टार्टरों और मोटरों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। इस तरह बिना आधारभूत सुविधाओं के हमारा कृषक वर्ग बेहद खराब स्थिति से गुजर रहा है। हमारे पास पीने के पानी की एक अन्य गंभीर समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिंदुपुर में और मेरे गाँठ गोरंटला में हमें 25 दिनों में एक बार पानी मिल रहा है। हडको को पीने का पानी प्रदान करने के लिए 650 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया था लेकिन हमें एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है।

यह सरकार पीने का पानी और आधारभूत सुविधाएं देने की स्थिति में नहीं है। हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सब समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। इसके कोई संकेत नहीं है कि किस प्रकार यह सरकार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगी?

हमें कृषि परिदृश्य का पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता है। किसानों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं और हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इसको भी कोई संदर्भ नहीं मिला कि किस प्रकार सरकार किसानों में इस आत्महत्या की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करेगी? यह जानकर दुख होता है कि किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं सुझाई गई।

आंध्र प्रदेश के किसान 3 लाख एकड़ जमीन पर एक निश्चित अवधि के लिए फसल न बोने की घोषणा कर एक अप्रत्याशित कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस समस्या के समाधान के कोई संकेत नहीं मिला। आजकल, किसान पुलिस स्टेशन से उर्वरकों को खरीद रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में उर्वरक बेचे जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार हमारा लोकतंत्र हमारे किसानों की सेवा कर रहा है। बीज खरीदने के लिए हमें इससे भी खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। किसान तीन दिन तक पंक्ति में लगे होते हैं और वे पंक्ति में ही अपना खाना पकाते और खाते हैं। हमारे पास इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती।

हमें स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 18-30 वर्ष समूह के बीमारियों से पीड़ित लोगों का और उन बीमारियों के दूर करने के उपायों उल्लेख किया गया था। हमारे गांव में डेंगू और चिकनगुनिया व्यापक रूप से फैली हुई है और लोग इन बीमारियों से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। यहां तक कि बीमारी की पहचान से पहले ही लोग डेंगू से मर रहे हैं। बीमारी की पहचान में एक या दो दिन की देरी भी ग्रामीणों के लिए घातक साबित हो रही है। यह जानकर दुख होता है कि यह बीमारियां आगे बढ़ने पर पता लगती हैं और फिर उन्हें बड़े अस्पतालों को भेज दिया जाता है। जहां से उनका मृत शरीर ही वापस आता है। हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके उपचारात्मक उपायों का कोई जिक्र सुनने को नहीं मिला।

गांवों में चिकनगुनियां व्यापक स्तर पर फैलने वाला एक अन्य बुखार है। यह पाया गया कि यह बीमारी वर्ष दर वर्ष बार-बार लोगों में होती है। चिकनगुनिया को जड़ से मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बीमारी का सुझाव इलाज के कुछ महीनों बाद भी देखा जा सकताा है। जोड़ों में दर्द और शरीर में दर्द 6 माह से एक वर्ष तक रहता है। ऐसी स्थिति में, हमें सरकार के इस बीमारी को जड़ से हटाने के कोई प्रयास नहीं दिखाई देते।

सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है। कि हमारे बच्चे कुपोषण और अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। हमें बच्चों में पोषण की स्थिति सुधारने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिले। बच्चों के लिए योजनाओं में हुए घोटालों जिसमें पोषण सिर्फ कागजों पर है, को जानने के बाद हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के बच्चों को पोषण प्रदान किया जाए।

हम 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि 500रु0 तक बढ़ाए जाने का स्वागत करते हैं। लेकिन महोदय, आंध्र प्रदेश में 30 वर्ष का व्यक्ति 80 वर्ष का और 80 वर्ष का व्यक्ति 30 वर्ष का है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि वहां हजारों झूठे पेंशन के मामले हैं। केवल 53% पेंशन सही है और बाकी सब जाली पेंशन हैं। पुन: दोहराते हुए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात नही कही गई। सरकार का यह रवैया जाली पेंशनों के मामलों को बढ़ाता ही है। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार किस तरह इस स्थिति पर नियंत्रण करेगी।

सरकार को सर्वप्रथम आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती चाहिए। बुनकर और शिल्पकार हताशा में आत्महत्या कर रहे हैं। वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि परिजनों के मृत शरीर को शव परीक्षा के लिए अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। ऐसी परिस्थिति में सरकार इन्हें मुआवजा देनी की स्थिति में नहीं है। यह स्पष्ट करने का सरकार का दायित्व है कि वह किस प्राकर बुनकरों और शिल्पकारों के हितों की रक्षा करेगी।

विशेष बजट में राज्य सरकारों से समतुल्य अनुदान का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में, बुनकर किसी भी लाभ से वंचित रहेंगे। यदि राज्य सरकार समतुल्य अनुदान नहीं देती, तब बुनकरों और शिल्पकारों का भविष्य क्या होगा? इस सरकार को किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस प्रकार बुनकरों और शिल्पकारों का कल्याण करेगी?

ऐसे बहुत से जिले हैं जो आधारभूत जरूरतों जैसे पीने का पानी और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। तेलुगु देशम पार्टी द्वारा प्रस्तावित नकद अंतरण योजना को इस सरकार द्वारा हूबहू अपना लिया गया। मैं सरकार से इसके उचित रूप से कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा) : सर्वप्रथम में राष्ट्रपति जी को उनके प्रथम अभिभाषण पर बधाई देना चाहती हूं

आज हमारा देश कई सदियों के लम्बे अंतराल के बाद एक ऊंचे शिखर पर है। हमने कई क्षेत्रों में लगातार तरक्की की है परन्तु उसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं, कुछ त्रासदियां हैं, जिनको भुलाना आसान नहीं है।

यूपीए2 सरकार के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही गई थी लेकिन आज तक इसमें कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है। सिर्फ बातें ही हुई हैं और आज आर्थिक दुर्व्यवस्था और बेतहाशा महंगाई से देश की माली हालत हो गई है। सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया है और अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलबध कराने में प्रतिबद्ध नहीं है।

भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बिलकुल नाकाम रही है। सिर्फ जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने से नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो जाती। पिछले एक दशक में भ्रष्टचार संस्थागत हुआ है।

भ्रष्टाचार के चलते रक्षा सौदों में भी रिश्वत का चलन बढ़ गया है। 3600 करोड़ के सौदे में 362 करोड़ रूपये की घूस दी गई, रक्षा सौदों में घूस का मोटा माल राजनेताओं, बिचौलियों और नौकरशाहों के खाते में चला जाता है। फिर भी, आज तक किसी राजनेता को सजा देना तो दूरी की बात है, दोषी तक नहीं ठहराया गया है।

सत्र से पहले ही सरकार का बड़ा घोटला उजागर हो रहा है लेकिन अभिभाषण में इसका जिक्र कहीं नजर नहीं आता। इस सरकार ने भ्रष्टाचार को एक धारावाहिक बना दिया है। भ्रष्टाचार का आकार बढ़ा है, आवृत्ति बढ़ी है और सत्ताजनित भ्रष्टाचार मानों पंख लगाकर उड़ रहा है।

भारत में परिभाषित रक्षा नीति नहीं है। सरकार इस हद तक बेदम हो चुकी है कि पाकिस्तानी टुकड़ी द्वारा भारतीय सैनिकों के सिर कलम कर लिए जाने के बाद वह उन्हें हासिल भी नहीं कर पाती है। बुनियादी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने वाला देश प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता। क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर गंभीर है?

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयश्रीबेन पटेल]

पाकिस्तान का दरियाई बंदर ग्वादर साम्यवादी चीन को अभी देने की बात हमारे लिए चिंता का विषय है। 1962 में चीन के हमले के बाद जो कमेटी बैठाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक के बीच नहीं आती है। यह सरकार राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है और विदेश नीति पर नाकाम रही है।

कैश ट्रांसफर जल्दबाजी में लाया जा रहा है। यह 2014 का चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि देहातों में रहने वाले लोग इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। कैश ट्रांसफर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना जाए। इसके साथ ही फ्लैगशिप प्रोग्राम जो 2012 के अभिभाषण में था इसमें कोई प्रगति आज तक नहीं हुई है।

आधार नामक कहलाती अनूठी योजना बिना आधार की बन चुकी है लोगों को आधार कार्ड के लिए निवेदन करे महीनों बीत जाते हैं लेकिन उनका आधार कार्ड बनकर नहीं आता है। अभी तक केवल 48 प्रतिशत आधार कार्ड ही बन पाए है। अत: यह कहने मे कोई गलती न होगी कि यह योजना खटाई में पड़ चुकी है।

एच.आर.डी. की उच्च शिक्षा में अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था को केन्द्र बिन्दु समझा गया है, लेकिन उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग को महिला युनिवर्सिटी, मेडिकल युनिवर्सिटी, चिल्र्डन युनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। भारी खर्च के बावजूद शिक्षा में कोई क्वालिटी नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। उनका राजनीतिकरण हो गया है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने की तैयारी की गई लेकिन वही तैयारी अभी पूरी होती दिखाई देती है। गवर्नेस ऑफ एजुकेशन देश में पूरी तरह से फेल हो गई है और एजुकेशन सिस्टम नाबूत होकर इग्जामिनेशन सिस्टम बन गई है। दुनिया की 200 युनिवर्सिटी में भारत की कोई युनिवर्सिटी नहीं है। ऐसी वर्तमान केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाना चाहिए। जो एनडीए सरकार की परियोजना थी जो ठंडे बक्से में डाल दी गई है। उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्योंकि देश के 6 लाख गांवों में से आधे गांव आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। मनरेगा में उचित परिवर्तन किया जाए। इसको भ्रष्टाचार के चुंगल से छुड़वाना चाहिए।

बीआरटीएस/मैट्रो रेल परियोजना की बात सराहनीय है लेकिन इसमें त्वरित निर्णय होना चाहिए। सभी राज्यों की परियोजनाओं को त्वरित स्वीकार करना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने यह कहा कि औसत वार्षिक वृद्धि 8 प्रतिशत थी तथा पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी आई है लेकिन फिर भी देश के लोग गरीबी की मार झेलने को क्यों मजबूर हैं?

महंगाई को कम करने के लिए पैट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय कर बिल्कुल नाबूत कर देना चाहिए। लगातार बढ़ते पैट्रोलियम, डीजल और गैस के दामों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। लोगों को खाना पकाने तक को गैस उपलब्ध नहीं हो पाती है। बीपीएल की सूची में करेक्शन किया जाना चाहिए।

रेल किराया और राज्यों की परिवहन सेवाएं बल्क डीजल खरीदने की नीति से जनता पर अतिरिक्त महंगाई की मार पड़ रही है। इसमें बदलाव लाना चाहिए।

लगातार बढ़ती मंहगाई के कारण आर्थिक विकास दर 9 से घटकर 5 फीसदी ही रह गई है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी विफल साबित हो गए है। सरकार चुनाव से पहले का आखिरी बजट पेश करने जा रही है लेकिन अभिभाषण में इस पर चुप्पी साध ली गई है। कहीं इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि सरकार विकास दर कैसे बढ़ाएगी। योजनाओं का सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया, महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने का कोई फार्मुला, या भरोसा जनता को नहीं दिया गया है। चुनौतियों के मद्देनहर असुरक्षा और भय के बावजूद सरकार ने नकदी हस्तांतरण पर अपने को शाबाशी दी।

सूखे की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग सूखे के मारे पलायन कर रहे हैं, विदर-महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है, ओले, बारिश तथा सूखे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आम आदमी का पेट भरने वाले किसान की हालत आज भगवान भरोसे है। महाराष्ट्र में 200 लीटर पानी भी लोगों को राशन कार्ड पर ही मिल पाता है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि कृषि के मोर्चे पर हमें खुश होना चाहिए क्योंकि 11वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध

क्षेत्रों में विकास दर 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत रही है। इस पर मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगी कि अभी हाल की एक घटना से मन विचलित हो गया है कि हमारा की किसान भाई कर्ज के बोझ से दबकर अपनी दोनों किडनियां बेचने को मजबूर हो गया इसके बावजूद उसे उसका पैसा नहीं दिया गया है। क्या कृषि के क्षेत्र में यही विकास है? अभी हाल ही में बारिश व ओले के कारण सारी फसल बरबाद हो गई इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए। कृषि पर लोक सभा में 14 बार चर्चा हो चुकी है परंतु नतीजा वही का वही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि के क्षेत्र में कृषि भावविनियम पंच लाया जाए।

12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 'वहनीय और समावेशी विकास' के तहत 9 फीसदी विकास दर 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य जुटाने के लिए इस सरकार की कोई इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के जीडीपी में कृषि का हिस्सा 52 प्रतिशत था आज वे घटकर 14 प्रतिशत ही रह गया है यह हमारे देश की अर्थव्यवथा के लिए खतरे की घंटी है।

वर्ष 2011-12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है इसके साथ ही दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। कैमिकल वाला दूध बाजार में बिक रहा है उस पर रोक लगाई जाए। खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इस देश के युवा, आने वाले वक्त के नेता, देश का भविष्य लगातार नशे का शिकार हो रहा है। नशा बेचने की जगह-जगह दुकाने खुल रही है तंबाकू पर रोक के बावजूद बाजार में लगातार तंबाकू का व्यापार चल रहा है। इसके चुंगल में युवा धन दिन प्रतिदिन फंस रहा है।

शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी पर नशीले पदार्थ, तंबाकू की बिक्री पर रोक है परंतु असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक की पुलिस भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। कई जगहों पर तो स्कूलों से केवल 30 फुट की दूरी पर ही गुटका, पान-बीडी की दुकानें नजर आती हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए। रिहायशी इलाकों से शराब के ठेके व नशीले पदार्थों की दुकानों को दूर किया जाए।

देश के हजारों बच्चे लापता हो रहे है उनकी कोई खोज-खबर नहीं है। कानून और पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रहे हैं। बाल यौन शोषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सैक्सुअल आफिस एक्ट 2012 की धारा 28 के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित की जानी चाहिए। तथा धारा 32 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किया जाना चाहिए, परन्तु सरकार ने नटोफास्ट ट्रेक कोर्ट बनाई है। ऐसे में सरकार को निर्देश दिया जाए कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मामलों में सुनवाई के लिए विशेष अदालतें और विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए जाएं।

इतना ही नहीं देश में महिला यौन शेषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए लेकिन नतीजा सब के सब बेकार। अभी हाल ही घटित दामिनी की घटना जो 16 दिसम्बर, 2012 को घटित बलात्कार की ऐसी दर्दनाक घटना है जिसने सभी के मन को झकझोर कर रख दिया है। इस देश के कानून को इससे और ज्यादा शर्मसार कर देने जैसी कोई बात शायद ही हो।

इसके बावजूद भी देश की कई दामिनयों को बेकसूर होते हुए सब कुछ झेलना पड़ रहा है आज भी ऐसी घटनाएं रूकने का नाम नहीं लेती हैं। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है उसे अपना केस वापस लेने के लिए धमकी भरे पत्र लिखे जाते है और कानून और पुलिस दोषियों का पता तक नहीं लगा पाती। क्या ऐसे ही महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? इन बढ़ते अत्याचारों की वजह से देश की राजधानी दिल्ली को आज रेप कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा है।

मैं जानना चाहती हूं कि एक 6 साल की लड़की, 3 साल की लड़की और 6 माह की बच्ची जिसको कपड़ों का कोई अंदाज ही नहीं उसका भी बलात्कार हो जाता है और हमारा देश दोषियों को वक्त पर सजा भी नहीं दे सकता, केवल कानून का मुंह ताकता रह जाता है और भाषण में कहा जाता है कि हम नारी सुरक्षा के लिए कानून बना रहे है। देश की दामिनियों के ऊपर यह अत्याचार कब बंद होगा? कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा?

महिलाओं को सिर्फ मान-सम्मान ही नहीं वक्त पर न्याय भी मिलना चाहिए तथ गुजरात पैटर्न वाली विशेष नारी अदालतों की स्थापना करनी चाहिए। आज कई राज्यों में महिलाएं खाप पंचायतों के हवाले हैं और

[श्रीमती जयश्रीबेन पटेल]

पंचायतों के चलते न्याय का ढंग यह होता है कि समाज और रीति-रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंधे पति-पत्नी को भाई-बहन के रिश्ते को मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वह एक ही जात से संबंध रखते हैं।

आज आतंकवाद के दंश ने देश की जनता को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। आतंकवादी लगातार बम धमाके करते आ रहे हैं - 13 जुलाई, 2011 को मुंबई के जवेरी बाजार में बम धमाका, 1 सितम्बर, 2011 को राजधानी के दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमाका, 1 अगस्त, 2011 को पुणे में बम धमाका, 12 नवम्बर, 2012 को मणिपुर में बम धमाका और अब 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद में बम धमाका - सरकार लाख कोशिशों के बावजूद आतंकवाद पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। आंतकवाद के पीछे जो देश व संस्था है उसके साथ शक्ति से निपटने की इच्छाशक्ति रखनी चाहिए।

आतंकवादी घटनाओं की सूचना सरकार को दो दिन पहले ही मिल जाती है फिर भी उस पर गौर नहीं किया जाता। बम धमाकों के बाद ही गश्त व तलाशी अभियान तेज किया जाता है। जब बम धमाके हो जाते हैं तो उसके बाद सीबीआई चिंतित हो जाती है। इस गश्त व तलाशी अभियान को बम धमाकों की सूचना व जानकारी मिलने के साथ तेजल किया जाना चाहिए। माफ कीजिएगा परंतु अभिभाषण के दौरान कोल, करप्शन का मुद्दा तो जैसे भुला ही दिया गया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली है। अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश को ऐसी त्रासदियों से बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाए किए जाए तथा कानून व्यवक्था को और अधिक कड़ा बनाया जाए।

[अनुवाद]

***श्री एन.एस.वी चित्तन (डिंडीगुल):** संसद की संयुक्त बैठक में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिया गया उनका पहला अभिभाषण प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के उद्देश्यों और सफलताओं को रेखांकित करता है। इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करते हुए मैं प्रारंभिक अभिभाषण को पुनः दोहराते हुए, कि राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वह जानते है कि एक महत्त्वकांक्षी भारत उभर रहा है, एक ऐसा भारत जो अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर अवसंरचना और अधिक सुरक्षा की मांग करता है। यूपीए सरकार युवा भारतीयों की अभिलाषा को अपनी समाहित विकास योजना के द्वारा समाज के हर वर्ग, गरीब से गरीब व्यक्ति को शामिल कर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार के सीधे लाभ अंतरण प्रणाली के अद्यतन कार्यान्वयन में दिखाई देता है। इससे सरकार द्वारा प्रवर्तित लाभ जैसे छात्रवृत्ति पेंशन और मातृत्व लाभकर्ताओं के खातों में सीधे अंतरित होंगे जिसे वे अपने आधार नंबर के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। जल्द ही, योजना में मातदूरियां और भोजन तथा एलपीजी पर परिदान भी शामिल हो जाएंगे। हमारी सरकार को आत्मविश्वास है कि इस योजना से लिंकेजेज कम होंगी लाखों लोग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे और लाभकर्ता को बेहतर रूप से पहचाना जा सकेगा। राष्ट्रपति जी ने ठीक ही कहा है कि यह सबसे गरीब नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लाभ पहुचाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की प्रवृत्ति को जन्म देगी।

इस बात को जानते हुए कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी है, राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार इस धीमी गति के लिए उत्तरदायी कारकों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति अभी भी एक समस्या बनी हुई है, तथापि, यह धीरे-धीरे कम हो रही है। हालके महीनों में हुए, कुछ साकारात्ममक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति ने कोर मुद्रास्फीति में संतुलन बनाए रखने और विकास को पटरी पर लाने के बारे में, टिप्पणी की थी। कृषि के क्षेत्र में किसानों के अनवरत प्रयास व सरकार की प्रेरक नीतियों से गत दो वर्षों में लगातार 260 मिलियपन टन खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। अब चूँकि हमारी अर्थव्यव्स्था के तेजी से विकास में पर्याप्त व गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचनाओं का अभाव एक बहुत बड़ा संकट है, इसलिए सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला यह है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति व मंजूरी देने का निर्णय शीघ्र करने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का गठन और दूसरा आधारभूत परियोजनाओं के पुनर्वितपोषण के लिए निम्न लागत वाले व दीर्घकालिक संशधनों में इजाफा करने के लिए आधारभूत संरचना ऋण कोष का सृजन करना है।

---
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें सरकार द्वारा किए गए और प्रस्तावित विभिन्न उपायों का व्यापक सर्वेक्षण बताया गया है, जिन्हें उसने विकास की प्रक्रिया को अनन्य बनाने के लिए किया है, जिससे कि सामने से गरीबी पर स्थायी रूप से प्रहार किया जा सके। अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और समाज के कमजोर व दुर्बल तबके के लोगों के लिए अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं समेत सामाजिक आधारभूत संरचना में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को विधिवत् नोट किया गया है। विदेश नीति के क्षेत्र में, राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि यह नीति राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए एक माकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विधिवत् जोर इस बात पर दिया गया है। कि नई दिल्ली अर्थात् केन्द्र की सरकार की श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके तमिल लोगों को व्यवस्थित करने व उनका पुनर्वास करने और उनका शांतिपूर्ण जीवन, उनकी गरिमा व समानता को सुनिश्चित करने की कोशिशों समेत वहाँ की सरकार के साथ उनकी बातचीत में क्या प्रगति हो रही है।

यहाँ मैं पूरी विनम्रता से चाहता हूँ कि सदियों पूर्व श्रीलंका में बसी तमिल आबादी को गरिमामयी स्थिति में शांतिपूर्वक जीने और उन्हें वे काम करने देने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो वे जातीय संकट भड़कने से पहले से करते आ रहे थे। 1980 के दशक के आरंभिक काल में आए इस जातीय संकट से उनका जीवन प्रभावित हुआ था। दो दशकों की हिंसा और वैयक्तिक त्रासदी के पश्चात् श्रीलंका की तमिल आबादी के साथ अवसर की समानता और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में, बेहतर व्यवहार की जरूरत है जैसा कि सिंहली आबादी इनका उपयोग कर रही है। श्रीलंकाई तमिलों की यह चिरप्रतीक्षित माँग रही है कि सिंहली के साथ-साथ तमिल को भी राजभाषा के रूप में घोषित किया जाए। इस बात की भी पुरजोर माँग है। कि जातीय हिंसा के परिणामस्वरूप कहीं और जगह पलायन कर चुके तमिलों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से उन्हें वहाँ उनके पुनर्वास की जगह पर वापस लाया जाए जिससे कि ये विस्थापित श्रीलंका में विगत में युगत चुकी अपनी सारी समस्याओं और ऊहापोह के पश्चात् वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करें।

अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति के संसद को संबोधित अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और जैसा कि राष्ट्रपति जी ने ठीक ही इस बात की टिप्पणी की कि विश्व आज भारत की विश्वसनीय लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जान चुका है। जैसाकि राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि सरकार अपने लोकतांत्रिक ढाँचे में आर्थिक विकास की गति देने और अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अनवरत प्रयास करती रहेगी।

***शेख सैदुल हक** (वर्धमान - दुर्गापुर): राष्टपति का अभिभाषण सरकारी नीतियों का सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा होता है। पर यहां जानकर मैं निराश हूँ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, रोजगार की कमी, अशिक्षा, किसानो की दुर्दशा, बढ़ती गरीबी आदि जैसी चुनातियों से निजात पाने के लिए कोई ठोस उपाय करने में नाकाम रहा है।

जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हम पाते है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार, हमारे देश की स्थिति धीरे-धीर गिरती जा रही है। रैंकिग के आधार पर 177 देशों की सूची में इसका स्थान 128वें नम्बर पर है। हमें भारतीय होने का गर्व है। पर, हमारे लिए जो सिर झुकाने वाली बात है वह यह है कि आजादी के 63 सालों के बाद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में अशिक्षित हैं। विश्व की तकरीबन 16.5 फीसदी आबादी भारत में निवास करती है। किन्तु विश्व के कुल व्यस्क अशिक्षित लोगों में 30 फीसदी से भी अधिक लोग भारत में है। हालाँकि सरकार व्यस्क शिक्षा में, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग के लोगों में, सुधार लाने के लिए बनाए गए साक्षर भारती कार्यक्रम की बात करती है, फिर भी इसमें निर्धन व्यस्क महिला साक्षरता के स्तर में वृद्धि करने की सरकार की इच्छाशक्ति नहीं झलकती है। सभी जिलों को इस योजना के तहत कवर किया गया है और केन्द्र की ओर से आवंरित धन आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बात करती है, किन्तु इसमें भी सरकार की इसे समुचित तरीके से लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं झलकती है जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिक्षा के लिए सफल घरेलू उत्पाद की 6 फीसदी राशि खर्च करने का कहीं कोई उल्लेख

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[शेख सैदुल हक]

नहीं है। बल्कि केन्द्र सरकार जिस तरीके से चल रही है, वह शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारों को प्रोत्साहन देकर शिक्षा का व्यावसायीकरण करने जा रही है।

एक बात और है, अधिनियम तैयार करते समय तथा इसका कार्यान्वयन करते समय देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है उनमें से अधिकतर किसान हैं। लेकिन किसानों की दशा कैसी है? एक लाख सत्तर हजार से अधिक किसानों ने वर्तमान यूपीए सरकार की किसान-विरोधी नीतियों बल्कि जन-विरोधी नीतियों के कारण तथा विगत में एनडीए सरकार की नीतियों के कारण भी आत्महत्या की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में कछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसानों को विशेषकर लघु, सीमांत एवं गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा में वृद्धि करने तथा इसके साथ ही सब्सिडीयुक्त बीज एवं उर्वरक तथा विद्युत की आपूर्ति करने के लिए कोई नया निदेश नहीं दिया गया है। सरकार का उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त करने तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना तथा डीजी की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय और भी खेदजनक है, जिसका कि प्रपाती प्रभाव पड़ता है। इस सरकार द्वारा अपनाई गई उदार आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप कृषि संकट और गहरा हो गया है। एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है तथा परिवारों की ऋणग्रस्ता लगभग 48.6 प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक पहुँच गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक, पुनर्वास और पुन: स्थापन विधेयक में सरकारी संशोधन लाए गए हैं। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि भूमि गंवाने वाले किसान अपने भविष्य की आजीविका के लिए वास्तविक अर्थ में किस प्रकार लाभान्वित होंगे।

सरकार अक्सर यह दावा करती है कि धान, गेहूँ, गन्ना के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। लेकिन बढ़ती हुई लागतों के कारण किसान वास्तव में लाभान्वित नहीं हुए हैं। अगर किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हुआ होता तो ऋण के बोझ तले हजारों की संख्या में आत्महत्या नहीं करते। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य का स्वामीनाथन फार्मूला-अर्थात् - ''लाभकारी मूल्य = आगत लागत + 50 प्रतिशत'' अपनाया जाना चाहिए तथा किसानों को 4% की दर पर बैंक ऋण दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा किए बिना यूरोपीय संघ तथा जापान एवं अन्य देशों को भारत में कृषि एवं डेयरी उत्पादों के शुल्क निर्यात के लिए अनुमति देकर इन देशों में साथ मुक्त व्यापार समझौते का कार्यान्वयन कर अहितकर एवं खतरनाक कदम उठा रही है। इससे किसानों की दशा और भी खराब होगी।

सरकार नरेगा, जिसका नाम बदलकर कर मनरेगा किया गया है, पर गर्व करती है। लेकिन सरकार उन सभी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में विफल रही है जिनके लिए यह योजना है। खेदजनक यह है कि देश के कुछ भागों में योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार को गरीबों विशेषकर ग्रामीण गरीबों तथा शहरों में बस्ती (मलिन बस्ती में रहने वाले) गरीबों के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए। एपीएल तथा बीपीएल श्रेणी के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इतना अशुद्ध एवं गलत है कि इससे वास्तव में अनेक बार गरीब लोग बीपीएल श्रेणी की सूची से बाहर रह जाते हैं। वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या बताने वाला कोई विशिष्ट डाटा नहीं है। योजना आयोग के पास अलग डाटा है, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, सक्सेना समिति अथवा तेंदुलकर समिति के पास अलग डाटा है समय की आवश्यकता मांग यह है कि योजना आयोग के डाटा में सुधार किया जाना चाहिए तथा बीपीएल परिवारों के प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में खतरनाक स्तर तक वृद्धि हुयी है। सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। उससे भी बुरी-बात यह हुयी है कि सरकार ने हाल में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है, जिससे मूल्य वृद्धि में इजाफा हुआ है। मैं सरकार से यह पुरजोर आग्रह करता हूँ कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित योजना बनाए बिना इसे सर्वव्यापक बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल्यवृद्धि के नियंत्रण के उपाय रूप में सरकार को सभी कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा कमोडिटी एक्सचेंज को बंद करना चाहिए। सरकार को सभी बीपीएल परिवारों को 2

रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर 35 किग्रा खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए लेकिन अभिभाषण में 77 प्रतिशत आम आदमी, जिसकी दैनिक आमदनी 20 रूपए से कम है, को सस्ते दाम पर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है सरकार को तत्काल खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन करना चाहिए।

हमारे देश की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। नए रोजगारों के सृजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। 40 लाख से अधिक कामगारों की नौकरी छिन गई है। यहां तक कि रेलवे तथा अन्य विभाग भी अपने खाली पदों को नहीं भर रहे हैं। सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

अभिभाषण में वैश्विक आर्थिक मंदी, जिससे भारतीय उद्योग प्रभावित हुए है तथा लाखों कामगारों तथा कर्मचारियों को काम से हाथ धोना पड़ा है, के मुद्दे से निपटने के बारे में कारगर कदम लिए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि 43 करोड़ कामगारों के 95% कामगार असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जिन्हें अनऑर्गेनाइजड वर्कस सोशल सिक्युरिटी एक्ट, 2008 में सूचीबद्ध/संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि इस अधिनियम में बीपीएल परिवार से होने की शर्ते जुड़ी हुयी हैं।

अभिभाषण में देश के कई भागों में विभिन्न खनिजों की अवैध खुदाई की जांच की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अभिभाषण में काले धन का उल्लेख है लेकिन भारत में स्विस खातों में जमा किए गए काले धन को वापस लाने और खाताधारकों के नाम के प्रकटीकरण के बारे में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में वामपंथी उग्रवादियों की धमकी और खतरे को उल्लेख किया। ये खतरनाक बल मासूम लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं जिनमें से ज्यादातार आदिवासी और सुरक्षा बलों के जवान है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी यही घटित हो रहा है। हम सब को मिलकर इस वामपंथी उग्रवाद की चुनौती का सामना करना चाहिए। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कड़ा रूख अपनाते हुए इन विभाजक बलों के विरूद्ध एक संयुक्त ऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। यह उल्लेख करते हुए खेद है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो केन्द्र सरकार का भाग है और जो माओवादी गतिविधियों का समर्थन कर रही है और मेरे राज्य में इस संयुक्त ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रही है। इसकी निंदा की जानी चाहिए।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा जिसका राष्ट्रपति जी ने उल्लेख नहीं किया, वह रंगनाथ मिश्रा आयोग सिफारिशों के कार्यान्वयन का मुद्दा है। केन्द्र सरकार को इस बारे में की गई कार्यवाई प्रतिवेदन को सदन में तत्काल प्रस्तुत करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्च की सरकार के कार्यकाल में सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा जैसे कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए थे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री जी के नए सूत्रीय कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय को 15% लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन इसका सही मायनों में क्रियान्वयन नहीं किया गया।

पिछले तीन वर्षों में, सरकार 33% महिला आरक्षरण की बातर कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा कई बार यह वादा करने के बावजूद कि महिला आरक्षण विधेयक को राज्य सभा में पारित होने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह मामला अभी तक लंबित है। मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा इस विधेयक को वर्तमान बजट सत्र में सभा पटल पर रखा जाए।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों को चुका न पाने और उनके द्वारा किए गए अपमान से परेशान होकर कुछ राज्यों में पिछले कुछ महीनों से एसएचजी की महिला सदस्यों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों के एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लिखित नहीं किया गया।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के विरूद्ध जघन्य यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन करने के लिए न्यायाधीश जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अध्यादेश लाने के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन, वास्तव में सरकार ने उन सिफारिशों में बहुत बदलाव किए है। सरकार को सभी सिफारिशों को बिना बदलाव और बिना अध्यादेश के मानकर संसद में विधेयक के रूप में पेश करना चाहिए था। अभिभाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश

[शेख सैदुल हक]

की कमी और उसे जीडीपी का कम से कम 3% बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों और बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र पर विनिवेश नीति को वापस लेने के बारे में उल्लेख नहीं हुआ। इसके अलावा अभिभाषण में, गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदमों को उठाने की आवश्यकता तथा साथ में, समय की मांग के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***श्री ए.टी.नाना पाटील** : सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह माना जाता है कि यह भाषण सरकार की नीति के अंतर्गत आता है। आज देश का हर आदमी परेशान है। लगातार बढ़ती महंगाई।, रोज उजागार हो रहे भ्रष्टाचार, नक्सलवादी हिंसा, किसान आत्महत्या, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह हालात सरकार की असमर्थता को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में, यह सरकार अपनी असफलता को स्वयं ही बयान कर रही है।

सरकार की असफलता से देश में भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ रहा है। लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि आज तक सरकार ने इसकी सुध लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। गरीब के लिए केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर सरकार द्वारा छल किया जा रहा है। इसलिए अभिभाषाण में आम आद्मी से जुड़े कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। आज देश में चार से पांच राज्य सूखे से ग्रस्त हैं। विशेषकर में महाराष्ट्र राज्य की बात करता हूं, आज महाराष्ट्र के आम आदमी को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। पूरा राज्य सूखे से जल रहा है। मैं आशा कर रहा था कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा कोई तो ठोस कदम उठाने की घोषणा की जाएगी लेकिन हमें मायूसी ही हाथ लगी।

इसका मतलब साफ है कि सरकार आम आदमी के विषय में कितनी गंभीर है। मैं जिस जलगांव लोक सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर कपास और कोयले के भारी मात्रा में उत्पदान में किसानों की बड़ी भूमिका होने के बाद भी यह कपास और केला उत्पादक अपने आप को सूखी महसूस नहीं कर पाता। इसका कारण उत्पादन का लगातार बढ़ता खर्च और अनुपात में उसके उत्पादन को मिल रहा अल्प दाम है। अगर किसान लाभकारी मूल्य नहीं पायेंगे तो वह खेती कर अपना जीवनयापक सही ढंग से कैसे कर पायेंगे।

सरकार क्यों इतना इंतजार करती है? आम आदमी पूरी तरह टूट जाने या आत्महत्या करने तक सरकार को समझ में नहीं आता है और उसके बाद कोई लोक लुभावनी घोषणा कर राजनीतिक फायदा लेने की सोचती है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2008 में की गई 52 हजार करोड़ की घोषणा से किसानों के नाम पर अपने घर भरने का काम किया गया है, जैसे कि सीएजी की रिपोर्ट में इस घोटाले का उजगार हुआ है।

सरकार केवल घोषणा कर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। किसानों की ऋणमाफी के ढोल पीटे गये लेकिन इसका सही लाभ किसानों को नहीं, बैंकों को हुआ इसी तरह मेरे क्षेत्र के जलगांव रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन करने की घोषणा की गई लेकिन प्रत्यक्ष में कारवाई का अभाव है। यहां पर सामान्य सुविधाएं नदारद है, यात्रियों को परेशानियों का हर दिन सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केवल घोषणा को प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक कारवाई कदम भी उठाये।

धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर किये जा रहे वक्तव्यों में पक्ष-विपक्ष द्वारा कई मामलों को उठाया गया, लेकिन सरकार अभिभाषण को अगर नीतियों का आईना मानती है, तो सरकार बहस में जो मामले सदस्यों द्वारा सरकार के संज्ञान में लाये गये उस पर अवश्य विचार करे और उस पर तत्काल कारवाई करने के लिए उचित कदम उठाये तो ही इस बहस की सार्थकता होगी।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर) : आदरणीय सभापति महोदय, आज हम लोग यहाँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी सरकार की तरफ से बोलते हैं। सरकार जो उन्हें अभिभाषण में लिखकर देती है, वे उसे पढ़ते है। जहाँ तक मैं समझता हूं, यह भाषण भी शायद ब्यूरोकेट्स द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्योंकि व्यवहारिकता का जो ज्ञान हम सब

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संसद में समय-समय पर प्रकट करते हैं, उसका बहुत कम अंश इस भाषण में शामिल हुआ है, ऐसा मैंने महसूस किया है। मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। लोक सभा और राज्य सभा के लगभग साढ़े सात सौ जनप्रतिनिधि यहाँ अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित होते है और उनका उल्लेख करते हैं। इससे बेहतरीन कोई दूसरी प्रणाली नहीं हो सकती। हर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्र में जैसे-जैसे लोकतंत्र मज़बूत हो रहा है, तो लगातार जनता के पास जाना पड़ता है, वहाँ की समस्याएँ समझनी पड़ती हैं और वे उनका लगातार उल्लेख करते है। कल एक बहुत अच्छी बात श्री राहुल गांधी जी ने कही है कि एम. पीज और एम.एल.एज की जो भूमिका है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। हम प्रत्येक दिन जो समस्याएं उठाते है, चाहे ज़ीरो अवार हो, नियम 377 हो या हमारा शोर-शराबा हो, हमारा जो मूलभूत ढांचा है, जब तक हम उसे सुदृढ़ नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, तब तक ये सारे भाषण और बजट ऐसे ही होंगे जैसे ज़ख्म के ऊपर पट्टी बांधकर उसके ऊपर मरहम लगाया जाए। उसका सही तरीके से निराकरण नहीं हो सकता। मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ, किसान लगातार इतनी मेहनत करता है और उसका श्रेय सरकार तथा प्रशासन लेता है कि प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन किसान की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम आत्मनिर्भर भी है और निर्यात करने की स्थिति में भी है माननीय सभापति जी तथा माननीय सदस्यों को याद होगा कि धान की या गेहूँ की खरीद हो, लगातार शिकायत आती है कि क्रय-केन्द्र नहीं लगते हैं। इसका जवाव आता है कि बोरे नहीं हैं। हमारे संसद की, संसद सदस्यों की और हमारे शासन-प्रशासन की इससे ज्यादा दुखद और दयनीय स्थिति नहीं हो सकती है कि हम यह कहें कि हमारे पास बोरे नहीं हैं, इसलिए हम किसान का अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक क्षेत्र के हिसाब से समस्याओं की पहचान नहीं होगी, तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता। हर क्षेत्र की समस्या अलग-अलग है। पहाड़ की समस्या अलग है, मैदान की समस्या अलग है। जो समस्या दिल्ली में है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह मणिपुर में भी हो। हम पूरी देश के लिए योजना बनाते हैं। इस संबंध में कई बार यहाँ बात हो चुकी है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि मिड-डे-मील जारी किया जाए। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. में मिड-डे-मील के कारण बच्चों को कितना नुकसान हो रहा हैं, मैं उसका कोई फायदा नहीं समझता। ऐसी योजनाओं की पुनर्समीक्षा होनी आवश्यक है। मरनेगा से किसान की जो स्थिति है, उसके परिणम साल-दो साल बाद सामने आ जाएंगे। किसान खेती से विमुख होता जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन यह है कि हर क्षेत्र की समस्या को चिन्हित किया जाए, जनप्रतिनिधियों की बात का वज़न समझा जाए, उस पर सरकार गंभीरता से मनन करें, उसके ऊपर ऐक्शन ले और हर क्षेत्र की समस्या का समाधान अलग तरीके से हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आधारभूत ढाँचे की स्थिति यह है कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की सुरक्षा और सम्मान की है। मानव हानि से बड़ी दुनिया में कोई हानि नहीं है, लेकिन आज देश में हजारों लोग रोज एक्सीडेंट्स में मरते हैं। पहाड़ों पर रोज बसें और जीप खड्ड में गिर जाती है, खबर आती है कि 50 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, नाव पलट जाती है। हमारी प्राथमिकता उस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की होनी चाहिए। हमारे पास सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, यातायात के साधन नहीं हैं। कई बार औरतों और बच्चों को गांवो में छह-छह किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। हमने आज तक इस समस्या पर विचार नहीं किया कि हर रूट पर यातायात के साधन बना दें। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। बड़ा दुख होता है यह देखकर कि गांवों की हालत बहुत खराब हैं। वहां कीचड़ से भरी हुई सड़कें है, स्कूल में हजारों-हजार बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कीचड़ से होकर गुजरते हैं, नीचे गिर जाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में बने-बनाए बढ़िया फुटपाथ को उखाड़कर दूसरी टाइल्स लगाई गयीं। हम और आप रोज निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर, फिर से उन टाइल्स को उखाड़कर दूसरी टाइल्स लगाना शुरू किया है। ऐसी चीजें लोगों में असंतोष उत्पन्न करती हैं देश की जनता में। इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं हैं, इतना भेदभाव है। इंडिया और भारत के बीच भेदभाव की बात लगातार चल रही है चाहे शिक्षा हो, चाहे इलाज हो। इलाज, शिक्षा, सड़कों और पुलों में भेदभाव हो रहा है। अंग्रेजों ने जो पुल बनाए, उनकी मरम्मत करने की स्थिति में हम नहीं हैं। बहुत दुखद स्थिति है। प्राथमिकताएं तय करके, उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। राष्ट्रपति जी बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं और हर समस्या से परिचित हैं, उन्होंने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा बदलें।

*डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल) : मैं बजट सत्र 2013 के दौरान भारती के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गये अभिभाषण का स्वागत करता हूं एवं इसके पक्ष में अनुमोदन करता हूं। जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने भाषण के दौरान एक महत्वाकांक्षी भारत के उदय होने की बात कही है जिससे सभी को समान और अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना, अधिक सुरक्षा एवं संरक्षा व इन आकांक्षाओं के साथ-साथ हमारे देश के सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं जैसी बड़ी चुनौतियों के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और समय पर इनके समाधान के लिए आत्म विश्वास और साहस से परिपूर्ण युवा शक्ति जो कि राष्ट्र की धरोहर है, से सहयोग की भी अपेक्षा की है। मैं महामहिम जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा संसद देश के समुचित उत्थान एंव प्रगति के लिए वचनबद्ध है और यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

महामहिम द्वारा अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं वैश्विक उपलब्धियों की चर्चा में जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ छात्रवृति, पेंशन, मातृत्व लाभ, सीधे रूप से लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी, मुद्रास्फीति को धीरे-धीरे कम करना, सकल घरेलु उत्पाद की दर को बढ़ाना, मंदी से निपटना, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण एवं केन्द्रीय सरकारों को सभी राज्य सरकारों के साथ आपसी सहयोग से देश की विकास दर को बढ़ाने के लिए वचनबद्धता को दोहराया है। इसके लिए पूरा सदन आपका आभारी है।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में विकास के दर की बढ़ोतरी, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने की प्रतिबद्धता, बागवानी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण का अनुमोदन, खाद्य गोदामों के अतिरिक्त निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रात्साहित करना, यूरिया उत्पादन में आत्म निर्भरता के लिए नई निवेश नीति, त्वरित सिंचाई लाभ, नवीन राष्ट्रीय जल नीति के तहत जल संसाधनों का संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति आपकी चिंता को गंभीरता के साथ यूपीए सरकार ने स्वीकार किया है। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान देश में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेरोजगार परिवरों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, भू-अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन विधेयक में संशोधन करना, शहरी सौंदार्यकरण एवं आधारभूत संरचना के लिए चालू योजनाओं की अवधि को बढ़ाना, निर्मल भारती अभियान एवं पूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगों के पेंशन में वृद्धि का भी महामहित राष्ट्रपति जी द्वारा सराहना की गई है तथा हमारी सरकार भविष्य में भी इस तरह की आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराती है।

राष्ट्रीय महिला संशक्तिकरण, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी विधेयक, वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर पायलट परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू करना, पोलिया उन्मुलन, भ्रूण हत्या, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना, रियासती दरों पर गरीबों को ऋण प्रदान करना, बैंकिग क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत देश में रेलवे द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं को सशक्त तरीके से लागू करना, सशक्त विदेश एवं खेल नीति, पुलिस प्रशसन एवं सेना का आधुनिकीकरण के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की इन उपलब्धियों की भी सराहना की है। यूपीए सरकार इस तरही की योजनाओं को देश एवं जनहित में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित रखेगी।

जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में देश के प्रत्येक चुनौतियों एवं उपलब्धियों का बारीकी से वर्णन एवं अपील की है, समस्त यूपीए सरकार एवं संसद सदस्यों के साथ-साथ मैं इसके पक्ष में अपना मत एवं समर्थन प्रस्तुत करता हूं।

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मूल आधार महत्वाकांक्षी भारत का उदय दर्शन कराना अर्थात जिस भारत में सर्वाधिक विकल्प, बेहतर अवसर एवं अत्याधिक आधारभूत संरचनओं तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होने को निश्चित किया, साथ ही युवाओं को राष्ट्र का धरोहर माना और यह सत्य

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है जो आत्मविश्वास और साहस, जोश एवं ऊर्जा उद्यम भारत को न केवल ऊंचाइयों तक ले जायेगा एवं मजबूत भारत को हमेशा जीवित रखेगा। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी एवं भविष्य के प्रति उनकी निराशा को दूर करने के लिए सरकार को जल्द कोई नीतिगत फैसले लेकर रोजगार को सृजन कर उनके अंदर होने वाली असुरक्षा की भावना को खत्म करना होगा तभी हम एक उज्जवल भारत का निर्माण कर सकेंगे।

महिलाओं में बढ़ती असुरक्षा समाज एवं देश के लिए एक कमजोर कानून व्यवस्था एवं ठोस कदम का नीतिगत निर्णय समयावधि पर न होना सरकार की कमजोरियों को दर्शाता ही नहीं बल्कि कमियों को उजागर करता है। बच्चों में बढ़ती अपराधिक प्रवृतियों को मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी का कारण मानना न्यासंगत नहीं होगा। 11वीं योजना में कृषि के क्षेत्र में मात्र 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अधिक बढ़ोतरी में गणना करना उचित नहीं होगा क्योंकि कृषकों को सापेक्ष-मूल्य के आधार पर आज भी सरकार की कोई ठोस नीति नहीं बनी अथवा सापेक्ष मूल्य को महत्व देना ताकि कृषकों के हितों एवं उनको संरक्षरण के साथ संरक्षा के ध्यान में रखना सरकार को इसमें विशेष ध्यान में रखकर ठोस नीतिगत नियम के साथ लागू करना होगा।

शिक्षा उच्च शिक्षा पर सरकार पर ध्यान संभवत: सीमित है अथवा शिक्षा समाज देश का आधारभूत ढांचा है जिससे हम एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज को खड़ा कर सकते हैं। आज भी दूरगामी अंचलों में शिक्षा के स्तर के विस्तार की आवश्यकता है। आज के पिछड़े इलाको में आज भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विश्वविद्यालयों-मेडिकल इंजीनियरिंग विद्यालयों की आज भी भारी कमी है अथवा पिछड़ेपन का मूल कारण यही कमियां है जिसे पूरा करने एवं त्वरित पूर्ति की आवश्यकता है।

आज भी गरीबी एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या अत्यधिक है। आवास योजना का लाभ एवं मूलभूत सर्व सुविधायुक्त शुद्ध पेयजल - समग्र स्वच्छता के साथ गरीबों को आवास एवं सर्व सुविधायुक्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्णता के साथ योजनाबद्ध क्रियान्वयन करने को आवश्यक किया जाये एवं पिछड़े पंचायतों एवं नगर पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी दूरांचल गांवों एवं शहरों की स्थिति आज भी अत्यंत भयावह है। आज स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। डाक्टरों की कमी एवं अस्पतालों की कमियां संख्या में तय करना असंभव सिद्ध होता है अर्थात बढ़ती हुई बीमारियों एवं औषधियों की कमी एवं अनेक बीमारियों में आज गांवों में डेंगू-चिकनगुनिया जैसी भयावह बीमारी अपने पैर पसारने लगी है। इससे गांवो एवं छोटे शहरों को बचाना अति आवश्यक होगा, चाहे विशेष अभियान के माध्यम से ही क्यों न किया जाए।

महिला सशक्तीकरण मिशन के माध्यम से आधी आबादी में रहने वाली महिला को सशक्त करना अति आवश्यक होगा। माध्यम जो भी हो लेकिन स्वरोजगार के साथ सशक्त करना सरकार की प्राथमकिता होनी चाहिए। महिलाओं को उनके सम्मान एवं हितों की रक्षा ही नहीं उनके अधिकारों के साथ पूरे योजनबद्ध नीति के साथ क्रियान्वयन किया जाए।

विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने का सरकार का मिशन और लाभकारी सिद्ध करने के लिए पिछड़े इलाकों एवं अविकसित शहरों को प्रथम प्राथमिकता में रखकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता होगी।

बुनकरों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पिछड़े इलाके में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है एवं उनके निवेशों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका भी आवश्यक हो। सुरक्षा की दृष्टि से देश की आंतरिक एवं वाह्य सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के सीमावर्ती देशों की होने वाली गतिविधियों में सरकार को विशेष दृढ़ता एवं कटिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। रक्षा में अधिक संसाधनों एवं सैन्य बलों को बढ़ावा देना होगा। अर्थात् बजट में भी इसे अलग रखकर अधिक बढ़े आवंटन के बजट के साथ रखकर देश की सुरक्षा को मजबूत करने में आवश्यक कदम उठाने पड़ेगे।

विदेश नीति में सरकार के ठोस नीतिगत निर्णय को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा एवं रोजगार के उचित माध्यम, रोजगार को सृजन करने एवं विस्तृत योजनाबद्ध बैकलॉग की शतप्रतिशत भरने की व्यवस्था को प्राथमिकता रूप क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तभी वनवासी अनुसूचित जनजाति के वास्तविक विकास रूप को हम सही दृश्य के रूप में देख सकते हैं। किसानों के ऋण को माफ करने के

[श्रीमती ज्योति धुर्वे]

विचार का स्वागत करती हूं। आज देश की पूरी आबादी का सृजनकर्ता भरण-पोषणकर्ता कोई है तो वह किसान है अथवा महामहिम की घोषणा एवं ऋण माफी योजना किसानों को वह सारी आपदा, प्राकृतिक हो या अन्य कारण, जिस उत्पादन को प्राप्त करने एवं लाभ को उचित मूल्यांकन प्राप्त करने की वास्तविकता हो तो शायद ऋण माफी से किसानों को अन्य विभिन्न कारणों को राहत ही नहीं अपितु किसानों को जो समय पर एवं समय पर न लौटने का असमर्थता वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। यही मैं आशा करती हूं अथवा अपितु विश्वास करती हूं कि इस विचार को महामहिम अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : धन्यवाद सभा पति महोदय। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूँ और वामपंथी दलों के सदस्य होने के कारण हम लोग राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिए केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हजार से भी अधिक स्वतंत्र मजदूर संघों समेत अधिकांश सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने अड़तालीस घंटों के लिए राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आहवा्न किया था। इसे बहिष्कार करने का हमारा रूख अब इस बात से सही साबित हो रहा है। कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आम लोगों के मुद्दों को प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है और न ही इसमें जनता की आकांक्षाओं और उनकी पीड़ा पर कहीं कोई प्रकाश डाला जा सका है।

20 और 21 फरवरी को पूरा राष्ट्र में अभूतपूर्व हड़ताल हुयी थी। पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न भागों में कड़े प्रशासनिक विरोध के बावजूद भी लाखों कामगार इसमें दृढ़संकल्प होकर शामिल हुए। इसमें 40 करोड़ से कम कामकाजी कामगार शामिल नहीं हुए। हम लोगों ने संविधान की पवित्रता के आलोक में विधिवत् अवसर की कर्तव्य परायणता में शरीक होने के बजाय संघर्षरत् लोगों के साथ एक जुटता दिखाने व उनके साथ खड़े होने का निर्णय जताया था।

यदि हम अभिभाषण की विषयवस्तु पर दृष्टिपात करें तो हम स्पष्ट रूप से गुनायमान और प्रगतिशील भारत के महामहिम राष्ट्रपति की आवाज नहीं सुन सकते है, बल्कि उस सरकार की आवाज को सुन सकते है जो वित्त पूंजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में व तुच्छ घिसी-पिटी तथ्यों और निरर्थक प्रवचनों के आधार पर बनी है जिसमें जनता के भले के लिए न तो कोई और न ही मूल नीति निर्माण की कोई परिकल्पना है। इस सरकार ने न तो कोई दिशा निर्धारित की है और न हीं स्वयं का कोई आकलन किया है।

महोदय, महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खुदरा मूल्य दो अंकों में चला गया है, खाद्यान्न मूल्य में 13-36 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह सब को पता है कि देश भर में कई प्रदर्शन हुए हैं।

अपराह्न 04:00 बजे

सरकार सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को बता कर अपनी सफलता कर दावा किया करती थी जबकि सकल घरेलू उत्पाद स्वयं में लोगों को गुमराह करने वाला है। अब यह घटकर 5 फीसदी रह गयी है। पिछले वर्ष यह 6.2 फीसदी थी। यह वर्ष 2002-03 से अब तक की सबसे कम विकास दर है। यदि हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर की तुलना पिछले वर्ष की उत्पादन दर से करें तो यह पिछले वर्ष में 3.6 फीसदी की तुलना में इस वर्ष 1.8 फीसदी है।

कई बाते कही गई हैं और वे खाद्यान्न में वृद्धि का दावा कर रहे हैं। पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि खाद्यान्न के उत्पादन में 2.8 फीसदी की गिरावट आई है; चावल में 5.2 फीसदी, कपास में 4 फीसदी और गन्ना में 6.5 फीसदी की गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 फीसदी कवर करता है, में 6.6 फीसदी विकास की संभावना है, जबकि गत वर्ष यह विकास 8.2 फीसदी था। सेवा क्षेत्र में गिरावट की यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के विनाश की ओर इशारा करती है जबकि यह पहले से ही रोजगार विहीन विकास के दौर से गुजर रहा है। गिरावट के उत्तरोत्तर महीने में फैक्टरी का आउटपुट वर्ष 2012 में गिरकर 0.6 फीसदी हो गया; उत्पादन 2.7 से घटकर 1.9 फीसदी हो गया। उपभोक्ता गुड्स सेक्टर में यह 10.1 से घटकर 4.2 फीसदी हो गया है। कंज्युमर ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर यह गिरावट 5.1 की तुलना में 8.2 फीसदी दर्ज की गई है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 0.9 फीसदी तक गिरावट आई है। ये आँकड़े हैं।

महोदय, कई लाख कामगार अपने रोजगार गवाँ चुके हैं। ढाई लाख से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 42 फीसदी किसान अपनी खुद की खेती छोड़ने को इच्छुक है। उर्वरकों की कीमतें बढ़ रहीं है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। यह न तो समर्थन है और न ही यह पारिश्रमिक है। यदि हम इसकी तुलना इनपुट लागत से करें, तो इनपुट में 40 फीसदी की वृद्धि है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में महज 13 फीसदी की वृद्धि है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के अंतिम भाग में स्वामी विवेकानन्द को उद्धत किया। उन्होंने कहा था जो ताकत व बल आप चाहते हैं वह सभी स्वयं आप के अंदर ही है। इसलिए, अपना भविष्य खुद बनाए। किन्तु, उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विकल्प चुना। उन्होंने एफआईआई का विकल्प चुना। उन्होंने वालमार्ट का विकल्प चुना। उन्होंने टेस्को को विकल्प चुना। उन्होंने मॉनसेंन्टो का विकल्प चुना। यह मजाक है। मेरा मानना है कि उन्हें स्वामी विवेकानन्द के साहित्य से बखूबी अवगत होना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि बाजीगरी से भला नहीं हो सकता है। यह सरकार बाजीगरी कर रही है। और बस स्वामी विवेकानन्द को उद्धत कर रही है। यह और कुछ नहीं, केवल मजाक है।

मैं अब दूसरे भाग पर आ रहा हूँ। हम सुधार की बात कर रहे हैं। हम सुधार के खिलाफ नहीं हैं। हमने कई अवसरों पर प्रगतिशील विकास के वैकल्पिक उपाय सुझाए हैं।

पहला कि हम भूमि सुधार को समुचित तरीके से लागू करने के लिए पहले ही सुझाव दे चुके हैं। महोदय, आपकों मालूम होगा कि इस वर्ष 50,000 से भी अधिक किसानों ने अपनी पदयात्रा शुरू की है और ग्वालियर में इसे समाप्त किया है। माननीय मंत्री श्री जयराम रमेश उनसे मिले थे और उन्होंने उन्हें आशासन दिया कि सरकार समुचित भूमि सुधार के लिए अतिशीघ्र विधेयक लाने जा रही है।

अपराह्न 04:50 बजे

[**श्री इन्दरसिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

किन्तु, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी प्रतिविम्बित नहीं किया गया है। यह कुछ नहीं, केवल एक मजाक है। हमने एक सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुझाव का दिया है, पर इस बारे में यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमने घरेलू बाजार का सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है, पर इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इतना ही नहीं है। मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ। वह दोहरा खेल-खेल रही है। एक तरफ वह भू-अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यक्रम पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ भू-अधिग्रहरण और बेदखली प्रक्रिया बेरोक-टोक जारी है। एक तरफ वह खाद्य सुरक्षा विधेयक की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वह खाद्य सुरक्षा के बारे में नहीं बात कर रही है, लोगों को भोजन व सीधे लाभ नहीं मुहैया करा रही है, यह सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नुकसान पहुँचाने वाली बात है, जो व्यवस्था का एक मजाक है। इस तरह की दुमुँही बात बोली जा रही है। कमोबेश वह कुछ ऐसे तथाकथित सुधार की बात कर रही है जिससे बड़े पैमाने पर बहाष्ट्रीय कम्पनियों और वित्तीय पूंजी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य ऐसे कार्यक्रमों से काफी उत्सुक हो सकते हैं, पर हम इनके खिलाफ हैं। हम लोग बहुवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। श्रीलंका के तमिलों के प्रति आप का रूख क्या है? जम्मू और कश्मीर की समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी क्या हो रहा है? माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने इसका पहले की उल्लेख किया है। *[हिन्दी]* करार तो हुआ था लेकिन अभी करार का अकाल हो गया, अब करार का क्या मतलब है? *[अनुवाद]* फिर, क्यों नहीं यह सरकार इस मामले में नए सिरे से चर्चा व हस्तक्षेप करते हुए कोई कदम उठा रही है? यही कारण है कि यह बहुत ही दु:खद है। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण से हमें काफी निराशा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह का अभिभाषण और केन्द्र सरकार की यह आवाज उम्मीद से परे, निराशा जनक और कष्टदायक है।

[हिन्दी]

***श्री नानभाई काछडिया** (अमरेली) : महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषाण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नानभाई काछडिया]

चाहता हूं। मैं अपने संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज आजादी के 66वें साल बाद भी देश के हालात के बारे में आज जो उम्मीद लोगों की है उस पर हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं।

आज, यदि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो अभी भी लोगों के मन में डर है, और बाह्य आतंकी खतरे की प्रताड़ना हर पल लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं हमारे देश में आतंकी अपना आतंक फैला रहे हैं। हाल ही में 21 फरवरी, 2013 की घटना, एक दिल दहला देने वाली घटना है। और यदि हम कृषि की बात करें तो इसे हमारे देश की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी माना जाता है और देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता जिस पर निर्भर है उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। आज हमारे देश में गिरते हुए भूजल स्तर ने देश के किसानों को परेशान कर दिया है। आज पूरा देश विशेषकर गुजरात सूखे की मार को झेल रहा है, किसानों की सभी फसल नष्ट हो चुकी है और किसान कर्ज के बोझ से लद चुके है। इसलिए सरकार को किसानों की दशा एवं उनकी दिशा को ध्यान में रखते हुए उनके सारे ऋण को माफ कर देना चाहिए।

हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली सूखे से प्रभावित है जो एक गंभीर चिंता का विषय है, और हमारे देश में किसानों के संबंधित जितनी भी उत्पादन सामग्रियां है जैसे डीजल, पेट्रोल, उर्वरक मिट्टी का तेल एवं कीटनाशक इत्यादि जैसी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है जो एक किसान के लिए खेती करना एक चुनौती हो गया है और खाद्यन्नों की कालाबाजारी किसान के लिए एक और गंभीर संकट है।

आज देश का गिरता हुआ भूजल स्तर एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। उन गांवो में जहां लोग कुएं का पानी पीते हैं और इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं होता है और जब गरमी के दिनों में जब यह कुंआ सूख जाता है तो लोग मजबूरन तालाब के गंदे पानी को ही पीते हैं और इस प्रकार से देश में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और यह देश जो गांवों का देश कहा जाता है और वही गांव के लोग बीमारियों से जूझते रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता है तो वह स्वास्थ्य है, हमारे देश के निजी अस्पतालों को व्यवसायीकरण हो रहा है और हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है।

यह बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषाण में महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में चिंता जताई गई है, लेकिन यहां जो खान पान की चीजें जैसे दूध, घी, मिठाइयां, दही, खोया, पनीर इत्यादि में मिलावट हो रही है उसके बारे मं कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो एक बहुत ही एक गंभीर विषय है, जिसके के कारण पूरे देश में 60 प्रतिशत से अधिक बीमारियां इसी कारण होती है।

यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में शिक्षा की पद्धति में एकरूपता नहीं है और यही कारण है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के पीछे लाखों रूपये खर्च कर रहे हैं। भारत में स्कूल कॉरपोरेट शैली के आधार पर चलाये जा रहे हैं और यही कारण है कि आज एक गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा मे काफी असमानता है और यही कारण है कि आज गांव के बच्चे स्नातक की उपाधि लेकर भी बेरोजगार हैं।

जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमारा देश रोजगार की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन इस साक्षरता दर के अनुरूप रोजगार दर में वृद्धि नहीं हो पायी है। अभी भी हमारे देश में ग्रेज्युऐट, पोस्ट ग्रेज्युऐट होकर भी लोग रोजगार न मिलने के कारण न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे काम करते को तैयार हैं। जब रेलवे की बात करते हैं तो सबसे पहले सौराष्ट्र में अमरेली जिला का नाम आता है, जहों आजादी के 66 साल बाद भी रेलवे का कोई विकास नहीं हो पाया है और वहां अभी रेल मीटरगेज में चल रही है और रेलवे के सर्वे करने के बाद अभी तक कुछ जगहों जैसे गारियाधार आदि में रेलवे की पटरी तक नहीं बिछाई गई है जो एक चिंता का विषय है।

हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि ही इन सारी समस्याओं की जड़ है और यह दिन-दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है और इस तरह से देश में समस्याओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए कानून बनाये गये हैं, लेकिन यह कागजों तक ही सीमित है और यह व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पा रहा है।

इसलिए हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, कृषि एवं किसानों की सुरक्षा तथा रोजगार की व्यवस्था इत्यादि को सुदृढ़ बनाने हेतु अनूकूल नीतियां बनायी जायें ताकि हमारे देश की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।

*__श्री मुरारी लाल सिंह__ (सरगुजा) : राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में महंगाई पर चिंता जताई है। वास्तव में महंगाई आम जनता की प्रमुख समस्या बन गई है। खाद्य सुरक्षा कानून पारित होने का एलान स्वागत योग्य है। 10 करोड़ नए रोजगार के सृजन के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने पर जो दिया है। किफायती मूल्य पर दवाईयों के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति पर अमल होने से आम जनता को लाभ होगा। मुद्रास्फीति का कम होना तथा विकास दर में कमी आना चिंता का विषय है।

बीमारियों को कम करने में ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' को 'निर्मल भारत अभियान' के रूप में संशोधित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी ससुविधाएं उपलब्ध कराना है, यह सराहनीय है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम 2006 के अधीन 32 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं और लगभग 13 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवो में बिजली पहुंचाई गई जहां अभी तक बिजली नहीं थी, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई और गरीबी रेखा के नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यह प्रशंसनीय है, परन्तु विद्युतीकरण के तहत विद्युत विसरत योजनांतर्गत ऐसे मजरा-टोला को शामिल नहीं किया गया है जहां की आबादी 100 से कम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे मोहल्लों तक भी विद्युत विस्तार किया जाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है।

कृषि के क्षेत्र में विकास दर बढ़ी है। लगातार दो वर्षों में खाद्यान्न में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, परंतु अभी भी कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए तथा सिंचाई के साधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे श्रमिकों के पलायन को रोका जा सके।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*__श्री ए. सम्पत__ (अटिंगल) : यदि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण यूपीए दो सरकार की नीतियों का संकेत है तो मुझे इस पर घोर नारजगी और आपत्ति है। हमारा देश तेजी से बढ़ती हुई अत्यंत मंहगाई के तनाव से जूझ रहा है। जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.5 प्रतिशत से भी कम है। मंहगाई को नियंत्रित करने हेतु किसी ठोस कदम पर विचार नहीं किया गया है। यह राज्य द्वारा आयोजित मंहगाई है। खाना, आश्रय, नौकरी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा अभी भी अधिकांश लोगों का सपना मात्र हैं।

क्या हमें इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि भारत की 68.7 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 2 हज़ार से कम पर अपना जीवन यापन कर रही है? यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोक सभा में यह स्वीकार किया कि आधे से ज्यादा भारतीय बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और उनका वजन बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या का पूर्ण विकास नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप वे शारीरिक और मनोवैज्ञनिक विकृतियों से ग्रस्त होंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 65 वर्ष के बाद भी हम सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य कवरेज प्रदान नहीं कर पाएं हैं। यदि 'राज्य' अभी तक अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया है और अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों से दूर भागता है तो मुझे डर है कि जनता का राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।

क्षेत्रीय विषामताएं बढ़ती जा रही हैं। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी मॉडल लोगों को तंग करने और सावर्जनिक धन को लूटने का काम बन गया है। सरकारी निजी भागीदारी में सामाजिक न्याय का कोई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए. सम्पत]

स्थान नहीं है। ये लोगों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी निजी भागीदारी के विरूद्ध लोगों में अत्यंत रोष है।

आदमी और मशीन के बीच प्रतिद्वन्द के दिनों से ही हमने छद्म पूजीवाद और निगमों के लालच द्वारा सृजत असमंजस के युग में प्रवेश कर किया था जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी की दुर्दशा की शुरूआत हुई क्या सरकार को आम आदमी की चिंता हैं?

हालांकि हम विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का दावा करते हैं। परंतु हमारा सकल घरेलू उत्पाद केवल 1946.77 बिलियन डालर हैं। इसकी ब्राजील से तुलना करने पर यह पता चलता है कि वहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत से कम है परंतु वर्ष 2012 में उनका जी एन पी 2425.05 बिलियन डालर था। जिन भी राष्ट्रों ने वैश्विक आर्थिक मंदी का आघात झेला है उन्होंने सरकार के हस्तक्षेप और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिक सार्वजनिक धन का निवेश करने का आश्रय लिया। परंतु भारत सरकार अभी भी विनिवेश और आऊटसोर्लिंग तथा विद्यमान रिक्तियों को न भरके गलत नीतियों का सहारा ले रही है। भारत विनिवेन्टा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वर्ण 2001 से विभिन्न विभागों और रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विद्यमान भरती वह प्रतिबंध विनाशपूर्ण साबित हुआ हैं। इनमें विद्यमान 1.5 मिलियन रिक्तियों को हम कब भरेंगे? मीठे बोझ से मिठाई का सौदा नहीं हो जाता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी की बिक्री से प्राप्त आय हमेशा है सरकार की उम्मीद से काफी कम रही है। हमें केवल रात ही बदलाव की आवश्यकता नहीं है अपितु राजनैतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। भारत के प्रथम नागरिक द्वारा भारत की संसद की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण में इन दोनों की ही कमी है।

भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है। परंतु आज ही के रूझान इस प्राथमिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की घटती भागेदारी को दर्शाते हैं। किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि मजदूर हमेशा के लिए अपने रोजगार से वंचित होने जा रहे हैं। सरकार भूमि सुधारों हेतु अपने संवैधानिक कर्त्तव्य को लगभग भुला चुकी है। कृषि क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाए बिना इसमें कोई बड़ा परिवर्तन लाना संभव नहीं होगा। गौंण क्षेत्र में भी नौकरियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और रोजगार के विकास की तो बात ही मत कीजिए। रोजगार के अवसरों में तीव्र कमी पर भारतीय संघ के राष्ट्रपति मूक क्यों हैं? वे रोजगार का प्रयास करते वालों के बारे में मूक क्यों हैं? मल्टी ब्रान्ड रिटेलिंग सेक्टर जो अपने यहां रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है इसमें अत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए क्या औचियत्य है यह मेरी समझ में नहीं आता।

मुक्त व्यापार के बहाने से विदेशी कम्पनियों का भारत में दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। परंतु हमारे सावर्जनिक क्षेत्र के बैंको और बीमा कम्पनियों को दूसरी तरफ से संबंधित विनियामको से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। भारतीय बाजार घटिया दरजे के सस्ते आयात मात्र से भर दिया जाता हैं। हम जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को विनियमित करने में असमर्थ क्यों है लोगों के लिए खाना, आश्रय, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और बिजली आदि मंहगी हो गई है।

यह दुखद है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद भी हमें यह जानने के लिए कि हमारे देश में क्या हो गया है। विधायी निकायों की बहस और विचारवमर्थ तथा विदेशी राष्ट्रों के मीडिया पर निर्भर होना पड़ता है। यूपीए सरकार के अंतिम दिनों के दौरान भारत-अमरीका परमाणु संधि और यूपीए दो के मध्यकाल के दौरान खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसके कुछ उदाहारण हैं।

यह याद रखें कि कार्यपालिका विधांमिका के प्रति जवाबदेह है। मेरा मतलब संसद के प्रति, और इस तरह अन्ततोंगत्वा जनता के प्रति जवाब देह है।

वर्ष 1991 से भारत नई उदार आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रहा है। 'भूमंडलीकरण उदारीकरण' का उद्देश्य सामान्यतः सार्वजनिक धन व संसाधनों के निजीकरण के लिए है। मानव विकास सूचकांक में अभी हमारा स्थान विश्व के 187 देशों में 134वां है। गत वर्ष हम 119वें स्थान पर थे और अब नीचे आ गए। यहाँ तक कि श्रीलंका हमसे ऊपर है। और हमारी सरकार स्वयं ही बिना किसी वास्तविकता के आत्ममुग्घ है। मैं आज श्री हुगों चावेज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, उनकी साहसिक सेवाएँ और नेतृत्व की क्षमता आने वाली पीढ़ियों

के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगी। मानव विकास सूचकांक में वेनेजुएला का 73वां स्थान है और उसका सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क महत्वाकांक्षी नेटवर्क है।

क्या भारत सरकार उन मुद्दों पर अब तक मूकदर्शक बनी हुई है जिनसे विदेशों में कार्यरत भारतीयों को सामना करना पड़ता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनके पुनर्वास हेतु कल्याण कोष और उनके मताधिकार के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

क्या केरल की राजधानी में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ बनाने, तिरूवनन्तपुरम जिले के विजिंजम में बंदरगाह बनाने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केरल में आई आई टी खोले जाने के वायदे को ताक पर रख दिया गया है। प्राय-द्वीपीय रेलवे जोन जिसका मुख्यालय तिरूवननंतपुरम में होना है को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। तिरूवनन्तपुरम जिले के वरकला में ग्रांड ओल्ड क्लिक के संरक्षण और इसे नेशनल जियोलौजिकल पार्क के रूप में घोषित किए जाने के मामले को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान नहीं दिया गया है। ये तटीय चट्टान पूरे विश्व में अब तक के विद्यमान सबसे पुराने चट्टानों में से एक है - इनकी ऊँचाई समुद्रतल से ठीक 30 मीटर है। ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ पहला विद्रोह 1721 का अंचुतेंगु (अंजेंगो) - अट्टिंगल विद्रोह या और इसे अभी तक इस राष्ट्र से विधिवत् मान्यता नहीं मिली है। केरल और तमिलनाडु की राजधानियों को जोड़ने वाला कोटूर - अम्बासा मुद्रम अन्तरोज्यीय राजमार्ग जिससे ईंधन पर लाखों रूपए खर्च की बचत होती है की क्या स्थिति है?

परम्परागत उद्योग श्रमिकों को प्रोत्साहन देने वाले और गांवो की रीढ़ होते है। इनका आधुनिकीकरण और विविधीकरण अभी तक होना है। अन्यथा हम लोग अपनी देसी प्रौद्योगिकी के सौंदर्य और अपने देश की परम्परा को खो देंगे। परम्परागत क्षेत्र मत्स्यपालन, काजू उद्योग और पौधरोपण में कार्यरत कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हमारा समुद्र हमारे मछुआरों के लिए सुरक्षित नहीं है। राजसहायाता में कटौती करना और बड़े कॉर्पोरटों को अधिक से अधिक 'प्रोत्साहन' देने से सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा।

महिलाओं और बच्चों पर हमला गंभीर चिन्ता का विषय है और यह एक 'राष्ट्रीय शर्म' की बात बन गया है। हमारी न्यायपालिका में भी स्टाफ की कमी है। न्यायपालिका का अभी तक विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है और चुनाव सुधार समय से नहीं हो पाया है। निरंतर बढ़ते काले धन और विदेशों में गुप्त खातों में इसकी जमाखोरी से उत्पन्न खतरा सचमुच में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन गया है। जिससे आम भारतीयें का जीवन दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।

मैं अपना भाषण सोलहवें पवित्र पोप बेनेडिक्ट का अभिवादन करते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के कारण गत सप्ताह अपना कार्यभार छोड़ दिया था और इसके लिए कम उम्र के किसी नए उत्तराधिकारी का आह्वान किया था। उन्होंने एक बार कहा था "भूमंडलीकरण मानवता का पोषक नहीं है - यह मानवता के विरूद्ध है।"

[हिन्दी]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : सभापति जी, आज न केवल भारत वरन् तमाम विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरत इस बात की है कि हम गरीब किसानों, मजदूरों और आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की हिफाजत करें। यूपीए सरकार ने इन वर्गों की उन्नति की तरफ कदम बढ़ाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत गरीब मजदूरों, मजलूमों, जरूरतमंदों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके तहत नगद पैसा इन लोगों के खातों में जाएगा और इन्हें फायदा होगा। इनके पूरे हक का पैसा इन तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि बिचौलिये इनका हक बीच में मार लेते हैं। इस प्रणाली के तहत इन लोगों को पूरा हक प्राप्त हो सकेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस प्रणाली को कृषि क्षेत्र के अंदर भी लागू किया जाए। हम जानते हैं कि चाहे बीज या खाद की बात हो, ये चीजें किसान को सही समय पर नहीं मिलती है। अगर किसान के खाते में पैसा चला जाएगा तो वह भी समय से इन चीजों की खरीद कर सकेगा। राष्ट्रपति जी ने कृषि क्षेत्र के विषय में काफी सूचनाएं सदन को दी हैं और बताया है कि किसान के हित में बहुत योजनाएं हैं, इस वजह से रिकार्ड उत्पादन दूध के

[श्रीमती श्रुति चौधरी]

क्षेत्र में, अनाज उत्पादन के क्षेत्र में और फल उत्पादन के क्षेत्र में हो सका। मैं यूपीए सरकार को बधाई देती हूं, लेकिन साथ ही साथ हम भूल नहीं सकते हैं कि इस सफलता के पीछे हमारे गरीब किसानों की मेहनत है। इन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए सर्दी में, गर्मी में, बारिश में 121 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए अनाज का इंतजाम किया है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। हरियाणा और पंजाब लम्बे समय से अनाज का रिकार्ड उत्पादन करते आ रहे हैं। इस अत्याधिक खेती के कारण इन प्रदेशों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है। पानी की कमी हो गई है और गांवों का वातावरण दूषित हो गया है। मेरे स्वयं के भिवानी, महेन्द्रगढ़ क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, यहां पानी हजार से पन्द्रह सौ फुटर नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि इन प्रदेशों के लिए युद्ध स्तर पर प्रणालियों लागू की जाएं और नई योजनाएं बनाई जाएं चाहे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाटर रिचार्जिंग की बात हो, इस विषय पर नीति बनाने की जरूरत है जिससे कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी मिल सके।

जैसा मैंने कहा कि मैं दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र से आती हूं और यह इलाका रेतीला इलाका है। यहां जब सर्दी पड़ती है तो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है। ऐसे ही पिछले वाल बहुत सर्दी पड़ी, जिसके कारण हमारे किसानों की फसलों पर पाला जमा। मैं यूपीए चेयरपरसन सोनिया जी का धन्यवाद करती हूं और कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं, जिनकी वजह से पाला शब्द हमेशा के लिए प्राकृतिक आपदा में शामिल हुआ और जिसके तहत हमारे किसानों की जमीनों की स्पेशल गिरदावरी हुई और 31 करोड़ रूपया मुआवजा उनके लिए जारी हुआ। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि ये सैंक्शंड पैसा हमारे किसानो तक जल्दी पहुंचाया जाए।

इसके साथ मैं यहां भूमि अधिग्रहण के बारे में जरूर जिक्र करना चाहता हूँ जिसके लिए कानून में बदलाव लाने की जरुरत है। इसके अंदर एक प्रावधान जरुर होना चाहिए कि उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत में एक्वायर नहीं कर सकते हैं और रेयरस्ट आफ रेयर परिस्थिति में अगर वह जमीन एक्वायर हो भी गई तो उसका सही मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए।

मेरे लिए फख्र की बात है कि खिलाड़ियों की वजह से और यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से खेल नीति के कारण खेलों में देश का नाम रोशन हुआ है। मैं यहां अपने क्षेत्र भिवानी के खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करूंगी जिन्होंने बहुत मेहनत करके कॉमन वेल्थ खेल, ओलम्पिक, एशियाड खेलों में मेडल्स जीते। मैं सरकार से गुजारिशत करती हूँ और आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी स्थापित की जाए, तो ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश का गौरव और भी बढ़ाने में कामयाब होंगे। मैं एक ऐसे प्रदेश की बेटी हूं जहां लाखों जवान सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। लम्बे अंरसे से वन रैंक वन पेंशन की बात चल रही है और सरकार ने इसकी तरफ काफी कदम भी उठाए हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वन रैंक वन पेंशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

सभापति महोदय : क्या अब आप अपनी बात समाप्त करेंगी?

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी : महोदय, मैं समाप्त कर रही हूँ। महोदय, यदि मैं अपने देश की महिलाओं के लिए नहीं बोल पाई तो मैं अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में नाकाम रह जाऊँगी। इन महिलाओं के प्रति भयावह अपराध होते रहे हैं इनका यौन उत्पीड़न होता रहा है और इनकी निर्मम हत्या होती रही है। यह समय की माँग हैं कि हम इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए। इन अपराधियों के मन में कानून का भय दिखाने के लिए उन्हें कड़े से कड़े दंड दिए जाए। इस सदन से मेरा नम्र निवेदन है कि कानून में फाँसी की सजा का प्रावधान हो और ऐसे मामलों में अपवाद कतई न हो।

इस सदन की एक बड़ी विशेषता है कि इसकी अध्यक्ष महिला हैं, इसमें यूपीए की चेयरपर्सन महिला है और विपक्ष की नेता महिला है। इनमें से सभी जानी-मानी नेता हैं। ऐसे सख्त कानून बनाने और ऐसे भयानक अपराध करने वाले कुकर्मियों को कड़े संदेश देने का समय आ गया है कि उन्हें कठारेतम दंड दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मै प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट** (कच्छ) : भारत सरकार के सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति हैं, जिनसे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

निपटने में सरकार विफल रही है। वस्तुओं की प्रतिदिन बढ़ती कीमतों के इस युग में मध्यम वर्ग के एक सामान्य आदमी के लिए आरामदेह जीवन बिताना वास्तव में काफी कठिन है। अत: भारत सरकार को मुद्रास्फीति और भ्रष्टचार को रोकने के लिए कुछ और उपाय करने चाहिए। दूसरा कारक जिसमें सरकार विफल रही है। वह है महिलाओं की सुरक्षा। एक महिला संसद सदस्य होने के कारण इससे मुझे बुरा महसूस होता है कि यहां तक कि हमारी राजधानी दिल्ली भी दुनिया की सर्वाधिक असुरक्षित राजधानियों में से एक है। लोगों ने इसका विरोध किया है जो कि राजनीति में एक अच्छा संकेत है। इसके लिए काफी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भारत में तथा राज्यों एवं हमारी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। अत: मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करती हूँ कि वह इस संबंध में अधिक गंभीर रहे; कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विधेयक जैसे विधेयक लाने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपराधियों के विरूद्ध कड़े कानूनों का कार्यान्वयन अधिक सख्ती से किया जाना चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली में अनेक खामियां है तथा अनेक लाभार्थियों का इससे लाभन्वित होना कठिन होगा क्योंकि यहां तक कि अनेक भारतीय नागरिकों को आधार संख्या भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकास की गति धीमी होने का उल्लेख है, अत: सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना सरकार के समक्ष एक चुनौती है। कृषि मोर्चे पर खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि अनेक किसान आत्महत्या कर रहे हैं तथा अधिकांश राज्यों में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अनेक किसान फसल अवकाश का विकल्प चुन रहे हैं तथा यदि उन्हें बेहतर विकल्प मिलता है तो वे खेती छोड़ना चाहेंगे जो कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक गंभीर समस्या है। गन्ना तथा कपास उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन किसानों को अपने उत्पादों के लिए अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। तथा समय पर फसल बीमा भी उपलब्ध नहीं है। अत: हो सकता हैं कि भाषण काफी आशाजनक प्रतीत हो लेकिन वास्तविकता काफी अलग हैं। अत:, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूँ कि वह अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए तथा भारत के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करें।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी द्वारा 21 फरवरी 2013 को संसंद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह संसद की परम्परा रही है कि वर्ष की शुरूआत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है और उस अधिवेशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जो केन्द्र सरकार के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं और अगर वह सरकार पहले से कार्य कर रही है तो पिछले कार्यक्रमों की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 9 वर्षों से केन्द्र में यूपीए गठबंधन की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है। महंगाई, भ्रष्टाचार, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा की विफलता, विफल विदेश नीति, आत्महत्या कर रहे किसान और बेरोजगार नौजवान। इनमें से किसी भी समस्या के समाधान करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और इसलिए राष्ट्रपति जी द्वारा जब असत्य भाषण सरकार करवाती है तो मन खिन्न होता है कि कम से कम देश और दुनिया जो कुछ देख रही है, उसके अनुरूप ही अभिभाषण भी होना चाहिए। इसीलिए इस अभिभाषण के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कुछ संयुक्त अधिवेशन में कहा है, उसके अंतिम पैरा से ही मैं प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में हमें देखा जाता है जिसने अत्यन्त विषम परिस्थितियों का सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त की है। भारत की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष परम्पराओं की एक बड़ी उपलब्धि है अपनी राष्ट्रीयता और इस राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के निरन्तर नवीकरण की रक्षा हमें करनी होगी। राष्ट्रीयता के मोर्चे पर अगर कह सकें तो इस सरकार ने भारत की राष्ट्रीयता को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाई है। सरकार ने आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया है जो अत्यंत खेदजनक है। अभी देखा गया कि कसाब और अफजल को फांसी दी जाती है। ये देश के दुश्मन थे, आतंकवाद के सामने एक मैसेज जाना चाहिए था कि देश के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ेगा तो उसका अंत क्या होगा? उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए थी, आतंकवाद को इसके माध्यम से चेतावनी दी जानी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार देश के दुश्मनों को सजा भी चुपचाप देती है। और मैसेज देने में विफल रहती है। जब सरकार मज़हबी आरक्षण की बात कहती है तो देश की स्वाधीनता के सामने चुनौती पेश करती है, समाज को जाति, क्षेत्र और पंथ के नाम पर बांटने का प्रयास करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने भारत

[योगी आदित्यनाथ]

की राष्ट्रीयता के सामने चुनौती पेश की है। सरकार स्वयं भारत की राष्ट्रीयता को चुनौती दे रही है। मैंने इसीलिए इस पैरे को सबसे पहले चुना है क्योंकि राष्ट्रीयता के बगैर कोई राष्ट्र अपनी संप्रुभता को बचा सके, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दुर्भाग्य है कि अगर आज भारत की राष्ट्रीयता को खतरा किसी से है तो वह उन लोगों से हैं, जिन लोगों को राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि सब कुछ हो रहा है और हम सब तमाशबीन बने हुए हैं।

महोदय, यूपीए-2 सरकार वर्ष 2009 में आई थी, उस समय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात की चर्चा हुई थी। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई नियंत्रित की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति जी को कैसे लोग असत्य बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि 2009 से अब तक कितने 100 दिन आ गए है? महंगाई कितने गुना बढ़ी है? अब तो इन्होंने डीजल और पेट्रोल को भी फ्री कर दिया है और तेल कंपनियों को लूटने की पूरी छूट दे दी है। हर महीने दाम बढ़ रहे हैं। इस पेश में जब एनडीए की सरकार थी तब एलपीजी फ्री था। किसी उपभोक्ता को कितनी भी घर में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस लेनी होती थी, मिलती थी। आज आप उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक किसी भी गैस एजेंसी में चले जाइए, हर एजेंसी के बाहर एक लंबी लाइन दिखाई देगी। सुबह चार बजे से रात के 12 बजे तक लोगों की लाइन रसोई गैस सिलेंडर के लिए लगी होगी। आखिर कौन सा प्रलय आ गया है? एनडीए सरकार 200 रूपए में सिलेंडर दे सकती थी और आज सब्सिडी समाप्त करने के बाद भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सरकार आम उपभोक्ताओं के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। ब्लैक हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभावितक है कि आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी प्रभावित होगा। सरकार महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाई है।

महोदय, सरकार द्वारा बातें कही जा रही है कि महंगाई को नियंत्रित करेंगे, देश में कल्याणकारी योजनाओं को सृजन किया गया है। मुझे लगता है कि यह गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। देश का दुर्भाग्य है। कि जो किसान 125 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वे आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिलता है, समय पर बीज और खाद नहीं मिलता है। देश में धान और गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति क्या थी, यह हर व्यक्ति जानता है। इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सबने देखा है। कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ जवानों के साथ सीमाओं पर क्या हो रहा है। अब तो हम पाकिस्तान को चेतावनी भी नहीं दे पा रहे हैं और न ही इस देश के उस भ्रष्ट तंत्र को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भारत के सामने आत्समर्पण किया था। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था, आज पाकिस्तान के कुछ कायर सैनिक भारत के जवानों के सिर काटकर ले जाते हैं और तब भी भारत सरकार मौन बनी रहती है। आज यह स्थिति आ चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर देश को अपमानित कर रही है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार सृजन की बात हुई थी। दस महीने से उत्तर प्रदेश में मनरेगा का एक पैसा भी नहीं गया है। ऐसे कौन से पांच करोड़ लोग हैं, जिन्हें इस सरकार ने रोजगार दिया है। महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जाने वाली इस स्कीम का बड़ा ढोल पीटा गया था और जब इसकी सही मायने मे जांच होगी तो आज जैसे कर्ज माफी योजना की पोल सीएजी ने खोली है, उसी प्रकार के मनरेगा के मामले में भी यही भ्रष्टाचार सामने आयेगा। मनरेगा में भ्रष्टाचार की बातें बहुत दिनों से हो रही हैं और दस महीने से उत्तर प्रदेश में इसका पैसा ही नहीं गया। जिन लोगों को रोजगार देने की बात थी जो केवल मनरेगा के आधार पर ले कि मनरेगा आयेगा और हमें रोजगार देगा, क्या वे लोग अब तक भूखों नहीं मर गये होते, अगर वे मनरेगा के ही भरोसे रहते।

इन्होंने विद्युतीकरण की बात की। इस देश के अंदर तीस प्रतिशत ऐसे गांव हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। इसे देश के अंदर पचास प्रतिशत ऐसे गांव है, जहां पांच घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। फिर सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यों कर रही है। देश के मुश्किल से दो-तीन राज्य ऐसे हैं, जिनमें बिजली की आपूर्ति ठीक है, बाकी देश की स्थिति क्या है आप अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली को ही देख लीजिए, यहां भी बिजली की बड़ी खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश के अंदर आठ से दस घंटे बमुश्किल बिजली मिलती है। आज बिजली लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई है। यदि बिजली नहीं होगी तो विकास की अन्य संभावनाओं के बारे में कैसे कहा जा सकता है।

इसी प्रकार से इस सरकार ने अभिभाषण के पैरा-5 में डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की बात की है और उसके लिए आधार कार्ड की बात की है। एनडीए सरकार में यूआईडी की बात हुई थी। मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे देश में होना भी चाहिए। भारत दुनिया का जितना बड़ा लोकतंत्र है, जितनी बड़ी भारत की आबादी है और इस देश में जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा जो घुसपैठ हो रही है, बांगलादेश के लगभग तीन करोड़ घुसपैठिये भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ हो रही है। नेपाल और भारत की खुली सीमा का लाभ उठाकर देश में लगातार घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ की इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक था कि भारत के हर नागरिक के लिए एक पहचान पत्र बनता और उस पहचान पत्र के आधार पर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से आधार पर देश की मतगणना सूची को बनाया जाता। आज भारत की मतगणना सूची पचास प्रतिशत फर्जी है, उसमें फर्जी मतदाता हैं। उसके लिए चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। उसको मतलब भी नहीं है, क्योंकि वह चुनाव के समय जागता है। उसी प्रकार से सरकार को भी उसकी कोई चिंता नहीं है। होना यह चाहिए था कि जब तक भारत का पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं होगा, तब तक आप जो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो सब्सिडी का लाभ देंगे, जो पेंशन का लाभ देंगे, जो मातृत्व का लाभ देंगे या अन्य सुविधाएं चाहे वह एलपीजी की सब्सिडी हो, खाद्यान्न की हो, उनका लाभ आप उस अंतिम व्यक्ति, आम आदमी तक कैसे पहुंचायेंगे। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आधार कार्ड पहले पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को दीजिए। उसमें किसी भी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश न हो, इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए और फिर एक पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को देकर उसके आधार पर सब्सिडी का लाभ इस देश के आम आदमी को मिलेगा तो वह लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा यह सपना सपना ही बना रहेगा। आपने अभी तक केवल बीस लाख लोगों को कार्ड दिये हैं, जबकि भारत की आबादी 120 करोड़ है, फिर बाकी लोग क्या करेंगे, आप उन तक सब्सिडी का लाभ कैसे पहुंचायेंगे। इसलिए सरकार अनावश्यक सपने दिखाने की बजाय वास्तविकता पर उतरे, वास्तविक धरातल पर रहकर काम करे तो अच्छा रहता।

महोदय, विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं। भारत की अन्य नीतियों की विफलता के साथ-साथ विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत पूरी तरह से विफल रहा है। आज भारत के अपने पड़ोस के किसी भी देश से अच्छे संबंध नहीं हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के जन्मजात दुश्मन हैं। स्वाभाविक रूप से इनसे मित्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन चीन भी हमें बराबर धमकी देता रहता है, चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करता है हम मौन हो जाते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, अभी मालदीव में क्या हुआ। अभी हाल ही की मालदीव की घटना है। इसके अलावा एक सांझी विरासत का दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल आज हम सबकी और मैं कहता हूं कि यूपीए सरकार की कमियों और इसकी विफल और भारत विरोधी गलत नीतियों के कारण, विफल विदेश नीति के कारण वह भारत का एक विरोधी राष्ट्र बन चुका है। भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : योगी जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है।

योगी आदित्यनाथ : सर, मैं केवल दो-तीन मिनट और बोलूंगा। विदेश मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज नेपाल के अंदर क्या हो रहा है? अप्रैल से लेकर फरवरी तक हिजबुल मुजाहिद्दीन के 75 आतंकवादी चार अलग-अलग खेपों में भारत के अंदर घुसते हैं। हिजबुल मुजाहिद्दीन या फिर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के लिए आज नेपाल और नेपाल के माध्यम से भारत में घुसना एक आसान रास्ता हो चुका है। वे आतंकवादी भारत के अंदर घुस रहे हैं। जब उन्हें सीमा के अंदर पकड़ा जाता है, तब उन्हें जेल के अंदर बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उनका पुनर्वास करने के लिए कश्मीर में भेज दिया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद स्थिति है। इस देश में आतंकवादियों का पुनर्वास किया जा रहा है। यूपीए सरकार द्वारा आतंकवादियों का पुनर्वास किया जाता है और कश्मीरी पण्डित पिछले 23-24 वर्षों से देश के अंदर खानाबदोश की जिंदी जीने को मजबूर हैं। उनके पुनर्वास के बारे में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम

[योगी आदित्यनाथ]

से कहना चाह रहा हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के माध्यम से जो बातें इन्होंने कही हैं, उनमें सत्यता का ज़रा भी अंश नहीं है। बंग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? महोदय, बंग्लादेश के अंदर पिछले दस-पंद्रह दिनों से क्या कुछ हो रहा है? वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू मारा जा रहा है। भारत सरकार मौन है। वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और भारत सरकार मौन है। महामहिम राष्ट्रपति जी बंग्लादेश में है और तब वहां पर हिंदु मारे जा रहे हैं तब भी भाारत सरकार मौन है। आखिर इसको आप क्या कहेंगे? क्या हिंदुओं को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? पाकिस्तान में मारे गए, बंग्लादेश में मारे जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। श्रीलंका के अंदर तमिल मूल के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार उसमें भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां बंग्लादेश की घुसपैठ को रोकने की प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो चुकी है। जो घुसपैठिए भारत के अंदर आ चुके हैं, जहां उन्हें वापस करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं साथ ही साथ बंग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका या दुनिया में कही भी भारतीय मूल के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। यह किसी भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। यह अपेक्षा भारत की जनता करना चाहती हैं।

महोदय, सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार पूरी तहर लापरवाही बरत रही है। हम लोग भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करते हैं। आप चले जाइए, पिछले 18 वर्षों से नेपाल माओवादी हिंसा को झेल रहा है और तब भी नेपाल की सड़कें भारत से अच्छी हैं। आप भारत के अंदर देखिए। लगभग चौदह नाके हैं, जो नेपाल के अंदर भारत की ओर से जाते हैं और एक की भी सड़क ठीक नहीं है। आप नेपाल सीमा से पचास किलोमीटर की दूरी को देखिए, चलने लायक सड़कें नहीं है। यह सीमा प्रबंधन है। यह नेपाल के साथ है। चीन, पाकिस्तान और बंग्लादेश तथा अन्य जगह जुड़ी हुई सीमाओं की क्या स्थिति होगी? हमारा सीमा प्रबंधन अत्यंत खतरनाक है, खराब है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार निवेदित करते हैं लेकिनप सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से भी असत्य भाषण संसद के अधिवेशन में करवाया है। इसलिए इस सरकार के इन कार्यों को किसी भी बारे में भी समर्थन करना हम लोगों के लिए अत्यंत कठिन होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : भारत के महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मार्गदर्शक साधन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अर्थव्यवस्था के विकास, निवेश हेतु प्रोत्साहन, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा इसी प्रकार की अन्य बातों पर बल दिया गया है।

हाल में देश में समग्र वृद्धि हुई है। हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा सरकार अर्थव्यवस्था में पुनः जान डालने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। हमारे लिए चिंता का कारण हमारी औद्योगिक वृद्धि में गिरावट है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक देश के रूप में भारत विदेशों से वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है। हमें यह देखना होगा कि हमारे औद्योगिक उत्परादन में वृद्धि हो तथा भारतीय उद्योग विश्व को अपने लिए एक बाजार के रूप में देखे जैसा कि कई अन्य देश करते हैं। सरकार को उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिनसे हमारे औद्योगिक कार्यकलाप की वृद्धि में रूकावट आती हे। उद्यमियों को वाजिब सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमें औद्योगिक कार्यकलापों में लगे हमारे सभी जिलों को किसी प्रकार कवर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में सहायता मिलगी, बल्कि इससे लोगों को रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी।

हमारी चिंता का एक अन्य क्षेत्र हमारे कृषि कार्यकलापों में गिरावट का रूझान है। आज हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन यदि आप वास्तविक कृषि के आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वर्ष - दर - वर्ष कमी आ रही है। इसके कई कारण हैं। कृषि के लिए आवश्यक सभी इन पुटस की लागत में कई गुणा वृद्धि हुई है तथा प्रतिलाभ काफी उत्साहजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्राकृतिक आपदा कर डर भी रहता है। यहां मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि कृषि भूमि को कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, जिसे रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे पास कृषि के लिए कृषि भूमि कम पड़ जाएगी। कृषि में सकल घरेलू उत्पाद में चार प्रतिशत की वृद्धि का हमारा लक्ष्य है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि यह हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें क्योंकि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि कार्यकलापों पर निर्भर है।

जबकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि सरकार दोनों इंदिरा आवास योजना का विस्तार सभी छोटे और मंझोले शहरों के लिए कर रही है, यहां मैं यह उल्लेख करनना चाहता हूँ कि इन योजनाओं के अंर्तगत लोगों को स्वीकृत की गई राशि काफी कम है तथा इस राशि से कोई आवास के लिए भुगतान नहीं कर सकता है। अत:, सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत राशि में वृद्धि करने के बारे में विचार कर सकती है। जैसा कि हम कहते रहे हैं कि बच्चे भविष्य के नेता तथा इस देश की उम्मीद हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जो एक दिन विश्व का मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है तथा यह अनेक विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मामले में नहीं है। हमारे यहां स्कूलों एवं कालेजों में नामांकनो में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है। भारतीय युवा चुनौती का सामना करने कि लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे युवा छात्रों के बेहतर जीवन निर्माण का दायित्व सरकार पर है। आज लाखों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अनेक धनराशि की कमी के कारण निराश हो जाते है। ऐसा नहीं है कि हमने छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कि ही है। लेकिन ऐसी शिकायतें हैं कि बैंक जरूरतमंद छात्रों को ऋण नहीं दे रहे हैं। इसलिए इन विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हमें नाबार्ड जैसे संगठनों का गठन करना चाहिए जो अकेले ही इस मामले से निपट सकता है।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ रिश्तों में सुधार हो रहा हैं दोनों देशों के रिश्ते तभी सुधार सकते हैं जब दोनों देश एक दूसरे की समस्याएं समझेंगे। श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों के बारे में, मुझे यह कहते हुए खेद है कि श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंकाई तमिलों को जंग करने के लिए बाध्य किया और श्रीलंकाई सेना द्वारा तमिल समुदाय के लोगों को मरवाकर उनकी संख्या कम की। पूरी दुनिया इस कत्लेआम से चिंतित है। संयुक्त राज्य अमेरिका निरपराध तमिलो के प्रति युद्ध अपराध और उनके मानवाधिकारों का हनन करने के लिए श्रीलंका के विरूद्ध एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। मुझे अत्यंत खेद है कि जिस देश से कई सौ वर्ष पूर्व तमिल श्रीलंका गए थे, उस देश को श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के मानवाधिकारों का हनन करने वाली श्रीलंका सरकार के विरूद्ध कोई प्रस्ताव लाने का अभी तक नहीं मिला न ही उसमें प्रस्ताव लाने का कोई इरादा ही किया। लेकिन हमें खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिशा में कदम उठाया है। जब पूरी दुनिया ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति, महिंद्रा राजपक्षे की तानाशाह वाली नीतियों का संज्ञान लिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी के और पर निंदा की हम यह समक्ष नहीं पा रहे कि क्यों हमारी सरकार श्रीलंका सरकार के विरूद्ध संकल्प नहीं लाई क्यों हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखने में हिचकिचा रही है। कब भारत उस आदमी को समझेगा जिसके चेहरे पर तो मुस्कान है लेकिन उसने अपने दिल में श्रीलंकाई तमिलों के प्रति जहर भरी प्रतिशोध की भावना पाल रखी है? चैनल 4 ने अभी - अभी मासूम तमिल लोगों के विरूद्ध श्रीलंकाई सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराध के चित्र दिखाए हैं। उसमें से एक चित्र दिखायें। एक 12 वर्ष के मासूम लड़के बालचंदन की नृशंस हत्या से संबंधित है, जो कि प्रभारकरन का कनिष्ठ बेटा था। लेकिन हमारे माननीय विदेश मंत्री कहते हैं इसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। हमें लगता है कि हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है।

हम यह नहीं भूल सकते कि सिर्फ एक दिन में श्रीलंकाई सरकार से 40,000 से अधिक तमिल लोग, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े शामिल हैं, का कत्लेआम किया था। अब तक उनके द्वारा 2 लाख तमिल लोग मारे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट भी सामने आई हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों को तमिलीयान लोगों को ढूंढ ही नहीं पाई। एक समय पर जो जगह पहले तमिल लोगों से भरी होती थी वह अब मरूस्थल जैसा लगता है, और किसी को भी उनका अता-पता मालूम नहीं है। हमारी सरकार द्वारा प्रदान की गई विधियां सिंहली लोगों को जा रही है। अत: मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि

[श्री आर. थामराईसेलवन]

वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मापवाधिकार आयोग के समक्ष महिंद्रा राजपक्षे द्वारा मासूम श्रीलंकाई तमिलों के प्रतियुद्ध अपराध उनके मानवाधिकारों का हनन और तमिलों के सामूहिक नरसंहार के लिए उसकी न्यायिक जांच हेतु एक प्रस्ताव पेश करे और साथ-साथ यूएनएचआसी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव का समर्थन भी करे

[हिन्दी]

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार, पश्चिम बंगाल है। वह सीमांत इलाका है बंग्लादेश से लगता हुआ इलाका है। आजादी का 65वां वर्ष चल रहा है। हमारे जलपाइगुड़ी और कूच बिहार की जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वह एंक्लेव लैण्ड और चित महल है। उधर का जो नागरिक है, उसको कोई ह्यूमैनिटी नहीं मिली है। शिक्षा नहीं मिली है, व्यवस्था नहीं मिला, उसके कुछ नहीं मिल रहा है। आज उसकी दुनिया अधर में हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर हमारा वक्तव्य यह है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति कल से बंग्लादेश के लिए गए हैं। दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति कल से बंग्लादेश के लिए गए हैं। दोनों देशों की सरकारो के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति जी कल देश लौट आये। मेरी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी चित महल विनियम करें, दोनों देश साथ मिलकर चित महल विनियम करें, क्योंकि सरकार की तरफ से यही रिपोर्ट रहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। चित महल विनिमय न होने के कारण ही घुसपैठ होती है। इंडिया में कोई घटना घटती है तो जो आतंकवादी हैं, वे घटना करके उधर आश्रय लेते हैं। बांग्लादेश में कोई आतंकवादी घटना घटे तो वह इंक्लेव में आश्रय लेता है क्योंकि उसकी कोई कानून व्यवस्था नहीं हैं घुसपैठ सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं हैं, हमारे देश के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं, हमारे बीच में नेपाल है, बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, नेपाल से भी घुसपैठ होती है। कोई भी आतंकवादी संगठन हो, हिजबुल हो, मुजाहिद हो, माओवादी हो, अन्य कोई आतंकवादी संगठन हो, घुसपैठ नेपाल से भी होती है। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के बारे में कहा है, हमारे देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हमारे देश के ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। गांव में बिजली पहुंची, सब गांवों में बिजली पहुंची, ऐसा सारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, लेकिन आप देखेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। अभी गांव में जायेंगे तो आज देश की आज़ादी के 65 साल के बाद भी बहुत से ग्राम ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं मिलती है, लोग अंधेरे में रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में लेबर के बारे में बोला हैं, आधार कार्ड के बारे में बोला है, बीपीएल कार्ड के बारे में बोला है, बहुत से परिवारों को अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं मिला है। सारे गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी-अच्छी योजनाएं बनायी जाती हैं, लेकिन सभी गरीब लोगों तक वे सुविधायें नहीं पहुंच पाती हैं। आप देखिये, ह्यूमन राइट्स की, हमारे एजुकेशन चाइल्ड राइट की, नेशनल लेवल की जो रिपोर्ट आ रही है, सारे विश्व की जो रिपोर्ट आ रही है, इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट आती है, चाइल्ड एजुकेशन हेल्प के बारे में रिपोर्ट आती है, हमारे देश की सेंसेटिव अवस्था बनी हुयी है। हमारे देश में सबको नहीं मिल रही है। ज्यादातर गांवो में बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और खाने के बिना, पेट की भूख के कारण वह काम में लग जाता है। हमारे देश में स्कूलों से बच्चों का ड्रॉपआउट बहुत हो रहा है। देश की आजादी के 65 साल के बाद जितने सुकून से हमारी जनता को जीना चाहिए था, उसे उतना सुकूल नहीं मिल रहा है।

हम पार्लियामेंट में अच्छी-अच्छी योजनाएं बनाते हैं। आज सुबह जो चर्चा हुई थी, वर्ष 2008-09 में किसान ऋण माफी की जो योजना बनायी थी, शून्य प्रहर में यह मामला उठाया गया था, देश के किसान के बारे में यहां योजना बनायी जाती है, लेकिन देश के छोटे और सीमान्त किसानों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इतना घोटाला हमारे देश में होता है। आप देखिये वर्ष 2009 से 2013 तक जितनी भी चर्चा हुई, हाउस ज्यादा दिन नहीं चलता है। पिछले 21 फरवरी को हमारा यह बजट सत्र शुरू हुआ, आज 6 तारीख है, आप देखिये हाउस ठीक से नहीं चल रहा है। पिछले दो दिन से घोटाले का मामला उठाया जा रहा है, देश की कानून व्यवस्था पंगु है। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का विरोध तो नहीं कर सकता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं समर्थन भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जितनी उन्नति, जितना उजाला 65 साल की आजादी के बाद देश में होना चाहिए,

उतना नहीं हुआ है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत) : राष्ट्रपति जी के भाषण में इस संसद को एवं देश की जनता को बहुत अपेक्षा थी पर जिस तरह केन्द्र में कांग्रेस एवं मित्रों द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद जनता को दरकिनार कर दिया गया, उसी प्रकार इस अभिभाषण में भी जनता की सुलगती समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण राष्ट्रपति की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा है।

जनता मंहगाई से जूझ रही है पर अभिभाषण में उसे इस राक्षस के पंजे से आजाद कराने का कोई मार्ग, कोई मंशा इस अभिभाषण में दिखाई नहीं दी। न तो सरकार को जनता की इन समस्याओं के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई दी। सरकार जनता को लुभाने हेतु उसे एक से एक बढ़िया वायदे करती है। चन्दामामा दूर के ... .। अभी सरकार ने एक योजना चलाई है कि सब्सिडी एवं अन्य लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। स्कीम को जनलुभावन कपड़े तो बहुत पहनाये हैं पर सरकार उसको लागू कैसे करेगी इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। क्योंकि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या एक विधवा है उसका बैंक में खाता है कि नहीं? अगर नही है तो उसका क्या रास्ता सरकार ने निकाला है?अगर है तो क्या बैंक के न्यूनतम बेलेंस की शर्तो को वो पूरा कर पायेगी? अगर नहीं करेगी तो सरकार का भेजा हुआ पैसा उसके काम कैसे आयेगा? ये सब प्रश्न अनसुलझे ही रह गये। गुजराती की कहावत डुंगर दूर थी रळियामणा।

देश आज महिला समस्या से जूझ रहा है। पिछले महीनों हरियाण में इतने रेप हुए कि सोनिया जी को विजिट करनी पड़ी, दिल्ली रेप कैपिटल बन गया। जनता निर्भया के बारे में रास्ते पर उतरी, पर उसी दिन दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची पर भी रेप हुआ उसी समय मर्यादा में और भी रेप हुए सरकार की संवदेनशीलता तो तब पता चली जब सरकार को नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हँसते-हँसते जनता जानना चाहती थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी का इलाज देश में हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का इलाज देश में हो सकता है तो क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को रातों-रात लड़की को सिंगापुर ले जाना पड़ा। जनता आज भी जानना चाहती है कि निर्भया को सिंगापुर ले जाना उसके आरोग्य के सुधार के लिए गया था या केन्द्र सरकार के आरोग्य को स्टेबल रखने वाला राजकीय निर्णय था।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सुरक्षा और आतंक से संबंधित चिंता देश को खाये जा रही है। आज पाकिस्तान हमारी छाती पर अट्टहास्य करता रहा है। अपने सैनिकों के सिर काट के ले जाता है। सरकार के खोखले हुंकार के बाद गुजरात से सटी सीमा से गुजरात के मछुआरों को अपहरण करते ही जा रही है। चाइना हमें चारों ओर से घेर रहा है। बांग्लादेश से घुसखोर देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। यासिन मलिक हमारे देश के दुश्मनों से पाकिस्तान में खुलेआम मिलता जुलता है। ऐसे प्रश्नों पर जनता को चिंता है। उसके बारे में जो बातें हमारे स्वाभिमान पर चोट करती है उन पर कुछ नहीं है।

पिछले साल बजट में किए गए वायदों का क्या हुआ, उनमें से कितने पूरे किए गए, उन कार्यों में कितनी प्रगति हुई। इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। एफडीआई को लागू किया गया लेकिन उसे लागू करते वक्त देश को जो वादा किया गया था उसमें कितना निवेश भारत में आया उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

इस प्रकार मेरा स्पष्ट मानना है। कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और जनता की अपेक्षाएं पूर्ण करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

***श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बार में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है जिस पर कैबिनेट की सहमति की मुहर लगी होती है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सरकार का आगामी पूरे साल का एजेंडा होता है।

21 फरवरी, 2013 को संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष से संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए तमाम राष्ट्रीय चुनौतियों का उल्लेख किया गया जिनमें प्रमुख से आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी और देश में रोजगार सृजन की चुनौतियों शामिल हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण]

आजदी के बाद से ही लगातर ये चुनौतियां हमारे देश के सामने रही हैं लेकिन यह विडम्बना है आज तक हम इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने हेतु इनका स्थायी समाधन नहीं ढूंढ पाए हैं। महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझने का कोई फार्मूला न सुझा पाने या जनता में भरोसा न जगा पाने के अलावा सरकारी नीतियों के दस्तावेज कहे जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और योजनाओं का दिवालियापन साफ दिखाई पड़ा।

हमारे संविधान में महामहिम राष्ट्रपति जी का पद सर्वोच्च है तथा राष्ट्र के पिता के तुल्य है लेकिन चूंकि महमहिम को केन्द्र सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ना होगा है इसलिए सरकार को देश की दशा एवं दिशा का सटीक ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि देश के आम आदमी को यह विश्वास हो सके कि इस सरकार में उसके हितों की पहरेदारी की जा रही है तथा उसके कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़या ज़ा रहा है।

इसी सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने यूपीए सरकार के लिए 100 दिन में कई कामों के लक्ष्य तय किए थे लेकिन हजार दिन बीतने के बाद भी वे काम अधूरे हैं। सरकार की इस विफलता से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार धीरे-धीरे विकल्पहीनता का शिकार होती जा रही है।

यूपीए सरकार द्वारा अपने खुद महत्वपूर्ण वायदे पूरा न कर पाने की बानगी मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि निम्नवत है:-

1. पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने की योजना 2011 से लंबित।
2. नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2011 से लंबित।
3. भूमि अधिग्रहण के लिए बेहतर कानून 2011 से लंबित।
4. महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2010 से लंबित।
5. गुड्स और सर्विस टैक्स की बहाली 2011 से लंबित।
6. नेशनल काउंसिल फार हायर एजुकेशन बिल 2011 से लंबित।
7. पंचायत निकाय में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण बिल 2009 से लंबित है।

भारत जैसे एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए यह एक चिंता का विषय है। 15वीं लोकसभा शुरू होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने भाषण में सरकार के लिए 100 दिनों का होमवर्क तय किया था लेकिन हजार दिन बीतने के बाद भी उनमें से एक दो घोषणाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक भी पूरी नहीं हुई।

कालाधन समूचे राष्ट्र के लिए एक विकराल समस्या है तथा इस समस्या के चलते राष्ट्र के विकास का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा अनुभाव है कि भारत का 25 लाख करोड़ रूपया विदेशी बैंको में जमा है। महामहिम के अभिभाषण में सरकार द्वारा काला धन देश में वापस लाने के उपायों पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

आज महंगाई से देश का आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। सरकार द्वारा महंगाई कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र भी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है।

देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विराट जन आंदोलन किया गया लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक प्रभावी लोकपाल बिल नहीं बन पाया है। भ्रष्टाचार तथा घोटालों से देश के अर्थतंत्रा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवसी, दलित एवं ओबीसी लोगों का क्षेत्र है जोकि बहुत पिछड़ा एवं बिछड़ा है। हमारे देश इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधा न के बराबर है तथा किसान बाहुल्य इस इलाके में एक भी रेकप्वाइंट नहीं है। किसानों को उर्वरक आदि लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है जिसमे समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया।

महामहिम ने अपने संबोधन में समाज को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की जो कि स्वागतयोग्य है।

उन्होंने एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए ज्यादा अवसरों, अधिक विकल्पों, बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार द्वारा आगे बढ़ने का आह्वान किया। अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आलोक में वह अपनी स्पष्ट दिशा तय करके देश को एक तीव्र विकास के रास्ते पर ले जाए।

इसी के साथ में इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री समीर भुजबल** (नासिक) : मैं माननीय राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि, मैं इस प्रक्रिया में कुछ मुद्दों से संबंधित विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं-

महाराष्ट्र को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थितियों अप्रत्याशित हैं। ऐसे कई जिले हैं जहां पानी और चारे की अत्यधिक कमी है। सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र है- मराठवाडा, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदेशी और कच्ची बस्तियां है जो पूरी तरह से टैंकर पानी की आपूर्ति पर निर्भर हैं। सरकार द्वारा राज्य में चारे के कई शिविर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गये हैं। लेकिन तथापि, लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने गांव को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है पर यह स्थिति इतनी गंभीर है कि इसमें केंद्र सरकार के तत्काल दखल की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

सरकार ने, सैद्धांतिक रूप में, नवीं मुंबई पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति दी है। नवी मुंबई में एक हवाई अड्डा 1 यह हवाई अड्डा न केवल मुंबई शहर के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस हवाई अड्डे को अत्यावश्यक तौर पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृतियों को लेने के कारण अत्याधिक विलंब हो रहा है। भूमि अधिग्रहण आदि में इस तरह के विलंब से, इस परियोजना की लागत वृद्धि होना लाजमी है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का पहला चरण 2017 से पहले चालू नहीं होगा, जबकि इसे 2014 के अंत तक या 2015 की शुरूआत में चालू किए जाने का प्रस्ताव था। यह भी बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण में विलम्ब का कारण वनस्पतियों और खर पतवार का बड़े भूभाग पर विस्तार है जिसे एअरपोर्ट के निर्माण के लिए हटाए जाने की जरूरत है। इसके लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

मुम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 और शोलापुर-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसे कई स्ट्रेच हैं जिन्हें महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक हित में चार लेनों में बदलने की जरूरत है। इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए।

पेयजल आपूर्ति और मलजल से जुड़ी ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्र सरकार की भेजी गई हैं। ये परियोजनाएं काफी समय से लम्बित पड़ी हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि इन्हें मंजूरी दी जाए ताकि इन परियोजनाओं से लोग लाभान्वित हो सकें।

मुम्बई स्थित उच्च न्यायालय को अभी भी बम्बई उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। निरंतर यह माँग रही है कि बम्बई उच्च का नाम बदलकर मुम्बई न्यायालय किया जाए। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

महाराष्ट्र में लगभग 720 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। वहाँ हमेशा घुसपैठ का खतरा रहता है, जो कि पूर्व में हो चुका है। महाराष्ट्र ने विदेशी कम्पनियों के भारतीय बंदरगाह में प्रवेश आदि को शामिल करते हुए वाणिज्यिक परियोजनाओं की सुरक्षा के विशेष संदर्भ में एक नया तटीय सुरक्षा कानून बनाने का अनुरोध किया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यावश्यक मामला है जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि 11वीं योजनावधि के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता में 54,964 मेगावट की वृद्धि की गई है और 12वीं योजना-बधि के अंत तक इसे बढ़ाकर 88,537 मेगावाट किए जाने का लक्ष्य है। मै उल्लेख करना चाहता हूँ कि 11वीं योजनावधि के दौरान क्षमता संयोजन का लक्ष्य 75000 मेगावट से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री समीर भुजबल]

अधिक था जिसे दोबार कम किया गया और हम 54,964 मेगावट का ही लक्ष्य हासिल कर सकें। मेरा मानना है कि इसकी मुख्य वजह ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिन्हें समय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इनमें देरी हुई। इस बार सरकार ने ऐसी क्या तैयारी की है जिससे कि 12वीं योजना के दौरान लक्ष्य में कमी का कोई कारण न हो और हम 12वीं योजनावधि में 88,537 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होंगे।

भारत अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। सशस्त्र बलों के लिए हम अपनी अधिकांश आपूर्ति के लिए विदेशो पर निर्भर हैं। हालाँकि हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हैं, फिर भी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास में इन उपक्रमों की कोई खास प्रगति नहीं रही है। चूँकि हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, इसलिए अधिक संभावना है कि गोला-बारूद का आयात करने में अन्य देशों के साथ लेन-देन करते समय अनियमिताएँ भी होती होंगी। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के विशिष्ट अधिदेश पर कार्य करने के लिए निदेश दिया जाए और इस प्रक्रिया में निजीक्षेत्र को भी शामिल किया जाये और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि सरकार ने देश में कानूनी व न्यायिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं योजना के तहत महत्वपूर्ण पहल की है। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने 12वीं योजनावधि में वित्तपोषण भी 4867 करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया है। मेरे विचार में यह राशि पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा व बचाव के लिए देश भर में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसे देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की माँग उठ रही है जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में निर्णय तेजी से किया जा सके। इसलिए इस समय न्यायिक आधारभूत संरचना को आम तौर पर मजबूत करने कि बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर फोकस होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर ढेर सारी रिक्तियाँ हैं। ऐसे कई उच्च न्यायालय हैं जहां 50 फीसदी भी जज नहीं हैं। यह न्याय निर्गमन के हित में है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों व निचली अदालतों में रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षरण देने वाला संविधान (संशोधन) विधेयक भी राज्य सभी में पारित होने के बाद लंबित पड़ा हुआ है। इस विधेयक में अन्य पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए इसे भी प्राथमिकता के आधार पारित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

रघुवंश बाबू आपसे आग्रह है कि गिनती को फिर वापस मत लाया कीजिए। आप तीन-चार के बाद फिर एक पर आ जाते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं क्रम से बोलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको आसन पर देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीति और अधिकारिक वक्तव्य होता है। यह हम लोग सुनते हैं कि सरकार आगे एक साल क्या करना चाहती है राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से वह यह बताती है। इसमें खण्ड तो गिनती में 1 से 14 तक हैं, लेकिन उसमें क्या-क्या है। राष्ट्रपति जी के मुंह से इन लोगों ने क्या-क्या बुलवाया है और क्या-क्या करना चाहते हैं, इसको मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूं।

महोदय, इस साल का बहुत भारी महत्व है। यह सरकार का अंतिम बजट है और 12वीं योजना का प्रारम्भ है। विश्व मंदी के संकट से गुजर रहा है। भारत भी उसका मुकाबला कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण क्या बताता है? बजट भी आ गया है, लेकिन बजट की बात बजट में बोलेंगे। लेकिन अभिभाषण में सरकार की पॉलिसी क्या है? मैं शुरूआत से ही कहता आ रहा हूं कि सरकार दिशाहीन है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि कोई कॉमन मिनीमन प्रोग्राम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे-जैसे सब कुछ चल रहा है। मैं यह आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। मैं सबसे पहले किसान का सवाल उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी किसान का सवाल है। हमारे यहां हार्वर्ड यूनीवर्सिटी से पढ़े लोग हैं। मुझे टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि क्या पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइज बढ़ाने से जीडीपी बढ़ जाएगा? अब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। यह हार्वडे

वाले लोग बोल रहे हैं, वह देश को चला रहे हैं। हार्वडे यूनीवर्सिटी से लोग पढ़कर विद्वान बन गए हैं। वित्त मंत्री जी और सिब्बल जी भी वहीं से पढ़कर आए हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे तो वहां आए-गए होंगे। कहते हैं कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर सिस्टम करेंगे। इसमें कौन सी नयी बात है। रोजगार गारण्टी योजना में उनके खाते में पैसा जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भी खाते में तो जमा हो रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों में सरकार ने बार-बार ऐलान किया है कि हम किसानों को खाद में सब्सिडी डायरैक्ट देंगे। लेकिन आप कम्पनी को दे रहे हैं। आप किसान को खाद में डायरैक्ट बेनीफिट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों कम्पनियों को दे रहे हैं? यह सरकार बताए, अगर हिम्मत है। सवाल नंबर एक आप किसान को डायरैक्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? जो मिल रहा है, उसके लिए तीन-चार मंत्री प्रेस कान्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम डायरैक्ट ट्रांसफर करेंगे। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयन्ती पर आप बोल रहे थे। स्वामी विवेकान्द जी ने कहा कि ट्रिक और चालाकी से आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। सरकार ट्रिक और चालाकी से काम करेगी और इस तरह से फरेब करेगी तो क्या यह देश के लिए अच्छा होगा? इतना बड़ा देश, इतनी समस्याएं है। हमारे देश की आबादी सवा सौ करोड़ हो गयी होगी। इतनी समस्याएं हैं और आप ट्रिक और चालाकी से अच्छा करना चाहते हैं। नहीं हो सकता है। इसलिए जवाब दे यदि कोई इस बारे मं जवाब देने वाला है।

महोदय, अभी सीएजी की रिपोर्ट आयी है। उसमें लिखा है कि 40 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बिहार में 82 फीसदी है, जो कि सबसे ज्यादा है। हम इसकी दरयाप्त करेंगे। अखबार छाप रहे हैं कि वहां ग्रोथ हो गयी है। लेकिन रिपोर्ट में 82 फीसदी है। आंध्र प्रदेश में 49 फीसदी और हरियाणा में यह 43 फीसदी है। महोदय, झारखंड में यह 40 फीसदी है। यह इन लोगों से कम है। वैसे तो 40 फीसदी कुपोषण बहुत है।

कहीं अनाज सड़ रहा है। 'कहीं अँतड़ी जले, कहीं भूखे मरे, कहीं अन्न सड़े' - यही सरकार है। 'कहीं अँतड़ी जले, कही भूखे मरे, कहीं अन्न सड़े' - क्या है यह पॉलिसी? अनाज सड़ रहा है या नहीं? सरकार दावा करती है कि अनाज का पर्याप्त भंडार रखा हुआ है। उसमें भी यह दावा है कि इतने करोड़ टन किसानों ने अपने ऊपर भार ले कर पैदा किया। वे जान लगा कर, पेट काट कर खेती कर रहे हैं। हमारे यहां बिहार में भी जब सब किसानों ने बिचौलियों से 800-900-1000 रूपए क्विंटल बेच लिया तो अब एसएफजी दुकानें खुलने लगी हैं। अब बिचौलिया जमा कर रहा है। क्या किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? यह नहीं मिल रही है। इसलिए किसानों का बड़ा सवाल उठता है। किसान वाला भी सीएजी रिपोर्ट मैं पास नहीं करूंगा। यह कितनी भारी धोखाधड़ी हुई? उस समय यह कहा गया कि हम ने 71,000 करोड़ रूपए माफ किए। महोदय, आप को तो याद होगा। आपकी तो ज्यादा स्मरण शक्ति है। उस समय उन्होंने कहा था 71,000 करोड़ रूपए। अब बारह हजार करोड़ रूपए है या कितना है? वह भी सीएजी कहता है कि यह जाली है। जिसे मिलना चाहिए, जिसके कर्ज़ माफ होने चाहिए, उनका नहीं हुआ और जिनका नहीं होना चाहिए, उनका हो गया। यही हिसाब है, यही किसान है और यही सरकार है और दावा कर दिया कि हमने कर्ज़ माफ कर दिया। किसका माफ किया और किसका माफ होना चाहिए? अब सीएजी ने इसका भंडाफोड़ किया। अब उस पर आगे बहस चलेगी। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, समय की आज बहुत कमी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं एकदम संक्षेप में चलूंगा। यह तो मैं भूमिका बना रहा हूं।

गन्ना किसानों का क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी के जो इधर सपोर्टर लोग हैं, उन से मेरी प्रार्थना है। जब सरकार को लोग गिराने लगे तो आप बचाइए लेकिन जनता के साफ आप इंसाफ कीजिए। किसानों की क्या हालात है? क्या भाव तय किया? राष्ट्रपति के महोदय के भाषण में दावा किया गया है- गन्ना और कपास का उत्पादन बहुत हुआ। आपका उसमें क्या सहयोग है? आप ने क्या दाम तय किया? चीनी की कीमत क्या है और गन्ना की कीमत क्या है? इसकी तुलना करके देखी जाए। रफ़ी अहमद किदवई कमीशन बैठा था कि चीनी की क्या कीमत होगी और गन्ने की क्या कीमत होगी? अभी उसकी आधी कीमत है। यह कैसे होगा? यह किसानों का सवाल है। अभी-अभी अजीत सिंह की पार्टी से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे संजय सिंह चौहान हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, महोदय। वे बोल रहे थे कि रोज़गार गारंटी से किसानों का बुरा हाल हो गया है। मैं गांव में गया था। किसान लोग जुटे। उन्होंने कहा कि आप ने बड़ा अच्छा काम किया, मजदूर के लिए तो आप ने वरदान का काम किया। लेकिन किसानों ने कहा कि इस में हमें नहीं मिल रहा है, इसे मजदूर गारंटी कीजिए। किसान अब मांग रहा है कि मजदूर गारंटी कीजिए, हमें नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग कहां है? क्या कृषि विभाग है? मजदूरी में डीजल है, बीज है, टेक्नॉलोजी है, प्रशिक्षण है, डेमोन्स्ट्रेशन है, सब कुछ है। पर, उसे मजदूरी नहीं मिल रहे हैं। फिर मजदूरी बढ़ गयी। क्या उतनी मजदूरी देने लायक किसान है? मजदूरी में सब्सिडी क्यों नहीं है? इसलिए रोज़गार गारंटी को मजदूरी से जोड़ा जाए। किसान के खेत में काम करे और सरकार इसे दे। देखिए सज्जन, क्या कहां कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई जानने वाला है?...*(व्यवधान)* रोज़गार गारंटी के कानून में किसानों के खेत में काम हो। किसानों से भी कुछ मजदूरी, हिस्सा लिया जाए और सरकार दे। महोदय, मैं नयी बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप मेरी मजबूरी देखिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, एक मिनट रूक जाइए। आप मजदूरी की बात कर रहे हैं, मैं मजबूरी की बात कर रहा हूं। मेरी मजबूरी है समय की कमी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मज़दूरी हो जाने से आप की मजबूरी दूर हो जाएगी। अगर इस में हिम्मतवाला कोई आदमी हो तो कहे कि मैं इस को समझूंगा, इस पर विचार करूंगा। अभी तक इस पर विचार क्यों नहीं हुआ? सरकार किसानों के प्रति क्यों बेखबर है? किसानों के प्रति दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या यह अरबपति, कॉरपोरेट, और धनपशुओं की सरकार है? महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो। उसने कहा कि जब चीरहरण हो रहा था, उस समय आप कुछ बोले नहीं और अब उपदेश दे रहे हो तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन का अनाज खाया था। पूंजीपतियों के बल पर बनी सरकार कैसे गरीबों का, किसानों का भला कर सकती है। भीष्म पितामह जैसे महान पुरूष दुर्योधन का अनाज खा करके चीरहरण के समय नहीं बोल सके, बाकी लोग जिसका खाएगा, उसका गाएगा। किसानों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, अभी 20-21 तारीख को देशभर के मजबूर संगठनों की हड़ताल हुई। पूरा भारत बंद हुआ। यह हड़ताल क्यों हुई, हमने उनकी मांगों को पढ़ा। हम उनका समर्थन करते हैं। ठेकेदारी में आउट सोर्सिंग बंद हो और कंट्रेक्ट सिस्टम पर बहाली बंद हो। शोषण हो रहा है। एम्स में एक सफाई कर्मी के नाम पर ठेकेदार 15हजार रूपए निकालता है और उसको वह चार हजार रूपए देता है। 11 हजार रूपए ठेकेदार की पॉकेट में जाते हैं। ये आउट सोर्सिंग और कंट्रेक्ट पर बहाली है। ये सरकार आगे बढ़ कर आए और कहे कि कंट्रेक्ट एवं जो ठेकेदारी लेबर प्रथा है, उसको हम खत्म करेंगे। वामपंथी लोग भी बोलते रहते हैं।...*(व्यवधान)* सिवाए लड़ाई के दूसरा रास्ता नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब आप कंक्लुड कीजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी देश में क्या सवाल है - भ्रष्टाचार, महंगाई और कालाधन। इन तीनों पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में क्या है। इन तीनों पर सरकार चुप क्यों है? ये क्या चाहते हैं, देश में लोग हड़ताल आदि करेंगे, तब ये कुछ करेंगे। जब इटली में पकड़ लिया, सीओ पकड़ा गया...*(व्यवधान)* तब ये सीबीआई जांच करा रहे हैं।...*(व्यवधान)* घूस यहां लिया...*(व्यवधान)* वहां पकड़ लिया, इटली में पकड़ा गया। ...*(व्यवधान)* यहां सीबीआई जांच हो रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार दिया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भ्रष्टाचार, कालाधन और महंगाई, ये तीन सवाल हैं। इन पर सरकार का क्या कहना है, सरकार क्यों चुप है? इधर वाले लोग भी क्यों चुप हैं? ये लोग पानी में मछली, नौ-नौ कुटिया बरखा...*(व्यवधान)* ये हैं प्रधानमंत्री। आडवाणी जी ने वेटिंग लिस्ट लाकर उसमें उनका नाम कर दिया, नया-नया वेटिंग आ रहा है।...*(व्यवधान)* जनता की समस्याओं का हल होना चाहिए, महंगाई, कालाधन और भ्रष्टाचार।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मैंने श्री प्रशांत कुमार जी का नाम पुकार दिया है, इसलिए अब आप कंक्लुड कर दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी, देश की एकता घटेगी।...*(व्यवधान)* क्षेत्रीय विषमता के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ है, कुछ नहीं है...*(व्यवधान)* बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वहां लोग गलतफहमी में हैं। हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, प्रश्न में आया....*(व्यवधान)* विशेष राज्य के दर्जे के क्राइटेरिया की समीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। उधर हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवाद पर धन्यवाद दिए जा रहे हैं। ये क्या घालमेल है?...*(व्यवधान)* ये भेद खुलेगा।...*(व्यवधान)* मैं इसका भंडाफोड़ करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है।...*(व्यवधान)* वहां उन्हें मारा जा रहा है।...*(व्यवधान)* नियोजित शिक्षकों का समर्थन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना में क्यों नहीं हुआ?...*(व्यवधान)* इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ।...*(व्यवधान)* पटना क्यों नहीं हुआ? कोई बताये, अगर किसी में हिम्मत है तो।

महोदय, स्वास्थ्य के संबंध में कहना चाहता हूं कि पांच एम्स बिहार में क्यों नहीं हुए? उत्तराखंड की आबदी 85 लाख, झारखंड की आबादी दो करोड़ छत्तीसगढ़ की आबादी दो करोड़ उनको एक एम्स, बिहार की आबादी दस करोड़ तो हमें एक एम्स क्यों नहीं देते?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड में एम्स नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रमोट किया है, राजेन्द्र मेडिकल कॉलेज की प्रोन्नति की है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज, अब कंक्लूड कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कौन सा फार्मूला चला रहे है?...*(व्यवधान)* कौन इसे चलाने वाला है?...*(व्यवधान)* किस हिसाब से एम्स बनता है?...*(व्यवधान)* यहां आकर पांच एम्स बनाओं।...*(व्यवधान)*

महोदय, एक समस्या और भी है। ...*(व्यवधान)* जहां भी जाइए, सब शहर में जाम है। ...*(व्यवधान)* जाम हट नहीं रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मजूमदार जी का नाम मैंने पुकार दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप जैसा शालीन व्यक्ति चेयर से कोआपरेट नहीं करेगा, तो हाउस कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अंतिम बात यमुना नदी की सफाई के संबंध में कहना चाहता हूं।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को रेखांकित और दिग्दर्शित किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। सरकार ने जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए वं उनके कल्याण के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं व कार्यक्रम चलाएं हैं जिसमें वह लाभांवित हो सके। मैं उत्तराखण्ड से आता हूं जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला पर्वतीय राज्य है। आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना से वहां के सुदूरवर्ती गांवो का भी विद्युतिकरण हो गया है। आज जब तमाम दुनिया वैश्विक मंदीकरण से जूझ रही है, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था उभर रही है। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से देश की करोड़ों जनता में आस की एक किरण जगी है।

निश्चित तौर से आज जो कदम उठाये जा रहे हैं, ये कदम सरकार की उपलब्धियों को इंगित करते हैं। सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से देश के सभी लोगों को दो वक्त का भोजन सुनिश्चित होगा। सरकार आम आदमी के प्रति संवेदनशील है तथा उनकी प्रगति के लिए गंभीर। हर संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की पैनी नजर है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है और इसके लिए बिल भी संसद में लाई है। महामहिम जी ने अपने भाषण में कहा कि आगामी 10 वर्षो में सरकार 1 करोड़

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सतपाल महाराज]

रोजगार उपलब्ध करवायेगी, यह सरकार की युवाओं के प्रति सोच को उजागर करता है। विक्लांग, विधवा एवं बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि सरकार की सकारात्मक सोच का परिचायक है। देश में तकनीकी शिक्षा कालेजों की संख्या दुगने से भी अधिक होना, सरकार की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने व ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो इसके प्रति समर्पण भावना को दर्शाता है। जननी सुरक्षा योजना, निर्मल भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आदि सरकार की ऐसी योजनाएं है जिसका लाभ सीधा देश के नागरिकों तक पहुंच रहा है। आज यह हर्ष का विषय है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध का व चावल का उत्पादन हो रहा है। देश को पोलियो मुक्त बनाने में सरकार का अहम योगदान है। अस्पतालों में 70 हजार अतिरिक्त बैड की व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा में सीटों को बढ़ाना मील का पत्थर है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों के सरकारी अस्पतालों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के नाम से पायलट योजना का कार्यान्वयन होना महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का प्रारम्भ किया जाना, जिससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, मातृत्व लाभ को सीधे अभ्यार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा, महत्वपूर्ण है। इसके लिए लाभार्थी को आधार संख्या के माध्यम से जोड़ा गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम नागरिकों को लाभ पहुंचाने में यह आधुनिक प्रौद्योगिक नई दिशा निर्धारक होगी। मेरे कुछ अन्य प्रस्ताव है यदि उन पर गौर किया जाने तो देश की अर्थव्यवस्था और उन्नत हो सकती है।

पर्वतीय राज्य, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य, विकास दर में पिछड़े हैं यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्क कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊ क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही, वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्त्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन हैं, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं, इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हे धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रूपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रूपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकार 181 रूपये दैनिक की जानी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है। ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। सिंगल

विंडो सिस्टम से अनापति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए।

भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल ही में दिनांक 13 से 16 सितंबर 2012 के बीच रूद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ व जखोली तहसील में भारी बारिश व बादल फटने की सिलसिलेवार घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। जिसमें 69 लोगों की जाने गई। 67.42 करोड़ रूपए से भी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को नुकसान जिसमें से 39.37 करोड़ की रकम तत्काल आवश्यक है। उखीमठ के गांव जुआ, किमारा, ब्रह्मणखोली, प्रेम नगर, डंगवारी, मंगोली, चुन्नी, सालामी और गिरिया गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इन गांवो में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। भूस्खलन मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये। रूद्रप्रयाग जिले के उखीमठ व जखोली में आपदा से 44 गांव प्रभावित हुए जिसमें 1022 जनसंख्या प्रभावित हुई। 30.027 हैक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ। साथ ही 25.175 हैक्टेयर कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ। 57 पक्के बने मकान जमींदोज हो गये। 46 पक्के मकानों में 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ। 66 पक्के मकानों में आंशिक नुकसान हुआ। राजस्व विभाग के अनुसार 2804.70 लाख का नुकसान हुआ। लगभग 10 सड़के पूरी तरह से बह गई, कई पुल व पैदल पुल का भारी नुकसान हुआ। उखीमठ में ही 58 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये, सरकार को मदद देकर उन 58 मकानों को बनवाने चाहिए। चूंकि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है जिसमें सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती है और ऐसे में यहां कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बनाकर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।

उत्तराखण्ड का पर्वतीय पूर्णतया सैममिक जोन है। ऐसे में वहां पर विस्थापन व पुनर्वास की नीति का न होना अत्यंत गंभीर विषय है। जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड का रिंगवाड़ी, मथाड़ा, पझाड़ा, चुकूम बैथाणा आदि ऐसे गांव हैं जिनका शीघ्र विस्थापन कर पुनर्वास आवश्यक है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में युद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में लंबित पड़ी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए।

आज पूरे विश्व में योग का प्रचार-प्रसार हो रहा है। विश्व को योग शिक्षा देने वाले भारत मे ही अनेक प्रशिक्षित योग शिक्षक बेरोजगार हैं। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य कर इन्हें सेवायोजित किया जाना चाहिए।

अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से तथा संपूर्ण उत्तराखण्ड की जनता का ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सिर्फ मजूमदार की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) : सम्मानित महोदय, मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को 21 फरवरी, 2013 को संसद के दोनों सदनो के संयुक्त सत्र में उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए उन्हें बधाई देता हूं...*(व्यवधान)*

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार ने बांगलादेश के साथ संबंध सुधारने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। लेकिन उनके भाषण में दो संधियों, यथा तीस्ता नदी की जल भागीदारी तथा भूमि सीमा समझौता का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन अभी बांगलादेश की स्थिति के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि 1947 में विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। लेकिन 1971 में बांगलादेश लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र हुआ था। अतः भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा बांगलादेश सरकार को जल के बंटवापरे के मुद्दे का समाधान सौहार्दपूर्वके तरीके से करना चाहिए और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि मैं तीस्ता नदी के जल के बंटवारे पर समझौते के विरूद्ध नहीं हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांगलादेश के लोग तथा पश्चिम बंगाल के लोग भाई-भाई हैं। हमारी भाषा समान है, संस्कृति समान है और खानपान की आदतें भी समान है। हम एक समृद्ध बांगलादेश सुनिश्चित करना चाहते हैं।

आपको यह विदित है उत्तर बंगाल की सभी नदियां चीन, नेपाल और भूटान से निकली हैं तथा उत्तर बंगाल एवं बांगलादेश से होकर गुजरने के बाद आखिरकार बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं।

उत्तर बंगाल में विशाल जनसंख्या वाले छह जिले हैं। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। हम उत्तर बंगाल के लोग सितम्बर 2011 से इस डर से निद्रारहित रातें गुजार रहे हैं कि उत्तर बंगाल की भूमि को वंचित कर बांगलादेश को तीस्ता जल का अनुपात से अधिक पानी दे दिया जाएगा।

अपराह्न 04.58 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

हमें यह पता है कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बारे में पानी के मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हुआ है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में विफल रही है। जल मानवता की जीवनरेखा है। अतः हम उत्तर बंगाल के लोग दोनों सरकारों, केंद्र तथा राज्य सरकार, से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि तीस्ता नदी का कितना पानी बांगलादेश को दिया जाएगा।

क्षेत्र में आतंकवाद का सामना करने तथा शांति कायम करने के लिए पानी से किसी को वंचित किए बिना संधि तत्काल की जानी चाहिए।

अपने भाषण में राष्ट्रपति इससे सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी मामलों में धीमी हुई है- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कम हुआ है; मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, मूल्य स्थिर है; बरोजगारी में वृद्धि तेज गति से हो रही है तथा हर महीने भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। अतः हम सहज ही कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश को निराशा हुई है।

[हिन्दी]

अपराह्न 05.00 बजे

सभापति महोदय : समय कम है इसलिए मेम्बर तीन-तीन, चार-चार मिनट ही बोलें।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया गया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान पांच मूल तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पहला, कृषि क्षेत्र में गर्व होने की बात कही गई है। हमारे किसान अपने खुद के मेहनत से खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन तो किया है। परन्तु सरकार द्वारा कार्य व्यवस्था को और सुधारा जाय तो हमारे किसान देश को खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि खेती के समय किसानों को खाद ही नहीं पाती है। खाद पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। उनके उत्पादन खाद्य पदार्थ को समय पर सरकार खरीद नहीं पाती है। बिचौलिए औने-पौने दाम पर खरीद लेता है। सिंचाई के संसाधनों का व्यापक रूप से समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दो लाख पचासी हजार गांवो में बिजली पहुंचाने की बात कही है। हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र में उक्त योजनाओं के लागू होते ही खत्म हो गया। अगर बिजली होती तो खेती का ग्राफ और बढ़ता। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई का व्यापक साधन नहीं है। कृषक की खेती बरसाती पानी पर निर्भर करता है। इसलिए खेती एवं सिंचाई क्षमता की सृजन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

दूसरा, सरकार वर्ष 2011-12 में 5 करोड़ परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने का आंकड़ा दिया है। परन्तु सरकारी तंत्र को पता नहीं रहता हैं कि उस परिवार को मनरेगा को तहत समय-समय पर उसकी मजदूरी मिल पाती है अथवा नहीं। दो-दो माह पर गरीब परिवारों को मजदूरी मिलती है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

तीसरा, मैं इंदिरा आवास योजना के बारें में महत्वपूर्ण बातें सदन को बताना चाहता हूं। सरकार द्वारा आज तक बीपीएल सूची को

सुधारा नहीं जा सका। आपका वोटर का कार्ड दोषपूर्ण है। 80 वर्ष के बुढ़े को वोटर कार्ड में 50 वर्ष दिखाया गया है। उसे देहाती चारपाई पर प्रखंड के बीडीओ के पास लाया गया लेकिन बीडीओं उसको इंदिरा आवास नहीं देता। वह कहता है कि तुम्हारा उम्र वोटर कार्ड में 50 वर्ष दिखाया गया है।

सभापति जी, ठीक उसी प्रकार उस वृद्ध तथा विधवा को इंदिरा आवास के साथ-साथ न विधवा पेंशन और न ही वृद्धा पेंशन मिलती है। इस त्रुटि को सुधारने की आवश्यकता है।

चौथा, महामहिम के अभिभाषण में भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात कही गई है। किसानों को उनके घर से, जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। परन्तु उनके मूल्यों का सही से आंकलन नहीं किया जाता है। योजना की मंजूरी के साथ-साथ उसके भूअर्जन, पुनर्वास था, पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था हो।

सभापति जी, महामहिम द्वारा जो भाषण दिया गया था कि देश में आंतरिक खतरा दो चीजों से है- एक है आतंकवाद और दूसरा है नक्सलवाद मैं नक्सलवाद क्षेत्र से आता हूं। मैंने 28 साल तक नक्सल मुवमेंट को नेतृत्व भी प्रदान किया है। नक्सल मुवमेंट क्या है, इसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त करें।

श्री कामेश्वर बैठा : कृपया मुझे कम से कम चार मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : नहीं, काफी समय हो चुका।

श्री कामेश्वर बैठा : महामहिम द्वारा आंकड़ा पेश किया गया है कि वर्ष 2011 में 611 एवं वर्ष 2012 में घट कर 414 हिंसा की घटनाएं हुई हैं। परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि कितने वामपंथी उग्रवादी मूख्य धारा से जुड़े। सरकार को इसके लिए जितना संवेदनशील होना चाहिए। उतनी गंभीरता से यह नहीं सोचती है। मैं सरकार को सलाह देता हूं कि सरकार उस इलाके में जाए, जो क्षुद्र इलाका है, जो जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है। आखिर झारखंड में उग्रवाद क्यों है, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, के दंतेवाड़ा में यह क्यों हैं? महानगरीय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सुरत, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब इलाके में उग्रवाद क्यों नहीं है? क्यों हमारे पलामू के जंगलों, बिहड़ों में यह है? इसका क्या कारण है? मैं बताना चाहता हूं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद कोई भूत-पिशाच नहीं है, नक्सलवाद एक समस्या है जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उद्योग विहीन जिला, उत्पीड़न, जुल्म व अत्याचार, अशिक्षा, सामाजिक विषमता आदि है। आज हमारे यहां चाहे बच्चे हों या बच्चियां, नक्सलवाद में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहां इस तरह का कोई कार्य नहीं है। हम अपने पलामू संसदीय क्षेत्र में देखते हैं कि वहां के बड़े हिस्से से लोग पलायन कर जाते हैं। वे मजदूरी करने के लिए, चाहे वह ईंट-भट्टे में हो, होटल में चौका-बर्तन करने का काम हो, बच्चे को पीठ पर बांध लेते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : हम कहना चाहते हैं कि वहां मूलभूत समस्या गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सुखाड़, अकाल आदि है। हमारी जो जमीन मरू भूमि पड़ी हुई है, उसे सिंचित किया जाए। उसे खेती योग्य जमीन बनाया जाए।...*(व्यवधान)* हमारे यहां भी प्लांट लगाए जाएं। हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। उन्हें बांधकर किसानों के खेत में पानी दिया जाए।...*(व्यवधान)* इससे लोग स्वावलम्बी होंगे। हमारे यहां कुटीर उद्योग लगाए जाएं, छोटे-छोटे धंधे लगाए जाएं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। श्री अजय कुमार।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

*श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं रखे। देश यूपीए सरकार से यह जानना चाहता है कि जो विकास की योजनाएं बनती हैं, उसका नामकरण पहले नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और कब राजीव गांधी के नाम पर चल रही है, क्या देश में बाकी नेताओं के नाम पर योजनाओं का नामकरण क्यों नहीं होता है?

देश में 60-70 प्रतिशत लोग कृषि पर जीवित हैं लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिंचाई के नाम पर डैम बनाया और डैम का पानी लीक हो गया और खेत में सिंचाई का एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। लेकिन करोड़ों रूपया इस नाम पर खर्चा भी हो गया। द्वीपों में कृषि का विकास दर माइनस में चल रही है।

सुनामी के पश्चात किसानों के खेत डूब चुके हैं और डूबे हुए खेतों के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर करोड़ों रूपया लूट लिए। पम्प सेट, पावर टिलर और गोबर खाद आदि के आवंटन में।

किसान की खेती सुनमी में डूबने के पश्चात मुआवजा की मांग पर किसान, सांसद औ भाजपा कार्यकर्त्ता मिलकर राजनिवास में धरना दिया, रातभर सड़क में सोया रहा, जेल में गये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों से किसानों के प्रतिनिधि सांसद के साथ आकर अपना ज्ञापन दिया और मांग की कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर मुआवजा दिया जाए और जमीन न ली जाए। 22 जनवरी, 2012 को गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि प्रति हेक्टर जमीन का मुआवजा की राशि 9 लाख 39 हजार दिया जायेगा और किसानो से जमीन नहीं लिया जायेगा।

कांग्रेस पार्टी तथा द्वीप समूह के उपराज्यपाल महोदय ने साजिश करके गृह मंत्री वादे को बदल दिया तथा गरीब किसानों गरीबी की हालत में लैंड सलैन्डर कराके प्रति हेक्टर 9 लाख 39 हजार रूपए दिया जा रहा है। स्वीलुज गेट जो 2004 में सुनामी में बर्बाद हो गया था 9 वर्ष बाद भी अब तक नहीं बनाया गया है।

1974 में श्रीलंकन तमिल भाईयों को काचल द्वीपों में बैठाया था और उनके साथ समझौता पैकेज के मुताबिक जमीन तथा मुआवजा नहीं दिया गया। 9 जुलाई, 2003 में राजनिवास से प्रशासन के मुख्य सविचव, डेक्लपमैंट कमिश्नर तथा सांसद और रिप्रेजेटिअ श्रीलंकन रिपार्टिएट् के साथ फैसला हुआ था कि 1.5 हेक्टर जमीन सैतान खड़ी लबर प्लाटेश में आवंटित किया जायेगा तथा रोजगार आदि दिया जायेगा, लेकिन 10 वर्ष बीतने के पश्चात भी कुछ नहीं किया।

श्रीलंकन सरकार ने दो लाख से अधिक तमिलों को मार दिया। विधवा श्रीलंकन तमिल औरतों पर बलात्कार और जुर्म श्रीलंकन सेना कर रही है। हाल ही में प्रभाकरन के बेटे बालाचन्द्रन को आर्मी कैम्प में गोली मार कर हत्या कर दी गई। श्रीलंकन तमिलों के पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार श्रीलंका पर दबाव बनाए। चीन-बंगलादेश जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कानून बनाया, लेकिन भारत सरकार मूकदर्शक होकर देख रही है। यूपीए सरकार, खाद्य सुरक्षा के नाम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम बनाने की बात कर रही है। देश में तमिनाडु सरकार ने सभी एपीएल, बीपीएल परिवारों को 20 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि देश में 70 प्रतिशत लोगों को जो सचमुच बीपीएल परिवार हैं उन्हें 1 रूपया किलो पर 35 किलो चावल या मुफ्त में 25 किलो चावल दिया जाये, क्योंकि सरकारी गोदामों में चावल सड़ रहा है।

यूपीए सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के साथ में दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एनडीए सरकार के समय काल में प्रति व्यक्ति को 8 किलो चावल दिया जा रहा था, यूपीए-1 ने उसे 5 कि.लो. कर दिया।

यूपीए-1 और यूपीए-2 ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2004 के बाद 2013 तक पंचायत प्रधान, पंचायत समित तथा लि परिषद कोई ग्रामीण नया सड़क नहीं बनाई। 2008 में एपीडब्लूडी द्वारा बनाई गई ग्रामीण रोड को हैंडओवर किया, लेकिन आज 8 साल बीतने के पश्चात भी सड़क का रिपेयर नहीं किया गया और उस रोड पर गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। पंचायत प्रधान, पंचायात समिमि तथा जिला पषिद ने जो ग्रामीण रोड़ 2004 के पहले बनाया था उसको रिपेयर के लिए फंड नहीं मिला और वह रोड पर भी आदमी और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया।

पंचायत समिति तथा जिला परिषद ठप्प हो गया है। उसका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कोई विकास के काम में योगदान नहीं है। उसको प्रशासन ने पंगु बना दिया है।

एनडीए सरकार के समयकाल में पंचायत प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में वर्कऑर्डर के माध्यम से अनएम्प्लाइड यूथ कोऑपरेटिव को काम मिलता था जिसमें गांव का विकास, गांव के लोगों का रोजगार तथा यूथ कोऑपरेटिव को रोजगार मिलता था जो आज 2004 के बाद से बंद हो चुका है।

2002 तथा 2003 में सात पीएमजेएसवाई रोड़ जिला परिषद बनाने के लिए रूपया दिया गया था, उसका हेराफेरी किया लेकिन आज तक रोड नहीं बना। प्रशासन कांग्रेस पार्टी के दबाव में इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीएमजीएसवाई के फंड में हेराफेरी किया गया और सांसद की मांग पर भी प्रशासन चुप है।

एमपी लैड....13वीं और 14वीं एमवी लैड फंड का जिला परिषद ने मिसयूज किया और प्रशासन को जानकारी खुद है सांसद ने इस पर मांग किया लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में प्रशासन करप्शन में साथ दे रहा है।

13वीं और 14वीं लोकसभा का एमपी लैड का करीब 2 करोड़ पड़ा है क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वह काम नहीं किया और सांसद के अनुमोदन से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वापिस एमपीलैड फंड में नहीं दिया गया था।

15वीं लोकसभा का एमपी लैड लेकर दो साल पुराना काम आज भी स्वीकृत नहीं किया गया है।

कपड़ा खरीद में एनकोफेड तथा ईएचएल सौ करोड़ से भी ज्यादा का घोटला कर दिया, पर प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

द्वीपों में सबस्टैंडर्ड मेडिसेंस खरीदा जा रहा है और ड्रगटेस्ट लैब का रिपोर्ट इसका सबूत दिया, लेकिन प्रशासन के उच्च व्यक्तियों के इन्फ्लूएंस में ड्रग्स खरीद जा रहा है, क्योंकि इसमें मोटा कमीशन मिलता है।

छोटानागपुर कम्युनिटी को 4 प्रतिशत का स्पेशल स्टेट्स के नाम पर प्रशासन भारत सरकार को रिकमंड किया लेकिन महाराष्ट्र राज्य ने छोटानागपुर कम्यूनिटी के नाम पर खडिया, ओराव को आदिवासी दर्जा दे दिया। लेकिन भारत सरकार इस 4 प्रतिशत को देने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

10वीं आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था और जो निर्णय लिया गया था प्रधानमंत्री का लिखित वक्तव्य सरकारी पत्रिका में 21 जनवरी, 2003 को आया था उस निर्णय को आज भी लागू नहीं किया गया है। द्वीपों में सरस्वती पूजा पहली बार बंद करने के नाम साजिश किया गया।

शहीदों की भूमि बहिपर द्वीपों को अय्याशी का अड्डा बनाने के नाम पर विदेशी कंपनियों को बेच दिया। असंगठित वर्कस सोशल सिक्यूरिटी एक्ट 2008 का लाभ अंडमान को नहीं मिला। महात्मा गांधी सरकारी कालेज में शिक्षकों की कमी, इनफ्रास्टेक्टचर की कमी, सबजेक्ट की कमी, होस्टेलों की कमी गेस्ट लेक्चर पेमेंट की कमी, रिपयेर की कमी, आदि पर प्रशासन का ध्यान नहीं है।

द्वीपों में करीब 500 नर्से बेकारी में हैं और उनको टाइम टू केयर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किया जाये।

*डॉ. भोला सिंह (नवादा) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के दस्तावेज होते हैं। पर कोई सरकार हो तो उसका दस्तावेज होगा। इस अभिभाषण में भारत की सांस्कृतिक आत्मा का स्पदंन नहीं है। इसमें समृद्ध गौवरशाली और अखंड भारत के आत्मबल का कोई उद्घोष नहीं है। यह अभिभाषण अंधकार की ओर इंगित करता है।

देवताओं में यह विवाद खड़ा हुआ कि ब्रहमा, विष्णु और महेश में राजत्व का अधिकारी कौन है। यह कार्य भृगु मुनि को सौंपा गया। वे ब्रहमा के पास गये और देखा कि ब्रहमा अपनी बेटी से चिपके हुए हैं। भृगु ने कहा कि ब्रहमा चरित्रहीन हैं। धरती पर इनकी पूजा नहीं होगी। पुनः भृगु महेश के पास गये। वे पार्वती के साथ शयनकक्ष में थे। गणेश पहरेदारी कर रहे थे। भृगु गणेश को धक्का देते हुए अंदर गये। महेश त्रिशूल लेकर दौड़े। भृगु ने कहा कि महेश तामसी हैं। भृगु पुनः विष्णु के पास पहुंचे वे लक्ष्मी के साथ सोये हुए थे। भृगु ने विष्णु की छाती में लात मारी। विष्णु ने लात पकड़ ली और कहा, 'हे, मुनिवर मेरी छाती वज्र सी कठोर है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. भोला सिंह]

आपके पैर बहुत कोमल हैं। चोट तो लगी होगी। लाइये मैं इसको सहला देता हूं।' भृगु ने देवताओं को सूचित किया कि राजसत्ता के अधिकारी विष्णु हैं। राजा को सहनशील, धैर्यवान, ईमानदार, निष्प्रिय होना चाहिए यह विष्णु में है। सभापति जी, विष्णु दरिद्र हैं पर राजत्व के अधिकारी हैं। शिव श्मशानवासी हैं। हाथ में डमरू अभय का संदेश देता है। पार्वती को सोने के लिए चारपाई तक नहीं है। पर शिव परमात्मा हैं। देवो के देव हैं। महादेव हैं।

जो सरकार नाम की आकृति हैं, वह आकृति है, वह आकृति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं पर वे अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं हैं। आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। वे सदन के नेता नहीं हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिसे जिम्मेदारी तो है, पर शक्ति नहीं है। सोनिया गांधी को शक्ति है पर जिम्मेदारी नहीं है। वे सोनिया गांधी के प्रबंध निदेशक हैं। सभापति जी सत्ता के कई केन्द्र हैं- राहूल गांधी, सोनिया गांधी, डा.मनमोहन सिंह, जो न तो देखते हैं, न सुनते हैं और न करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के बारे में कहता है कि वे तो राहुल जी को मंत्री बनने के लिए कहते हैं, वे तैयार ही नहीं होते। ऐसा प्रधानमंत्री जो एक सांसद को, जो सोनिया गांधी का बेटा है, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को गुलदस्ता भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह दासत्व की आकृति है। रतन टाटा उनके भोज में निमंत्रण को ठुकराते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है क्या? भारत 5 हजार वर्षो का देश है। 65 वर्षो का नया राष्ट्र। भारत दूसरे की निगाह में देश ही नहीं उप-महादेश है। पर मेरी निगाह में वह भारत माता है। हिमाचल उसकी ग्रीवा है। उत्तर पश्चिम की उभरती हुई धरा उसकी छाती है और गंगा-यमुना भारत की दो संताने हैं जिससे दूध प्रवाहित है। उसके पूरब-पश्चिम-दक्षिण में समुद्र की लहरें हैं जो भारत माता के वसंत हैं। भारत कोई भौगोलिक इकाई नहीं हैं वह सांस्कृतिक आत्मा का स्पंदन है। ऐसा भारत की सरकार को कोई दासत्व की आकृति दिशा-निर्देश कर सकती है। भारत गहरे आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक संकट से घिरा है। रक्षा के क्षेत्रों की भी भयानक स्थिति है।

देश में विकास की गति 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत पर आ गई है। महंगाई ने आम जन का निवाला छीन लिया है। कृषि विकास दर मात्र 3 प्रतिशत पर अटकी हुई है। पैट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहीं हैं। बड़ी तेज कंपनियों को दाम बढ़ाने का अधिकार दे रखा है। बजट राष्ट्र का खत्म हो चुका है। बजट से पैट्रोल, डीजल, गैस अलग है। रेल बजट के पहले ही रेलवे किराये में बढ़ोतरी हो जाती है। सीमा के पार से आतंकवाद का हमला है। सरकार का प्रधानमंत्री कहता है कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार है। हैदराबाद में आतंकी हमले हैं चीन ने 32 हजार किमी भूमि पर कब्जा किया है। उससे अपनी भारत माता को आजाद करने का जज्बात नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके चलते 24 विधानसभा की सीटें खाली हैं। ब्रहम पुत्र नदी में तीन स्थानों में चीन डेम बना रहा है। ब्रहमपुत्र नदी का अस्तित्व ही खतरे में है। पर भारत के प्रधानमंत्री इत्मीनान से कह रहे हैं कि इससे उत्तरी पूर्वी राज्यों को कोई नुकसान नहीं है। जब सारा देश आतंक, महंगाई और सुरक्षा के संकट से घिरा हुआ है तब सोनिया गांधी अपने पुत्र के गले पड़ कर रोती है, कि बेटा सत्ता जहर है। दीनता-हीनता की इस आकृति से क्या देश की रक्षा होगी। यह विडंबना ही तो है।

भारत कृषि की आत्मा है। 87 प्रतिशत आबादी कृषि पर जीवित है। पर आज भी मात्र 37 प्रतिशत भूभाग कृषि सिंचित है। आज भी कृषि बादलों पर टिकी है। पर यह सरकार वर्षा से होने वाली फसल को अपनी उपलब्धि मानती है, और वर्षा नहीं होने से उत्पादन में जो कमी होती है, उसका दोषारोपण प्रकृति पर करती है।

लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तक 2,76,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रत्येक 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। खेती सफल होती है तो बाजार मचलते हैं। सीमा पर रक्षा कर रहे सैनिक हर्षनाद करते हैं। कृषि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था है। आज 30-30 साल की बेटियां अविवाहित हैं। किसानों के लिए कोई सार्थक व्यवस्था नहीं है।

2008 में भारत सरकार ने 65 हजार करोड़ रूपये किसानों के कर्ज माफ करने के कदम उठाये। पर वह भी घोटालों का शिकार हुआ। कैग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करते हुए कहा है कि लगभग 10 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। जो सरकार

सही-सही जनता के पास लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकती, वह कोई सरकार भी है क्या?

भारत के बहुत बड़े भाग में सुखाड़ की समस्या है। कहीं बाढ़ से तो कहीं सुखाड़ से तबाह है। नदियों को जोड़ने के वाजपेयी सरकार के कदम को आज तक केन्द्र सरकार ने अमलीजामा नहीं पहनाया है। नदियों को जोड़ने का कदम उठाया जाये।

बिहार विकास में पिछड़ गया है और उसके पीछे विकास नहीं होने से भारत भी पिछड़ेपन का शिकार होगा। बिहार की वर्तमानप सरकार विकास कार्यों में लगी हुई है और वहां 11 प्रतिशत विकास दर पहुंची है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये और बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोसी में सप्तकोसी डैम बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नेपाल सरकार के साथ बातचीत करके नहीं किया है।

बिहार घोर अंधकार में है। बरौनी, काटी में विद्युत पावर स्टेशन मृत पड़े हैं। लगभग 99 हजार करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। सरकार कोल लिंकेज की व्यवस्था करे और अंधेरे से निजात दिलाये।

बिहार में अंग्रेजों के समय पर 42 चीनी के कारखाने थे। आज मात्र 8 चीनी के कारखाने हैं। बार-बार इथनॉल बनाने के लिए अनुज्ञप्ति देने का बिहार ने आग्रह किया है। पर सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के चीनी मिल खोलने के लिए इथनॉल की अनुज्ञप्ति देने की कार्यवाही करे।

अंत में एक कहानी कहकर सरकार के चरित्र की ओर इंगित कर रहा हूं। महोदया दो राज्य थे। दो राजा था। एक के राज्य में अकाल था। दूसरे के राज्य में हरियाली। अकाल के राजा ने हरियाली के राजा से पूछा कि आपके यहां हरियाली कैसे है? राजा ने अकाल के राजा से कहा कि आपको मेरे पास एक महीना रहना होगा। अकाल के राजा ने हरियाली के राजा के यहां एक महीना एक हरे पेड़ के नीचे रात को सोकर बिताया। एक महीने के बाद पेड़ के सारे पत्ते सूखे गये। हरियाली के राजा ने कहा कि जिस राज्य के राजा के नाक से इतनी गर्म हवा, बदबू आ रही है, वहां अकाल नहीं होगा तो क्या होगा?

मैं नवादा क्षेत्र से आता हूं। नवादा सुखाड़ से ग्रसित है। यहां बादल नहीं आते। नदियां हैं पर पानी नहीं है। वर्षा में नदियां जन्म लेती हैं, युवा होती हैं और तीन महीने में ही मर जाती हैं। नवादा घोर अंधकार में है। रजौली में आणविक विद्युत तापघर खोलने के लिए चयन करने का कदम उठाया। 4 वर्ष से मैं, सदन में इस प्रश्न को उठा रहा हूं। रजौली में आणविक विद्युत तापघर शीघ्र खोला जाये।

घोर अंधकार है। राष्ट्र असुरक्षित है। सोनिया जी बेटे का गला पकड़ कर रो रही है और सत्ता को जहर बता रही है। बेटे को राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपक्रम भी कर रही है। बार-बार राहुल जी को प्रधानामंत्री बनाने के लिए आवाज उठ रही है। कांग्रेस आतंक की मां, उग्रवाद की मां और महंगाई की मां है। यह शासन को परचून की दुकान बना चुकी है। देश में राजनीतिक नेतृत्व का शासन नहीं है।

भारत आतंकवादियों की गिरफ्त में है, संसद के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं है। आइये, इस घोर अंधकार में एक संकल्प का दीप जलायें।

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
इस हिमालाय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही,
है कोई आग, तो आग जलनी चाहिए।
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।
पर शर्त है कि जो सूरत है वह बदलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं इस सम्मानीय सदन में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ आठ प्रतिशत से पांच प्रतिशत हो गई है। इसके दो मूल कारण हैं - एक, पॉलिसी पैरालेसिस। वह इसलिए है क्योंकि सरकारी पदाधिकारी की कोई

[श्री अजय कुमार]

जवाबदेही नहीं है। सरकार सरकारी पदाधिकारी की जवाबदेही करने में एकदम विफल है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्रोनी कैपिटलिज्म है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह चर्चा कभी नहीं हुई कि राष्ट्र की सम्पत्ति को किस तरह डैवलप किया जाए।

[अनुवाद]

अत: राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। अत: सरकार के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह कोयला है (हिन्दी और जितनी भी फिसकस डैफीसिट की बात हुई, (अनुवाद) अगर कोयले की सही ढंग से नीलामी की गई होती, तो हम कम से कम 33 बिलियन डालर की बचत करते।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू, शरद जी आदि काफी सदस्यों ने एग्रीकल्चर पर चर्चा की। हम सिर्फ एक बात उठाना चाहते हैं। इस एफडीआई के बारे में काफी चर्चा करते है। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री, स्मॉल, मीडियम और माइनर इरीगेशन मिनिस्ट्री अपने-अपने तरीके से अलग-अलग काम कर रही हैं। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट जिसमें माइनर इरीगेशन, स्मॉल इरीगेशन, रूरल डैवलपमैंट साथ-साथ होते तो हम किसानों के हित में कुछ कारगर कदम उठा पाते।

जहां तक झारखंड की बात है, एक छोटा सा उदारहण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत की लो फिक्स की गई है। अगर उचित प्राइस फिक्स होता तो कम से कम वहां के क्षेत्र के गरीब, आदिवासी लोगों के लिए जंगल के प्रोडक्ट्स के साथ आमदनी बढ़ जाती। हम किसानों के हित में काफी चर्चा करते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी एग्रीकल्चरल प्राइस मार्किटिंग कमेटी को हटाने में, किसानों को हर समय मजबूर होकर बिचौलियों के हाथों अपनी सामग्री बेचनी पड़ती है। मोलास एक छोटा सा उदाहरण है। गन्ने से चीनी निकालने के बाद, आप बेचते हैं क्योंकि 600 रूपये में इटरस्टेट मूवमेंट नहीं है। अगर लिकर कम्पनी ओपन मार्किट में होती तो यह 3,600 रूपये है। इसका मतलब है कि हम किसानों को दबाना चाहते हैं और लिकर कम्पनी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह सबको मालूम है, लेकिन हम इस बारे में हमेशा चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लिकर माफिया सुनिश्चित कर लेगा कि मोलास सस्ते दाम पर मिल जाए। हर प्रदेश में यही स्थिति है।

एफसीआई के बारे में जितना कम बोलें, उतना ही उचित होगा। आस्ट्रेलिया का 20 प्रतिशत प्रोडक्शन बर्बाद होता है। अगर हम एफसीआई का 10 हजार करोड़ रूपया सिंचाई में लगा देते, तो किसान के लिए बहुत फायदेमंद काम होता। नेशनल काँउसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सरकार की एक एजेंसी कहती है कि एबव 60 प्रतिशत बीपीएल पीडीएम सिस्टम यूज करते है। इसका मतलब है कि देश में एबव बीपीएल के लिए पीडीएस सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है।

नरेगा के बारें में हमारे बहुत सारे साथियों ने चर्चा की है। हमें गांव में गलतफहमी है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के बाद नरेगा का काम शुरू होता है। उसके बाद वह बीडीओ के पास जाता है और बीडीओ के बाद डीडीसी और डीडीसी में वहां डीसी के यहां फाइल बनती है। उसके बाद तय होता है कि क्या काम होगा। किसी ग्रामीण को नहीं मालूम है कि यह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम है। यदि आपको काम नहीं मिलता है, तो सरकार को आपको पैसा देना अनिवार्य है। आप किसी भी ग्रामीण से पूछ लीजिए। आप दिल्ली में रेडियो में इस बात को सुनते रहते हैं, लेकिन ग्राम में किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। इससे हमारे सभी साथी अवगत होंगे।

हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इस देश में आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित सरकारी अफसर से है, यानी गवर्नैंस रिफार्म्स से। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सभी जिलों में हर नागरिक को मालूम है कि 5 करोड़ रूपया एमपीलैड है। किसी को नहीं मालूम है कि 400 करोड़ रूपया हमारे जिले में डीसी के विकास का बजट है और 70 करोड़ रूपया नरेगा में है। 50 करोड़ रूपया आईएपी में है। पूरी जनता को हमने एक अफीम खिला दी है, 5 करोड़ रूपये के पीछे दूरी जनता भाग रही है और सरकारी अफसर आराम से 400 करोड़ रूपये की चोरी कर रहे हैं। उस पर हम लोग कभी

चर्चा नहीं करते। राजनीति से संबंधित कोई भी व्यक्ति यह कभी नही कहेगा कि आप कॉस्ट सर्टीफिकेट मत दीजिए, राशन कार्ड मत दीजिए। लेकिन हम लोग पीड़ित हैं और चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से, मोइली साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स हैं, उसमें आप सरकारी पदाधिकारी की जवाबदेही बढ़ा दीजिए। अब तो समय आ गया है। अगर झारखंड में देखेंगे, तो अमीर लोगों में सरकारी पदाधिकारियो की संख्या सबसे ज्यादा है। अशोक नगर में देख लीजिए, तो 90 प्रतिशत महल उनके हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का एफडीआई लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स हो जायें, तो दस प्रतिशत वैसे ही विकास होने लगेगा।

आखिर में, मैं झारखंड के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मै उस प्रदेश से आता हूं। रेलवे बजट में बहुत सारी बातें हुई। रेलवे को 40 प्रतिशत आमदनी झारखंड से होती है, लेकिन एक प्रतिशत से भी कम उसका कैपिटल एक्सपेंडीचर है। इसी तरह पूर्वी राज्य जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा को सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सबसे पिछड़े राज्य के लोग हैं। चाहे ओडिया हो, बिहार हो या झारखंड हो, उन पर ध्यान दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी) : महोदय, मैं इस बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री पी.सी. चाको द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करता हूँ।

मैं यह नोट करके काफी खुश हूँ कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप आर्थिक मोर्च पर एक सकारात्मक प्रवृत्ति का सृजन हुआ है तथा कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति भी वास्तव में अच्छी है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 30 और 31 राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में हैं। मैं निश्चित रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया है। इस वर्ष के बजट में भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा मौलाना आजाद फाउंडेशन के आबंटन में वृद्धि की गई है। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार ने अभी तक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं किया है।

मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर रहा कि सरकार ने कुछ किया है लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार आरक्षण के विषय को भूल गई है। हमारे दूसरे पक्ष के कुछ मित्र कह रहे थे कि समुदाय के आधार पर आरक्षरण एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है। जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आरक्षण तथा केवल आरक्षण है। अगर सरकार इस बारे में गंभीर प्रयास नहीं कर रही है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह खेद का विषय है।

हम काफी लंबे समय से सकारात्मक कार्यवाही के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न आयोगों द्वारा सकारात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के संबंध में क्या सकारात्मक कार्यवाही की गई है? इसलिए मैं इस सरकार की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मैं यह अवश्य अनुभव करता हूँ कि सरकार आरक्षण इस प्रकार का उदासीन दृष्टिकोण अपना रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की ओर से काफी सराहनीय है। यूपीए-दो अपना कार्यकाल पूरा कर रही है और इस सरकार कार्यकरण की समाप्ति नजदीक आ रही है। कम से कम इस समय मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाव दिए गए आरक्षण तथा सभी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाहियों के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाई जाए।

यह गैर कानूनी गतिविधियों की खत्म करने के लिए था। यहां ठीक है कि इस अधिनियम का किसी और चीज की तरह ही दुरूपयोग हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हजारों मुस्लिम युवक जेलों में कैद हैं। उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। महोदय, यह अधिनियम पुलिसवालों को सभी को सिर्फ जेल में डालने का खुला लाइसेंस नहीं देता।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहां क्या हुआ था। एक

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर]

व्यक्ति जिसका नाम मदनी है। वो एक मुस्लिम विद्वान हैं। वह चेन्नई के सेंट्रल जेल में नौ सालों से थे। अंत में उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। पुन: उन्हें 2 वर्ष के लिए कर्नाटक जेल में डाल दिया गया। उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया गया। उन्होंने अपनी दाहिनीं आंख की रौशनी गंवा दी। अब, उनकी बायीं आंख में केवल 30% रौशनी बची है। वह कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। उन्हें जमानत नहीं मिली आज तक उनका अर्जी लंबित है। यह धर्मनिरपेक्षवाद के सिद्धांतों के विरूद्ध है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : अब मैं दूसरे बिंदु चीज़ पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्य नरेगा के बारे में बात कर रहे थे।

महोदय, नरेगा कि लिए हम सब गर्व कर सकते हैं। नरेगा इस देश में शुरू किए गए कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सबसे बेहतरीन फ्लैगशिप कार्यक्रमों है। लेकिन इसके दो मुख्य पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

पहला, उसमें निहित भ्रष्टाचार है। हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा। भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में फैला है।

दूसरा, आस्तियों का सृजन है। कोई भी आस्तियों के सृजन पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। ये दो बिंदु हैं। किस प्रकार नरेगा के भ्रष्टाचार को जड़ से हटाया जाए? और; किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक चलने वाली आस्तियों का सृजन नरेगा के एक भाग के रूप में सुनिश्चित किया जाए?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : मैं अपनी बात बस समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक बिंदु रखना चाहता हूं। मैं राष्ट्रपति जी के भाषण में पैरा 42 से 49 जो कि स्वास्थ्य के संबंध में हैं, के बारे में एक बात करना चाहता हूं।

महोदय, वर्ष 2015 में मिलेनियम विकास लक्ष्य योजना का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। बाल स्वास्थ्य और इससे संबंधित अन्य प्रकार की चीजों के बारे में कई मांगे हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे मित्र अभी कुपोषण और उसके जैसी अन्य बातें कर रहे थे। इस देश में 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इन सब पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को सदी के विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठाये कदमों और उपलब्धियों, के बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सबसे पहले, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से निराश हुआ हूं क्योंकि यह इस तरह का 9वें राष्ट्रपति का वाद-विवाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उत्तर दिया जाना है। मुसलमानों को दु:खी और निराश होने का अधिकार है। उसका कारण 2009-10 का भारत का वर्तमान रोजगार और बेरोजगारी का सर्वेक्षण है जो कि एनसएसओ द्वारा किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुस्लिम ओबीसी और सामान्य मुस्लिमों का साक्षरता स्तर एसटी, एससी और हिंदू ओबीसी और हिंदू सामान्य वर्ग के मुकाबले कम है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में एससी और एसटी के साक्षरता स्तर में सुधार हुआ है लेकिन मुसलमानों का नहीं बढ़ा। यदि मैं ट्रिक स्तर की बात करें तो, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में, मुसलमानों की संख्या सबसे कम है और वहां तक कि एससी और एसटी से भी कम है। यदि आप 2009-10 की अवधि से तुलना करेंगे तो पाएंगे किया स्तर और भी गिरा है। मैट्रिक स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। जब शिक्षा के उच्चतर स्तरों की बात आती है तो पिछले पांच सालों के आंकड़ो की तुलना में शहरी क्षेत्रों के सामान्य मुसलमानों की संख्या में 1.5 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि एससी, एसटी, हिंदू ओबीसी, हिंदू सामान्य वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हुआ है। उनका प्रतिशत पांच से बढ़कर नौ हो गया है। यह बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि इस सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

जब हम सार्वजनिक रोजगार की बात करते हैं, 2010-11 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भूमि सुधार विभाग, विधि

और न्याय; सामाजिक न्याय और सशाक्तिकरण मंत्रालयों तथा खाद्य और जन वितरण विभाग में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रक्षा मंत्रालय में, 2010-11 में 800 नियुक्तियाँ की गई थी, उनमें 50 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध थे। यह तथ्य 15 बिंदु कार्यक्रम के बारे में काफी कुछ बताता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भी यही स्थिति है। वित्तीय सेवा विभाग में, 2010-11 में, समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं की 65000 नियुक्तियों में से 4702 नियुक्तियां अल्पसंख्यकों की थी। फिर, योजना आयोग के अनुसार, शहरी इलाकों में मुसलमानों का गरीबी अनुपात 33.9 प्रतिशत अनुमानित है। हम कहां जाएंगे यदि सरकारी नौकरियों में यही प्रतिनिधित्व होगा?

ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात बहुत अधिक है। असम, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में यह अनुपात क्रमश: 53 प्रतिशत, 44 प्रतिशत, 34.4 प्रतिशत और 31.4 प्रतिशत है। यह योजना आयोग द्वारा दिया गया 'हेड काउंट' अनुपात है। मेरा यहां कहने का अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यही अनुपात है, हमें मनरेगा के अंतर्गत हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। क्या गणना है? केवल 3 प्रतिशत मुसलमानों के हाथ में नौकरी है और प्रति सौ कामगारों पर केवल 2 कामगार मुसलमान हैं। जब असम, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में गरीबी का 'हेड काउंट' अनुपात इतना अधिक है, तो सरकार 15 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या निगरानी रख रही है?

जब हम एसजीएसवाई मुद्दे की बात करते हैं तो लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं किए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों का लक्ष्य 27598 था लेकिन अब तक 12363 का लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। अब हमें जिलों में पर्याप्त अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों की भर्ती के मुद्दे पर बात करते हैं। वर्ष 2011-12 में कुल 32728 में से 3000 अध्यापकों का लक्ष्य था। इसमें क्या सफलता मिली? यह कुल 7603 थी। 2011-12 में, जिलों मे पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या के साथ केजीबीवी के लिए 109 का लक्ष्य घोषित किया गया था लेकिन इसकी संख्या केवल 32 ही रही। अब, केजीबीवी में मुसलमान लड़कियों का प्रतिशत कितना है। यह समस्त देश का केवल 9 प्रतिशत है। यह भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में काफी कुछ बताता है। उदाहरण के लिए, उत्तरप्रदेश में 200 केजीबीवी हैं पर उनमें केवल 14 प्रतिशत अल्पसंख्यक लड़कियां ही हैं। यहाँ 705 विद्यालय भवनों का लक्ष्य था पर केवल 228 का ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। अतिरिक्त कक्षा कमरों का लक्ष्य 13883 था पर केवल 5200 ही उपलब्ध हो पाई।

इसलिए, हमने प्रधानमंत्री से इस बारे में अनुरोध किया है। लेकिन बदकिस्मती से, यहां कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। हमने इसे योजना को मांग आधारित और पोस्ट-मैट्रिक, प्रि-मैट्रिक समूह के लिए मैरिट आधार पर बनाने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। मंत्रालय ने केवल छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ही 28000 करोड़ रूपए की मांग कर दी। योजना आयोग ने क्या निर्णय लिया था? इसने कहा था कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए केवल 70,000 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इस धन राशि से क्या होगा? छात्रवृत्ति योजनाओं की भारी मांग है। एक मुस्लिम छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 250 छात्र-छात्राएं प्रतिस्पर्धा में है। मुस्लमान अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित करने में अत्यंत रूचि रखते हैं। परंतु जब हम उच्च स्तर आर्थात् 12वीं और स्नातक स्तर पर पहुंचते हैं तो आकड़ें अत्यधिक अधस्वेस नाक हो जाते है। वे हमारा समर्थन करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहें?

मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। साम्प्रदायिक लक्ष्य हिंसा निवारण विधेयक को लाने के वादे का क्या हुआ? वह विधेयक कहां है? यदि अन्य दल इससे सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों को साम्प्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कानून लाने के लिए क्यों नहीं कहते? आप महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लीजिए। धुलिया में दंगे भड़के। सरकार ने 12 दिन बाद कार्यवाही शुरू की। भरतपुर, राजस्थान में 12 मुस्लमानों का एक मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। असम में भी यही हुआ।

अब मैं गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आकड़ों पर आता हूँ। वर्ष 2005 से 2009 में साम्प्रदायिक हिंसा में 648 लोग मारे गए। यह संख्या आंतकवादी हिंसा में मरने वाले लोगों से अधिक है। अब सरकार को इस विधेयक को लाने में विलंब नहीं करना चाहिए। यह विधेयक एलआईसी द्वारा पारित किया गया था।

अब मैं अंतिम मुद्दा उठाऊंगा। आज ही आरडीओ के एक वैज्ञानिक श्री आजाद अहमह मिर्जा को मुक्त किया गया। एनआईए

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

को उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ा गया है। डीआरडीओ ने उनका कान्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। इसका क्या कारण था? वैज्ञानिक के रूप में उनका दो वर्ष का कान्ट्रैक्ट था। हमारे समुदाय में कोई वैज्ञानिक नहीं है। उन्हें गलत ढंग से फसाया गया। एनआईए ने उन्हें मुक्त कर दिया पर ही आरडीओ ने उनका कान्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार की धर्म निरपेक्षता का अनुसरण कर रही है। महाराष्ट्र में कर्नल पुरोहित को पिछले चार वर्षों से जेल में डाला हुआ है। जबकि रक्षा मंत्रालय उन्हें पिछले चार वर्षों से वेतन दे रहा है। अब इन सब बातों की निगरानी क्यों नहीं करते? इसका पता मैंने नहीं लगाया अभि, मेजर उपाध्याय, जो कर्नल पुरोहित के सहअभियुक्त हैं, द्वारा दायर सूचना में अधिकार के आवेदन से पता चला है। सरकार यह नहीं जानती।

मैं आपको एक और मुद्दे की जानकारी देना चाहता हूँ। दिल्ली विशेष पुलिस प्रकोष्ठ को बंद करने का उचित समय आ गया है। अथवा इसके स्थान पर कम से कम जिम्मेदार और जवाबदेह व्यवस्था लायी जानी चाहिए। जामिया एसोसिएशन ने 16 ऐसे मामलों के बारे में बताया है जहां इन सभी लड़को को दोषमुक्त ठहराया गया। तब तक वे चार से 8 वर्ष जेल में बिता चुके थे और सरकार उदाहरण देने को कहती है। मैं ऐसे 16 लड़कों के मामले का उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया परंतु दिल्ली विशेष पुलिस पुकौष्ठ ने गिरफ्तार कर लिया। क्या सरकार के पास दिल्ली विशेष पुलिस प्रकोष्ठ के इन आधिकारियों को निलंबित करने का साहस है जिन्होंने इन लड़कों का जीवन तबाह कर दिया।

यदि हम अफजल गुरु का उदाहरण ले, मैं उसकी सजा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के एक राजनयिक है जिन्हें दोषित किया गया है परंतु वे टेलीफोन कर सकते है और हरियाणा में सार्वजनिक बैठकों को सम्बोधित कर सकते हैं परन्तु आपको इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि आप उसे फांसी देने से पहले उसकी पत्नी को उससे बात करने देते। आप कैसे मानवता का अनुसरण कर रहे हैं? आप किस प्रकार का संदेश दे रहे है?

मैं जानना चाहता हूँ कि रंगनाथ मिश्रा आयोग का क्या होगा। उसकी सिफारिशें कहां गई? आपके शासन का नौंवा वर्ष चल रहा हैं। आपको जनता के पास जाना है। मुसलमान इन योजनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। वे वास्तविक परिवर्तन और विकास देखना चाहते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है।

आतंकवाद एक नया धर्म हैं। आतंकवादी हमें हानि पहुंचा रहे हैं, वे हमें मार रहे हैं। वे यह नहीं देखते कि हम हिन्दू है या मुसलमान। परन्तु हम इसका राजनीतिकरण करना चाहते है। हम इस पर आक्षेप लगाना चाहते है। परंतु अब देश में एक होने का समय आ गया हैं और भगवान के लिए इस मीडिया में नियंत्रित कीजिए। प्रत्येक बम विस्फोट होने के आधे घंटे बाद उन्हें पता होता है कि क्या हुआ। यदि ऐसी बात है तो मीडिया एंकरों को देश का गृह मंत्री बना दिया जाना चाहिए। ये सभी मीडिया एंकर जो रात को नौ बजे अपनी गद्दी पर बैठते हैं और निर्णय देते हैं उन्हें सब पता होता है। यह सूचना उन्हें कहां से मिलती हैं? अंत में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तालिबान के साथ राजनयिक चैनल शुरू करने के प्रस्ताव की जांच करे। वर्ष 2014 में अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान से चले जाएंगें। हमने अफगास्तिान के विकास में करोड़ों रूपये लगाए हैं। यदि हम उनके साथ वार्ता नहीं शुरू करेंगे तो हमारे पड़ोसी देश वहां प्रवेश करके इस क्षेत्र का आयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए करेंगे। खाड़ी देशों ने वहां दूतावास खोला है और उससे बातचीत कर रहे हैं।

मैं सरकार से पुनः यह आग्रह करूंगा कि वह अपने वादों को पूरा करे। आप चाहे सत्ता में वापस आएं या न आएं परन्तु आपके वादों से निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुसलमानों के पास चौथा रास्ता भी हैं। उनके पास तीन नहीं चार रास्ते हैं। कृपया इन वादों में क्रियान्वयन को सुनिश्चित कीजिए।

[हिन्दी]

*__कुमारी सरोज पाण्डेय__ (दुर्ग) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने केवल अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन अगर गहराई से जाकर देखें तो जमीनी स्तर पर इनके किसी भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दावो में कोई भी दम नहीं है। अगर सकल घरेलू उत्पाद को ही देखें तो यह सरकार खुद कबूल कर रही है कि जहां इसकी वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत थी, वह आज गिरकर 5.4 प्रतिशत हो गयी है। इससे बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़े हैं और आम जनता का जीवन पहले से कहीं अधिक दूभर और कष्टप्रद हो गया है।

एक तरफ तो यह सरकार इस बात की खुशी मनाती है कि कृषि के क्षेत्र की विकास दर 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत हो गयी है, दूसरी ओर इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर कृषि में इतना ही विकास हुआ है तो विगत वर्षो में इतने किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? अगर कहीं कोई विकास हुआ है तो खुशहाली भी होनी चाहिए। यह क्यों कहीं दिखायी नहीं दे रही? क्यों आज इस देश के हर वर्ग का नागरिक किसी ना किसी कारण से इस सरकार से निराश है?

एक तरफ आप यह दावा करते हैं कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और हमारे पास 662 लाख टन खाद्यान्न संचित है, दूसरी तरफ इन्हीं खाद्यान्नों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की गरीब जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने अभी कैश ट्रांसफर स्कीम लागू की है जिसमे लाभार्थियों को सबसिडी का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? और इसे जारी करने के पूर्व क्या इसके सभी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया गया था? आज इस देश में गरीब कम से कम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिला अनाज प्राप्त कर लेता है और कम से कम उसका परिवार भूखा तो नहीं रहता। हाँ यह बात सत्य है कि इस वितरण प्रणाली में कई विसंगतियाँ हैं और यह भ्रष्टाचार का एक स्त्रोत है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना करें जब इस पैसे का दुरूपयोग होने लगेगा। अगर परिवार का मुखिया इसे गलत कार्यों में खर्च कर दे तो उसके परिवार का क्या होगा? और जितनी सबसिडी की राशि इसमें जारी की जा रही है, उतनी राशि में अगर बाजार में वह वस्तु नहीं मिली तो उस वक्त उसके पास क्या चारा रहेगा? यह तो एक तरह से गरीबों को भी बाजार के हाथ में सौंप देने वाली बात हुयी और यह अभी हो क्यों लागू किया जा रहा है? स्पष्ट है कि केन्द्र इसे एक चुनावी रणनीति की तरह उपयोग कर रहा है। अगर गरीबों की केन्द्र को इतनी ही चिंता है तो इसके और भी उपाय किए जा सकते थे। वितरण प्रणाली को सुधारा जा सकता था। उसमें जिस लीकेज की बात केन्द्र कह रही है उसे बंद किया जा सकता था।

अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आज इस देश में महिलाएं अपने आप जितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं, शायद पहले कभी भी नहीं किया होगा। जितनी घटनाएं बलात्कार और उत्पीड़न की आज सामने आ रही हैं, पहले कभी नहीं आई। यह ठीक है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून अध्यादेश के जरिये केन्द्र ने लागू किया है लेकिन यह बात सर्वविदित है कि केवल कानून बना देने से सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा होती है सरकार की सुरक्षा महकमों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करने से और इसके पालन के लिए उन्हें भी पर्याप्त संसाधन और बल प्रदान करने से। इसके विषय में केन्द्र ने कोई भी बात नहीं कही है।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं। यह एक नव गठित राज्य है और नए राज्यों के गठन में मूल भावना यह रहती है कि उस क्षेत्र का विकास सही तरीके से हो, उसके संसाधनों का उपयोग वहां की जनता के लिए किया जा सके। दूसरी बात यह रहती है कि राज्य अगर छोटा रहेगा तो प्रशासनिक चुस्ती बनी रहेगी और योजनाओं को लागू करने और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन जब भी किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो उस राज्य के संसाधनों का अभाव रहता है। अधोसंरचना के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थ के लिए, विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि राज्य नव गठित होता है उसके राजस्व के साधन विकसित होने में समय लगता है। अत: नव गठित राज्यों को उनके विकास के लिए केन्द्र से विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए लेकिन इस पर भी केन्द्र सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है।

कुल मिलाकर बात यही उभर कर आ रही है कि केन्द्र ने संवेदनशील मुद्दों को लेकर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया है। आर्थिक मोर्चे पर उनकी विफलता तो आंकड़े ही बता दे रहे हैं।

[अनुवाद]

*श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेकर अत्यधिक खुश हूँ। महामहिम राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और उसके कार्यक्रमों को सिलसिले वार गिनाया है। पर उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ किसी योजना की घोषणा नहीं की है। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। महोदय, आज भी इस देश में मानव मल को उठाने का कार्य व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है जोकि अत्याधिक अपमान जनक और पीड़ादायक है। महमहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सिर्फ इतना कहा है कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक कानून बनाया गया है। हम लोग महात्मा गांधी को बड़े आदर के साथ राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं। विडम्बना यह है कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतो का गंभीरता से अनुसरण नहीं करते हैं। मैं सरकार की नोटिस में दो महत्वपूर्ण विषयों को लाना चाहता हूँ। नशाबंदी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन पर्यन्त खड़े रहे। किन्तु सरकार ने देश के सभी राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी हैं क्योंकि उसका मानना है कि यह राजस्व का बड़ा स्रोत है। सरकार देश के लोगों को शराब का आदी बनाती हैं। विशेषकर इस राष्ट्र का युवा वर्ग, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, अल्कोहल का आदी हो गया हैं। यह फिर से एक गंभीर चिन्ता का विषय है। यदि हम सचमुच में महात्मा गांधी पर विचार करते हैं और राष्ट्रपिता के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, तो नशाबंदी का शत-प्रतिशत अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि वे दिल से मद्दनिषेध चाहते थे। मद्दनिषेध की घोषणा एक राष्ट्रीय नीति व प्रत्येक राज्य सरकार की नीति के रूप में की जानी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे देशभर में मद्यनिषेध लागू करें।

दूसरे, गाँधी जी चाहते थे कि देश में मृत्यु दंड न हो। मृत्यु दंड से सभी समुदायों के लोग विशेषकर अल्पसंख्यक, गरीब और दलित वर्ग के लोग मूलरूप से प्रभावित होते हैं। अमूमन विश्व के सभी राष्ट्र इस बात का उपदेश देते हैं कि मानवीय आधार पर मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। विश्व के लगभग 104 राष्ट्रों ने मृत्यु दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों ने मृत्यु दंड को अपने यहाँ के कानून से ही निकाल दिया है। गांधी जी ने नाथूराम गोडसे को माफ कर दिया था। उसने उन्हें गोलीमारी थी। भारत के लोग जो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मृत्यु दंड एक पाप है और इसे अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। हम अब भी अपने देशवासियों को फांसी पर लटकाकर उन्हें मौत देने की इस भया वह परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह मृत्यु दंड को समाप्त कर दे। साथ ही, अफजल गुरु को फांसी पर लटकाना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अफजल गुरु को उसके परिवार के लोगों को सूचित किए बगैर ही फाँसी पर लटका दिया गया। मैं सरकार के इस रवैये की घोर निन्दा करता हूँ जिसने अफजल के परिवारजनों को उसका मृत शरीर लेने की भी अनुमति नहीं दी। उसे जेल में ही दफना दिया गया। मैं यह भी आग्रह करती हूँ कि तमिलनाडु के तीनों ही लोगों को जिन्हें राजीव गांधी हत्या के मामले में फांसी दी जाती है, रिहा कर दिया जाए। और मैं सरकार से उन चार लोगों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ जो वीरप्पन मामले में मृत्युदंड पाने की कतार में हैं।

साथ ही, हमारे मछुआरे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा जब-तब हमले हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति में मछुआरों ने सरकार के सामने अपनी कुछ जायज माँगे रखी हैं। इन मछुआरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनके द्वारा लिए गए ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इस देश में सुरक्षित नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता पाप हैं। किन्तु, आजादी के 65 वर्ष बाद भी इस देश में अस्पृश्यता विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को शिकार बनाया जाता है; उनके घरों को आग लगाकर खाक कर दिया जाता है। उनके खिलाफ अत्याचार निरंतर जारी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुरक्षा देने और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सरकार कानून बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करे।

***श्री चंदूलाल साहू** (महासमंद) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के दस्तावेज होते हैं। जो सरकार की दशा और दिशा तय

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करती है। किंतु दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा देश के दिशा और दशा तय करने के संबंध में कोई सोच नहीं है, कोई इच्छाशक्ति नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज महंगाई बेलगाम हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और 9 साल के कार्यकाल में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में असमर्थ रहा है।

देश आज संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। देश की विदेश नीति एवं आंतरिक नीति अत्यंत लचर है। किंतु सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। शासन द्वारा जितने भी योजनाओं को लागू किया गया, योजना जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पायी। 2008 में वित्त मंत्री के बजट में किसानों का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया था। किंतु कर्जदार किसान इसका कोई लाभ नहीं उठा पाये बल्कि जो अपात्र किसान थे उनको इसका फायदा मिला और यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज हर क्षेत्र में एक नया घोटाला उजागर होता है। जैसे वर्तमान में वीवीआईपी के लिए हेलीकाप्टर खरीदी में घोटाला, कर्ज माफी में घोटाला आदि। सरकार जब कैग रिपोर्ट आती है और सदन में हंगामा होता है तभी जांच का आश्वासन देती है। जबकि कोई भी घोटाला उजागर होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को उचित सजा दिये जाने पर ही घोटाला पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

केन्द्र सरकार देश के विकास के लिए शक्तिशाली भारत के लिए अभी तक ऐसा कोई नियम या कार्ययोजना क्रियान्वित नहीं कर सकी जिससे देश शक्तिशाली बन सके और गौरव के साथ कह सके कि हमारा भारत देश किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है। आजादी के 65 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में देश का विकास नहीं बल्कि देश का विनाश ही हुआ है। अभी तक सकल घरेलू उत्पाद लगातार गिरती जा रही है। मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसको रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी सरकार को देश की चिंता नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ऐसी सरकार का होना या न होना दोनो बराबर है।

***श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** (अहमदनगर) : सम्माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण महाराष्ट्र राज्य को उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं लगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है, राज्य में सूखे की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था गिर गयी है। वास्तविक में मनरेगा योजना गरीबों के लिए उपयोगी है ताकि कोई भूखा न मरे, लेकिन मेरा अहमदनगर जिला एक ऐसा जिला है जहां 14 तहसील में से 70 तहसील सूखाग्रस्त घोषित किए हैं। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं। गाय-भैंसों को चारा नहीं। चारे की कमी के कारण दूध देने वाले जानवरों की संख्या कम हो रही है। मेरे क्षेत्र की जनता सूखे की डबल मार झेल रही है। एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी तरफ दूध दोहन में कमी और तीसरी तरफ मनरेगा की मजदूरी मिलने में छः छः महीने लगते हैं। अगर पैसे समय पर नहीं मिलेंगे तो किसान अकाल का सामना कैसे करेंगे। अभिभाषण में नहर जोड़ना प्रकल्प का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य है। राज्य की सूखा स्थिति का अध्ययन करने के लिए कई समितियां गठित की गई, समिति के समक्ष सांसदों ने साक्ष्य दिया। लेकिन सांसदों की सिफारिशों की अनदेखी कर दी है। कई सरकारी अधिकारियों ने राज्य का अकाल दौरा किया। उनका सूखा/अकाल टूरिजम हो गया लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिला।

मैने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र को एक सूचना दी थी कि राज्य तथा केन्द्र की सहायता से ढेर सारी योजनाओं को धनराशि दी जाती है। लेकिन उसे रेवड़ी की तरह बांटने से किसी भी गांव का विकास नहीं हुआ है। मैंने सूचना की थी कि पंचायतगण में से एक गांव चुनकर वहां की सारी विकास योजनाएं पहले पूरी करें ताकि बाकी गांव के लिए वह एक मार्गदर्शक गांव बनेगा। वैसा मेरे संसदीय क्षेत्र में पद्मश्री अन्ना हजारे और श्री पोपरशन पवार ने करके दिखाया है। अगर सरकार इच्छा शक्ति जताती तो बाकी गांव भी पानी के लिए स्वयंपूर्ण होंगे। देश में 3678 वास्तु संरक्षित वास्तु जिससे अपने देश का इतिहास प्रतिबिंबित होता है वो अब खस्ताहाल स्थिति में पड़े हैं। उनका भी जिक्र नहीं किया है। आतंकवाद और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होने चाहिए। और अत्याचारियों पर सहिष्णुता नहीं बरतनी चाहिए। मराठी भाषा 3 हजार साल पुरानी है उसे राजमाया का दर्जा देकर मराठी भाषा का उन्नयन करके मराठी नागरिकों का गौरव करने का मौका भी गंवा दिया है।

देश की छवि स्वच्छ और साफ सुथरी रखने के लिए कटिबद्ध रहने का भी प्रावधान नहीं किया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*श्री सुखदेव सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : मैं संसद के दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं, महामहिम राष्ट्रपति का इस बात के लिए तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो अभिभाषण दिया, वह प्रोत्साहन देने वाला, व्यावहारिक और तथ्यों परक है। मैंने अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में कई भाषण सुने हैं, पर महामहिम राष्ट्रपति का भाषण तथ्यों से लवरेज बेहतरीन और अलंकारिक था। मैं मानता हूँ कि माननीय डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम उन सभी लक्ष्यों और आकांक्षाओं को हासिल कर सकेंगे जो इस समय देश के लिए जरूरत है।

यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान कृषि क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन रहा है। देश में सड़कों का निर्माण निर्धारित समय में और तेजी से पूरा हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों और देश के कटिबद्ध व समर्पित कर्मचारियों की मदद से बिजली का उत्पादन चरम सीमा पर पहुँच गया है।

मनरेगा (एमएनआरईजीए) के समुचित कार्यान्वयन के लिए मैं यूपीए-2 का आभारी हूँ। इस योजना में हम यूपीए-2 की वजह से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 145 रूपए दिया रहे है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे वर्ष में कम से कम 200 दिनों के कार्य दिवस की व्यवस्था करें।

मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे लिए यह उल्लेख करना जरूरी है कि पंजाब के तरणतारण जिले में पुलिस द्वारा एक निर्दोष महिला को पीटा जाता है। यह पुलिस की शर्मनाक कार्रवाई है।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पंजाब राज्य की ओर अत्यधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

[हिन्दी]

*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों का प्रतिबिम्ब होता है तथा क्रियाकलापों का संकल्प भी होता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण प्रणाली आरम्भ की है। प्रश्य यह नहीं है कि आप किस सिस्टम से गरीबों को सहयोग कीजियेगा। बल्कि प्रश्न यह है कि आजादी के बाद 55 वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में शासन रहने के बाद भी देश के 29.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। लेकिन उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है बल्कि सिर्फ गरीब ही रहे और सिर्फ नये सिस्टम के अनुसार उन्हें वहीं लाभ नगद के रूप में देने का कार्य करने जा रही है, जो लाभ उन्हें विभिन्न तरीकों से मिलता है।

इस देश की साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत है, और इसमें भी महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 65.46 प्रतिशत है। कोई संकल्प और लक्ष्य नहीं है कि जब अगले वर्ष महामहिम अभिभाषण करने आयेंगे तब उपलब्धि को बता पायेंगे।

आम लोगों की मौलिक समस्या है पीने का पानी। इस देश में सिर्फ शहरी क्षेत्र के 54 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के 21 प्रतिशत यानि कुल मिलाकर सिर्फ 31 प्रतिशत लोगों को ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इस देश में भी सरकार का कोई संकल्प नहीं है। आज देश की ताकत कृषि है। इस ताकत को बढ़ाकर हम पूरे दुनिया के बाजार में अपने को स्थापित कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 36 प्रतिशत कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है और 64 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है। इसके लिए भी कोई लक्ष्य सरकार द्वारा नहीं निर्धारित किया गया है, मानसून पर आधारित कृषि पर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है।

जिस देश में बीस करोड़ से अधिक लोग बिना पक्का मकान के रह रहे हैं उस देश में 5 वर्षों में सिर्फ 10 लाख घरों के निर्माण के संकल्प को दोहराकर गरीबों के दिल में आग लगाने का कार्य किया है। देश के गरीब लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना नहीं करना गरीबों के साथ मजाक है। सिर्फ धर्म को आधार बनाना राष्ट्रहित में नहीं है।

सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र सरकार की महत्वाकांशी योजना है लेकिन पूरे भारत में यह हमें तोड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार शिक्षकों की कमी और राज्य को अधिक वित्त पोषण पर सरकार गंभीर नहीं है। पूर देश में पारा, शिक्षक की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। अमेरिका से परमाणु

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समझौता के बाद लगा था कि कल ही बिजली संकट से देश को मुक्ति मिल जायेगी लेकिन आज सरकार उसकी चर्चा भी नहीं करती है।

सरकार ने कम्बोडिया, म्यांमार और लाओगस के मंदिरों का जीणेद्धार करा दिया है लेकिन भारत के मंदिरों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, यह समझ के परे है। आज के वैश्वीकरण के युग में क्या सरकार भारत को सिर्फ बाजार बनाकर रखना चाहती है जिस तरह से आर्थिक सुधार के नाम पद विदेशी पूंजी को खुदरा व्यापार के क्षेत्र में लाकर परम्परागत आर्थिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने जा रही है, उससे भारतवासी को चिंता हो रही है।

देश के उद्योगपति जिस तरह से भारतीय पूंजी को विदेश में निवेश कर रहे हैं उससे चिंता होती है कि भारत जैसे देश में जहां पढ़े लिखे नवयुवकों के हाथ में रोजगार कहां मिलेगा। भारत जैसे देश में रोजगार का सृजन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यूपीए की दिशाहीन सरकार इसे प्राथमिकता की सूची में नहीं रख पा रही है।

कम्प्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण से रोजगार कम होते जा रहे हैं अर्थात बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार को सृजन करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़िकरण के लिए पूंजी को ध्रुवीकरण से मुक्ति के लिए प्रयास अपेक्षित है।

मैं अपने राज्य झारखण्ड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रदेश खान-खनिज से भरा पड़ा है, जिसकी कोख में अमीरी है लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। यहां गरीबी का यह आलम है कि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। आर्थिक पिछड़ापन में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय देश के पिछले पायदान पर खड़ी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार की कोई इच्छा नहीं है। झारखण्ड में आदिवासी हैं, उग्रवाद है। बंजर भूमि है। पीने के पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं। बिजली की पूर्णता से कोसो दूर हैं। बेरोजगारी है, विवशता है, लेकिन यूपीए सरकार इस राज्य को विशेष सहायता क्यों नहीं देती है, यह समझ से परे है।

राज्य के सृजन के बाद राजनैतिक अस्थिरता का दौर रहा जिसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। राष्ट्रपति शासन तथा कठपुतली सरकार के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। मधुकोड़ा को समर्थन देकर सरकार को बनाना, भाजपा की सरकार को तोड़ना, मधुकोड़ा के माध्यम से राज्य को लुटवाना ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जोकि राज्य के विकास में बाधक रहे हैं।

आज भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कांग्रेस वहां राज कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने मंत्री परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया कि विधानसभा को भंग किया जाये तथा चुनाव कराया जाये, लेकिन केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर दिया। राष्ट्रपति शासन सिर्फ उतने दिनों के लिए लगाया जाता है कि वैकल्पिक सरकार के लिए अवसर दिये जाये। जब वैकल्पिक सरकार की संभावना ही नहीं हो तब क्यों राष्ट्रपति शासन है। झारखण्ड की जनता जानना चाहती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन एक व्यवस्था है लेकिन लोकतंत्र का विकल्प नहीं।

श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी) : सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हम यूपीए के एलाई हैं इसलिए मैं गवर्नमेंट और प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया के इस भाषण के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो घर में भी कहनी चाहिए, अगर हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? मैं यहां देख रहा हूं कि दोनों तरफ लफ्जों का आदान-प्रदान चल रहा है, कोई इस तरफ से बात कर रहा है कोई उस तरफ से बात कर रहा है लेकिन समस्याओं का समाधान कोई नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय : आप बोलिये, सब सुन रहे हैं।

श्री बदरूद्दीन अजमल : जी, इलैक्शन सामने है, पब्लिक सारी चीजों को टीवी पर देख रही है और इलैक्शन में पब्लिक जो फैसला लेगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग शांत हो जाइये, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री बदरूद्दीन अजमल : आप बोलते रहिये, कोई बात नहीं, मैं भी बोलता रहूंगा। सरकार ने आधार का जो प्रोग्राम लिया, यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी स्कीम है जिसमें डायरेक्ट लोगों तक जाने की बात है। लेकिन क्या डायरेक्ट फायदा लोगों तक पहुंचेगा?

[श्री बदरूद्दीन अजमल]

सरकार की हजारों अच्छी-अच्छी स्कीमें हम यहां सुनते हैं बड़ी अच्छी-अच्छी स्कीमें सरकार द्वारा ली जाती हैं, प्लानिंग होती है लेकिन फील्ड में जाकर जब हम देखते हैं तो उसका कहीं-2 प्रतिशत, कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत इम्प्लीमेंट होता है, यह अफसोस की बात है। विशेष रूप से आधार के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारे आसाम में फ्लड और इरोज़न का एरिया है, लोग नाव में रहते हैं। दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर तक लोग सैलाब में इधर से उधर हो जाते हैं और उनके डॉक्युमेंट्स गायब हो जाते हैं। उनके पास लैंड डाक्युमेंट्स नहीं होते हैं और जब वे बैंक जाते हैं तो बैंक उनका खाता नहीं खोलता है। मैंने कई बार सदन में अपनी बात रखी है, अपनी डिमांड इस बारें में रखी है कि ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म के इलाकों में रहते हैं, भारत सरकार इलैक्शन में जो डाक्युमेंट्स मांगती है, उन डाक्युमेंट्स में से किसी भी एक डाक्युमेंट को उन्हें मान्यता देनी चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को इस किस्म की अच्छी योजनाओं का भी फायदा मिल सके।

मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए एक हजार करोड़ रूपए रखे हैं। लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह भी ऐसा प्रोजेक्ट न बन जाए कि हजार करोड़ सैंक्शंड हुए और सौ करोड़ रूपए भी खर्च नहीं किए गए या कुछ बड़े लोगों की जेब में पहुंच गया और छोटे लोगों तक उसका फायदा न पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अफसोस की बात है।

जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए पूरे हाउस ने अपनी बात कही है। आज किसान फांसी लगा रहा है, भूखा मर रहा है। मेरा घर महाराष्ट्र में है। यह सूखे का इलाका है। वहां लोग कैसे जी रहे हैं, इस बारे में सरकार को सख्त ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को हर किस्त की मदद देने की जरूरत है। किसानों को मुआवजा देना चाहिए और उनके कर्जे को माफ करने की जरूरत है।

इसके बाद फ्लड और इरोजन हमारे असम की किस्मत बन चुकी है। बाढ़ में लाखों लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार खास कर इरोजन के लिए कोई योजना सोचे और असम सरकार को विशेष पैकेज दे जिससे कि इरोजन को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाए नहीं तो पूरा असम एक दिन ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाएगा।

मैं आपके माध्यम से कम्युनल वायलेंस बिल के बारे में बात करना चाहता हूं। इसे जितनी जल्दी हो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, चाहे वे कितने ही बड़े अधिकारी हों, चाहे कितने ही बड़े मिनिस्टर हों, चाहे कितने बड़े आफिसर हों किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। दो दिन पहले जिया-उल-हक का वाक्या हुआ है, इस किस्म के वाक्या कहीं न हो, इसके लिए अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें जेलों में भेजना चाहिए।

अब मैं मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा अभी ओवेसी जी ने कहा कि मुसलमान इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है और शरीर का एक हिस्सा है। अगर आप उसे आधे तरीके से मारेंगे, कहीं उसे शिक्षा में मारेंगे जैसे ओवेसी जी ने पूरे डाटा के साथ बताया है कि तरीके से मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है क्या ऐसी किसी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है? यह अफसोस की बात है कि इस बार माइनोरिटी कमीशन ने छह कम्युनिटी के माइनोरिटीज के लिए 3511 करोड़ रूपए रखे हैं। हमारे एससी भाइयों के लिए 41561 करोड़ रूपए रखे गए। एसटी लोगों को 24 हजार करोड़ रूपए दिए गए। मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी माइनोरिटजी के लोगों के लिए बात कह रहा हूं। कम से कम जो 24 हजार करोड़ रूपया रखा गया है, वह दिया जाए।

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बदरूद्दीन अजमल : महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, पूरे हाउस को सुनकर दुख होगा कि माइनोरिटी कमीशन के अंदर जो पैसे दिए गए हैं, एक सौ करोड़ रूपए मौलाना अबुल कलाम आजाद कालेज के लिए, जहां मुसलमानों की तालीम दी जाती है, यह पैसा पिछले साल में रिलीज होना था, लेकिन सिर्फ एक लाख रूपया रिलीज हुआ।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बदरूद्दीन अजमल : महोदय, मैं असम के बारे में बोलने के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूं। मैं यूपीए की सहयोगी पार्टी से हूं। मुझे मैडम ने भी कहा है कि थोड़ा सा वक्त ज्यादा दिया जाएगा। महोदय, हमें चुनाव में जाना है। चुनाव जीतने के लिए हमें कुछ न कुछ काम जरूर करना है, बल्कि सभी लोगों को काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री बदरूद्दीन अजमल : मैं मैडम से दर्खास्त करूंगा कि हमारी धुबरी में हमारी बहुत पुरानी डिमांड पेडिंग है। इस बारे में ध्यान दिया जाए। इसके बाद स्टेब्लिशमेंट आफ यूनानी मेडिकल कालेज की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): محترم چیرمین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ ہم یو۔ پی۔ اے۔ کے اتحادی ہیں اس لئے میں سرکار اور صدر جمہوریہ کے خطبہ کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو گھر میں بھی کہنی چاہئے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف لفظوں کا آدان پردان چل رہا ہے۔ کوئی اس طرف سے بات کر رہا ہے اور کوئی اس طرف سے بات کر رہا ہے لیکن مسائل کا حل کوئی نہیں دے رہا ہے۔

جناب، الیکشن سامنے ہیں، عوام ساری چیزوں کو ٹی۔ وی۔ پر دیکھ رہی ہے اور الیکشن میں پبلک جو فیصلہ لے گی ...(مداخلت)۔

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): آپ بولتے رہے کوئی بات نہیں میں بھی بول رہا ہوں گا۔ سرکار نے آدھار کا جو پروگرام اٹھایا یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اچھی اسکیم ہے جس میں ڈائریکٹ لوگوں تک جانے کی بات ہے، لیکن کیا ڈائریکٹ فائدہ لوگوں تک پہنچے گا؟ سرکار کی ہزاروں اچھی اچھی اسکیمیں ہم یہاں سنتے رہتے ہیں، بڑی بڑی اچھی اسکیمیں سرکار کے ذریعہ لی جاتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے لیکن فیلڈ میں جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کہیں 2% کہیں 5% اور کہیں 10% ہی عمل ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ خاص طور سے آدھار کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے آسام میں سیلاب اور ایروزن علاقہ ہے، لوگ ناؤں میں رہتے ہیں۔ دس، دس، بیس بیس کلومیٹر تک لوگ سیلاب میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور ان کے دستاویز، ڈاکیومینٹس غائب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس لینڈ ڈاکیومینٹس نہیں ہوتے ہیں اور جب وہ بینک جاتے ہیں تو بینک ان کا کھاتہ نہیں کھولتا ہے۔ میں نے کئی بار اس ایوان میں اپنی بات رکھی ہے، اپنی ڈیمانڈ اس بارے میں رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے جو اس قسم کے علاقوں میں رہتے ہیں، بھارت سرکار الیکشن میں جو ڈاکیومینٹس مانگتی ہے ان ڈاکیومینٹس میں سے کسی بھی ایک ڈاکیومینٹس کو انہیں مان لینی چاہئے اور ان کو الاؤ کرنا چاہئے۔ جس سے کہ غریب لوگوں کو اس قسم کی اچھی یوجناؤں کا فائدہ مل سکے۔

میں سرکار کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لئے ایک ہزار کروڑ روپے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایسا پروجیکٹ نہ بن جائے کہ ہزار کروڑ روپے سینکشنڈ ہوئے اور سو کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کئے گئے یا کچھ بڑے لوگوں کی جیب میں پہنچ گیا اور چھوٹے لوگوں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔

جہاں تک کسانوں کی بات ہے، کسانوں کے لئے پورے ایوان نے اپنی بات کہی ہے۔ آج کسان پھانسی لگا رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے۔ میرا گھر مہاراشٹر میں ہے۔ یہ سوکھے کا علاقہ ہے، وہاں لوگ کیسے جی رہے ہیں اس بارے میں سرکار کو سخت دھیان دینے کی ضرورت ہے، کسانوں کو ہر قسم کی مدد دینے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کو معاوضہ دینا چاہئے اور ان کے قرض کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد فلڈ اور ایروزن ہمارے آسام کی قسمت بن گئی ہے، ہر سال میں لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار خاص کر ایروزن کے لئے کوئی یوجنا بنائے اور آسام سرکار کو اتنا پیکیج دے جس سے کہ ایروزن کو روکنے کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جائے ورنہ پورا آسام ایک نہ ایک دن برہمپتر ندی میں سما جائے گا۔

میں آپ کے ذریعہ کیمونل وائلنس بل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جتنی جلدی ہو امپلیمنٹ کرنا چاہئے اور جو دنگائی لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے افسران ہوں، چاہے کتنے ہی بڑے منسٹرس ہوں، کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہئے۔ دو دن پہلے پرتاپگڑھ کا واقعہ ہوا، اس قسم کے واقعات کہیں نہ ہوں اس کے لئے ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہئے اور انہیں جیلوں میں رکھنا چاہئے۔

اب میں مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا ابھی اویسی جی نے کہا کہ مسلمان اس ملک کا بہت بڑا حصہ ہیں اور جسم کا ایک حصہ ہیں۔ اگر آپ سارے جسم کو آدھے طریقے سے ماریں گے، کبھی اسے تعلیم میں ماریں گے پیچھے اور سچر کمیٹی نے بہت زیادہ کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کسی جنگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اس بار پلاننگ کمیشن نے مائنوریٹی کے لوگوں کے لئے 3511 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ ہمارے ایس۔ سی۔ بھائیوں کے لئے 41561 کروڑ روپے رکھے ہیں، ایس۔ ٹی۔ لوگوں کو 24 ہزار کروڑ روپے دیئے گئے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ سبھی اقلیتوں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کم سے کم 39 ہزار کروڑ روپے رکھا گیا ہوتا تو ٹھیک تھا۔

جناب میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک اسکالرشپ کی بات ہے، پورے ملک کو معلوم ہو گا کہ پلاننگ کمیشن کے تحت جو پیسے دیئے گئے ہیں ایک سو کروڑ روپے مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن کے لئے جہاں مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یہ پیسہ پچھلے سال میں ریلیز ہونا تھا لیکن صرف ایک لاکھ روپے ریلیز ہوا۔

جناب میں آسام کے بارے میں بولنے کے لئے تھوڑا وقت چاہتا ہوں میں یو۔ پی۔ اے۔ کی سپورٹنگ پارٹی سے ہوں، مجھے میڈم نے بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا اور وقت دیا جائے۔ جناب ابھی الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن جیتنے کے لئے میں کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے، بلکہ سبھی لوگوں کو کام کرنا پڑے گا۔

میڈم میں درخواست کروں گا کہ ہماری دھبری میں ایک بہت پرانی ڈیمانڈ پینڈنگ ہے اس بارے میں دھیان دیا جائے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف یونانی میڈیکل کالج کی ضرورت ہے۔..(مداخلت)

آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں...

*श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री पी.सी.चाको द्वारा पेश किए गए तथा माननीय डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ऐसे समय पर आया है जब देश विषम तथा सुखद दोनों प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन सबका वास्तविक विवरण देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा आने वाले वर्ष में समस्याओं से जूझने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्पष्ट विवरण दिया है। सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं का विवरण देते हुए देश के समुख विभिन्न चुनौतियों के समुचित समाधान ढूंढने का स्पष्ट उल्लेख भी माननीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखने को मिलता है। इस भाषण की सबसे सकारात्मक और अहम बात जो मुझे लगी है, मैं सबसे पहले उसी का उल्लेख करना चाहता हूं।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था

[अनुवाद]

हमारी सभ्यता विश्व की सर्वाधिक पुरानी सभ्यताओं में एक है और हम सबसे युवा देशों में से एक हैं। हमारे देश के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में बड़ा क्रमिक विकास हुआ है। अब युवाओं का बाहुल्य है। यह हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करने में निर्णायक कारक हैं।

[हिन्दी]

2011 की जनगणना के आधार पर भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबदी 35 वर्ष की आयु से कम लोगों की है। हमारे देश के पास 55 करोड़ का विशाल युवा जनसमूह है। इनकी अपनी आशाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं। अगर इस युवा शक्ति को उचित निर्देश और साधान प्राप्त हो जाए, तो हमारे देश के विकास और उन्नति की दिशा संसार में सर्वोपरि होगी।

नेशनल स्किल डिवेल्पमेंट कोर्पोरेशन द्वारा लगभग 50 करोड़ लोगों को आने वाले 10 वर्षों में विभिन्न विषयों में दक्षता प्राप्त कराने के लक्ष्य का उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है। सरकार का यह प्रयास अवश्य ही सराहनीय है क्योंकि इससे देश की युवा शक्ति में अपने को स्वावलंबी बनाने में सहायता मिलेगी, जिसका देश के सर्वांगीण विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सरकार की निरंतर कोशिशों से उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब डव्र के अंतर्गत उठाए गए कदमों से देश का हर बच्चा शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहा होगा। यहां पर मेरा सुझाव है कि हर शिक्षा प्राप्त करने वाले को उचित शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिलाने के बाद दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए।

पिछले कुछ वर्षों से विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिसके कारण हर देश में आर्थिक विकास अपेक्षित स्तर से बहुत कम हो रहा है। हमारा देश भी इन विश्वव्यापी प्रभावों से अछूता नहीं रह पाया है, जिसके फलस्वरूप देश की सकल घरेलू उत्पादन दर (स.घ.ड.) चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 5.4 प्रतिशत पर आ गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच में सकल घरेलू उत्पादन विकास दर लगभग 8.25 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में गरीबी लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटी है। इसी विकास दर के कारण यह संभव हो सका कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उतरोत्तर उत्थान और विकास के लिए समाज कल्याणी की अनेकों योजनाएं चला सकी।

सकल घरेलू उत्पादन की दर में कमी आना वास्तव में चिंता का विषय है। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में यह पूरा विश्वास व्यक्त किया गया है कि आर्थिक सुधारों के द्वारा तथा उचित निवेश की व्यवस्था किए जाने पर जल्द ही हम 8 से 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य पुनः प्राप्त कर लेंगे।

मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोतरी भी एक और चिंता का विषय है, परंतु यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज यह दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर 6.6 प्रतिशत पर आ गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में मुद्रस्फीति दरर का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु इस पर उचित रोक लगाने की आवयकता हमेशा रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जो स्वयं एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, निश्चित ही देश को इस कठिनाई के दौर में सही मार्गदर्शन करने में सफल होंगे।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि किसानों के अथक प्रयासों से हमने हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हुए गत दो वर्षों में खाद्यान्न की रिकार्ड पैदावार की है। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा सामान्य व साधारण रूप से उपलब्ध कराए गए कृषि ऋण का इसमें बड़ा सहयोग है। हमारी सरकार का पक्का निश्चय है कि कोई भी भारतीय भूखे पेट न सोए। इस दिशा में सरकार का नेशनल फूड स्कोरियटी बिल जल्द ही अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष होगा।

देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थी को ही मिल सके। यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को खाने का न्यूनतम तथा पौषक भोजन उचित दाम पर मिल सके। आजकल विश्व में रासायनिक खाद के प्रयोग को दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आर्गेनिक खाद का प्रयोग करने वाले किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तथा उनके द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों पर अलग से एमएसपी निर्धारित की जानी चाहिए।

हमारे देश में दालों तथा तिलहन का उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और हमें काफी मात्रा में दालें और तिलहन आयात करने पड़ते हैं। अत: दालों व तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

एक सबल और स्वस्थ भारत हमारा सपना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो 2005 में शुरू किया गया था। विभिन्न राज्यों में लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी भर्ती किए गए है। इसी अवधि में 43500 स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शुरू की गई अथवा स्तर बढ़ाया गया। इनमें 7000 पीएचसी और 3300 सीएचसी शमिल हैं। इन कोशिशों का नतीजा है कि मातृ मृत्युदर 254 से घटकर 212 और शिशु मृत्युदर 57 से घटकर 44 प्रति लाख हो गई है। लाइफ एक्पेंटेंसी भी 2006-10 की अवधि में बढ़कर 66.1 वर्ष हो गई है। 1996-2000 की अवधि में यह 61.9 वर्ष थी। जननी सुरक्षा योजना द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है, लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल सका है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी ही 6 और स्वास्थ्य संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में चालू कर दी गई हैं।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी उचित मेडिकल स्टाफ, डाक्टर, दवाइयों तथ अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करने में समय लगेगा, परंतु अच्छी शुरूआत सरकार द्वारा की जा चुकी है, जिससे देश का एक ऐसा वर्ग लाभ उठा सकेगा, जो अब तक इन सुख सुविधाओं से वंचित था मैं इसके लिए भी अपनी सरकार, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई का पात्र मानता हूं। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को जल्दी ही और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तथा दवाइयां मिल सकेंगी।

इस सदन में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर कई बार चिंता जताई गई है। हमारे देश की जनसंख्या एक ऐसे स्तर पर है, जहां जितना भी आर्थिक विकास किया जाए वह इस जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है। हम आज 125 करोड़ के करीब हैं और जल्द ही हम विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाएंगे। यह कोई गर्व का विषय नहीं। उचित स्तर पर निर्णायक कदम उठाने होंगे ताकि जनसंख्या एक भयावह रूप ने ले सके।

2012 का वर्ष भारत के खेलों के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि लंदन में आयोजित किए गए ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। यद्यपि यह हमारा अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी अगर मेडल और जनसंख्या के अनुपात को देखा जाए तो इस विषय में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हर खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी का उचित सम्मान होना चाहिए, तथा उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं समय पर मुहैया करवाई जानी चाहिए।

जम्मू कश्मीर, लैफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में तथा देश के पूर्वोत्तर भाग में उग्रवादी घटनाओं में कभी देखने को मिली है। इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। परंतु 21 तारीख की शाम को हैदराबाद में हुई उग्रवादी घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस दिशा में की गई जरा सी भी कोताही बड़े भारी विनाश का कारण बन सकती है। हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अभी और आवश्यकता है, तथा विभिन्न स्तर पर राष्ट्रीय एवं राजकीय एजेंसियों में समुचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सही ट्रेनिंग, सही हथियार तथा सही समय पर निर्देश व आदेश मिलें, ताकि वे उन्हें सौंपे गए काम को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे सकें। इसी से जनता के मन में शासकीय वर्ग के प्रति विश्वास दृढ़ होगा। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और उल्लेख ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम।

अभी तक के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता था, जिसके लिए वे योजनाएं चलाई जाती हैं। इस योजना के पूर्णत: लागू होने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर-दराज

[श्री नवीन जिन्दल]

क्षेत्रों में तथा निर्धनतम नागरिकों को सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता सीधी उनके ही खाते में नियमित रूप से नकद जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार होने वाली अनियमिततओं पर रोक लग सकेगी।

मुझे अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि यूपीए अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर जनता को किए अपने वायदों पर खरा उतरेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : राष्ट्रपति जी ने 21 फरवरी, 2013 को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां व आगामी योजना के बारे में विस्तृत जानकारियां दी है। गत नौ साल के लगभग केन्द्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार कार्यरत है। इन वर्षों में जिस गति से महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी बढ़ी है उसका कोई भी जवाब नहीं। यूपीए-दो की सरकार बनने पर कांग्रेस ने कहा था कि वह महंगाई को अगले 100 दिनों में नियंत्रित कर देंगे, परंतु अब तो चार वर्ष होने जा रहे हैं। गत वर्षो गरीबों का तो छोड़िये, आम आदमी को दो समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। पैट्रोल, डीजल व खाना बनाने की गैस के दामों में जिस प्रकार की वृद्धि हुई है वह असहनीय हो गई है। मुद्रस्फीति की दर जो 2007-08 में 4.7 प्रतिशत थी, वह 2012-13 में 7.6 प्रतिशत हो गई है, और यदि इसे सीपीआई के आधार पर देखें तो जो 2007-08 में 6.2 प्रतिशत थी वह 2012-13 में 10 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, जीडीपी (कोस्ट फैक्टर) जो 2005-06 में 9.5 प्रतिशत था वह आज 2012-13 में 5 प्रतिशत रह गया है। कृषि व वानिकी में यह दर 2005-06 में 5.1 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत रह गई है।

2012-13 को 'बागवानी वर्ष' घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और वहां पर फल अधिक पैदा होता है, खासकर सेब प्रांत है। इस बागवानी वर्ष में और आगे भी इस प्रदेश को इस क्षेत्र में अधिकाधिक लाभ कैसे मिल सकते हैं यह सुनिश्चित करना चाहिए। प्रशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन) में माध्यम से हमारे प्रांत के फलों को किस प्रकार लाभांवित किया जा सकता है, इसके लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है। इसी के साथ साथ, सेव का उत्पादन बढ़े, उसके लिए बेहतर 'रूट-स्टाक' का प्रबंध व सेब अंतरार्ष्ट्रीय बाजार में किस तरह प्रतिस्पर्द्धा में उतर सकता है उसके लिए यह जरूरी है कि सेब पर इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई जाये।

पहाड़ों में सिंचाई की सुविधा कम है। वहां के लिए लिफ्ट/माइग्रेशन स्कीम पर अधिक बल देना जरूरी है। पहाड़ों के किसानों के पास कम भूमि होने के कारण वह मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकता है और यदि सिंचाई नहीं होगी तो उसके खेत सूखे की चपेट में अधिक आयेंगे और वह भूखा मरेगा। इसलिए नदी नालों में पानी होने के साथ इसे पहाड़ों पर चढ़ाना जरूरी है। खेत को पानी मिलेगा तो नौजवान भी अपने रोजगार के लिए इधर उधर नहीं जायेगा और खेती पर ही अपनी आजीविका कमाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक बेहतर योजना है परंतु जिस प्रकार से हमें भ्रष्टाचार ने घर कर लिया है उसके कारण इस योजना को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार इस ओर खास ध्यान दे तभी इसके लाभ आम लोगों तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में जो अनुपात 40:60 का लेबर व मैटिरियल का रखा गया है, इसे या तो उल्टा कर दिया जाये या फिर 50:50 के अनुपात में किया जाये 'इंदिरा आवास योजना' गरीबों को रहने के लिए कमरा बनाने के लिए दी जा रही है। मेरी 2009 से लगातार एक ही मांग रही है कि इस योजना को मैदानी क्षेत्र में एक लाख तथा पहाड़ी व कठिन इलाकों के लिए 25 प्रतिशत बढ़ोतरी कर यानि सवा लाख रूपए किया जाये ताकि मकान टिकाऊ बन सके। हाल ही में बढ़ाई गई राशि कम होने के कारण यह संभव नहीं है। इसी तरह पहाड़ी प्रांतों में छोटे-छोटे शहर हैं और उसके कारण 'राजीव आवास योजना' का लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत आबादी को कम आंका जाये ताकि छोटे-छोटे कस्बों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

'पूर्ण स्वच्छता अभियान' को निर्मल भारत अभियान किया गया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। परंतु इसमें यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 'निर्मल पंचायते' घोषित हुई थी वह कुछ ही दिनों में पुरानी स्थिति में न पहुंच जाये। इसलिए हर गांव को पीने के पानी के साथ जोड़ना जरूरी है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए गत 65 वर्षों से केवल मात्र 'वोट बैंक' तक सीमित रखा गया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए था - देखने में नहीं आया है और आरक्षण के कारण जो लाभ इस वर्ग को मिलने चाहिए वह भी अभी दो से कहीं कम है। इसकी खोजबीन करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज इस वर्ग का एक भी व्यक्ति केन्द्र में सचिव पद तक नहीं है। दिखावे में लगता है कि इस वर्ग को न जोन क्या-क्या दिया जा रहा है परंतु वास्तविकता यह है कि इस वर्ग को आज कई प्रकार के सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। कहने को तो आबादी के आधार पर प्रान्तों में व केन्द्र के बजट में एससीएसपी/टीएसपी के माध्यम से बजट का आवंटन होना चाहिए परंतु जमीनी हकीकत यह है कि उसको या तो दिया नहीं जा रहा या फिर इसका दुरूपयोग हो रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ राज्यों में आज भी मांग उठ रही है कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति में लिया जाए या उन्हें अनुसूचित जाति से बाहर किया जाये और उसी प्रकार कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 65 वर्षों से भी हम इन वर्गों के व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाये हैं। सरकार को एकमुश्त एक कमीशन बनाकर यह सदा के लिये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आयेंगी व कौन-कौन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बनेंगे। इसी तरह आज हमारे पहाड़ी प्रांतों में गुज्जर समुदाय के लोग हैं। वह पशुपालन करते हैं। भूमिहीन हैं। एक जगह पर रहते नहीं। जंगलों में रहते हैं। वे पीने के पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। उनके लिए भी कोई क्षेत्र कार्यक्रम बनाकर व्यवस्था करनी चाहिए। आज के युग में जब सारा विश्व एक हो रहा है, सभी संस्कृतियों का आपसी मिलन हो रहा है और भारत जैसे महान देश में भी हम पश्चिमी देशों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की हालत बद से बदतर हो रही है। बुढ़ापे में जब उन्हें अपने बच्चों का सहारा चाहिए तब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए सरकार को सभी बुजुर्गों को 65 वर्ष से ऊपर वालों को कम से कम 750 रुपये मासिक पेंशन तथा चिकित्सा सुविधा मुफ्त करनी चाहिए तथा परिवार में वह सम्मानपूर्वक रह सके इसके लिए कानून बनाकर सख्ती से उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की योजना में जिस गति से काम हो रहा है वह विचारणीय है। इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए।

आज देश के डाकघरों द्वारा डाक वितरण प्रणाली में बहुत सी खामियां आ गई हैं। दूरसंचार के आधुनिकीकरण के कारण यह हो गया हैं कि एक पत्र जो 10 किमी0 की दूरी पर मिलना होता है। उसे पहुंचने में कई बार महीनों लग जाते हैं। इस ओर भी सरकार ध्यान दे क्योंकि आज जो भी महत्वपूर्ण डाक है वह डाकघरों के माध्यम से ही वितरित की जा रही है। बच्चों के रोल नम्बर चाहे साक्षात्कार के लिये हों या अन्य परीक्षाओं के लिये, वह कई बार तब मिलते हैं जब परीक्षा हो चुकी होती है या साक्षात्कार की तिथि निकल चुकी होती है।

हिमाचल प्रदेश एक शांतप्रिय प्रदेश है। यहां से नौजवान फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने में अपना स्वाभिमान समझते हैं। परन्तु वहां के नौजवानों को आज भर्ती नहीं किया जा रहा है और अनुपातिक आधार पर भर्ती के कारण वह कोटा कम हो गया है और 'वन रैंक वन पेंशन' में भी कुछ नहीं हुआ है जिससे एक्स-सर्विसमेन में भारी रोष है। इस ओर भी सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। अत: मैं उपरोक्त विषयों को सरकार के ध्यान में लाकर मांग करता हूं कि उन्हें गंभीरता से ले और उसका समायोजन करे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

श्रीमती पुतुल कुमारी।

*(व्यवधान)...**

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : महोदय, बजट सत्र का आरम्भ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हुआ और आज आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, प्रणव दादा जब राष्ट्रपति भवन में आए तो उन्होंने कुछ पुरानी परम्पराओं को तोड़ा और नये नियम शुरू किए। उसको

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

देखकर लग रहा था कि उनके भाषण में कुछ नयी बात होगी लेकिन कुल मिलाकर उनका भाषण सरकारी भाषण ही रहा जिसमें सरकार की नीतियों के सफल कार्यान्वयन की चर्चा की गई। 64 साल आजादी को हो गये। इस दौरान अगर देखा जाए तो 54 साल देश में एक ही पार्टी का शासनकाल रहा। दस साल गैर कांग्रेसी सरकार का शासनकाल रहा है। आज हम इस सफलता या विफलता की कहानी को कहते हैं, इस कहानी का मुख्य दारोमदार एक ही पार्टी को जाता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई तथा बेरोजगारी की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई।

गांवों में जब हम लोग घूमते हैं तो एक ही गांव में सैंकड़ों लोग हर मीटिंग में दिख जाते हैं। पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर कम शिक्षित हैं। जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, वे महानगर का रास्ता पकड़ते हैं और कुछ न कुछ काम करके अपना पेट पालते हैं।

लेकिन हम शिक्षित नौजवानों की बात भी करेंगे कि जो शिक्षित हैं और कहीं न कहीं या तो डॉक्टर की डिग्री उनके पास है या इंजीनियर हैं या टैक्नीकल एक्सपर्ट हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? इस बारे में कोई योजना नहीं बताई गई। हमारे यहां डॉक्टर्स इतने हैं लेकिन हमारी पीएचसीज खाली पड़ी हुई हैं। हर साल बच्चे पढ़कर इतनी सारी डिग्रियां लेकर निकलते हैं लेकिन हमारे यहां शिक्षक की कमी है। उसी तरह से अभियंत्रण विभाग में इंजीनियर्स की कमी है। बाकी विभागों में यदि हम देखें तो हमें ऐसी ही बातें नजर आती हैं। उनके लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि ऐसे रिक्त पदों की भर्ती में पढ़े-लिखें नौजवनों की भर्ती होगी? इस बारे में किसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। कोई भी योजना बहुत अच्छे तरह से बनती है लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ जाती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम कौन सी नीति बना रहे है? भ्रष्टाचारियों को हम कौन सी सजा देने जा रहे हैं? यह एक बहुत की गंभारता से सोचने योग्य विषय है।

महिला सुरक्षा विधेयक की यदि हम बात करें तो देखेंगे कि एक विधेयक पास हो गया। सरकार भी बहुत संवेदनशील है। तमाम कानूनों के रहते हुए भी 16 दिसम्बर 2012 की जघन्य के बाद अभी भी रोज के अखबार में हमें ऐसी ही खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। यह वही देश है जहां कहते थे कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है? आज तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज की तारीख में हमारी यही स्थिति है। महिला सुरक्षा के विषय में हम क्या कठोर कमद उठाने जा रहे हैं? हम उन क्रूर व्यक्तियों के प्रति क्या कठोर मैसेज देने जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह के अपराध को करने का दुस्साहस किया है? इसके बारे में एक सख्त मैसेज जाना चाहिए।

आतंकवाद एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमारा देश उससे बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके लिए यह वह मंदिर है जहां बेजुबानों को जुबान मिलती है। यह वह मंच है जहां बोलने दिया जाता है क्योंकि हम निर्दलीय लोग हैं। अगर हमें बोलने को मंच नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात कहां रखेंगे?

सभापति महोदय : आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्रीमती पुतुल कुमारी : सभापति महोदय, यह आतंकवाद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं दिखाई गई है। नकसलपंथियों के लिए कोई योजना नहीं है। नकसलवाद सामाजिक और आर्थिक विषमता से उत्पन्न हुआ एक विषय है लेकिन जो आतंकवाद है, इसकी जड़ें हम जानते हैं कि दूर देशों में फैली हुई हैं और उनका नियंत्रण कहां से हो रहा है, कहां कैम्प लगते हैं? लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी उदारता और समरसता को दिखाते हुए दुनिया को ऐसा संदेश क्यों दे रहें हैं कि हम कमजारे हैं जबकि महाकवि दिनकर जी ने कहा था:

"छीनता है स्वप्न कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है।
पुन्य विछिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।"

इसलिए हमें एक कड़ा मैसेज देना चाहिए। पिछले दिनों हमारे सैनिकों के साथ जो जघन्य कृत्य पड़ोसी देश के सैनिकों ने किया और यदि हम अतीत में जाएं तो ऐसे ही एक मुट्ठीभर का देश हमें रह-रहकर आंखें दिखाता है, हमें धमकाता रहता है। बंगलादेश

ने भी ऐसा ही कृत्य किया था और हम लोग उसको कोई कड़ी चुनौती नहीं दे पाए। इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार द्वारा एक सुप्रसारित कार्यक्रम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। ऐसे 37 गांव है जहां एक भी बिजली का खंबा नहीं लगा है और कहते हैं कि यहां का काम हो गया है।...*(व्यवधान)* 17 गांव ऐसे हैं जहां बिजली की लाइन नहीं पहुंची है लेकिन उन गरीब लोगों को बिजली का बिल देने के लिए मजबूर किया जाता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

★**श्री मानिक टैगोर** (विरूद्ध नगर) : मैं महामहिम राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार अपना अभिभाषण देने के लिए अपने सभी माननीय साथियों की ओर से हार्दिक बधाई तथा साभार धन्यवाद देता हूँ। मैं इस सरकार के साथ इसके विकास संबंधी कदमों से जुड़े होने से गर्व का अनुभव करके अभिभूत हूँ।

मैं महामहिम द्वारा हमारे युवाओं की क्षमता, उनकी आकांक्षाओं, उत्साह और ऊर्जा के बारे में व्यक्त की गई आशा के साथ पूर्णतया सहमत हूँ जो कि निस्संदेह देश को एक नए आयाम की ओर अग्रसर करने की स्थिति में है।

मेरा निश्चित मत है कि मेरे माननीय साथी जी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का कार्यान्वयन करने में सरकार की पहल का स्वागत करेंगे, जो कि हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा अभिकल्पित एक विजनरी विचार है जिसके परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति, पेंशन तथा मातृत्व लाभों जैसे सरकार - प्रायोजित लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएंगे, जो उनकी आधार संख्या का उपयोग कर उन तक पहुंच सकता है। और मेरा निश्चित मत है कि मेरे माननीय साथी इस असाधारण अवधारणा के लिए श्री राहुल गांधी जी को बधाई देने में मेरे साथ होंगे। यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि इस प्रणाली में यथासमय मजदूरी तथा खाद्यान्न एवं रसोई गैस पर आर्थिक सहायता को भी कवर किया जाएगा और यह आश्वासन की महत्वपूर्ण है कि यह प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्थानापन्न के रूप में नहीं होगी बल्कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुपूरक होगी।

सरकार चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. (जीडीपी) के 5.3% तक सीमित कर वित्तीय समेकन के लिए रोडमैप तथा वस्तु एवं सेवा कर के बारे में सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों के साथ अपने समन्वय की अपनी घोषणा के साथा स. घ.उ. (जीडीपी) वृद्धि दर में वृद्धि की दिशा में पक्की प्रगति कर रही है। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों, उद्यानकृषि, डेयरी तथा फार्मिंग में उल्लेखनीय वृद्धि सरकार द्वारा अपनी नई नीतियों एवं दिशानिर्देशों के बारे में सरकार द्वारा किए गए बल के कारण ही संभव थी।

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कठिन समय में रोजगार चाहने वाले लोगों को काम प्रदान करके सरकारी प्रयास की दृष्टि से लगातार नई उंचाई छू रहा है और प्रशंसनीय रूप से 2011-12 में योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, हमें यह नोट करके खुशी हुई है कि सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता में काफी वृद्धि कर इसे मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रूपए से बढ़ाकर 70,000 रूपए प्रति यूनिट तथा वामपंथी उग्रदार प्रभावित क्षेत्रों सहित पहाड़ी तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों में 48,500 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए प्रति यूनिट कर दिया है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण को अंतिम रूप देते समय सरकार ने सोच विचार कर चल रही परियोजनाओं करे पूरा करने तथा नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए वर्तमान मिशन की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2014 कर दिया है ताकि शहरी अवसंरचना के विकास की गति को कायम रखा जा सके। हम शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रूपए की पृथक् निधि का सृजन करने के सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं। 12वीं योजना में राजीव आवास योजना का विस्तार एक मिलियन घरों के लक्ष्य के साथ सभी छोटे तथा मंझोले शहरों में करने का सरकार का प्रयास सराहनीय योग्य है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मानिक टैगोर]

स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के सरकार के कठिन प्रयासों से हमने जंगली पोलियो-वायरस का एक भी मामला पता लगाए बिना जनवरी 2013 में दो वर्ष पूरा कर लिया है। जब से उन्मूलन प्रयास शुरू किए गए थे उसके पश्चात् यह सबसे लंबी पोलियो-मुक्त अवधि है।

मुझे तमिलनाडु के अपने साथियों की ओर से यह घोषणा करते हुए वास्तव में काफी गर्व है। कि हम हमारे सम्माननीय सोनिया जी तथा माननीय प्रधानामंत्री के सक्षम दिशानिर्देश तथा नेतृत्व के अंतर्गत यद्यपि काफी कम मात्रा में हमारे सरकार का विकास कार्यकलापों के साथ जुड़कर, हम काफी खुश हैं। विभिन्न जनोम्मुखी कल्याण उपायों पर ध्यान देने के अलावा हमारी सरकार भारत को 'विकासशील' देशों में उसके वर्तमान स्थान से 'विकसित' देशों में ले जाने के लिए काफी उत्सुक है। हमारी यूपीए सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल में तथा लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यकलाय से जुड़ी रही है, यह अपने प्रत्येक प्रयास में महत्वपूर्ण रूप से सफलता की ओर अग्रसर है।

न केवल अवसंरचना के क्षेत्र में, बल्कि अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। सेकेण्डरी शिक्षा से लेकर विशेषीकृत तथा उच्च तकनीकी शिक्षा के स्तर का इसने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं यथा कृषि, सिंचाई, आवास, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन, परिवहन, रेल तथा सड़क दोनों ही मार्गों पर, पत्तन पोतपरिवहन इत्यादि को भी नीतियां तैयार करते समय उचित महत्व दिया गया है ताकि हमारे देश के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

मैं महामहिम का उनके अभिभाषण में दिए गए इस कथन के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम श्रीलंका के सथा बातचीत में वहाँ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्वास के तथा तमिल लोगों के लिए शांति, सम्मान और समानता का जीवन सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों सहित उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। मैं तमिलनाडु के माननीय सदस्यों तथा तमिलनाडु की जनता की ओर से अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि श्रीलंका के प्रति इसके स्वयं के एलएलआरसी की सिफारिशों को सुस्पष्ट रूप से कार्यान्वित करने के लिए संकल्प पारित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करें तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से पुरजोर आग्रह करें कि श्रीलंका पर दबाव डाला जाए कि वह लैसन्स लर्न्ट एंड दिकानसि लिएशन कमिटि (एलएलआरसी) की रिपोर्ट का अनुपालन करे तथा इसका कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाही आरंभ करे, इस समिति की रिपोर्ट में विभिन्न रूप से पुनर्वास, पुर्नव्यवस्था तथा गलत मामलों के लिए न्याय प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

अंत में, न केवल तमिलनाडु के अपितु पूरी सभा के मेरे माननीय सहयोगियों की ओर से इस अवसर पर ये महामहिम को राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में इन दोनों सम्मानित सभाओं की संयुक्त बैठक को प्रथम बार सम्बोधित करने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और महामहिम को आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार के सभी प्रयासों में हमारा निरंतर साथ रहेगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मुल्क में खास तौर से महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ क्रूअज आदमियों को सज़ा देने के विधेयक का वादा किया है। मैं बाकी विषयों के संबंध में ज्यादा बात नहीं करना चाहतू हूं लेकिन कुछ बातों को सदन के सभापटल पर रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए जिस ढंग से पालिसी अपनानी चाहिए थी, केंद्र सरकार उस ढंग की पालिसी अपनाने में विफल हुई है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीया सोनिया जी से कहना चाहता हूं कि देश में कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा तथा विभिन्न दिशाओं में विकास करने के लिए एक साल में एक एक लाख करोड़ रूपए धनराशि आबंटित करने के जरूरत है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोडो लैंड अंचल तक ले जाना चाहता हूं। आज बोडो लैंड अंचल में तीस लाख आबादी है। यहां की आबादी के लिए इस साल के बजट में 60 करोड़ रूपया इयरमार्क किया गया है।

[अनुवाद]

34 मिलियन जनसंख्या के लिए केवल 60 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हे। यह बोडोलैंड के लोगों के लिए शर्म की बात है। यदि यह 60 करोड़ रूपए तीन मिलियन लोगों में बांटे जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति/सदस्य को कितना मिलेगा।

[हिन्दी]

कितना पड़ता है? एक आदमी के लिए सिर्फ 2000 रूपए। यह केवल 2000/- रूपए प्रति व्यक्ति होगा। क्या यह पर्याप्त है? 2000 रूपए से क्या किया जा सकता है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से बोडो लैंड अंचल के विकास के लिए कम से कम हर साल के लिए 1000 करोड़ रूपये के डायरेक्ट फंड की व्यवस्था की जाए।

महोदय, बोडो लैंड अंचल में एक भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ जगह पर नए एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है।

[अनुवाद]

उन्होंने कोकराझार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तत्काल आवश्यकता उल्लेख क्यों नहीं किया? आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि यथा संभव शीघ्र को सरकार में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट की स्थापना की जाए।

सभापति महोदय : आपने भावना व्यक्त कर दी है, अब संक्षिप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बोड़ोलैंड अंचल में एक केन्दीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके अलावा बोड़ोलैंड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक आई.आई.टी., एक आई.आई.एम., दस पोलिटैक्निक इंस्टीटयूट्स, दस आई.टी.आई. यदि आप देंगे तो हम इनसे वहां के नौजवानों को शिक्षा दे पायेंगे।

इसके अलावा एक बहुत गम्भीर मुद्दा है कि असम और उत्तर-पूर्वांचल में विदेशियों की बहुत जबरदस्त घुसपैठ चल रही है। हमारा निवेदन है कि उन घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करे। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि बहुप्रतीक्षित पृथक तेल गाना राज्य का गठन किया जाए क्योंकि यह काफी समय से लम्बित है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्रीमती जे. हेलन डेविडसन।

****डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : यूपीए सरकार को दो टर्म यानी कि करीब 10 साल जैसा समय मिलने के बावजूद देश की हालत बदत्तर होती जा रही है। मैं समझाता हूं कि इसके लिए सरकार का कुप्रबंधन, महंगाई बढ़ाने वाले कदम और भ्रष्टाचार सबसे अहम जवाबदार है।

राष्ट्रपति जी के समग्र भाषण, जो सरकार एक रोड़मैप के तहत

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

प्रस्तुत करती है, उसमें इन बातों का तनिक भी जिक्र नहीं है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। खासतौर पर गांवों में पीएचसी और सीएचसी की स्थिति खराब है। यहां मरीजों की कतारें लगी हैं। मगर वहां न तो डॉक्टर है न परिचारिका। वहां दवाईयां उपलब्ध नहीं है और जांच की लेबोरेटरी तो सिर्फ नाममात्र है। हॉस्पिटलों में न तो इंस्फ्राट्रक्चर है, न कोई सुविधा है। ऐसी स्थिति से निपट लेने के लिए पिछले साल, पूर्व राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में घरेलू सकल उत्पाद (जीडीपी) का 2.5% आवंटन करने का देश को वायदा किया था।

पिछले साल स्वास्थ्य सेवाओं में करीबन 1.2% जीडीपी का आवंटन हुआ। मुझे दुःख और ताज्जुब इस बात का है कि इस भाषण में उसका जिक्र ही नहीं है। पूरे देश में खासकर बच्चे एवं महिलाओं में बड़ी मात्रा में कुपोषण पाया गया है। तब इस भाषण में उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।

एक ओर देश की जीडीपी बढ़ाने की दुहाई दी जाती है, मगर इस देश की कुपोषित महिला एवं बचपन के प्रति ध्यान दिया जाता नहीं है। मैं समझता हूं कि कुपोषण दूर करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। जिसका परिणाम देश का विकास निश्चित रूप से हो सकता है।

हमारा सौभाग्य है कि समग्र दुनिया में भारत सबसे युवा राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या में 65 फीसदी युवा है। मैं समझाता हूं कि इस युवा शक्ति को देश के निर्माण में जिम्मेदारी देने की कोई ठोस बात नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति इस अभिभाषण में कोई नक्कर प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि एससी/एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजेटरी आवंटन होना चाहिए।

भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। देश के विकास के लिए केन्द्र के साथ-साथ राज्य भी अपना अहम योगदान देते हैं। आज के समय में देश के कई राज्य भारत के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर जोर देने की कोई बात सरकार की भावी नीतियों के इस दस्तावेज में कहीं गई नहीं है। सभापति जी, मैं गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट क्षेत्र से संसदीय प्रतिनिधित्व करता हूं।

आजकल गुजरात के विकास का सभी जगह जिक्र होता है। गुजरात ने ऊर्जा उत्पादन में सरप्लस स्टेट बना है। वहां "ज्योतिग्राम योजना" के तहत गांवों सहित सभी जगह राउंड-द-क्लोक, 24 घंटे बिजली मिलती है। गुजरात ने रिन्यूवल एनर्जी यानी की सोलन एनर्जी में बड़ी सफलता हासिल की है। और समग्र देश के 900 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के सामने अकेले गुजरात ने 600 मेगावाट की क्षमता हासिल की है गुजरात ने कृषि विकास में भी बड़ी उपलब्धि पाई है और 11% कृषि विकास दर हासिल किया है।

मैं मानता हूं कि ऐसे विकासशील राज्य के साथ सभी राज्यों की सफलता को सराहकर उनकी सफलता की रणनीति को अपनाना चाहिए।

[अनुवाद]

***डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर) : माननीय राष्ट्रपति जी ने 21 फरवरी, 2013 को संसद की दोनो सभाओं की संयुक्त बैठक को जो अभिभाषण दिया उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय श्री पी.सी. चाको द्वारा यथा प्रस्तावित तथा माननीय श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा अनुमोहित प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

मैं पहले उन मामलों से आरंभ करूँगा जो हमारे लिए तत्काल चिन्ता का विषय है। महत्वाकांक्षी भारत का उदय आर्थिक मंदी के सापेक्ष हमारी आर्थिक वृद्धि, सुशासन, कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राष्ट्रपति के अभिभाषण इन सभी मुद्दो का विवेकपूर्ण तरीके से वर्णन करते का प्रयास किया गया। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय का इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए।

हमारे जैसे विकासशील देश में जहां लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, सबसे मूलभूत मुद्दा इसके नागरिकों को सशक्त बनाना है। ऐसा कैसे किया जाए यह हमारे पूरे प्रयास का सबसे कठिन भाग है। मेरे लिए यह एक संभावित प्रस्ताव है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृपया अभिभाषण का पैरा 5 देखे - ''हाल ही में यूपीए सरकार ने जो एक महत्वपूर्ण पहल की है वह है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली आरंभ करना। इससे सरकार द्वारा प्रायोजित लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँचेगे, जो अपनी आधार संख्या द्वारा उन खातो तक पहुँच बना सकते हैं वह प्रणाली लीकेज कम करने में सहायक होगी, लाखो लोगों को वित्तीय तंत्र में शामिल करने में सहायक होगी और लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लाक्षित करेगी। यह हमारे सर्वाधिक दरिद्र नागरिकों को, विशेषत: ग्रामीण भारत में, लाभ पहुँचाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में ट्रेंड सैंटर (प्रवृति निर्धारक) होगा।'' हम सभी जानते है क भारत गावों में रहता है।''

तथापि एक सावधानी रखने की सलाह भी है। वह यह है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली जन सेवाओं का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संपूकर होगी।

अभिभाषण के पैरा 10 में, राष्ट्रपति महोदय ने कृषि वर्ष में प्रसन्नता का एक कारण दिया है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में ग्यारहवीं योजना के दौरान वृद्धि 3.7% थी जबकि दसवीं योजना में यह 2.4% थी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है जो अन्यथा ग्रामीण मूल की है तथा इसी वजह से यह पिछली वैश्विक मंदी को झेल सकी। इससे सब पता चलता है। इससे राष्ट्रीय चरित्र पता चलता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्ति के लिए हमें से प्रत्येक का अनुकरण करना चाहिए।

वर्तमान यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री तथा यूपीए के चेययपर्सन के नेतृत्व में इस दिशा में हमारे फ्लैगाशिप कार्यक्रमों तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के माध्यम से सफलता पूर्वक कार्य किया है। महात्मा गांधी नरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम उल्लेखनीय है। इसके लिए हमें इन लक्ष्यों की ओर पहुँचने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। रास्ता लम्बा है परन्तु हमारी यात्रा प्रगति पर है। मैं, इस सम्मानित सभा के सभी माननीय सदस्यों से इस प्रयास में पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध करता हूँ।

दूसरी बात आवश्यक वस्तुओं और विशेषत: पैट्रो उत्पादों (पीपी) के बढ़ते मूल्य की है। हम सभी यह अत्यधिक आशा करते है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो जाएं। हालांकि हम सबको यह विदित ही है कि इस देश के बड़े आकार और उसकी अत्यधिक जनसंख्या की देखते हुए, हम सब इस तथ्य को भी अच्छी तरह से समझते हैं कि मांग अत्यधिक है जबकि आपूर्ति सीमित है। मांग-आपूर्ति का यह सिद्धांत काफी हद तक मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। लेकिन हम यहीं पर इसे नहीं छोड़ सकते। हमारी आर्थिक सहायता व्यवस्था अभी जारी है। हमें मूल्य कम करने के लिए गंभीरता से और शीघ्रता से उपाय ढूंढने पड़ेंगे।

यह सरकार बिल्कुल वही कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि संप्रग सरकार के सभी फ्लैगशिप कार्यक्रम और कल्याणकारी उपाय कभी न कभी सकरात्मक परिणाम देंगे।

तीसरा, सं.प्र.ग. सरकार के सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं का सफल निष्पादन तंत्र हैं। यहां मैं संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार दोनों के संयुक्त उत्तदायित्वों का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि संघ सरकारों के कई हिस्सों में अभी पारदर्शिता लाना बाकी है। इन योजनाओं और इन कार्यक्रमों को निष्पक्ष और समग्र रूप से कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है। अत: उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नेतृत्व और मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। इसी समय, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए इन्हें बनाया गया है।

अगला, मैं देश और देश के बाहर आतंकवाद के मुद्दे पर विचार रखने का गंभीरता से प्रयास करना चाहता हूं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मुद्दा है। आतंकवाद मुझे लगता है कि आतंकवाद इंसानियत के विरूद्ध एक लड़ाई है। हमारी सरकार को आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता नीति को पूरी तरह से अपनाते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। कई लाख ज़िंदगियों पर एक सभ्यता बनती है और मानव जाति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक राजा जो कभी गलत नहीं कर सकता, राज नहीं करता रह सकता। हमें जो लोकतंत्र पर चलते हैं, मिलकर सोचना होगा और एक बेहतर विश्व के लिए साथ कार्य करना होगा ताकि हमारे बच्चे अपने जन्म की खुशी मना सकें और खुशी से ज़िंदगी बिताए। हम सभी को साथ मिलकर हमारे बच्चों को एक बेहतर कल देना होगा।

अभिभाषण के पैरा 87 में, यह उल्लिखित हैं कि जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार प्रत्यक्ष दिखता है। हम इसके लिए प्रसन्न हैं। चलिए हम सब प्रार्थना करें कि यही

[डॉ. थोकचोम मैन्या].

प्रवृत्ति बने रहे और हुआ करें कि शांति बनी रहे क्योंकि हम जानते हैं कि शांति हमेशा अच्छा परिणाम देती है। पिछले कुछ समय से, इस वर्ष सीमा क्षेत्रों में मादक पदार्थों के अत्यधिक अवैध व्यापार की रिपोर्ट सामने आई हैं। 11 जनवरी को, पश्चित इम्फाल की विशेष आसूचना एकक के एक दल ने इम्फाल हवाई अड्डे से लगभग 1.5 करोड़ रूपए की कौन्ट्राबैंड सिगुड़नेएफेड्रिन गोलियों की बड़ी मात्रा जब्त की है। 15 फरवरी को, एक पुलिस दल ने लगभग 1.3 करोड़ रूपए की वही मादकतत्व वाली गोली की बड़ी मात्रा मंत्रिपुखरी से जब्त की है।

24 फरवरी को, लगभग 25 करोड़ रूपए के मन: प्रभावी औषधि की तस्करी में कथित संलिप्ता के लिए जिला पुलिस कमांडो द्वारा पकड़े गए लोगों में से एक हमारी सेना के कर्नल और एक निजी एयरलाइन का एक सहायक प्रबंधक है। उसी दिन शाम को नार्कोटिक और अफेयर्स ऑफ बॉर्डर (एनएबी) के कार्मिकों ने इम्फाल हवाई अड्डे से लगभग 8 लाख रूपए की मूल्य पेटास-टीआर गोलियों की बड़ी मात्रा जब्त की है।

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बीते कल दुबारा, इम्फाल के एक निजी घर से केटेमाइन हाइड्रोक्लोराइड गोलियों के चार डिब्बे जिसमें स्युडो हाइड्रोक्लोराइड तत्व निहित होता है और आईपी एक्टेमाइन (500मि.ग्रा.) की एक संख्या जब्त की गई है। जब्त किए गए चार डिब्बों में से केटेमाइन हाइड्रोक्लोराइड के कुल 2316 पत्ते भी पाए गए हैं।

मेरे लिए इस सूचना को इस महान सदन के माननीय सदस्यों के साथ बांटते समय अधिक चिंता का विषय इसमें एक सेना के कार्मिक और निजी एयरलाइन के एक अधिकारी का संलिप्त होना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का अवैध व्यापार काफी लंबे समय से चल रहा है। इसी के साथ, इन कोन्ट्राबैंड औषधियों की देश के उस भाग में बड़ी मात्रा में उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में युवाओं के लिए खतरा बन गया है। हमारे देश के सीमा क्षेत्र चाहे वह पूर्वोत्तर हो या जम्मू और कश्मीर, जिन्हें विशेष राज्यों के वर्ग में रखा गया है, भुगत रहे हैं। इन राज्यों में सशस्त्र बल (विशेष शाक्तियां) अधिनियम, 1958 लागू किया गया है और यहां सेना अधिनियम के अंतर्गत घुसपैठ रोकने के कार्य में लगी हुई है। यह अधिनियम सेना को केंद्र सरकार की बिना अनुमति के न्यायिक जांच से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह खतरनाक और अलोकतांत्रिक है।

मैं हमेशा से इस एएफएसपीए के विरूद्ध रहा हूं। अब इस अधिनियिम को हटाने का समय आ गया है। मैं केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि मानवता को बचाने के लिए इस अधिनियिम को कृपया वापस लिया जाए। इस अधिनियम की वजह से मणिपुर राज्य में अनाथों और विधवाओं की संख्या तो वह ही रही हैं तथा ऐसे माता-पिता भी हैं जिन्हें उनके गुमशुदा बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है।

अंत में, मैं हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में जो जस की तस है, का उल्लेख करना चाहता हूं। दूसरी ओर, इस पर कई माननीय सदस्यों द्वारा वाद-विवाद किया गया है। हम उनसे सहमत नहीं है। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति अक्षुण्ण है। हमारी पूर्व की ओर देखो नीति के द्वारा हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, मालदीप, नेपाल और श्रीलंका विशेषकर म्यंम्मार जहां अभी लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, के साथ हमारे रिश्तों में सुधार होने के साथ-साथ मजबूती के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं।

सबसें अंत में, मैं माननीय श्री पी.सी.चाको द्वारा रखे गए प्रस्ताव और माननीय श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा समर्पित प्रस्ताव का पूर्ण तथा दिल से समर्थन करता हूं और इस हमार सदन में उपस्थित आप सभी माननीय सदस्यसों से इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : आदरणीय महोदय, इस वाद-विवाद में हो रहे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपका आभारव्यक्त करती हूं। मैं यहां पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन खड़ी हुई हूं।

अपने भाषण में महामहिम ने 2011-2012 में केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ घरों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार उल्लेख किया है। इस योजना के अंतर्गत, केवल ग्राम पंचायतों को लाभ मिला है। लेकिन, कस्बों की पंचायतों में रहने वाले गरीब लोग जिनकी जीवन शैली ग्राम पंचायतों में रहने वाले

लोगों जैसी ही है, ने इस योजना के फायदों से वंचित हैं। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस मनरेगा योजना को कस्बों की पंचायतों तक बढ़ाकर पंचायती कस्बों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए, ताकि इस देश के लाखों गरीब परिवारों को फायदा हो सके।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय राष्ट्रपति ने देश की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में एक भी वाक्य नहीं कहा। पानी की कमी देश की वर्तमान और भविष्यगत पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। देश के कई भागों में एक लीटर पानी 15 रूपए में मिल रहा है। ऐसे ही भविष्य में भी, पानी हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अत:, मैं सरकार से नदियों को आपस में जोड़ने पर और अधिक ध्यान दिए जाने और पूरे देश में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध करवाए जाने का आग्रह करती हूं।

अपराह्न 05.52 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

महामहिम ने सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। लेकिन, उन्होंने अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा और उसके लिए आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो किसी भी धर्म या समुदाय का हो, को इस देश में रहने का अधिकार है। हमारी सरकार को देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

इस अवसर पर, मैं यूपीए सरकार की हमारे थालिवर डॉ कलैगनार द्वारा उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु में बनाए गए एक अलग विभाग, 'डिफरेंटली एबल्ड' विभाग की तर्ज पर एक अलग विभाग, विकलांगता मामलों का विभाग बनाए जाने की सराहना करती हूं। इसी तरीके से, यूपीए सरकार को 'विकलांगता' शब्द के स्थान पर कार्यालयी उपयोग में ''डिफरेंटली एबल्ड'' या ''डिफरेंटली टेलैंटिड'' शब्दों का उपयोग भी करना चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांगों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना के अंतर्गत विधवाओं के लिए पेंशन में प्रतिमाह 200 रूपए से 300 रूपए तक की वृद्धि उनकी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं। अत: विकलांगों और विधवाओं दोनों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 1000 रूपए तक बढ़ाई जाए।

मुझे महामहिम के अभिभाषण से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार अनुसंधान अध्ययन की महत्ता को समझ गई। कृषि, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में अनुसंधान विकसित किया जाना चाहिए। भारतीय अनुसंधान शोधकर्ताओं को भारत से पढ़ने के बाद विदेश जाने से रोकने के लिए उन्हें यहां काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि वे सरकार से और अधिक पारिश्रार्मक की अपेक्षा रखते हूँ तो सरकार को आगे बढ़कर उन्हें वो पारिश्रमिक देना चाहिए ताकि भारतीय विद्यार्थियों द्वारा अधिक आविष्कार और खोजें की जा सकें।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : हमारे देश में दूसरे विकासशील देशों की तुलना में अनुसंधान केंद्रो की संख्या बहुत की कम है।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि तटीय सुरक्षा को भी और मजबूत किया गया है। जब तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बार-बार आक्रमण किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि तटीय सुरक्षा मजबूत हुई है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : मैं बस एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूं।

भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई तट रक्षक और खुद श्रीलंकाई मछुआरे हमला कर रहे हैं। यदि हमारे तट रक्षक ऐसे मामलों के बारे में सतर्क और सावधान रहें, तो इससे भारती की समुद्री सीमा मं श्रीलंकाई तट रक्षकों या श्रीलंकाई मछुआरों का प्रवेश करना रूक सकता है...*(व्यवधान)* मैं सरकार से तटीय राज्यों में भारतीय मछुआरों की सुरक्षित करने और दूसरे राष्ट्र के लोगों को हमारे देश के तटों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने का निवेदन करती हूं।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत धन्यवाद। अब श्री गोरखनाथ पांडे अपनी बात रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : महोदया, मैं केवल एक मिनट और लूंगी। महिलाओं के शोषण और उन पर अत्याचार के बढ़ती मामलों को देखते हुए, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के इस मुद्दे से संबंधित बिंदु पर जोर देना चाहूंगी। यह सरकार महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते यौन अपराधों को लेकर अत्यंत चिंतित है। इस सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध जघन्य यौन अपराध करने वालों को सख्त सजा देने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया है।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) **:** महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदया, राष्ट्रपति जी, सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा एवं वितरण प्रस्तुत करते हैं। जो सरकार की कथनी और करनी होती है, उस पर एक बजटीय व्यवस्था की बात करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अपने इस बजट में और अभिभाषण में देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है उस पर चिंता व्यक्त नहीं की है। देश में महंगाई बढ़ रही है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दूसरे दिन रेल बजट आया और सामान्य बजट भी आया। उसके दूसरे दिन ही डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़ गए। पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना कि बजट आने से पहले रेल के भाड़े बढ़ा दिए गए। रेल माल भाड़ा बढ़ा दिया गया। बजट आने के दूसरे दिन डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह देश गांवों में बसता है। भारत गांवो का देश है। भारत की आत्मा भी गांवो में बसती है। गांवो में मज़दूर, किसान, मजबूर और कृषक रहते हैं। आज उनकी दुर्दशा देखिए कि 65 साल की आज़ादी होने के बाद आज गांवो में वह किसान भुखमरी के कमार पर है। आज चर्चा हो रही थी, उस पर एक रिपोर्ट आई है। सरकार किसानों के ऋण माफी की जो योजना बनाई है, उसमें सन् 2008 में अपने बजट में बढ़-चढ़ के वायदा किए गए। करोड़ से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। करोड़ों रूपये लूट लिए गए हैं। यह देश की वास्तवकि तस्वीर है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम लोग गांव से आते हैं। गांवों की दुर्दशा से हम सीधे-सीधे रू-ब-रू होते हैं। आज भी ऐसे गांव हैं, जहां बिजी नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अगर विद्यालय है तो शिक्षक नहीं गावों की ये व्यवस्थाएं हैं। बीपीएल कार्ड, आज गांवों में किनते गरीब है? आप किनको सब्सिडी देना चाहते हैं? किनको वह व्यवस्था देना चाहते हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं? किसान आत्महत्याएं कर रहा है। जब आपको वास्तविक संख्या ही नहीं मालूम है, तब आप उनको कहां से वे सुविधाएं देंगे? कहां से सब्सिडी देंगे? गांवों में बिजली नहीं है। कृषि का आधार बिजली है। लेकिन आज गांवों में बिजली नहीं है। किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? उनकी खाद मंहगी है। खाद का दाम बढ़ता जा रहा है। खाद पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन सब्सिडी पूंजिपतियों को मिल रही है। सब्सिडी डीज़ल पर मिलनी चाहिए। किसान की खेती की लागत बढ़ती जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। महोदया, कृषि मंत्री जी बैठे हैं। किसान को उनकी उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्याएं करने के लिए मज़बूर हैं। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का शासन था, उन्होंने किसानों और मज़दूरों को, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आवास पर सब्सिडी दी और गांवों की वास्तविक तस्वीर को सुधारने का काम किया। आज मुसलमान मारे जा रहे हैं। हत्याएं हो रही है लॉ एण्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां भी ध्यान जाना चाहिए।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बुनकरों की ओर

ले जाना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य राहुल जी वाराणसी में जा कर बहुत कुछ घोषणाएं कर के आए थे। लेकिन आज भदोही का कालीन व्यवसाय जो विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ों हज़ार रूपये की सब्सिडि की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है। बैठ जाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कालीन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है मऊ में, जहां से दारा सिंह जी आते हैं... बुनकर परेशान हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। इसके अलावा कुछ भी कार्यावाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)**

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़) : महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज है जिसमें बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने का आर्थिक मंदी से जूझने की कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही है।

एक दशक के भीतर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने प्रतिबद्धता की बात कही गयी। सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात आई, है किंतु देखने में आ रहा है कि चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हम केवल उपभोक्ता के रूप में क्यों, निर्माण एवं क्वालिटी युक्त निर्यातक के रूप में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। कौशल विकास की तमाम योजनाओं के बाद भी हमारा युवा रोजगार की तलाश में विदेश क्यों जा रहा है। हम उसको सुरक्षा एवं उसके कौशल का देश के हित में उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे युवाओं में जोश की कोई कमी नहीं है।

हम रोजगार की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं किंतु असंगठित क्षेत्र 43 करोड़ श्रमिकों के लिए स्पष्ट कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं। हमारे देश का जो परम्परागत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले काम थे वह समाज आधारित थे, गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। विश्वकर्मा समाज के लोग गांव की बैलगाड़ियां हर बखर खटिया बैंच बनाते थे। प्रजापति समाज - गांव के लोगों को घड़े मिट्टी के तवा बरतन, खिलौने, मूर्ति बनाते थे। वंशकार समाज के लोग गांव के सुख दुख में बाजा बजाया करते थे। इनके घरों से महिलाएं दाई का काम करती थी। सेन समाज के लोग शादी विवाह लगुन सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवत कथा का (बुलावा) निमंत्रण देते थे, गम की सूचना देते थे। इन अवसरों पर लगने वाले दौना पत्तल घरों से बनाकर लाते थे। धोबी समाज- घर में बच्चा होने पर अथवा मृत्यु होने की दशा में घर के कपड़े धोने ले जाते थे। बाल्मीकि समाज गांव में किसी के यहां सुख-दुख का अवसर होने पर सफाई करने आ जाते थे। रैंकबार समाज पानी भरने आ जाते थे। किंतु अब इन सभी समाजों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के चलते ट्रेक्टरों एवं अन्य मशीनों के प्रयोग से विश्वकर्मा समाज में प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने एवं फ्रिज से, प्रजापति समाज में बैंड बाजों के स्थान पर डी.जे. के उपयोग से, वंशकर समाज में थर्मोकॉल एवं प्लास्टिक के दौना पत्तल के बढ़ते उपयोग से, सेन समाज में एवं सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा मशीनीकृत लांड्री खोलने से, धोबी समाज में तथा सफाई का काम नगर पंचायतों, नगर निगमों से लेकर पार्लियामेंट में तक कान्ट्रेक्ट पर देने से सभी वर्ग के लोग इस काम में आ रहे हैं, जिससे बाल्मीकि समाज के लोग-बेरोजगार हो रहे हैं। पहले कुंआ से, नदी से पानी लाने का काम सार्वजनिक कार्यक्रमों में तथा प्याऊ पर पानी पिलाने का काम रेंकवार समाज के लोगों द्वारा किया जाता था। किंतु अब टैंकर दरवाजे पर आ जाता है पाइपों से पानी भर जाता है। इन सभी के कौशल को बनाये रखने एवं उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया।

सरकार साईकिल रिक्शा एवं हाथ ठेला वालों को काम दर पर नया रिक्शां एवं हाथ ठेला तो दिखाने की बात तो करती है किंतु रिक्शा वाले का निराश हताश चेहरे देखने की कोशिश नहीं करती। वह बुलाता रहता है कोई सवारी नहीं आती। सभी ऑटो रिक्शा मैजिक से चले जाते हैं। हाथ ठेला वाला धूप, ठंड, बरसात में ठेला पर बैठा रहता है। ऑटो ट्राली वेगन से सामान ढुलता रहता है। वह बेचारे कैसे बैंक का पैसा चुकाये, कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

अजुर्न सेन गुप्ता जी की रिपोर्ट में ठीक कहा गया था देश की 70 प्रतिशत आबादी मात्र 20 रूपया रोज पर गुजारा करती है। दूसरी तरफ कोई फिल्म कलाकार एक फिल्म का 100 करोड़ मेहनताना लेता है। कोई वकील एक केस में 50 लाख फीस लेते हैं। अत: संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना का अभाव है। इन सभी लोगों के पुनर्वास एवं रोजगार की स्पष्ट नीति के अभाव में भारत निर्माण का स्वप्न अधूरा है।

कृषि विकास की दर देश में अच्छी रही है किंतु महाराष्ट्र राजस्थान तथा अन्य राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसान आर्थिक रूप से टूट गये हैं। उन्हें सिर्फ ऋण देने से काम नहीं होगा और भी आगे करना होगा। बेमौसम की वर्षा एवं ओलावृष्टि के मध्य प्रदेश सरीखे राज्य, जहां कृषि विकास की दर 18 प्रतिशत तक पहुंच गयी तथा महामहिम जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया, वहां के ओला प्रभावित किसानों को केन्द्रीय आर्थिक मदद की पहल होनी चाहिए।

बुन्देलखण्ड की भूमि उर्वरा भूमि है किंतु पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव में तथा पीछे सात-आठ साल पड़े सूखे के कारण बुन्देलखण्ड पैकेज दिया जा रहा है जिसकी समयावधि बढ़ाने एवं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया जिलों में नहरों का जाल बिछाने एवं डैम लगने की आवश्यकता है। एनडीए सरकार के समय नदियों को जोड़ने की योजना अंतर्गत केन-बेतवा नदी को कोर्ट के आदेश के बाद भी तक नहीं जोड़ा गया जिसे करने की आवश्यकता है। बुन्देलखंड के चंदेलकालीन तालाब के जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी सफाई एवं जीर्णेद्धार करने एवं आपस में जोड़कर सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर जिलों में मिनरल्स काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, लोहा काफी मात्रा में पाया जाता है। छतरपुर में स्टील प्लांट लगाने की पहल होनी चाहिए। यहां विश्वविद्यालय खोलने की मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्र से एनओसी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को भेजा गया है जिसे शीघ्र औपचारिकतायें पूरी करनी चाहिए ताकि राज्य शासन यूनिवर्सिटी खोल सके।

पाक प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में सिर उठाता रहता है जिससे कभी हैदराबाद में, कभी दिल्ली में कभी वारणसी में होने वाले विस्फोटों से निर्दोष लोगों की मृत्यु जिनमें एक का सिर काट कर ले जाने से पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई र्थी पड़ोसी देशों से संबंध देश के सम्मान को ताक पर रखकर ठीक नहीं रखे जा सकते। हमें कठोर कदम उठाने होंगे तथा सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना होगा। विदेशी घुसपैठ पर सख्ती से अंकुश लगाने एवं पूर्व में आये घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की पहल करनी होगी। घुसपैठ केवल आसाम, बंगाल, बिहार, दिल्ली में नहीं, मुम्बई तक पहुच चुकी है। नवी मुम्बई की पहाड़यां भी इससे वंचित नहीं हैं।

प्रधानमंत्री सहायता कोष से गरीब गंभीर रोगों के मरीजों को इलाज हेतु संसद सदस्यों की अनुशंसा पर सहायता दी जाती है। इसमें काफी समय लगता है तथा पत्र प्राप्त होता है कि आपकी अनुशंसा पर इतने लोगों को सहायता दी जा चुकी है और इस पत्र पर राशि की उपलब्धता पर सहायता दी जायेगी। क्या बीमारी सूचना देकर आती है तथा ठीक होने के लिए इंतजार करती है? यह गरीबों के साथ मजाक है इसमें उदारता से तत्पर सहायता दी जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विदेशों में जमा काले धन को वापिस लाने का कोई उल्लेख नहीं। महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों को तो लाभ मिलता है किंतु आम आदमी का जीना दूभर होता जा रहा है। बत्तीस और छब्बीस रूपये के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण जनता को गरीब नहीं मानना उनके साथ क्रूर मजाक है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा कागजी योजना बनकर रह गई है।

आवासीय योजनायें चाहें गांव की हो अथवा शहरी की, ऊंट के मुंह में जीस के समान है। बढ़ी हुई आबादी के अनुपात से इनको बढ़ाने के बारे में कोई ठोस उपायों का अभाव है। 12वीं योजना में 10 लाख घरों का निर्माण लघु मध्यम नगरों में होगा, इससे क्या हल निकलने वाला है।

महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ने वाली यौन शोषण की घटनायें गंभीर चुनौती हैं। सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि उनका सख्ती से पालन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन गांवों में डॉक्टर्स, पेरा-मेडीकल स्टाफ एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था के बगैर अधूरा है।

विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कोई विशेष प्रबंध नहीं। सभी जिलों में स्कूल नहीं, पुनर्वास केन्द्र नहीं केवल जांच नहीं, उनके सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए।

बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार एवं घोटालों की श्रृंखला देश के विकास के मॉडल नहीं होंगे। इस देश के आम आदमी के विकास के बगैर भारत निर्माण अधूरा है।

महिला आरक्षण बिल 2010 से लंबित है। पंचायत विकास में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षरण 2009 से पेंडिंग है। सामुदायिक दंगों को रोकने का नया कानून 2005 से लंबित है। पेंशन सेक्टर को रेगुलर करने की योजना 2011 से लंबित है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 से लंबित है।

अंत में यही कहना चाहता हूं कि सरकार दिशाहीन होकर कार्य कर रही है। लोकतंत्र के सम्मान एवं आम आदमी का उत्थान करने का कोई सोच नहीं है।

***श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया** (राजकोट) : राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कृषि विकास दर में वृद्धि की बात बताई है जो सराहनीय है, किंतु जब मैं सौराष्ट्र के किसानों की ओर देखता हूं तो मेरी आंखे नम हो जाती हैं। चाहे कृषि दर 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत क्यों न हो गई हो, किसान वहीं का वही है। महाराष्ट्र के विकास सूखे से आज जूझ रहे हैं। वही परिस्थिति सौराष्ट्र की भी है। इस वर्ष आकाल के कारण सौराष्ट्र के किसानों की स्थिति अत्यंत विकट है। क्या हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि यह परिस्थिति कोई गंभीर रूप ले? क्या हम अभी कुछ कदम नहीं उठा सकते ताकि इस वर्ष हम किसानों को बरबादी की खाई में गिरने से बचा सकें?

सौराष्ट्र श्रेष्ठ लाँग स्टेपल कपास का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जब सरकार आर्थिक विकास और विकास वृद्धि की बात करती है तो क्या यह जरूरी नहीं कि हम सौराष्ट्र में एक कॉटन रिसर्च सेंटर स्थापित करें। यह मांग कई वर्षो से केन्द्र के समक्ष रखी गई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रपति जी ने राजीव गांधी आवास योजना का उल्लेख करके कहा कि इसके तहत 10 लाख आवासों का निर्माण तय किया गया है। हमने भारत को स्लम रहित बनाने का लक्ष्य रखा है किंतु बात विपरीत हो ही रही है। गुजरात में दिन-प्रतिदिन दुगुनी तेजी से स्लम बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बारे में गंभीरता से सोचे। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अभियान की घोषणा तो कर दी है। किन्तु इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा नहीं किया। आज शिक्षकों एवं वर्ग खंडों के अभाव में इस अभियान की गति भी अत्यंत मंद हो चुकी है। मेरा यह अनुरोध है कि इस पर शीघ्रता से विचार या नीति तय की जाए।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर भारत के हर एक व्यक्ति का अधिकार है। सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। उसके लिए सरकार ने एनएचआरएम के तहत अच्छी खासी रकम भी उपलब्ध करवाई है किंतु विडंबना यह है कि आज भी लोगों को स्वास्थ्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मुश्किलें उपस्थित हो रही हैं। हमें यह देखना होगा कि हम भारतवासियों को गुणवतायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा दी जाने वाली रकम में वृद्धि करनी होगी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास पर ज्यादा तवज्जू दी है और होना भी यह चाहिए। क्योंकि ग्रामीण विकास ही भारत का सही विकास है। किंतु सरकार द्वारा गठित निर्मल ग्राम योजना जैसी योजनाएं, योग्य क्रियान्वयन के अभाव में क्रियाशील नहीं हो पाई हैं। हमें इन योजनाओं के योग्य क्रियान्वयन के लिए संगठित प्रयत्न करने होंगे। जेएनएनयूमाएम योजना को अवधि को 2012 से सरकार 2014 तक कर दिया गया है। किन्तु क्या हमने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं के लिए जो आवंटन किया गया है वह योग्य रूप से खर्च हो रहा है अथवा नहीं। हमें इस आवंटन का योग्य आडिटिंग करवाना होगा।

राष्ट्रपति जी ने जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण के प्रश्नों पर चिंता जताई है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रश्नों के समाधान के लिए नीतियां बनाने की बात कही है। किंतु मैं अपने सौराष्ट्र में ही देखता हूं कि प्रदूषण विरोधी नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ रही हैं। इस विषय में मैंने सरकार के दरवाजे बार-बार खटखटाए, परंतु, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। यह तो सभी मानेंगें कि गुजरात एक उद्योग प्रधान राज्य है और इसी कारण से सौराष्ट्र के व्यापारी वर्ग

[श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया]

को राजधानी दिल्ली आना जाना पड़ता है। लेकिन यह खेद की बात है कि सौराष्ट्र का कोई भी शहर वायु मार्ग से दिल्ली से नहीं जुड़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि, राजकोट और भुज जैसे क्षेत्रों को सीधे वायु मार्ग से दिल्ली से जोड़ा जाए।

***श्री राकेश सचान** (फतेहपुर) : महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सिंचाई हेतु नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था एवं सरकारी नलकूप अधिक लगवाने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

पेयजल के संकट को दूर करने के लिए 2000 हजार की आबादी के गांवों में ओवरहेड टैंक बनवाने की व्यवस्था पर विचार करे एवं हमारे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में 6000 हैंड पम्प उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाये।

शिक्षित बेरोजगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे निर्वाच क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलवाया जाये।

गरीबों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में बीपीएल सूची के अलावा अन्य सभी गरीबों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाए।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत लघु एवं मध्यम नगरों के अंतर्गत आवास निर्माण हमारे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, बिंदकी व खागा उपलब्ध कराये जाये।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र की विधवाओं को शत प्रतिशत शामिल करने पर विचार किया जाये।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं को मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जनपदों में एवं हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेष रूप में शामिल करने पर विचार किया जाये।

गरीबों में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ब्लॉक स्तर के गांवों में हाई स्कूल एवं इंटर कालेज खोलने पर विचार किया जाये। साथ ही, प्रत्येक गांवों में प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक स्कूल खोले जायें।

प्रविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आईटीआई के खेन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाये।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अहयेतावृत्ति योजना के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये इस योजना में मेरे निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किया जाये।

चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल व मेडिकल कालेज की स्थापना पर विचार किया जाये।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2000 की आबादी वाले प्रत्येक गांवों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने पर विचार किया जाये।

नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र फतेहपुर के प्रत्येक ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण करने पर विचार किया जाये।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र फतेहपुर के प्रत्येग ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण करने पर विचार किया जाये।

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने व खरीद व्यवस्था ठीक करने तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत भंडार क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया जाये।

किसानों को उपज बढ़ाने के लिये सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने व खाद पर अधिक से अधिक सब्सिडी देने पर विचार किया जाये।

किसानों को दैवीय आपदा से हुई क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने पर विचार किया जाये।

गांवो में गरीबी को देखते हुए बीपीएल एवं एपीएल की संख्या बढ़ाकर सस्ते दामों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाये।

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण विषयों को जो उत्तर प्रदेश के जनपदों एवं विशेषक मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में किया जाये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री रामकिशुन** (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई ठोस उल्लेख नहीं किया है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास की लगातार उपेक्षा होती चली आ रही है। पूर्वांचल के किसान प्रतिवर्ष कभी बाढ़, कभी सूखे से प्रभावित होते रहते हैं। इनके सिंचाई एवं पानी विकास की व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। पूर्वांचल के अधिकतर जनपदों में गंभीर बीमारियों, मस्तिष्क ज्वर, कैंसर, हृदय के इलाज के लिए कोई अस्पताल आदि की व्यवस्था नहीं है और इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली-लखनऊ की ओर जाना पड़ता है, जिससे गरीबों रोगियों के लिए खर्च वहन कर पाना मुश्किल होता है। पूर्वांचल में एक एम्स जैसा अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता है तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किये जाने की आवश्यकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहां कोई उद्योग धंधा न होने से यहां के नवयुवकों में बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और रोजगार के लिए इन्हें अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। इसलिए पूर्वांचल में नए उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीन जनपद - चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। न तो यहां कोई बड़ा अस्पताल है और न ही कोई शिक्षा का केन्द्र है और न ही कोई उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। जिसके कारण नक्सली गतिविधियां बराबर पनपती रहती हैं। पूर्वांचल का चंदौली जनपद का धान का कटोरा कहा जाता है। यहां के किसान चीन और अमेरिका के किसानों के मुकाबले धान की पैदावार करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद वाराणसी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी के साथ पूरे विश्व का प्राचीनता पौराणिक नगर है जहां की हालत बहुत की गंभीर बनी हुई है। इस जनपद के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वाराणसी के विकास के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। यहां पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से धार्मिक आस्था से जुड़े लोग आते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूर्वांचल की लगातार उपेक्षा होने से यहां के किसानों, नौजवानों, बुनकरों आदि में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर बनारस के आसपास बुनकर अल्पसंख्यक आबादी के लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बहुत कम मात्रा में है। पूर्वांचल की सड़कों की हालत जर्जर है। हजारों सैंकड़ों गांव में आज तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन क्षेत्रों मं पेयजल के गंभीर संकट हैं। शुद्ध पानी न मिलने से आम जनता में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाकर धन उपलब्ध कराया जाए। किसानों को किसी कार्य के लिए 3 फीसदी ब्याज पर कम से कम आठ लाख से लेकर दस लाख तक के कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन) : प्रतिवर्ष सरकार की उपलब्धियों के व्याख्यान की परम्परा राष्ट्रपति जी द्वारा निर्वहन की जाती है। इस बार भी की गई। मैं इसका स्वागत करता हूं परंतु वास्तविक धरातल पर आज हम कहां खड़े हैं यह जमीन से जुड़े नेताओं या वह आदमी ही बता सकता है। जिस आम आदमी या अंतिम आदमी की उत्थान की कल्पना हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से करते आ रहे हैं।

सरकार की उपलब्धियां जो राष्ट्रपति जी ने गिनाई है और जो वास्तविकता है, उन दोनों में बड़ा भारी अन्तर्विरोध है। मैंने भाषण सुना और पढ़ा भी, परन्तु निराशा हाथ लगी। पूरे भाषण में लगभग हर मुद्दे को राष्ट्रपति जी ने छूने की कोशिश की है।

आर्थिक मंदी, रोजगार सृजन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, स्वास्थ्य, विधवा पेंशन, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, विज्ञान और तकनीकी और न जाने क्या-क्या। परन्तु ऐसा वास्तव में है क्या? जैसे राम राज्य आ गया हो। देश में चारों तरफ शांति, खुशहाली, तरक्की, रोजगार यानि सभी संतुष्ट हैं।

आंकड़ों से परिपूर्ण है यह अभिभाषण। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि गरीब आदमी जब रोटी, कपड़ा और मकान की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री घनश्याम अनुरागी]

मांग करता है। तो उसको यह सरकार आंकड़ो का चार्ट दिखाएगी क्या कि ले भईया आंकड़ों को देखकर अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ले क्योंकि हमने ये तरक्की की है।

अभिभाषण में न भूख है, न बेरोजगारी है, न गरीबी है, न किसान आत्हत्या कर रहे हैं, न बलात्कार हो रहे हैं, सब तरफ शांति, खुशहाली, तरक्की है। कमाल की बात है। पूरे भाषण में तरक्की और खुशहाली 114 बिंदुओं द्वारा राष्ट्रपति जी ने गिनवाई हैं। इस हिसाब से देश खुशहाल हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देश त्राहिमाम कर रहा है। किसानों से जमीन छीनी जा रही है, अल्पसंख्यक बेहद असंतुष्ट है, महिलाओं की दुर्गति पहले से भी ज्यादा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बात-बात पर जनता आन्दोलित हो रही है। आन्दोलनों की आंच शायद राष्ट्रपति जी के भवन को ही हाल ही में छू कर गई है। अभी हाल की बात है ज्यादा दूर नहीं जा रहा।

कृपया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 90वें बिंदु पर गौर फरमाएँ। जिसमें कहा गया है कि मेरी सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्नष्ठिा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।

जब इतनी साफ-सुथरी सरकार है तो फिर ये हैलिकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, टूजी घोटाला, कोयला घोटाला ये तमाम घोटाले कौन सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। यानि मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू।

पड़ोसी मुल्क आपके सैनिकों के गले काट कर ले जा रहा हैं। गाहे बगाहे फायरिंग करता ही रहता है। उसकी आड़ में आतंकवादी भेजता रहा है। ये तरक्की तभी तक है जब ये मुल्क रहेगा। हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। फांसी भी दी जा रही है, ठीक है दी जानी चाहिए। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। परंतु इनमें ज्यादातर हालात के मारे गरीब लोग हैं। पैसे के लालच में अपराध कर बैठते हैं। लेकिन क्या सरकार कभी इनके आकाओं को छू भी पाई है। जो लोग और मुल्क इस तरह के हथकंडे अपना कर भाड़े के लोगों को कुर्बान होने के लिए भेज देती है, उनको हम यहां पर फांसी दे रहे हैं परंतु मास्टर माइंड कहीं और बैठा है। इस पर अभिभाषण में राष्ट्रपति जी मौन धारण कर गए।

राष्ट्रपति जी, ने अपने अभिभाषण के 101वें बिन्दु पर पड़ोस के मुल्क चीन का केवल उल्लेख मात्र किया है। वहां तरक्की भाषणों में नहीं है, बल्कि दिखती है, महसूस की जा सकती है। वहां तो हमसे ज्यादा आबादी है। ओलंपिक खेलों का भी सफलतापूर्वक अपने देश में आयोजन करवा चुका है। खेलों के मामले में भी हम काफी पीछे हैं।

भारत को चीन ने सामरिक रूप से तो घेर ही लिया है, समुद्री सीमा से लेकर भौगोलिक सीमा द्वारा। अपनी सीमाओं पर बड़ी-बड़ी सड़कों को निर्माण कर रहा है, हैलीपैड, पोतों का निर्माण कर रहा है। अत्याधुनिक शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ बाजार में भी पूर्णरूपेण कब्जा जमाता जा रहा है। इस सबके बावजूद भी सरकार ने इस देश में एफडीआई जैसे आत्मघाती कदम को मंजूरी दे दी है। आम आदमी स्व:निर्मित सामान महंगाई के चलते देश में खरीद नहीं पा रहा। चीन का सस्ता सामान खरीद रहा है। देश में निर्मित माल की विदेशें में मांग नगण्य है। केवल कच्चा माल यहां से बहुतायत में निर्यात किया जा रहा है।

कुछ बातों की ओर मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं-

1. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने का कोई जिक्र नहीं किया है।

2. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों को कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे कि बिहार काफी प्रभावित है।

3. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देने का और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। जिसके कारण किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

4. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वृद्धि किसानों को पेंशन देने की किसी योजना का जिक्र नहीं किया है।

5. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों को सीधे खाद में सब्सिडी देने का कोई जिक्र नहीं किया है।

6. मैंने पहले भी कई बार बात का उल्लेख किया है। कि किसानों को खेती के लिए डीज उपयोग में सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान तो ठीक है और समझ में भी आता है परन्तु बड़े-बड़े पूंजीपतियों, मॉल-मालिकों बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले, मोबाईल टेलीफान कंपनियों के टावरों को चलाने और होटल चलाने वालों को सब्सिडी देने का क्या औचित्य है। सन् 2012-13 वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी इन पूंजीपतियों को अकारण दी गई और इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा क्योंकि सब्सिडी का असली हकदार उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सका।

7. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पड़ोसी देशों द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है।

8. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है।

9. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सीमेंट और स्टील की कीमतों में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि के कारण मध्यम आय वर्ग के नागरिक द्वारा अपने मकान बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है।

10. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विदेशों में जमा काले धन की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया है।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : संयुक्त सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो चर्चा सदन में हो रही है, उसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव ले करना चाहता हूं।

अभिभाषण के पैरा 10 में कृषि विकास की बात का उल्लेख है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास दर 2.4 प्रतिशत रही, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 3.7 प्रतिशत रही, इस हेतु उन्होंने खुशी भी जताई, लेकिन कृषि विकास दर में भाजपा शासित राज्यों की कृषि विकास दर का पृथक से उल्लेख करके खुशी जताने का प्रयास करते तो यह लोकतंत्र के लिए उचित रहता।

अभिभाषण के पैरा 20 में मनरेगा के तहत पांच करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, लेकिन मनरेगा को कृषि से जोड़ने का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि मनरेगा में संशोधन करके रेलवे क्रासिंग पर आरयूबी व रेलवे प्लेटफार्म पर एफओबी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से बनाये जाते हैं तो इससे एक ओर कृषि विकास को भी बल मिलेगा, दूसरी और रेल दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।

कृषि विकास के साथ-साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत को सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देश के रूप में भी उल्लेखित किया है, लेकिन इस देश में पानी की बोतल 15 रूपये में बिकती है और दूध पानी की दर के बराबर ही ग्रामीण इलाकों से खरीदा जाता है अत: दूध की भी कोई मिनियम प्राइज का उल्लेख करते तो, दुग्ध उत्पादन के लिए देश में क्रांतिकारी कदम होता।

अभिभाषण के पैरा 27 में विधवा पेंशन एवं वृद्धा पेंशन का उल्लेख है लेकिन यूनिवर्सल पेंशन का कोई उल्लेख नहीं किया है जो समय की मांग है और जंतर मंतर पर आज भी मजदूरों ने धरना दे रखा है।

अभिभाषण के पैरा 33 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उल्लेख है, लेकिन यह छात्रवृत्ति की दर अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दर के बराबर की जायेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे भी लगता है कि सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कम हो गया है।

अभिभाषण के पैरा 42 में पॉलियों-रहित देश होने की घोषणा की गई है, लेकिन जिस गति से डेंगू, चिकिनगुनिया व स्वाईन फ्लू फैल रहा है, उसके नियंत्रण की कोई बात नहीं करना चिंता का विषय है।

अभिभाषण के पैरा 44 में नर्सिंग स्टॉफ व डॉक्टरों के बारे मे उल्लेख किया गया है, लेकिन एनआरएचएम में संविदा पर कार्यरत

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ, अकाउंटेंट आदि कर्मचारियों को स्थाई व नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह समय की मांग भी है और इनको नियमित किया जाना चाहिए।

अभिभाषण के पैरा 52 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने आगामी 10 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, जबकि अभिभाषण में आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना ही प्रस्तुत की जाती है। अत: इसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए कि वर्ष 2013-14 में कितने लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया है।

अभिभाषण में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सैल्फ डिफेंस के गेम्स को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है और दिल्ली की गैंग रेप की घटना के बाद इसकी मांग भी महिला संगठनों ने पुरजोर तरीके से की है।

आंतरिक सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरी सरकार सजग है, लेकिन अभी हैदराबाद में हाल ही में घटित बम विस्फोट की घटना से यह पता चलता है कि अमुक इलाके में सीसीटीवी कैमरे ही खराब पाये जाते हैं तो सरकार आंतरिक सुरक्षा पर सजग कैसे है? यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है।

अभिभाषण के पैरा 5 में डायेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का उल्लेख है लेकिन इसकी क्रियान्वित कैसी होगी, इसका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि किसानों की ऋण माफी योजना में जो घोटाला हुआ है, वो डायरेक्ट बैनिफट टांसफर सिस्टम में नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी लेने का उल्लेख भी अभिभाषण में होना चाहिए था।

राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रवाद का भी उल्लेख है और आध्यात्मिकता का भी उल्लेख सेतू समुद्रम के बारे में उल्लेख नहीं करना चिंता का विषय है। अत: पचौरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रामसेतू को बचाने का उल्लेख होना चाहिए था।

राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 40 में राष्ट्रपति जी ने उच्चतर शिक्षा अभियान का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने संसार के 200 विश्वविद्यालयों को उच्चतर श्रेणी का माना जिसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। यह चिंता भी राष्ट्रपति जी ने प्रकट नहीं की है।

राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 53 में परिवहन सुधार का जिक्र है, लेकिन वाहनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने से बड़े-बड़े शहरों व छोटे शहरों में भी जाम लगने खतरा बना रहता है और सैंकड़ों नागरिक उसमें परेशान रहते हैं इसलिए इस पैरा में वाहन नियंत्रण के संबंध में नीति या जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में किसी नीति का उल्लेख होना चाहिए था।

राष्ट्रपति अभिभाषण में कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र नहीं होना भी चिंता का विषय है, क्योंकि 2011 की जो जनगणना प्राप्त हुई है उसमें लिंगानुपात फिर बिगड़ा है तथा बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने के लिए किसी भी योजना का नहीं होना चिंता का विषय है।

राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक तेल निकला है लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में तेल शोधन के लिए रिफायनरी का उल्लेख नहीं होना तथा राजस्थान के लिए पृथक से पेयजल हेतु विषय पैकेज का जिक्र नहीं करना एवं राजस्थान को विषय राज्य में दर्जे के बारे में व राजस्थान विधान परिषद के प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं करना यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय संगत बात नहीं है।

वर्तमान में केन्द्रों व राज्यों में सरकारें अलग-अलग दलों की हैं। अत: केन्द्र राज्य संबंधों पर राष्ट्रपति अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि केन्द्र सरकार सरकारिया आयोग की भांति कोई आयोग गठित करे और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र राज्य संबंध में सरकारिया आयोग की तरह कोई आयोग गठित हो और वो केन्द्र राज्यों संबंध पर अपनी रिपोर्ट दे ताकि देश समय की मांग के अनुसार उन्नति कर सके।

***श्रीमती संतोष चौधरी** (होशियारपुर) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करती हूं। आजादी के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की और भविष्य में भी तरक्की की राह पर डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी तथा यूपीए चेयरपर्सन के मार्गदर्शनस्वरूप आगे बढ़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में यूपीए सरकार ने राज्य सरकारों को अनगिनत रूपया भेजकर ग्रामीण एवम् शहरी लोगों के विकास की ओर पूरा ध्यान देने की कोशिश की है। इस के विपरीत बहुत कुछ करना बाकी है जो कि निम्नलिखित है:-

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतर बजट का प्रावधान करना होगा। गांव में पानी के निकास तथा स्वच्छ तथा शौचालय की व्यवस्था करानी होगी। किसानों का खास तौर पर ध्यान देना होगा।

2. बैकवर्ड पिछड़े एरिया को पहचान कर के उसको स्पेशल पैकेज का प्रावधान करना जरूरी है।

3. शिक्षा के क्षेत्र में लंबित योजनाओं को खास कर ग्रामीण क्षेत्र के परिसर वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी है जैसे केएमवी स्कूल गांव गज्जा, ब्लाक भुंगा, जला होशियारपुर में 2 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल तो खुल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। 10 एकड़ जमीन पंचायत गज्जा ने केएमवी के नाम भी कर दी है परंतु बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भारत के लिए पैसा भारत सरकार ने आवंटित ही नहीं किया। सरकार को पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान देना होगा।

4. बुढ़ापा पेंशन की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज बूढ़ों लोगों का जीवन यापन करना अति कठित है। हिंदुस्तान के प्रत्येक 70 वर्ष अथवा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए।

5. शहर में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए छोटी म्युनिस्पल कमेटियों को ताकतवर बनाना होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तथा उन की सुरक्षा हेतु सख्त कानून तथा तुरंत न्याय दिलवाना होगा। स्वास्थ्य हेतु गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक मदद करना जरूरी है। कैंसर होस्पिटल मेरे निर्वाचल क्षेत्र होशियारपुर में अति जरूरी है। पंजाब के मालवा क्षेत्र के मुताबिक गंदे पानी के कारण जिला होशियारपुर में अनगिनत केंसर केसेज हैं जो बिना दवाई के ही ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि 75% लोग गाँव में रहते है। जिस क्षेत्र का 65 वर्षों में बिल्कुल भी विकास नहीं हुई। सड़कें न के बराबर है जिस कारण यातायात की व्यवस्था नहीं है। यातयात का साधन नहीं होगा तो रोजगार के साधन नहीं होंगे। कृपया आप इन विषनों पर अवश्य ध्यान दीजिए।

सायं 06:00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब समय समाप्त हो गया है। 6 बजे प्रधानमंत्री जी का उत्तर आना था। आप बैठ जाइये। मैं आपकी वेदना समझ रही हूं। आप समय का आदर कीजिए, समय का सम्मान कीजिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया में महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धन अभिभाषण हेतु धन्यवाद देने के लिए इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ज़ोरदार ढंग से और विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में योगदान किया।

महोदया जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरंभ में उल्लेख किया है पिछले एक वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कठिन स्थितियों से गुजरी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी वृद्धि धीमी पड़ गई है और वित्तीय निरन्तर समस्या बनी रही है। चालू खाता धारा आशा से विपरीत बहुत अधिक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है और उसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

पूर्व सभा पटल पर रहने गए आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की स्थिति की व्यापक तस्वीर मिली है। अत: मैं हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के संबंध में तथा उनसे निपटने के लिए क्या आवश्यक है उसके संबंध में संक्षेप में कहूँगा।

तथापि महोदया मैं माननीय वित्त मंत्री के विचार का पुरजोर अनुसमर्थन करता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मंदी बनी रहेगी। आगामी 2 से 3 वर्षों के बीच में हम देश को 7 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च विकास दर पर लाने में पूर्णतथा सक्षम हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश दर, विशेषकर आधारभूत ढांचे में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अत: हमारा प्रयास रहेगा कि देश के भीतर बचत को बढ़ाया जाए, राज सहायता में वृद्धि को नियंत्रित किया जाये और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि हमारा लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान औसतन 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर और कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का है तथापि हमारा लक्ष्य समावेशी विकास दर बनाए रखने पर रहेगा। समावेशी विकास दर का अर्थ है न केवल गरीबी को कम करना अपितु राज्यों के भीतर तथा उनमें आपस में क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का उत्थान, लिंग भेद को दूर करना तथा बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करना। हमारी नीतियाँ इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदया मैंने माननीय श्री रजनीश सिंह जी का भाषण बहुत रूचिपूर्वक सुना और सबसे बेहतर जो मैं कर सकता हूं वह यह कि यूपीए शासन के 9 वर्षों की तुलना एनडीए शासन के छ: वर्षों से था ताकि हमारे देश के लोग इन नौ वर्षों में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा कर सकें।

महोदया पहले मैं सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की बात करता हूँ। यदि आप मंदी के वर्तमान समय सहित गत 9 वर्ष की अवधि को देखें तो हमारी विकास दर इन 9 वर्षों में 7.9 प्रतिशत रही है। इसके विपरीत राजग के छह वर्ष शासन काल में वृद्धि दर 6% से अधिक नहीं रही।

महोदया यह सच है कि 2012 में वृद्धि धीमी हुई है, अन्य देशों में भी कहीं वृद्धि दर का ग्राफ ऊपर की ओर नहीं है। यूरोप में मंदी है, अमरीका की वृद्धि दर बहुत कम हैं; जापान में स्थिरता है; ब्राजील की वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम है औद दक्षिण अफ्रीका की वृद्धि दर 2.3% है। वर्तमान वैश्विक स्थिति के आलोक में हमारी वृद्धि दर प्रभावशाली प्रतीत होती है हालांकि हम इससे संतुष्ट नहीं है।

महोदया वृद्धि प्रक्रिया के समावेशी स्वरूपव का अंदाजा कई तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला है हमारे किसानों की सुख समृद्धि, उत्पादन की स्थिति क्या हो यह देखना और जैसा कि मैंने पहले यहा 2004-05 से 2011-12 तक अर्थात यूपीए के कार्यकाल में कृषि उत्पादन तथा संबंधित क्रियाकलाप 3.5% रहे। 1998-99 से 2003-04 के दौरान एनडीए के कार्यकाल में यह वृद्धिदर 2.9% से अधिक नहीं थी। क्योंकि कृषिक में वृद्धि तीव्र दर से हुई है और क्योंकि हमारी सरकार ने अनेक सर्वसमावेशी नीतियाँ लागू की जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम, अत: यूपीए के कार्यकाल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति उपभोग 3.4% वार्षिक slet हुआ है। एनडीए के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति ग्रामीण उपभोग 0.8 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की दर से नहीं बढ़ा।

मैं अब कृषि में वास्तविक मजदूरी की बात करूगा। 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में वार्षिक विकास दर औसतन 6.8% रही है।

महोदया गरीबी के संबंध में गरीबी में 2% वार्षिक की दर से कमी आई। पिछले दस वर्षों के दौरान गिरावट की दर 0.8% से अधिक नहीं थी।

महोदया उद्योग में मंदी से हम सभी चिंतित है, परन्तु जब हम यूपीए सरकार के कार्यकाल के नौ वर्षों की तुलना करें तो हमारी औसत औद्योगिक वृद्धि दर 8.5% है जबकि 1998-99 से 2003-04 के दौरान वह औसत 5.6% से अधिक नहीं था।

क्षेत्रीय असमानता के संबंध में अन्तर्राव्यीय ग्रोथ डिफरेन्शियल कम हुआ है और अन्तर्राज्यीय असमानता में वृद्धि नहीं हो रही है। पूर्व की अपेक्षा यूपीए (संप्रग) के शासनकाल के दौरान तथाकथित बीमारू राज्यों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा और कौशल के विकास के क्षेत्र में भी संप्रग की उपलब्धियाँ वास्तव में उल्लेखनीय

हैं। समग्रता और सशक्तता को बढ़ावा देने के मुख्य साधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास हैं। प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले लगभग शत प्रतिशत रहे है और मजदूर वर्ग के विद्यालय में औसत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यूपीए की एक प्रमुख उपलब्धि है।

महोदया उच्च शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालनयों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उनकी संख्या 2004-05 में 17 थी जो अब 44 हो गई है। आई.आई.टी. की संख्या 7 से बढ़कर 16 हो गई है। आई.आई.एम. की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई है। भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की संख्या 1 से 5 हो गई है। भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने दाखिला लिया यह 2006-07 में 12.3% थी जो बढ़कर 2011-12 से 18 प्रतिशत हो गई है।

महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य के मामले में अच्छी शुरूआत की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यूपीए का एक बहुत था कदम है जिससे 34 करोड़ परिवारों को अस्पताल के भीतर रह कर चिकित्सा लाभ मिलता है। शिशु मृत्यु दर 58 से घटकर 44 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 254 से कम हो कर 212 हुई है। वर्ष 2000-01 में जन्म के समय जीवन की उम्मीद 62.5 वर्ष होती थी 2010-11 में यह बढ़कर 66 वर्ष हो गई है। इसी तरह, साक्षरता दर 64.8% फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी हो गई है। मृत्यु दर 8.4 फीसदी से घटकर 7.1 फीसदी हो गई है।

महोदया, यह मेरा मामला नहीं है कि हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वह अधिकतम हैं। मैं यह मानता हूँ कि विकास के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। तभी इसमें गति आयेगी। हमें इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है; पर्यावरण सुरक्षा उपायों को अत्यधिक दृढ़ता से अपनाए जाने की आवश्यकता है। किन्तु, मैं आदरपूर्वक इस सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे कम नहीं आँका जाना चाहिए, जैसा कि श्री राजनाथ सिंह जी ने बताने की कोशिश की है।

मैं जानता हूँ कि यूपीए की आर्थिक और सामाजिक नीति के प्रति भाजपा का एक विशेष दृष्टिकोण है। कुछ दिन पहले भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की एक गुप्त बैठक दिल्ली में हुई थी जहां मेरे सहित कांग्रेस संगठन और कांग्रेस नेतृत्व को जी भरकर खरी खोटी सुनाई गई। मेरा इरादा उन्हें उसी भाषा में जवाब दने का नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमने जो हासिल किया है उसकी बेहतर परख हमारा कार्य और निष्पादन है। एक कवि ने कहा है:-

[हिन्दी]

"हम को उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है"

[अनुवाद]

महोदया, एक लोकोक्ति भी है।

[हिन्दी]

"जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।"

[अनुवाद]

हमने यह गुस्ताखी कोई पहली बार नहीं देखी है। वर्ष 2004 के शाइनिंग इंडिया अभियान का परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वर्ष 2009 में उसने एक शरीफ इंसान, जो मनमोहन सिंह जी हैं, के खिलाफ लौहपुरूष आडवाणी जी को उतारा था, और हम सभी जानते हैं कि परिणाम क्या रहा। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि यदि भारत के लोग इन नौ दस वर्षों में हमारे रिकॉर्ड को देखेंगे तो फिर वो वही करेंगे जो उन्होंने वर्ष 2004 और 2009 में किया था।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने कृषि के हालात पर चिंता जताई है। मैं भी चिन्ता व्यक्त करता हूँ। हमारे देश में किसानों की महता सब से अधिक है जिसकी परवाह यूपीए सरकार करती है। हमने अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने का भरसक प्रयत्न किया है, और यहां मैं साहस के साथ कहना चाहता हूँ कि गेहूँ, चावल और अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य जिस तरह बढ़ाए गए हैं वैसा इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव जी, उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइए।

डॉ. मनमोहन सिंह : माननीय सदस्यों की कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता संबंधी चिन्ता से मैं सहमत हूँ। वह हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे किसानों की खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भनर बनाने की उपलब्धि सचमुच में असाधारण है। वे प्रतिकूल की स्थितियों में कड़ी मेहनत करते हैं और वे सभी संभव सहायता के हकदार हैं।

यही कारण है कि हमने इतना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ है। यदि आप विभिन्न जिंसों के मामले में इन मूल्यों को देखेंगे तो सरकार ने इन्हें वर्ष 2004-05 से 50 से 200 फीसदी तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2004 से गेंहूँ और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगुने से भी ज्यादा कर दिए है। कृषि क्षेत्र में क्रेन्द्रिट फलो वर्ष 2003-04 से लगभग 500 फीसदी बढ़ गया है। इस क्षेत्र के लिए 12वीं योजना में आवंटन 11वीं योजना में आवंटन की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा किया गया है।

महोदया, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और हमारी नीतियों का ही परिणाम है कि कृषि और इसके सहायक क्षेत्र में औसतन वार्षिक विकास दर जो नौवीं और दसवीं योजना के दौरान क्रमशः 2.4 और 2.5 फीसदी दर रूकी हुई थी, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2009 में देशव्यापी पूखे की स्थिति आई थी, 11वीं योजना के दौरान बढ़कर 3.7 फीसदी हो गई।

यही सच है कि वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर, फिलहाल 1.8 फीसदी रहने का अनुमान है। किन्तु, खरीफ मौसम के उत्तराई के दौरान मानसून के फिर से गति पकड़ने और मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण रबी की बेहत फसल की संभावनाओं से मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के दौरान वार्षिक विकास की दर उस आँकड़ों से कही अधिक रहेगी जिसका मैंने उल्लेख किया है।

सुरक्षित भंडारण क्षमता की कमी से निपटने करने के लिए सरकार ने वर्ष 2008 में निजी सौकदद्म गांरटी योजना बनाई थी। इस योजना के तहत 181 लाख मीट्रिक टन की क्षमता स्वीकृत की गई है। जिनमें 43 लाख मीट्रिक टन की क्षमता पहले की स्वीकृत की जा चुकी है।

महोदया, एक मुद्दा जो मुख्य रूप से इस वाद-विवाद में सामने नहीं आया, किन्तु मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वह जल का मुद्दा है। श्री देवेगौडा जी ने इस समस्या को अपने तरीके से उद्धत किया था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बांटवारे की एक राष्ट्रीय समस्या है, और मैं आशा करता हूँ कि यह देश इस समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सुलझाने की दिशा में अत्याधिक महत्व देगा।

यूपीए सरकार जल संसाधनों के प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती के रूप में लेती है। श्रीमती सुप्रिया सुले ने चेक डैंमों के निर्माण को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता को बताया है। हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को संशोधित कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने और वाटरशेड डेपलपमेन्ट प्रोग्राम का विस्तार करने का निर्णय पहले ही ले चुके है। कृषि के अलावा शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की मांग की और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन की जरूरत है। हमारे भू-जल संसाधनों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने की जरूतर है। हम शीघ्र ही एक नया भू-जल कानून और एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ संबंधी प्रस्ताव लाने वाले हैं।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की वारदातों पर पार्टी लाइन से अलग हटकर चिन्ता व्यक्त की है। यह एक ऐसा मसला है जो हमारे इस सदन के सभी लोगों को एक मंच पर ला देता है और मैं सदन के सभी लोगों से एक स्वर में बोलने की जोरदार अपील करता हूँ। यदि कोई ऐसा विधायी उपाय है। जिस पर हम सभी सहमत हो सके तो उसे संसद के जरिए विधान का रूप देने के समय सामान्य गति से करने के बजाय उसे अत्यधिक तेज गति से किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस विषय पर एक स्वर से आगे बढ़ने पर सहमत होंगे जिसमें भारत की 50 फीसदी आबादी जिसमें हमारी महिलाएँ और बच्चे आते हैं, को निश्चय ही न्याय मिलेगा।

मैं इस सम्मानित सदन में अपने देश की प्रत्येक महिला की गारिमा, संरक्षरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी सरकारी की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हमने कई उपायों - विधायी, संस्थागत और प्रक्रियात्मक - को अपना पार्ट जिनसे इस दिशा में इस सरकार की सामूहिक जवाब देही सुदृढ़ होती है जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश हो सके। सरकार महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों से निपटने के लिए

कानून में संशोधन करते हुए व उसे सख्त बनाते हुए एक अध्यादेश लाकर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश पर तत्परता से अमल किया है। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबेध और प्रतितोष) विधेयक 2012 संसद पिछले सप्ताह पारित किया गया था।

बलात्कार और यौन हिंसा पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा समर्थन सेवाओं के माध्यम से प्रव्यवस्थापनीय न्याय प्रदान करने के लिए हमारी अनेक योजनाएं है राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन हिंसा की पीड़ित/जीवित बच गई। महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 100 जिलों के सरकारी अस्पतालों में "वनस्टांप क्राइसिस सेन्टर" चलाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक नई अम्ब्रेला योजना ओर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में महिलाओं के लिए 24×7 टॉल फ्री हेल्पलाइन विचाराधीन है।

सरकार का विनिश्चय वित्त मंत्री के बजट भाषण में महिला और बाल विकास मंत्रालय को लिंग भेद के मुद्दों को सुधारने के लिए 200 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित 1000 करोड़ का 'निर्भया कोष' इस बात का प्रमाण है हि हमारी सरकार बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षित रखना चाहती है। तथापि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति वास्तविक तथा प्रभावी परिवर्तन सभी आ सकता है यदि हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है। हमें इस लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया कुछ सदस्यों ने अल्पसंख्यकों में गरीबों के जीवन स्तर की सुधारने की लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करने की आवयश्कता पर बल दिया है। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी। सरकार ने समिति द्वारा की गई 76 सिफारिशों में से 72 को स्वीकार कर लिया है। अधिकांश सिफारिशी को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. शिक्षा 2. ऋण तक पहुँच 3. वक्फ और 4. विशेष विकास पहले। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है...*(व्यवधान)*

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्कों के लिए तीन छात्रवृत्तियाँ और एक फैलोशिप योजना चलाता है...*(व्यवधान)* ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को इन योजनाओं से लाभ हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंह : वर्ष 2012-13 में कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लगभग 15% का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने लगभग 5 लाख मुसलमान लाभार्थियों को कुल 1100 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण वितरित किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक; 2010 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसे संसद के चालू सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया जाएगा। मुझे सभा को यह सूचना देते हुए भी हर्ष है कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की रूप रेखा को निकट भविष्य में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अल्पसंख्यक बहुत पहचाने गए 90 पिछड़े जिलों मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था और अब इसे खंड स्तर पर संकेन्द्रित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इस हेतु फरवरी 2013 तक राज्य सरकारों को 3400 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी...*(व्यवधान)* इसके अलावा, संबंधित सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परिव्यय का कम से कम 15% प्रदान करेंगे।

महोदया सुशासन सरकार के कार्यक्रमों के लाभ हमारे लोगों तक पहुँचाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस संबंध में मैं शासन में अधिक पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, समेकन और उत्तरदायित्व लाने हेतु हमारी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूँगा। इस संबंध में प्रस्तावित विधानों को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध है विशेषत: लोकपाल विधेयक, सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक और विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक जो पहले से ही संसद में पुर:स्थापित किए जा चुके है। मैं चाहूँगा कि सभा के सभी सदस्य इन लम्बित विधेयकों के शीघ्र पारित होने के लिए सहयोग करें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह यादव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और इसे बंद करने का सुझाव दिया है। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यह योजना जो राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है संकट के समय में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इन उपायों में ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा, महत्वपूर्ण जानकारी को पब्लिक डोमेन में डालना, बैंको तथा डाकघरों के माधयम से मजदूरी दिया जाना, ग्राम पंचायत स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस द्वारा लेखा परीक्षा? शिकायते दूर करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तैयार करना और राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों हेतु दिशा निर्देश जारी करना शामिल हैं। राज्यों को योजना के तहत जिलों मे शिकायतों के निपटान के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करने को कहा गया है।

सरकार भी मरनेगा सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु तत्काल मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना करने का विचार कर रही है। ताकि कार्यक्रम को बीच में सुधारा जा सके। इस महत्वपूर्ण योजना में उच्चतम स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य करने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

महोदया, वर्ष 2004 से, जब से यूपीए सत्ता में आई है, जहां तक संभव हो, हमने भारत का स्वरूप बदलने के प्रमुख कार्य के अनुरूप एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने और उसे प्रोत्सहित करने प्रयत्न किया है। इस कार्य में हमने मौजूदा अवसरों का उपयोग करते हुए, भारत पर लगे प्रतिबंधों और अड़चने को हटाते हुए भारत के विकास में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य शक्तियों के साथ सहयोग तथा शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए भारत के हितो को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले नौ वर्षों में विश्व में हमारा स्थान ऊंचा उठा है और अपने हितों की ओर ध्यान देने में हमारी समर्थता भी बढ़ी है। आतंकवाद जैसी हमारी चुनौतियों पर अब बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समझ बनी है और वैश्विक राजनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा संरचना परिषद में भारत को उचित स्थान बदलले की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति भी बढ़ रही है। हमने अति महत्वपूर्ण मुद्दों तथा व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बातचीत में अपने हितों को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पूंजी, ऊर्जा, खनिज और अग्रिम प्रौद्योगिकी में अपनी पहुंच बढ़ाई है।

जब हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संकटों जैसी चुनौतियों का सामना किया, हमने काफी हद तक भारत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को सफलतापूर्वक कम किया है। हमने व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक बातचीत में अपने हितों को सुरक्षित किया है। हमने बाजार, पूंजी, ऊर्जा, खनिज और अग्रिम प्रौद्योगिकी में अपनी पहुंच बढ़ाई है।

महोदया, सदस्यों ने श्रीलंका में, संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के हनन, सामजस्य, जवाब देही और राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण मे प्रगति ने होने के मुद्दों को उठाया है। यह सरकार सदस्यों द्वारा इस संबंध में व्यक्त की गई संवदेनाओं को गंभीरतापूर्वक लेती है। हमारा इस बारे में दृढ़ मत है है कि श्रीलंका में झगड़े मिटाने और राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण को शीघ्रता से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बदूर) : पिछले तीन वर्षो से, आपकी सरकार चुप्पी साधे हुए है। पिछले तीन वर्षो से, आपकी सरकार ने दुलमुल रवैया अपना रखा है। यह अच्छा नहीं है।

डॉ. मनमोहन सिंह : हमने श्रीलंका की सरकार से 13 वे संशोधन के कार्यान्वयन की सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने तथा इस पर आगे बढ़ने के लिए लगातार बातचीत की है ताकि एक अर्थपूर्ण राजनीतिक समझौते को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। हमने यही भी आग्रह किया है कि उत्तरी प्रांतीय परिषद् के चुनाव जल्द से जल्द हो और हमने लेसन्स् लर्न्ट और रिकंसिलिएशन कमिशन रिपोर्ट में निहित रचनात्मक सिफारिशों के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए भी अनुरोध किया है। महोदया, यह वही संदेश भी था, जिसे मैंने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के भारत में 9 सितंबर 2012 के दौरे के दौरान, बढ़ाया था। हम श्रीलंका की सरकार के साथ इन कदमों के कार्यान्वयन और मेल-मिलाप तथा समझौते की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए लगातार जुड़े रहेंगे।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् के आगमी सत्र में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा रखे जाने वाले प्रारूप संकल्प के मुद्दे के संबंध में हमारा निर्णय परिषद् में रखे गए अंतिम विषयवस्तु पर निर्भर करेगा। तथापि हम अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। कि हम ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करेंगे जो श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य तय करेगा जिसमें तमिलों के लिए समानता, गरिमा, न्याय और स्वाभिमान निहित है। हम ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार तमिलों समस्या के स्थाई समझौते के प्रवर्तन जो श्रीलंका के तमिल नागरिकों को गरिमा, स्वाभिमान और समानता के अधिकार के साथ जीने का अवसर दे, के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ लगातार प्रयासरत रहेंगी। मैं सदस्यों को यह भी आश्वासन देता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों ओर के मछुआरे अपना जीवनयापन सुरक्षित और संपोषणीय तरीके से करें, हमारे मछुआरों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में श्रीलंका की सरकार के साथ लगातार प्रयासरत रहेंगे।

मैं, कुछ सदस्यों द्वारा चीन पर व्यक्त की गई उनकी चिंताओं के बारे में भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि भारत और चीन दोनों ही बड़े पड़ोसी देश हैं। जिनके बीच सभ्यता के आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है। मेरे विचार से, आज विश्व में इतनी जगह है कि दोनों देश अपने विकासात्मक अभिलाषाओं को स्वत: पूरा कर सकते हैं। हालांकि, 1988 से ही हमारे और चीन के बीच सीमा विवाद हैं लेकिन हमने इस मामले के समाधान के लिए और सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित किए हैं। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री वेन जिआबाओं के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अनुसरणीय सिद्धांतों और राजनीतिक मापदण्डों पर सहमति जताने के पश्चात् आज हमारे विशेष प्रतिनिधि सीमा विवाद सुलझाने की रूप रेखा पर चर्चा कर रहे हैं। सदस्यों को यह समझना होगा कि यह एक जटिल और संवदेनशील विषय है और इसका हल निकालने में समय लग सकता है। इस विवाद को लंबित रखते हुए दोनों ही पक्ष यथास्थिति बनाए रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व अमन-चैन कायम रखने के प्रति वचन-बद्ध हैं। गत वर्ष हमारे दोनों ही देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई थी। हम लोग भी इस बात से सहमत थे कि सीमा संबंधी विवाद आपसी हितों के सहयोग में आड़े नहीं आने चाहिए।

कई क्षेत्रीय और भू-मंडलीय विषयों के मामले में चीन के साथ सामान्य विकास और आपसी हितों के अवसरों की तलाश करते हुए हम परिपक्वता से उनके साथ अपने समग्र संबंधों को बनाए रखेंगे। चीन के नए नेताओं ने हमारे मध्य राजनीतिक संवाद को सुदृढ़ करने और हमारे संबंधों का बेहतर भविष्य तलाशने के लिए मुझसे अपनी इच्छा जताई है। यह हमारी सरकार का लक्ष्य भी है। हमें इस बदले हुए चीन को राष्ट्रीय सहमति की भावना में विश्वापूर्वक व रचनात्मक रूप से में लेना चाहिए।

महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने ब्रहमपुत्र नदी के सीधे ऊपरी भागों पर बांध बनाने की चीन की गतिविधियों का उल्लेख किया। हम यह सुनिश्चित करने राजनयिक सहभागिता व वार्ता का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं कि इन गतिविधियों जो चीन के क्षेत्र में हो रही हैं, से हमारे लोगों के जीवन और हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हमने इस चिन्ताओं को चीन के साथ प्रत्येक स्तर पर उठाया है और इसके परिणास्वरूप सीमा पार से बहने वाली नदियों के मामले में चीन के साथ वार्ता और सहयोग शुरु कर दिए हैं। हाल के उन रिपोर्टों के मामले में जिनमें यह बताया गया है कि ब्रहमपुत्र के सीधे ऊपरी भागों में नए बाँध बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, चीन ने हमें औपचारिक रूप से आश्वस्त किया कि वे सभी रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ है और उनसे जल संग्रहण नहीं होगा। इस संबंध में हम अपने-अपने स्रोतों से भी उक्त कार्रवाई के बारे में स्वयं को आश्वस्त करते रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि हम भारत की सीमा या कहीं और जगह हो रहे उन सभी घटनाक्रमों पर सतर्क निगाह रखेंगे जिनसे सुरक्षा, एकता और क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित हो सकती है और इसका जवाब देने के लिए हम सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

महोदया, मालदीप की स्थिति पर सदन ने चिंता व्यक्त की गई है। भारत हमेशा से एक स्थायी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मालदीव का पक्षघर रहा है। एक निकट और मित्रवत् पड़ोसी के रूप में भारत मालदीप में फरवरी 2012 में हुए सत्ता के हस्तांतरण के समय से ही वहाँ चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित है। हम मालदीप में सभी राजनीतिक ताकतों व हित सुधारकों के निकट सम्पर्क में हैं और बातचीत के माध्यम से उन्हें अपने मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित कर रहे है।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

मालदीप के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति का चुनाव सितम्बर, 2013 में होगा। भारत मालदीप में राष्ट्रपति का स्वतंत्र, निष्पक्ष व विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए के सभी प्रयास करेगा जिनसे वहाँ निरंतर अमन चैन, स्थायित्व व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे और मालदीप के साथ अपने संबंधों की मजबूत करने और वहाँ अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान के साथ हमें अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उसके साथ हमारी वार्ता जारी है यथा द्विपक्षीय सहयोग व व्यक्तिगत सम्पर्क को प्रोत्साहन देना और बकाए मामलों का हल निकालना। व्यापार और व्यक्तिगत सम्पर्क जैसे कुछ मामलों में प्रगति हुई है। किन्तु, जनवरी, 2013 में नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) पर दो भारतीय सैनिकों की अमानवीय तरीके से की गई हत्या जैसी घटनाओं से बातचीत के माहौल में कड़वाहट आई और द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया पर बादल छा गया है फिर भी, हमें यह देखना है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त करने व नवम्बर, 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले के अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में कितना कुछ ठोस कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य, अच्छे पड़ोसी वाले संबंध - हिंसा के खतरों से मुक्त और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग - हमारे आप सी हित में होंगे। हम भी आशा करते हैं कि पाकिस्तान स्थिति को आगे सामान्य बनाने हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।

हमारा हित स्थिर, मजबूत, एकीकृत, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान में ही है जो कि अब आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगार नहीं रहा है। जैसा कि अफगानिस्तान के लिए वर्ष 2014 और उससे आगे का समय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से संक्रमण का दौर है, इसलिए हम वहाँ अमन-चैन बहाल करने और आतंकवाद व उग्रवाद से लड़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाने में निरंतर मदद करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने भी चर्चा के दौरान राज्य और क्षेत्र विशेष के ढेर सारे मामले उठाए हैं। हालाँकि फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने उन्हें नोट कर लिया है। मैं अपने सहयोगियों को माननीय सदस्यों के संतुष्ट होने तक उनका हल निकालने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह दे रहा हूँ।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : पाकिस्तान में हिन्दुओं की क्या स्थिति है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंह : महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति के उस सारगर्मित अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों में शामिल होना चाहता हूँ जिस मैं सहर्ष स्वीकार करने की संस्तुति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : सदस्यों द्वारा कई संशोधन पेश किए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्षा जी, चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा-

हमको उनसे वफा की है उम्मीद
जो नहीं जानते वफा क्या है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि शायरी का एक अदब होता है। शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का यह उधार एक नहीं दो शेर पढ़कर करना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : फिर उन पर उधार हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : प्रधानमंत्री जी,

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी यह है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए आपको मुखातिब करके दूसरा शेर पढ़ रही हूं।

तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफ़ा याद नहीं

जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं

एक तुम्हें याद नहीं एक हमें याद नहीं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा कई संशोधन पेश किए गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहते है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। उन्होंने बोल दिया है। राइट टू रिप्लाई नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एल.ओ.पी. ने बोल दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूँगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या है? मुझे इसे करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इसमें राइट टू रिप्लाई नहीं है क्योंकि चाको जो ने शुरू किया था और उसका अनुमोदन गिरिजा जी ने किया था। एल.ओ.पी. बोल चुकी हैं। अब मुझे लोग बोलने दीजिए। मुझे इसे आगे कराने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट, आप बैठ जाइए। मुझे इसका समाधान तो निकालने दीजिए। एक मिनट मुंडे जी, मैं इसे शुरू कर चुकी हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे शुरू कर चुकी हूं। ऐसी परंपरा नहीं है कि इसके बीच में हम बुलवाएं। एक दफा हमने शुरू कर दिया है, मैं इसको करवा लेती हूँ, उसके बाद आपको बहुत संक्षेप में बोलने का मौका दूँगी, लेकिन बहुत संक्षेप में।

...(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : फिर सबको मौका दीजिए। मौका सबको मिलना चाहिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री राजनाथ सिंह जी, कृपया मुझे इसी कार्य को करने दीजिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मैंने कुछ कहा था आपको अभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूँगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया व्यवधान न करें। यह कोई वैसी प्रक्रिया नहीं है जहाँ मैं रुक सकूँ। कृपया व्यवधान मत डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदया, आपको श्री राजनाथ सिंह जी को अनुमति देनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूँगी।

प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

'कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत् ससंद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी है।'''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी, अब आप बहुत संक्षेप में बता दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैंने मोशन ऑफ थैंक्स पर अपने विचार व्यक्त करते समय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहा था कि कश्मीर वैली में सरपंचों की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, उग्रवादी-आतंकवादी ताकतों के द्वारा लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है, सरकार को इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे सरपंचों को इस बात की गारंटी दी जा सके कि सुरक्षा को लेकर उनके लिए कोई संकट पैदा नहीं होगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। तेलंगाना के संबंध में भी मैंने यह जानना चाहा है कि तेलंगाना के संबंध में यह सरकार क्या करेगी। किसानों के लोन वेवर में जो धांधली हुई, उसकी जांच कराने के लिए सीबीआई की बात हमने कही थी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी के क्या विचार है? प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं, यह बात सही है, मैं मानता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर पूरी तरह से गरजने की कोशिश की है। आज तक 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के इतने आक्रामक तेवर को मैंने कभी नहीं देखा था, अब 9 वर्ष समाप्त होते-होते प्रधानमंत्री जी के आक्रामक तेवर को देख रहा हूं। मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बुझने से पहले दीपक की लौ काफी आक्रामक हो जाती है और इस सरकार के जाने का समय आ गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

श्री बद्रीराम जाखड़

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मूझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सायं 06.51 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं आपसे बिलाड़ा और बर के लिए नई रेल लाइन के लिए मांग करता हूं, 275 करोड़ रूपये देने की सरकार से मांग करता हूं। हमारे तिउरी स्टेशन पर रेलवे बुकिंग खोलने के लिए मै आपके माध्यम से, रेलवे से मांग करता हूं। जोधपुर से चेन्नई के लिए ट्रेन संख्या 16126-16125, जो सप्ताह में एक दिन चलती है, का फेरा बढ़ाने की मांग करता हूं। बीकाने से हैदराबाद के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 17038-17037 का फेरा बढ़ाने की मांग करता हूं। जोधपुर से पूना के लिए गाड़ी संख्या 11089-11090 का फेरा बढ़ाने की मांग करता हूं। चेन्नई, पूना और हैदराबाद में हमारे बहुत से प्रवासी लोग रहते हैं, वहां आने-जाने में बड़ी तकलीफ रहती है। आप इन ट्रेन्स का फेरा बढ़ाने की कोशिक करें। मैं आपसे पुरजोर मांग करता हूं कि रेल मंत्री जी से कह कर इन ट्रेन्स का फेरा बढ़वाएं और बिलाड़ा और बर के लिए नई रेल लाइन के लिए 275 करोड़ रूपये दिलवाएं, जिससे जनता को फायदा मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : सभापति महोदय, मैं यहां नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण और काफी समय से लंबित मांग जो कि जनवरी, 2004 से पहले नवोदय विद्यालय समिति में सेवा पर नियुक्त हुए हैं, उनके लिए सीसीएस (पेंशन) योजना को कार्यान्वित करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को अनुदत्त 10 प्रतिशत विशेष भत्ते के समकक्ष उसे गैर-शिक्षा कर्मचारियों को भी प्रदान करने के बारे में है, को उठाना चाहूंगा।

महोदय, मानव संसाधन विकास से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपने 154वें और 198वें प्रतिवेदन में उपर्युक्त के बारे में पुरजोर सिफारिश की थी। श्री वाई.एन. चतुर्वेदी समिति ने एन.वी.एस कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन के कार्यान्वयन के लिए पुरजोर सिफारिश की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने नवोदय विद्यालय समिति से आग्रह किया है कि वह आचारण, अनुशासन और अपील नियमों तथा पेंशन, उपदानप और भविष्य निधि नियमों के संशोधनप की पुर्नसमीक्षा करे ताकि 31 अगस्त, 1995 तक एन.वी.एस. के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन शुरू किया जा सके जिसे संवदेनहीन तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

महोदय, 29 जनवरी, 2010 को नवोदय विद्यालय समिति की कर्मचारी एसोसिएशन की संयुक्त कार्यवाही समिति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा इस संबंध में लिखित में आश्वासन दिया गया था। लेकिन उनकी दस दिन की हड़ताल थी। सरकार यह कार्य कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने सीसीएस (पेंशन) योजना को पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लागू की है। यही स्वीकृति दूसरे विश्वविद्यालयों को भी दी जा सकती है। मैं सरकार से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों जो एन.वी.एस. में भी काम करते हैं के लिए दस प्रतिशत विशेष भत्ते सहित सीसीएस (पेंशन) योजना को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : सभापति जी, मैं जिस संसदीय क्षेत्र गौतम बुद्ध नगरर यानि नोएडा से आता हूं, वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। अभी पिछले दिनों जब 20 और 21 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल हुई तो नोएडा में असामाजिक तत्वों ने वहां इतनी लूटपाट और आगजानी की कि उस क्षेत्र की सारी कानून-व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि महिलाकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई। इस हड़ताल के दौरान वहां 1200 औद्योगिक इकाइयों में तोड़-फोड़ की गई, 33 वाहनों को आग लगा दी गई और 1500 करोड़ रूपए का उद्योगों को नुकसान हुआ। मैंने जब इस बारे में गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी से फ़ोन पर बात करनी चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस हड़ताल के दौरान पूरे प्रकरण में वहां की पुलिस मूकदर्शक बनी रही। नोएडा विश्व पटल पर एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति इस तरह की रहेगी और वहां के उद्योगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वे पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि उद्योगों की अलग से सुरक्षा व्यवस्था हो और वहां जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो असामाजिक तत्व दोषी हैं तथा पुलिस निष्क्रिय रही, दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, मैं आपका यह सरकार प्रदान करने के लिए आभारी हूं। आजकल, भारत अंतर्राष्ट्रीय दवाई कंपनियों द्वारा मनुष्यों पर अविनियमित क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए एक व्यापाक अड्डा बन गया है। इन परीक्षणों के अधिकतर पीड़ित गरीब दलित और आदिवासी होते हैं। लागू करने वाले तंत्र और निगरानी प्राधिकरण इन परीक्षणों का ट्रंक रखने में विफल हो गए। ऐसे क्लिनिकल ट्रायलों के कारण कई मौतें होती हैं और बहुत से मौत के मामले अनदेखे रह जाते हैं। कुछ मामलों में ही मुआवजा राशि दी जाती है और वो भी नगण्य के बराबर होती है। उच्चतम न्यायालय ने मनुष्यों पर अनियंत्रित क्लिनिकल दवाई परीक्षणों की अनुमति दिए जाने पर केंद्र को भी कटघरे में खड़ा किया है। इन परीक्षणों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में किया जाना चाहिए था। लेकिन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस संबंध में, कई समितियां गठित की गई है। अब तक इस बारे में कोई रिपोर्ट या कोई कार्रवाई नहीं की गई। समितियों और आयोगों का गठन केवल इस मुद्दे से भटकाने के लिए है। इससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सरकार को देश के बिना भेदभाव के हर नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यह सरकार का दायित्व है। ऐसी मौतों को रोका जाना चाहिए और गैर कानूनी परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार को इस संकट से शीघ्रता और तत्परता से निपटना चाहिए। मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बार-बार जांच किए जाने सहित से और अधिक पारदर्शी तरीके से किए जाने हेतु विनियमित किए जाने के लिए एक नया विधेयक लाए जाने की आवश्यकता को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो रही है, मैं उसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एनआरएचएम में जितना बड़ा वहां घोटाला हुआ, वहां के एक मंत्री और स्वास्थ्य सचिव जेल में हैं, लेकिन सरकार ने उससे कुछ नहीं सीखा है। वहां पर चूंकि राष्ट्रपति शासन है इसलिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के खराब होने पर सीधे-सीधे जिम्मेदार है।

सायं 7.00 बजे

एनआरएचएम में वह महल तो बना रही है लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, कंपाउडर नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, एक्सरे की मशीन नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं। महिलाओं और बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नजर नहीं आती है, ममता वाहन का बुरा हाल है। एम्बुलेंस की 108 नम्बर की सुविधा जो सरकार देना चाहती है उसका बुरा हाल है।

सभापति महोदय, झारखंड की जो स्थिति है चाहे जन्म मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, जननी सुरक्षा हो या महिलाओं को प्रसव के लिए जो खाना दिया जाता है, उसका बुरा हाल है। आईसीटीएस में अभी आपने देखा कि आंगनवाड़ी केन्द्र की दुर्गति किस तरह से है जो मैडीकल कॉलिज - हॉस्पिटल बनने वाले हैं, उसका दो-दो साल पहले शिलान्यास दुमका में हो गया, लेकिन अभी तक उसमें एक ईंट भी नहीं रखी गयी है। मैं एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं पूरे झारखंड की जो स्थिति है वह चौपट है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि आप केवल कागजों पर कागजों पर कागजी घोड़े मत दौड़ाइये, झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वे इस देश का चला रहे हैं, इसलिए आप स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल पविर्तन कीजिए। जो लोग एनआरएचएम के घोटाले के जिम्मेदार है उनके ऊपर सीबीआई की ईक्वायरी कराकर उन्हें जेल भेजिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : सभापति जी, अपने मुझे अति महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के भदोही लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां आज भी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि देश में हर जनपद में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैंने भी दो-तीन बार इस सदन में इस बात को उठाया है कि मेरा क्षेत्र भदोही ग्रामीण अंचल में है, काशी और प्रयास के बीच में है और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र से 80 किलोमीटर वाराणसी और इलाहाबाद पड़ता है और वहां के लोगों को केन्द्रीय विद्यालय

में एडमिशन के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र से ज़िलाधिकारी ने जमीन का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भदोही और अन्य जनपदों मे जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा। लेकिन दु:ख की बात है कि आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे भी शहर हैं जहां एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं और आगे भी स्थापित किये जा रहे हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में ऐसा नहीं है। मैं अपने क्षेत्र भदोही की बात कर रहा हूं जहां का प्रस्ताव भी आ चुका है और माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि ग्रामीण जनता को भी केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा मिल सके।

[अनुवाद]

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, बहुत से राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के कुछ हिस्सों में जूट की खेती करने वाले अत्यंत निराशा हुए हैं। सरकार की पूर्ति नीति में विहित था कि अनाज और चीनी केवल जूट के थैलों में ही वहन किया जाएगा और आपूर्ति की जाएगी। बाद में यह निर्णय किया गया कि जूट के थैलों के स्थान पर सिंथेटिक थैली का उपयोग किया जाएगा। परिणामस्वरूप, जूट की कीमत बुरी तरह नीचे गिर गई और जूट उगाने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जूट एक नकदी फसल है लेकिन यह भारतीय जूट निगम द्वारा की नहीं खरीदी जा रही। हालात ऐसे हो गए कि जूट की फैक्टरियां बंद हो गई और मजदूरों की छटनी हो रही है, उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो सरकार को पहले कर देनी चाहिए। सरकार की नीति तत्काल बदल दी जानी चाहिए ओर प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब जूट की कृषि का मौसम है। यदि इस समय की सरकार जूट के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती तो एक बार फिर जूट क्षेत्र में भारी घाटा होगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जांच करके पता लगाए कि जूट का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को अपनी नकदी फसलों के लिए पर्याप्त मूल्य मिले और भविष्य में घाटा न हो। तभी जूट उद्योग का आस्तित्व बना रह सकेगा। इन शब्दों के साथ, शून्य काल में यह मामला उठाने की मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

सभापति महोदय : इस मामले में श्री नृपेन्द्र नाथ राय स्वंय को श्री प्रशान्त मजूमदार के साथ संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान भारत के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना और उसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक तथा दूसरे कर्मी भारत सरकार के ही कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार सरकार केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों तथा दूसरे कर्मियों के साथ खुलेआम भेदभाव कर रही है। जहां अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, वही शहरों के साथ-साथ देश के सुदूरवर्ती हिस्सों में तैनात केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों और दूसरे कर्मियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि वे भी केंद्र सरकार के ही कर्मचारी हैं। बीमार पड़ने की स्थिति में इन शिक्षकों तथा इनके परिवार के सदस्यों को प्राइवेट इलाज कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। स्थिति अब और जटिल हो जाती है जब केंद्रीय विद्यालयों के कर्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं।

इस स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों तथा दूसरे कर्मियों को भी सीजीएचएस की सुविधा मुहैया कराने हेतु उचित कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण) : सभापति महोदय, हाल ही में देश में जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही है उनकी दर में चेतावनी पूर्ण वृद्धि के संबंध में सभी भारतीयों से संबंधित मामले को मैं उठाना चाहूँगा।

वर्ष 2011 में ही राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों ने भारत में आत्महत्या की घटनाओं की कुल संख्या 1.35 लाख बताई है जो विचलित कर देने वाली है। इसका अर्थ है कि भारत में हर घंटे में कम से कम 16 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं।

---

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

[श्री सी. राजेन्द्रन]

हालांकि अधिकांश पुरूष सामाजिक और आर्थिक कारणों से आत्महत्या करते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं द्वारा यह कदम भावनात्मक और व्यक्तिगत कारणों से उठाया जाता है जिनमें तलाक भी शामिल है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि आत्महत्या के एक चौथाई मामले पारिवाहिक समस्याओं के कारण थे और आत्महत्या करने वाले 70% लोग विवाहित थे।

हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि यह एक अत्यंत गंभीर समस्या हैं। लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने के अतिरिक्त, सरकार को समाज में जागरूकरता पैदा करने के लिए तथा लोग यह अतिवादी कदम न उठाए इसके लिए यथा संभव सभी प्रयास करने चाहिए। सरकार इलैक्ट्रानिक और मुद्रण मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करते तथा लोगों को समझाए कि खुद को मार देना दूसरों से प्यार और ध्यान पाने का तरीका नहीं है।

हमारे लोगों में भारतीय मूल्य, लोकाचार और संस्कृति अंर्तनिविष्ट करने की आवश्यकता है ताकि वे ये न सोचें कि आत्महत्या किसी अस्थायी समस्या का स्थायी हल है।

[हिन्दी]

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट) : सभापति महोदय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नैनपुर-छिंदवाड़ा बालाघाट-नैनपुर गोंदिया-बालाघाट, बालाघाट कटंगी, तिरोड़ी-तुमसर रेलवे लाइनों पर चौकीदार रहित समपारों पर ओपन-कट पद्धति में समिति ऊंचाई के भूमिगत परिपथ बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिनकी ऊंचाई सवा तीन मीटर से पौने चार मीटर तक है। इन लिमिटेड हाइट सब-वे बनाए जाने से अब रेलवे लाइन से लगे हुए गांवों में सदा-सदा के लिए बड़े वाहनों के आवागमन से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ेगा। जिससे ग्रामीण जन-जीवन बाधित हो जाएगा। प्राय: गांवों में सहकारी समितियां हैं जिनमें चावल, धान, गेहूं तथा रासायनिक खाद बड़े वाहनों से लाया और ले जाया जाता है। यदि इन भूमिगत परिपथों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई तो ग्रामीण लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण जनता को राशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि नैनपुर-छिंदवाड़ा में 20 भूमिगत परिपथ, बालाघाट-नैनपुर में 27 भूमिगत रेलपथ, गोंदिया बालाघाट में 24 भूमिगत परिपथ, बालाघाट कटंगी में 14 भूमिगत परिपथ, तिरोड़ी तुमसर में 20 भूमिगत परिपथों की ऊंचाई बढ़ाने को कट किया जाए और कुछ समपारों के ऊपर कुछ स्थानों पर ऊपरी पुल बनाने का कट किया जाए अन्यथ इलाके की ग्रामीण जनता उग्र रूप धारण कर लेगी जिसकी जवाबदेही रेलवे और रेलवे के अधिकारियों पर होगी। मैं आशा करता हूं कि रेलवे विभाग इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान होगा।

प्रो. रामशंकर (आगरा) : सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यमुना जो प्रदूषित है और जल विहीन यमुना है, उसको लेकर मथुरा से हजारों किसान, साधु संत और जनता पदयात्रा कर रहे हैं और दिल्ली के लिए उन्होंने कूच किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि यमुना पूरी तरह से सूखी पड़ी है। हथिनीकुंड पर यमुना को बंधक बना लिया गया है। यमुना में हथिनीकुंड से पानी थोड़ा-बहुत छोड़ा जाता है और जो थोड़ा-बहुत बचता है तो वह दिल्ली के लोग पी लेते हैं। आगे चलकर मथुरा-आगरा में यमुना का पानी बिल्कुल नहीं जाता है। सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि आगरा और मथुरा में यह पानी खारा है और वहां पर जमीन का पानी कोई पी नहीं सकता है। केवल यमुना के पानी से ही आगरा और मथुरा की जनता पानी पीने को मजबूर है। लेकिन उस यमुना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर गंदे नाले यमुना में गिरते हैं जिसका पानी पीने को जनता मजबूर है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आगरा की जनता में केवल 20 प्रतिशत लोग बिसलरी का पानी खरीद लेते हैं लेकिन 80 प्रतिशत गरीब जनता वही गंदा पानी पीने को मजबूर है जिसके कारण इतनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं और उनकी 40 से 50 साल में ही मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें चुप है। उत्तर प्रदेश का यमुना के पानी में जो हिस्सा है, वह उसे क्यों नही दिया जाता है, इस संबंध में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूं तथा सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि यमुना के किनारे ताजमहल बना हुआ है और ताजमहल की नींव में लकड़ी है और वह भी सूख रही है। यदि पर्याप्त पानी यमुना

में नहीं छोड़ा गया तो निश्चित रूप से ताजमहल एक दिन गिर जाएगा। ताजमहल गिर जाए लेकिन आगरा की जनता बची रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए जो संतों और किसानों की पदयात्रा हो रही है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यमुना में पानी छोड़ा जाए जिससे यमुना मैया बची रहे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रो. रामशंकर द्वार उठाए गए मुद्दे से संबंध होने की अनुमाति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि झारखंड राज्य के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पीने के पानी पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। झारखंड राज्य पठारी होने के कारण वहां जमीन के नीचे पानी उपलब्ध नहीं है। झारखंड राज्य के बहुत बड़े भाग में खाद्यान्न होने के कारण भी पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है विशेषकर धनबाद जिलार गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि झारखंड राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति योजना प्रारम्भ की जा जिससे जल संकट से निदान मिले और जनता को लाभ हो सके।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मामला सदन के समक्ष लाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय हमारे क्षेत्र में जब तक दो चार लोगों की हत्या करा लेगा, तभी होश में आएगा। बलिया जनपद सबसे पहले आज़ाद हुआ। रेवती रेलवे स्टेशन पर हजारों जनता ट्रेन रूकवाने के लिए दो बार धरना कर चुकी है और बीसों बार प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन रेल मंत्रालय को मैं भी लिखते - लिखते थक गया हूं लेकिन रेल मंत्रालय सुन नहीं रहा है। छपरा-दुर्गसारनाथ एक्सप्रैस, सियालदाह एक्सप्रैस का ठहराव बलिया वाराणसी पैसेंजर ट्रेन का छपरा तक विस्तार, इंटरसिट एक्सप्रैस का रेवती में ठहराव होना चाहिए और इंटरसिटी जैसी ट्रेन का छपरा तक विस्तार, इंटरसिटी एक्सप्रैस का रेवती में ठहराव होना चाहिए और इंटरसिटी जैसी ट्रेन रोक नहीं पा रहे हैं और प्लेटफॉर्म इतना नीचे है कि चढ़ने पर रोज यात्री गिर रहे हैं। इसी तरह से सलेमपुर में गोदन-दुर्ग-पुणे और बापूधाम एक्सप्रैस के ठहराव के लिए जनता आंदोलित है। इसी तरह से बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर बापूधाम सुपरफास्ट एक्सप्रैस, शालीमार और गोरखपुर-पुणे एक्सप्रैस के लिए जनता रोज प्रदर्शन तथा धरना कर रही है कि येरा रेलवे स्टेशन पर वाराणसी-गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव के लिए जनता आंदोलन कर रही है। और फिर अल्टीमेटम लोगों ने दिया हुआ है। दो दो बार रेलवे अधिकारियों ने यहां चिट्ठी भी भेजी कि हम जल्दी से जल्दी ट्रेन रूकवा देंगे लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि रेल मंत्रालय हमारे क्षेत्र को कुछ भी नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम जो ट्रेन नजदीक से चलती हैं, उन ट्रेन को क्यों नहीं रूकने दिया जाता? मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनता आंदोलित है, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और मुझे भी कहीं इसमें शामिल न होना पड़े, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इन उपर्युक्त ट्रेन्स का ठहराव कराने की व्यवस्था करें।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बार के रेल बजट से इलाके नागौरी में बहुत हताशा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार है, इसका सबसे बड़ा सब-डिवीजन दिनहाटा है। यहां सात लाख आबादी है। इस इलाके के लोगों को आशा थी कि इस बजट में दिनहाटा में कोई नई ट्रेन मिलेगी। माननीय रेल मंत्री ने जब बजट पेश किया तो दिनहाटा के बारे में कुछ एलान नहीं किया जबकि दिनहाटा के लोगों को बहुत दिनों से आशा थी। ट्रेन नं. 3147 उत्तर बंग एक्सप्रेस कूच बिहार जाती है। कूच बिहार से ट्रेन नं. 3148 उत्तर बंग से सिआलदाह आती है। इस तरह से कूच बिहार से ही आना जाना पड़ता है जबकि यह ट्रेन दिनहाटा तक नहीं जाती है। हमारा इलाका कृषि प्रधान है। कूच बिहार का सबसे बड़ा सब-डिवीजन दिनहाटा है। हमारी मांग है कि ट्रेन नं. 3147 और 3148 कूच बिहार से दिनहाटा-बामनूट से सिआलदाह अप डाउन करे ताकि दिनहाटा के लोगों को कोलकाता से कनैक्शन मिले क्योंकि यहां के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आपके माध्यम से मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि इस बजट में उत्तरी बंग ट्रेन दिनहाटा तक बढ़ाई जाए या एक नई ट्रेन दिनहाटा तक चालू की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड का गड़हिया, इब्राहिमपुर ग्राम आजादी के बाद भी आज तक विकास से उपेक्षित रहा है। यह बड़े ही आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है। कि आज भी यहां के लोग जिला मुख्यालय मोतीहारी तथा उत्तर बिहार के मुख्य शहर मुजफ्फरपुर से अलग-थलग पड़ा हुआ है। यहां के लोगों को उपचार हेतु या फिर किसी भी कारण से शहर जाने के लिए लगभग 50 कि.मी. दूर तय कर जाना पड़ता है। वर्षा के दिनों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती हैं। यदि इस प्रखंड के इब्राहिमपुर घाट पर आर.सी.सी. बड़े पुल का निर्माण कर दिया जाता है तो यहां की लगभग 40,000 आबादी को काफी लाभ मिलेगा। उक्त पुल के निर्माण से गड़हिया, इब्राहिमपुर घाट से मेहसी प्रखंड की बड़ी आबादी, मुजफ्फरपुर जिला का साहेबंगज, शिवहर जिला, सवाईपट्टी व तेतरिया के साथ-साथ नेपाल से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगी जिससे उक्त क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। इस पुल के निर्माण के महत्व का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यहां कि आबादी बिहार की राजधानी पटना से भी जुड़ जाएगी जो यहां की विकास से महरूम जनता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड के गड़हिया, इब्राहिमपुर घाट पर एक आर.सी.सी. पुल का निर्माण कराया जाए जिससे यहां के लोगों को सुविधा मिलने के साथ-साथ उक्त क्षेत्र का भी विकास सम्भव हो सके।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली-मुम्बई रूट पर नेशनल हाईवे नं. 8 गुजरात के सूरत और बड़ौदा के बीच नर्मदा नदी पर भरूच झाड़ेश्वर के पास केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने नए ब्रिज का शिलान्यास किया था। इस शिलान्यास को छ: महीने हो गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि शिलान्यास के छ: महीने बाद भी ब्रिज का काम शुरू नहीं किया गया है। इस ब्रिज पर बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। नेशनल हाईवे नं. 8 मुम्बई, दिल्ली पर हजारों-लाखों की संख्या में छोटे-बड़े वाहन आते-जाते हैं। जिनकी वजह से वहां बहुत ट्रैफिक जाम रहता हे। इससे सिर्फ़ गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के लोग पेरशान हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन ब्रिजेज का शिलान्यास हुआ है, उन पर तत्काल काम शुरू किया जाए और साथ नर्मदा नदी के ऊपर जो ब्रिज भरूच-अंकलेश्वर को जोड़ता है, यानी गोल्डन ब्रिज के पास जो नया ब्रिज बनाने की मांग है, उसे सरकार तत्काल पूरा करे, यही मेरी सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं हमारे क्षेत्र थिसायान विलाई की नया पीआरएस केन्द्र सरकार संबंधी महत्वपूर्ण मांग उठाना चाहूंगा

थिसायान विलाई तमिलनाडु के तिरूने लवेली जिले के राधापुरम तालुक में स्थित नगर पंचायत है। थिसायन बिलाई के चारो ओर मछुआरों के कुडनकुलम, यूवारी, पेरूमनाल, कुथानकुभी, कुडूथाली, कुटुपनाई, थोमारयारपुरम, इडिनथाकाराई, कूटापुभी, कूथानकुलम और पाँचाल गांव है जिनकी जनसंख्या 1 लाख है वे अधिकांशत: मछुआरे हैं। पीआरएस काउटर न होने के कारण लोगों को अपने टिकट बुकर करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। थिसायानवि लाई का अभी रेल संपर्क भी नहीं हैं। इस हेतु मांग काफी समय से लम्बित है। और महोदय, यह अनिवार्य भी है। इसे खोले जाने के लिए डीआरएम कार्यालय, मदुराई द्वारा मौखिक अनुमति दी गई थी। इस हेतु स्थान की पहचान थिसायान विलाई के डाक घर में की गई थी और आवश्यक व्यवस्था भी की गई थी परन्तु उन्हें रेलवे बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता है।

क्योंकि यह जानकारी महत्वपूर्ण तथा जायज माँग है, मैं विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से रेलमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शीघ्रप्रतिशीघ्र थिसायानविलाई नगर में तमिलनाडु में थी पीआरएस केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक अनुमति देने का निदेश रेलवे बोर्ड की दें।

[हिन्दी]

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा लैंड एक्युजिशन का बहुत इम्पार्टेंट मेटर है,

आप लोग इसके लिए बिल भी ला रहे हैं। हमारे यहां संत कबीर नगर जनपद, उत्तर प्रदेश में एक बखीरा झील है, जिसमें एक पंछी विहार बना है। उसमें बीस साल पहले किसानों की दो हजार हैक्टेअर से अधिक जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली और आज तक किसानों को उसका एक पैसा नहीं मिला। वहां भूमि अधिग्रहित करने के बाद पंछी विहार बन गया। वहां के किसान अपनी जमीनों का आज भी लगान देते हैं और अगर वे अपनी जमीन पर जाते हैं तो उनके विरूद्ध मुकदमा दायर हो जाता है। इस बात को करीब 22 साल हो गये, लेकिन इतने सालों से आज तक उन्हें उनकी जमीन का एक पैसा भी नहीं मिला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो किसान आज भी लगान दे रहे हैं, उन किसानों की उनकी जमीनों का उचित मूल्य भुगतान किया जाए। क्योंकि बखीरा झील के आसपास के बहुत से किसान भूमिहीन हो गये हैं। उनके पास रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब वे लोग अपनी जमीन पर पहुंचते हैं तो उनके विरूद्ध सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है और वह झील, जो पंछी विहार के नाम से घोषित हो गई है, इतने सालों से उस झील का कोई विकास नहीं हुआ है। उसके किनारे केवल जंगली जानवर रहते हैं, जो किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं और केवल एक कागज में वह पंछी विहार घोषित है। हमारा निवेदन है। कि इस पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए, ताकि वहां के किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा मिले और उस बखीरा झील को पंछी विहार के रूप में विकसित करने के लिए हम विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति जी, आज आपने मुझे एक बहुत ही इम्पार्टेंट इश्यु पर बोलने का मौका दिया। मैं बहराइव से सांसद हूं। बहराइव के किनारे से घाघरा नदी बहती है। 28 तारीख को घाघरा नदी में एक नाव डूबने से कई लोगों के गायब होने की बात सामने आई थी। वहां पांच लोगों की लाशें बरामद हुईं, उस वक्त मैं वहां उपस्थित था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के प्रभावित लोगों को आपदा राशि मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी उदारता नहीं बरती।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन्हें मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, वे उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए। मुझे वह दिन याद आता है, जब मैं वहां पहुंचा, गूढ़ेदवी और बौड़ी नामक एक जगह है, उस जगह पर जब मैं पहुंचा तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। मेरे सामने वह मरी हुई लाश बरामद करवाई गई। मैं मौके पर था। पानी में घुस कर मैंने लाश निकाली और उसको एंबुलेंस में लदवा कर भिजवाया।...*(व्यवधान)*

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र दमन में, वहां के निवासियों के विरोध के बावजूद किए जाने वाले जमीन अधिग्रहण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दमन एक छोटी सी जगह है, जिसका एरिया लगभग 72 स्कॉयर किमी है। यहां पर जो स्थापित एयरपोर्ट है, उसका विस्तार करने के लिए कोस्ट गार्ड द्वारा कथीरिया, मरवड़, दलवाड़ा, डूमैठ, बीमपुर, कड़ैया इत्यादि गांवो की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है। इस भूमि अधिग्रहण से पूरे छोटे दमन की समाप्त होने की संभावना है। इससे वहां के लोगों में भारी आक्रोश है। दमन दो भागों में बंटा है - छोटा दमन और बड़ा दमन। यह छोटे दमन का हिस्सा है। यदि यहां जमीन का अधिग्रहण होता है तो छोटे दमन के लोगों को भयंकर परेशानी होगी। यहां पर सभी लोगों के आवास और खेती है। यहां के निवासी कई सौ वर्षों से यहां पर रह रहे है। पूर्वजों के समय में खेती हो रही है। इस जमीन का अधिग्रहण न हो इसके लिए स्थानीय सांसद अर्थात मेरे द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहीं की जनता की इच्छा है कि इस समय जो पहले से एयरपोर्ट यहां पर है, वहीं रहेगा। इसके अलावा एक इंच जमीन नहीं मिलेगी। इसका और विस्तार नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति जी, सरकार द्वारा देश के विभिन्न केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से नियुक्ति के लिए किया गया है। केंद्रीय विश्वद्यिालयों में प्रवेश के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान भर्ती में आरक्षण अधिनियम - 2006 के तहत केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में सीटों में वृद्धि की गई थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित अन्य सभी विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण का घोर उलंघन किया जा रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालियों में आरक्षरण का कोई प्रकोष्ठ भी नहीं बनाया गया

[श्री रामकिशुन]

है जिसके चलते इन पर नज़र रखना कठिन है। केंद्रीय विश्वविद्यालियों में शिक्षकों तथा अन्य प्रशासनिक स्तर पर होले वाली नियुक्ति के लिए...*(व्यवधान)* व पिछड़े पदों, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण के पद सुनिश्चित किए गए हैं, उनको सामान्य श्रेणी से भरा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण के लिए कुल निर्धारित सीटें, जो पदों की नियुक्तियां है, उनमें गड़बड़ी कर के सामान्य पदों से भरा जा रहा है, उसको न भरा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.आर. जेयदुरई (थूथुकडी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा सोलह मछुआरों के अपहरण का मामला आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। वे सभी मछुआरे मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं। वे मन्नार, की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली तीन यांत्रिकी नौकाओं में मछली पकड़ने का काम करते थे। उन्हें श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।

महोदय, श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा निर्दोष भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेने और उन्हें उत्पीड़ित करने की घटना आम हो गई है। इससे असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है और मछुआरों में भय व्याप्त है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे श्रीलंका के प्राधिकारियों से इन सोलहों मछुआरों को उनकी तीनों नौकाओ के साथ शीघ्र मुक्त करने का आग्रह करें। भारत सरकार को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति जी, नैशन फिशर वर्कर्स फोरम का एक बहुत बड़ा डेलिगेशन पिछली चार तारीख से धरना आंदोलन पर जंतर-मंतर पर बैठा हुआ है। ये सभी लोग देश की करीब-करीब दो करोड़ आबादी के फिशरमैंस को सपोर्ट करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने खत लिया है। उनका मसला खास कर पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह धरना आंदोलन उन्होंने रखा हैं और उनकी जो मांग है, उसको पूरा किया जाए। मैं सदन की ओर से सरकार से ऐसी विनती करता हूँ।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया का ध्यान उनके मंत्रालय की महत्वपूर्ण 'समेकित बाल विकास सेवा योजना' जो कि पूर्णतया केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, की ओर दिलाना चाहूंगा। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित इलाके के लोगों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र व लघु आंगनवड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। लघु आंगनवाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां की जनसंख्या 150 से 400 के मध्य होती है तथा नदी व तटीय इलाकों में जनसंख्या का मापदण्ड 150 से 300 ही निर्धारित किया गया है, वहां खोले जाते हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अन्तर्गत जीरापुर परियोजना में काशीखेड़ी पूर्व नाम से एक गांव आता है। जहां की जनसंख्या परियोजना के वर्तमान सर्वे के अनुसार 498 है। यह गांव छापी नदी व एक बड़े सिंचाई तालाब के तट के दूसरे छोर पर स्थित है। इस गांव में लघु आंगनवाड़ी केन्द्र खुलवाने के लिए वहां के स्थानीय व्यक्तियों की मांग पर मैं वर्ष 2010 से लगातार संबंधित विभाग से पत्राचार करता आ रहा हूं तथा सदन के माध्यम से भी मैंने इस मांग को प्रश्नों के माध्यम से उठाया है, लेकिन नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला है।

महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं आप इसे पहले ही उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि यदि सांसद, विधायक

की उचित व नियमानुसार जायज मांग को राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा मांग की श्रेणी में नहीं लिया जाता है, तो क्यों न इस स्कीम में से 'मांग आधारित लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का खोला जाना' उपबन्ध समाप्त ही कर दिया जाये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, दिनांक 19 फरवरी 2013 को ग्राम नोवाखली थाना कैनिंग जिला दक्षिण 24 परगना पूर्व पश्चिम बंगाल के दलितों व आदिवासियों के लगभग 240 घर आग लगाकर जलाकर राख कर दिये गये। उनका सामान नष्ट कर दिया गया। वर्तमान में ये सभी परिवार खुले आसमान के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। वहां क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। घटना होने के बाद 240 में से 113 पीड़ित परिवारों को दस-दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता के चैक दिये गये हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं होने कारण अभी तक चैक की राशि उनको प्राप्त नहीं हुई है। जिन लोगों ने घटना की वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

महोदय, यह प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार विवरण अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातिय मामलात मंत्रालय से मांग करता हूं कि घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करें, एस.सी.एसी.टी आयोग को वहां भेजें, मानवाधिकार आयोग को वहां भेजें और उन्हें दो-दो लाख रूपये की समुचित आर्थिक सहायता देकर उनको रोजगार उपलब्ध करायें। उनको इन्दिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री ओ.एस. मणियन (मईलादुतुरई) : धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान तमिलनाडु के मछुआरें की सुरक्षा और कुशलता से संबंधित उस गंभीर चिन्ता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिस पर अब श्रीलंकाई नौसैनिकों। उपद्रवियों द्वारा अमूमन रोज हमले हो रहे हैं। तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलवी अम्मा ने श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा हिरासत में लिए गए 16 ट्यूटिकोरिन मछुआरों की नजरबंदी के बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। ट्यूटिकोरिन, रामेश्वरम् कोडियाकराई आदि जैसे भारतीय शहरों के तट से काफी नजदीक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार कर जाने वाले तमिलनाडु के मछुआरों की इस तरह बारंबार गिरफ्तारी और नजरबंदी की घटनाओं से तमिलनाडु में अंशाति फैल गई है। इससे तमिलनाडु में मछुआरों में भी अत्यधिक तनाव और अशांति का माहौल पैदा हो गया है। श्रीलंकाई नौसैनिकों का तमिलनाडु के मछुआरों को उत्पीड़ित करने। उन पर हमले करने का यह एक समान रवैया रहा है।

महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वे तमिलनाडु के मछुआरों के लिए शीघ्र और स्थायी हल निकालें।

सभापति महोदय : श्री विष्णु पद राय, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं अपनी बात बस केवल महात्मा गांधी गवर्नमेन्ट कॉलेज, मायाबंदर के संबंध में बताना चाहूँगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसे संक्षेप में ही बताएँ। आपका नाम मूल सूची में नहीं है। हम आपको मामले को विशिष्ट मामले के रूप में मौका दे रहे है। कृपया संक्षेप में ही बोलिए। ज्यादा समय न लें।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय : महोदय, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, मायाबन्दर 1994 में शुरू हुआ। उस कॉलेज में 6 सब्जेक्ट्स में 20 टीचर्स की पोस्ट सैंक्शन हुई, लेकिन भर्ती केवल 10 पद पर हुई। करीब-करीब 15-20 गेस्ट लेक्चरर्स से वह कॉलेज चलाया जा रहा है, जिन्हें दस हजार रूपए वेतन दे रहे हैं। यूजीसी कमीशन कहता है कि उन्हें महीने में कम से कम 25 हजार रूपये वेतन देना है। उसी कॉलेज में स्टाइपेंड महीने में केवल एक हजार रूपये दे रहे हैं, उसे बढ़ाकर 2,500 रूपया किया जाना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर के जेएनआरएम कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाये जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को मायाबन्दर कॉलेज में पढ़ाया जाये। मैं एक मांग और करूंगा कि उस कॉलेज में हॉस्टल, कॉलेज रूम्स, स्टॉफ रूम्स रिपेयर नहीं हो रहे हैं। मेरी मांग है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अच्छा कॉलेज बने। हमारे द्वीपसमूह में एक बच्चे पर 47 हजार रूपया खर्च होता है, बढ़िया कॉलेज के लिए सरकार व्यवस्था करे, यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद (थेनी) : महोदय, मैं विदेशी निर्वासित कामगारों के मामले को उठाना चाहता हूँ। सऊदी अरब, मस्कट, दुबई व अन्य देशों में लगभग 11 लाख कामगार कार्यरत हैं। इनमें से 11000 लोगों का अता-पता नहीं है। ये लोग साँप और कोल बिच्छुओं के काटने से मर चुके हैं। गुम हुए इन कामगारों के परिवारों को वहां से यदि कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है तो उन कामगारों को मृत घोषित कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार अगर एक बार उन्हें मृत घोषित करती है, तो परिवार सड़क पर उतर आएँगे। मेरा अनुरोध है कि गुमहुए उन कामगारों को मृत घोषित किया जाए और साल भर के अन्दर उन्हें मुआवजा दिया जाए। इन कामगारों के परिवारों में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई कामगार इस समस्या से जूझ रहे हैं। गुमहुए कामगारों के कई परिवार सड़कों पर है। भारत सरकार की ओर से इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यथाशीघ्र जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की।

महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के योजना बोर्ड के गठन का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे तथा परिवहन सम्पर्कों का इस प्रकार विकास करना था कि इन सुविधाओं की एकरूपता के फलस्वरूप नागरिक दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों में भी बसने हेतु तत्पर हों तथा जनसंख्या का भार कम हो। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है। कि शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित उक्त बोर्ड की उक्त बोर्ड की उत्तर प्रदेश से संबधित अधिकांश योजनाएँ लक्ष्य से कोसों दूर हैं। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) के अंतर्गत दिल्ली व मेरठ के बीच की हाईस्पीड ट्रेन तथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाईवे सरीखी योजना वर्ष 2011 में पूरी होनी थी परन्तु ये योजनाएँ अभी तक कागज में ही हैं। कार्यान्वयन संबंधी इन विफलताओं के विषय में योजना बोर्ड का कथन है कि वह किसी भी अवसंरचात्मक विकास योजना का कार्यान्वयन नहीं करता, राज्य सरकार अथवा उनकी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित योजनाओं को केवल वित्त पोषण करता है। ऐसे में जबकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन के मामलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिकारविहीन है तथा विभिन्न जिलों में विकास की ये योजनाएँ राज्य सरकार की वरीयता सूची में नहीं है तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो? महोदय, इस समस्या को मैं पहले भी अनेक बार सदन में उठा चुका हूँ तथा लगभग दो वर्ष पहले 22 मार्च 2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा था परन्तु योजनाओं पर केवल बैठकें हो रही हैं। हालत यह है कि मेरठ व दिल्ली के बीच राजमार्ग संख्या 58 तथा हापुड़ व दिल्ली के बीच राजमार्ग संख्या 24 पर निरन्तर जाम लगे रहने के कारण लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्राय: चार से पाँच घंटे तक लग जाते हैं। इन मार्गों पर यातायात का दबाव, निरन्तर बढ़ता जा रहा है जो तनाव के रूप में इस क्षेत्र के निवासियों तथा यात्रियों पर दिखाई देने लगा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार मेरठ-दिल्ली के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाने, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रैस हाइवे का निर्माण करने का कार्य तुरन्त प्रारंभ करे तथा इन योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वित करे।

सभापति महोदय : अब सभा कल 7 मार्च 2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7:40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल श्री प्रदीप कुमार सिंह	121
2.	श्रीमती मीना सिंह	122
3.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्रीमती सुप्रिया सुले	123
4.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू श्री देवराज सिंह पटेल	124
5.	श्री के. सुगुमार	125
6.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री के.पी. धनपालन	126
7.	श्री लक्ष्मण टुडु श्री दुष्यंत सिंह	127
8.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री आनंदराव अडसुल	128
9.	श्री सुदर्शन भगत	129
10.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	130
11.	कुमार सरोज पाण्डेय	131
12.	श्री महेश्वर हजारी श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	132
13.	श्री नित्यानंद प्रधान	133
14.	श्री एम.आई. शानवास	134
15.	श्री अनंत कुमार श्री जी.एम. सिद्देश्वर	135
16.	श्री गणेश सिंह	136
17.	श्री पन्ना लाल पुनिया श्री तूफानी सरोज	137
18.	श्री भक्त चरण दास श्री धनंजय सिंह	138
19.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा श्री वैजयंत पांडा	139
20.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन श्री दत्ता मेघे	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	1408, 1557, 1592
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1405, 1575, 1591
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1478
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1445
5.	श्री आधि शंकर	1472, 1567
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1445, 1479
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1449, 1570
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1419
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	1471, 1504, 1594

1	2	3
9.	श्री सुल्तान अहमद	1480, 1577
10.	श्री सुल्तान अहमद	1480, 1574
11.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1459
12.	डा. रतन सिंह अजनाला	1574
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1489
14.	श्री सुरेश अंगड़ी	1434, 1525
15.	श्री अशोक अर्गल	1571, 1577, 1578
16.	श्री कीर्ति आजाद	1490, 1564
17.	श्री गजानन ध. बाबर	1445, 1543
18.	श्री राज बब्बर	1513
19.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1501
20.	श्री कामेश्वर बैठा	1389, 1573
21.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1439, 1462, 1595
22.	डॉ. बलीराम	1422, 1565
23.	श्री अम्बिका बनर्जी	1521, 1567
24.	श्री पुलीन बिहारी बासके	1519
25.	श्री ताराचन्द भगोरा	1396, 1570
26.	श्री शिवराज भैया	1535
27.	श्री संजय भोई	1464
28.	श्री समीर भुजबल	1453
29.	श्री पी.के. बिजू	1440, 1530, 1559, 1560, 1567
30.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1428, 1606
31.	श्री हेमानंद बिसवाल	1414, 1422, 1595
32.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1501, 1536, 1576
33.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1419, 1447, 1483
34.	श्री सी. शिवासामी	1441, 1490, 1564, 1582
35.	श्री हरीश चौधरी	1390
36.	श्री जयंत चौधरी	1423, 1602
37.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1484, 1501, 1561, 1564, 1582
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1421, 1503
39.	श्री भूदेव चौधरी	1460, 1510, 1573
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1406
41.	श्री खगेन दास	1499, 1572
42.	श्री राम सुन्दर दास	1397
43.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1389, 1585
44.	श्री के.डी. देशमुख	1399
45.	श्रीमती रमा देवी	1469
46.	श्री के.पी. धनपालन	1559, 1580
47.	श्री संजय धोत्रे	1495, 1502, 1564, 1571, 1579
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1400, 1588
49.	श्री निशिकांत दुबे	1463, 1481, 1566
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1469, 1473, 1568
51.	श्रीमती प्रिया दत्त	1548
52.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1396, 1470, 1521
53.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड	1464, 1471

1	2	3
54.	श्रीमती मेनका गांधी	1468
55.	श्री वरुण गांधी	1460, 1500
56.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1443, 1569
57.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1471
58.	श्री एल. राजगोपाल	1507, 1565
59.	श्री शिवराम गौडा	1559, 1569
60.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1494, 1571
61.	शेख सैदुल हक	1478
62.	श्री महेश्वर हजारी	1480, 1562, 1569, 1594
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1476, 1547, 1587
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1460
65.	श्री बलीराम जाधव	1465
66.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1574
67.	श्री बद्रीराम जाखड़	1381, 1596
68.	श्री हरिभाऊ जावले	1477, 1551, 1570
69.	श्री महेश जोशी	1427
70.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1476, 1542, 1575
71.	श्री प्रहलाद जोशी	1501, 1542, 1558
72.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1402, 1460, 1559, 1569, 1589
73.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1523, 1538
74.	श्री पी. करुणाकरन	1416, 1460, 1467, 1564, 1569
75.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1397, 1511
76.	श्री नलिन कुमार कटील	1426, 1559, 1569, 1605
77.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1566
78.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1505
79.	श्री चंद्रकांत खैरे	1486, 1569
80.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1467
81.	श्री एन. कृष्टप्प	1499, 1556, 1572
82.	श्री मिथिलेश कुमार	1391
83.	श्री विश्व मोहन कुमार	1466
84.	श्री अजय कुमार	1455
85.	श्री पी. कुमार	1392, 1412, 1458, 1490, 1564
86.	श्री शैलेन्द्र कुमार	1460
87.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	1586
88.	श्री यशवंत लागुरी	1492, 1560
89.	श्री पी. लिंगम	1531
90.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1436, 1581, 1588
91.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1425, 1561, 1564, 1604
92.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1547, 1571
93.	श्री सतपाल महाराज	1447, 1527
94.	श्री नरहरि महतो	1385, 1470
95.	श्री भर्तृहरि महताब	1495, 1579

1	2	3
96.	श्री प्रदीप माझी	1481, 1490, 1499, 1506, 1544
97.	श्री जोस के. मणि	1508
98.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	1479
99.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1474, 1557
100.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1515
101.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1447, 1483, 1509
102.	श्री विलास मुत्तेमवार	1512
103.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1512, 1539, 1565
104.	श्री देवेन्द्र नागपाल	1572
105.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1384
106.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1456, 1563, 1564
107.	श्री नामा नागेश्वर राव	1526, 1574
108.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	1529
109.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1467, 1552
110.	श्री संजय निरुपम	1392, 1412, 1490, 1554, 1564
111.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1394, 1450, 1561, 1579
112.	श्री पी.आर. नटराजन	1557
113.	श्री वैजयंत पांडा	1468, 1574
114.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1437, 1569
115.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1565
116.	श्री जयराम पांगी	1525
117.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1464, 1471
118.	श्री देवजी एम. पटेल	1389, 1460, 1479, 1495
119.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1442
120.	श्री बाल कुमार पटेल	1549
121.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1481, 1490, 1499, 1506, 1544
122.	श्री हरिन पाठक	1488, 1564
123.	श्री संजय दिना पाटील	1456, 1563, 1564
124.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1482, 1498, 1553
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1469, 1473, 1568
126.	श्री सी.आर. पाटिल	1438, 1479, 1552
127.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1495, 1497
128.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1464, 1471
129.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1465, 1540, 1571
130.	श्रीमती कमला देवी पटले	1493, 1564, 1573
131.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1429, 1435, 1598
132.	श्री अमरनाथ प्रधान	1418
133.	श्री नित्यानंद प्रधान	1574, 1601
134.	श्री प्रेमदास	1466
135.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1477, 1608
136.	श्री एम.के. राघवन	1528
137.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1417

1	2	3
138.	श्री अब्दुल रहमान	1433, 1566, 1579
139.	श्री रमाशंकर राजभर	1467
140.	श्री सी. राजेन्द्रन	1388, 1564, 1584
141.	श्री एम.बी. राजेश	1530, 1555, 1559
142.	श्री पूर्णमासी राम	1522, 1565, 1573
143.	प्रो. रामशंकर	1550
144.	श्री रामकिशुन	1505, 1557
145.	श्री जगदीश सिंह राणा	1409, 1564
146.	श्री निलेश नारायण राणे	1403, 1564, 1590
147.	श्री रमेश राठौड़	1572
148.	श्री रामसिंह राठवा	1410, 1532, 1565, 1582, 1593
149.	श्री अशोक कुमार रावत	1487, 1565
150.	श्री अर्जुन राय	1476, 1523, 1576
151.	श्री रुद्रमाधव राय	1533
152.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1415, 1558, 1597
153.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1534
154.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	1404
155.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1560, 1561, 1583
156.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1385
157.	श्री एस. अलागिरी	1486, 1492
158.	श्री एस. सेम्मलई	1448, 1450, 1506
159.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1479, 1553
160.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1494, 1524

1	2	3
161.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1420, 1594, 1595, 1600
162.	श्री ए. सम्पत	1440, 1530, 1559, 1560, 1567
163.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1562
164.	श्री तथागत सत्पथी	1482
165.	श्री हमदुल्लाह सईद	1387, 1479, 1583
166.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1393, 1460
167.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	1541, 1564
168.	श्री नीरज शेखर	1537, 1571, 1577, 1578
169.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1383, 1471, 1545, 1581
170.	श्री एंटो एंटोनी	1520
171.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1454
172.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1599
173.	डॉ. भोला सिंह	1447, 1565
174.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1564, 1570, 1574, 1576
175.	श्री दुष्यंत सिंह	1560
176.	श्री इज्यराज सिंह	1390, 1475
177.	श्री जगदानंद सिंह	1517
178.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	1491
179.	श्री महाबली सिंह	1458
180.	श्री राधा मोहन सिंह	1510, 1546

1	2	3
181.	श्री राकेश सिंह	1460, 1496
182.	श्री रवनीत सिंह	1561, 1565, 1574
183.	श्री सुशील कुमार सिंह	1452, 1569, 1572
184.	श्री उदय सिंह	1545
185.	श्री यशवीर सिंह	1537, 1571, 1577, 1578
186.	चौधरी लाल सिंह	1407
187.	श्री रेवती रमण सिंह	1518
188.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1542
189.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1390, 1469, 1475
190.	श्री उदय प्रताप सिंह	1571
191.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1448
192.	डॉ. संजय सिंह	1390, 1503, 1569
193.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1429, 1607
194.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1446, 1495
195.	श्री के. सुधाकरण	1520, 1564
196.	श्री ई.जी. सुगावनम	1424, 1506, 1514, 1571, 1603
197.	श्री के. सुगुमार	1386, 1467
198.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1563, 1564
199.	श्री एन. चेलुवराया स्वामी	1411, 1574
200.	श्री मानिक टैगोर	1431, 1609
201.	श्रीमती अनू टन्डन	1382
202.	श्री लालजी टन्डन	1401, 1565
203.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1467
204.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1495
205.	श्री आर. थामरईसेलवन	1386, 1490, 1557, 1564, 1582
206.	डॉ. एम तम्बिदुरई	1447, 1514
207.	श्री पी.टी. थॉमस	1451
208.	श्री मनोहर तिरकी	1385, 1470
209.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1413
210.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1432, 1610
211.	श्री जोसेफ टोप्पो	1477
212.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1480, 1562, 1569, 1594
213.	श्री हर्ष वर्धन	1480, 1562, 1569, 1594
214.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1390, 1460
215.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1386, 1392, 1467, 1557
216.	श्री सज्जन वर्मा	1485, 1565
217.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1480, 1562, 1569, 1594
218.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1444, 1479, 1502, 1512
219.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1430, 1497, 1574
220.	श्री पी. विश्वनाथन	1398, 1471
221.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1395

1	2	3
222.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1502, 1564, 1571
223.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1503
224.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1445, 1479
225.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1489, 1523, 1575, 1576
226.	श्री ओम प्रकाश यादव	1457
227.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1476
228.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1461
229.	श्री मधुसूदन यादव	1481, 1497, 1516
230.	श्री मधु गौड यास्खी	1499, 1506

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	134
नागर विमानन	:	139
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	121, 127, 133, 135
विदेश	:	126, 132, 140
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	130
मानव संसाधन विकास	:	123, 124, 125, 128, 129, 137
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	136
योजना	:	122
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	131, 138.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1398, 1435, 1440, 1441, 1480, 1531, 1537, 1586, 1587
नागर विमानन	:	1407, 1419, 1428, 1434, 1436, 1438, 1459, 1464, 1468, 1495, 1506, 1513, 1521, 1524, 1528, 1529, 1532, 1534, 1544, 1547, 1549, 1552, 1553, 1554, 1567, 1570, 1571, 1574, 1579, 1598, 1600, 1603, 1609
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1389, 1390, 1400, 1402, 1403, 1424, 1437, 1457, 1471, 1472, 1475, 1477, 1486, 1493, 1505, 1508, 1523, 1535, 1538, 1555, 1557, 1561, 1566, 1569, 1572, 1581, 1585, 1589, 1594
विदेश	:	1381, 1382, 1404, 1416, 1432, 1445, 1456, 1474, 1483, 1496, 1518

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1386, 1421, 1439, 1467, 1470, 1491, 1565, 1595
मानव संसाधन विकास	:	1384, 1388, 1391, 1393, 1394, 1396, 1397, 1399, 1401, 1405, 1406, 1414, 1415, 1418, 1422, 1423, 1425, 1426, 1429, 1430, 1431, 1433, 1443, 1444, 1451, 1453, 1454, 1458, 1460, 1462, 1465, 1473, 1479, 1481, 1482, 1485, 1488, 1489, 1494, 1497, 1500, 1501, 1502, 1504, 1507, 1511, 1512, 1514, 151,7, 1520, 1526, 1536, 1539, 1540, 1543, 1545, 1546, 1551, 1558, 1559, 1560, 1562, 1563, 1568, 1573, 1576, 1583, 1584, 1588, 1591, 1593, 1596, 1599, 1601, 1602, 1605, 1606, 1608
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1455, 1530
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1385, 1409, 1446, 1448, 1452, 1461, 1478, 1484, 1487, 1503, 1522, 1556, 1577, 1578
योजना	:	1383, 1387, 1395, 1408, 1410, 1413, 1417, 1442, 1447, 1449, 1450, 1469, 1492, 1509, 1515, 1516, 1527, 1541, 1542, 1548, 1550, 1580, 1590, 1592
अंतरिक्ष	:	1607
शहरी विकास	:	1392, 1411, 1412, 1420, 1427, 1463, 1466, 1476, 1490, 1498, 1499, 1510, 1519, 1525, 1533, 1564, 1575, 1582, 1597, 1604, 1610.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 40/31/9/2013 (एन.)
360

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रिंटोग्राफ, 2966/40 बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।